राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] नवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 14

शुक्रवार,

दिनांक 22 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 422, श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन

422. **श्रीमती सूर्यकांता व्यास** (जोधपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम लोकनायक स्व. जयनारायण व्यास के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है ?

(2) यदि हां, तो यह निर्णय किस स्तर तक लिया जा चुका है ?

(3) निर्णय की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ? अब कब तक इसकी क्रियान्विति हो जायेगी ?

(4) क्या सरकार इसी सत्र में इसकी घोषणा करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. रतनलाल जाट) : (1) इसमें अभी अन्तिम निर्णय होना शेष है।

(2) दिनांक 20-1-83 को तत्कालीन मंत्रिमण्डल द्वारा यह निर्णय लेने पर कि जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर का नाम स्व. लोकनायक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर रखा जावे, विधान सभा में विधेयक रखा गया व 11-4-84 को पारित हुआ। इसके पश्चात् राज्यपाल महोदय ने इसे राष्ट्रपति महोदय को सन्दर्भित करने का निर्णय लेने पर गृह मन्त्रालय भारत सरकार को भेजा गया। इस विधेयक में नाम परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य ऐसे बिन्दू थे जिन पर पुनः विचार आवश्यक समझा गया, अतः भारत सरकार द्वारा इसे लौटाये जाने पर यह निर्णय लिया गया है कि इससे सम्बन्धित मामलों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में लम्बित

(डा. रतनलाल जाट)

मामलों की जानकारी ली जावे। वह जानकारी प्राप्त की जा रही है व उपलब्ध होने पर तदनुसार निर्णय लिया जायेगा।

(3) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(4) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि यह विषय ऐसा है जो बहस का नहीं है।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : बहस का तो नहीं है पर यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष : बहुत महत्वपूर्ण है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहस का नहीं है। आप इस विषय को समझिये, आपको यह काम करवाना है तो इसके लिए यहां चर्चा जितनी कम हो तो अच्छा है। आप नाम ही लेना चाहती हैं तो ले लीजिए। आप इस विषय को समझ ही नहीं रही हैं।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्षजी, सुनिये ता सही आप इसको, 83 का मामला है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, सवाल क्या है आपका ?

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : सवाल यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय रखा जाय। यह प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : अब सवाल क्या है ?

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : अब सवाल यह है, यह बता रहे हैं कि इसमें कई बिन्दु ऐसे हैं। वह बिन्दु कौन से हैं वह बताइये तो सही, कहां अड़चन आ रही है ? इसकी न तो इन्होंने जानकारी दी है, न स्पष्टीकरण है कि यह कब होगा।

श्री अध्यक्ष : वह बिन्दु बता दीजिए.... (व्यवधान)

डा. रतनलाल जाट : अध्यक्षजी यह विधेयक 11-4-84 को पारित हुआ था इसके बाद गवर्नर महोदय की सहमति के लिए इसको भिजवाया गया था। गवर्नर महोदय ने संविधान के आर्टिकल 200 के तहत इसको रिजर्व रखते हुए मई, 1984 में राष्ट्रपति महोदय के विचार हेतु भेज दिया गया। यह मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय में काफी लम्बे अर्से से लम्बित चला आ रहा है। इसमें जो राज्य सरकार और होम मिनिस्टरी और मिनिस्टरी आफ ह्यूमन रिसोर्सेज आफ डवलपमेंट के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ है उससे स्पष्ट है कि जोधपुर विश्वविद्यालय एक्ट, 1962 जिसके सैक्शन 11 में जो अमेण्डमेंट का प्रावधान रखा गया इस बिल के माध्यम से उसके तहत नाम परिवर्तन के साथ-साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दू रखा गया था बिल के क्लाज 9, सब क्लाज (1) (ए) के तहत उसमें रखा गया था कि राजस्थान में वाइस चांसलर का अपाइन्टमेंट चांसलर सलेक्शन

(डा. रतनलाल जाट)

कमेटी की रिकमण्डेशन से करते हैं लेकिन इस बिल में एक नई चीज जोड़ दी गई वह यह थी कि वी. सी. का अपाइन्टमेंट आन दी एडवाइस आफ स्टेट गवर्नमेंट एण्ड आन दी रिकमण्डेशन आफ सलेक्शन कमेटी किया जायेगा। क्योंकि यह मामला विश्वविद्यालय की आटोनामी से सम्बन्धित है इसलिए इस पर विचार करने के लिए यू. जी. सी. ने एक कमेटी बनाई है और उसके सामने यह मामला विचाराधीन है। इसलिए आज दिन तक इसमें निर्णय नहीं हुआ है। इसके बाद 19-12-90 को मंत्रिमण्डल ने इस पर विचार किया और यह जानना चाहा कि यू.जी.सी. इसके बारे में उसके सामने जो लम्बित मामला है उस पर क्या निर्णय कर रही है, उसी के अनुसार आगे कार्यवाही की जायेगी इसलिए जब तक यह बिल लम्बित है इसके दो पार्ट हैं, केवल अगर नाम परिवर्तन का मामला होता तो निश्चित रूप से क्लियर हो जाता लेकिन दूसरा मामला इसमें जोड़ा गया है जब तक इस बिल को विदड्रा नहीं करेंगे, दूसरे वाले को विदड्रा नहीं किया जायेगा। तब तक शायद यह लम्बित रहे।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री महोदय बता रहे हैं इससे साफ है कि इसमें कौन जिम्मेदार है। इसमें पूर्व सरकार जिम्मेदार थी कि इसको नहीं होने दिया। जब उदयपुर में सुखाड़ियाजी के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाता है। भारत की प्रधान मंत्री स्व. इन्दिरा गांधी के नाम पर राजस्थान कैनाल का नाम बदल दिया जाता है तो जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम रखने में पूर्व सरकार को क्या आपत्ति हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी यहां पुराने बुजुर्ग माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई विराजमान हैं और आज से दो साल पहले माननीय शिवचरणजी माथुर जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस सरकार में वह जोधपुर आये थे और वहां कह कर गये थे कि जाते ही इसका नाम बदल दूंगा मगर आज तक कुछ नहीं हुआ इसलिए पूर्व सरकार इसकी जिम्मेदार है मगर मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहूंगी वह इस पर क्या निर्णय ले रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक और शंका है कि स्व. जयनारायणजी व्यास जितने ईमानदार और निष्ठावान थे वह लोकनायक थे मगर उनके नाम पर करने के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार ने जितनी आपत्तियां पैदा कीं और उन्होंने ऐसी-ऐसी अड़चनें पैदा कर दीं। अब यह पूर्व सरकार ने जो किया वह किया पर मैं वर्तमान सरकार से चाहूंगी कि आज अपनी बात कुछ और स्पष्ट रखें जिससे स्व. जयनारायण व्यास जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी और मैं मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिहजी से निवेदन करूंगी कि जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय रखा जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसे दो मामले साथ जुड़े हुए हैं। एक मामला तो सीधा-सादा मामला है और किसी अधिकारी को क्या अधिकार हों यह बिल्कुल अलग मामला है। तो नामकरण का मामला तो सरल है।

श्री अध्यक्ष : एक्ट एक ही है ना। या तो उसी को विदड्रा करें पूरे एक्ट को। वह इसी का पार्ट है फिर भी उस एक्ट को विदड्रा करना पड़ेगा क्योंकि उसमें वह आलरेडी है।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्षजी, प्रश्न यह है कि दो साल पहले वी.सी. का अपाइन्टमेंट है वह आन दी एडवाइस आफ गवर्नमेंट रिफमेंट है। उसको वापस लेने की क्या बात है। दो साल हो गये। सरकार की नीयत जब यह है कि व्यासजी के नाम से हो तो कोई चिन्ता नहीं, न इस पक्ष को, न उस पक्ष को फिर मामूली सी बात के लिए इश्यू पैंडिंग पड़ा है। इसको आप वापस ले लो, डिलीट कर सकते हो....

श्री अध्यक्ष : इसमें यह हो गया ना, यह दोनों साथ ही एक एक्ट में हैं। या तो सरकार पूरा एक्ट विदड्रा करे तो वह यू.जी.सी. की रिपोर्ट आये बिना पूरा विदड्रा नहीं हो सकता और पूरा एक्ट विदड्रा हुए बिना नया एक्ट नहीं आयेगा, यह काम्पलीकेशन है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार की यह मंशा है कि यह एक्ट विदड्रा करके नया एक्ट लाकर इसका नामकरण जयनारायण व्यास रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है? यदि यह मंशा है तो कब तक सरकार इसकी कार्यवाही कर लेगी?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

चिकित्सा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : मैं निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि यह विषय वर्तमान मंत्रिमण्डल के समक्ष भी आया था और जिस प्रकार की आपत्ति की चर्चा माननीय राज्य मंत्री महोदय ने की है, वह हुई थी। राज्य सरकार ने यह विचार किया है और मंत्रिमण्डल ने भी यह विचार किया है कि इस प्रकार की एम्बीग्युटी इसमें आ गई है इसलिये इस एक्ट को तो हम विदड्रा करेंगे और इस बात की जो सरकार के विचाराधीन है, कि जोधपुर विश्वविद्यालय को लोकनायक के नाम से किया जाय और इसी विचार के आधार पर निश्चित रूप से मंत्रिमण्डल इस पर विचार करेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री गोविन्द सहाय।

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह मामला स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों का है। 1983 से यह प्रश्न चल रहा है और हमारी सरकार से हम यह उम्मीद करते हैं कि वह अपने इन शहीदों के, इन स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के नाम से, जो अधरझूल में पड़ा हुआ है, आज जिस पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है, मैं माननीय शेखावत साहब से यह चाहूंगा कि इस प्रश्न को स्पष्ट करें कि कब तक यह घोषणा कर देंगे और कब तक यह कार्यवाही कर देंगे?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यह तो कहना कठिन है कि कब तक घोषणा कर दी जायेगी लेकिन सिद्धान्ततः हम यह मानते हैं कि लोकनायक व्यास की स्मृति में इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जावे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। प्रश्न संख्या 423। श्री गोविन्द सहाय।

ग्रिट सप्लाई का ठेका

423. **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग गंगापुर सिटी, श्री जैन द्वारा वर्ष 1988-89 में तीन लाख रुपये की ग्रिट सप्लाई का ठेका दिया गया था ? यदि हां तो क्या पचास हजार रुपये की ही ग्रिट खरीदी गई है ? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि अक्टूबर, 1987 से अक्टूबर, 1988 तक गंगापुर सिटी के अधिशाषी अभियन्ता श्री राजमल जैन द्वारा बगैर टेण्डर के 80 हजार रुपये की लकड़ी खरीदी गई थी ? यदि हां, तो उस लकड़ी का क्या उपयोग किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी नहीं। अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गंगापुर सिटी श्री राजमल जैन के द्वारा वर्ष 1988–89 में रुपये 1,14,370/- की राशि की ग्रिट सप्लाई के ठेके दिये गये थे तथा इन ठेकों के अन्तर्गत रुपये 1,03,752/–राशि की ग्रिट की सप्लाई की गई। ग्रिट खरीद में कोई अनियमितताए प्रतीत नहीं होती हैं।

(2) जी नहीं। अधिशाषी अभियन्ता श्री राजमल जैन द्वारा लकड़ी की कोई खरीद नहीं की गई। सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न सड़कों की मरम्मत हेतु 568,512/–रुपये राशि की जलाऊ लकड़ी वन विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तथा रुपये 9,710 राशि की इमारती लकड़ी भवन मरम्मत हेतु पेटी परचेज की प्रक्रिया से खरीदी गई है। इसकी जांच करवाली जायेगी।

श्री गोविन्द सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसमें जो कहा कि 3 लाख की ग्रिट की एवज में 1,14,370/–की खरीदी गई। इसके टेण्डर दिये थे। जिसमें 1,03,752/–की खरीदी गई। यह कहां उपयोग हुई ? मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें काफी बड़ी अनियमितताए हुई हैं और मंत्री महोदय यह बतावें कि 1,03,752/-ग्रिट किस सड़क पर काम आई और दूसरा उन्होने जवाब दिया कि 80,000 की लकड़ी खरीदी गई। उस लकड़ी से कितनी सड़क रिपेयरिंग हुई, इसमें यह नहीं दिया गया है। मैंने इसमें यह भी पूछा था कि इसमें कितनी सड़क रिपेयरिंग के लिए यह लकड़ी काम आई ? तीसरा मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 9,710/–रुपये की इमारती लकड़ी खरीदी गई। इस खरीद में बहुत अनियमितताए हैं, न टेण्डर दिया और न कुछ किया है। 80,000 रुपये की लकड़ी से कहीं काम हुआ नजर नहीं आ रहा है और उनका फर्जी पेमेन्ट किया गया है। मंत्री महोदय ने बताया कि एन्टी डकेत एरिया करौली

(श्री गोविन्द सहाय)

में 8,600/-की एवज में एक लाख 86 हजार का पेमेन्ट किया है और अब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला वर्ष 1988-89 का है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि श्री राजमल जैन अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग गंगापुर सिटी में 26-9-87 से 4-10-88 तक कार्यरत रहे थे। 1988-89 में ग्रिट सप्लाई की चर्चा की है आपने, 5 कार्य आदेश विभिन्न ठेकेदारों को संलग्न तालिका अनुसार 1,14,370/- रुपये के दिये और इसके तहत 1,03,752/- रुपये की ग्रिट खरीदी गई। ठेकेदारों को जो ग्रिट सप्लाई के आदेश दिये गये थे, वे नियमित रूप से टेण्डर आमंत्रित करके दिये गये थे और इसका उपयोग विभिन्न सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से जो पेच वर्क किये गये हैं। किन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जब मैंने पूरी फाइल देखी तथा फाइल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जलाऊ लकड़ी और पेटी परचेज में जो ग्रिट खरीदी गई है, उसकी डेट्स कुछ ऐसी हैं, अगस्त की हैं और अगस्त के महीनों में बरसात होती है और बरसात में पेच वर्क नहीं हो सकता है। इसलिए सामान्य रूप से देखने में लगता है कि इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। एक के बाद एक तारीख लिखी हुई है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कुछ ए ई एन्स. इसमें हो सकते हैं, जांच के बाद पता लगेगा कि शायद एक्स. ई. एन. की मिलीभगत हो। इन तीनों ए. ई. एन्स और एक्स. ई. एन. की पूरी की पूरी जांच ग्रिट खरीद, लकड़ी खरीद की की जावेगी और अगर दोषी पाये गये तो निश्चित रूप से इनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गोपी राम।

श्री गोविन्द सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि यहां कोई कार्यवाही नहीं हुई, इतनी अनियमितताएं हैं कि वहां एन्टी डकेत एरिया करौली में 8600/-रुपये की एवज में 1,86,000/--रुपये का पेमेन्ट हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वह आप अलग से बता दीजिये।

प्रश्न संख्या 424

नेक्स्ट। श्री गोपी राम। प्रश्न संख्या 424।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 425 डा. चन्द्रमान।

अम्बिका गैस एजेन्सी द्वारा जारी गैस कनेक्शन

425. **डा. चन्द्रमान (मण्डावा)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर में कार्यरत अम्बिका गैस एजेन्सी की मण्डावा, बिसाऊ और महनसर कस्बे में उप शाखा है? यदि हां, तो उक्त तीन कस्बों में कितने-कितने गैस कनेक्शन दिये गये हैं?

(डा. चन्द्रभान)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अम्बिका गैस एजेंसी द्वारा अवैध गैस कनेक्शन देने की तथा गैस सिलेण्डर ब्लैक में बेचने की कोई शिकायत सरकार को की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त शिकायत की जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच परिणामों के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री राम किशोर मीणा) : (1) रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर में कार्यरत अम्बिका गैस एजेंसी की मण्डावा और बिसाऊ कस्बे में उप शाखा है, महनसर कस्बे में नहीं। उक्त तीनों कस्बों में क्रमश: 164, 113, एव 62 गैस कनेक्शन दिये गये हैं।

(2) जी हां। शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन अधिकारी, फतेहपुर को दिनांक 27.2.91 को निर्देश दिये गये हैं। जांच परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं होने से विवरण सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

डॉ. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि रामगढ़ शेखावाटी में अम्बिका गैस एजेंसी की उप शाखाएं मण्डावा और बिसाऊ में है और महनसर में नहीं है। तो ये महनसर में 62 गैस कनेक्शन दिये गये हैं, वे किस आधार पर दिये गये हैं और महनसर की कैपेसिटी, जनसंख्या के बराबर दूसरे कस्बे या गांव हैं, उनमें क्यों नहीं दिये गये ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि सरकार के पास और उच्च अधिकारियों के पास मण्डावा संघर्ष समिति की ओर से अक्टूबर और नवम्बर के महीने में शिकायतें की गई हैं और फिर ये जांच के आदेश 27 फरवरी को क्यों दिये जाते हैं, जब विधान सभा का सत्र शुरू हुआ, तब ही ये आदेश दिये जाते हैं। जो आपने नम्बर दिये हैं, 164, 113 एवं 62 ये सही नहीं है। मण्डावा, बिसाऊ और महनसर में कुल मिलकर के 500 अवैध गैस कनेक्शन हैं। 2000 रुपये में वहां पर गैस का कनेक्शन बिकता है। 500 रुपये में गैस का सिलेण्डर काला बाजारी में बिकता है। इसलिए जिन लोगों के पास में कनेक्शन हैं, उनको समय पर सिलेण्डर नहीं मिलता है और वे लोग परेशान होते है। जो प्रायोरिटी में आते हैं उनको भी कनेक्शन नहीं दिया जाता है और अम्बिका गैस एजेंसी के मालिक यहां जयपुर में जो उच्च अधिकारी हैं, उनके रिश्तेदार हैं और मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि तीन महीने और चार महीने बाद में शिकायतें क्यों की जाती हैं और इसे बाद में रफा दफा कर दिया जायेगा। पहले भी जांच हुई है, उसको भी रफा दफा कर दिया गया है।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ शेखावाटी में अम्बिका गैस एजेंसी है, वह हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन का डीलर है। मुझे जो सूचना मिली है, उसके हिसाब से 164, 113 और 62 कनेक्शन इन तीन कस्बों में दिये गये हैं। महनसर में अभी तक कोई भी उपशाखा के नाम से गैस कनेक्शन नहीं दिया गया है जो रामगढ़ शेखावाटी, बिसाऊ और मण्डावा में है। रामगढ़ शेखावाटी से

(श्री रामकिशोर मीणा)

ही अभी तक महनसर को गैस उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक किसी को कनेक्शन नहीं दिया है और....

डा. चन्द्रभान : 62 कनेक्शन आपने लिखा है।

श्री रामकिशोर मीणा : नहीं, 62 कनेक्शन बिसाऊ के हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, उसमें सिक्वेन्स है। रामगढ़ शेखावाटी, मण्डावा, बिसाऊ। तो रामगढ़ शेखावाटी में 164 मण्डवा में 113 और बिसाऊ में 62 है।

डा. चन्द्रभान : नहीं साहब। 164 तो मण्डावा में है 113 बिसाऊ में है और 62 महनसर में है। इसमें लिखा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, ऊपर से पढ़िये न आप। रामगढ़ शेखावाटी नम्बर एक, मण्डावा नम्बर दो, बिसाऊ नम्बर तीन और महनसर नम्बर चार।

डा. चन्द्रभान : महनसर कस्बे में गैस कनेक्शन हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर मीणा : महनसर कस्बे में अभी हम रामगढ़ शेखावाटी से देते हैं।

डा. चन्द्रभान : वहां गैस कनेक्शन हो तो ?

श्री रामकिशोर मीणा : नहीं, उनके द्वारा देते हैं। एरिया बंटा हुआ है रामगढ़ शेखावाटी का।

डा. चन्द्रभान : कितने गैस कनेक्शन हैं महनसर कस्बे में, आप बतावें।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : आप बता दीजिये।

डा. चन्द्रभान : मैंने तो बताया कि 500 कनेक्शन अवैध हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले राज्य सरकार को शिकायत नहीं मिली है। दिनांक 22-2-1991 को श्री शौकत अली के द्वारा एक शिकायत मिली थी उसमें तीन मुद्दे उठाये गये थे कि अनधिकृत रूप से बिसाऊ महनसर, मुकन्दगढ़, कालियासर, मलसीसर और रतनगढ़ आदि कस्बों में गैस कनेक्शन देने, रिफल के दामों में कालाबाजारी करना, झूठे इन्द्राज करके कनेक्शन दिये थे। यह तीन प्रकार की शिकायत है। यह हमको 22-2-1991 को मिली थी और उसके आधार पर दिनांक 27-2-1991 को हमने निर्देश दे दिया जांच करने के लिए। इस बारे में हमने दूसरा पत्र अभी 19-3-1991 को लिखा है। जांच रिपोर्ट आते ही उस हिसाब से जो भी जांच परिणाम होंगे उसके हिसाब से कार्यवाही करेंगे।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा एक सवाल है। ठीक है आप जांच भी करेंगे, कार्यवाही भी करेंगे और मैं इससे सन्तुष्ट हूं। लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि चूरू में गैस एजेन्सी, रामगढ़ में गैस की एजेन्सी, फतेहपुर में गैस की एजेन्सी, लक्ष्मणगढ़ में गैस की एजेन्सी, झुंझुनू में गैस की एजेन्सी और नवलगढ़ में गैस की एजेन्सी। इन सभी जगहों पर डिग्री महनसर कालेज भी हैं, गैस की एजेन्सी भी है और मण्डावा, बिसाऊ महनसर में क्या कोई गैस की एजेन्सी खोलने के बारे में सोच रहे हैं ? वहां न तो कोई कालेज लते हैं, न कोई गैस की

(डा. चन्द्रभान)

एजेन्सी खोलते हैं और यह इलाके डेजर्ट हैं वहां पर अब लकड़ी की भी कमी हो गयी है। आप भारत सरकार को सिफारिश करेंगे, मैंने भारत सरकार को लिख करके दे रखा है। वहां जितनी पापूलेशन चाहिये वह वहां पर 25 हजार की है। इस बारे में विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि माननीय सदस्य चार महीने पहले कहते तो प्रश्न उठाने की समस्या ही नहीं रहती।

श्री अध्यक्ष : अब तक हो भी जाता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज जाने पर इनको पता लगा कि महनसर में गैस कनेक्शन नहीं है, मण्डावा में एजेन्सी नहीं है। अगर पहले आपको पता होता और उस समय कहते तो अब तक सारी एजेन्सी का, कनेक्शन का सब काम हो जाता। अब आपने कहा है तो हमें आपत्ति नहीं है, हम लिखेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री फूलचन्द मीणा।

सलूम्बर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में

426. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार आदिवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सलूम्बर मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला मजिस्टेट (ए. डी. जे.) न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, विधि एवं न्याय (श्री शांतिलाल चपलोत) : जी हां। सलूम्बर में ए. डी. जे. न्यायालय खोलने की अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। यह धन उपलब्धि पर निर्भर करता है।

श्री फूलचन्द मीणा : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रीजी ने उत्तर दिया है कि ए.डी.जे. कोर्ट खोला जायेगा। तारीख निश्चित नहीं करने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करें ? फिर आगे कहा गया है कि धन उपलब्धि पर निर्भर है। आदिवासी क्षेत्र में सस्ता व सुलभ न्याय हो इसके लिए कब तक धन उपलब्ध हो जायेगा ? अब तक ए. डी. जे. और मुन्सिफ कोर्ट में कितने मुकदमे चालू हैं और उनको न्याय कब तक मिल जायेगा ? मुख्यतः निर्णय देरी से होने के क्या कारण हैं ?

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि वहां पर आवश्यकता है और आदिवासी इलाकों में सरकार अधिक से अधिक न्यायालय स्थापित करके....

श्री अध्यक्ष : आप सीधी सी बात क्यों नहीं कह देते कि धन मिलते ही खोल देंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : हमारे पास जैसे ही फाइनेंस की उपलब्धि होगी जरूर खोल देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री बालचन्द आर्यवीर ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : हमारे हिण्डौन में ए. डी. जे. की सारी शर्तें पूरी हो गयी हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप हिण्डौन में ए. डी. जे. कोर्ट कब खोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि पैसा नहीं है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप कब तक खोल देंगे ए. डी. जे. हिण्डौन में ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । श्री बालचन्द आर्यवीर ।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्राइवेट बसों का संचालन

427. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में भवानी मण्डी–जयपुर बस चलती थी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उसे पुनः चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार भवानीमण्डी से सांवलियाजी बस पूर्व घोषणानुसार तुरन्त प्रभाव से चलाने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्राइवेट बसों को चलाने हेतु परमिट देने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

यातायात मन्त्री (श्री जगमाल सिंह यादव) : (1) जी हां । भवानीमण्डी से जयपुर के लिये सीधा यात्री भार उपलब्ध न होने के कारण इस बस सेवा का पुनः संचालन किये जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है ।

(2) मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य के मध्य पारस्परिक अन्तर्राज्यीय परिवहन करार सम्पन्न होने पर ही भवानी मण्डी से सांवलियाजी वाया रामगंज मण्डी–रावतभाटा सिंगोली–बेगूं–चित्तौड़गढ़ अन्तर्राज्यीय मार्ग पर वाहन संचालन किया जाना सम्भव होगा ।

(3) जी नहीं ।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भवानी मण्डी एक उप जिला केन्द्र है । व्यापार की एक बड़ी मण्डी है वहां पर एक बिड़ला टैक्सटाइल मिल भी है और भवानी मण्डी में करीब 30 हजार की बस्ती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मनोहर थाना से जयपुर बस चलती है, झालावाड़ से झालरापाटन जयपुर बस चलती है जबकि जिले में सब से ज्यादा टैक्स भवानी मण्डी देती है । यह बस किस साल में चलाई गयी थी, एक तो यह बताने की कृपा करें ? और मैंने पूछा कि इसको और चलाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ? आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया । तो क्या पुनः भवानी मण्डी–जयपुर बस को संचालित करने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आपने बताया कि संचालन किया जाना

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

सम्भव होगा। सांवलियाजी बस के लिए कोई समय सीमा है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बसें सरकारी डिपो से बाहर निकलती हैं और बीच में जाकर खराब हो जाने से जनता को असुविधा होती है। आपका रोडवेज करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहा है तो क्यों नहीं प्राइवेट बसों को परमिट दे करके जनता को सुविधा उपलब्ध करायी जाय। इनका जवाब दे दें आप।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो अन्तर्राज्यीय, जैसे मेरा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ है, मेरे क्षेत्र में कनेडाघाटा एक ऐसा क्षेत्र है जो निम्बाहेड़ा से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है और 20 किलोमीटर बीच में मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश होकर वहां जाना पड़ता है....

श्री अध्यक्ष : यह भवानी मण्डी का पूछ रहे हैं या निम्बाहेड़ा का?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इसी प्रकार की समस्याएं वहां पर हैं।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल भवानी मण्डी के सम्बन्ध में है। प्रश्नकर्ता ने जो मेहनत करके प्रश्न किया है उसको डाइल्यूट मत करिये। उनका जवाब आने दीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : भवानी मण्डी का पूछ रहे हैं या निम्बाहेड़ा का?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : वैसी की वैसी समस्या हमारे यहां भी....

श्री अध्यक्ष : समस्या नहीं है। भवानी मण्डी का पूछिये। जो उन्होंने प्रश्न पूछा है उसका जवाब आने दीजिये।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम द्वारा पूर्व में 12-4-1984 से 1-8-1985 तक भवानी मण्डी से जयपुर वाया पाटन, झालावाड़, कोटा, बून्दी, टौंक होकर बस सेवा का संचालन किया गया था एक वर्ष के लिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय उसकी जो इनकम पर किलोमीटर आयी जैसे मिसाल के तौर पर आपरेशन कॉस्ट हमारी 6.49 पर किलोमीटर है लेकिन यह जो बस सेवा है, एक साल तक हमने चलायी, सर्व के तौर पर, सेवा देने के बतौर इसकी आमद 4.97 से ज्यादा नहीं बढ़ी। पूरे एक साल में लोड फैक्टर नहीं बढ़ा, पर किलोमीटर आमद हमको नहीं हुई जो हमारी आपरेशन कॉस्ट है, इस एक साल तक चलाने के बाद हमने प्रयास किया कि इस सेवा को चलाया जाय, तो हमको न तो आमद मिली और लोड फैक्टर 4.91 रहा। इन रूटों पर कुल 68 पर्सेण्ट लोड फैक्टर हमको मिला। यह भवानी मण्डी से जयपुर सीधी बस सेवा चलाई गई उसके लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल लोड फैक्टर मिला ही नहीं, नगण्य मिला इसलिए निगम चूंकि

(श्री जगमालसिंह यादव)

आटोनोमस बाडी है व सारे काम केवल टोटे में किये जायं, ठीक है लोड फैक्टर थोड़ा बहुत कम ज्यादा बैठे तो भी निगम लोक हित में बसें चलाने के लिए कहीं कोई कन्जूसी नहीं बरतता लेकिन चूंकि यह तो स्थिति है कि भवानी मन्डी से जयपुर का तो नगण्य बढ़ा और दूसरे भवानी मण्डी से जयपुर होकर जाते हैं हमारे स्टोपेज थे उनका 68 पर्सेन्ट बढ़ा। इसलिए ना तो लोड फैक्टर बढ़ा और ना ही हमारी आमद जो आपरेशन कास्ट थी वह आयी।

दूसरी बात, जहां पर सांवलियाजी पर बस चलाने की है, अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी अपने मूल जवाब में कहा है कि अन्तर्राज्यीय करार हमारे होते हैं दूसरे स्टेट से, दूसरे कारपोरेशन से। जब तक उनसे बैठ कर, क्योंकि यह हमारे अकेले निगम की बस की बात तो है नहीं, जब तक मध्य प्रदेश पड़ोस से लगने वालों से हमारा करार नहीं हो जाता तब तक राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से....

श्री अध्यक्ष : मध्य प्रदेश से बातचीत का प्रयास चल रहा है क्या ?

श्री जगमालसिंह यादव : हां, बातचीत चल रही है।

एक माननीय सदस्य : नीतिगत सवाल है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में नीतिगत सवाल नहीं पूछे जाते।

जिस प्रश्नकर्ता ने सवाल किया है उसे पूरा होने दें।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि ठीक नहीं है। यह सारी आपके अधिकारियों और आपके कण्डक्टरों की मिलीभगत है, चोरियां हो रही हैं उसकी वजह से ऐसी बातें होती थीं। वहां से यात्री मिलते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप वहां से इतने यात्रियों की संख्या कर देंगे जिसमें बस का मुनाफा होता रहे ?

श्री बालचन्द आर्यवीर : हां।

श्री अध्यक्ष : आप तय कर लीजिए। टेम्प्रेरी बसेज को चलाकर देख लें। ठीक है, हो जायेगा।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं यात्रियों की संख्या कर दूंगा, मंत्री महोदय बस चलाने की घोषणा इस सदन में कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनसंख्या बढ़ाने के लिए तो प्रेरणा मत दो।

श्री अध्यक्ष : जनसंख्या नहीं यात्रियों की संख्या। आप एक्सपरीमेंट कर लीजिए यह जिम्मेदारी लेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक्सपरीमेंट करा लिया यह 12 महीने तक बसें चलायीं हैं।

श्री अध्यक्ष : इनकी जानकारी में कर लीजिए।

श्री जगमालसिंह यादव : लोड फैक्टर

(श्री जगमालसिंह यादव)

4.88 आया आपरेशन कास्ट आ रही है 6.49, ऐसी स्थिति में निगम कैसे बस चलाये ?

श्री अध्यक्ष : आपको इनका कोआपरेशन मिलेगा। आप मिलकर बात कर लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्राइवेट बस वाले सुविधा देते हैं इन बसों में सुविधा नहीं है, यह कारण है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। श्री हेतराम बेनीवाल।

गंगानगर जिले में सड़कों का निर्माण

428. **श्री हेतराम बेनीवाल** संगरिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 1990–91 में कितनी सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया है ? उनमें प्रत्येक की लम्बाई कितनी है और उस पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

(2) क्या नई सड़कों के निर्माण कार्य को ठेकेदार जानबूझकर पुनः बेनामी टेण्डर भरकर ऊंचे रेट पर उसी सड़क को ले लेते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) वर्ष 1991–92 में जिले में सड़क निर्माण की कौन–कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं और इन्हें कब तक पूरा करने का विचार है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (1) श्री गंगानगर जिले में वर्ष 1990–91 में 32 सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। इन पर करवाये गये कार्य की लम्बाई तथा किया गया व्यय संलग्न सूची–2 दर्शाया गया है।

(2) जी नहीं।

राज्य सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(3) वर्ष 1991–92 में सड़क निर्माण करवाना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब दिया गया है यह खुद पढ़ते वक्त शायद महसूस किया होगा मंत्री महोदय ने कि मैंने पूछा है 90–91 में कितनी सड़कों का निर्माण करवाया गया। उन्होंने जवाब दिया करवाया जा रहा है। 91-92 नहीं 90–91 में कितनी सड़कें बनवायी गयीं उसकी जगह उन्होंने जो सूची पेश की है उन सड़कों की जो बनवायी जा रही हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी 31 मार्च कहां आयी।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरी बात सुन लीजिए। आपने इस सम्बन्ध में सिर्फ 8 किलोमीटर की सड़कें वे बतायी हैं जो पूरी हो गयी हैं जो कि मैंने सवाल पूछा है। उसके बजाय एक लिस्ट बना दी 32 सड़कों

(१५)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

की जिसमें बहुत सी सड़कों पर 10 हजार, 8 हजार रुपया स्वीकृत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह पूछना चाहूंगा कि इन सारी सड़कों का निर्माण, मेरे क्षेत्रों में दो सड़कें हैं एक तो प्रतापपुरा से कालतासिया जिसकी सैंक्शन 1984 में निकली उनकी सूचना के मुताबिक 1984 से लेकर 1990–91 तक उस सड़क पर जो ठेकेदार आया वह काम छोड़कर चला गया दुबारा जिसको दिया है उसके बारे में उन्होंने नोटिस नहीं दिया, यह अभी जो पैसा स्वीकृत किया है वह 10 हजार किया है। इसका मतलब 1984 से 1990 तक सड़क है उस पर मात्र 10 हजार रुपया सरकार खर्च करना चाहती है। इसका मतलब सरकार उस सड़क को बनाना नहीं चाहती है। उसका निर्माण नहीं करना चाहती है। इन ठेकेदारों के साथ क्या हुआ पता नहीं। इन ठेकेदारों ने बराबर अफसरों से मिलकर उस सड़क को छोड़ा है। दूसरी सड़क है इस क्षेत्र में वह है 16 के एस. डी. से सादुलशहर। इसके बारे में लिखा गया है कि स्थानीय विवाद के कारण यह सड़क रोक दी गयी। मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या स्थानीय विवाद थे जिसके कारण यह सड़क रोक दी गयी है। इस सड़क पर भी मंत्री महोदय ने 12 हजार रुपए रखे हैं तो क्या इन विवाद वालों को निपटाने के लिए यह रुपया रखा है, किसको देने के लिए रखा है या यह सड़क के निर्माण के लिए रखा है?

एक सवाल यह पूछना है कि यह जो उत्तर आपने दिया है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दूसरी सड़क कौन से नम्बर पर है जो मैंने सूची दी है उसमें ?

श्री हेतराम बेनीवाल : 16 नम्बर पर है। एक तीसरे नम्बर पर है। तीसरे में 10 हजार रुपए रखे हैं और 1984 से स्वीकृत है उसमें लिखा है ठेकेदार बदल गया। मुझे पता है उस सड़क पर पहले ठेकेदार ने कक्रीट डाल रखी है सड़क के किनारे–किनारे खेतों में दो किलोमीटर तक, सारे खेतों को खराब कर रखा है। जो लोग जाते हैं तीन सरकारें बदली हैं, तीनों को गालियां निकालते हुए जाते हैं। इसमें मंत्री महोदय ने 10 हजार रुपए रखा है।

एक जवाब दिया है 1991–92 में सड़क निर्माण प्राथमिकताओं एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। क्या यह 32 सड़कें जो दी हैं जिसमें 8 पूर्ण कर दी हैं और 24 हैं वह किस वक्त ली जायेगी ? इनका क्या होगा ? यह मंत्री महोदय स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने जो बजट के समय उत्तर दिया था। मैं मानता हूँ कि गंगानगर जिले में जिस गति से कार्य होना चाहिए वह नहीं हुआ। एक मुश्किल क्या आयी है कि 1984 में जो सैंक्शन निकली है वह सैंक्शन कम्प्लीट नहीं है। 1984 चुनाव का वर्ष था और चुनाव के वर्ष को सामने ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने इस बात की चिन्ता नहीं की कि हमको सैंक्शन क्या करना है, पैसे कितना चाहिए, पूरी होगी या नहीं। पूर्व में जारी स्वीकृतियों में कमी रही है। सड़कों की पूरी लम्बाई

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

और पूरी लागत की स्वीकृति नहीं हुई। उक्त 27 कार्यों की स्वीकृत लम्बाई 126 किलोमीटर व लागत 256.60 लाख हैं। इस लागत में तो केवल 14 किलोमीटर सड़क बनायी जा सकती है। इसलिए क्या हुआ कि इस प्रकार की जो सैंक्शन 1984 में हुई, चुनाव के सन्दर्भ में देखा देखी बिना इस बात की चिन्ता किये हुई कि यह सैंक्शन कम्प्लीट है या नहीं। इतनी सड़क बनायी जायेगी वह बनेगी या नहीं। चुनाव के समय 27 का जिक्र हो जाय जनता के सामने और घोषणा हो जाय उसका विचार करके कर दी। यह स्वीकृतियां हैं 1984 की। माननीय सदस्य ने बताया है यह पैसा इतना करना है यह नहीं वहां इतना पैसा खर्च हुआ है 1990-91 में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैसा तो अधिक दिया था किन्तु यह तीन नम्बर वाली बात पर जो आपने बात कही बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि वहां पर ठेकेदार क्योंकि पूरी स्वीकृति नहीं हुई, इसलिए वह क्या करता था। जो पहला काम है अर्थ वर्क वह तो उनके लिए फायदेमंद है उसको पूरा कर लेता था और कठिन काम जहां गिट्टी डालकर पीटने के काम आया वह चूंकि स्वीकृति पूरी नहीं हुई है उसका बहाना लेकर वहां अफसरों से मिलकर उस काम को छोड़ देता था। यह प्रक्रिया 1984 की सारी सैंक्शनों में चल रही थी। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कि वर्तमान सरकार ने अब जो स्वीकृति दी है उनमें सड़क की लम्बाई, उसकी लागत और पूरी की पूरी सड़क स्वीकृत करने का विचार किया है। मैं इस नाते से निवेदन करना चाहता हूं यह जो ठेकेदार इस प्रकार के हैं जो इस प्रकार की रेट देकर तथाकथित अफसरों से मिलकर करने वाली बात करते हैं उन ठेकेदारों के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही करने की प्रक्रिया चालू हो गयी है। क्लॉज 2 और 3 के अन्दर उनके विरुद्ध जारी है। अब प्रश्न आता है निर्माण का। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 90-91 में कठिनाई क्या हुई। सैंक्शन इस प्रकार की थी, भूमि अवाप्ति में विलम्ब हो गया, ठेकेदारों द्वारा समय पर काम नहीं हुआ, आरक्षण विरोध का काम हो गया, डीजल की कमी के कारण। कुछ कमियां इस प्रकार की हैं। हमने वहां के सारे अफसरों के बारे में विचार किया है, जांच की है और उनका हमने निश्चय किया है कि जो स्वीकृतियां इस वर्ष होनी थीं उसको 91-92 में पूरी सैंक्शन करके उस को 1991-92 में निश्चित रूप से पूरा करा देंगे। आपकी दो सड़कों का जिक्र किया है उसमें 1990-91 में काम इन बाधाओं के कारण से कम हुआ। 91-92 में काम हो जायेगा नम्बर एक। ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, नम्बर दो। तीसरी बात कल भी चर्चा की थी इस प्रकार के जो अफसर हैं उनको बदलने का मानस राज्य सरकार ने बना लिया है और मार्च के तुरन्त बाद उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

फिल्म शूटिंग हेतु ऐतिहासिक स्थलों का उपयोग

429 श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :—

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों पर पुरातत्व विभाग फिल्म शूटिंग की अनुमति देता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान ऐतिहासिक स्थलों की टूट-फूट होती है ? यदि हां, तो क्या विभाग ने उसकी मरम्मत का हर्जाना वसूल किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

(4) क्या सरकार भविष्य में उक्त ऐतिहासिक स्थलों को शूटिंग के लिये देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

कला एवं संस्कृति मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (1 जी हां ।

(2) यद्यपि इस सम्बन्ध में पूरे एहतियात बरते जाते हैं फिर भी 1980 में श्री रामानन्द सागर की फिल्म "बगावत" की शूटिंग के दौरान आमेर महल में एक जाली टूट गयी थी जिसके हर्जाने स्वरूप उनसे 10,000/– रु. वसूल किये गये ।

(3) सुरक्षा की दृष्टि से अब अनुमति के साथ-साथ सुरक्षा राशि भी ली जाती है ।

(4) जी हां । शूटिंग की अनुमति की शर्तों में यह भी है कि स्मारक या उसके किसी भाग को क्षति नहीं पहुंचे और यदि ऐसा हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी फिल्म निर्माता की होगी । सम्भावित टूट-फूट के निमित्त अग्रिम राशि टोकन के रूप में जमा कराई जाती है ।

स्मारक के अन्दरूनी भागों में युद्ध, आगजनी, विस्फोट आदि के दृश्य नहीं फिल्माये जायेंगे, ऐसी पाबन्दी है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगी मंत्री महोदय से कि अनुमति राशि फिल्म को फिल्माये जाने की कितनी लेते हैं, एक तो यह बतायें । मेरा इसके पीछे तर्क है कि हम क्या इसका मोह नहीं छोड़ सकते हैं । इतनी अधिक राशि है क्या ? क्योंकि हमारी जालियां टूटी हैं । मंत्री महोदय को सूचना है कि एक जाली एक फिल्म के फिल्माये जाने से टूटी है । यह जानकारी अपूर्ण है । मेरी जानकारी में 4 फिल्मों के फिल्माये जाने में जालियां, कंगूरे और दीवार का प्लास्टर वगैरह वहां से हटा है ।

श्री अध्यक्ष : देखकर आयीं है क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : फिल्म की शूटिंग देखने नहीं जाती ।

श्री अध्यक्ष : फिल्म की शूटिंग नहीं यह यह जो नुकसान हुआ है वह ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आमेर के महल देखे हैं ।

श्री अध्यक्ष : चार जालियां टूटीं, वह देखीं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा प्रश्न रखने का अर्थ था मैं चाहती हूं कि ऐतिहासिक स्थलों की टूट-फूट न हो ।

श्री अध्यक्ष : मैं दूसरी बात पूछ रहा था। मुन्त्री महोदय ने कहा एक जाली टूटी आप ज्यादा बता रही हैं। आपने देखी है क्या ? ज्यादा नुकसान हुआ है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने देखी तब ही बता रही हूं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने देखी है। हम यह मोह छोड़ सकते हैं या नहीं ? हम को इससे कितनी प्राप्ति होती है ? मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपने यह कहा "हां", यहां पर उनको अनुमति फिर भी दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आपको पता है फिल्मों में प्रचार होता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : काहे का ?

श्री अध्यक्ष : आमेर के महलों का।

श्रीमती उजला अरोड़ा : फिल्म से प्रचार तो होता है लेकिन हमारे ऐतिहासिक स्थलों का नुकसान होता है। उसकी आपूर्ति उनसे रुपया लेने के बाद भी ज्यों की त्यों नहीं की जा सकती है, यह मेरी देखने के बाद मान्यता है। यह कंगूरे, यह मरमरी महल, यह सुन्दर झरोखे, जालियां, जो देश विदेश के नागरिक देखते हैं, यह फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं हैं। फिल्म शूटिंग तो सैट तैयार करके, उनकी नकल करके भी फिल्मा सकते हैं। तो मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगी कि क्या हम इस मोह को छोड़ पायेंगे जिससे कि सभी ऐतिहासिक स्थल सुरक्षित रह सकें ?

सुश्री पुष्पा जैन :– अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने स्वयं फरमाया, लक्ष्य केवल पैसे की प्राप्ति नहीं, हमारा लक्ष्य राजस्थान में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किलों और स्थलों का प्रचार और प्रसार देश और विदेश में हो, यह भी है। उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पहले जो अनुमति दी जाती थी। वह केवल 500 रुपये में दी जाती थी लेकिन जब से बगावत फिल्म में टूट फूट हुई, तब से उस बात को दृष्टिगत रखते हुए सख्ती बरती गई और एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी कीमत 500 से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गई है। इसके साथ सिक्योरिटी राशि भी ली जाती है। इसके साथ-साथ, शर्त इतनी सख्त है कि उन सारी शर्तों की पालना करके वही लोग शूटिंग करने के लिये हमारे स्थलों को लेते हैं जो इतना पैसा दे सकते हैं और पूरी हिफाजत कर सकते हैं। हमारा जो अपना स्टाफ शूटिंग के दौरान देखरेख के लिये लगाते हैं, उनका सारा खर्चा भी वह शूटिंग करने वाले डायरेक्टर ही देते हैं। तो मैं ऐसा समझती हूं कि माननीय सदस्या इस बात से सहमत होंगी कि पूरी सख्ती और पूरी सतर्कता बरतने के पश्चात् अगर हमारे स्थलों का प्रचार प्रसार होता है, तो वह भी राजस्थान के विकास के लिये आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : सहमत हैं। अद्भुत है कि दो महिलाएं सहमत हो गईं। नैक्स्ट श्री दयाराम परमार।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : दयाराम परमार।

जनजाति विकास निगम द्वारा वनोपज खरीद में आदिवासियों का शोषण

430. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दयाराम परमार)

(1) क्या यह सही है कि जनजाति विकास निगम वनों से प्राप्त होने वाली उपजों को बाजार भाव से कम भाव में खरीद कर आदिवासियों का शोषण करता है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 में निगम ने वन मूसली, डालमा और रतनजोत क्रय की थी ? यदि हां, तो किस भाव से ? उक्त वर्ष में उक्त वस्तुओं का बाजार मूल्य क्या था ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मन्त्री, जनजातीय क्षेत्रीय विकास (श्री चुन्नीलाल गरासिया) : (1) ऐसा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है, कैसा है ? (व्यवधान)

आप ने कहा ऐसा नहीं है, और आप उनको वैसा सुन रहे हैं ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : (2) जी हां ।

राजसंघ ने वर्ष 1990 में मूसली, डोलमा एवं रतनजोत क्रय की थी जिसकी क्रय दर एवं बाजार भाव निम्न प्रकार थे :—

क्र.सं.	नाम उपज	दर (प्रति- किलो)	बाजार भाव (प्र. कि.)
1.	मूसली "अ"	190/–	225/–
2.	मूसली "ब"	80/–	95
3.	मूसली "स"	30/–	35/–
4.	डोलमा	6/50	7/40
5.	रतनजोत	2/75	3/20

श्री अध्यक्ष : बहुत फायदा हुआ है ।

श्री दयाराम परमार : मैंने प्रश्न के प्रथम भाग में कहा है कि निगम जंगलों से मिलने वाली चीजों को कम भाव में लेकर आदिवासियों का शोषण करता है । माननीय मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है । दूसरे भाग के उत्तर में आपने स्वयं बताया कि किस भाव में वह खरीदते हैं और बाजार भाव क्या है ।

श्री अध्यक्ष : समझ लिया आपका सवाल, आप बैठें ।

देखिये, इनका सवाल यह है कि आदिवासियों से आप बाजार भाव से सस्ते भाव में खरीदते हैं, इससे आदिवासियो को नुकसान होता है ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । पहले जो सवाल करने वाले हैं उनका उत्तर आने दीजिये, डाइल्यूट मत करिये । उन्होने मेहनत करके प्रश्न पूछा है उसका कुछ निष्कर्ष निकलने दीजिये, फिर आप पूछें ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सदस्य का कहना है कि फारेस्ट प्रोडक्ट्स है, वह आदिवासियों से लेकर बाजार भाव से कम भाव में खरीदते हैं और उनका शोषण किया जाता है । यह विभाग राजस्थान के आदिवासियों के कल्याण के लिये है । फारेस्ट प्रोडक्ट्स जो खरीदते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जा रोज बेची जाती हैं । यह जो वन विभाग से खरीदते हैं उसमें हमको वन विभाग को कुछ रायल्टी के रूप में और देना पड़ता है । साथ में हम बाजार भाव का पता लगाकर उसमें लेस कमीशन, जो पैसा लगता है उसका ब्याज, उसका

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

परिवहन, छीजत, भण्डारन आदि इस प्रकार के जो व्यय हैं, उसको माइनस करके ट्राइबल्स को हम पेमेंट करते हैं, इसी कारण यह अन्तर है। वन विभाग के मंत्री हैं, उनसे मैंने बात की है, वन विभाग जो हमसे रॉयल्टी लेता है वह अगर माफ करदें तो यह जो अन्तर है हमारे खरीद रेट में और बाजार भाव में, वह अन्तर कम हो जायेगा। जिसको आप शोषण के रूप में देख रहे हैं, वह शोषण नहीं है, क्योंकि हमारे विभाग को पेमेंट करना पड़ता है वन विभाग को। लेकिन यह अन्तर कम हो जायेगा। माननीय सदस्य की जो मंशा है वह पूरी हो जायेगी।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब में यह कहते हैं कि निगम को और जगह बेचने में जो अन्तर है, वह मिलाकर वह कर देते हैं। हमारे आदमियों को बाजार में लाने के बाद, बाजार में बेचने पर मूसली पर 35 रुपये प्रति किलो ज्यादा मिलता है, दूसरी पर 15 रुपये प्रति किलो ज्यादा मिलता है। तो निगम को बेचने के लिये हमें बाध्य क्यों किया जाता है ?

इसी प्रकार मछली का जहां तक सवाल है, हमें वह 6 रुपये और 10 रुपये की क्वालिटी मानकर देते हैं। दस रुपये क्वालिटी की 40 रुपये किलो बेची जाती है और छः रुपये क्वालिटी की 30 रुपये किलो में बेची जाती है। जो क्वालिटी यह हमसे तीन रुपये किलो में खरीदते हैं, वह अगर हम बाजार में बेचें तो पन्द्रह रुपया किलो के हमको मिलते हैं। तो यह निगम, हमारा विकास किस प्रकार से करना चाहता है, यह हमारी समझ में नहीं आता।

इसी तरह, माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी आश्रम छात्रावास हैं, उनको छात्रों को देने वाला सामान निगम के माध्यम से खरीदने के लिये बाध्य कर रखा है। सबसे घटिया क्वालिटी जो होती है वह सामान छात्रों को दिया जाता है, और वह भी दो-दो महीने तक सामान नहीं देते हैं। इस तरह से भूख मरना, साबुन वगैरह उनको नहीं मिलना, यह तो साधारण बात है। प्रतापगढ़ में हमारी कमेटी गई थी और एक आश्रम को हमने देखा। वहां चने के नमूने लाकर दिये वे 14 रुपये किलो लाकर उनको देते हैं। हमारे पास बिल की फोटोस्टेट कापी है, वह मछली उनको खिलाते हैं बच्चों को, जो खाने के काबिल नहीं है। मैं आपके सामने नमूना रखूंगा उसका।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह मेरा जो आरोप है कि निगम हमारा शोषण करता है वह बिल्कुल स्पष्ट होता है। माननीय मन्त्री जी भले ही न मानें तो मुझे कुछ नहीं कहना। यह नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा निश्चित रूप से शोषण होता है, यह मेरा आरोप है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी, आपने जो कहा है उसकी जाँच कर लीजिये। माननीय सदस्य को जाँच करके संतुष्ट कीजिये। उनकी बातों को गम्भीरता से लीजिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सदस्य के विचारों से मैं भी सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रो. केदार।

मन्दिरों की जमीन का बेचान

431. **श्री फूलचन्द** (नीम का थाना) एवं **श्री केदारनाथ शर्मा** (गंगानगर):

(श्री फूलचन्द)

क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर की जमीन का बेचान नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो ग्राम ठिकरिया बावड़ी, जिला सीकर में स्थित मन्दिर श्री गोपीनाथ जी की जमीन का बेचान क्यों किया गया ?

(2) उपरोक्त जमीन के बेचान को निरस्त करने हेतु देवस्थान विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या इस मन्दिर से सम्बन्धित केस राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या, देवस्थान विभाग इस सन्दर्भ में पक्षकार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) देवस्थान विभाग द्वारा मन्दिरों में पुजारी नियुक्त करने एवं मन्दिरों के जीर्णोद्धार तथा पुनः निर्माण के क्या नियम और प्रावधान हैं । प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

देवस्थान मन्त्री (श्री रामकिशोर मीणा) (1) जी हां । यह सही है कि राजस्व कानूनों के अनुसार मन्दिर (मूर्ति) की कृषि भूमि को अन्य की खातेदारी में हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है । सीकर जिले के ग्राम ठिकरिया बावड़ी में स्थित श्री गोपीनाथजी का मन्दिर देवस्थान विभाग के अधीन किसी भी श्रेणी के मन्दिरों में नहीं आता है ।

(2) देवस्थान विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) इस सम्बन्ध में देवस्थान विभाग को कोई जानकारी नहीं है । देवस्थान विभाग इस मामले में पक्षकार नहीं है, क्योंकि उक्त मन्दिर का सम्बन्ध किसी भी प्रकार से देवस्थान विभाग से नहीं है ।

(4) देवस्थान विभाग से सम्बन्धित प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिरों में पुजारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों के अनुसार की जाती है । आत्मनिर्भर मन्दिरों के पुजारियों की नियुक्ति के लिए अलग से नियम बने हुए हैं जिनकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है । जीर्णोद्धार एवं पुनः निर्माण के लिए देवस्थान विभाग में पृथक् से कोई नियम बने हुए नहीं हैं । यह कार्य सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाता है ।

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

एक माननीय सदस्य : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं कोई महत्वपूर्ण नहीं है । उनका सवाल है । माननीय केदारजी । जो सवाल पूछता है, उसका महत्वपूर्ण है ।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्षजी, यह मंदिर डायरेक्ट देवस्थान विभाग के कण्ट्रोल में तो नहीं है । मुझे जो जानकारी है, यह कोर्ट आफ वार्ड्स में है । इसीलिये इसकी जानकारी हम ले लें । दूसरा, मंदिरों के पास जो जमीनें मिल्कियत की हैं, वह आम तौर पर काश्तकारों के कब्जे में है । न तो वह देते हैं और न सरकार ऐसी हालत में है कि उसको रिजेक्ट कर सके । तो कैसे भी यह जमीन रेगूलराइज कर दीजिए, या कोई

(श्री केदार नाथ शर्मा)

रास्ता निकालो कि मंदिरों के पास मंदिरों की जमीन आ जाये। इसके बारे में....

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय वैसे हमारे देवस्थान विभाग में तीन प्रकार के मंदिर हैं। प्रत्यक्ष प्रभार के, आत्मनिर्भर श्रेणी के तथा सुपुर्दगी श्रेणी के, यह चौथे प्रकार का मंदिर है, जिनको राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी बैठाकर और तहसीलदार उसका कोर्ट आफ वार्ड होता है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इनका दूसरा सवाल है। जो जमीन मंदिरों की मूर्ति के नाम से हैं उसके खातेदारी हक किसान को प्राप्त नहीं होते मगर फिर भी लोग उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उस कब्जे को हटाने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी, यह है। ताकि मंदिरों की सम्पत्ति मंदिरों में ही रहे।

श्री रामकिशोर मीणा : इस प्रकार की जब जानकारी आती है, जो शिकायतकर्ता है, या किसी प्रकार से सरकार के ध्यान में जानकारी आती है तो तहसीलदार या एस. डी. ओ. या कलेक्टर, जिसके स्तर पर भी यह जानकारी आती है, वह उसको राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत राजस्थान लैंड रेवन्यू एक्ट की धारा 82 के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष : एक ड्राइव चलाइये। राजस्थान में एक ड्राइव चलाइये कि मंदिरों की जमीनों पर जिस तरह भी लोगों ने अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं, उनको हटाया जाये। एक ड्राइव चलाइये। (व्यवधान) हो गया। आप प्रश्न को डाइल्यूट मत करिये। देखिये हो गया। सवाल नहीं। श्री कुंजीलाल नहीं, श्री कुंजीलाल (व्यवधान) आप प्रश्न को डाइल्यूट मत करिये। श्री कुंजीलाल। जो सवाल आया, उसके जबाब से माननीय सदस्य सन्तुष्ट हैं। चलिये।

श्री फूलचन्द : जो प्रश्न आया है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री फूलचन्द : मैं प्रश्नकर्ता हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मंदिरों की कितनी जमीन काश्तकारों के नाम खातेदारी हो गई, यह प्रश्न मेरा है।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्नकर्ता हैं। हां बोलिये। (व्यवधान) वह प्रश्नकर्ता हैं।

श्री फूलचन्द : मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जवाब दिया है कि गोपीनाथ जी का मंदिर हमारी किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, जबकि जैसा केदारजी ने बताया था और यह बात सही है कि उक्त मंदिर की पूरी जमीन का बेचान होकर दूसरे के खाते में गई है। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मंत्री महोदय से कि जो मंदिर आपकी किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, पुराने टाइम में आपने कुछ मंदिरों को अपने विभाग में ले रखा है जबकि ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो आपके विभाग में नहीं होने के कारण उनकी सारी भूमि खुर्द-बुर्द हो रही है, तो क्या सरकार कोई ऐसा नियम या कानून बनायेगी कि जो मंदिर आपके विभाग में नहीं हैं, उनको किस रूप में लिया जा सकता है? तो मेरा एक तो यह प्रश्न है और दूसरा प्रश्न यह है कि जो आपने उत्तर दिया है कि आत्मनिर्भर मंदिरों के पुजारियों की नियुक्ति के लिए अलग से नियम बने हुए हैं, तो जो मंदिर आत्मनिर्भर नहीं है, उनके

(श्री फूलचन्द)

लिए क्या कोई नियम नहीं है कि उनके पुजारियों के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी या उनके पूजा पाठ के लिए क्या कार्यवाही की है। उसके बारे में आप स्पष्ट बतायें ताकि मंदिरों की रक्षा हो सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आप बिराजिये। यह उनका सवाल है। उनका सवाल पूरा नहीं होने देंगे और डाइल्यूट कर रहे हैं। उनका सवाल है।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो इस पर सूचना मांगी गई थी, मंदिर के बारे में जिला कलेक्टर से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील श्रीमाधोपुर में भू प्रबन्ध के समय ग्राम ठिकरिया बावड़ी जिला सीकर में स्थित उक्त मंदिर का नाम नहीं होने से विक्रय पत्र प्रतिबद्ध हुआ। यह मंदिर के नाम से जमीन नहीं थी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को वस्तुस्थिति की जानकारी होने पर जिला कलेक्टर के द्वारा जांच की जाकर मंदिर की जमीन होने पर राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 82 के अन्तर्गत राजस्व मंडल अजमेर में रेफरेंस किया गया, मामला विचाराधीन है। इसमें देवस्थान विभाग पक्षकार नहीं है लेकिन रेफरेंस के हिसाब से जो भी निर्णय होगा उसके बाद कर दिया जायेगा। जहां तक....

श्री अध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं। आप सुन तो लीजिए।

श्री रामकिशोर मीणा : यहाँ पर इसी प्रकार के बहुत मामले आते हैं, जहां मंदिरों की जमीनें हैं और कई तो मंदिरों का नाम हटाकर और उनमें सब मंदिरों की जमीनों के आगे ठाकुरजी लिखा रहता है। ठाकुर जी शब्द को हटाकर व्यक्तिगत नाम से उस जमीन का कर लेते हैं। इस प्रकार की जो भी शिकायतें आती हैं और जैसा आपका निर्देश हैं, एक स्पेशल अभियान चलाकर ऐसे जो भी मामले हैं उनको ध्यान में लाया जाकर उसके हिसाब से रेफरेंस किया जाकर...

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्षजी, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप एक और सवाल नहीं लेने देंगे। एक सवाल और आ जायेगा मुझे तो आपत्ति नहीं है। आप चाहते हैं तो आपका सवाल ले लूं लेकिन इसी पर आप 12 बजाते रहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में टिनेन्सी एक्ट 1955 में बना था। 1955 में बनते ही इन मंदिरों की मूर्ति को नाबालिग मान करके इनके अधीनस्थ जो भी खातेदारी की भूमि रही थी, उसका कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता लेकिन उसके बावजूद भी सारे मंदिरों की जमीन लगातार ट्रांसफर हो रही है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आसन जिलेलाव का काण्ड भी केवल दो बीघे जमीन मंदिर की खातेदारी के कारण से हुआ था। इसीलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी भी विराजमान हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मंदिरों पर ट्रेसपासर हैं और पुराने राजा महाराजाओं, ठाकुरों ने, जागीरदारों ने उनके रख रखाव के लिए, सेवा पूजा के

(श्री हीरा सिंह चौहान)

लिए यह जमीनें दी थीं उन जमीनों की खरीद फरोख्त कर ट्रांसफर कर दिया है और आज डेइटी के नाम पर बिल्कुल जमीन नहीं रही है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कानून में, 91 का कोई स्पेशल प्रोविजन करके आप एक बार सीमा तय कर दीजिये कि किस मंदिर के नाम कितनी जमीन रहेगी। पुराने ट्रांसफरी हैं, ट्रांसफरी में कितने ट्रांसफरी को आप वेलिड मानना चाहते हो, तो उसको वेलिड कर दीजिये। लेकिन कम से कम उस मंदिर की बिना मूर्ति के ही सेवा होती रहे, यह असंभव है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले पर सरकार गंभीरता से विचार करे, देवस्थान विभाग को इसके साथ जोड़े। देवस्थान विभाग कुछ ही मंदिरों की जमीनों की या उनकी देखरेख करता है, अन्य मंदिरों की कोई देखरेख नहीं करता है। इसके लिए भी निवेदन है कि ऐसा कोई प्रावधान कर इनकी देखरेख की व्यवस्था की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र आमेर में माडा योजनान्तर्गत ग्रामों का चयन

424. श्री गोपीराम (आमेर) : क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में माडा योजनान्तर्गत कौन-कौन से ग्रामों का चयन किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में मीणा बाहुल्य ग्रामों का चयन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) माडा योजनान्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु क्या-क्या मापदंड निर्धारित किये गये?

(4) क्या यह भी सही है कि बहुत से ग्राम मापदंडों के अनुरूप होने पर भी चयनित नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अब इन ग्रामों का पुनः सर्वे करवाकर चयन सूची में सम्मिलित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में माडा योजनान्तर्गत 36 ग्राम चयनित हैं। सूची परिशिष्ट–1 में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त योजना में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों का चयन किया जाता है, जिसमें मीणा बाहुल्य ग्राम भी सम्मिलित होते हैं।

(3) सम्मिलित ग्राम की कुल जनसंख्या का न्यूनतम 50 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक है।

(4) वर्तमान में विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है जो मापदंडों के अनुरूप हो।

(5) वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर भविष्य में जो ग्राम मापदण्ड की परिधि में आवेंगे उनको सम्मिलित करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 दें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 813

(स्थगित)

एस. एम. एस. चिकित्सा महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष के कार्यों की जांच

814. श्री चुन्नी लाल धाकड़ (बेगूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभागाध्यक्ष शरीर रचना विज्ञान विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय ने अपने अधीन कार्यरत राजपत्रित अधिकारियो में पक्षपात कर एक साधारण प्रदर्शक को वे सुविधाएं दे रखी हैं जो उनके अधीन अग्रिम अधिकारी उपाचार्य को भी प्राप्त नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विभागाध्यक्ष के अधीन कार्यरत दो सह आचार्यों में से कनिष्ठ को वे सुविधाएं दीं जो वरिष्ठ को नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि विभागाध्यक्ष की भेदभावपूर्ण नीति के कारण उनके अधीन कार्यरत दो लिपिकों में से एक लिपिक 20 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लिपिक का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार उक्त विभागाध्यक्ष के कृत्यों की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के एनाटामी विभाग में एक लिपिक 1968 से कार्यरत है किन्तु उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है अतः उसके स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के एनाटामी विभाग के विभागाध्यक्ष के विरुद्ध कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है अतः उनके विरुद्ध कोई जांच का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आई. ए. एस. एवं आई. पी. एस. अधिकारियों के स्थानान्तरण

815. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन से अब तक कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये ?

(2) कितनों ने स्थानान्तरण रद्द कराये या किये गये ?

(3) स्थानान्तरण पर न जाने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन से अब तक आई. ए. एस. अधिकारियों के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

199 व आई. पी. एस. अधिकारियों के 115 स्थानान्तरण किये गये हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा 9 आई. ए. एस. व 2 आई. पी. एस. अधिकारियों के स्थानान्तरण रद्द किये गये है।

(3) स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से रद्द किये गये।

अतारांकित प्रश्न संख्या 816

(स्थगित)

अरावली पर्वतारोहण क्लब के उपकरणों का उपयोग

817. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय अरावली पर्वतारोहण क्लब के पास क्या-क्या उपकरण हैं और उन उपकरणों का कब-कब क्या-क्या उपयोग किया गया?

(2) उक्त क्लब के सदस्यों व पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय अरावली पर्वतारोहरण क्लब के पास, रुकसक, रेपलिंग रोप, नाइलोन रोप, राक क्लाइमिंग, ग्लब्स, नाइलोन टैन्ट, स्लीपिंग बैग्स, विन्ड पफ जाकिट, काटन टैन्ट, नाइलोन स्लींग, पीटन हैमन व कैराबी नेट्स इत्यादि सामान है। वर्ष 1985 तक इनका उपयोग होता रहा। इसके बाद कुलपति महोदय के आदेशानुसार क्लब व सामान का उपयोग बन्द कर दिया गया।

(2) वर्तमान में प्रोफेसर वी. पी. गुप्ता अधिष्ठाता छात्र कल्याण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर इसके मानद अध्यक्ष हैं तथा डा. सतीश शास्त्री सहअधिष्ठाता, छात्र कल्याण इसके सचिव पद पर नियुक्त हैं।

अजमेर विश्वविद्यालय के कुलपति का रिक्त पद

818. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कब तक हो जायेगी?

(2) क्या यह सही है कि कार्यवाहक कुलपति होने से कई महत्वपूर्ण मसलों यथा-रिसर्च-गाइड तथा रजिस्ट्रेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है?

(3) क्या अजमेर विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने मान्यता प्रदान कर दी है?

(4) विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कार्य किस स्तर पर है? विश्वविद्यालय अपने भवन में कब से काम प्रारम्भ कर देगा?

उत्तर

(1) अजमेर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति हेतु चांसलर महोदय द्वारा चयन समिति का गठन किया गया है। चयन समिति द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के

(उच्च शिक्षा मंत्री)

बाद कुलपति की नियुक्ति शीघ्र कर दी जावेगी।

(2) कार्यवाहक कुलपति होने से रिसर्च गाईड व रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कार्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। रिसर्च गाइड व रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कोई कार्य रिसर्च बोर्ड की संस्तुति पर किया जाता है और तदनुसार बदस्तूर जारी है।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षणिक पदों व अन्य विकास कार्यों के लिए कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अनुदान प्रदान करता है।

अजमेर विश्वविद्यालय का यू. जी. सी. द्वारा नियुक्त विजिटिंग कमेटी द्वारा निरीक्षण माह जुलाई, 1990 में किया जा चुका है। अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है।

(4) विश्वविद्यालय भवन के एक ब्लाक का कार्य प्रगति पर चल रहा है। बेसमेंट व ग्राउन्ड फ्लोर का फ्रेम वर्क करीब-करीब पूरा हो चुका है। लेकिन फिनिशिंग का कार्य होना शेष है। आवश्यकतानुसार भवन निर्माण हो जाने के बाद विश्वविद्यालय अपने भवन में काम प्रारम्भ कर सकेगा।

बनास नदी पर पुलियाओं का निर्माण

819. श्री शांतिलाल (राजसमन्द): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले के ग्राम कुरज एवं नान्दोली के पास बनास नदी पर पुलियाओं का निर्माण कब-कब हुआ और उन पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पुलियाएं कब-कब क्षतिग्रस्त हुईं एवं उनके मरम्मत पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भविष्य में ये पुलियाएं क्षतिग्रस्त नहीं होने के सम्बन्ध में विभाग ने क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

(1) (अ) उदयपुर जिले के कुरज ग्राम के पास की फ्लश काजवे पुलिया का निर्माण वर्ष 1967-68 में हुआ जिस पर 1.50 लाख रु. व्यय हुआ। इसके पश्चात् इस पुलिया को वर्ष 81-82 में वेन्टेड काजवे में परिवर्तित किया गया जिसकी लागत 4.52 लाख रु. थी।

(ब) नान्दोली ग्राम के पास पुलिया का निर्माण वर्ष 1969-70 में हुआ था एवं जिसकी अनुमानित लागत 1.00 लाख रु. थी।

(2) इन पुलियाओं के क्षतिग्रस्त होने का विवरण निम्न प्रकार है :—

(सार्वजनिक निर्माणमन्त्री)

कुरज पुलिया		नान्दोली पुलिया	
क्षतिग्रस्त वर्ष	मरम्मत पर व्यय लाखों में	क्षतिग्रस्त वर्ष	मरम्मत पर व्यय लाखों में
1973 अतिवृष्टि	0.50	1973	0.56
1983 अतिवृष्टि	1.47	1983	1.25
1990 अतिवृष्टि	5.00	1990	3.00

वर्ष 1990 में प्राप्त स्वीकृति के तहत इनका कार्य प्रगति पर है जो कि वर्षा से पूर्व पूर्ण करवा दिया जावेगा।

(3) भविष्य में क्षतिग्रस्त नहीं होने के सम्बन्ध में पुलिया (कुरज) के नीचे की तरफ एप्रन बनाया जा रहा है जो कि इस माह में पूर्ण हो जावेगा एवं नान्दोली पुलिया की मरम्मत की जा रही है। परन्तु इसका स्थायी समाधान करने हेतु इन पुलियाओं के स्थान पर हाई लेवल ब्रिज निर्माण कराना आवश्यक है।

तहसील हिण्डौली में सम्पर्क सड़कों का निर्माण

820. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हिण्डौली तहसील के कितने पंचायत मुख्यालयों को एम.एन.पी. व अन्य योजनाओं के तहत सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है ?

(2) शेष बचे कितने पंचायत मुख्यालयों को सड़क से कब तक जोड़ दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) हिण्डौली तहसील के कुल 31 पंचायत मुख्यालयों में से 28 पंचायत मुख्यालयों को एम.एन.पी. व अन्य योजनाओं के तहत सम्पर्क सड़क से जोड़ दिया गया है।

(2) शेष बचे 3 पंचायत मुख्यालयों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तहसील जैतारण में सड़कों का निर्माण

821. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील जैतारण जिला-पाली में कुल कितने किलोमीटर पक्की सड़कें कहां से कहां तक बनी हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कौन-कौन सी पक्की

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सड़कें बनाने का प्रस्ताव है तथा किन-किन पर कार्य चालू कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) तहसील जैतारण में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 142 किमी. है सड़क वार सूची "अ" संलग्न है।

(2) जैतारण तहसील में वर्तमान में स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि लाखों में	कार्य की प्रगति
1.	चंडावल से जैतारण सड़क का निर्माण	19.50	बचे कार्य की निविदा आमंत्रित कर ली गई है।
2.	अपग्रेडेशन सड़क कालू से डिगना	12.00	कार्य प्रगति पर है।
3.	कुरकी तक सडक अपग्रेडेशन का कार्य	11.00	कार्य प्रगति पर है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

विशेषज्ञ डाक्टरों को केन्द्र के समान वेतनमान

822. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विशेषज्ञ डाक्टरों के प्रतिनिधि मण्डल ने राज्य सरकार को उनके वेतनमान एवं पदोन्नतियों के अवसर केन्द्र सरकार के बराबर करने की मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने आज तक क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं, अब कब तक सरकार निर्णय ले लेगी ?

उत्तर

जी हां।

केन्द्रीय वेतनमान दिये जा चुके हैं। विसंगतियों का प्रकरण राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति के विचाराधीन है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले में कोई नीतिगत निर्णय लेना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सड़क निर्माण

823. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कितनी कि.मी. पक्की एवं कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया है ? अन्य क्षेत्र के सानुपातिक अन्तर में कितनी कि. मी. निर्मित होना था एवं कितना हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश पंचायतों के मुख्यालय मुख्य सड़कों से नहीं जोड़े गये हैं ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी पंचायतें हैं ? इनको

(श्री फूलचन्द मीणा)

कब तक सड़कों से जोड़ने का सरकार का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अब तक 212.5 किमी. डामर, 38.5 किमी. मेटल, 39.5 किमी. ग्रेवल एवं 73 किमी. कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया। सलूम्बर जनजाति क्षेत्र में सड़कों का घनत्व 27.01 प्रति 100 वर्ग किमी. है। इसकी तुलना में उदयपुर जिले के अन्य जनजातीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों का घनत्व (अ) सहाड़ा 13.74 प्रति 100 वर्ग किमी. (ब) धरियद 21.90 प्रति 100 वर्ग किमी. (स) खैरवाड़ा 15.23 प्रति 100 वर्ग किमी. (द) उदयपुर ग्रामीण 7.52 प्रति 100 वर्ग किमी. (य) फलासिया 8.57 प्रति 100 वर्ग किमी. है।

(2) जी नहीं। इस विधान सभा क्षेत्र के 43 पंचायत मुख्यालय हैं। जिनमें से 27 डामर से, 2 मैटल से, 10 ग्रेवल सड़कों से जुड़े हुए हैं। सिर्फ 4 पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ा जाना बाकी है। चार-पंचायत मुख्यालय शिशवी 896 (1971), मुलावास 241 (1971) चांदस 435 (1971) दोतेश्वर 643 (1971) है।

नहीं जुड़े पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। जोड़े गये एवम् नहीं जोड़े गये पंचायत मुख्यालयों का विवरण सूची "1" में दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की अधूरी सड़कें

824. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कौन-कौन सी सड़कें कब-कब से अधूरी पड़ी हैं ? इन्हें कब तक पूर्ण करने का सरकार का विचार है ?

(2) इस विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं ? क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में अधूरी पड़ी सड़कें सूची "1" में दर्शायी गई हैं। इन्हें पूरा करना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (सूची "1' संलग्न)

(2) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की रख-रखाव सड़कों में से निम्न दो सड़कें वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई हैं:—

1. सरवाड़-भगवानपुरा सड़क किमी. 9 व 10।

2. नसीराबाद-देवली सड़क किमी. 56 (केकड़ी शहरी क्षेत्र)।

(सार्वनिक निर्माण मन्त्री)

इनकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है तथा जून, 91 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

कोटा एवं बारां में रोडवेज के वर्कशाप में कार्यरत स्टाफ

825. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा एवं बारां में रोडवेज के वर्कशॉप में कुल कितना स्टाफ किस-किस श्रेणी का स्वीकृत है तथा उसमें से कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त दोनों वर्कशाप पर पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" एवं "ख" अनुसार है।

(2) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

उदयपुर में सिटी बसों की व्यवस्था

826. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर के आसपास की कालोनियों के लिए सिटी बस की व्यवस्था चालू करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो ये सिटी बसें कब तक चालू हो जायेंगी ?

(2) क्या सरकार शहरों में पैट्रोल की बचत हेतु अधिक से अधिक सिटी बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

वृन्दावन स्थित माधवजी के मंदिर का संरक्षण

827. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान से बाहर उत्तर प्रदेश स्थित बृज क्षेत्र के पवित्र नगर वृन्दावन में जयपुर के भूतपूर्व महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित श्री राधा माधवजी मन्दिर प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मन्दिरों में आता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके संरक्षण एवं संवर्द्धन के संबंध में क्या विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा मंदिर संस्कृति, संरक्षण एवं सवर्द्धन के लिये कोई प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बृज अकादमी संस्था को मन्दिर संस्कृति के अनुरूप विकसित करने के लिये वर्ष 1978-80 व 1989-90 में मन्दिर परिसर एवं परिसर

(श्री हेमराज)

से बाहर की सम्पदा लीज पर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार समस्त सम्पदा संस्था को स्थानान्तरित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा वे क्या-क्या सम्पदाएं थी ? उनका संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

राज्य सरकार इस मन्दिर की सेवा पूजा व परम्परागत संस्कृति का समुचित प्रबन्ध करने तथा इसकी सम्पदा को सुरक्षित बनाये रखकर श्रद्धालु भक्तगणों व मतावलम्बियों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इसका समुचित विकास करने का विचार रखती है।

(2) जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

(3) जी हां।

राज्य सरकार की स्वीकृति से बृज अकादमी को मन्दिर का आनन्द भवन किराये पर तथा दीवानखाना, टीन शैड, रिक्त भूमि तथा एक कोठरी व धर्मशाला भवन तथा मंदिर के सामने सड़क के पार स्थित भू-खण्ड तात्कालीन सरकार द्वारा कब्जा देने का निर्णय लिया गया था जिस पर आपत्तियां आने के कारण राज्य सरकार द्वारा इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। उक्त सम्पदा में से धर्मशाला भवन को छोड़कर सम्पदा का शेष कब्जा बृज अकादमी द्वारा कर लिया गया है। धर्मशाला भवन पर अनधिकृत कब्जा होने से उसे संस्था को नहीं संभलाया जा सका है। अनधिकृत कब्जा हटाने हेतु स्थानीय पुलिस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गयी है।

उदयपुर के मन्दिरों में कार्यरत स्टाफ

828. श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर जिले में आत्मनिर्भर प्रत्यक्ष प्रभार सुपुर्दगी श्रेणी के कितने मन्दिर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन मन्दिरों की सेवा पूजा, रख-रखाव एवं व्यवस्था हेतु प्रबन्धक द्वितीय श्रेणी के पद पर वर्तमान में कौन कार्यरत है ?

(3) क्या यह सही है कि इस पद को उदयपुर खण्डीय कार्यालय से स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस पद पर पुनः पदस्थापन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के 37 तथा राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 49 तथा राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी के 10 मंदिर व संस्थान है। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) इन मंदिरों की सेवा-पूजा, रख-रखाव एवं व्यवस्था हेतु सहायक आयुक्त,

(देवस्थान मन्त्री)

उदयपुर खण्ड के कार्यालय में प्रबन्धक द्वितीय श्रेणी के पद पर श्री ज्ञानलाल लोढ़ा नियुक्त हैं।

(3) प्रशासनिक दृष्टि से उक्त प्रबन्धक के पद को देवस्थान विश्रान्ति गृह में अस्थायी तौर पर वहां के कार्यभार की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरित किया गया था। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) यह पद वापिस पूर्व स्थान पर 28-11-90 से स्थानान्तरित किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें

829. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सन् 1985 से 1990 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 "ए" में कितने मुकदमे दायर किये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) धारा 6 "ए" के अन्तर्गत संबंधित जिलाधीश द्वारा निर्णय लेने के बाद संबंधित जिला रसद अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? जिलानुसार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो सरकार द्वारा उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो, क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में सन् 1985 से 1990 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6-ए में जितने मुकदमे दायर किये गये, उनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त सभी जिलों में संबंधित जिलाधीश द्वारा दिये गये निर्णयों की अनुपालना में सभी जिला रसद अधिकारि‍ द्वारा निर्णय के निर्देशों की अनुपालना क‍ गई है।

(3) ऐसा कोई मामला जानकारी नहीं आया है, जिसमें जिला रसद अधिक द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। अतः कि‍ अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 दे

राज्य में मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए योग्यता

830. श्री रामस्वरूप (टोडाभी‍ क्या कार्मिक मंत्री यह बताने क‍ करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि र‍ मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिये शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या हिन्दी की समकक्ष परीक्षा मान्य थी? यदि कब तक?

(कार्मिक मन्त्री)

(2) क्या यह भी सही है कि अब मंत्रालयिक सेवा के लिये न्यूनतम योग्यता हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह भी सही है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन (हिन्दी विश्वविद्यालय) प्रयाग (इलाहाबाद) की प्रथम एवं मध्यमा/उपाध्याय को मैट्रिक व हायर सैकण्डरी के समकक्ष माना गया है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त परीक्षा उत्तीर्ण आशार्थियों को चतुर्थ श्रेणी से कनिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति भी दी गई है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

(5) क्या यह भी सही है कि अब राज्य सरकार ने इन परीक्षाओं की मान्यता समाप्त कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार उक्त परीक्षा उत्तीर्ण आशार्थियों को पुनः पूर्व की भांति मान्यता देकर नियुक्ति व पदोन्नति देने का विचार रखती है जबकि राजकाज अब हिन्दी में ही होता है ? यदि हां, तो कब से ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 28-6-85 के पश्चात् हिन्दी साहित्य की समकक्ष परीक्षा पास व्यक्तियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं माना ।

(2) जी नहीं । न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल या सैकण्डरी है ।

(3) जी नहीं । लेकिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद नामक संस्था की निम्न परीक्षाओं की उनके सामने अंकित समकक्षता केवल हिन्दी स्तर में अभी भी निर्धारित है–

प्रथमा : हाई स्कूल या हायर सैकण्डरी प्रथम वर्ष

मध्यमा : बी. ए.

उपाध्याय : कोई मान्यता नहीं है ।

(4) जी हां । दिनांक 28-6-85 तक उपरोक्त योग्यताधारी व्यक्तियों को चतुर्थ श्रेणी से कनिष्ठ लिपिक पर पदोन्नति दी गई है । कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु शैक्षणिक योग्यता कोई आधार नहीं है ।

(5) जी हां । दिनांक 28-6-85 के पश्चात् हिन्दी साहित्य की समकक्ष परीक्षा पास व्यक्तियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं माना । इन परीक्षाओं की नियुक्ति हेतु मान्यता दिये जाने पर राज्य सरकार का अनुभव ठीक नहीं रहा ।

(6) जी नहीं ।

राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा में पहचान चिन्ह अंकन पर कार्यवाही

831. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय भूगोल एम. ए. उत्तरार्द्ध परीक्षा 1990 में रोल नं. 26215 ने उत्तर

(श्री हरि सिंह)

पुस्तिकाओं में पूर्णतया हरी स्याही का प्रयोग किया है जबकि नियमानुसार केवल नीली स्याही के प्रयोग की अनुमति है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रोल नं. 26215 ने अपनी उत्तर पुस्तिका की पहचान बनाने के लिए मुख पृष्ठ तथा प्रथम पृष्ठ पर "ओम जये मां" व प्रत्येक प्रश्न प्रारम्भ करते समय पृष्ठ के बायें ओर हाशिये में दो विपरीत त्रिभुज के निशान बनाये हैं ?

(3) क्या रोल नं. 26215 के द्वारा किये गये ये पहचान चिन्ह "अनफेयर मीन्स" की श्रेणी में आते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने उक्त रोल नं. के खिलाफ अनुचित साधन प्रयोग करने के लिए कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही कर उक्त परीक्षार्थी को दण्डित किया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय भूगोल एम. ए. उत्तरार्द्ध परीक्षा 1990 में रोल नं. 26215 उत्तर पुस्तिकाओं में पूर्णतया हरी स्याही का प्रयोग किया है जबकि नियमानुसार केवल नीली स्याही के प्रयोग की अनुमति है।

(2) यह सही है कि उक्त रोल नं. 26215 ने अपनी पुस्तिका में मुख पृष्ठ तथा प्रथम पृष्ठ पर कुछ चिन्ह बनाये हैं तथा हाशिये में भी विपरीत त्रिभुज के निशान बनाये हैं।

(3) उत्तर पुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशानुसार इस प्रकार के चिन्ह अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माने जा सकते हैं।

(4) जहां तक उक्त रोल नं. के खिलाफ अनुचित साधनों के प्रयोग करने के लिए कोई कार्यवाही का प्रश्न है अभी तक कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की गई है। चूंकि न तो परीक्षा केन्द्राध्यक्ष ने उक्त छात्र के विरुद्ध अनुचित साधनों के प्रयोग करने संबंधी कोई शिकायत की और न ही परीक्षक ने उत्तर-पुस्तिका में दिये गये चिह्नों के संबंध में कोई सूचना दी अतः अनुचित साधनों के प्रयोग का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। उत्तर पुस्तिकाएं देखने पर हरी स्याही प्रयोग में लाने व उत्तर पुस्तिका पर चिन्ह अंकित करने का मामला चूंकि प्रकाश में आया है अतः अनुचित साधन के प्रयोग में लाने सम्बन्धी कार्यवाही अब की जावेगी।

राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा दिया गया नियम विरुद्ध आदेश

832. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय एम. ए. पूर्वार्द्ध भूगोल परीक्षा 1989 के परीक्षार्थी, रोल न. 7650 ने प्रश्नपत्र IV (एफ) के पुनर्मूल्यांकन के लिए माह सितम्बर अक्टूबर, 1989 में आवेदन किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परीक्षार्थी ने पुनर्मूल्यांकन में अंक बढ़ने के बजाय अंक घटने की आशंका को देखते हुए

(श्री हरिसिंह)

पुनर्मूल्यांकन आवेदन को निरस्त करने की दरख्वास्त दी जिसको तत्कालीन कुलपति डा. सिन्हा ने अपने आदेश दिनांक 25-4-1990 द्वारा मन्जूर करली तथा सम्बन्धित अनुभाग ने स्टेटमेन्ट नं. 338 पर दिनांक 9-7-1990 को यह टिप्पणी करते हुए कि प्रार्थी ने आवेदन निरस्त करवा लिया है, पुनर्मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को निरस्त कर दिया ? क्या कुलपति का यह आदेश कार्यरत नियमों के प्रतिकूल नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 9-7-1990 को पुनर्मूल्यांकन में प्राप्त अंकों की गोपनीयता खत्म हो जाने पर, परीक्षार्थी ने पुनर्मूल्यांकन में प्राप्त अंकों की सही तहकीकात कर बढ़े अंकों से आश्वस्त होकर पुनर्मूल्यांकन में प्राप्त अंकों का फायदा प्राप्त करने हेतु एक दरख्वास्त माह अगस्त, 1990 में तत्कालीन कुलपति डा. सिन्हा को प्रस्तुत की तथा डा. सिन्हा ने यह जानते हुए भी कि यह दरख्वास्त गैरवाजिब व गैर-कानूनी है, स्वीकार करली व बिना अनुभाग की टिप्पणी प्राप्त किये दिनांक 28-8-1990 को बढ़े अंकों का फायदा देने के आशय से गैर कानूनी आदेश दे दिये ?

(4) क्या परीक्षार्थी की दोनों गैर-वाजिब दरख्वास्तें व कुलपति के दोनों गैर-कानूनी आदेश उनके आपसी गठबन्धन व बदनीयत के पर्याप्त सबूत बनते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार तत्कालीन कुलपति व उक्त परीक्षार्थी के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है, यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की एम. ए. पूर्वार्द्ध 1989 के परीक्षार्थी रोल नं. 7650 ने पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन किया था।

(2) स्टेटमेंट नं. 336 (न कि 338) एम. ए. पूर्वार्द्ध के छात्र रोल नं. 7250 से सम्बन्धित है। उक्त छात्र ने माह अप्रेल 1990 में पुनर्मूल्यांकन परिणाम के अनावश्यक विलम्ब, परीक्षाफल जानबूझ कर खराब करने तथा उसकी व उसके पिता को किन्हीं लोगों द्वारा व्यर्थ बदनाम किये जाने के कारण पुनर्मूल्यांकन के आवेदन को निरस्त करने हेतु आवेदन किया था जिसे तत्कालीन कुलपति ने अपने आदेश दिनांक 25-4-90 के द्वारा स्वीकार किया था। तब तक उक्त प्रश्न-पत्र की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन अंक प्राप्त नहीं हुए थे।

(3) यह कहना कठिन है कि परीक्षार्थी ने बढ़े अंकों से आश्वस्त होकर पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त अंकों का फायदा उठाने के लिए आवेदन किया था उक्त छात्र ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया था कि उसकी सहपाठी सुश्री हेमा यादव एवं मानसिंह मीणा ने उसके विरुद्ध अनर्गल प्रचार एवं उलटी-सीटी अखबारबाजी की थी जिससे उसे मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी और इसी बीच में उसने घबराहट में पुनर्मूल्यांकन के आवेदन-पत्र को निरस्त करने की प्रार्थना की थी व अब उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त कर नियमानुकूल पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित किया जावे। इसी प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन कुलपति जी ने दिनांक 28-8-90 को पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के आदेश दिये थे।

(4) जो तथ्यात्मक स्थिति जाहिर हु

(उच्च शिक्षा मन्त्री)

है उसे दृष्टिगत रखते हुए गठबन्धन व बदनीयती जैसी स्थिति जाहिर नहीं होती ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार में आना पाया जाता है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य के महाविद्यालयों में कक्षा कमरे एवं पुस्तकालय इत्यादि की कमी

833. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1991-92 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय कहां-कहां खोले जायेंगे ? आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितने स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रारम्भ किये जायेंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के महाविद्यालयों में कक्षा, कमरों, पुस्तकालयों, खेल के मैदानों एवं सभा भवनों की कमी है ? यदि हां, तो इसकी पूर्ति हेतु क्या विभाग ने योजना बनाई है ?

(3) राज्य के स्वायत्तशासी महाविद्यालयों में कक्षा, कमरों की कमी एवं पुस्तकालय भवन, छात्रावासों की कमी को दूर करने हेतु कितनी-कितनी राशि का प्रावधान वर्ष 1991-92 में किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली मैचिंग ग्रान्ट को विभाग ले नहीं पाता एवं राज्य स्तर पर वित्त विभाग द्वारा उपयुक्त बजट प्रावधान के अभाव में महाविद्यालयों का विकास नहीं हो पाता ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 के बजट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । आठवीं योजना में दस नये महाविद्यालय खोलने का प्रावधान है ।

(2) जी हां । आठवीं योजना में कुछ कमियों की पूर्ति का प्रस्ताव है । वर्ष 1991-92 में कमरों व भवन निर्माण हेतु 20.72 लाख रु. व्यय करने के प्रस्ताव हैं ।

(3) वर्ष 1991-92 के बजट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(4) जी नहीं । मैचिंग ग्रान्ट हेतु प्रावधान रखने का प्रस्ताव है ।

कोष एवं लेखा विभाग में बैकलाग की पूर्ति

834. श्री रखबचन्द (प्रतापगढ़) एवं **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोष एवं लेखा विभाग में लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी पदों के बैकलाग का सही-सही रिकार्ड रखा जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1980 से अब तक पदोन्नति व सीधी भर्ती के लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी पदों के बैकलाग कब-कब लैप्स किये गये ? दोनों सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां, सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

एम. एस. जे. कॉलेज, भरतपुर की परीक्षाओं में धांधली

835. **श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वायत्तशासी एम. एस. जे. कालेज, भरतपुर के प्राचार्य द्वारा तृतीय वर्ष भूगोल परीक्षा 1990 के पेपर सेटर व परीक्षक के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के रीडर डाक्टर आर.बी.सिंह को नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो नियुक्ति के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या इस परीक्षा में रोल नं. 021512 श्री आशीष सिंह पुत्र श्री ए. पी. सिंहा 'अपीयर' हुए थे ? यदि हां, तो उनकी अंकतालिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने एम. ए. भूगोल उत्तरार्द्ध परीक्षा 1990 के पेपर VIII (स) के पेपर सेटर व परीक्षक के रूप में श्री. ए. पी. सिंहा, भरतपुर को नियुक्त किया गया था वे इस परीक्षा में रोल नं. 26215 श्री जयदीप पुत्र डा. आर. बी. सिंह अपीयर हुए थे ? यदि हां, तो श्री सिंह की नियुक्ति व श्री जयदीप की अंकतालिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 1990 के फ्लाइंग कार्य हेतु डाक्टर आर. बी. सिंह को संयोजक नियुक्त किया गया था व उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय भूगोल के व्याख्याता डाक्टर जगदीश प्रसाद, जो उनके शोध छात्र रहे हैं, को विश्वविद्यालय कोष पर किराये ली गई गाडी आर.एस.टी 1926 द्वारा 25 व 26 मई, 1990 को भरतपुर भेजा था तथा डाक्टर जगदीशप्रसाद ने इस आशय का पारिश्रमिक रुपये 165 विश्वविद्यालय से प्राप्त किये है ? यदि हां, तो डाक्टर सिंह की संयोजक फ्लाइंग स्क्वायड कार्य व डाक्टर जगदीश प्रसाद की फ्लाइंग पार्टी मैम्बर के रूप में नियुक्तियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या एम. ए. उत्तरार्द्ध भूगोल के परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व ही उपरोक्त परीक्षकों द्वारा आपसी सौदेबाजी व अनियमितताओं की शिकायत दिनांक 16-9-1990 को कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय को कर दी गई थी ? यदि हां, तो इस शिकायत के बावजूद इस पर कोई कार्यवाही नहीं करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि डाक्टर आर. बी. सिंह व श्री ए.पी. सिंहा ने अपने पुत्रों को परीक्षा में अनुचित लाभ दिलाने हेतु आपस में साजिश कर गम्भीर दुराचरण व शैक्षणिक अनियमितता बरती है ? यदि हां, तो इनके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि एम.एस.जे. कालेज

(उच्च शिक्षा मन्त्री)

भरतपुर के प्राचार्य द्वारा तृतीय वर्ष भूगोल परीक्षा 1990 के पेपर सेटर के रूप में डा. आर.बी. सिंह को नियुक्त किया गया था। प्राचार्य ने अवगत कराया है कि नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि रिकार्ड में नहीं रखी जाती। महाविद्यालय के परीक्षा अनुभाग के अभिलेखों से इनकी नियुक्ति सत्यापित है।

इस परीक्षा में वर्ष 1990 में रो. नं. 21512 श्री आशीष सिन्हा पुत्र श्री ए.पी. सिन्हा एपियर हुए थे। श्री आशीष सिन्हा की तृतीय वर्ष की अंकतालिका संलग्न है।

(2) जी हां, यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के एम.ए. भूगोल उत्तरार्द्ध परीक्षा 1990 के पेपर 8(स) के पेपर सेटर व परीक्षक के रूप श्री. ए.पी. सिंह, भरतपुर की नियुक्ति चयन समिति द्वारा की गयी थी व रोल नं. 26215 श्री जयदीप पुत्र डा. आर. बी. सिंह उक्त परीक्षा में अपीयर हुए थे। श्री जयदीप की अंकतालिका की प्रति संलग्न है।

(3) यह सही है कि डा.आर.बी. सिंह को परीक्षा 1990 के लिए संयोजक फ्लाइंग स्क्वायड नियुक्त किया गया था। दिनांक 23-4-90 से 17-6-90 तक विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारी हड़ताल पर थे। इस दौरान संयोजक उड़न दस्ते के निर्देशानुसार डा. जगदीश प्रसाद ने दिनांक 25 व 26 मई, 1990 को उड़न दस्ते में एक सदस्य के रूप में एल.बी.एस. कानोडिया, सत्यसाई, पारीक आदि महाविद्यालयों का जयपुर में निरीक्षण कार्य किया, न कि भरतपुर में। कार्यालय अभिलेख के अनुसार न तो डा. जगदीश प्रसाद को भरतपुर जाने हेतु नियुक्त किया है और न ही डा. जगदीश प्रसाद ने इस आशय का पारिश्रमिक उठाया है। डा. जगदीश प्रसाद द्वारा, अग्रवाल, सुबोध, एल. बी. एस., कानोडिया, सत्यसाई एवं एस.एस.जी. पारीक महाविद्यालयों में दिनांक 25 व 26 मई को को फ्लाइंग स्क्वायड के सदस्य के रूप में जाने का यात्रा भत्ता रुपये 125 एवं पारिश्रमिक रुपये 40/- कुल रु. 165 का भुगतान वाउचर क्रमांक 101/ आरई सितम्बर, 90 के द्वारा किया गया है। दोनों वाउचर्स की फोटो कापी संलग्न है।

(4) प्रश्न के भाग 4 के सम्बन्ध में लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके यहां किसी भी प्रकार की कोई शिकायत परीक्षकों के सौदेबाजी के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुई।

(5) प्रश्न के भाग 5 के सम्बन्ध में लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके यहां ऐसी साजिश की कोई जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में इसके बारे में किसी प्रकार की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या 836

(माननीय अध्यक्ष द्वारा अग्राह्य किया गया)

गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत राज्य को सहायता

837. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) एवं **श्री बुलाकीदास** कल्ला (बीकानेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र पारीक)

(1) योजना आयोग से राज्य को मिलने वाली सहायता के सम्बन्ध में गाडगिल फार्मूला क्या है ? सार संक्षेप में सदन की मेज पर रखें।

(2) गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या सुझाव दिये ? सुझावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन किया गया ? यदि किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा० डी. आर. गाडगिल की अध्यक्षता में राज्यों के बीच केन्द्रीय सहायता के वितरण सम्बन्धी सिद्धान्तों का निर्धारण करने हेतु वर्ष 1968 में एक समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा जो फार्मूला तैयार किया गया वह गाडगिल फार्मूला के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1968 में प्रतिपादित मूल गाडगिल फार्मूला एवं वर्ष 1980 में संशोधित यह फार्मूला निम्न है :—

घटक	प्रतिशत भारिता	
	मूल फार्मूला	संशोधित फार्मूला
1. जनसंख्या	60	60
2. कराधान प्रयास	10	10
3. प्रति व्यक्ति आय (राष्ट्रीय औसत से कम प्रतिव्यक्ति वाले राज्यों को देय)	10	20
4. सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं	10	—
5. विशेष समस्याएं	10	10
	100	100

(2) बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों में जन सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपेक्षतया प्रति व्यक्ति इकाई लागत अधिक आती है। अतः भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का यह सुझाव रहा है कि गाडगिल फार्मूला में क्षेत्रफल को भी एक घटक माना जाय एवं जनसंख्या की भारिता को कम कर इतनी ही भारिता क्षेत्रफल के लिए निर्धारित की जाय। समय-समय पर दिये गये सुझावों की प्रति संलग्न है।

जैसा कि प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में बताया गया है कि गाडगिल फार्मूला में वर्ष 1980 में संशोधन किया गया था। अब 11 अक्टूबर, 1990 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में संशोधित गाडगिल फार्मूला में पुनः संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है जो निम्न प्रकार है :—

(योजना मंत्री)

घटक	प्रतिशत भारिता
1. जनसंख्या	55 प्रतिशत
2. प्रति व्यक्ति आय	25 प्रतिशत
(5 प्रतिशत दूरी पद्धति के अनुसार जबकि 20 प्रतिशत विद्यमान विचलन पद्धति के अनुसार)	
3. वित्तीय प्रबन्ध	5 प्रतिशत
4. विशिष्ट विकासात्मक समस्याएं	15 प्रतिशत
	100 प्रतिशत

विशिष्ट विकासात्मक समस्याओं के अन्तर्गत लिये जाने वाले घटकों को भी इसमें निर्दिष्ट किया गया है जो निम्न हैं :—

1. मरुस्थल क्षेत्र समस्याएं
2. अपवाद स्वरूप विरल अथवा घनी आबादी वाले क्षेत्र
3. बाढ़ एवं सूखा प्रवण क्षेत्र
4. न्यूनतम, युक्तिसंगत योजना आकार प्राप्ति के लिए विशिष्ट वित्तीय समस्यायें
4. विशिष्ट पर्यावरणीय मामले
6. शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की समस्या
7. तटवर्ती क्षेत्र

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 838

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 839

(स्थगित)

राज्य में लाटरी के टिकिट नम्बरों पर सट्टे

840. **श्री हजारी लाल (खेतड़ी) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :** क्या राज्य लाटरी एवं अल्प बचत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में किस-किस राज्य की लाटरी के टिकट बिक रहे हैं तथा उनमें से दैनिक साप्ताहिक व मासिक कौन-कौन सी है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में दो रुपये की लाटरी के टिकिट के अन्तिम अंकों पर सट्टे का व्यापार जोरों पर चल रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस ऐसे सटोरियों को पकड़ने का अभियान भी चलाती है ? यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने खाईवाल पकड़े गये ? सट्टा लगाने वाले के घर पर जाकर खाईवाल द्वारा धन वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये ?

(4) क्या सरकार इसे अनैतिक व्यवसाय नहीं मानती ? यदि हां, तो इसे कब तक बन्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में अनेक राज्य लाटरियों के लगभग 150-200 तरह के टिकिटें विक्रय हो रहे हैं। इन राज्यों की सभी लाटरियां साप्ताहिक ही हैं। दैनिक लाटरी कोई नहीं बिक रही है। जिनमें से प्रमुख राज्यों के नाम एवं प्रमुख लाटरी स्कीमों के नाम निम्न प्रकार से हैं :—

राज्य का नाम	लाटरियों के नाम
1. अरूणाचल	धनवीकली, लक्ष्मी वीकली, लाभ लक्ष्मी, राजधानी इन्सटेण्ट, चेतन वीकली, मारुति सुपर, मारुति डिलक्स, अरूणाचल वीकली, विद्यासागर आदि।
2. मणिपुर	मणिपुर लक्ष्मी, मां-दुर्गा, मणिपुर सुपर, मां-शेरावाली, मणिपुर वीकली आदि।
3. नागालैंड	शंकर वीकली, नागालैंड वीकली, डायमण्ड वीकली, डबल डायमण्ड वीकली, नागलक्ष्मी, नागमणि, एवरेस्ट आदि।
4. हिमाचल प्रदेश	गोल्डन, सुपर हिमालयन, हिमाचल वीकली।
5. उत्तर प्रदेश	गंगाकावेरी, धन लक्ष्मी, संगम, आकांक्षा, जनता, रोहणी, यू. पी. रैफल आदि।
6. पंजाब	शुभ लक्ष्मी, निर्मल लक्ष्मी, गंगोत्री, जय लक्ष्मी, पूजा लक्ष्मी, अष्टालक्ष्मी, विजय लक्ष्मी आदि।
7. हरियाणा	जय दुर्गे, महालक्ष्मी, महाबली, हरिओम, श्री गणेश।
8. दिल्ली	इन्द्रप्रस्थ, कल्पतरु, न्यू देहली, कामधेनू, राजधानी, कुतुब, विकास सर्वोदय।
9. मिजोरम	चैम्पियन, जय शक्ति, श्री बालाजी, मिजोरम वीकली, मिजोस्पेशल, मिजो सुपर्ब, मिजो लक्ष्मी।
10. आंध्र प्रदेश	राजकुमारी, पवनपुत्र, डीलक्स, दुर्गालक्ष्मी, राजतिलक, रतनलक्ष्मी, ए वन, सिटीजन। (सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थाओं द्वारा संचालित)
11. भूटान	रॉयल वीकली, रॉयल सुपर, भूटान डिलक्स।
12. सिक्किम	कंचनजंघा, तीस्ता, कुबेर, मंगल, सिक्किम, लक्ष्मी, सिक्किम सुपर, सिक्किम वीकली, स्नोलाईन, शिवगंगा, आकाश गंगा, शिवा आदि।

(राज्य लाटरी एवं अल्प बचत मंत्री)

13. गोवा जय श्री लक्ष्मी, नन्दिनी।
14. मेघालय चेरापूंजी, मेघालय, मेघधंन।

(2) जी हां, दो रुपये के लाटरी टिकिट के अन्तिम अंकों पर सट्टे का व्यापार करने के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं।

(3) जी हां, यह सत्य है कि लाटरी के अंकों की खाईवाली करने के सम्बन्ध में समय-समय पर धर पकड़ अभियान चलाये जाते हैं। वर्ष 1990 व 1991 के दौरान लाटरी टिकटों की खाईवाली करने वालों के विरुद्ध कुल 40 अभियोग दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

(4) राज्य लाटरी चलाना अनैतिक व्यवसाय नहीं है।

माणिक्यलाल वर्मा, टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, भीलवाड़ा के प्रधानाचार्य का पद

841. **श्री घासी लाल** (टोडारायसिंह) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रधानाचार्य माणिक्यलाल वर्मा, टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट भीलवाड़ा का पद विज्ञापित किया गया था? यदि हां, तो क्या इसके लिए निर्धारित योग्यताएं आल इण्डिया कौंसिल आफ टेक्निकल एजूकेशन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप थी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताओं में कोई परिवर्तन किया गया तो किस स्तर पर किया गया एवं इसके लिए क्या बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा विज्ञापन जारी करने के पूर्व कोई प्रस्ताव पास किया गया? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं किया गया तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार न कर तदर्थ आधार पर कार्यरत प्रधानाचार्य को बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा स्थायी रूप से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? यदि हां, तो इस कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या तदर्थ आधार पर सीमित सम्पर्क द्वारा नियुक्त किये गये प्रधानाचार्य को स्थायी रूप से नियुक्त करने का प्रस्ताव विधि सम्मत है तथा क्या प्रस्ताव नियमित कार्य-सूची में सम्मिलित था? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) यदि उपरोक्त पूर्ण प्रक्रियाएं विधि सम्मत नहीं हैं तो क्या राज्य सरकार वर्तमान में कार्यरत प्रधानाचार्य को हटाने एवं उच्च स्तरीय जांच प्रस्तावित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। आल इण्डिया कौंसिल आफ टेक्निकल एजूकेशन द्वारा टैक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये हुए हैं।

(2) इस पद के लिए कोई मापदण्ड

(तकनीकी शिक्षा मन्त्री)

निर्धारित नहीं होने के कारण परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) बोर्ड ग्राफ गवर्नर्स द्वारा इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय राज्य सरकार के विचार हेतु ग्रभी तक प्राप्त नहीं हुग्रा है।

(4) संचालक मण्डल के ग्रध्यक्ष की विशेष ग्रनुमति से किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती है, जो कि नियमित कार्य सूची में सम्मिलित नहीं हो।

(5) संचालक मण्डल के ग्रध्यक्ष की ग्रनुमति लेकर किसी भी विषय पर चर्चा करना विधि सम्मत है।

शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण नीति

842. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महाविद्यालय शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण नीति घोषित होने के पहले राज्य सरकार ने स्थानान्तरण पर रोक लगा रखी थी ? यह रोक कब तक लगाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि स्थानान्तरण पर रोक के बावजूद 1 जून, 1990 को महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय में कुछ स्थानान्तरण किये गये ? यदि हां, तो किये गये स्थानान्तरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री के. वी. ग्रग्रवाल का डूंगरपुर महाविद्यालय के प्राचार्य पद से कार्यभार मुक्ति के बिना ही 1 जून, 1990 से संयुक्त निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा का पदभार ग्रहण करने दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि श्री के. वी. ग्रग्रवाल ने राज्य सरकार पर स्थानान्तरण के दिन तक दो मुकदमे कर रखे थे ? क्या दोनों मुकदमे उठा लिये गये ? क्या श्री के. वी. ग्रग्रवाल के द्वारा संयुक्त निदेशक के पद पर रहकर इन मुकदमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के हित के विरुद्ध कार्य करने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने स्थानान्तरण पर जो प्रतिबन्ध लगाया वह दिनांक 15-6-90 तक के लिए था।

(2) एक जून 90 को किये गये स्थानान्तरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। इन दो मुकदमों में से एक मुकदमा चल रहा है। उनके द्वारा संयुक्त निदेशक के पद पर रहकर इन मुकदमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के हित के विरुद्ध कार्य करने की सम्भावना नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 843

(स्थगित)

प्राचीन मन्दिरों की सुरक्षा एवं रख-रखाव

844. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कैथून (कोटा) में स्थित श्री विभीषण मन्दिर के चारों ओर दसवीं शताब्दी के किसी प्राचीन मन्दिर के अवशेष बिखरे पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इनकी सुरक्षा एवं रख रखाव की क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

उत्तर

उक्त श्री विभीषण मन्दिर-पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं है। फिर भी बिखरे हुए अवशेषों का पुरातात्विक मूल्यांकन करा लिया जायेगा।

राज्य में नसबन्दी से मृत्यु

845. श्री बालचन्द (डग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किन-किन जिलों में महिलाओं तथा पुरुषों की नसबन्दी करते समय कब-कब मृत्यु हो गई, उनको राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता कितनी-कितनी दी गई ? नाम, पते, जिला सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केसों में कौन-कौन लेडी डाक्टर दोषी पायी गई ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में नसबन्दी से हुई जिलों में महिला/पुरुषों की मृत्यु की पूर्ण सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त केसों में कोई लेडी डाक्टर दोषी नहीं पायी गई। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य के सब-सेन्टर एडपोस्ट व डिस्पेन्सरीज में स्टाफ की पूर्ति

846. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में ऐसे कितने सब-सेन्टर, एडपोस्ट व डिस्पेन्सरीज हैं जहां स्वीकृति के बाद अब तक पूरे स्टाफ का पदस्थापन नहीं किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार कब तक इनमें सम्पूर्ण स्टाफ का पदस्थापन करने की इच्छा रखती है और अभी तक पदस्थापन नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 1681 उप केन्द्र, 137 एडपोस्ट (उच्चीकृत उप केन्द्र) एवं 23 डिस्पेन्सरीज में स्वीकृति के बाद पूर्ण

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

स्टाफ पदस्थापित नहीं किया जा सका है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्थानों में स्टाफ का पदस्थापन नहीं किया जा सका है। प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

ड्रग कन्ट्रोल कार्य में नियुक्त स्टाफ

847. श्री फूलचन्द (नीमकाथाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चिकित्सा विभाग में ड्रग कन्ट्रोल कार्य की देखभाल के लिये कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पदस्थापित सभी कर्मचारी निर्धारित योग्यता रखते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? मय योग्यता के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अयोग्य कर्मचारियों को हटा कर योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, योग्यता का विवरण इस प्रश्न के उत्तर में अंकित है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

सार्वजनिक चिकित्सालय उदयपुर के चिकित्सकों के कार्यों की जांच

848. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर सार्वजनिक चिकित्सालय में कौन-कौन डाक्टर कितने समय से कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर सार्वजनिक चिकित्सालय के डाक्टरों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? पिछले दो वर्षों में किन-किन डाक्टरों का स्थानान्तरण किया गया था इनमें से किन-किन डाक्टरों का स्थानान्तरण निरस्त किया गया और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सार्वजनिक चिकित्सालय उदयपुर के वरिष्ठ औषध चिकित्सक डा. श्री बी. एस. बम्ब एवं डा. सी. एस. बावेल अपनी ड्यूटी समय के दौरान अपने निवास या क्लीनिक पर मरीजों को देखते हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि न्यूरोलोजिस्ट की सेवाएं उदयपुर चिकित्सालय में उपलब्ध होते हुए भी न्यूरोलोजी मरीज के बारे में न्यूरोलोजिस्ट से परामर्श लिए बिना ही केस

(४६)

(श्री कुबेर सिंह)

को जयपुर अथवा अहमदाबाद रेफर कर देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर उक्त चिकित्सक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि डा. बम्ब एवं डा. बावेल द्वारा अपने निवास अथवा क्लिनिक पर मरीजों को देखा जाता है लेकिन मरीजों से प्राप्त फीस (शुल्क) के लिए राजस्थान सेवा नियम/परिचर्या नियम द्वारा निर्धारित प्रपत्र जारी नहीं किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? वर्ष 1989–90, 1990–91 में इन चिकित्सकों ने मरीजों से कितना शुल्क प्राप्त किया, इसका विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) इस महाविद्यालय एवं सार्वजनिक चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों की सूची अलग-अलग संलग्न है । (परिशिष्ट "क" व "ख")

(2) स्थानान्तरण की नीति के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्णय की प्रतिलिपि संलग्न है । पिछले दो वर्षों में किये गये स्थानान्तरणों की सूची संलग्न है । (परिशिष्ट ग, घ, एवं ङ)

(3) इनके विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया जाता । अतः कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(4) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(5) डा. बी. एस. बम्ब एवं डा. बावेल प्राप्त सूचना के अनुसार उनके निवास स्थान पर मरीजों को देखा जाता है तथा वर्ष 89–90 में निवास स्थान पर देखे गये मरीजों से इन्होंने क्रमशः 2,09, 240/– एवं 29520/–फीस के रुपये प्राप्त किये हैं एवं नियमानुसार उनके द्वारा इनकी रसीद भी दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

बांगड़ जिला चिकित्सालय पाली में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

849. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली बांगड जिला चिकित्सालय में 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सितम्बर 1987 के दौरान वेतन पर लगाये गये हैं ? उनकी नियुक्ति के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय अनुसार चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय राज., जयपुर ने आदेश दिनांक 15-12-1990 को ऐसे सभी कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिये हैं ? उक्त नियमों के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली ने उक्त कर्मचारियों को नियमित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

(श्री हीरा सिंह चौहान)

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों को मार्च, 1990 से वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) सरकार बकाया वेतन का कब तक भुगतान करने का विचार रखती है तथा इन्हें कब तक नियमित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । दिनांक 15–12–90 के पत्र द्वारा दिनांक 1–1–90 को दैनिक वेतन पर कार्य करने वालों के बारे में सूचना चाही है ।

(3) जी हां ।

(4) इनके वेतन का भुगतान 1 माह में कर दिया जायेगा ।

(आदेश की प्रति के लिए परिशिष्ट 11 देखें ।)

जिला नागौर में अग्निपीड़ितों को सहायता

850. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर), **श्री मोहन लाल** (जायल) एवं **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में वर्ष 1989-90 व 1990-91 में कितने अग्निकांड किस-किस ग्राम में हुए ? सूची ग्राम व परिवार के नाम सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन परिवारों का कितना-कितना नुकसान हुआ ?

(3) क्या इन अग्नि पीड़ितों को कोई सहायता दी गई ? यदि हां, तो किस-किस परिवार को कितनी-कितनी धनराशि का कब-कब भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में हुए अग्निकांडों की ग्रामवार सूची प्रभावित परिवार के नाम सहित सदन की मेज पर रख दी गई है । (परिशिष्ट "क")

(2) अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान की सूचना परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है ।

(3) जी हां । अग्निपीड़ितों को दी गई राशि एवं उसके भुगतान की दिनांक का विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है । 134 परिवारों के आवेदन पत्र अभी जांच में विचाराधीन हैं । जांच पूर्ण होने पर शीघ्र सहायता राशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

राजस्थान में अग्निपीड़ितों को सहायता

851. **श्री सालिग राम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सालिग राम)

(1) राजस्थान में वर्ष 1985-86 से अब तक कितना जन जीवन और कितनी राशि की सम्पत्ति का नुकसान अग्निकाण्डों के कारण हुआ ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अग्निकाण्डों से प्रभावित व्यक्तियों को कितना-कितना मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार मुआवजा देने के अपर्याप्त मापदण्ड में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1985-86 से अब तक अग्निकाण्डों के फलस्वरूप 148 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 52 व्यक्ति घायल हुए। अनुमानित 3270.98 लाख रुपये की सम्पत्ति की क्षति हुई है। क्षति का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) अग्निकाण्डों से प्रभावित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाता। प्रभावित व्यक्तियों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से 6.33 लाख रुपये एवं सहायता मद से 193.56 लाख रुपये की सहायता दी गई है। उपलब्ध करवाई गई सहायता का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

(3) अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों को वर्तमान में दी जाने वाली सहायता राशि पर्याप्त है। सहायता राशि के वर्तमान मापदण्ड बढ़ाकर निर्धारित किये हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट 12 देखें)

केन्द्र द्वारा अकाल राहत सहायता

852. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिन मापदण्डों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार राज्य सरकार को अकाल सहायता प्रदान करती है ? वह पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो इन मापदण्डों को परिवर्तित कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में मिलने वाली सहायता का तरीका जो अपनाया गया है, वह सुगम एवं राहतप्रद है। अतः सहायता राशि प्रदान करने के केन्द्र के वर्तमान मापदण्ड से राज्य सरकार सहमत है।

ग्राम चोरबर्डी, तहसील गंगधार के अग्निपीड़ितों को सहायता

853. **श्री बालचन्द (डग)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डग विधान सभा क्षेत्र की तहसील गंगधार के ग्राम चोरबर्डी में मार्च, 1989 में आग लगने से किसानों का करीब 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ ?

(2) क्या सरकार उक्त घटना की

(श्री बाल चन्द आर्य वीर)

जांच करवा कर किसानों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) किन-किन किसानों का कितना-कितना नुकसान हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) तहसील गंगधार के ग्राम चोरबर्डी में मार्च, 1989 में आग नहीं लगी । मार्च, 90 में ग्राम चोरबर्डी में अग्निकाण्ड के फलस्वरूप, अनुमानित 7,60,500/–रुपये का नुकसान हुआ ।

(2) तहसीलदार गंगधार से उक्त अग्निकाण्ड से हुई क्षति का आकलन करवाया गया है । राज्य सरकार के मापदण्ड के अनुसार कलेक्टर, झालावाड़ द्वारा 17 व्यक्तियों को 11,183/–रुपये की सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दि. 21.2.91 को जारी कर दी गयी है ।

(3) किसानों को अग्निकाण्ड से हुई क्षति का विवरण परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है ।

(सूची के लिए परिशिष्ट–13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बाढ़ से लोगों की मृत्यु

854. **श्री हुक्माराम (सिवाना)** : क्या अकाल एवं बाढ़ राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बाढ़ से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को क्या-क्या आर्थिक सहायता दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सिवाना में बाढ़ से कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए ? उनको राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

(3) जिन लोगों को सहायता नहीं मिली उनको कब तक सहायता देने का राज्य सरकार का विचार है ? सूचना सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जुलाई एवं अगस्त, 1990 में 21 लोगों की बाढ़ से मृत्यु हुई । राज्य सरकार द्वारा 18 मृतकों के परिजनों को 1,45,000/–रुपये की नकद सहायता का भुगतान किया जा चुका है । शेष 3 मृतकों के आश्रितों को 25,000/– की सहायता राशि एक सप्ताह में उपलब्ध करा दी जायेगी । मृतकों के परिजनों को दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है ।

(2) सिवाना में बाढ़ से 5288 परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं । इन परिवारों को 23,61,550/–रुपये के भुगतान की स्वीकृति जारी की जा चुकी है । इनमें से 1150 परिवारों को 4,77,950 रुपये की राशि का भुगतान किया जाना शेष है ।

(3) कलक्टर, बाड़मेर द्वारा सहायता

(अकाल व बाढ़ राहत मन्त्री)

राशि देने की कार्यवाही की जा रही है। वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व सहायता राशि बचे हुए लोगों को उपलब्ध करा दी जायेगी। ऐसे परिवारों की सूची परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–14 देखें)

डेजर्ट ट्रायंगल के तहत पर्यटन विकास

855. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान पर्यटन विभाग डेजर्ट ट्रायन्गल प्लान के तहत जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने का विचार रखता है ?

(2) क्या जोधपुर के कई पर्यटन स्थलों का विकास उपेक्षित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन स्थलों का विकास करने के लिए इस वर्ष जो पर्यटन वर्ष मनाया जा रहा है कुछ राशि पर्यटन विकास के लिए उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?, उपरोक्त योजना कितने वर्षों की है तथा उसकी क्या रूपरेखा होगी ?

(3) जोधपुर के निम्नलिखित पर्यटन स्थलों के विकास की क्या रूपरेखा है :– (1) रानीसर व पदमसर (2) बाई जी का तालाब (3) फतह सागर व गुलाब सागर (4) मसूरिया पहाड़ी ?

उत्तर

(1) जी हां। इसके लिये मैसर्स ए. एफ. फर्गूशन एण्ड कन्सल्टेन्ट दिल्ली से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करायी जा रही है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के उपरान्त ही योजना को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। पर्यटन विभाग प्राथमिकता के आधार पर उन स्थानों का विकास करवाता है जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों। विभाग द्वारा वर्ष 90–91 में जोधपुर में गुलाब सागर के विकास पर 5.00 लाख रुपये, औसियां मन्दिरों का पर्यावरण विकास पर 5.81 लाख रुपये, जसवन्त थड़ा के विकास पर 1.06 लाख रुपये की स्वीकृति से कार्य कराये जा रहे हैं। वर्ष 1991–92 की वार्षिक योजना में जोधपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र की स्थापना हेतु 10.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(3) वर्ष 1990–91 में जोधपुर में गुलाब सागर के विकास पर 5.00 लाख रुपये की स्वीकृति से विकास कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैं। शेष स्थलों के लिये कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 856

(स्थगित)

देवस्थान विभाग, उदयपुर में कार्यालय अधीक्षक का पद

857. **श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग, उदयपुर में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यालय सहायक को पदोन्नति दी

(श्री रामसिंह विश्नोई)

गई है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार कार्यालय अधीक्षक पद पर डी. पी. सी. द्वारा नियमित चयन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । देवस्थान विभाग में कार्यालय अधीक्षक का पद रिक्त हो जाने से विभाग के कार्य सम्पादन हेतु प्रशासनिक दृष्टि से अस्थायी तौर पर वरिष्ठतम कार्यालय सहायक को आयुक्त, देवस्थान द्वारा अस्थायी तौर पर पदोन्नति दी गयी । आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) जी हां । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र की जा रही है ।

(आदेश की प्रति के लिए परिशिष्ट-15 देखें)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी को आर्थिक सहायता

858. **श्री अचलाराम (देसूरी)** : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष विभिन्न साहित्य अकादमियों को राजकीय आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो किन-किन को कितनी-कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या भारतीय दलित साहित्य अकादमी (राजस्थान शाखा) को भी आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार दलितोत्थान क्षेत्र में सेवारत "भारतीय दलित साहित्य अकादमी" को सरकारी नीति के अनुरूप सहायता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) यह अकादमी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

(3) शिक्षा विभाग से सम्बधिन्त नहीं है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

निगम की बसों में यात्रा करने के लिए दुर्घटना बीमा योजना

859. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पंचपदरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार का पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वालों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने का विचार है ? यदि हां, तो कब से ? कृपया इसकी रूपरेखा का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17-4-67 के द्वारा राजस्थान राज्य

(यातायात मन्त्री)

सड़क परिवहन निगम मोटर वाहन थर्ड पार्टी जोखिम बीमा कोष की स्थापना की हुई है, इन नियमों में संशोधन 1974 में किया गया है। संशोधित नियमों की प्रति संलग्न हैं।

नवीन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 140 (2) के अनुसार दुर्घटना में मृतक के वारिसों को देय प्रतिकर की राशि 25,000/– रुपये और किसी व्यक्ति की स्थायी अशक्तता के सम्बन्ध में देय प्रतिकर की राशि 12,000/– रुपये निश्चित की गई है।

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला सवाई माधोपुर में निगम बसों का संचालन

860. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में चलने वाली निजी बसों का समय निर्धारित है जिससे वे बीच-बीच में कहीं भी खड़ी हो जाती हैं और बसों की हालत भी जीर्ण शीर्ण है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी निजी बसों को बन्द कर राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसें लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या उक्त सभी सड़कों पर चलने वाली बसों ने राजस्थान मोटर वाहन एक्ट ... फिटनेस प्राप्त कर रखा है? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) जी हां। इन बसों का समय निर्धारित है व निर्धारित समय पर चलती हैं। जहां तक इन बसों के जीर्ण शीर्ण होने का प्रश्न है, विभाग द्वारा जीर्ण शीर्ण बसों को फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।

सवाई माधोपुर जिले के निम्न मार्गों की राष्ट्रीयकरण की योजनाएं प्रकाशित की हुई हैं जो वर्तमान में सक्षम अधिकारी विशिष्ट शासन सचिव, परिवहन) के समक्ष सुनवाई हेतु विचाराधीन हैं :—

1. दौसा–सवाई माधोपुर, दौसा–जटसाना, जटसाना-भाड़ौती, सवाई माधोपुर-भाड़ौती, दौसा–गंगापुर वाया बामनवास, दौसा–गंगापुर, गंगापुर–लालसोट, लालसोट-दौसा।

2. कुड़गांवा–सपोटरा,

वर्तमान में इन दोनों ही योजनाओं पर जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण सुनवाई स्थगित है।

स्थगन आदेश निरस्त होने पर सुनवाई पश्चात् इन योजनाओं का अन्तिम रूप से राजकीय गजट में प्रकाशन किये जाने के बाद निगम द्वारा इन मार्गों पर बस सेवा संचालन किया जाना सम्भव होगा।

(2) जो बसें फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करती उनके चालान बनाये जाते हैं। दिनांक 1–4–90 से 28–2–91 तक की

(यातायात मन्त्री)

अवधि में ऐसे 58 वाहनों के चालान बनाये गये तथा उनसे 10,152/- रुपये की राशि बतौर जुर्माने के वसूल की गयी है।

जिला नागौर में मार्गों को परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु सर्वे

861. **श्री मोहनलाल** (परबतसर), **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) एवं **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में किन-किन मार्गों को परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु सर्वे किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन मार्गों पर निजी बसों को परमिट जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर ? परमिटधारी का नाम, पता सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मार्गों पर बसें चालू हो गयी हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से मार्ग पर कब-कब चालू की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि चालू नहीं की गयी है, तो अब कब तक बसें चालू कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में 1-4-90 से आज तक निम्नलिखित मार्गों पर परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु सर्वे किया गया है :—

1. बागोट से मकराना वाया डोडिया-ढाणियां, माडावाली, जंजीलाव भादवा-बड़ जिवड़ी बिललु मोरेड कोला डूंगरी औद्योगिक क्षेत्र।

2. डेगाना से कुचामन वाया रामलियावास-कितलसर बाजोली-अलतवा गच्छीपुरा इटावा गिलिया मनावा थानोली नाडोली सींडला-बेसररोली मामरोली सबलपुर बोरावड़ कंसिया की ढाणी मकराना जूसरीया-बुडसू बखाला रूपपुरा जसरानी।

3. डेगाना से लापोलाई

4. नागौर से लाडिया वाया चूंदीसरा साईजी का टांका-इण्डिया-दूरिया नई खेड़ीखतास माडेली तीतरी-गोगरा-रोहिणी लाड़ीया।

5. गच्छीपुरा से अजमेर पुराने मार्ग में गांव बाजवास सम्मिलित करने हेतु सर्वे किया गया।

(2) उक्त मार्गों में से निम्नलिखित मार्गों पर निजी बसों को जो परमिट दिये गये हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

क्र.सं.	मार्ग का नाम	अनुज्ञापत्रधारियों का नाम व पता
1.	बागोद मकराना	श्री पुखराज पुत्र श्री लिखमाराम निवासी बड़
2.	,, ,,	श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री कमरुद्दीन दांता सीकर
3.	,, ,,	श्री भगवानाराम पुत्र श्री लिखमाराम
4.	डेगाना कुचामन	श्री छोटूसिंह पुत्र श्री पीरु सिंह

(यातायात मन्त्री)

डेगाना से लोपोलाई मार्ग खोलने का मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार जोधपुर की आगामी बैठक में रखा जा रहा है।

(3) नागौर से लाडिया मार्ग प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार जोधपुर ने दिनांक 21-2-91 को खोला है जिस पर स्थाई अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। गच्छीपुरा अजमेर मार्ग पूर्व में ही वर्ष 1979 में खोला हुआ था। इस मार्ग में केवल एक ग्राम बाजवास दिनांक 3-1-91 को सम्मिलित किया गया है। इस ग्राम में से वाहन संख्या आरएसएस 1785 माडल 1976 चलती है। जिसका अनुज्ञा पत्र श्री अजीतसिंह, पुत्र श्री हरीसिंह निवासी हरनावा जिला नागौर के नाम पर है।

उपरोक्त मार्गों में से निम्नांकित मार्गों पर बसें चालू हो गयी हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

क्र. सं.	मार्ग का नाम	वाहन संख्या	परमिट जारी की दिनांक
1.	बागोट–मकराना	आरजे 14/पी–0171	28–11–90
2.	,, ,,	आरजे 23/पी–0071	27–12–90
3.	,, ,,	आरजे 01/पी–0105	16–1–91
4.	डेगाना–कुचामन	आरजे 23/पी–0014	20–11–90

नागौर से लाडिया मार्ग पर स्थायी अथवा अस्थायी अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन-पत्र प्राप्त होते ही अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा सकेगी। डेगाना-लोपोलाई मार्ग पर भी परमिटस्वीकृत करने हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन-पत्र प्राप्त होते ही परमिट स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

उदयपुर में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली

862. **श्री शान्तिलाल (राजसमन्द) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर जिले में संचालित निजी बसों का किराया निर्धारित है ?

(2) यदि हां, तो विभिन्न मार्गों पर यात्रियों से वसूल किये जाने वाले किराये दर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने वाले बस मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के लिए अलग से कोई किराये की दरें निर्धारित नहीं हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा समस्त राज्य की अधिसूचना जारी कर मंजिली गाड़ियों (स्टेज कैरिज) का प्रति किलो मीटर अधिकतम किराया निर्धारित किया हुआ है जो उदयपुर जिले के लिए भी प्रभावी है।

(यातायात मन्त्री)

(2) जी हाँ। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा दिनांक 9–1–91 को अधिसूचना जारी कर नयी किराये की दरें निर्धारित की हैं। वाहन स्वामियों द्वारा किराया सूचियां अभी अनुमोदित नहीं करायी गयी हैं।

(3) माह अप्रेल, 1990 से दिसम्बर, 1990 तक 17 विभिन्न मार्गों के सम्बन्ध में ऐसी 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच करायी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जनवरी 1991 में की गयी किराये में वृद्धि के बाद ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

उदयपुर जिले में निजी बसों को अनुज्ञा-पत्र

863. **श्री शान्तिलाल** (राजसमन्द) एवं **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में किस-किस रूट पर कितनी निजी बसों को चलाने की आज्ञा सरकार ने दे रखी है ?

(2) क्या इन निजी बसों में टिकिट देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो रूट के अनुसार किराये की दरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश बसें निर्धारित रूट पर और दिये गये निर्धारित समय पर नहीं चलती है ? क्या इस संबंध में शिकायतें विभाग को या जिलाधीश को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गयी, तथा कितनी गाड़ियों के परमिट निरस्त किये गये ?

(4) प्रतिवर्ष फिटनेस सर्टिफिकेट देने में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

(5) क्या यह सही है कि गत वर्ष पुराने मॉडल की गाड़ियों को नये मॉडल की गाड़ी बता कर फिटनेस किया गया है ? क्या विभाग उदयपुर जिले में चलने वाली सभी निजी बसों के माडल का सत्यापन कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हाँ। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा दिनांक 9–1–91 को अधिसूचना जारी कर नयी किराये की दरें निर्धारित की हैं। वाहन स्वामियों द्वारा किराया सूचियां अभी अनुमोदित नहीं करायी गयी हैं।

(3) अधिकांश बसें निर्धारित समय पर चलती हैं। निर्धारित समय पर नहीं चलने वाली बसों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। चालू वर्ष में ऐसे 17 मार्गों की वाहनों के विरुद्ध विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 7 मार्गों के वाहन स्वामियों के विरुद्ध चालान बनाया गया व साथ ही उन्हें निर्धारित समय पर चलाने हेतु पाबन्द किया गया। शेष 10 मार्गों के वाहन स्वामियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये हैं। जिलाधीश उदयपुर को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(यातायात मन्त्री)

(4) फिटनेस सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 व केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 62 व राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 4 (18) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रक्रिया अपनायी जाती है।

(5) जी नहीं।

(सूची के लिए परिशिष्ट 17 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

864. **श्री गुलाबसिंह** (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चालू वित्तीय वर्ष में बाढ़ के कारण सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत की स्वीकृति दी जाकर कार्य प्रारम्भ करवाये गये? यदि हां, तो किन-किन सड़कों की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इनके अतिरिक्त नयी सड़कें बनाये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी? यदि हां, तो क्या कार्य प्रारम्भ करवा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 में विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त जिन सड़कों की मरम्मत की स्वीकृति दी जाकर कार्य कराया गया उनकी सूची निम्नांकित है :—

स्टेट हाई-वे

1. साण्डेराव से तखतगढ़ रु. 2.68 लाख
2. साण्डेराव से देसूरी रु. 2.65 लाख

अन्य जिला सड़कें

1. सुमेरपुर से तखतगढ़ रु. 7.65 लाख
2. सांडेराव तखतगढ़ वाया कोसेलाव रु. 2.73 लाख
3. केनपुरा चाणोद रु. 2·05 लाख
4. सुमेरपुर जवाई बांध रु. 4.30 लाख

(2) जी हां। सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में सांडेराव से खिवांड नयी सड़क की स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ–2 (3) पी. डब्ल्यू./ए. एस./89 दिनांक 21–10–89 के द्वारा 5 कि. मी. के निर्माण के लिए 12.00 लाख रुपये की दी गयी। यह सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है।

जयपुर से कोटा झालावाड़ एवं बून्दी के लिये संचालित डीलक्स बसें

865. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर से कोटा, झालावाड़ एवं बून्दी के लिए दिन भर में कुल कितनी डीलक्स बसें किस-किस समय संचालित की जाती हैं तथा क्या वे यात्रियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त हैं?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) क्या यह सही है कि जयपुर से उक्त मार्गो हेतु चलने वाली बसों की स्थिति दयनीय है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर सही हालत की नई डीलक्स बसें संचालित करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इन मार्गों पर डीलक्स बस सेवा उपलब्ध नहीं है। सेमी डीलक्स बसों का संचालन संलग्न समय-सारिणी अनुसार किया जा रहा है। यात्रियों की संख्या के अनुपात में ये सेवायें पर्याप्त हैं।

(2) इन मार्गों पर संचालित सेमी डीलक्स बसों की स्थिति साधारण है। इन सेमी डीलक्स सेवाओं में अधिकांश में औसतन 75% यात्रीभार उपलब्ध हो रहा है, इस कारण नई डीलक्स बसों का संचालन अनार्थिक होगा।

(समय सारिणी के लिए परिशिष्ट 18 देखें।)

ग्राम बापी (दौसा) की खसरा नम्बर 36 एवं 331 की भूमि के मुआवजे की राशि का भुगतान

866. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र दौसा में बाण गंगा नदी के पुल की अप्रोच रोड़ के लिए ग्राम बापी के पुराना खसरा नं. 36 व नया खसरा नं. 331 की भूमि लक्ष्मीनाथ जी के मन्दिर के नाम है ? यदि हां, तो इसके मुआवजे का मुगतान किसको किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन का मुआवजा मंदिर के पुजारी को नहीं देने के लिए ग्राम वासियों ने आपत्ति प्रकट की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि के मुआवजे की राशि मन्दिर लक्ष्मीनाथ जी के नाम बैंक में जमा कराने या ग्राम के पांच आदमियों को भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। इसके मुआवजे का भुगतान व्यवस्थापक श्री बद्रीनारायण पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण खातेदार को दिया जाना प्रस्तावित है। चूंकि खसरा नं. 331 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में निम्न प्रकार है:—

"मन्दिर श्री ठाकुर लक्ष्मीनारायण जी वाके देह खातेदार व्यवस्थापक बद्रीनारायण पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण खातेदार है" मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। क्योंकि भुगतान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार को ही किया जाना सम्भव है।

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 आने वाली भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान

867. **श्री रामकरण सिंह**(कोटपूतली) :

(श्री रामकरण सिंह)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बहरोड कोटपूतली, जयपुर तक के राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 में आने वाली भूमि का मुआवजा किस-किस गांव का, किन-किन का, कब तक का बकाया है ?

(2) मुख्य मंत्री और मंत्री के आदेश मुआवजा चुकती करने के कब-कब हुए ? उन पर कार्यवाही न करने के क्या कारण रहे ?

(3) अन्य अधिकारी व जन प्रतिनिधियों की इस बारे में कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई ? उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जिन प्रकरणों में अवार्ड घोषित कर दिये गये हैं किन्तु मुआवजे का मुगतान नहीं हुआ है, उनका विवरण सूची-1 में संलग्न है।

(2) मुआवजा चुकती करने हेतु निर्देश सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा माह अप्रेल, 1990 से लेकर माह दिसम्बर, 1990 तक विभाग के अधिकारियों से ली गई त्रैमासिक समीक्षा बैठकों में दिये गये। उक्त क्षेत्र में विवादग्रस्त आधिपत्य के प्रकरणों एवं जो प्रकरण अवाप्ति कार्यवाही के अधीन है, उनको छोड़कर अन्य सभी मामलों में मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।

(3) इस बारे में शिकायतें श्री ओम प्रकाश गुप्ता, मुख्य सचेतक व जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति के माध्यम से प्राप्त हुई। विवादग्रस्त आधिपत्य के एवं अवाप्ति कार्यवाही के अधीन प्रकरणों को छोड़कर अन्य प्रकरणों का निपटान (मुगतान) निरन्तर किया गया एवं किया जा रहा है। यह प्रक्रिया जारी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला श्रीगंगानगर की सम्पर्क सड़कें

868. **श्री रामस्वरूप मेघवाल** (रायसिंहनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्री गंगानगर में रायसिंहनगर से श्री विजयनगर जाने वाली पक्की सड़क सिंगल है या डबल (चौड़ाई) में बनी हुई है ? इस सड़कें से निकलने वाली सम्पर्क सड़क कौन–कौन–सी व कितनी लम्बाई की बनी हुई हैं और प्रत्येक सड़क पर कितना व्यय हुआ था ?

(2) रायसिंह नगर से अनूपगढ़ जाने वाली पक्की सड़क में से कितनी व कौन-कौन–सी ग्रामीण सम्पर्क सड़के निकली हुई हैं और प्रत्येक सड़क की कितनी लम्बाई है व उन पर कितना खर्चा हुआ है ?

(3) रायसिंह नगर से गांव करड़ जाने वाली सड़क की कितनी कि.मी. लम्बाई है ? यह सड़क कब बनाई गई थी और इससे ग्रामीण सम्पर्क सड़क कौन-कौन सी निकली है ? प्रत्येक ग्रामीण सड़क की कितनी लम्बाई है ?

(4) रायसिंह नगर से जैतसर जाने वाली सड़क सिंगल है या डबल (चौड़ाई) और इस सड़क से ग्रामीण सम्पर्क सड़कें

(श्री रामस्वरूप मेघवाल)

कितनी व कौन-कौन-सी व प्रत्येक की कितनी लम्बाई है ?

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में रायसिंहनगर से श्री विजयनगर जाने वाली सड़क सिंगल चौड़ाई में बनी है। इस सड़क में से इस विभाग की 4 सम्पर्क सड़कें निकलती हैं। इनकी लम्बाई तथा व्यय सड़कवार सूची–1 में दर्शायी गई है (सूची 1 संलग्न है)।

(2) रायसिंहनगर से अनूपगढ़ जाने वाली पक्की सड़क में से इस विभाग की 10 ग्रामीण सम्पर्क सड़कें निकलती हैं। इन सड़कों की लम्बाई तथा व्यय सड़कवार सूची–2 में दिया गया है। (सूची–2 संलग्न है।)

(3) रायसिंहनगर से गांव करड़वाली जाने वाली सड़क की कुल लम्बाई 20 कि. मी. है। यह सड़क कि.मी. 0/0 से 7/0 वर्ष 1989–90 में इस विभाग द्वारा बनाई गई। जिसमें से कि. मी. 5/550 से 6/0 का कार्य विभागीय स्तर पर पूर्ण करवाने की कार्यवाही जारी है। इस सड़क में से इस विभाग की कोई सम्पर्क सड़क नहीं निकली हुई है।

(4) रायसिंहनगर से जैतसर जाने जाने वाली सड़क सिंगल चौड़ाई में बनी हुई है। इस सड़क में से इस विभाग की (5) सम्पर्क सड़कें निकलती हैं। इनकी लम्बाई सड़कवार सूची-3 में दर्शायी गई है। (सूची–3 संलग्न है।)

(सूची के लिए परिशिष्ट–9 देखें)

पाली जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में बहुउद्देश्य कार्यकर्ताओं के के रिक्त पद

869. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 1988 से उप स्वास्थ्य केन्द्रों में बहुउद्देश्य कार्यकर्ताओं के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो पाली जिले में बहुउद्देश्य कार्यकर्ताओं के कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में प्रशिक्षण शुदा बहुउद्देश्य कार्यकर्ताओं की संख्या एक हजार से ज्यादा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त रिक्त पदों पर बेरोजगार प्रशिक्षण शुदा बहुउद्देश्य कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, पाली जिले में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के निम्न चार स्थानीय पद रिक्त हैं :

1. उप केन्द्र, काकरडी प्रा. स्वा.के. बेडा

2. उप केन्द्र, मीमाना प्रा.स्वा.के.बेड़ा

3. उप केन्द्र, गुरिया प्रा.स्वा.के. पीपलीयाकलां।

4. उप केन्द्र, चिवाड प्रा.स्वा.केन्द्र, पीपलीयाकलां।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

(2) जी नहीं, प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थियों की संख्या लगभग 460 है। बहुउद्देश्य कार्यकर्ताओं के 471 पद वर्तमान में सृजित किए गये हैं तथा उन्हें भरने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं।

एस. एम. एस. अस्पताल की सी. टी. स्क्रीन मशीन

870. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के एस. एम. एस. अस्पताल की सी. टी. स्क्रीन मशीन काफी समय से खराब पड़ी है ? यदि हां, तो यह मशीन कब लगाई गई थी और उसके कितने दिन बाद खराब हो गई ?

(2) क्या यह सही है कि यह मशीन जानबूझ कर खराब की गई है और जानबूझ कर ही ठीक नहीं करवाई जा रही है ? यह मशीन कब तक ठीक हो जावेगी ?

(3) न्यूरो सर्जरी विभाग में कुल कितने बैड स्वीकृत हैं और इस समय वहां कितने मरीज भर्ती किये हुये हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार इस वार्ड की दयनीय स्थिति में सुधार हेतु बैड बढ़ाने का कोई विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, सी.टी.स्क्रीन मशीन दिनांक 22.7.89 से कार्यरत है। अस्थायी व्यवधान दिनांक 25.12.90 से वातानुकूलन संयन्त्र में खराबी के कारण हुआ था जिसे दिनांक 24-1-91 को पुनः चालू पर स्केनिंग कार्य पुनः चालू कर दिया गया।

(2) सी.टी. स्क्रीन मशीन कार्यशील थी। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) न्यूरो सर्जरी वार्ड में 84 शैयाएं स्वीकृत हैं और सामान्यतः 110 व 130 रोगी भर्ती होते हैं।

(4) चिकित्सालय में भवन प्रसार व्यवस्था होने पर ही अन्य विभागों के साथ साथ वरीयता के आधार पर शैयाओं की वृद्धि पर विचार सम्भव हो सकेगा।

राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर में चर्म एवं हृदय रोग विभाग की स्थापना

871. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में चर्म रोग विभाग एवं हृदय रोग विभाग आदि नहीं हैं ? क्या सरकार यह सुविधाएं जनता को सुलभ करवाना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में चर्मरोग विभाग है जिसमें कनिष्ठ विशेषज्ञ (चर्मरोग) का पद वर्ष 1988 में स्वीकृत किया जा चुका है परन्तु उस पर अभी नियुक्ति की जानी है। वर्तमान में चर्मरोग की चिकित्सा उपलब्ध फिजीशियन द्वारा की जा रही है। चिकित्सालय में अलग से हृदय रोग का विभाग नहीं है

(चिकित्सा मन्त्री)

परन्तु हृदय रोगियों का इलाज फिजीशियन द्वारा किया जाता है एवं रोगियों की सुविधा हेतु वर्ष 1990 में इन्सेंटिव, कार्डिकेयर यूनिट प्रारम्भ कर दी गई है।

राजकीय चिकित्सालय मीनमाल में एक्स-रे मशीन सुविधा

872. **श्री प्रेमसिंह दहिया** (मीनमाल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मीनमाल राजकीय चिकित्सालय में दानदाता द्वारा "एक्स-रे" मशीन उपलब्ध कराई गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त एक्स-रे मशीन में मरीजों के उपयोग हेतु एक्स-रे प्लेट सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि मीनमाल अस्पताल में एक्स-रे मशीन पर लगे रेडियोग्राफर का स्थानान्तरण कालन्द्री कर दिया गया है ?

(4) क्या कालन्द्री में रेडियोग्राफी का कार्य मीनमाल के मुकाबले नगण्य है ? यदि हाँ, तो मीनमाल अस्पताल में उक्त रेडियोग्राफर या किसी अन्य को कब तक पद स्थापित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) मीनमाल में कालन्द्री के मुकाबले रेडियोग्राफी का कार्य अधिक पाये जाने पर कालन्द्री में कार्यरत रेडियोग्राफर का स्थानान्तरण पुनः मीनमाल कर दिया गया है।

ब्यावर में लगे नसबन्दी शिविर

873. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या 1986 से 1988 तक ब्यावर में लगे तीन नसबन्दी शिविरों में फर्जी आपरेशन करने के मामलों की जांच गुप्तचर विभाग (सी.आई.डी.) को सौंपी गई थी ?

(2) फर्जी नसबन्दी के यह केस किन कस्बों के थे ?

(3) परिवार नियोजन के यह शिविर किस संस्था द्वारा आयोजित किये गये थे तथा सी.आई.डी. द्वारा जांच में कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) शिविरों की व्यवस्था श्री चम्पालाल जैन ट्रस्ट के सहयोग से की गई थी। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निर्वाचन क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्वास्थ्य केन्द्र

874. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर)

मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कुल कितने उच्चतम स्वास्थ्य केन्द्र या उप केन्द्र हैं ?

(2) इनमें वर्तमान में कितनी ए.एन. एम. कार्यरत हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कई ए.एन.एम. को ग्रामीण क्षेत्र से वेतन मिलता है तथा शहरी क्षेत्र में उनकी प्रतिनियुक्ति है ?

(4) क्या यह प्रतिनियुक्तियां सरकारी आदेशानुसार शहर में की गई हैं ? यदि हां तो क्या सरकार इन प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करके इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति करने के आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र जमवारागढ़ में एक उच्चीकृत उपकेन्द्र एवं 42 उप केन्द्र स्वीकृत हैं।

(2) उक्त उपकेन्द्रों पर 35 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) कार्यरत हैं।

(3) जी नहीं। प्रतिनियुक्तियां समाप्त कर दी गई हैं।

(4) जी नहीं। प्रतिनियुक्तियां समाप्त कर दी गई हैं।

राज्य में स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पद

875. **श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में स्वास्थ्य निरीक्षकों के कितने पद सृजित हैं ? उनमें से कितनों पर स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यरत हैं ?

(2) क्या स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पदों पर सरकार नियुक्तियां देने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) इस समय राजस्थान में स्वास्थ्य निरीक्षक के प्रशिक्षण प्राप्त कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में स्वास्थ्य निरीक्षक के 1343 पद स्वीकृत हैं तथा 643 स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यरत हैं।

(2) विभाग द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों की उपादेयता देखने के लिए एक समिति का गठन किया हुआ है तथा समिति की प्राप्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जायेगी।

(3) निदेशालय रोजगार कार्यालय की जीवित पंजिका के आधार पर दिनांक 31-12-90 को 1508 स्वास्थ्य निरीक्षक पंजीकृत थे।

टोंक जिले के ग्रामों में ए.एन.एम. डिस्पेन्सरियां

876. **श्री रामनारायण बैरवा (निवाई) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामनारायण बैरवा)

(1) टौंक जिले में कितने ग्रामों में कम्पाउण्डर तथा ए. एन. एम. डिस्पेन्सरी स्वीकृत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि एक हजार तक की आबादी के ग्रामों के लिये अभी तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है ?

(3) ग्रामों में यह चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार का क्या विचार है ? क्या इस वर्ष में एक हजार तक की आबादी वाले ग्रामों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) टौंक जिले के 218 गांवों में 190 उपकेन्द्र तथा 28 उच्चीकृत उपकेन्द्र स्वीकृत हैं ।

(2) जी हां ।

(3) सामान्य क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या एवं जनजाति तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या पर एक उप केन्द्र खोलने का मापदण्ड निश्चित है । शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोटा के महाराव भीमसिंह अस्पताल के शिशु वार्ड में शिशुओं की असामान्य मृत्यु

877. **श्रीमती रमा पायलेट** (हिण्डोली) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा के महाराव भीमसिंह अस्पताल के शिशु वार्ड में विगत 5 वर्षों में कितने बच्चों की मौतें हुई ?

(2) क्या सरकार ने असामान्य संख्या में हुई मौतों के सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो मौत के क्या कारण सामने आये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	मौतें (शिशु)
1986	177
1987	216
1988	263
1989	278
1990	305

(2) जी नहीं, शिशु वार्ड में भर्ती किये गये बच्चों के अनुपात में मृत बच्चों की संख्या असामान्य नहीं है । अतः जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

रेफरल अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधाएं

878. **श्री किशन गोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नार्म्स के अनुसार रेफरल हास्पिटल में क्या-क्या सुविधाएं दी जानी चाहिये ?

(2) क्या मसूदा रेफरल हास्पिटल में नार्म्स के अनुसार पूर्ण सुविधाएं राज्य

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

सरकार ने उपलब्ध करा दी हैं ? यदि नहीं, तो कब तक करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) नार्म्स के अनुसार रैफरल अस्पताल में विशेषज्ञों की सेवाएं, एक्सरे, लेबोरेटरी, एम्बुलेंस एवं 30 रोगी शैयाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(2) जी. नहीं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार चरणों में इन कमियों को दूर किया जा रहा है।

राज्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्तियां

879. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर एम.बी.बी.एस. डाक्टरों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से जिले में किसको लगाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उन जिलों में वरिष्ठ विशेषज्ञ मौजूद होने तथा उन्हें कई वर्षों से कार्यरत होने से अच्छा अनुभव व बेहतर शिक्षा प्राप्त होने पर भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन जिलों में विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत थे वहां नई नीति के अनुसार उस स्थान पर स्थित अस्पताल, चिकित्सालय का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें।)

नागौर जिले के ग्राम कुमाही में खोला गया चिकित्सालय

880. **श्री हबीबुर रहमान (मूण्डवा) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव कुमारी जि. नागौर में गत वर्ष मार्च महीने में एक चिकित्सालय खोला गया था ?

(2) क्या चिकित्सालय में डाक्टर व दूसरे स्टाफ की नियुक्ति भी की गयी थी ?

(3) क्या सात महीने बाद उस चिकित्सालय को बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। वित्तीय स्वीकृति के अभाव में चिकित्सालय बन्द कर दिया गया।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय उदयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार

881. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय उदयपुर का कार्य क्षेत्र अधिक होने से भ्रष्टाचार व्याप्त है ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार की शिकायतों पर अधिकारियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की एवं की जा रही है ?

(2) उक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी कितने समय से कार्यरत हैं ?

(3) क्या कार्य क्षेत्र कम करने हेतु सलुम्बर उपखण्ड पर अतिरिक्त जिला परिवहन कार्यालय स्थापित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं । कार्यक्षेत्र समुचित है । कार्यक्षेत्र के अनुरूप अधिकारी नियुक्त हैं ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

पंचायत समिति आमेर में माडा योजना के अन्तर्गत कार्य

882. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति आमेर में माडा योजनान्तर्गत एनीकट निर्माण के कुल कितने काम कराये गये किन-किन ग्राम पंचायतों में कहां-कहां एनीकट बने सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या ग्राम पंचायत खोरामीणा में भी एनीकट का निर्माण कार्य कराया गया है । यदि हां, तो इस निर्माण में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ? इसमें सामग्री और पारिश्रमिक की धनराशि कितनी-कितनी व्यय की गई ?

(3) खोरामीणा एनीकट पर कुल कितने श्रमिकों ने कितने दिन काम किया ? सूची मय नाम, पिता का नाम व निवास का पता सहित सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या इन निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायत से बाहर के व्यक्ति को भी काम पर लगाया जाता है ?

(5) खोरामीणा एनीकट निर्माण कार्य पर जिन मजदूरों ने कार्य किया उनको मजदूरी का भुगतान किसके द्वारा किया गया भुगतान की प्रक्रिया को प्रमाणित किसने किया ? भुगतान की धनराशि कितनी थी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पंचायत समिति आमेर में माडा योजनान्तर्गत एनीकट निर्माण के कुल 8

(66)

(राज्य मन्त्री जनजाति क्षेत्रीय विकास)

काम कराये गये थे। कार्यों की सूची ग्राम पंचायतवार सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, ग्राम पंचायत खोरामीणा में 2 एनीकटों के निर्माण कार्यों पर 1.74 लाख रुपये एवं 0.89 लाख रुपये क्रमशः धनराशि व्यय की गई। प्रथम एनीकट का कार्य दो चरणों में किया गया प्रथम चरण में ठेके पर कार्य किया गया जिसमें कुल 0.68 लाख रुपये का व्यय हुआ। द्वितीय चरण में 1.06 लाख रुपये व्यय हुआ। जो ग्राम पंचायत खोरामीणा द्वारा कराया गया जिसमें से 0.44 लाख रुपये सामग्री एवं 0.62 लाख रुपये पारिश्रमिक के तौर पर व्यय किया गया।

द्वितीय एनीकट के निर्माण पर 0.66 लाख रुपये सामग्री मद में एव 0.23 लाख रुपये श्रम मद में व्यय हुए।

(3) खोरामीणा प्रथम एनीकट पर ठेके के कार्य के बाद द्वितीय चरण में कुल 85 श्रमिकों ने कार्य किया। श्रमिकों की सूची मय नाम, पिता का नाम एवं निवास के पते सहित परिशिष्ट सं. 2 पर संलग्न है। खोरामीणा द्वितीय एनीकट पर कुल 48 श्रमिकों ने कार्य किया। सूची मय श्रमिक नाम, पिता का नाम एवं निवास के पते सहित परिशिष्ट सं. 3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। प्रथम एनीकट के द्वितीय चरण में पंचायत क्षेत्र के बाहर के 14 श्रमिकों ने कार्य किया। सूची श्रमिक का नाम, पिता का नाम एवं पता सहित परिशिष्ट सं. 4 पर संलग्न है द्वितीय एनीकट पर पंचायत क्षेत्र के बाहर से एक श्रमिक ने कार्य किया। सूची मय नाम, पिता का नाम एवं निवास के पते सहित परिशिष्ट सं. 5 पर संलग्न है।

(5) (i) प्रथम एनीकट के प्रथम चरण में ठेके पर कार्य करवाया गया। जिससे श्रमिकों को भुगतान ठेके द्वारा ही किया गया। प्रथम एनीकट के द्वितीय चरण में निर्माण कार्य पर जिन मजदूरों ने कार्य किया उनको मजदूरी का भुगतान ग्राम पंचायत खोरामीणा के सरपंच द्वारा प्रमाणित करने पर उन्हीं के द्वारा किया गया। श्रमिकों के भुगतान की धनराशि 0.62 लाख रुपये थी। पूर्ण विवरण परिशिष्ट सं. 6 में दिया गया है।

(ii) द्वितीय एनीकट पर जिन मजदूरों ने कार्य किया उन्हें मजदूरी का भुगतान पं. सं. आमेर के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत, खोरामीणा की मौजूदगी में किया गया। श्रमिकों को भुगतान की धनराशि 0.23 लाख रुपये की गई। पूर्ण विवरण परिशिष्ट सं. 7 पर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

जनजाति क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खर्च की जाने वाली राशि

883. श्री कुबेर सिंह (लसाड़िया) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जनजाति क्षेत्र में विकास कार्यों पर विशेष धनराशि खर्च की जाती

(श्री कुबेर सिंह)

है ? यदि हां, तो राज्य बजट की कितनी प्रतिशत ?

(2) क्या यह धनराशि जनजाति की जनसंख्या के आधार पर खर्च की जाती है ? यदि हां, तो उदयपुर जनजाति सम्भाग में पिछले पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि किन-किन पंचायत समितियों में विभिन्न कार्यों पर किन-किन विभागों द्वारा खर्च की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बड़ी परियोजनाओं पर भी यह राशि खर्च की जाती है ? यदि हां, तो आज तक माही, बजाज सागर, जाखम परियोजना, सोम कागदर बांध, सोमकमला अम्बा परियोजनाओं पर जनजाति उप-योजना का कितना-कितना धन व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, विभिन्न विभागों के खर्चों का प्रतिशत 8 से 10% है।

(2) जी नहीं, पंचायत समितिवार योजनाओं का विभाजन विभागों द्वारा नहीं किया जाता है इसलिए पंचायत समितिवार सूचना देना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां, बड़ी परियोजनाओं पर जनवरी, 1991 तक किये गये व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट-1 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए-कृपया परिशिष्ट–21 देखें।)

राज्य में पारिवारिक न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमे

884. **श्री शम्भूदयाल बडगूजर** (केकड़ी) एवं **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के बाद से अब तक कुल कितने वाद दायर हुए, कितने वादों के फैसले हुए तथा कितने वाद विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पारिवारिक न्यायालयों का कार्य ठप्प हो गया है ? वादी/प्रतिवादी को केवल तारीख पेशी दी जाती है, जिससे उन पर आर्थिक भार बढ़ रहा है ? क्या सरकार इन न्यायालयों को कानूनी जामा पहनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के बाद दायर निर्णीत एवं विचाराधीन वादों की संख्या निम्न प्रकार है—

पारिवारिक न्यायालय	दायर	निर्णीत	विचाराधीन	विविध
1	2	3	4	5
जयपुर	6324	4732	1502	1-1-86 से दिस. 90 तक
जोधपुर	1812	1173	639	21 $\frac{7}{88}$से 15 $\frac{11}{90}$से

(राज्य मन्त्री, विधि एवं न्याय)

1	2	3	4	5
अजमेर	2689	1921	768	18-7-88 से 19-3-91 तक

(2) जी हां, । अब उच्च न्यायालयों की पूर्ण पीठ ने एक आदेश द्वारा इन पारिवारिक न्यायालयों का गठन सही मान लिया है तथा न्यायालयों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । इन न्यायालयों को कानूनी जामा पहनाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ।

गत 5 वर्षों में आबकारी निरीक्षकों का पदस्थापन

885. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आबकारी विभाग में गत पांच वर्षों में कौन-कौन से आबकारी निरीक्षक कहां-कहां पदस्थापित रहे एवं कितने-कितने समय तक ? तथा कौन किस गृह जिले का है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विभाग में गत पांच वर्षों में कौन-कौन जिला आबकारी अधिकारी कब-कब, कहां-कहां कितने समय पदस्थापित रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विभाग में गत पांच वर्षों में सहायक जिला आबकारी अधिकारी कब-कब कहां-कहां कितने-कितने समय पदस्थापित रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) वर्तमान में कौन-कौन निरीक्षक, सहायक निरीक्षक तथा जिला आबकारी अधिकारी कहां-कहां पदस्थापित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) आबकारी विभाग में गत पांच वर्षों में आबकारी निरीक्षक जहां-जहां पदस्थापित रहे, कब तक रहे तथा उनके गृह जिले का विवरण संलग्न सारिणी में प्रेषित है ।

(2) आबकारी विभाग में गत पांच वर्षों में जिला आबकारी अधिकारियों के पदस्थापन सम्बन्धित सूचनाओं का विवरण संलग्न सारिणी में प्रेषित है ।

(3) आबकारी विभाग में गत पांच वर्षों में सहायक आबकारी अधिकारी जहां-जहां पदस्थापित रहे उनके विवरण संलग्न सारिणी में प्रेषित हैं ।

(4) आबकारी विभाग में वर्तमान में कार्यरत निरीक्षक, सहायक आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी के पदस्थापन का विवरण संलग्न सारिणी में प्रेषित है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

जनजाति सरकारी विकास संघ में अनियमितताएं

886. श्री हेमराज (किशनगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हेमराज)

(1) क्या जनजाति सहकारी विकास संघ में घोटाले व अनियमितताओं के मामले गत पांच वर्षों में पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो कितने व किस-किस कर्मचारी के विरूद्ध ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या विभाग ने इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या एवं कौन-कौन दोषी पाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । विगत पांच वर्ष में 13 कर्मचारी घोटाले व अनियमितताओं के आरोप में पकड़े गये हैं । जिनकी सूची (परिशिष्ट–1) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । दोषी पाये गये कर्मचारी एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की सूची (परिशिष्ट–1) सदन की मेज पर रख दी गयी हैं ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

जयपुर स्थित राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मोस्यूटिकल लि. कम्पनी

887. **श्री फूलचन्द** (नीमकाथाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर. डी. पी. एल. जयपुर (राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि.) डेक्स्ट्रोन 5% एवं जे. एन. एस. इन्जेक्शन का निर्माण करती है ? यदि नहीं, तो किन-किन निर्माताओं से किस-किस रेट पर खरीद करती हैं ? पिछले एक वर्ष के खरीद बिलों की प्रति सहित ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त संस्थान रीहाइड्रल पाउडर का निर्माण करती है ? यदि नहीं, तो कहां से बनवाकर या खरीद कर मार्केटिंग (विपणन) करती है ? ब्यौरा व पिछले एक वर्ष में हुई खरीद के बिल की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त संस्थान पिछले पांच वर्षों से लगातार घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्ष की बैलेन्स शीट सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त संस्थान द्वारा पिछले एक वर्ष में खरीदे गये रा मटीरियल का विवरण खरीद बिलों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, आर. डी. पी. एल. जयपुर इन्जेक्शन डक्स्ट्रोन 5% व जी. एन. एस. भारत सरकार की स्वीकृति के आधार पर नियमानुसार लोन लाईसेन्स पर निर्माण करती है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(2) जी हां । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(3) जी नहीं । वर्ष 86–87 से आर. डी. पी. एल. निरन्तर लाभ कमा रही है । केवल वर्ष 1985–86 में मात्र रु. 8,000/–का घाटा हुआ था ।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

(4) आर. डी. पी एल. द्वारा पिछले वर्ष 1989–90 में खरीदे गए कच्चे माल (रा मैटीरियल) का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उदयपुर के सज्जन निवास उद्यान में वृक्षारोपण

888. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर सज्जन निवास उद्यान में वर्ष 1985 में कितने वृक्ष थे एवं वर्ष 1985 से अब तक कितने वृक्षों की बढ़ोतरी हुई? वर्ष 1987–88, 1988–89 एवं 1989–90 में बढ़े हुए नामजद वृक्षों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सज्जन निवास उद्यान में फलदार कुल कितने वृक्ष हैं? उनसे वर्ष 1988–89 एवं 89--90 में कितनी आय हुई?

(3) क्या इन फलों का ठेका दिया जाता है? यदि हाँ, तो पिछले 3 साल तक का ठेका किन-किन को दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस बाग में विभिन्न धर्मों के लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं? यदि हां, तो उनकी विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इन धार्मिक स्थानों के नाम पर नाजायज कब्जों के खिलाफ पुलिस विभाग, जिलाधीश आदि को नागरिकों ने समय-समय पर ज्ञापन दिये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) (i) सज्जन निवास उद्यान उदयपुर में वर्ष 1985 में कुल वृक्षों की संख्या 3663 थी (ii) वर्ष 1985 से अब तक बढ़े हुए वृक्षों की संख्या 960 है। (iii) वर्ष 87-88, 88-98 एवं 89-90 में बढ़े हुए नामजद वृक्षों की संख्या सूची "अ" पर संलग्न है।

(2) सज्जन निवास उद्यान में कुल फलदार वृक्ष 2500 हैं। वर्ष 88-89 एवं 89-90 में हुई आय का विवरण सूची "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। सज्जन निवास उद्यान में पिछले 3 साल में दिये गये ठेकों के ठेकेदारों के नामों की सूची "स" पर संलग्न है।

(4) जी हां। सज्जन निवास उद्यान में रायण (खिरणी) से पेड़ के नीचे पिछले 8-10 साल से एक मुस्लिम समुदाय का फकीर अनधिकृत रूप से निवास कर रहा है।

(5) सज्जन निवास उद्यान से उक्त फकीर के नाजायज कब्जे को हटाने हेतु जिलाधीश, उदयपुर, पुलिस अधिकारी एवं थानाधिकारी को समय-समय पर निवेदन किया जा चुका है तथा व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया जा चुका है किन्तु अभी तक इस

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

नाजायज कब्जे को हटाया जाना संभव नहीं हो सका है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 22 देखें।)

नागौर जिले की लाडनूं तहसील के ग्राम रोडू में सड़क

889. **श्री मनोहर सिंह (लाडनूं)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नागौर जिले की तहसील लाडनूं का ग्राम रोडू जिसकी आबादी 1981 में 3150 थी, को आज तक पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो अब इस ग्राम को पक्की सड़क से कब तक जोड़ दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि नागौर जिले की तहसील लाडनूं का ग्राम रोडू जिसकी आबादी 1981 में 3120 थी, को आज तक पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है। इस ग्राम की सम्पर्क सड़क की लम्बाई 19 कि. मी. है जिसमें से 3 कि. मी. डामर सड़क तथा शेष 16 कि. मी. ग्रेवल सड़क है। इस ग्राम को पक्की सड़क से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

बालेसर रोड प्रोजेक्ट की स्वीकृति

890. **श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास (जोधपुर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में बालेसर रोड प्रोजेक्ट की स्वीकृति कब हुई थी? यह सड़क कितनी बन चुकी है? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस प्रोजेक्ट रोड में क्रेसर डस्ट का भुगतान बी. एस. आर. की दर से तीन गुना से भी ज्यादा किया गया है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? उनके नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि डामर ट्रान्सपोर्टेशन में चुंगी का भुगतान पार्टी (ठेकेदार) द्वारा ही किया जाता है? डामर की चुंगी जमा कराने वाले व्यक्ति का नाम मय चुंगी की रसीद नम्बर व दिनांक सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर पोकरण सड़क, जिस पर बालेसर स्थित है, को चौड़ा करने व सुधार कार्यों की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से वर्ष 1985 से लेकर 1989 के मध्य टुकड़ों में प्राप्त हुई है। जिसका विवरण एवं कार्य की स्वीकृति संलग्न सूची "1" में दर्शायी गई है।

(2) जी नहीं। इस सड़क पर क्रेशर डस्ट के लिए जो भुगतान किया गया है वह स्वीकृत तकमीने, बी. एस. आर. तथा अनुबन्ध में दर्शायी दर से ही किया गया है।

(3) जी हां। डामर की चुंगी ट्रक

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

ड्राइवर द्वारा ही चुंगी चौकी पर दी जाती है जिसका पुनर्भरण विभाग द्वारा मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किया जाता है। चुंगी ड्राइवर द्वारा ही जमा कराई जाती है और चालकों का नाम का विवरण रखने की कोई प्रथा विभाग में नहीं है। चुंगी भुगतान के विवरण की सूची "2" संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कोटा जिले की नदियों पर रपटें

891. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले को अन्य जिलों से तथा मध्यप्रदेश को जोड़ने हेतु पीपल्दा तहसील में गैंता, झरेर का बालाजी तथा फूसोद के पास क्रमशः चम्बल तथा पार्वती नदी पर रपटें (छोटी पुलियाएं) बनाने की मांग वहां की जनता समय-समय पर करती रही है ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थान के महत्व को देखते हुए जनहित में उक्त स्थानों पर शीघ्र रपटनुमा पुलियाएं बनाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बूंदी एवं सवाईमाधोपुर जिलों को जोड़ने के लिये चम्बल नदी पर पुल मय सम्पर्क सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत गैंता पर 900 लाख रुपये तथा झरेर के बालाजी के पास 850 लाख रुपये होगी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिये पार्वती नदी पर फुसोद के पास 700 लाख रुपये होगी। उक्त स्थानों पर पुलों का निर्माण योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं तथा राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सम्भव हो सकेगा।

राजकीय चिकित्सालयों का समय परिवर्तन

892. श्री रामनारायण बैरवा (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालयों में आउटडोर का समय दिन में दो बार का रखा जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सा अधिकारी अस्पताल के एक समय ही आउटडोर चलाने की मांग बार-बार करते आये हैं ?

(3) क्या सरकार पैट्रोल, डीजल की कमी को देखते हुए अस्पतालों का समय दिन में केवल एक बार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह मामला राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति के विचाराधीन है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में कोई नीतिगत निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 893

(स्थगित)

राजकीय महाविद्यालयों में कम्प्यटर कोर्स

894. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आगामी वर्ष से सरकार महाविद्यालयों में कम्प्यूटर कोर्स प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन महाविद्यालयों में प्रारम्भ किया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर में भी कम्प्यूटर कोर्स प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अगले सत्र 1991–92 में 10 नये विषय खोलने का प्रावधान है। इनमें व्यावसायिक विषय भी हो सकते हैं, इसका निर्णय मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए अगले सत्र में किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित विषय के बारे में मांग प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

जयपुर में चल रहे आटो रिक्शाओं की रेट्स

895. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) एवं **श्री फूलचन्द** (कोटपूतली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जयपुर में चल रहे आटोरिक्शा की रेट्स संशोधित किये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक संशोधित रेट्स लागू कर दी जावेंगी ?

उत्तर

जी हाँ। शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

विधान सभा क्षेत्र अटरू के विभिन्न ग्रामों में निगम बसों का संचालन

896. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अटरू विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुन्जेड, तहसील अटरू, कोटड़ी, तुलसा तहसील बारां तक रोडवेज की बस जाती थी ? यदि हां, तो अब क्यों बन्द कर दी गयी ? क्या सरकार पुनः रोडवेज बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हाँ।

कोटा से कुन्जेड वाया बपावर मार्ग का बपावर से कुन्जेड तक का भाग पूर्णतया कच्चा होने के कारण वाहनों में टूट–फूट

(यातायात मन्त्री)

होने, मेन पत्तों के टूटने एवं टायरों के क्षति-ग्रस्त होने के कारण इस सेवा का संचालन बन्द कर दिया गया। वर्षा ऋतु में मार्ग बिल्कुल बन्द हो जाता है। बारां से बपावर वाया कोटडी तुलसार मार्ग पर कोटडी से तुलसार के बीच असामाजिक तत्वों द्वारा अनधिकृत रूप से बिना टिकट चलने, चालक/परिचालकों के साथ मारपीट करने तथा कम आय के कारण इस वाहन सेवा का संचालन बन्द करना पड़ा। मार्ग का बपावर-कुन्जेड भाग अराष्ट्रीयकृत है।

जी, नहीं।

उपरोक्त कारणों से।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री घासीलाल चौपड़ा व चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से रत्नगिरी हाथकरघा वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड के अवैधानिक गठन एवं संचालकों द्वारा गलत तरीके से कार्यकारिणी गठित कर करोड़ों रुपए का दुरुपयोग एवं गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) सर्व श्री प्रेमसिंह दहिया व अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में पुलिस सिपाहियों के चयन मण्डल में डी. आई. डी. जी. रैंक के अधिकारी को चेयरमैन बनाने से देहाती क्षेत्र के ग्रामीण व गरीब अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(3) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली तहसील के ग्राम पावटा कस्बे की जनसंख्या के आधार पर नियमानुसार नगरपालिका क्षेत्र घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(4) श्री रामस्वरूप मीणा व तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विभिन्न ग्रामों में किसानों के पैसे जमा होने के बावजूद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने एवं घटिया किस्म के ट्रांसफार्मर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(5) श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से दुर्गापुरा के प्राथमिक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान के श्री आई. पी. अरोड़ा द्वारा फर्जी मान्यता बतलाकर छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल, जो अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी बनने जा रही है, में किसानों व व्यापारियों हेतु बैंक स्थापित

(श्री अध्यक्ष)

कर फसल के एवज ऋण उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में,

(2) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा कताई–बुनाई की न्यूनतम मजदूरी नियमों की अवहेलना कर कतिन बुनकरों का शोषण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(3) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना पंचायत समिति के कार्य क्षेत्र में 91 ग्राम पंचायत व ग्राम सभाएं होने से उक्त क्षेत्र में पाटन को दूसरी पंचायत समिति नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(4) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले की तारानगर नगरपालिका में वर्ष 1960-61 की आडिट रिपोर्ट के अनुसार हुए गबन के मामलों में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री मदन मोहन शर्मा के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(5) श्री टीकमचन्द कान्त, सदस्य, विधान सभा की ओर से उप पंजीयक कार्यालय, अजमेर में दिनांक 30–12–1989 को श्री जगदीशचन्द्र अग्रवाल एवं रमेश चन्द द्वारा कृषि भूमि के बेचाव, दस्तावेज में कम मूल्य दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी कर साढ़े तीन लाख रुपए की सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में,

(6) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर विश्वविद्यालय में पूर्णकालीन कुलपति की नियुक्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(7) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अन्य क्षेत्रों के पशु चराई हेतु आने से स्थानीय किसानों के पशुओं हेतु चारे-पानी का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(8) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी सतीशचन्द, जाति खटीक, रसीदपुर थाना मण्डावर, तहसील महुआ, जिला सवाईमाधोपुर के साथ दहेज उत्पीड़न, अत्याचार एवं त्रासदी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(9) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषद् जालौर की जिला स्थापना समिति द्वारा दिनांक 5–3–1991 को साक्षात्कार के आधार पर 70 प्रत्याशियों का तृतीय ग्रेड अध्यापकों में दिनांक 5-3-1991 के आदेश द्वारा नियुक्ति दिये जाने के उपरान्त 13-3-1991 को कार्यमुक्त किये जाने से अध्यापकों में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में,

(10) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुरवाटी तहसील में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

(11) श्री बांसीलाल चोपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह क्षेत्र में सिंचाई विभाग के पुराने बांधों व नहरों की मरम्मत नहीं होने से सिंचाई हेतु पर्याप्त

(श्री अध्यक्ष)

जल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(12) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र जमवारामगढ़ के भूमिहीन काबिज अनुसूचित जाति के परिवारों की भूमि के नियमन के सम्बन्ध में,

(13) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से रावी-व्यास नदियों के पानी के बंटवारे में राजस्थान के हितों की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में,

(14) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार और धर्म गुरु सैयदना के मध्य दिनांक 10-8-1970 को हुए असंवैधानिक समझौते को तुरन्त निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में,

(15) श्री बुलाकीदास कल्ला की ओर से बीकानेर नगरपरिषद में चुंगी की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री प्रेमसिंह दहिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गुलाम मुस्तफा खान (नागौर): अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइण्ट आफ आर्डर। पहले मुझे सुन लिया जाय। चार दिन पहले दिया था। कल के राष्ट्रदूत में छपा है कि बम बनाते हुए एक आदमी को पकड़ा है। जोधपुर में 17 आदमियों को दस दिन तक पुलिस वालों ने बुरी तरह मारा, जबकि कोई बम बरामद नहीं हुआ वहां। पटाखों को बम बताया जा रहा है। यहां पर एक किलोमीटर के एरिया का अखबारों में दिया हुआ है। उसको गिरफ्तार किया है चार दिन से, एफ. आई. आर. तक दर्ज नहीं की गयी। किसी विशेष दल का आदमी है इसलिए उसको छोड़ा जा रहा है, 151 में छोड़ा जा रहा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि जोधपुर में भी घटना हुई है, 10 दिन तक वहां उनको बुरी तरह से मारा, जानवरों की तरह 50 आदमियों को इसलिए मारा कि वे मुस्लिम समुदाय के थे। इस तरह अन्याय हो रहा है। उसके लिए राज्य सरसरकार को चाहिए कि बयान दे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आगे-आगे देखिये होता है क्या।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में कम से कम 50 बम पकड़े गये हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या कह रहे हैं? यह बहस हो रही है क्या?

डा. हरिसिंह (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, नियम 119 के तहत एक सेंसर मोशन हमने मूव किया है। 3-4 दिन से निरन्तर हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इसको आप सदन में लगवायें। अब हम आप से इसका अन्तिम निर्णय चाहते हैं, या तो आप इसको सदन में लगवायें या इसको रिजेक्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बिराजिये।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, कुचामन सिटी में विकास के कार्य नहीं होने पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

डॉ. चन्द्रभान : अध्यक्ष जी, 119 में हमने भी प्रस्तावदिया हुआ है, इनका भी है । इसको रिजेक्ट करें, या आप जो भी करें सेंसर मोशन का....

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वर्षा जैन हत्याकाण्ड को कई रोज हो गये हैं । उस पर डिस्कशन करवाओ, साहब, वरना दहेज को प्रोत्साहन और मिलेगा । उसको मेरे ख्याल से 5–6 रोज हो गये । सरकार जवाब दे दे । सोमवार को जवाब दिला दो ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । श्री प्रेमसिंह दहिया ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, नियम 119 के अन्तर्गत जो सेंसर मोशन का....

श्री अध्यक्ष : आपका है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं है तो क्या हुआ, हाउस की प्रापर्टी है ।

श्री अध्यक्ष : बिराज जाइये आप । जिनका था वे बोल चुके ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था चाहते हैं हम ।

श्री अध्यक्ष : दे देंगे । व्यवस्था दे दूंगा मैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दूसरा मेरा यह है कि 295 के अन्तर्गत आज मैंने जो प्रस्ताव दिया था वह नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : रोज-रोज नहीं आता है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अबके रोज रोज आने की व्यवस्था है ।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे को पूरा तो करने दें, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया चैम्बर में आकर बात किया करिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : शून्य काल के प्रस्तावों के बारे में....

श्री अध्यक्ष : आपसी डिस्कशन यहां नहीं होते । यह आप वहां आकर बता दिया करो ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में अकाल पड़ा हुआ है । अकाल के बारे में 10 दिनों से हमने नोटिस दिया हुआ है आपको ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप धीरे बोलिये । माननीय कल्ला जी, जब भी आपने आकर मुझे अन्दर कहा है, मैंने आपका लगाया है । आज आप आये नहीं.... (व्यवधान) हमेशा लगाया है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज मेरे बीकानेर के कुछ....

श्री अध्यक्ष : और अब यदि है तो आज ही लगा देंगे । आ जायेगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कालिंग अटेंशन मोशन लगाइये, अध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में यहां।

श्री अध्यक्ष : लगा हुआ है, आज लगा हुआ है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 8–9 दिन से राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत प्रदेश के लाखों बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार सुलभ कराने अथवा बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आपको दिया था।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे बता देना, दिलवायेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक डूंगरपुर के अस्पताल का....

श्री अध्यक्ष : आप बता देना मुझे। श्री हेतराम जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : एक-एक बोल रहे हैं, आप बैठिये। एक-एक बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : नम्बर तो दो, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, मैं एक-एक को बुलवा रहा हूं और बीच में ही माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, आज से तीन रोज पहले आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर यह निर्णय दिया था कि तीन रोज में राज्य सरकार का जवाब आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : हां ठीक है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उस सिलसिले में एक न्यूज आज अखबारों में छपी है। मुझे यह चिन्ता है कि वे जिन्होंने धमकी दी थी राज्य सरकार के अधिकारियों को, भीलवाड़ा पहुंचे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मुझे मुख्य मंत्रीजी से यह सूचना मिल चुकी है। एक्चुअली उन्होंने क्या स्टेटमेण्ट दिया था उसका वेरीफिकेशन सरकार कर रही है। जैसे ही वेरीफिकेशन हो जायेगा....

श्री हेतराम बेनीवाल : आज उनकी और छपी है खबर कि भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, अखबारों के आधार पर तो सरकार चलेगी नहीं। अखबार उन आदमियों को जिन्होंने....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, मैं अर्ज करूंगा कि खबरों की सच्चाई तो जान ली जाय कि क्या वाकई वे अधिकारी...

श्री अध्यक्ष : सरकार वेरीफिकेशन करा रही है उसका।

श्री हेतराम बेनीवाल : उस संस्थान के अधिकारी भीलवाड़ा पहुंचे कि नहीं पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, वेरीफिकेशन करा रही है सरकार उसका।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : यह मैं स्पष्टीकरण कर देऊं, बार-बार यह मामला उठता है । यह सही है कि विश्व हिन्दू परिषद के कई नेता भीलवाड़ा गये हैं, कई भीलवाड़ा नहीं गये । लेकिन भीलवाड़ा की विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो उनको सूचना दी उस आधार पर उन्होंने वक्तव्य दिये हैं । धमकी दी गयी, इस प्रकार की स्थिति नहीं है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : पहले दी थी अशोक सिंघल ने, अब उन्होंने बदला है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात बता देऊं आपको । यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं अपन राजनीति में रहते हैं, कि हर छोटी सी बात पर सरकार को इतना कमजोर माना जाता है कि कोई भी धमकी दे देता है । जिनके साथ दो आदमी नहीं हैं वे भी धमकी दे देते हैं और जिनके साथ दो लाख हैं वे भी धमकी देते हैं । आपकी और मेरी आदत तो इस प्रकार की रही है....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह संस्था बड़ी खतरनाक है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं बताऊंगा....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह संस्था बड़ी खतरनाक है, इनकी धमकी से यहां दंगे शुरू हो सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना बता देऊं, किसी भी प्रसंग में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, यह निश्चित बात है । जो जानकारी मुझे थी और विश्व हिन्दू-हिन्दू परिषद ने जो जानकारी दी है, दोनों में अन्तर है । अब उसकी जांच कराने का भी मेरा धर्म है । जांच तो मैं निश्चित रूप से करवाऊंगा और उसमें यदि कोई दोषी पाया गया तो किसी धमकी के कारण मैं उस पर एक्शन लेने वाला नहीं हूं, इतना आपको विश्वास दे देता हूं । चाहे मुझे कोई भी धमकी देवे, मुख्यमंत्री के नाते मैं धमकी से काम नहीं करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है ।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री परसादीलाल मीणा : मैंने आपको 10-15 दिन पहले 119 का नोटिस दिया था ।

श्री अध्यक्ष : आप वहां पर मिले न बाद में, मान लिया ।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं उस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आज ही दूंगा व्यवस्था ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

मेरा प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के जितने भी डिप्लोमाधारी इन्जीनियर्स वगैरह हैं उनकी जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, सिंचाई विभाग में

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जगह खाली पड़ी हुई हैं, उन जगहों को आज तक भरा नहीं गया है। इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व में भी ध्यान आकर्षित किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी तुरन्त व्यवस्था करें, इसका जवाब दिलवायें। यह पद कब तक भरे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : करूंगा व्यवस्था, बिराजें आप। श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय,आज ही व्यवस्था देंगे या बाद में ?

श्री अध्यक्ष : आज ही दूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : आज ही ?

श्री अध्यक्ष : हां, आज ही दूंगा.... (व्यवधान)....अब आपका हो गया ना ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : दूसरा है....

श्री अध्यक्ष : कौनसा ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सम्बन्ध में व्याप्त भ्रष्टाचार.....

श्री अध्यक्ष : देखिये, एक बार बैठिये, एक मिनट। जिस तरह का हाउस का टाइट कार्यक्रम चल रहा है सुबह 11 बजे से रात को 12.00 बजे तक नियत है, मैं समझता हूं कि टाइट कार्यक्रम को देखते हुए जितने भी मैक्सिमम उसमें एडजस्ट किया जाता है, मैं कर रहा हूं। आने वाले 2–4 दिन बचे हैं उनमें भी मैं एडजस्ट करूंगा लेकिन यह तो सम्भव नहीं है कि जितने माननीय सदस्यों के यहां आये हुए हैं वे सब लग जायें। अब उनमें से जो आम जनता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, पब्लिक इम्पार्टेन्स के इश्यूज के हैं, मैं उनको प्रायोरिटी दूंगा। जो वन पाइन्ट प्रोग्राम पर चलनेवाले इश्यूज हैं, जिनमें जनता का इन्वाल्वमेंट नहीं है और व्यक्तिगत कोई बात है उनको सैकण्डरी इम्पार्टेन्स दूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह तो अनुसूचित जाति/जनजाति का मामला है।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल उसको दूंगा मैं, उस पर ध्यान दूंगा। पर्सनल बातें जितनी भी हैं, कई लोगों ने वन पाइन्ट प्रोग्राम बना रखा है। किसी ने तो बना रखा है कि आसन पर ही आक्रमण करो रोज, यह वन पाइन्ट प्रोग्राम है। बना सकते हैं, मैं किसी सदस्य को मना नहीं करता, वह मर्जी आये जैसा प्रोग्राम बनाये। लेकिन आम जनता के सम्बन्ध में जो इश्यूज उठते हैं उन इश्यूज को महत्व देना चाहता हूं।

श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री हरिसिंह : मेरा निवेदन है.....

श्री अध्यक्ष : सुन लिया न आपका।

श्री हरिसिंह : निवेदन मेरा है कि इसमें राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से व्यवस्था दी गई है जिस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। मुख्यमंत्रीजी स्वयं सन्देह के घेरे में बैठे हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि— A copy of this order be sent to the Hon'ble Chief Minister of the State of Rajasthan for information and necessary action, and no

(श्री हरिसिंह)

necessary action has been taken by the Chief Minister. Why ?

इस सम्बन्ध में हम सदन का और राजस्थान की जनता का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आज बहुत कार्यक्रम है। देखिये, आप मेरे से अभी बात कर लीजिये।

श्री हरिसिंह : हाई कोर्ट के डाइरेक्शन्स हैं, हाई कोर्ट के डाइरेक्शन्स को गवर्नमेंट फालोअप नहीं कर रही है। इतना महत्वपूर्ण विषय है इस पर भी अगर आप सदन में....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। मैं तो महत्वपूर्ण विषय जो आम जनता से सम्बन्धित हैं उनकी प्रायोरिटी मैंने बता दी है उनको तो प्रथम प्रायोरिटी दूंगा ही।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पर कोई दवाब नहीं है, किसी का दवाब नहीं है। मैं आपका भी दवाब नहीं मानता।

श्री हरिसिंह : जवाब आ गया है, जो मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था सरकार की तरफ से, उसका उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष : आ गया है तो मेरी आप से बात निरन्तर होती है, रोज बात होती है इस बारे में।

श्री हरिसिंह : और उसमें हाई कोर्ट ने डाइरेक्शन्स दिये हैं, हाई कोर्ट के डाइरेक्शन्स के मुताबिक मुख्यमंत्रीजी को निर्देश दिया गया है आप इस पर कार्यवाही करें और मुख्यमंत्रीजी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Please, I will do it.

श्री प्रेमसिंह दहिया : शुरू करिये आप....(व्यवधान)....श्री प्रेमसिंह दहिया। श्री प्रेमसिंह दहिया का दर्ज हो और किसी का दर्ज नहीं हो। और किसी का नोट नहीं करेंगे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

भीनमाल की कृषि उपज मण्डी में बैंक स्थापित करने के सम्बन्ध में

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी बनने जा रही कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल में किसानों व व्यापारियों हेतु बैंक की सुविधा उपलब्ध कराकर फसल के एवज में ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर राजस्थान को हो रहे 5 करोड के टैक्स की हानि रोकने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

मान्यवर, उपरोक्त विषय में मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी, कृषि मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के जालौर आदि जिलों में जिला व इसबगोल (घोड़ाजीरा) की फसल अत्यधिक पैदा होती है। वर्तमान में उक्त फसल विपणन हेतु पास के प्रान्त गुजरात

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

की जीरा की अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी ऊंझा में किसानों एवं व्यापारियों के माध्यम से ले

(12.00 म. प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति पदासीन)

जाकर विक्रय की जाती है। ऊंझा में करीब 2000 व्यापारी लाखों की तादाद में उक्त फसल जीरा व इसबगोल स्टोरेज करते हैं। वहां नागरिक बैंक एवं अन्य व्यावसायिक बैंकों द्वारा व्यापारियों को, फसल को उनके ही गोदामों में मोर्गेज रखकर फसल की कीमत की 75% के करीब राशि अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाती हैं, जिससे व्यापारियों को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाने से उक्त व्यापार पनपा है। गुजरात प्रान्त की ऊंझा मण्डी की गिनती अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अग्रणी मण्डियों में की जाती है जबकि उस मण्डी में आधे से अधिक जीरे व इसबगोल की फसल राजस्थान से जाती है, जिससे राज्य को होने वाली आय की हानि हो रही है।

राज्य में पैदा होने वाली फसलें जैसे–जीरा, घोड़ाजीरा, सरसों, रायड़ा आदि का विपणन राज्य में ही हो, इस दृष्टि से राज्य सरकार ने भी माल को अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मण्डी बनाने का निश्चय कर जालौर जिले की उक्त रबी की फसलों पर से ऊंझा मण्डी के टैक्स के बराबर करने हेतु नगरपालिका टैक्स समाप्त किया। मण्डी टैक्स भी 0.10% कर दिया। इसी प्रकार सैलस टैक्स व सैन्ट्रल सैलस टैक्स भी आधा कर दिया। लेकिन राज्य सरकार द्वारा बैंक की सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के कारण एवं व्यापारियों की होल्डिंग कैपेसिटी न होने से फसल ऊंझा मण्डी में जा रही है। जिससे राज्य सरकार को विक्रय कर (सैलस टैक्स) की आर्वक से वंचित होने व अन्य टैक्स भी न मिलने से प्रति वर्ष 5 से 7 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है। अतः मेरी राज्य सरकार से मांग है कि इसी सत्र में किसी व्यावसायिक बैंक को भीनमाल कृषि मण्डी प्रांगण में लाइसेन्स जारी कर उक्त सुविधा प्रदान की जाकर क्षेत्र व प्रदेश की उन्नति की ओर प्रयास करावें। एक ओर राज्य सरकार आय से वंचित हो रही है तो दूसरी ओर किसान को गुजरात राज्य में फसलें ले जाने की परेशानी एवं अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। इस हेतु कृषि सचिव एक वर्ष पूर्व आश्वासन देकर आये थे। इस हेतु मैं भी माननीय मुख्यमंत्रीजी से मिला था, और उन्होंने आश्वासन दिया था। अतः क्षेत्र की उन्नति के साथ-साथ राज्य की आय वृद्धि को मद्दे नजर रखते हुए भीनमाल कृषि उपज मण्डी प्रांगण में व्यावसायिक बैंक खुलवाने की राज्य सरकार व्यवस्था करे और राज्य को होने वाले 5 करोड़ की हानि से रोकने के लिए समुचित व्यवस्था करे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमीन खां....

(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि एस. सी./एस. टी. के अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता के पद खाली पड़े हुए हैं, 1987 से आर.पी.एस.सी. नहीं बैठी है उन पदों को भरने के लिए। माननीय सभापति महोदय, इसकी मंत्री महोदय से व्यवस्था करवायें। इसी प्रकार से ट्रांसफर्स के अन्दर भी प्राध्यापकों, लैक्चरार वगैरह के लिए,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

एस. सी./एस. टी. के लिए नीति निर्धारित कर रखी है उसको भी सरकार पालना नहीं कर रही है। इस प्रकार का घोर अन्याय अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ हो रहा है। आप इस सम्बन्ध में तुरन्त व्यवस्था करवायें। मैं पूर्व में भी कई बार कह चुका हूं। आप मंत्री महोदय से जवाब दिलवायें इतना महत्वपूर्ण मामला है।

श्री सभापति : ऐसा है कि 295 के मामले के बारे में जितने भी प्रस्ताव हैं....

श्री रामस्वरूप मीणा : उनके साथ ट्रांसफर्स में भी अन्याय कर रहे हैं.....

श्री सभापति : लिखित में जवाब आ जायेगा....माननीय श्री अमीन खां।

राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा कताई-बुनाई की दरें

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, 295 के तहत मेरा निवेदन है कि खादी बोर्ड राजस्थान द्वारा जो कताई-बुनाई की वर्तमान दरें हैं उससे न्यूनतम मजदूरी नियम की पूरी-पूरी अवहेलना होती है। वर्तमान में एक कतिन जो कि एक किलो ऊन 8 घण्टे रोज कार्य करने पर सात दिन में कातती है उसे करीबन 50-60 रुपये मिलते हैं जिससे उसकी मजदूरी 8 रुपये प्रतिदिन के करीबन पड़ती है जबकि न्यूनतम मजदूरी 8 घण्टे कार्य करने पर 22 रुपये दिन की दर है। इस कारण इनके साथ भारी शोषण हो रहा है। बुनकर भी एक कारीगर है। अन्य धन्धे वाले किसी कारीगर की न्यूनतम दर 50-60 रुपये दिन है जबकि बुनकर को 8 घण्टे रोज कार्य करने पर भी 15–20 रुपये मिलते है।

अतः इस तरह से इन गरीबों का शोषण नहीं होना चाहिए। इस शोषण के विरुद्ध जैसलमेर जिले में कतिन बुनकरों ने करीबन ढाई महीने से खादी का कार्य बन्द कर रखा है। उनकी मांग है कि खादी बोर्ड जब तक हमें न्यूनतम मजदूरी नियम लागू नहीं करेगी हम खादी की कताई व बुनाई का कार्य नहीं करेंगे चाहे हमें दूसरी मजदूरी क्यों न करनी पड़े।

अतः मैं इस सदन की मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन गरीबों के शोषण को शीघ्र बन्द कराने के लिए कोई माकूल इन्तजाम कराये।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द गुर्जर।

पाटन को तहसील बनाने के सम्बन्ध में

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, मेरा नियम 295 के तहत पंचायत समिति नीमकाथाना के कार्य क्षेत्र में 91 ग्राम पंचायत व ग्राम सभाएं होने से उक्त क्षेत्र में पाटन दूसरी पंचायत समिति बनवाने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह मेरी बात को ध्यान से सुनें।

निवेदन है कि पंचायत समिति नीमकाथाना में 45 ग्राम पंचायतें हैं तथा 46 ग्राम सभाएं हैं। इस प्रकार कुल 91 पंचायतें उक्त पंचायत समिति में है। यह पंचायत समिति राजस्थान की दूसरी बड़ी पंचायत समिति है। उक्त क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों की जनता को 60 किलोमीटर से भी अधिक दूरी आना पड़ता है

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

उक्त पंचायत समिति का क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है तथा उक्त पंचायत समिति की जनसंख्या भी 3.5 लाख से अधिक है तथा उक्त पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें दस हजार से अधिक मतदाताओं की है। जब भी ग्राम पंचायतों का परिसीमन होगा तब 20 ग्राम पंचायतों से अधिक पंचायतें और बनेगी। उक्त पंचायत समिति में तीन सौ से अधिक बड़े राजस्व ग्राम तथा बहुत बड़ी ढाणियों से घिरी हुई पंचायत समिति है। इस प्रकार उक्त विशाल पंचायत समिति होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र का विकास आज तक बहुत कम हुआ है। आज भी काफी ग्राम पंचायतों के पास पंचायत भवन नहीं है। तथा काफी गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं है तथा बहुत बड़ा क्षेत्र पहाड़ियों व पथरीली भूमि से घिरा हुआ है।

आज भी उक्त क्षेत्र में पांच हजार से भी अधिक जनसंख्या वाले गांव सड़कों से वंचित हैं तथा बहुत अधिक पंचायत कार्यालय सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। अतः मैं आपके मार्फत मुख्यमंत्री महोदय व पंचायत मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि पंचायत समिति नीमकाथाना को दो भागों में बांटकर कस्बा पाटन में दूसरी पंचायत समिति बनाई जाये जिससे बहुत बड़ी पंचायत समिति होने के कारण जो पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है उस क्षेत्र का वह ग्रामीण जनता को सुलभ हो सके। तथा पंचायत राज का वास्तविक लाभ जनता को मिल सके तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत से पंचायत समिति की दूरी कम होकर आसान सम्बन्ध हो सके। इस प्रकार ग्रामीण विकास अधिक से अधिक हो और पंचायत राज का लाभ मिल सके।

अतः मैं आपके मार्फत पुनः पंचायत राज मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस पंचायत समिति को दो भागों में बांटने के लिए कार्यवाही करें। यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री सभापति : श्री किशनाराम नाई।

तारानगर नगरपालिका में वर्ष 1960-61 की ऑडिट रिपोर्ट में पाई गई अनियमिततायें

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, नगरपालिका तारानगर जिला चूरू की ओर मैं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर दिलाना चाहता हूं—

1. यह कि राजस्थान में नगरपालिकाओं की ऑडिट वर्ष में कितनी बार होती है ?

2. ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज आरोपों की पालना यथा समय होती है या नहीं ? यदि नहीं तो ऐसा क्या एवं आगे इस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ?

3. तारानगर जिला चूरू की नगरपालिकाओं की वर्ष 1960-61 में क्या तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री मदन मोहन शर्मा के खिलाफ गम्भीर अनियमितताएं पाई गई हैं ? यदि हां तो क्या-क्या एवं इस सम्बन्ध में सरकार क्या मंशा रखती है।

4. क्या तत्कालीन सचिव श्री मदन मोहन शर्मा नगरपालिका के चेयरमैन पद

(श्री किशनाराम नाई)

पर हैं ? यदि हां तो उक्त गबनों के विषय में राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है और नहीं तो क्यों और आगे सरकार का क्या विचार है ?

5. क्या यह सही है कि वर्ष 1960-61 की आडिट रिपोर्ट के अनुसार हुए गबन के मामलों में पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई और नहीं कराई तो क्यों ? उक्त चेयरमैन के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कांत ।

कृषि भूमि का कम मूल्य दिखाकर पंजीयन

श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) : सभापति महोदय, उप पंजीयक आमेर के कार्यालय में दिनांक 30-12-89 को प्रार्थी जगदीशचन्द अग्रवाल एवं रमेशचन्द ने अपने हक में कृषि भूमि का एक बेचान दस्तावेज मूल्य रुपये 54000/- एवं 96000/- में कुल राशि 1,50,000/– में पंजीबद्ध कराया ।

खसरा नं. 892 एवं खसरा नं. 893 जिसकी वास्तविक बेचान रुपये 5,00,000/- का किया जाकर प्रार्थियों द्वारा उक्त भूमि की खरीद की गई । स्टाम्प ड्यूटी अधिक लगने के कारण वास्तविक मूल्य को छुपा कर खरीद की कुल राशि 54000/- एवं 96000/- रुपये बताई जाकर दो अलग-अलग दस्तावेज प्रार्थियों ने पंजीबद्ध कराये जिससे सरकार को लगभग 350000/– रुपये की राजस्व हानि हुई जो एक आपराधिक मामला है । अतः उक्त स्टाम्प ड्यूटी मय जुर्माना वसूल किया जाये ।

प्रार्थियों द्वारा तहसीलदार, जयपुर के यहां आबकारी विभाग में हैसियत प्रमाण पत्र (सोलवेन्सी) प्रस्तुत किया गया जो कि तहसील से दिनांक 20-1-90 को जारी किया गया जिसमें उक्त भूमि की कुल कीमत रु. 2,00,000/- एवं 3,00,000/- अर्थात् 5,00,000/– मात्र 20 दिन के पश्चात् स्वीकार की गई । जिसके द्वारा सरकार ने उक्त भूमि की कीमत स्वयं पांच लाख मानी है ।

जबकि इस सत्र में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 787 दिनांक 21 मार्च, 1991 द्वारा सरकार ने उक्त भूमि का मूल्य क्रमशः 72,000/- तथा 56,000/- माना गया है तथा हैसियत प्रमाण पत्र में उक्त भूमि का मूल्य पांच लाख रुपये माना गया है जिससे सरकार स्वयं विवाद के घेरे में आ जाती है । प्रश्न के उत्तर के आधार पर उक्त भूमि की कुल कीमत 128000/- आती है जबकि तहसीलदार, जयपुर से प्राप्त किये गये हैसियत प्रमाण पत्र के आधार पर पांच लाख क्या सरकार खरीददारों से शेष बची राशि लगभग 3.70 लाख पर विक्रय शुल्क व पंजीयन शुल्क वसूल कर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र गहलोत ।

जोधपुर विश्वविद्यालय में पूर्णकालीन कुलपति की नियुक्ति

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) :

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय में पिछले लगभग 9-10 महीनों से कुलपति के पद पर संभागीय आयुक्त की नियुक्त के कारण शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य ठप्प पड़ा है। इस व्यवस्था से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण निर्णय अधरझूल में पड़े हैं। विश्वविद्यालय का बजट (1990–91) बिना सीनेट से अनुमोदित किये खर्च कर दिया गया।

इसी प्रकार विश्वविद्यालय कर्मचारियों का पेन्शन सम्बन्धी मुद्दा भी सरकार के पास लम्बे समय से विचाराधीन पड़ा है तथा कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

अतः मेरी मांग है कि जोधपुर विश्व-विद्यालय में पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति की जावे तथा कर्मचारियों की पेन्शन योजना लागू की जावे।

श्री सभापति : श्री प्रभुलाल पटेल।

सपोटरा में चारे पानी का अभाव

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की विषम समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जो पांच दस साल से पैदा हुई है।

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र का इलाका पहाड़ी व जंगल का इलाका है। यहां पर ग्रामीणों का मुख्य धन्धा पशुपालन ही रहा है, जिसके सहारे से ही जीवनयापन करते हैं। खेती करना वहां पर सम्भव नहीं है। कुछ समय पूर्व से यहां पर चराई के लिए भेड़ व ऊंट आते हैं जो कि यहां के चारे व पानी को साफ कर देते हैं चारा पानी खतम होने पर चले जाते हैं। बाद में वहां के स्थानीय किसानों के मवेशियों को खाने पीने को कुछ नहीं बचता है। जिसके कारण स्थानीय मवेशी का वहां जीना मुश्किल होता जा रहा है, और वहां के किसान थोड़ा बहुत खेती भी करते हैं तो यह भेड़ ऊंट उसको भी साफ कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपस में काफी झगड़े होते हैं। जिससे जन-धन की काफी क्षति होती है। उक्त कारणों से स्थानीय किसानों का मुख्य धन्धा पशुपालन खतम हो रहा है। जिससे मंडरायल, करनपुर, कैलादेवी, करौली क्षेत्र की जनता में बहुत भारी असन्तोष बढ़ रहा है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को मद्दे नजर रखते हुए इस क्षेत्र से बाहर के आने वाले भेड़ व ऊंटों को बन्द किया जाये या यहां के पशु-धन के लिए चारे पानी का कोई अलग से इन्तजाम किया जाये जिससे इस क्षेत्र को उजड़ने से बचाया जा सके।

श्री सभापति : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापतिजी, नियम 295 के अन्तर्गत श्रीमती कमलेश कुमारी....

श्री सभापति : आप सीधा पढ़ना शुरू कर दीजिये। विषय छोड़ दीजिये।

श्रीमती कमलेश के साथ दहेज का अत्याचार

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती कमलेश कुमार की शादी हिन्दू विवाह पद्धति के अनुसार दिनांक 24-6-88 को कस्बा रूपवास में सतीश

(श्री मदन दिलावर)

चन्द आत्मज सुआलाल निवासी रसीदपुर, तहसील महुआ, जिला सवाई माधोपुर के साथ हुई थी। कन्यादान के वक्त सामर्थ्यानुसार शादी में खर्चा किया गया था। विवाह के पश्चात् कन्या के ससुराल जाने के बाद उसके सास, ससुर व पति अनेक यातनायें देकर तंग करने लगे तथा दहेज की नाजायज मांग करते रहे। उनका कहना था कि तेरे बाप ने हमें दहेज कम दिया है अब तू और दहेज पिताजी के यहां से ला। टी.वी., कूलर, पंखा अलमारी एवं सोने की चूड़ियों की मांग की। ये दहेज नहीं लायेगी तो तुझे छोड़ देंगे और अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे। लड़की के मां बाप की इतना सब दहेज में देने की हैसियत नहीं थी अतः लड़की के पति ने मार पीट शुरू कर दी जिसमें उसकी सास भी सहयोग करती थी। दोनों मां बेटे मिलकर बहू को मारते पीटते रहे। दिन भर काम कराने के बाद दोनों समय खाना नहीं देते थे। इस तरह से गालियां देकर उसे जलील किया जाने लगा, कई दिन लड़की के साथ कई प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं देते रहे और लगभग 6 माह तक असहाय विवश लड़की ससुराल पक्ष की सभी प्रकार के अत्याचार एवं मानसिक पीड़ा सहन करती रही। रक्षा बन्धन के 8–10 दिन पूर्व लड़की का भाई लेने आया तो लड़की को नहीं भेजा और जब लड़की का भाई लेने आया तो उसने भी प्रार्थना की कि दहेज का सामान जो भी सम्भव होगा उसका देने का वायदा किया तथा लड़की ने कहा कि दहेज लाने का प्रयास करूंगी आप मुझे भेज दो। पति के साथ उसके मायके भेज दिया। लड़की ने अपने घर जाकर उस पर बीते अत्याचार की कहानी मां बाप को बताई तो मां-बाप बेहद दुखी हुए उन्होंने जब लड़की के पति से पूछा तो उसने गलती स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि अब कोई मारपीट व दुर्व्यवहार नहीं होगा।

किन्तु अत्याचार और बढ़ गये। दिनांक 1–10–89 से उसके साथ शर्मनाक व्यवहार किया जाने लगा तथा मारपीट की जाती रही। और उसको धमकी दी गयी कि तेरे नाक-कान काट कर छोड़ देंगे। 3–10–89 को जब पति खेत पर गये थे तब सास ने गर्भवती बहू को बुरी तरह मारा। सास ससुर से तंग आकर हिम्मत करके लड़की ने बड़ी मुश्किल से चुपचाप एक बैरंग पत्र अपने मां-बाप को डाला। पत्र मिलते ही लड़की के पिता व चाचा, ताऊ भाई 13–10–89 को रसीदपुर पहुंचे और वहां गांव के प्रतिष्ठित लोगों तथा सरपच आदि से बातचीत की। उनकी लड़की को उनके साथ भिजवाने की बात की। इस पर गांव के लोगों ने यह कहकर सहयोग करने से इन्कार कर दिया कि लड़की के ससुर पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं और वह राजनीति में काफी प्रभावशील व्यक्ति है अतः हम आपकी मदद नहीं कर सकते। 13–10–89 की रात्रि को लड़की के पति सास व ससुर ने मिलकर उसे जान से मार डालने का षड्यन्त्र रचा तथा लड़की को कमरे में बन्द करके ताला लगा दिया। भयभीत लड़की ने अन्दर से कुन्डी लगा ली। प्रातः कुन्डी खुलते ही लड़की को पति व सास ने बुरी तरह मारा पीटा किन्तु किसी ने भी बीच-बचाव या मदद नहीं की। लड़की बेहोश हो गयी जब

(श्री मदन दिलावर)

होश आया तब घर पर कोई नहीं था अतः लड़की चुपचाप छिपकर महुआ से भरतपुर होकर रूपवास अपने मां–बाप के पास आ गई और सारी आप बीती बताई। उसे परिवार जनों ने गले से लगाया, तसल्ली दी एवं प्राथमिक उपचार करवाया तथा डाक्टरी मुआयना करवाया। तब से लड़की मां–बाप के पास ही अपना दुःखद जीवन व्यतीत कर रही है। दिनांक 9–6–90 की सायंकाल लड़की के पति व ससुर लड़की के मां–बाप के पास आये और कहा कि हमें दहेज में दस हजार रुपये नकद, टी.वी. कूलर व सोने की चूड़ियां दे दो वरना हम तुम्हारी लड़की को कभी नहीं ले जायेंगे और हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हम अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे। यह सुनकर लड़की एवं अन्य सभी परिवार-जनों को अत्यधिक मानसिक सन्ताप हुआ। लड़की को यातनाएं दी गई है तथा उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मामले में श्रीमती कमलेशकुमारी पत्नी सतीशचन्द्र जाति खटीक निवासी रसीदपुर तहसील महुआ द्वारा मण्डावर थाने में दिनांक 2–7–90 को एक एफ. आई.आर. संख्या 62/90 के जरिये धारा 323, 342, 488 आई. पी. सी. के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। किन्तु पूर्व मुख्यमंत्री ने तत्काल उस मामले को अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए दबाने का प्रयास किया। अतः सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा कर दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जाये।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

70 प्रत्याशियों की नियुक्ति एवं कार्य मुक्ति

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : सभापति महोदय, जिला परिषद् जालौर की जिला स्थापना समिति ने अपने विज्ञापन (1990) के जरिए जालौर जिले के अध्यापकों के रिक्त पड़े स्थानों पर अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रसारित किया था। जिसके जवाब मे जालौर जिला स्थापना समिति ने अध्यापकों के साक्षात्कार करके 70 अध्यापकों का चयन किया गया जिस अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लि सुरक्षित स्थानों के कोटे का पूर्ण ध्या रखा गया, पूरा भरा गया और पत्र क्रम ज क वस/जा/अध्या/नियुक्ति/90–91 3293–303 दिनांक 5-3-91 के जा आज्ञा प्रसारित करते हुए 70 प्रत्याशि को तृतीय वेतन श्रृंखला वेतनमान 120 30–1560–40–2000–50–2050 दो वर्ष के लिए प्रथमतः नियुक्ति प्रदान गई। प्रत्याशी को दस दिन में कार्य ग्रहण करने की हिदायत भी दी गई।

फलस्वरूप अध्यापकों ने इस आदे अनुसार अपने नियुक्ति किये गये स पर जा कर कार्यभार ग्रहण कर लिया

नमूने के तौर पर कमलेश पु जयनारायण जो एम. ए., बी. एड रा. उ. प्रा. वि. पसेरी में दिनांक 8 को ठीक समय विद्यालय में उपस्थित अपना कार्यभार सम्भाल लिया प्रतिलिपि फोटो स्टेट मेरे पास है। सूचना रा. उ. प्रा. विद्यालय पसेर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जालौर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी एव सचिव जिला परिषद को क्रमांक 89–192 दिनांक 8-3-91 को प्रेषित कर दी थी। लेकिन 6 दिन बाद 14-3-91 को जिला परिषद जालौर ने पत्र क्रमांक 3542 के जरिये सभी प्रधानाध्यापक (ग्रामीण क्षेत्र) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को निर्देश दिया कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एस. पी.—1 दिनांक 9-3-91 व क्रमांक एस. पी. दिनांक 10-3-91 व क्रमांक 3193 दिनांक 13-3-91 के जरिये जो आदेश प्रदान किये गये थे उन्हें तुरन्त प्रभाव से वापस लिया जाता है और जिन अध्यापकों ने ज्वाइन कर लिया उन्हें तुरन्त कार्य मुक्त कर दिया जावे।

इस आदेश से सैकड़ों अध्यापकों का जिनका चयन स्थापना समिति ने किया था उनका भविष्य अंधकार में हो गया है और इसे लेकर अध्यापकों में बड़ा रोष है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में इनकी नियुक्ति को वैध करार करें ताकि वे ओवर ऐज नहीं हो और उनकी जिन्दगी बरबाद न हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगी इसके बारे में कि नियम 295 जो विशेष उल्लेख का प्रस्ताव जो यहा पढ़ते हैं, मुझ से पहले हत्या का मामला था गृह मंत्री लगातार बात कर रहे हैं तब भी कर रहे थे अब भी कर रहे हैं तो यह विधान सभा है या....

श्री हरलाल सिंह खर्रा : मैंने 295 के तहत सुना है अब इस समय तो कुछ कह नहीं सकता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मदन दिलावर।

उदयपुर वाटी को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने सम्बन्धी

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत उदयपुर वाटी तहसील में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में माननीय उद्योग मंत्रीजी का यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र, उदयपुरवाटी किसी समय सम्पन्न तहसील हुआ करती थी। समय पर होने वाली वर्षा से सम्पूर्ण क्षेत्र में कृषि का कार्य उत्तरोत्तर विकास करता गया और यहां सब्जी उत्पादन का एक बहुत बड़ा स्टॉक क्षेत्र बन गया था कई जगह किसानों ने कुए बना-बना कर इस क्षेत्र को एक और हरा-भरा किया और दूसरी ओर नदी-नालों के माध्यम से सिंचाई को भी बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। अरावली पर्वत श्रृंखला के भाग वाली ऊंची-ऊंची पहाड़ियों पर सघन वन, यहां के प्राकृतिक दृश्य मन मोह लेते थे। इन्हीं पहाड़ियों में लोहार्गल, शाकम्भरी एव अन्य तीर्थ स्थल विकसित हुए।

मान्यवर, धीरे-धीरे वर्षा कम होती गई और दूसरा प्रभाव कृषि और जंगलों पर भी पड़ा। खेती कुओं द्वारा की जाने लगी। वर्षा कम होने के परिणामस्वरूप कुओं का पानी धीरे-धीरे नीचे जाता रहा। आज गिरते भू-गर्भ जल के कारण खेती प्रभावित हो रही है। बढ़ते परिवार, कम होती वर्षा,

(श्री मदन लाल सैनी)

गिरते भू-गर्भ जल स्तर के कारण इस क्षेत्र का रोजगार, कृषि प्रभावित हुए हैं। कृषि उत्पादन गिरता जा रहा है। कृषि उत्पादन गिरने से व्यापार, दुकानों पर भी प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। लोग तहसील से पलायन कर आसाम, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा देश-विदेश के अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। बेकारी, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेकारी, बेरोजगारी के कारण युवकों में आत्म ग्लानि, चिड़चिड़ापन तथा आपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। मान्यवर, इसको रोका जाना आवश्यक है।

बढ़ती बेकारी, बेरोजगारी के लिए इस क्षेत्र के लोगों का पलायन रोकना होगा और इसी क्षेत्र के उद्योगों के माध्यम से काम तत्काल कराना होगा। इस क्षेत्र में इस प्रकार के अनेक उद्योग हैं जिन्हें विकसित करना होगा। इन उद्योगों को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से कृषि के साथ-साथ खनन उद्योग है।

मान्यवर, इस क्षेत्र की खदानों में लाइमस्टोन है, संगमरमर है, ग्रेनाइट की अनेक स्थानों पर खदानें हैं जिनमें अनेक रंग तथा गुणवत्ता वाले पत्थर मिलते हैं। स्थानीय उद्योग के कातले और पट्टी भी हैं, मकान बनाने के पत्थर भी हैं। लाइम स्टोन का अतुल भण्डार है। अच्छी स्तर की सीमेंट के काम आ सकते हैं। जहां पर पत्थर कृषि आधारित उद्योग के साथ-साथ अन्य उद्योग भी बड़े पैमाने पर लगाये जा सकते हैं। इस क्षेत्र के चारों ओर अच्छा स्कोप है। एक ओर 36 किमी. सीकर नगर है, दूसरी ओर नीमकाथाना और झुंझुनू हैं। ये तीनों दिल्ली के बहुत ही नजदीक हैं।

मान्यवर सभापति महोदय, इन उद्योगों के विकास के लिए उदयपुरवाटी तहसील को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना अति आवश्यक है। इससे जहां बेकारी, बेरोजगारी दूर होगी, वहीं लोगों का पलायन रोकने में सहायता मिलेगी। आपराधिक प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। इस क्षेत्र के डार्क ज़ोन से प्रभावित कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण जनता को राहत मिलेगी। आज डार्क ज़ोन के कारण जनता को बड़ी कठिनाई है। उन्हें किसी प्रकार का ऋण नहीं मिलेगा। मेरी माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि उदयपुरवाटी को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री घासीलाल चौपड़ा।

टोडारायसिंह में सिंचाई विभाग के पुराने बांधों व नहरों की मरम्मत

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम के 295 के तहत क्षेत्र टोडारायसिंह में सिंचाई विभाग के पुराने बांधों व नहरों की मरम्मत के सम्बन्ध में मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह में सिंचाई विभाग के करीब छोटे-बड़े 50 बांध हैं लेकिन पिछले कई सालों से बांधों की व नहरों की व मोरियों की मरम्मत नहीं होने के अभाव में सिंचाई के वक्त तक आधा पानी सींचने के काम में आता है तथा नहरों की हालत बड़ी जीर्ण-शीर्ण है जिससे सिंचाई के वक्त पानी बहकर टूटी हुई नहरों से निकल जाता है। गत वर्ष भी मैंने

(श्री घासी लाल चौपड़ा)

इसी सन्दर्भ में इसी नियम के तहत माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाया था। माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में बताया कि आर्थिक अभाव है जबकि माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अपने बजट में 62 प्रतिशत राशि, ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने के लिए बताया है। यह कहां तक उचित है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि ग्रामीण किसानों की मुख्य समस्या सिंचाई है तथा मरम्मत के अभाव में सिंचित भूमि खाली पड़ी रहती है इससे किसान तो दुःखी होंगे लेकिन राष्ट्रीय उत्पादन में भी कमी आवेगी तथा किसान भूखे मर जावेंगे। अतः मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील देवली व टोडाराय सिंह के सिंचाई विभाग के समस्त बांधों व नहरों की मरम्मत तुरन्त करवाने की कृपा करें। अधिशाषी अभियन्ता, टौंक द्वारा समस्त बांधों की और नहरों की मरम्मत का एस्टीमेट विभाग में भिजवाया जा चुका है। अतः मानसून से पहले-पहले मरम्मत हेतु वांछित बजट दिलवाया जाकर बांधों की मरम्मत तुरन्त करवाई जावे। गत वर्ष भी मरम्मत के अभाव में मेरे क्षेत्र के 10 सिंचाई विभाग के बांध प्रथम मानसून में ही टूट गये। बाद में मानसून के अभाव में सारे तालाब खाली पड़े हैं।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

जमवा रामगढ़ के अ.जा. के भूमिहीनों की जमीनों का नियमन

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के शिड्यूल कास्ट के भूमिहीन जो कि काबिज हैं ऐसे परिवारों को जिनको भूमि दे दी गई थी, नियमन की जानी थी उनकी खसरा नं. 62, 68, 69 तथा अन्य खसरों में 74 बीघा 18 बिस्वा एवं 68 में 18 बीघा 7 बिस्वा, ग्राम मालपुर डूंगर पंचायत सुमेल जिस पर करीब 300 व्यक्ति बावरिया, बलाई, मीणा और अन्य पिछड़ी जातियों के हैं, कुआ कोठी एवं मकानात बनाकर 30 वर्षों से भी अधिक से वहां रहते हैं, कबिज हैं। जो गेहूं, बाजरा, टमाटर, गाजर, घीया, टींडे, बैंगन, तुरई, मिर्ची आदि की उपज पैदा करते हैं और ये कब्जा काश्तशुदा होने के सन्दर्भ में निवेदन है कि ऐसी पैनेल्टी भी भरते रहें। श्री उम्मेदसिंह पुत्र सूरसिंह निवासी मावंगढ़ बन्दया तहसील सांगानेर को अलाटमेंट खुद काश्त की आड़ में बेदखली एवं राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा झूठी मौके की रिपोर्ट पर साजिश की गई कि वहां कोई नहीं रहना और यह सब मामला गलत है। मौके पर कोई नहीं गया। यह कि उक्त भूमिहीनों को मेरी मौजूदगी में 12-6-89 को 22 व्यक्तियों को 2-2 बीघा अलॉट की गई और इसके पहले भी 84 में निःशुल्क पट्टे दिये गये। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि तत्कालीन प्रधान पंचायत समिति झोटवाड़ा एवं सरपंच आदि के अलाटमेंट पर हस्ताक्षर हैं जो यह साबित करते हैं कि ये लोग वहां रहते थे और मैंने ही उन्हें वहां रहते देखा है। मगर बाद में रेकार्ड में फेरबदल किया गया और खारिज कर दी।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं निवेदन करना चाहूंगी मौके पर मैंने उन व्यक्तियों को देखा इन परिवारों को बेदखल करके अत्याचारपूर्ण ढंग से ये लोग अन्याय करने पर आमादा हो गये हैं। तत्कालीन सरपंच यद्यपि अभी सस्पेण्ड हैं। उसने और राजस्व अधिकारियों ने मिलकर मिलीभगत से ऐसा किया है और मौके पर प्रार्थीगण का कोई वजूद न बताकर जमीन की कीमत के लालच में मनमानी कार्यवाही की है। मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हूं जिनके नाम इस प्रकार हैं जो पैनेल्टी आदि देते रहे हैं—

बावरिया जाति के 22 परिवारों को 44 बीघा भूमि सिवाय चक खसरा नं. 62 में प्रस्तावित अलाटमेंट हेतु हुई थी। उनके नाम 1. कानाराम पुत्र रामसुखा, 2. केसरा, 3. प्रभात, 4. स्वरूपा, 5. खुशीराम, 6. नाथ, 7. कचोड़, 8. चंदा, 9. बालू पुत्र नाथू, 10. नारायण, 11. श्रवण, 12. कचौड़, 13. कालू, 14. श्योदान, 15. बिराणु, 16. गोपाल, 17. दिना, 18. बनवारी, 19. मांगी, 20. मोहरू, 21. बेलू, 22. नन्दाजाति बावरिया इन 22 ने पुख्ता मकान बना रखे हैं जिनके राशन कार्ड हैं और पैनेल्टी भी भरते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के परिवार भैरू पुत्र रामनाथ रामचन्द्र पुत्र भैरू कब्जा काश्त हैं, 5-5 बीघे पर काबिज हैं, आदि अन्य नाम भी हैं।

यह लोग पांच-पांच बीघे पर काबिज हैं आदि, अन्य नाम भी हैं, मैं लम्बा नहीं पढ़ना चाहूंगी, सदन के समय का मुझे ध्यान है। चूंकि उक्त उम्मेदसिंह, जिसकी जागीर 1958 में रिज्यूम की गई थी उन्होंने लूनियावास और सांगानेर में भी जमीनें हासिल कर ली है और इस बार बेचारे गरीब लोगों को जहां आवंटन की कार्यवाही जारी थी उस पर काबिज होने की कोशिश हो रही है। इन्हीं उम्मेद सिंह ने उक्त जमीन को गलत ढंग से घाटगेट निवासी किसी अन्य कास्ट के आदमी को बेच दी है जिसका रिकार्ड मेरे पास मौजूद है, मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय इस रिकार्ड को देखें और इस अन्याय की समाप्ति किसी प्रकार हो। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उस पर काबिज होने की कोशिश हो रही है इन लोगों के द्वारा और शहर के लोगों को बाला-बाला बेचा जा रहा है। प्रार्थी जयपुर के एस. डी. एम. से मिले, कलक्टर से मिले, मैंने भी कई बार जिलाधीश और एस.डी.एम. को कहा लेकिन मौके की रिपोर्ट अब तक नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि सरकारी स्तर पर जांच कराई जाकर यह कार्यवाही न्याय के रूप में हो तो ठीक रहेगा। मेरा कहना है कि जो उक्त कार्यवाही अधिकारियों के द्वारा गलत ढंग से की गई है वह निरस्त होनी चाहिए और सांगानेर के व्यक्ति को सांगानेर में जमीन दें, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? मालपुर, डूंगर, सुमेल गांवों को बख्शें इसके अभाव में ग्रामीणजनों में भयकर आक्रोश है, सालों से यह लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार ध्यान दे, कार्य करे। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद, श्री यदुनाथ सिंह।

रावी व्यास नदियों के जल बंटवारे में राजस्थान के हितों की उपेक्षा

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान की जनता के मन में पनप रहे भय और आशंका मिश्रित प्रश्नों की ओर खींचना चाहता हूं। ऐसा करना मैं इसलिए आवश्यक समझता हूं कि जब-जब भी केन्द्र ने पंजाब समस्या के समाधान के प्रयास किये हैं तब-तब ही रावी-व्यास नदियों में राजस्थान के हितों की उपेक्षा ही की गई। पंजाब के तुष्टिकरण के लिए इस रेगिस्तानी राज्य के पानी और विद्युत के हिस्सों की बलि चढ़ाई जाती रही है और उसके हितों पर चुनचुन कर कुठाराघात किया गया है। परिणाम यह निकला है कि पंजाब हमारे बिजली-पानी के वैध हिस्से को देने में आनाकानी और रोड़े ही नहीं अटकाता रहा है बल्कि वह राजस्थान के हिस्से को निर्बाध रूप से गटक भी रहा है। रावी-व्यास प्रकरण में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच, पिछले दस वर्षों में तीन समझौते सम्पन्न हुए हैं। पहला समझौता रावी-व्यास नदियों के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1989 को, दूसरा समझौता रोपड़ थर्मल व आनन्दपुर साहिब आदि जल विद्युत परियोजना सम्बन्धी 10 मई, 1984 को व तीसरा समझौता 24 जुलाई, 1985 को राजीव–लोंगोवाल समझौता। मान्यवर आपकी जानकारी में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से इण्डस वाटर ट्रीटी को ठोस आधार प्रदान करने के लिए ही पंजाब राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बीच 1955 में समझौता किया गया था। इस समझौते की शर्तों के अनुसार राजस्थान, पंजाब व जम्मू-कश्मीर को क्रमशः 8.00, 7.20 तथा 0.65 एम. ए. एफ. पानी का हिस्सा तय किया गया और इसी समझौते में यह व्यवस्था भी की गई थी कि कश्मीर का हिस्सा स्थिर रहेगा, यानि वह 0.65 एम. ए. एफ. से अधिक या कम नहीं होगा। जहां तक पंजाब व राजस्थान का प्रश्न है उसके लिए यह व्यवस्था थी कि जब कभी इन नदियों में अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा तो स्वतः ही इन राज्यों के हिस्से के प्रतिशत के अनुपात में उस बढ़े हुए पानी के हिस्से का बंटवारा होगा।

जब पंजाब का बंटवारा हुआ और पंजाब रि-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966 लागू किया गया तो उसके अनुसार पंजाब व हरियाणा के बीच नदी-जल व अन्य सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों का बंटवारा होना था। इन राज्यों के बीच लगातार विवाद चलता रहा और इस विवाद को समाप्त करने के लिए 24 मार्च, 1986 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक नोटिफिकेशन के जरिये पंजाब व हरियाणा के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने की कोशिश की। इसके जरिये 7.20 एम. ए. एफ. पानी में से 3.50 एम. ए. एफ. पंजाब, 3.50 एम. ए. एफ. हरियाणा व 0.12 एम. ए. एफ. दिल्ली को पाने के लिए तथा बचे हुए .08 एम. ए. एफ. को दिल्ली के पीने के पानी के लिए सुरक्षित रखा गया। परन्तु पंजाब-

(श्री यदुनाथ सिंह)

हरियाणा, दोनों राज्य इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गये। पंजाब इस नोटिफिकेशन को निरस्त करने के लिए व हरियाणा नोटिफिकेशन को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष के लिए लड़ते रहे। यहां तक राजस्थान के हिस्से पर कभी कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया गया लेकिन 31 दिसम्बर, 1981 को पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच रावी-व्यास नदियों के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में इस समझौते में राजस्थान को नाहक ही घसीटा गया और पंजाब को खुश करने के लिए उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किये गये जिससे। ऐसे समय तक के लिए जब तक राजस्थान अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम नहीं हो, पंजाब वह पानी अपने उपयोग में लेने के लिए स्वतन्त्र होगा। मेरी मान्यता यह है कि राजस्थान के साथ यह धोखा था। इस पानी का उपयोग तो पंजाब करता रहा परन्तु इस समझौते की अन्य धाराओं, जिनकी कि पंजाब को पालना करनी थी, की वह सदैव उपेक्षा करता रहा और आज तक उनकी पालना नहीं की गई। जैसे कि हैड वर्क्स का नियंत्रण बी. बी. एम. बी. को सौंप देना, सतलज-जमुना लिंक का निर्माण करना तथा 0.57 एम. ए. एफ. पानी को शिघ्रातिशीघ्र राजस्थान में उपयोग कराने के कदम उठाना आदि-आदि। बहुत से प्रावधानों का पंजाब में आज तक भी पालन नहीं किया गया है व आज भी पंजाब इन हैड वर्क्स पर अपना अधिकार जमाये बैठा है जिसका परिणाम है कि राजस्थान व हरियाणा को पंजाब की दया पर निर्भर रहना पड़ रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि पिछले कुछ दिनों से समाचार-पत्रों में यह समाचार छप रहे हैं कि पंजाब के आतंकवादी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं कि यदि

(12.55 म. प.)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान व हरियाणा को पानी दिया गया तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे। कुल मिलाकर राजस्थान व हरियाणा के लोगों का भविष्य अन्धकारमय स्थिति में है। इसी प्रकार से 10 मई, 1984 को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा केन्द्र की सरकारों के बीच हुए समझौते में जिस प्रकार पंजाब के तुष्टिकरण हेतु राजस्थान के हितों की बलि चढ़ाई गई है इसकी मिसाल नहीं है। इस समझौते में मेरा सबसे पहला एतराज तो यही है कि रोपड़ थर्मल में राजस्थान की हिस्सेदारी को इस आधार पर नकार दिया गया है कि यह ताप विद्युत परियोजना है परन्तु नांगल हाइडल चैनल (जिसमें राजस्थान हिस्सेदार है) से 600 क्यूसैक्स पानी दिये बिना इस विद्युत परियोजना में जब विद्युत उत्पादन सम्भव नहीं है तो राजस्थान को भी इस परियोजना में भागीदार बनाया जाना चाहिए था। दो हिस्सों में विभक्त इस अन्तर्राज्यीय समझौते के पहले हिस्से में रोपड ताप विद्युत परियोजना को नांगल हाइडल चैनल से 600 क्यूसैक्स पानी देते समय पंजाब को मुख्य रूप से तीन बातों के लिए बाध्य किया गया था :—

(1) पंजाब इस परियोजना के ओपेन साइकल कुलिंग सिस्टम को क्लोज साइकिल

(श्री यदुनाथ सिंह)

सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए कदम उठायेगा तथा दूसरे चरण में क्लोज साइकल कुलिंग सिस्टम ही लगायेगा। (2) पंजाब 31 मई, 1985 तक भाखड़ा मेन लाइन को उसकी 12500 क्यूसेक्स की मूल क्षमता के अनुरूप दुरुस्त करेगा तथा इसकी मरम्मत के बाद रोपड़ ताप विद्युत परियोजना के लिए दिया जाने वाला पानी पंजाब के स्वयं के हिस्से में से होगा। (3) नांगल हाइडल चैनल का प्रशासन, रखरखाव एवं संचालन भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध मंडल का होगा जिसकी एक वर्ष के बाद सम्बन्धित राज्यों द्वारा समीक्षा की जायेगी। परन्तु खेद है कि इसकी एक भी धारा का आज तक पालन नहीं किया गया है। न तो पंजाब ने ओपन साइकिल सिस्टम को क्लोज साइकल सिस्टम में परिवर्तित किया है और न ही भाखड़ा मेन लाइन को दुरुस्त किया है। परिणामतः पंजाब रोपड़ ताप विद्युत परियोजना में हमारे पानी को हड़प रहा है और भाखड़ा मेन लाइन की मरम्मत के अभाव में गंगानगर के नोहर-भादरा क्षेत्र पानी की एक-एक बूंद को तरस रहे हैं। भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध मण्डल को इसका नियन्त्रण सौंपना तो शायद ख्वाब में ही पूरा हो। इस समझौते के दूसरे हिस्से में तो राजस्थान के हितों पर सबसे कठोर तथा अपूरणीय आघात किया गया है, आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल को नांगलपोंड से जोड़ते समय आनन्दपुर साहिब, मुकेरिया, यू. बी. डी. सी. स्टेज सैकण्ड थिन डेम तथा शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान की हिस्सेदारी को अकारण ही विवाद का विषय बना दिया गया है जबकि रावी-व्यास के पानी और उससे उत्पादित विद्युत व अन्य लाभों में राजस्थान की हिस्सेदारी होगी, यह पहले ही तय है।

समझौते के अनुसार इन परियोजनाओं में राजस्थान और हरियाणा हिस्सेदार हैं कि नहीं, और है तो इनका कितना हिस्सा होगा, के बारे में सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगा जिसे मानने के लिए सम्बन्धित राज्य बाध्य होंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी कारण से अपनी राय दे सके तो सम्बन्धित राज्य के संयुक्त निवेदन पर सुप्रीम कोर्ट अपने कार्यरत जज को इस सम्बन्ध में फैसला देने के लिए नियुक्त करेगा जिसे मानने को भी सभी सम्बन्धित राज्य तथा बी. बी. एम. बी. बाध्य होंगे। यदि किन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति नहीं हो तो भारत सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के किसी कार्यरत जज को सौंपेगी जिसका फैसला सभी पक्षों को मानना होगा। इस मामले पर कोई फैसला होने तक केन्द्र सरकार राजस्थान तथा हरियाणा को अपने हिस्से में से अतिरिक्त बिजली देने के विशेष आग्रह पर विशेष ध्यान देगी परन्तु यह कहते हुए पीड़ा होती है कि न तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय दी है, न ही सम्बन्धित राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए संयुक्त प्रतिवेदन दिया है और आखिर पंजाब संयुक्त प्रतिवेदन में शामिल भी क्यों होगा ? केन्द्र सरकार द्वारा भी अब इसे सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत जज को न सौंपना साफ दर्शाता है कि केन्द्र सरकार पंजाब के तुष्टिकरण के लिए राजस्थान के हितों की बलि चढ़ा रही है। कई परियोजनाओं में उत्पादन चालू है और राजस्थान को अंगूठा दिखा कर पंजाब हमारी बिजली को निर्बाध रूप से

(श्री यदुनाथ सिंह)

गटक रहा है। इस बीच राजस्थान को केन्द्रीय कोटे से एक भी यूनिट बिजली उपलब्ध नहीं कराई गयी है। इस समझौते से राजस्थान के हितों पर बेहिसाब आघात हुआ। एक तो भाखड़ा मेन लाइन की मरम्मत नहीं होने से पंजाब रोपड़ परियोजना में राजस्थान के हिस्से के पानी को हड़प रहा है; दूसरे इस परियोजना से उत्पादित बिजली को खा रहा है और तीसरे आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल को नांगल-पोंड के ऊपरी हिस्से से लगभग 12000 क्यूसैक्स पानी देने से नांगल हाइडल चैनल में 12500 क्यूसैक्स पानी बचता ही नहीं क्योंकि नांगल पोंग की क्षमता ही 16000 क्यूसैक्स है जिससे एक तरफ तो नोहर-भादरा के लोग एक-एक बूंद पानी को तरस गये गये है तो उधर राजस्थान के हिस्सेदारी की कोटला और गंगवाल विद्युत परियोजनाओं का विद्युत उत्पादन अवरुद्ध होने से राजस्थान के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिलाकर इस समझौते के माध्यम से राजस्थान के हितों पर चुन-चुन कर हर प्रकार से चोट की गई है। यह मेरी समझ के बाहर है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर समझौतों का नाटक कर समझौतों के महत्व को गिराया जाना क्या राज्य हित में है ?

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य

असंवैधानिक समझौता दिनांक 10-8-70 को निरस्त करने सम्बन्धी

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में मुस्लिम सम्प्रदाय की समस्त वक्फ सम्पत्ति को सुचारु रूप से व्यवस्था करने, समस्त वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सम्पत्ति की निगरानी करने वाले मुतवली की मनमानी को रोकने, अव्यवस्था को समाप्त करने एवं हिताधिकारियों के अधिकारों एवं सुविधा की दृष्टि से वक्फ एक्ट के तहत राज्य सरकार ने सन् 1954 ई. में सुन्नी एवं शिया सम्प्रदायों के लिये एक ही वक्फ बोर्ड का गठन किया, जो राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्ति की कुल आय का प्रतिशत अंशदान प्रतिवर्ष बोर्ड में जमा कराना अनिवार्य है।

शिया वर्ग के दाऊदी बोहरा सम्प्रदाय की समस्त वक्फ सम्पत्ति जो उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के अनेक नगरों, कस्बों एवं गांव में मस्जिदों, मुसाफिरखानों, जमाअत खानों एवं दरगाहों आदि के रूप में स्थित है, इसी एक्ट के अन्तर्गत बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है।

सन् 1969 ई. तक उपरोक्त सम्पत्ति की आय का कोई अंशदान सरकार की नहीं दिया गया लेकिन 10-8-1970 को राज्य सरकार ने बोहरा धर्मगुरु सैयदना साहब से एक करार किया जिसके आधार पर उससे पूर्व के वर्षों के लिए 9000 रु. की राशि प्राप्त कर आगे के लिए एक्ट के प्रावधानों के प्रतिकूल 5000 रु. की राशि वार्षिक अंशदान के रूप में स्वीकार कर ली गई। जिसकी बिना पर सम्पत्ति के व्यवस्थापकीय पक्ष को एक्ट की रू से लगने वाली तमाम पाबन्दियों से मुक्ति मिल गई। अर्थात् हिसाब-किताब की जांच,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मुतवल्ली की मनमानी से उत्पन्न अव्यवस्था, हिताधिकारियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं सुविधा, ये तमाम बातें गौण हो गई। इतना ही नहीं बल्कि इस जन सम्पत्ति को धर्मगुरु सैयदना साहब के अधिकार में मानकर उन्हें सोल ट्रस्टी मान लिया गया जब कि वक्फ बोर्ड में ट्रस्टी नहीं होते और शरीयत के हिसाब से भी समस्त वक्फ सम्पत्ति अल्लाह में निहित होती है। इस करार से निर्धारित राशि प्राप्त करने के पश्चात् यही नहीं कि बोर्ड को हिसाब-किताब की जांच और अन्य आवश्यक बातों का तो अधिकार नहीं रहा बल्कि इस सम्बन्ध में हर प्रशासनिक कार्यवाही के पहले धर्मगुरु की राय जानने को आवश्यक शर्त का रूप दे दिया गया तथा व्यवस्था एवं प्रशासन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करने का मुसविदे में उल्लेख किया गया और यही नहीं अपितु बोर्ड में धर्मगुरु सैयदना साहब द्वारा नामजद व्यक्ति की सदस्यता भी स्वीकारी गई।

वक्फ एक्ट के प्रतिकूल एक राज्य सरकार का इस प्रकार का करार सरकार की विवशता अथवा झुकाव की ओर इंगित करता है। इस समझौते से कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो गये। उदाहरण के तौर पर धर्मगुरु वर्ग द्वारा सरायों में ठहरने एवं अन्य बातों के लिए मनमानी राशि वसूल करना, बोहरा यात्रियों के लिए दरगाहों में आने-जाने हेतु अनुमति पत्र जारी करना, सुधारवादी बोहरों के आवागमन पर रोक लगाना आदि। परिणामतः लोगों में बेचैनी फैलती गई। मारपीट, झगड़े और आन्दोलन का सूत्रपात हुआ तथा 1973 ई. से बोर्ड एवं सरकार उपरोक्त समझौते के बन्धन में बंध कर खुले रूप में मूकदर्शक बने रहे हैं और इसे धार्मिक विवाद बता कर टालने का प्रयास होता रहा है।

बोहरा सम्प्रदाय में आपसी विवाद के कारण उठाये गये प्रश्नों पर सरकारी पत्रावलियों में कार्यवाहियां तो हुई हैं लेकिन उनका कोई नतीजा सामने नहीं आया। दिनांक 20–5–76 को राज्य के राजस्व विभाग ने अंशदान की सही राशि की जांच के लिए 'स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट्स' मंगवाने के निर्देश दिये थे लेकिन यह कार्यवाही नहीं करके 21–4–77 को निरस्त कर दी गई। फिर दिनांक 4–8–78 ई. को बोर्ड की बैठक में निश्चय किया गया कि समझौते का कोई कानूनी आधार नहीं है तथा अवैधानिक है। दिनांक 21–9–78 को पुनः निर्देश दिया गया कि हिसाब का विवरण भिजवाने हेतु धर्मगुरु सैयदना साहब को नोटिस जारी किया जाये लेकिन दिनांक 21–2–1981 को तत्कालीन वक्फ मन्त्री महोदय के निर्देश पर यह कार्यवाही रोक दी गई। दोबारा फिर दिनांक 15–1–82 को राज्य सरकार ने 21–9–78 के निर्देशानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये। इस पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने दिनांक 19–3–83 को धर्मगुरु सैयदना साहब को लिखा कि वे बम्बई आकर इस मामले को तय करेंगे लेकिन दिनांक 27–4–84 को तत्कालीन वक्फ मन्त्री महोदय ने आदेश दिया कि सैयदना साहब के जवाब का इन्तजार न कर आगे कार्यवाही की जाये और कोई पत्र न लिखा जाए लेकिन फिर बोर्ड के सचिव महोदय बिना किसी निर्देश के 28–4–86 को बम्बई पहुंच गये और समझौते का नवीनीकरण कर 20,000 रुपयों की राशि 1–4–86 से बढ़ा लाये। इससे कई गुणा

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अधिक अंशदान की राशि तो केवल गलियाकोट दरगाह से ही प्राप्त हो सकती है जब कि अंशदान की यह निर्धारित राशि सम्पूर्ण प्रदेश की वक्फ सम्पत्ति के लिए है। प्रान्त भर से तो लाखों रुपये की आय हो सकती है जिसे दिनांक 29-8-86 की बोर्ड की बैठक में एक गलत कार्यवाही करार दिया गया। यह कार्यवाही भी वक्फ एक्ट के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

स्पष्ट है कि ये समस्त निष्फल कार्यवाहियां इसी करार के कारण हो रही हैं। राज्य सरकार नियम और संविधान के अनुरूप चलना चाहती है और यह असंवैधानिक करार उसमें बाधक है। इस करार से न केवल सरकार के कार्यों में अड़चनें पैदा हो रही हैं बल्कि बोहरा सम्प्रदाय में भी बेचैनी है और आये दिन झगड़े होते रहते हैं।

इसी प्रकार का एक मामला औरंगाबाद के वक्फ बोर्ड में आया और उस सम्बन्ध में बोर्ड ने धर्मगुरु को नोटिस दिया कि वक्फ की समस्त सम्पत्ति पर तमाम बोहरों का हक है, वहां किसी को रोकने का अधिकार किसी भी धर्मगुरु को नहीं है। यदि ऐसा किया गया तो कानूनी कार्यवाही होगी।

अतः जनता की भावना को समझते हुए समान अधिकार के सिद्धान्त के विरुद्ध अब ऐसी कार्यवाहियां सहन की जानी चाहिये। अतः अब इस समझौते को रद्द करना समीचीन प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में वर्तमान सरकार के वक्फ मन्त्री महोदय भी इसी सदन में दिनांक 29-6-90 को ये सब अनियमिततायें स्वीकार कर चुके हैं। इस करार के निरस्तीकरण से असंवैधानिक कार्यवाहियां तो बन्द होंगी ही मुतव्वली की मनमानी से लोगों को राहत मिलेगी। हिताधिकारियों पर लगी रोक हटेगी। अमीरों को अनुचित सुविधा और गरीबों की परेशानी मिटेगी। हिसाब-किताब के निरीक्षण से जनता द्वारा दी गई धनराशि का सही उपयोग एवं व्यवस्थापकीय बोर्ड द्वारा हो सकेगा जिससे व्यक्ति विशेष का अधिकार समाप्त होगा और सबसे बढ़कर यह कि अंशदान की सही राशि प्राप्त होने से सरकार को हो रही हानि रुक पायेगी और सम्प्रदाय में व्याप्त जन असन्तोष समाप्त होगा।

अतः राज्य सरकार और धर्मगुरु सैयदना के बीच हुआ यह असंवैधानिक समझौता तुरन्त निरस्त किया जाना चाहिए और लोगों को राहत पहुंचायी जानी चाहिए। यह संविधान, धर्म निरपेक्षता एवं जनतांत्रिक प्रणाली के अनुकूल होगा और उदयपुर के प्रगतिशील बोहरों को गलियाकोट दरगाह में इबाबत करने की आज्ञा प्रदान करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री बी. डी. कल्ला

बीकानेर नगरपालिका में चुंगी की दरों में बढ़ोतरी

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चुंगी की समान दर करने के बारे में कई बार संबंधित स्वायत्त शासन मन्त्रियों द्वारा घोषणायें की गयीं, परन्तु राजस्थान के विभिन्न शहरों में चुंगी की दरों में भिन्नता होने के कारण स्थानीय बाजार प्रभावित होते हैं। सम्भागीय मुख्यालय, जयपुर में चुंगी की दरों में एकरूपता न होने से कुछ चीजों के बाजार भा[illegible] एवं व्यवसाय में बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

देश में चुंगी को समान करने एवं इसको समाप्त करने के लिए वैकल्पिक उपाय ढूंढने की जहां आवश्यकता थी, वहां चुंगी की बढ़ोतरी में असमानताओं के कारण बीकानेर, जोधपुर और अन्य इलाकों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है और, वहां के प्रायः सभी प्रकार के बाजार इससे प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं एक तुलनात्मक स्टेटमेंट देकर बताना चाहूंगा कि जयपुर में जहां चुंगी की दर कम है वहीं बीकानेर और अन्य इलाकों में इससे ज्यादा चुंगी की दर वसूल की जा रही है।

सभी प्रकार के किराना तथा नारियल, सोडा व खोपरा जिनकी जयपुर में चुंगी दर 5.50 रु. प्रति क्वि. है वहीं बीकानेर में इनकी चुंगी की दर 8 रु. प्रति क्वि. के, हिसाब से वसूल की जा रही है। आतिशबाजी मय रंगीन दियासलाई की जयपुर में चुंगी दर 45.00 रुपये प्रति क्वि. है वहीं बीकानेर में यह दर 60.00 रु. प्रति क्वि. है।

समस्त प्रकार की इमारती लकड़ी मय मकान बनाने के काम आने वाली लकड़ी, स्लीपर, तख्ते, बांस, बल्ली इत्यादि की चुंगी दर जयपुर में .75 पैसे प्रति क्वि. व 1.50 रु. प्रति क्वि. है वहीं बीकानेर में यह दर बांस व बल्ली की 1.50 रु. प्रति क्वि. और 3.00 रु. प्रति क्वि. है।

समस्त प्रकार की दवाइयां एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी आदि पर जयपुर में चुंगी दर 5.00 रु. प्रति क्वि. है वहीं बीकानेर में इनकी चुंगी दर 10.00 रु. प्रति क्वि. है।

समस्त प्रकार के रेडीमेड वस्त्र, सूती, रेशमी, समस्त प्रकार की दरियों की चुंगी दर जयपुर में 20.00 रु. प्रति क्वि. है वहीं बीकानेर में इनकी चुंगी दर 30.00 प्रति क्वि. है।

मोटर पार्ट्स की चुंगी दर जयपुर में 25.00 रु. प्रति क्वि. है जबकि बीकानेर में यह दर 30.00 रु. प्रति क्वि. है। इसी प्रकार टायर ट्यूब की चुंगी दर जयपुर में 35.00 रु. प्रति क्वि. है जबकि यह दर बीकानेर में 60.00 प्रति क्वि. है। देशी घी की चुंगी दर जयपुर में .25 पैसे प्रतिशत है जबकि बीकानेर में यह दर 15 रु. प्रति क्वि. है।

समस्त प्रकार के फर्नीचर पर जयपुर में चुंगी की दर 12.00 प्रति क्वि. है जब कि बीकानेर में यह दर 20.00 प्रति क्वि. है। ब्लेड की चुंगी की दर जयपुर में 12.00 रु. प्रति क्वि. है जबकि बीकानेर में इसकी दर 20.00 रु. प्रति क्वि. है। जयपुर में ऊन की चुंगी की दर 3.00 रु. प्रति क्वि. है वहीं बीकानेर में इसकी दर 10.00 रु. प्रति क्वि. है।

अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में यदि तुलनात्मक सूची को देखें तो सिद्ध होता है कि जयपुर की तुलना में बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में चुंगी की दर ज्यादा है और जयपुर में सबसे कम है। हमारा यह कहना है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर विचार कर बढ़ाये गये चुंगी के भार को समाप्त किया जाय और कम से कम राज्य के छः सम्भागीय मुख्यालयों पर चुंगी की दरों को समान किया जाय। जैसा कि पूर्व में मन्त्री जी द्वारा घोषणा भी की गई है कि जो वस्तुएं एक जैसी हैं उनकी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

चुंगी की दर सारे राजस्थान में एक जैसी हो तथा उत्तर प्रदेश की तरह चुंगी को समाप्त भी किया जा सकता है। इस पर भी विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जाय।

अशासकीय विधेयक का पुनः स्थापन
राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1991

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह, सदस्य प्रभारी राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री गुलाबसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1991 को पुरः-स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गुलाबसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 का पुरःस्थापन एवं विचार

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान, प्रभारी सदस्य, अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय? (स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियमों का विलम्बन नियम 66 के परन्तुक सावधानों का विलम्बन

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अति महत्वपूर्ण मामला है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया के नियम 306 के अन्तर्गत प्रक्रिया के नियम 66 के परन्तुक के प्रावधानों को लागू किया जाना निलम्बित किया जाकर अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह आपत्ति है कि कार्यसूची के अनुसार ही बिजनेस को लिया जाय। यह बिजनेस बाद में रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप। प्रश्न यह है कि प्रक्रिया के नियम 306 के अन्तर्गत प्रक्रिया के नियम 66 के परन्तुक के प्रावधानों को लागू किया जाना निलम्बित किया जाकर अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय? (स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : Noes have it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रक्रिया के नियम 306 के अन्तर्गत प्रक्रिया के नियम 66 के परन्तुक के प्रावधानों को लागू किया जाना निलम्बित किया जाकर अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय? (स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। श्री हीरासिंह चौहान।

विधेयक पर विचार

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

श्री बुलाकीदास कल्ला : Noes have it.

श्री अध्यक्ष : मैं फिर पूछ रहा हूं। प्रश्न यह है कि अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय? (स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। श्री हीरासिंह चौहान।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का क्या हुआ?

विधेयक ~~का प्रारम्भ~~ पर विचार

श्री अध्यक्ष : इसके बाद।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1965 में इस देश के 12 राज्यों के सारे कुलपतियों ने, राज्यपाल ने, संसद के सम्माननीय सदस्यगण ने, विधायकों ने और आर्य समाज के देश भर में जितने भी प्रतिनिधिगण थे उन्होंने स्व. लालबहादुर शास्त्री भूतपूर्व प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया और निवेदन किया गया कि अजमेर में ही स्वामी दयानन्द जी का निर्वाण हुआ था और अजमेर नगर से स्वामी दयानन्दजी का विशेष सम्बन्ध रहा था और उस समय यह निवेदन किया था कि उनके नाम से अजमेर में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। इसकी घोषणा स्व. प्रधान मन्त्रीजी ने 16 मार्च, 1965 को की थी कि जब कभी अजमेर में विश्वविद्यालय खोला जाएगा उसका नाम स्वामी दयानन्द विश्वविद्यालय रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में लगातार विश्वविद्यालय खोलने के लिए वहां की संस्थाओं के द्वारा, वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा निवेदन किया जाता रहा और सके बाद बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दो वर्ष पहले 7-11-87 को राजस्थान सरकार के द्वारा राज्यपाल महोदय के अधिनियम सं. 38 के द्वारा अजमेर में अजमेर विश्वविद्यालय खोला गया लेकिन उसके बाद में भी लगातार वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा और वहां के आर्य समाज के जितने भी प्रतिनिधिगण थे उनके द्वारा लगातार मांग की जाती रही कि इसका

(श्री हीरासिंह चौहान)

नाम संशोधित करके स्वामी दयानन्द विश्वविद्यालय रखा जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ऐसे महापुरुषों में थे जिन्होंने 1885 में उस भारत की कल्पना की थी कि विदेशी राज बुरा है। स्वदेशी राज होना चाहिए। सबसे पहले 1875 में उन्होंने कल्पना की थी। उनके द्वारा आज अपने देश में ही नहीं पूरे संसार में डी. ए. वी. और गुरुकुल के नाम से हजारों संस्थाएं चल रही हैं और दयानन्दजी इस आधुनिक भारत के निर्माता हैं। स्वामी दयानन्दजी के लिए भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद जी ने कहा कि वह आधुनिक भारत के निर्माता थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छुआछूत को मिटाने और स्त्री शिक्षा को महत्व देने की, यह 1885, आज से सौ वर्ष पहले, हमारे इस देश में इस प्रकार की भावना का उनके द्वारा विकास किया गया था। आज यहां पर आर्य समाज की संस्था है, वहां पर कोई छुआछूत नहीं है, नारी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, इस प्रकार इन सारे दृष्टिकोणों को देखते हुए अजमेर विश्वविद्यालय का नाम इस महापुरुष के साथ लगाया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने ही राज्य में उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नाम से पुकारा जाता है और भूतपूर्व प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू, स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी के नाम से देश में सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं। इस प्रकार हमारे महान ऋषि हुए हैं और वे हमारे मार्गदर्शक थे उनके नाम से ऐसी सैकड़ों संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय उनके नाम से चल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस अजमेर विश्वविद्यालय का नाम रखने के लिए जितने भी अजमेर के जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने उस समय, जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी, यहां के राज्यपाल थे, उस समय हरिभाऊ उपाध्याय जी, रामनारायण सिंह जी, मुकुट बिहारी लाल भार्गव और जितनी भी अजमेर की संस्थाएं हैं, उनके द्वारा इसका नाम स्वामी दयानन्द विश्वविद्यालय रखने के लिए राजस्थान सरकार से निवेदन किया गया था और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने तो स्पष्ट घोषणा की थी कि अजमेर विश्वविद्यालय का नाम स्वामी दयानन्द विश्वविद्यालय ही रखा जावेगा। इस विषय में मैं सदन के सभी दलों के माननीय नेता और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैंने सबसे सम्पर्क किया और उन्होंने इस बात की सहमति दी थी कि अगर ऐसे महापुरुष के साथ अजमेर विश्वविद्यालय का नाम जुड़ता है तो निसंदेह इस प्रकार का गैर सरकारी विधेयक लाकर के भी उस नाम से जोड़ा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, ऋषि दयानन्द का नाम आते ही मेरे सामने एक ज्योतिपुंज प्रकाशित हो उठता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निर्विवाद रूप से देश में कुरीतियां हटाने के लिए, कर्म-कांड हटाने के लिए, पिछड़ों को आगे लाने के लिए, हमारी संस्कृति को उजागर करने के लिए, वेद के प्रचार प्रसार के लिए जितना कार्य किया, महिला जागृति

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

के लिए, महिला शिक्षा के लिए, जति-पति तोड़ने के लिए जितना कार्य उन्होंने किया, मैं समझती हूं कि उनका जीवन दर्शन, उनके कार्य, उनका व्यक्तित्व, उनकी स्तुति निश्चित रूप से अनुकरणीय है। उसी की याददाश्त को, जिन अन्तिम क्षणों को उन्होंने वहां बिताया अजमेर में, चिर स्मरणीय रहेंगे। ऐसे लोग हैं जो विभूतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे लोग अनेकों समय में अनेकों हुए हैं। महात्मा गांधी की हत्या भी ऐसे लोगों ने की, महर्षि दयानन्द की हत्या भी ऐसे लोगों ने की, जो प्रकाश पुंज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं समझती हूं कि उस ऋषि की स्मृति में जो यहां प्रस्ताव आया है, वह अभिनन्दनीय है और उसको हमें निर्विवाद रूप से पास करना चाहिये और मैं तो चाहूंगी कि और भी स्मारक के रूप में अन्य चीजें आयें, लेकिन वो बाद की बात है। इस बात में मैं नहीं जाना चाहूंगी कि निश्चित रूप से यह प्रयत्न हमारे माननीय सदस्य ने किया। आप सभी इसको पास करें और इसमें विवाद का कोई विषय नहीं है। मैं उनका भी अभिनन्दन करना चाहूंगी, जिन्होंने पूर्व में इस नाम को चिर स्मरणीय बनाने के लिए यह कार्य किया है। उनके नाम और उनके काम तो चिर स्मरणीय रहेंगे लेकिन यह कार्य हो जायेगा तो एक स्तुत कार्य होगा। मैं आज माननीय सदस्यों से प्रार्थना करती हूं कि इसमें कोई भी बात नहीं है जिसमें इसका विरोध किया जाये, निर्विवाद रूप से इसको पास किया जावे, मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला जी, गलती सुधारें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने प्रक्रिया के बारे में....

श्री अध्यक्ष : मान लें आप। गलती सुधार लें, अच्छा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष जी, यह तो प्रक्रिया का विरोध था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने शुरू से ही कहा था कि मैं प्रक्रिया का विरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। मैं कह रहा हूं आप बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था यह बिल जिस तरह से प्राइवेट मैम्बर्स द्वारा लाया गया है, क्या सरकार इसको नहीं ला सकती थी। ऐसा लगता है कि सरकार बिल बनाने के बारे में, या बिल को लाने के लिए तैयार नहीं है और सरकार के मिनिस्टर कांपीटेंट नहीं हैं। जब विधान सभा चल रही है और प्राइवेट मैम्बर्स द्वारा गुपचुप में बिल लाना, मैं समझता हूं कि यह संसदीय परम्पराओं के प्रतिकूल है। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कौन से नियमों और परम्पराओं के प्रतिकूल है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सचेतक महोदय, आप बिराजो। आप बोलने दीजिए। उनके उद्गार आ जाने दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सरकार को सभी पक्षों की राय लेकर, विपक्ष को और सारे दलों को साथ लेकर बिल को लाना चाहिये था। आज अजमेर विश्वविद्यालय

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

की क्या स्थति है? अजमेर विश्वविद्यालय में पिछले 6 महीनों से कुलपति नहीं है। सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के रिजल्ट्स आये हुए नहीं हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने उस विश्वविद्यालय को अभी तक मान्यता नहीं दी है। एक वर्ष में आपने इसके लिए क्या किया? विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे समय में पांचों विश्वविद्यालयों में पूर्णकालीन कुलपति लगे हुए थे लेकिन आज राजस्थान के 6 विश्वविद्यालयों में से 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं हैं। केवल एक विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय, में पूर्ण कालीन कुलपति है, बाकी 5 विश्वविद्यालयों में लम्बे समय से कुलपति के पद रिक्त पड़े हुए हैं और उदयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी लम्बे समय से छुट्टी पर गये हुए हैं। ऐसा लगता है कि यह सरकार कुलपतियों के पद का भी राजनीतिकरण करने जा रही है। आने वाले समय में....

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : एक मिनट, कल्ला साहब, आप तो यह बताओ कि इन कारणों से नाम नहीं बदला जावे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं नाम के बारे में विवाद ही कहां कर रहा हूं? आप मुझे सुन नहीं रहे हैं। जो प्रक्रिया आपने अपनाई है, उसका मुझे एतराज है। नाम परिवर्तन के बारे में तो कोई एतराज नहीं है। निश्चित रूप से दयानन्द सरस्वती की सेवाएं महिला शिक्षा के क्षेत्र में, अछूतोद्धार के लिए और हमारे देश की कल्चर को डवलप करने में और आगे बढ़ाने में उनका भारी योगदान रहा है। वे स्त्री शिक्षा के हमेशा हिमायती रहे और लिट्रेसी को बढ़ाने के लिए और हमारे समाज में व्याप्त अन्धकार को और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए उनका निश्चित रूप से पूरा योगदान रहा। लेकिन जो प्रक्रिया आपने अपनाई है, उसके ऊपर मेरा निश्चित रूप से एतराज है। आपको सारे लोगों की राय लेकर के, सबको कांफिडेंस में लेकर के इस काम को करना चाहिये था और उसके साथ-साथ जब....

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर के मैम्बर्स जब....

श्री अध्यक्ष : हीरासिंह जी, उनको बोलने दीजिए। इनको शायद पता नहीं है कि इन्हीं की पार्टी के सदस्य ने भी एक बिल यहां पेश किया है। हां, आप बोलिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : हां, मालूम है लेकिन क्या सरकार....

श्री कालीचरण सराफ : इनके समय में कभी भी गैर सरकारी कार्य हुआ नहीं। अब इनको कल्पना ही नहीं है कि गैर सरकारी कार्य होता क्या है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : आपको पता नहीं है। आप मेम्बर नहीं थे।

श्री कालीचरण सराफ : पांच साल तो रहा था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यहां स्वयं राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव लाया था (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिस समय राजस्थानी की बात चली थी, उस समय श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत यहां आई थी उसे रखने के लिए और आपकी सरकार इस विधानसभा को स्थगित करके, अनिश्चित काल के लिए चली गई । आप क्या बात करते हैं ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : उसका पहले विचार विमर्श हुआ था । आप भी बोली थी उस पर ।

श्री अध्यक्ष : कृपया महर्षि दयानन्द के उपदेशों को ध्यान में रखें ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, किसी विश्वविद्यालय के बारे में बिल आता है तो विश्वविद्यालय के बारे में हमारी जो व्यवस्था चल रही है, उसके बारे में सरकार का ध्यान दिलाने का हक निश्चित रूप से हमको है । आज अजमेर विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है ? मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा यदि बुरी स्थिति किसी की है तो वह अजमेर विश्वविद्यालय की है । अजमेर विश्वविद्यालय में 3 से ज्यादा संभागीय मुख्यालय के कालेज एफीलियेटेड किए गए हैं लेकिन वहां पर पूर्णकालीन कुलपति नहीं होने के कारण आज समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं सप्लीमेंट्री परीक्षाएं जिनका मैंने जिक्र किया, फरवरी का महीना समाप्त होकर मार्च का महीना समाप्त हो रहा है, लेकिन आज तक परीक्षा परिणाम नहीं आने के कारण विद्यार्थी अपना अगला एकेडेमिक ईयर कब प्रारम्भ करेंगे ? और इसके साथ ही वहां बोर्ड आफ स्टेडीज की मीटिंग नहीं हुई । वहां पर पुस्तकों के खरीदने के बारे में कई बार यहां पर आरोप-प्रत्यारोप लगे, उसकी जांच हुई ? इसी तरीके से वहां विश्वविद्यालय में पूर्णकालीन कुलपति नहीं होने के कारण वहाँ पर एक दो कर्मचारी हैं, जो कुलपति का काम करते हैं । इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसके बारे में सरकार को पूर्णतया ध्यान देना चाहिये और अविलम्ब दो पखवाड़े में पूर्णकालीन कुलपति अजमेर विश्वविद्यालय में और राज्य के अन्य विश्वविद्यालय हैं, जहां पूर्णकालीन कुलपति नहीं है, वहां कुलपति को लगाना चाहिये । जहां तक इनके नाम परिवर्तन का प्रश्न है, मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरा और मेरे दल का एतराज नहीं है । दयानन्द सरस्वतीजी की सेवा इस देश और इस प्रदेश के लिए रही है और अजमेर धर्म निरपेक्षता का प्रतीक है जहां दयानन्द स्वामीजी ने काम किया, जहां ख्वाजा साहब गरीब नमाज का स्थान है और देश-विदेश के लोग जहां आते हैं दयानन्द स्वामी और गरीब नवाज को अपने मनन करने के लिए, ऐसी परिस्थिति में दयानन्द स्वामी के नाम से जो विश्वविद्यालय बनाया है वह निश्चित रूप से अच्छा काम है और आने वाले समय में सरकार को चाहिये कि गरीब नमाज के लिए भी वहां कोई अच्छा काम किया जाय ताकि सरकार का प्रतीक बना रहे वरना सरकार केवल मात्र एक ही धर्म के नाम पर कोई काम करते रहेंगे तो दूसरे लोगों को ठेस पहुंचेगी ।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । क्यों खड़े हो जाते हैं ? आप बिराजें ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : इसलिए गरीब नवाज के नाम से भी कोई नया काम सर-

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कार को करना चाहिये। दयानन्द सरस्वती के नाम से जो विश्वविद्यालय बनाया उसके लिए निश्चित रूप से हम इनको धन्यवाद देते हैं लेकिन अन्य काम भी राज्य में करने चाहिये।

अजमेर और बीकानेर में आज इंजीनियरिंग कालेज की आवश्यकता है। जो अभी फैसले लिये गये हैं जिलों को बनाने का, मेडिकल कालेज खोलने का कोटा में काम अच्छा किया, लेकिन जयपुर में पी. जी. आई. बनाना चाहिये था।.... (व्यवधान)

आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप उधर काहें को देखते हैं ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो अनुशासनहीनता करते हैं उनको टोकिये।

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं बोल रहा है। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : चंडीगढ़ में पी. जी. आई, मेडिकल कालेज बहुत बाद में बना था....

श्री अध्यक्ष : देखिये, इसमें एक सीमा तक....(व्यवधान)

मगर आप सारे हिन्दुस्तान भर को टच नहीं करेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : नहीं, मैं नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक सीमा तक मैं आपको (व्यवधान) Please sit down.

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बीकानेर की बात कर रहे हो।

श्री बुलाकी दास कल्ला : एक मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं।

आज अजमेर और बीकानेर में इंजीनियरिंग कालेज खोलना चाहिये था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उजलाजी प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला : जिले वहां बनायें जहां इनके एम.एल.एज. थे। हनुमानगढ़, करौली और ब्यावर में जिले नहीं बनाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब जो जिसकी जैसी योग्यता होगी वैसे बोलेंगे। आप प्रोफेसर हैं। यह सारे विश्व का ज्ञान रखते हैं, इसमें बोलेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : मेरे को विश्व का ज्ञान नहीं है, राजस्थान का ज्ञान है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रोफेसर हैं, आपको तो ज्ञान होना ही चाहिये। आप क्या बात कर रहे हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसी पर इस तरह से आक्षेप करेंगे तो मैं समझती हूं कि....

श्री अध्यक्ष : मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। आप प्रोफेसर हैं, इनको ज्ञान है, अपना ज्ञान है, यहां तो ज्ञान देना है और ज्ञान दे रहे हैं। कोई आक्षेप नहीं है। आप प्रोफेसर नहीं हैं क्या ? He is educationist,

(श्री अध्यक्ष)

उसके नाते इनको जितना ज्ञान है उतना बालेंगे। मैं कहां मना कर रहा हूं? मैं इनको बोलने से नहीं रोक रहा हूं। आक्षेप तो तब होता कि मैं रोकता। यह बोल रहे हैं। लेकिन यह मैंने कहा कि एक सीमा है। एज्युकेशन पर आप बोल रहे हैं, बोलिये क्योंकि यह विश्वविद्यालय का सवाल है, मगर आप जिलों पर आ गये। एज्युकेशन पर तो ठीक था। आप अजमेर, बीकानेर यूनिवर्सिटी के बारे में बोलें या और किसी के बारे में बोलें समझ में आता है, मगर सीमा का ध्यान रखें। मैं यही कह रहा हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही प्रश्न था जोधपुर विश्वविद्यालय का। वहां पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नाम से उसको बनाने का निर्णय ले लिया गया है और वह बिल राष्ट्रपतिजी के पास पेंडिंग है। एक वर्ष में उसके बारे में क्या प्रयास किये गये? जो निर्णय विधान सभा में ले लिया गया उसको इम्प्लीमेण्ट करवाने में पिछले एक वर्ष में क्या कार्यवाही की गयी। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनके बारे में राज्य सरकार को विचार करना चाहिये और खास करके जो इम्बैलेन्सेज क्रियेट हो रहा है और नामों के बारे में जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनके नामों के बारे में मिल बैठ कर विचार करना चाहिये। जिन्होंने राजस्थान की और देश की सेवा की है और जिन्होंने राजस्थान और देश के लिए कुरबानियां दी हैं उनके नाम से राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालय का नामकरण करना चाहिये। उनमें व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक विधान सभा के सदस्यों की कमेटी बनानी चाहिये जो अजमेर, राजस्थान और प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में जांच करके प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके ताकि विश्वविद्यालयों की संचालन व्यवस्था को सुधारने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, स्वामी दयानन्दजी के नाम पर अजमेर विश्वविद्यालय के नामकरण हेतु जो बिल आपने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्वामी दयानन्दजी एक ऐसे युग में पैदा हुए जब भारतवर्ष अंधकार के युग से गुजर रहा था और उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत को मिटाने और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। कितनी रूढ़ियां थी उन सबको दूर करने के लिए एक पथ प्रदर्शक तौर पर हमारे बीच में रहे। मुझे खुशी है कि आपने यह प्रस्ताव किया कि स्वामी दयानन्दजी के नाम से अजमेर विश्व विद्यालय का नाम रखा जाय। लेकिन मैं यह भी आशा करता हूं कि हमारी जो सरकार एक घटाटोप में फंसी हुई है....(व्यवधान)

हां, बिल्कुल सही है, सुन लीजियेगा। यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से आता तो हमें बहुत खुशी होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज जब स्वामी दयानन्दजी के नाम पर अजमेर विश्वविद्यालय का नाम रखने जा रहे हैं तो यह सरकार का दायित्व आ जाता है। अभी माननीय कल्ला साहब बोल रहे थे कि जो अनियमितताएं, जो कमियां हमारे शिक्षा क्षेत्र में हैं, अजमेर विश्वविद्यालय में हैं, चाहे उपकुलपति के

(श्री नत्थीसिंह)

चयन की बात हो, चाहे और व्यवस्था की बात हो वह व्यवस्थाएं कुव्यवस्था में नहीं बदलें । बड़े आदमी का नाम लेकर अगर कुव्यवस्था जारी रही तो वह हम सम्मान नहीं देकर के अपमान करेंगे । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार गम्भीरता से इस बात पर सोच करे । मैं जानता हूं कि स्वामी दयानन्द हमारे भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाने में एक महान व्यक्ति थे और वह धर्म तक सीमित कर दें ऐसी बात नहीं है । हम जब कभी चौधरी चरण सिंह जी, जो हमारे इस देश के पिछड़े, शोषित, पीड़ित वर्ग के मसीहा रहे हैं, उनके कमरे में जब कभी हम जाते थे वहां पर तीन चित्र लगे हुए मिलते थे । वह कहते थे कि यह तीनों चित्र मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं । एक चित्र स्वामी दयानन्द सरस्वती का था । दूसरा महात्मा गांधी का था और तीसरा सरदार पटेल का था । वह कहते थे कि स्वामी दयानन्द ने देश में छुआछूत और रूढ़ियों को दूर करने की जाग्रति लाई, महात्मा गांधी ने आन्दोलन बढ़ाकर इस देश को स्वतन्त्रता दिलाई, और देश में मेहनतकश, शोषित, पीड़ितों को अधिकार मिल सकें इसके लिए संघर्ष किया सरदार पटेल ने । इन सिद्धांतों को याद रखें ।

यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जोधपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बात आयी । लोक नायक जयनारायण व्यास निश्चित रूप से इस राजस्थान के स्वाधीनता संघर्ष के बड़े जागरूक महान स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं । उनके नाम से नामकरण किया जाय, यह सबसे अच्छी बात होगी । क्यों बिल पड़ा है ? क्यों नहीं ले रहे हैं ? उसको जल्दी लिया जाय । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हमारी परम्परा रहे और राजस्थान में भी बीकानेर का जो कृषि विश्वविद्यालय है । इस देश में अगर हम महापुरुषों को सम्मान देना चाहते हैं तो मेरा यह भी सुझाव है कि बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय यह सरकार चौधरी चरण सिंह के नाम से रखें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री दवे ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह देश अंधकार में था, अनेकों कुरीतियां, बाल विवाह जैसी गलत प्रथा, विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध, सत्ती प्रथा, छुआछूत जैसे प्रकरण, उस वक्त देश के अन्दर व्याप्त अशांति और नाना प्रकार की कुरीतियां व्याप्त थीं, देश को अंधकार में से किसी प्रकार की राह नहीं मिल रही थी उस वक्त 1875 के अन्दर स्वामी दयानन्दजी ने इन सभी कुरीतियों के विरुद्ध एक नया मार्ग, एक नया दर्शन और एक नया रास्ता दिखाया । इसी रास्ते के आधार पर इस देश के अन्दर सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियों का निवारण हुआ । अजमेर विश्वविद्यालय का नामकरण स्वामी दयानन्द इसलिए रखना भी आवश्यक है क्योंकि अजमेर के अनेक सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने काफी समय से यह मांग कर रखी हैं कि इसका नाम स्वामीजी के नाम पर रखा जाय । भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लालबहादुरजी ने इस विश्वविद्यालय की दयानन्द विश्वविद्यालय के नाम की घोषणा भी अजमेर में की थी ।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

इसलिए अजमेर विश्वविद्यालय को दयानन्द विश्वविद्यालय बनाना न्यायोचित है। यह ऐसे महापुरुष के नाम पर है जिन्होंने इस राष्ट्र को एक नयी दिशा दी, नया दर्शन दिया। इस दयानन्द विश्वविद्यालय के नाम से यह विश्वविद्यालय बनाने में दत्तात्रेयजी ने भी अथक प्रयत्न किये। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, अजमेर विश्वविद्यालय का नाम दयानन्द विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम लोक नायक जयनारायण व्यास के नाम से करना जरूरी है ताकि इन महापुरुषों द्वारा जो देश को दिशा दी है, इस विश्वविद्यालय के नाम से सामाजिक कुरीतियां, छुआछूत आदि को दूर करने में सहयोग मिलेगा और इन कुरीतियों को हटाने की हमें प्रेरणा मिलती रहेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचंद कांत।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम पर अजमेर विश्वविद्यालय का नाम हो, यह जो प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूं। पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। यह हम इस सत्र में एक बहुत ही उत्तम कार्य आज के दिन कर रहे हैं। मूल शंकर के मन में शिवरात्रि के दिन चूहों को दाने खाते देखकर, शिवलिंग पर चढ़ते देकर, विचार आता है कि मैं इसको भगवान मानूं या नहीं मानूं। अपने ऊपर चढ़ते हुए चूहों को यह मूर्ति नहीं रोक सकती है। इसके बाद उसका चिन्तन शुरू हुआ और वह ज्ञान की खोज में निकला। इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, विदेशी काल, विदेशी शासन, भारतीय धर्म और संस्कृति के ऊपर सीधा आघात, मूर्खों का धर्म है, इस देश के लोगों को कहा जाता था, हम लोगों को कहा जाता था कि धर्म के मामले में तुम कुछ नहीं समझते हो, यह अंधविश्वासी हैं, इनका कोई सामाजिक उत्थान नहीं है और हमारा धर्म है वह विज्ञान पर आधारित नहीं है। यह बातें जब ईसाई कह रहे थे उस समय स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उन वेदों की ऋचाओं के गहन ज्ञान को हमारे समक्ष रखा। हमारे सम्पूर्ण वेदों में जो ज्ञान था उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि भारत के जो सिद्धांत हैं, चिन्तन है या दर्शन है, या वेद है, वह बिल्कुल विज्ञान पर आधारित ज्ञान है। वैसे ही थोथा ज्ञान नहीं है। वह मूर्खों का ज्ञान नहीं है।

आत्मा, जीव और प्रकृति तीनों का अलग-अलग स्वरूप बताया। प्रकृति को जिस ढंग से उन्होंने कहा है उसमें प्रकृति का मतलब कानून है उस कानून के विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है। उनका कहना था कि यह नियम है प्रकृति का कि जल बनाते समय हाइड्रोजन के दो भाग, अणु जिसको कहते हैं, परमाणु जिसको कहते हैं, और एक परमाणु आक्सीजन का जब दोनों मिलते हैं तब ही जल बनेगा। इस प्रकार प्रकृति के अन्दर सम्पूर्ण नियम पाये जाते हैं। सारी की सारी खोज की जा सकती है लेकिन प्रकृति के विरुद्ध कोई चीज नहीं जा सकती है। वेदांत अलग चीज होती है। लेकिन उन्होंने तीन चीजों को विशेष तौर से रखा। आत्मा, जीव और प्रकृति और तीनों का अस्तित्व अपने-अपने ढंग से बताया।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जब यह

(श्री टीकमचन्द कांत)

देश समाज में जातियों में, और जातियों के अलावा छुआछूत, ऊँची नीची जाति में बंटा हुआ था उस समय उन्होंने सम्पूर्ण देश में सबको आर्यों की संज्ञा देते हुए इस आर्यावर्त के नाम को जागृत करते हुए सबको यह अनुमति दी कि जो भी अपने नाम के आगे आर्य लिखे वह आये और सारी जातियां खत्म हो जायेंगी तब हम एकता के सूत्र में बंध सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : यहाँ तो दो ही आर्य हैं। एक तो वह बैठे हैं और एक इधर हैं।

श्री टीकमचन्द कांत : वह मेरा समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्वाधीनता संग्राम के अन्दर भी भाग लिया, लोग कह रहे हैं कि घोड़े पर चढ़कर साधु कौन घूमा करता था। सम्पूर्ण साधु समाज और सम्पूर्ण समाज के अन्दर स्वाधीनता प्राप्ति की भावना और सम्पूर्ण समाज को जागृत करने का भाव स्वामी दयानन्द ने इस देश के अन्दर पैदा किया। रविन्द्र नाथ टैगोर ने अपने शब्दों में कहा था कि सबसे अधिक वैज्ञानिक तरीके से अगर इस देश को किसी ने जागृत किया है तो स्वामी दयानन्द सरस्वती इसमें प्रथम हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा महान् व्यक्तित्व, इस देश को गौरव प्रदान करने वाले, इस देश के लोगों को धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप देने वाले, उस महान व्यक्तित्व के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। जो बिल लाये हैं उसका समर्थन करता हूं। साथ-साथ यह अवश्य कहूंगा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती की शिक्षा विश्वविद्यालय के अन्दर अलग से रखी जाय और वेदों पर भी इसके अन्दर कुछ शोध हो या शोध संस्थान चले, इसका भी मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद

श्री अध्यक्ष : डॉ. जितेन्द्र।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सबका सौभाग्य है कि इस सदन के विचारार्थ अजमेर विश्वविद्यालय का नाम स्वामी दयानन्द के नाम पर रखने का प्रावधान आया है। स्वामी दयानन्द आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक विशिष्ट व्यक्ति थे और उनकी सेवायें भारत वर्ष के काल में चिर-स्मरणीय रहेंगी।

स्वामी दयानन्द का राजस्थान और अजमेर से विशेष लगाव रहा है और उनका निर्वाण भी अजमेर में हुआ था। स्वामी दयानन्द का शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा लगाव रहा है और उनके द्वारा स्थापित तथा उनके नाम से डी. ए. वी. शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं वह हजारों की तादाद में पिछले एक शतक से इस भारतवर्ष में सक्रिय हैं। महर्षि दयानन्द के जीवन के सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ताओं ने प्रकाश डाला है और यह भी निर्विवाद सत्य है कि उनका स्वाधीनता संग्राम में भी योगदान रहा है और वह स्वराज्य के समर्थक रहे हैं। समाज का उन्होंने बहुत उत्थान किया और आज हमें किसी भी समाज, वर्ग या प्रतिष्ठान के हों, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि ऐसे महर्षि के नाम पर अजमेर विश्वविद्यालय का नाम रखा जाय। बल्कि यह तो विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि ऐसे महर्षि के नाम का प्रस्ताव आया है। मैं समझता हूं कि अगर हम महर्षि दयानन्द के नाम पर अजमेर विश्वविद्यालय का नाम रखेंगे तो जो विद्यार्थी उसमें शिक्षा अर्जित करेंगे उन पर भी उनके नाम से अपने

(डॉ. जितेन्द्रसिंह)

विद्यार्थी काल में और अपने जीवन काल में सदा एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा मिलती रहेगी जो समस्त भारत वर्ष की प्रेरणा का स्रोत बना था। जहाँ तक मेरा ज्ञान है अजमेर शहर में भी किसी समाज को, वर्ग व्यक्ति या जाति को आपत्ति नहीं होगी और यह एक स्वागत योग्य प्रस्ताव है और इसको राजनैतिक उलझनों से परे रखें तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अजमेर विश्वविद्यालय का नाम दयानन्द के नाम पर रखने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम पर अजमेर विश्वविद्यालय का जो प्रस्ताव आया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी दयानन्द ने समाज को, राष्ट्र को एक नयी दिशा दी थी। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह और छुआ-छूत जैसी कुरीतियां मिटाने के लिए अपना सारा जीवन लगाया। उनके जो गुरु विद्यानन्दजी थे, जब उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा समाप्त होने पर जब वह अपने गुरु के पास भेंट लेकर गए तो उनके गुरु ने कहा कि मुझे यह स्वीकार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिये आपको जो भी चाहिये, वह सब कुछ मैं समर्पण करने के लिए तैयार हूं। तो अध्यक्ष महोदय, उनके गुरु विद्यानन्दजी ने उनको बताया कि मुझे आपका जीवन चाहिये गुरु दक्षिणा में। और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपना सारा जीवन गुरु दक्षिणा में दे दिया, समाज और राष्ट्र के लिए दे दिया और उनके जीवन को समाप्त करने वाले, विष मिलाकर देने वालों को भी उन्होंने क्षमा कर दिया। आज उन्होंने देश और प्रदेश को शिक्षा दी है, उसके लिए उनका नाम जो विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और आज इससे प्रदेश की जनता में काफी खुशियां होंगी। इसी उत्साह के साथ मैं इसका बहुत-बहुत समर्थन करता हूं। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर।

श्रीमती सुमित्रासिंह : ऐसा है कि लोग दयानन्द सरस्वती पर बोल रहे हैं। देखिये दयानन्द सरस्वती पर बहुत बोला जा सकता है। मैं केवल एक संशोधन प्रस्तुत कर रही हूं। इसलिए मैं पहले बोल दूं, मुझे बाहर जाना है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अजमेर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके स्वामी दयानन्द सरस्वती रख दिया जाये। स्वामी दयानन्द सरस्वती के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वह इस देश के अन्दर सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, सामाजिक कुरीतियों को हटाने, सांस्कृतिक चेतना, इन सभी के प्रणेता हैं। मैं उनके बारे में अधिक नहीं कहूंगी। मैं केवल एक संशोधन रखना चाहती हूं। मुझे सबसे अधिक ताज्जुब तो इस बात पर हो रहा है कि कभी भी इस तरीके से कोई भी संकल्प जो प्राइवेट मैम्बर की तरफ से आता है, इस तरह से बिल के रूप में कभी भी पेश नहीं हुआ है, आज दिन तक। यह पहली

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

बार संकल्प के रूप में नहीं होकर बिल के रूप में यहां पेश हुआ है, लेकिन मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय सदस्य से कि इसका नाम उन्होंने रखा है, स्वामी दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय। मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि स्वामी दयानन्द विश्वविद्यालय नहीं इसका नाम महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय रखा जाये, पहला तो मेरा यह सुझाव है। दूसरा, इसके साथ मेरा यह भी सुझाव है कि नाम तो आप इतना बड़ा रखने जा रहे हो, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय और इसके पीछे कल्पना है कि वहां पर शिक्षा उस वातावरण में जिसमें नैतिक शिक्षा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और और विश्वविद्यालयों से अलग हो। शैक्षिक दृष्टिकोण इसलिए नाम के साथ नाम के अनुरूप सारी बातें भी उसी तरह से करियेगा। ऐसा न हो कि नाम तो रख दें, आप महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय और शिक्षा हो उसके विपरीत जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि अजमेर विश्वविद्यालय की हालत आज के दिन सबसे अधिक खराब है। सारे विश्वविद्यालयों की तुलना में आज के दिन सबसे अधिक गिरी हुई वहां की हालत है।

श्री देवीसिंह भाटी : कल्लाजी खराब कर गये थे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : नहीं कल्लाजी नहीं, ऐसे तो आप कुछ भी किसी के लिए भी कहें, मैं तो नहीं कहूंगी कि कल्लाजी खराब कर गये। खराब तो कर गये हैं वहां के वी. सी. लेकिन सरकार कहती है कि विश्वविद्यालय आटोनोमस है। आटोनोमस केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से है। उनको केवल शैक्षणिक छूट है, बाकी कोई आटोनोमी नहीं है। सरकार से विश्वविद्यालय फाइनेन्स से चलते हैं, इसलिए सरकार जहां कहीं भी फाइनेन्शियल इर्रेगूलरटीज हों अथवा और कई तरह की शिकायत है। वहां सरकार दखलंदाजी देगी। तो मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं उस विषय में नहीं जाना चाहती हूं। आप सिर्फ नाम तो परिवर्तित कर देंगे, ऊपर का आवरण तो ठीक कर देंगे लेकिन नाम परिवर्तित करके ऊपर का आवरण ठीक करके यदि आपने अन्दर वही रखा तो लोग मखौल उड़ायेंगे। इसलिए मुझे आपत्ति नहीं है कि विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय रखें लेकिन इसी के अनुरूप....

श्री देवीसिंह भाटी : सुझाव दीजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हां तो मैं कह रही हूं। इसी अनुरूप मैंने बताया कि नैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि से वहां पर ऐसा वातावरण होना चाहिये कि बाकी विश्वविद्यालयों से वहां पर आपको अन्तर नजर आये। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम को तो बदनाम नहीं करें क्योंकि जैसा कि कहा गया है यह उनका गौरव नहीं है। यह गौरव राजस्थान का है, अजमेर का है यह गौरव अजमेर विश्वविद्यालय का है कि उनके नाम से विश्वविद्यालय का नाम रखा जाये। लेकिन केवल नाम मात्र रखकर ही आप बदनाम न करें। पहले उसकी व्यवस्था भी ठीक करें। इसलिए मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ (व्यवधान)....आप मिश्रीलालजी बीच में बहुत बोलते हो। आपको

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

ध्यान नहीं रहता कि आप मन्त्री बन गये हो ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज । इनको कम्पलीट करने दीजिये ।

श्री मिश्रीलाल : आपको कैसे वहम हो गया कि मैं आपको कह रहा हूं ? मैं आपको नहीं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । वह कम्पलीट करने जा रही हैं और आप बीच में ही....

श्रीमती सुमित्रासिंह : इन्हीं शब्दों के साथ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपके और मिश्रीलालजी के पुराने सम्बन्ध हैं । झटके से तो नहीं टूटते हैं, इस कारण बोल रहे हैं, वह तो ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : खैर, आपने उप मुख्य सचेतक का अच्छा धर्म निभाया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ, कि प्रभारी सदस्य मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और राज्य सरकार इस बिल को पास करने के साथ ही जैसा कि मैंने सुझाव दिया है नैतिक, सांस्कृतिक, और शैक्षणिक इन सारे मानदण्डों को कायम रखेगी, अपना कहना समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : अभी इसमें कुछ टैक्नीकल डिफीकल्टीज हैं । थर्ड रीडिंग में संशोधन नहीं होगा । आपने पहले ही यदि कह दिया होता तो ठीक रहता । अब तो थर्ड रीडिंग चल रही है, इसमें संशोधन होता नहीं है । नहीं तो आपका संशोधन बहुत अच्छा था ।

श्री नन्दकिशोर ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : तब तो मैं इसका विरोध करती हूं यदि इसमें संशोधन नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष : मगर थर्ड रीडिंग में प्रक्रिया नहीं है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, इनके सवाल का जवाब मैं दे देती हूं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : स्वामी तो बहुत हैं । दयानन्द तो महर्षि थे । सरस्वती के पुत्र के नाते सरस्वती स्वयं कहलाते थे ।

श्रीमती तारा भण्डारी : साहब, आप विरोध कर रही हैं । मैं पहले बता दूं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । आप बैठिये ना । क्या मतलब है ? आप क्यों खड़ी हैं ? आप बैठिये । (व्यवधान)

हां, आप बैठिये ना । अब आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं । डिस्कस करने का मामला नहीं है । चलिये आप बोलिये, बोलिये ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : महर्षि का कोई महत्व ही नहीं है ? आपने केवल स्वामी दयानन्द कह दिया । स्वामी दयानन्द बहुत होंगे मगर महर्षि दयानन्द सरस्वती वह अकेले थे और स्वामी दयानन्द बहुत होंगे । लेकिन उनकी....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, आपका ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : तो आप स्वामी....

श्री अध्यक्ष : अब आपने कह दिया, ना। अब आप बिराजिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि स्वामीजी के अनुसार ही उसमें वेदों के बारे में भी शिक्षा दी जाये और जो नाम पर आया था कि स्वामी की जगह....

श्री अध्यक्ष : अब आप उसमें क्या डिस्कस ...

श्री नन्दकिशोर शर्मा : नहीं मैं कह रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष : हां, बहुत हो गया। बोलिये आप।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : उन्होंने जो समाज सुधार के काम किये इसलिए उस विश्व-विद्यालय की शिक्षा ऐसी होनी चाहिये, जो उसके नाम को सार्थक करे और पूरे हिन्दुस्तान में उसका नाम हो। वहां से ऐसे बच्चे निकलें, जो हमारा गौरव बढ़ायें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में स्वामी दयानन्द सरस्वती की बात की जा रही है। माननीय सदस्या चली जायेंगी, इसलिए पहले इन्हीं की बात के बारे में कहूं....

श्रीमती सुमित्रासिंह : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर है। आप बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह डाक मुझे आज सुबह मिली है, तो मैं कब रखती संशोधन ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप रूल्स को देख लीजिए।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं कब रखती ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है, आप प्रक्रिया देख लीजिए। रूल्स में गुंजाइश हो तो मुझे बता दीजिए। पढ़ लीजिए आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे सुबह मिली है, मैं रखती कब ?

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ लीजिए, रूल्स में गुंजाइश होगी तो आई विल सी इट। आप पढ़ तो लीजिये, रूल्स तो देखिये।

(2.00 म. प.)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम से ही विश्वविद्यालय है। मेरी समझ में देश में दो विश्वविद्यालयों का एक नाम हो, यह शायद नियमों में सम्भव नहीं होगा इसीलिए स्वामी दयानन्द प्रस्तावित किया गया है, यह मैं जानकारी देना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज अब यह सदन स्वामी दयानन्द के बारे में बात करने जा रहा है, मैं यह कहना चाहूंगी कि स्वामी दयानन्द सरस्वती की बात करते हुए हमारा सीना गर्व से फूल जाता है और हम उनके विचारों के आगे, उनके किये कामों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यह कोई वादविवाद का प्रश्न होना नहीं चाहिये न यह प्रश्न

श्रीमती तारा भण्डारी)

वादविवाद का क्योंकि स्वामीजी ने अपना पूरा जीवन देश के सुधार के लिये लगाया। उन्होंने जो भी ग्रन्थ लिखे, जो भी आदर्श बनाये, जो भी विचार रखे, जिस प्रकार के व्याख्यान दिये वे हमेशा देशभक्ति से ओत-प्रोत रहते थे। स्वामीजी ने अपने व्याख्यानों द्वारा, ग्रंथों द्वारा भारतवासियों का आत्म-सम्मान जगाया उनको आत्मसम्मान से अभिभूत करने का काम किया। देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए भी वे निरन्तर प्रयत्नशील रहे और सारे भारत को एक सूत्र में बांधने के उन्होंने प्रयत्न किये। उन्होंने भारतवासियों को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जाग्रत किया। उनका हमेशा यह प्रयत्न रहा कि यह राष्ट्र पूरे विश्व में हमेशा अपना सिर ऊंचा रखे। स्वामीजी महिलाओं के लिए भी बड़े उदार विचार के रहे। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, सती प्रथा को रोकने के प्रयत्न किये। बाल विवाह और बहु-विवाह सब को रोकने के लिए उन्होंने अपने पूरे-पूरे प्रयास किये। महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिले, यह राष्ट्र महिलाओं की भागीदारी से उन्नत हो सके। इस प्रकार के कार्य स्वामीजी ने हमेशा किये। उन्होंने हमेशा कुरीतियों के खिलाफ छुआछूत के खिलाफ कई प्रकार के प्रैक्टिकल काम करके यह बताया कि हम कितने इन कुरीतियों में जकड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा लम्बी बात न कहकर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि स्वामीजी स्वयं सच्चे विचारों, नैतिक विचारों के प्रेरक थे। उन्होंने देश में नैतिकता लाने के लिए, कि नागरिक नैतिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, इस प्रकार के प्रयास किये। आज हमने बजट में जब यह तय किया है कि हमारे यहां नैतिक शिक्षा प्रारम्भ हो तो नैतिक शिक्षा के कई प्रकार के पाठ्यक्रमों में यह बात भी होनी चाहिए कि महापुरुषों के नाम पर हम नाम रखें, महापुरुषों के नाम के संस्थान खोलें, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ायें, महापुरुषों के आदर्श पढ़ायें, महापुरुषों के विचार हमारे आने वाले बालकों को दिये जायं। मैं समझती हूं कि नैतिक शिक्षा की जो हम बात करने जा रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में भी यह उत्तम रहेगा कि अजमेर विश्वविद्यालय का नाम स्वामीजी के नाम पर रखा जाय। मेरी समझ में इसे किसी प्रकार के वाद-विवाद का विषय हम बनायें, यह जरूरी नहीं है, बल्कि जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव को लाने में हम लोगों का सहयोग लिया है, इस प्रस्ताव को रखा है उनकी मैं पुरजनेर प्रशंसा करती हूं कि एक अच्छा कदम हमने उठाया है जो बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, स्वामीजी का निर्वाण अजमेर में ही हुआ, दिवाली के दिन हुआ। जिस दिन सारा देश ज्योतिमय जगमगा रहा था उस दिन एक महान ज्योति पुंज, वह ज्योति भी ज्योति में मिल गयी और देश को एक ज्योति दे गयी, राष्ट्र को एक ज्योति दे गयी। इस ज्योति को बनाये रखने के लिए मैं पूरे सदन से यह आग्रह करती हूं कि अजमेर विश्वविद्यालय का नाम बिना किसी वादविवाद के, बिना किसी विरोध के बदला जाना चाहिए। जो माननीय सदस्या कह रही थीं कि मैं विरोध करूंगी, यह अच्छी बात नहीं होगी। उनको तो इस विश्व-विद्यालय का नाम स्वामी जी के नाम पर रखने में गर्व ही होना चाहिए। यह इस देश का गर्व है, हमारा गर्व है, जो हम स्वामीजी के बाद इस भारत में बस रहे हैं,

(श्रीमती तारा भण्डारी)

भारत में बैठे हैं, जो स्वामीजी के विचारों को अभी भी चिन्तन में ला रहे हैं। यह हमारा परम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है, पवित्र कर्तव्य है कि इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी दयानन्दजी के नाम पर रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह।

श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर से आने वाले माननीय विधायक और अन्य 24 सदस्यों के समर्थन से अजमेर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर स्वामी दयानन्द विश्वविद्यालय किये जाने का जो विधेयक रखा गया है, इसका मैं दिल से समर्थन करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जब-जब भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक चेतना का ह्रास हुआ, कुरीतियां व्याप्त हुई, भारत का वैभव और प्रकृति छिन्न-भिन्न होने लगी तो समय-समय पर समाज सुधारकों ने, साहित्यकारों ने, विद्वानों ने इस भारत के जन-जन को अपने बुद्धि-बल से झकझोरा। व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर लाठियां खाकर, गोलियाँ खाकर, गालियाँ खाकर, प्रताड़ना सहनकर, उत्पीड़ित होकर भी इस भारत को गर्त में जाने से बचाया। इनमें स्वामी विवेकानन्द, लाला लाजपत राय, दयानन्द सरस्वती और कवियों में सूरदास जी, रहीम जी हैं। जो आज यह प्रस्ताव रखा गया है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम से अगर इस विश्वविद्यालय का नामकरण कर दिया जाय, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस समय इस समाज में सामाजिक चेतना लुप्त हो रही थी उस समय स्वामी दयानन्द ने एक प्रकाश का मार्ग प्रशस्त किया। बाल विवाह हो रहे थे, महिला शिक्षा नहीं थी। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, महिला शिक्षा पर जोर दिया, विधवा विवाह पर जोर दिया। अन्य जो कुरीतियां थीं उनको दूर करने के लिए पूरे भारत में उन्होंने एक अलख जगायी। वेदों का प्रचार और प्रसार किया और इस दृष्टि से आर्य समाज की स्थापना की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वही आर्य समाज हमारे इस भारत में विलुप्त होते हुए वेदों का, भारतीय दर्शन का ज्ञान कराता है। यज्ञोपवीत आज आर्य समाज ही धारण करवाता है, सामूहिक विवाह आयोजित करता है। इस तरह जिनके पदचिन्हों पर संस्थाएं इतना अच्छा काम करती हैं उन महापुरुषों के नाम पर अजमेर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया जाना उचित है। माननीय सदस्य श्रीमती सुमित्रा सिंहजी ने अभी एक संशोधन किया....

श्री अध्यक्ष : आप उस पर मत बोलिये।

श्री गुलाब सिंह : नहीं, मैं संशोधन पर नहीं जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कुछ भी मत बोलिये उस पर। लैट हर सी।

श्री गुलाब सिंह : उन्होंने एक सुझाव दिया....

श्री अध्यक्ष : आप कुछ मत बोलिये।

श्री गुलाब सिंह : उन्होंने व्यवस्था के बारे में सुझाव दिया।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कुछ मत बोलिये उस पर आप। व्यवस्था मैंने उनको बता दी।

(श्री अध्यक्ष)

वे देख रहे हैं। लैट हर सी। मैं भी देख रहा हूं, वें भी देख रही हैं।

श्री गुलाबसिंह : शैक्षणिक, नैतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से इसका स्तर भी ऊंचा उठना चाहिये और ऐसा नजर आये कि दूसरे विश्वविद्यालयों से अलग दिखे। इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि सारे विश्व-विद्यालयों में इस तरह की व्यवस्था हो कि सभी उत्कृष्ट श्रेणी के दिखें, कोई अन्तर नजर नहीं आये यह मैं कहना चाहता हूं।

मैं इसका समर्थन करता हूं और राय-पुर से आने वाले माननीय सदस्य का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रस्ताव रखा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रीमती सुमित्रा-सिंह जी।

श्री सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, संशोधन की सूचना के बारे में "यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची के किसी संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व न दी गई हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा, और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।"

अब एक दिन पहले जब हमें बिल ही नहीं मिला तो हम आपको संशोधन की सूचना कहां से देते....

श्री अध्यक्ष : अब थर्ड रीडिंग के बारे में क्या है देख लीजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : सुनिये ना।

श्री अध्यक्ष : वह सारी बातें मान लेते हैं, आप थर्ड रीडिंग पर, इसलिए वह रूल सस्पैण्ड किया है।... सुनिये। अब 306 के अन्तर्गत जो रूल 66 सस्पैण्ड किया है वह इसीलिये किया है। जो आप आपत्ति उठा रही हैं ना उस आपत्ति को निरस्त कर दिया, रूल 66 को सस्पैण्ड किया है। अब आप इस थर्ड रीडिंग पर बताइये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : वह कार्य-सूची में परिवर्तन के लिये किया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। देखिये एक्ट के....

श्रीमती सुमित्रासिंह : वह संशोधन तो आपने कार्य सूची में परिवर्तन करने के लिए किया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, विधेयक है, विधेयक में थर्ड रीडिंग में मेरे पास जो व्यवस्था है, व्यवस्थाओं में पहले की जो व्यवस्थायें हैं कि तृतीय वाचन के समय कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस बारे में आपके पास हो तो बता दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महो-दय, आपने जो अभी व्यवस्था दी है वह बिल्कुल सही है कि इनको कोई संशोधन देना था तो विचारार्थ लिये जाने पर दिया जाना था....

श्री अध्यक्ष : बिलकुल सही है बात।

श्री बुलाकीदास कल्ला : लेकिन इनकी आपत्ति भी अपनी जगह सही है।

श्री अध्यक्ष : सही है मगर....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज ही सुबह बिल मिला, यह संशोधन एक दिन पहले देना चाहिये था....

श्री अध्यक्ष : वह छोड़िये, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि क्या आज भी मैं कर सकता हूं, थर्ड रीडिंग पर भी अधिकार है, नियम यह बता दीजिये आप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप नियमों में संशोधन करके कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नियमों में संशोधन कहां होता है । आप बताइये यदि मुझे अधिकार है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष सर्वोपरि है हमारे यहां ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : संशोधन की आवश्यकता नहीं है, रिलेक्सेशन कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप देख लीजिये यदि नियमों में मुझे अधिकार है, वह देखिये आप....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन नियमों में रिलेक्सेशन करते हुए इनके संशोधन को आप मान लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : किस नियम में ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह जो थर्ड रीडिंग में जो संशोधन नहीं देने की व्यवस्था है उसमें संशोधन करते हुए इनका संशोधन स्वीकार कर लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कोई रास्ता तो निकाला जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : रास्ता आप निकालिये । यही तो मैं कह रहा हू । देखिये रास्ता वह निकालिये जिसमें हम आउट ऑफ आर्डर नहीं हो जायं ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : आप काहे पर पाइन्ट ऑफ आर्डर कर रहे हैं ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : सुनिये । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बिल के प्रस्ताव में श्रीमती सुमित्रासिंह जी का भी नाम है....

श्री अध्यक्ष : यह आप अलग बात कर रहे हैं ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हां, है तो क्या हुआ ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : साहब, यह संशोधन कैसे दे सकती है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्यों नहीं दे सकती है, इनको तो पूरा राइट है ।

श्री अध्यक्ष : यह नई बात आ गई ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो बिल प्रस्तुत करने वाले हैं वह पारित होने के पहले दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप विचार कर लीजिये ।

(श्री अध्यक्ष)

कल्लाजी आप विचार कर लीजिये। देखिये ऐसी परम्परायें मत डालिये जो भविष्य में किसी भी विधेयक के लिये लागू हो सकती हैं। मैं वह रूलिंग तो दूंगा नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अच्छा, अध्यक्ष महोदय, ऐसा करें कि आप अगली कार्य सूची का जो काम है वह ले लें और एक घण्टे का समय....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप देख लीजिये आप अभी यह आधा घण्टे तक चलेगा। अपना टाइम ले लीजिये। इस सम्बन्ध में रास्ता बताइये। बिलकुल एकदम सारी एक्सरसाइज करके एक नई परम्परा कर दूं जो आगे बिल में जाकर आपके लिये अड़चन पैदा करे वह मैं कर सकता।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सुनिये एक मिनट। सरकारी विधेयक में और गैर सरकारी विधेयक में अन्तर होता है। आप कर सकते हैं आपका आप्शन है।....

श्री अध्यक्ष : मुझे है वह बता दीजिये ना। आई बिल डू इट।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मेरी तो सुनिये। जब बिल ही आज प्राप्त हुआ है....

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात कर रही हैं। इसके लिये मैंने रूल 66 रिलेक्स कर दिया, रिलेक्सेशन मैंने कर दिया....

श्रीमती सुमित्रासिंह : पर यह भी अकार्डिंग टू रूल्स नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इतना लाइटली मत लीजिये आप। इसमें रिलेक्सेशन करने की बात तो मैं कह रहा हूं कि आप देख लीजिये, अभी टाइम है। परम्पराएं जो स्पष्ट, अच्छी....सुनिये बाद में आ जायेगा फर्क क्या पड़ता है। मैं मानता हूं कि नाम पूरा होना चाहिये। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी को इसमें आपत्ति भी नहीं है। यदि इस पर कानूनी अड़चन नहीं होती तो इसको स्वीकार करने में भी बिलकुल आपत्ति नहीं है लेकिन इसका रास्ता निकालिये। आप इसका रास्ता देख लीजिये।....

श्रीमती सुमित्रासिंह : मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : क्या सुनूं आपकी बात।

श्रीमती सुमित्रासिंह : 30 साल के इतिहास में गैर सरकारी विधेयक पहली बार आया है....

श्री अध्यक्ष : ठीक बात है। 30 साल में नहीं, पिछले 12 साल के आपके इतिहास में पहली बार आया है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को दुरुस्त करना चाहता हूं कि–दी राजस्थान लीगल प्रैक्टिशनर अमेंडमेंट बिल, 1962, दी राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। श्री शिवकिशोर सनाढ्य बोलिये आप।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मुख्य मन्त्रीजी आप बोलिये ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : काहे के लिये ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा मुख्य मन्त्रीजी को स्पष्ट कर दूं कि इस समय विचार चल रहा है कि अजमेर विश्वविद्यालय का नाम जो बिल में आया है उसमें "स्वामी दयानन्द विश्वविद्यालय" मैंने इसमें संशोधन रखा है कि इसका नाम होना चाहिये "महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय"। उसमें अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था यह है कि थर्ड वाचन चल रहा है इसमें मैं संशोधन नहीं ले सकता। मैं उनसे यह निवेदन कर रही हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि गैर सरकारी कोई संकल्प प्रस्तुत होता है यदि वह सदन पारित करता है तो फिर सरकार उन्हें विधेयक बनाकर लाती है। यह पहली बार हुआ है कि गैर सरकारी विधेयक पेश हुआ है और चूंकि बिल आज ही मिला है, सुबह ही मिला है, हमें संशोधन तो उसके ऊपर कायदे से कल देना चाहिये था, मैं रिलेक्सेशन की बात कर रही हूं कि आप रूल को रिलेक्स करिये। यह सही भी नहीं है कि केवल स्वामी दयानन्द विश्वविद्यालय उसका नाम हो....

श्री अध्यक्ष : सुमित्राजी आप इस बिल में मूवर भी हैं, इस बिल में मूवर हैं।....

श्रीमती सुमित्रासिंह : जी ?

श्री अध्यक्ष : इस बिल में आपके हस्ताक्षर भी हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : तभी तो कह रही हूं कि मेरे हस्ताक्षर होने से क्या हुआ बिल मुझे मिला तो आज ही है ना। इसलिये मैं कह रही हूं कि रिलेक्सेशन कर दीजिये। यह कहते हैं कि यह परम्परा ठीक नहीं रहेगी। मैं कहती हूं कि आज दिन तक कभी यह नहीं हुआ। आप रूल रिलेक्स कर देंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जायेगी, आपको अधिकार है, आप सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई रास्ता हो तो बतायें।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत करने वाले विधायक हैं उनको पारित करने की स्टेज पर संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बता दें, आई विल डू इट। वही तो मैं कह रहा हूं कि आधे घण्टे का समय देता हूं, आप विचार करके बता दें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मुख्य मन्त्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में सदन के सभी पक्षों के माननीय सदस्य बोल चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सबका समर्थन है....

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरे सिवाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एकाध और भी हो सकते हैं। जहां तक इसके समर्थन का प्रश्न है उसमें सरकार का भी कोई विरोध नहीं है, चिड़ावा कहूं या झुन्झुनूं ?

श्री नत्थीसिंह : पिलानी कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात कही है उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। अब प्रश्न यह आता है कि इस विधेयक को यदि पारित किया जाय, पारित करने के बाद जिस प्रकार की भाषा इस विधेयक में लिखी हुई है वही विधेयक स्वीकार होगा लेकिन उससे कई वैधानिक अड़चनें पैदा होंगी। लेकिन जब सरकार सैद्धान्तिक रूप में इसको स्वीकार करती है तो किस प्रक्रिया में और किस प्रकार की भाषा में इस प्रकार का विधेयक लाया जाय, लाने के पूर्व यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन है, उनसे भी परामर्श करना पड़ेगा और इस प्रकार के प्रख्यात व्यक्तियों के नामकरण के साथ कोई संस्था जोड़ी जाय उस सम्बन्ध में भी उच्च स्तर पर विचार करना पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो भावनायें रखीं उन भावनाओं से मैं सहमत हूँ और उसी भावना के अनुरूप किस प्रकार के विधि विधान से और किस प्रकार की प्रक्रिया से इस विश्वविद्यालय के नामकरण में परिवर्तन किया जाय, वह आप सरकार पर छोड़ दें। सरकार उचित समय पर विधेयक लाएगी और इसको पारित करवाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि कागजों में विधेयक को वापिस ले लें, विथड्रा कर लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समझती हूं कि इसमें बाद में कभी संशोधन होता रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप वोट करवा लीजिए ना फिर।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है। अभी चर्चा में एक बहुत ही आपत्तिजनक बात आ गई थी। मुझे तो उस विषय में आधा मिनट बोलना है। यह सही है कि महर्षि दयानन्द इस आधुनिक युग के ऋषि ही नहीं महर्षि हैं और सारा देश ही नहीं सारी दुनियाँ उनको श्रद्धा से देखती है। उन्होंने देश के अन्दर, सारी दुनियाँ के अन्दर ममता, समानता और बहुत-सी अच्छी बातें की हैं जो कालान्तर में हमारे समाज के अन्दर खराबियाँ आ गई थीं। परन्तु रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य श्री टीकम चन्द कान्त ने यह कहा कि हिन्दु धर्म वैज्ञानिक आधार पर नहीं था और उन्होंने....(व्यवधान).... बहुत आपत्तिजनक बात कही है इसलिए रिकार्ड को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं यह नहीं कहा उन्होंने, आपने गलत सुना है। उन्होंने कहा लोग ऐसा कहते थे।

श्री रमाकान्त शर्मा : लोग ऐसा कहते थे तो उन लोगों के लिये मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दु धर्म के अन्दर साकारता, निराकारता, द्वैतवाद, अद्वैतवाद....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने नहीं कहा, आप कहां से कहां....उन्होंने कहा कि लोग कहते थे, उन्होंने इसको वैज्ञानिक साबित किया है।

श्री रमाकान्त शर्मा : उन्होंने कहा कि शिवलिंग पर चूहे जाते हैं, जो बात इन्होंने कही बड़ी आपत्तिजनक है।

श्री अध्यक्ष : आपत्तिजनक रही ही नहीं जब उन्होंने कही ही नहीं, तो आपत्तिजनक कहां से हुई।

श्री रमाकान्त शर्मा : उन्होंने तो उदा-

(श्री रमाकांत शर्मा)

हरण दिया था। उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ बात कही....

श्री नत्थीसिंह : मूर्ति पूजा के खिलाफ तो दयानन्द सरस्वती ने भी कहा।

श्री रमाकान्त शर्मा : दयानन्द सरस्वती ने मूर्ति पूजा के बारे में जो बात कही मैं निवेदन करना चाहता हूं मूर्ति पूजा....

श्री अध्यक्ष : अब आप फिर मूर्ति पूजा पर आ गए। यहां मूर्ति पूजा है कहां ? किसी ने मूर्ति पूजा के खिलाफ कुछ नहीं कहा।

श्री रमाकांत शर्मा : ठीक है साहब फिर।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, स्वामी दयानन्द जी के नाम से अजमेर विश्वविद्यालय को पुकारा जाये इस नाम से मैं प्रस्ताव लाया। मैं बहुत-बहुत सम्मान करता हूं इस सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों का जिन्होंने एक राय होकर अजमेर विश्वविद्यालय का नाम स्वामी दयानन्द विश्वविद्यालय रखने में अपनी तरफ से भावनायें व्यक्त की लेकिन जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी फरमा रहे हैं कि सरकार इस पर पुनः विचार करके बहुत शीघ्र ही एक दूसरा विधेयक लायेगी। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1991 को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक वापिस किया गया।

श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : मुझे वो थोड़े ही बोलना है जो पिछली बार बोल चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं आपको संकल्प पर बोलना है तो बोलिये वरना बैठिये।

श्री कालीचरण सराफ : संकल्प पर तो बोलना है। पहले वो कागज दिया था बोलने के लिये वो थोड़े ही बोलना है।

गैर सरकारी संकल्प
अश्लील पोस्टर पर पाबन्दी लगाने सम्बन्धी

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कागज है क्या आपके पास ?

श्री कालीचरण सराफ : नहीं दिया नहीं इसलिये तो कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में विशेषकर जो प्रदेश के बड़े शहर हैं उनमें जो पोस्टर्स और विज्ञापन के होर्डिंग्स लगते हैं उनकी तरफ यदि हम ध्यान दें तब यह देखेंगे कि पोस्टरों के माध्यम से हिन्दी फिल्में और अंग्रेजी फिल्मों में जिस प्रकार से नारी देह का प्रदर्शन, जिस प्रकार की अश्लीलता उनमें प्रदर्शित की जाती है वह निश्चित रूप से समाज के लिये शर्मनाक

(श्री कालीचरण सराफ)

है। अब आप जयपुर को ही देख लीजिये। जयपुर में आप किसी भी मौहल्ले में चले जायें, किसी बाजार में चले जायें, अंग्रेजी और हिन्दी फिल्मों के पोस्टर्स की एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है उनको यदि हम देखें तो हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है। इतना ही नहीं इन पोस्टर्स को लगाने वाले स्थानों पर चुन-चुन कर पोस्टर्स लगाते हैं। महारानी कॉलेज, कनोड़िया कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, जहां किशोर अवस्था के छात्र छात्रायें पढ़ते हैं वहां इस प्रकार के पोस्टर्स लगाये जाते हैं। नगरपरिषद् के द्वारा जो स्थान निर्धारित है होल्डिंग्स पर यदि विज्ञापनों को देखा जाये तो वहां भी यही स्थिति मिलेगी। समाचार पत्रों में जो फिल्मों के विज्ञापन आते हैं उन की यदि लेंग्वेज पढ़ी जाये, उनके यदि चित्र देखे जायें तो उसमें भी यही स्थिति रहती है।

इतना ही नहीं टेलीविजन जो भारत सरकार के अधीन है, उनके विज्ञापनों पर यदि नजर डाली जाये; चाहे वह टूथपेस्ट का विज्ञापन हो, चाहे वह सूटिंग शर्टिंग का विज्ञापन हो; चाहे वी. आई. पी. सूटकेस का विज्ञापन हो; चाहे नहाने के साबुन का विज्ञापन हो। हर विज्ञापन में किस प्रकार से महिला के शरीर का प्रदर्शन किया जाये इस प्रकार की कोशिश उनमें रहती है आज भारतीय समाज में संयुक्त परिवार में सब लोग बैठकर कमरे में टी. वी. देखते हैं और वहां पर जब इस प्रकार के विज्ञापन आते हैं तो कई बार तो स्थिति यह होती है कि बड़े बूढ़े शर्म के मारे उठकर चले जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो वहीं बैठे रहते हो।

श्री कालीचरण सराफ : मैं अभी बड़ा बुजुर्ग नहीं हुआ हूं इसलिये आप जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो जोड़े से देखते हो।

श्री कालीचरण सराफ : इसी प्रकार जो मैग्जीन्स निकलती हैं, जो पत्र-पत्रिकायें निकलती हैं, जिनमें नारी उत्थान के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें, महिलाओं का समाज में सम्मान होना चाहिये, इसके बारे में बड़े-बड़े लेख छपते हैं और यदि उनके विज्ञापनों के बारे में भी देखा जाये तो इस प्रकार के विज्ञापनों में अश्लीलता की भर-मार रहती है।

(2.30 म. प.)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, इस प्रकार के विज्ञापन निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हैं। जिस समाज में नारी को मां के रूप में देखा जाता है उस समाज में इस प्रकार के विज्ञापन निश्चित रूप से लज्जाजनक हैं।

भारतीय संस्कृति का आधार जहां नारी को माना जाता है पुरुष का सम्बल नारी को माना जाता है वहां इस प्रकार के विज्ञापन, मैं तो यही कह सकता हूं कि लोगों की कुंठित भावनाओं को उजागर करने का मात्र प्रयास है। सभापति महोदय 1986 में केन्द्रीय सरकार इसको रोकने के लिए एक विधेयक लाई थी

(श्री कालीचरण सराफ)

जिसका नाम था । Indecent Representation of Woman Prohibition Act, 1986.

उसके सैक्शन तीन में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि prohibition of advertisements containing in-decent representation of woman no person shall publish or cause to be pubished or arrange or take part in the publication advertisement which contains indecent representation of woman in any form.

सभापति महोदय, मैं इस संकल्प के जरिये राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकार नारी देह का प्रदर्शन जो विज्ञापनों में होता है उसको रोकने के लिए या तो केन्द्रीय कानून जो बना हुआ है उसको राज्य सरकार को अडाप्ट करना चाहिये और या इस बारे में एक पूरा कानून बनाकर भारी राशि का जुर्माना और सजा का प्रावधान होना चाहिये जिससे इस प्रकार की विज्ञापन के माध्यम से समाज में दुष्प्रवृत्तियां बढ़ाने की जो प्रवृत्ति चल रही हैं, जो कुण्ठित भावनाओं को उजागर करने का प्रयास चल रहा है, जो भारतीय समाज की संस्कृति के खिलाफ है उसको रोका जा सके मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण) : मैं निवेदन करना चाहूंगी यह बात सही है कि आज मात्र सत्तात्मक राज्य नहीं है लेकिन फिर भी महिलाओं की समाज में प्रगति के रूप में आने में संख्या कम है । आर्थिक रूप से भी वह परतन्त्र है लेकिन यह देश वह देश है जिसमें "यत्र नारियस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता" इस बात को कहकर नारियों की पूजा की जाती थी और हमारे यहां ऐसी नारी हुई हैं जो वेद मन्त्रों की सृष्टा रही हैं, दृष्टा रही हैं । मैं समझती हूं नारियों की पूजा करने में प्रथम स्थान भारत का रहा है । उस भारत में आज जब यह देखते हैं कि पैसा कमाने के लिए तरह-तरह के प्रलोभन से आकर्षित करने के लिए विचित्र रूप से महिलाओं के चित्रों को चित्रित करते हैं, चाहे सिनेमा के विज्ञापनों में देख लीजिये और अन्य साड़ियों के विज्ञापनों में देख लीजिये ऐसे-ऐसे खादी भण्डार के विज्ञापनों में देख लीजिये स्त्रियों को सज्जित करके लोगों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है । मैं समझती हूं यह परम्परा गलत है इस गलत बात को लेकर दो-चार उपचार बचते हैं या तो उनको फाड़ दिया जाय या समाज के जागृत लोग उस पर बराबर तारकोल पोत आयें या फिर एक बात बचती है कि सरकार ऐसी चीजों को प्रतिबन्धित करे जो समाज में चारित्रिक अवनति की ओर प्रेषित करती है । जाते-जाते युवक वर्ग की आंख भी उस पर टिकती है, तो एक्सीडेन्ट होते हैं । इतनी बुरी हालत होती है और बार-बार मना करने पर भी ऐसे चित्रों को, ऐसी-ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां लोगों की निगाह पड़े । मैं समझती हूं यह चीजें अच्छी नहीं है । केन्द्रीय कानून के माध्यम से राज्य सरकार ऐसी चीज को

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

प्रतिबन्धित करें। ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाये जो महिलाओं के इस प्रकार के नग्न शरीर के चित्रण चित्रित करते हैं। सिनेमा वालों को रोका जा सकता है उस पर सेन्सर बोर्ड है लेकिन वही चित्र चाहे वह किसी कथा के बीच में आये हों या कहानी के किसी भी चीज को उद्धत करते हों जो किसी कहानी के बीच में किसी सिनेमा की कहानी में थे लेकिन ऐसा ही पार्ट लेकर उसका चित्र बनाकर लगाया जाये यह कभी औचित्य की दृष्टि में नहीं आता। मैं समझती हूं अनेकों बार महिलाओं ने प्रदर्शन किये, जिलाधीश को, मैं भी मेरे नेतृत्व में ले जाकर देकर आई हूं और मैंने यह भी प्रबन्ध करने का प्रयास किया है कि जाते-जाते कहीं ऐसा चित्र दिखता है, हर जगह तो निगाह जाती नहीं, हर सिनेमा में तो देखा नहीं जाता। सिनेमा ही नहीं देखते तो वहां कहां से देखेंगे। लेकिन फिर भी कहीं तो नजर पड़ी और हमने कहा तो उसको उतरवा देते हैं। यह चीज तो प्रतिबन्धित रूप से रुकनी चाहिये अंग्रेजी के जो पिक्चर हैं वह तो चला करें, उनके विज्ञापन निश्चित रूप से होते हैं। कलक्टर के अभाव अभियोग की बैठक में जयपुर में तय कराया गया कि निश्चित रूप से अगर कोई लगायेगा तो उसको दण्डित किया जायेगा लेकिन दण्ड नहीं, बार-बार बात दोहराई जाये, समाज के द्वारा दोहराई जाये और वह बात भी नहीं मानी जाये तो इसके लिये एक उपचार है कि सरकार प्रतिबन्ध के लिये सोचे और कार्य करे और दिशा निर्देश करे कि किस प्रकार का एक्ट ऐसे लोगों के लिये किया जाय। जिनकी मानसिक स्थिति कुण्ठित है, विकृत है और जो ऐसे चित्रों को उद्धृत करते हैं। मैं समझती हूं सरकार को इसमें अपना कोई निर्णय लेना चाहिये। मैं यही बात कहते हुये समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, आज देश में आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं के विविध रूप हैं। कहीं वह बालिका है, कहीं वह वधु है, कहीं माता है, कहीं बहन है, चाची है, दादी है, नानी है विविध स्वरूप, पत्नी इत्यादि के अनेकों स्वरूप में भारतीय नारी का स्वरूप विद्यमान है। इन विविध स्वरूपों के साथ भारतीय नारी के विविध दायित्व भी हैं और सभापति महोदय, इन दायित्वों में उसका कर्तव्य पालन पत्नी रहते हुये, मां का कर्तव्यपालन, परिवार में बेटे-बेटी के रूप में माता-पिता का कर्तव्यपालन, अनेकों तरह के दायित्व निभाते हुये आज आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी जहां कुछ कदम आगे बढ़ा पायी है वह अभी बहुत पीछे भी है और वह आर्थिक कामों में योगदान देने के लिये अथवा परिवार के किसी भी दायित्व को निभाने के लिये उसकी कमजोरी हो सकती है कि वह माडलिंग करे, वह विज्ञापन इत्यादि में भाग लेकर परिवार के लिये कुछ आर्थिक मददगार बने। यह तो उसका कर्तव्य है परन्तु वह आर्थिक परिस्थितियों में उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर जिस प्रकार से आज टी. वी. में, पत्र-पत्रिकाओं में चौराहों में, लगने वाले होर्डिंग्स और पोस्टरों में महिलाओं को जिस रूप में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उन्नत किया जा रहा है, सभा-

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पति महोदय, निश्चित रूप से सदन के सभी सदस्यों की कहीं न कहीं जब नजर ठहरती होगी, उनकी आंखें शर्म से झुक जाती होगी। मैं सदस्य कालीचरणजी सराफ को धन्यवाद करती हूं कि वे इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में इस तरह के संकल्प में लाये।

माननीय सभापति महोदय, जिस देश की यह गरिमा रही है "जननी जन्म भूमिश्च, स्वर्गादपि गरियसी" जहां मां और मातृ भूमि को स्वर्ग से भी अधिक महत्ता-वान बनाया है, स्वर्ग से भी अधिक माननीय बनाया है उस देश में महिलाओं की आर्थिक कमजोरी या पारिवारिक दायित्व के कारण जिस प्रकार से वे माडलिंग के क्षेत्र में आगे आई हैं उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उनकी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है यह निश्चित रूप से हम भारतवासियों के लिये कलंक की बात है। विभिन्न महिला संगठनों जब समय-समय पर महिला दिवस नगर में आयोजित करती हैं वह इस प्रकार के होडिंग्स एवं पोस्टर्स पर काले रंग पोतते और सीढ़ियों पर चढ़ कर रंग पोतते हुये दिखलाया जाता है। यह सब इसलिये कि यह जो एक पक्ष जो हमारा कालिमामय है इस पक्ष को समाप्त करना अति आवश्यक है। मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि यह जो संकल्प है यह निश्चित रूप से विचारणीय है। आज जहां महिलायें सारे क्षेत्रों में चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो अग्रणी हैं। जहां उन्होंने काम किया है बड़े ही दायित्वपूर्ण, निष्ठापूर्वक और पूरे चुनौती भरे समय में फिर चुनौती पूर्वक दायित्व को निभाते हुये आगे आई हैं, आगे आ रही हैं, आगे आना चाहती हैं लेकिन यह पक्ष जो विज्ञापनों के माध्यम से और इसमें सभापति महोदय एक बात और है कि इस प्रकार से महिलाओं का दुरुपयोग करके कुछ चांदी के चन्द टुकड़े उनको देकर जिस प्रकार विज्ञापन छापे जाते हैं उससे समाज का शोषण होता है।

मुझे अभी चार दिन पहले ही किसी सदस्य से बातचीत करते वक्त इस बात का आभास हुआ कि मैंने टी. वी. में विज्ञापन देखकर साबुन खरीद लिया और उस साबुन में तो झाग ही नहीं हुये। मतलब इसमें भी समाजवादी शोषण होता है यह जो इस प्रकार से विज्ञापन बताकर या महिलाओं के बालों का या किसी भी प्रकार प्रदर्शन करके जो जनता को ठगा जा रहा है, समाज को ठगा जा रहा है यह भी पक्ष बड़ा खराब है....

इसलिये मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुये यह कहना चाहती हूं कि किस-किस प्रकार के विज्ञापन आज दिखाये जाते हैं। यह हमारे लिये बड़े दुःख की बात है। सदन के सभी माननीय सदस्य बहुत समझ-दार हैं। इस बात पर पूरा विचार करना चाहिये कि आज यह बात सदन में आई है तो इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और सरकार कोई कानून अपनी तरफ से बनाये, कोई अध्यादेश लाये। मैं इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करते हुये अपनी बात पुनः दोहराती हूं कि यह सब जो हो रहा है वह वास्तव में ठीक नहीं है और इसको रोकने के लिये राजस्थान सर-कार को इस विषय पर विचार करना

(श्रीमती तारा भण्डारी)

चाहिये और इस सम्बन्ध में जो भी अच्छे से अच्छा कानून ला सके वह लाना चाहिये । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय सूर्यकांता व्यास ।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, वास्तव में महिलाओं के साथ, उनके चरित्र के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है और इस तरीके से अश्लील पोस्टर लगाये जा रहे हैं उसके बारे में कई दफा इसकी होलियां जलाई गई हैं। यहां के पोस्टरों को काले रंग से पोता गया है फिर भी, इस बारे में अभी तक भी पूर्व सरकार ने इस पर विचार नहीं किया ।

मैं माननीय सभापति महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार इस बारे में जरूर विचार करेगी कि महिलाओं के साथ और विशेषकर अश्लील पोस्टरों पर, जिसमें अर्द्ध-नग्न महिलाओं को दिखाया गया हो यह जो दुर्व्यवहार हो रहा है वह अनुचित है । वास्तव में एक महिला होती है वह मां के बराबर है, बहन है, पत्नी है उसके कई रूप हैं। उस रूप को ध्यान में रखते हुये इस सरकार को चाहिये कि इसके ऊपर कोई न कोई ऐसा कानून बनाये ताकि इस तरीके से महिलाओं के चरित्र का कोई भी प्रदर्शन न करें और हनन न करें । मैं आपको सही बता रही हूं कि ऐसे-ऐसे नौजवान होते हैं जो इधर-उधर मुंह देखते-देखते चलते हैं। कई दफा नीचे गिर जाते हैं। यह बात बहन उजलाजी ने सही बताई थी । वास्तव में इससे एक्सीडेन्ट होने का खतरा रहता है । मगर इसके बारे में भी माननीय सभापति महोदय, सरकारी अधिकारियों का उतना ही सहयोग होना चाहिये कि वे जहां कहीं भी ऐसे पोस्टर लगे हुये देखें तो उस पोस्टर को अविलम्ब उतरा दें । मैं जोधपुर की बात आपको बता रही हूं । जोधपुर शहर के अन्दर कई ऐसे पोस्टर लगे हुये थे उनके लिये हमें कोर्ट तक जाने की नौबत आई है, फिर भी पूर्व सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । लेकिन माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार इस सम्बन्ध में जरूर कोई न कोई ऐसे कानून बनायेगी । धन्यवाद ।

श्री सभापति : इस संकल्प पर चर्चा समाप्त हुई । प्रो. केदार, सदस्य, विधान सभा यह संकल्प प्रस्तुत करेंगे....(व्यवधान) संकल्प राज्य सरकार को भेज दिया जाता है । वह विचार करेगी ।

श्री केदार नाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : वह अपने को राइट तो देगी । सरकार अपनी तरफ से यह कहे कि आपकी बात ठीक है, हम इसके बारे में कार्यवाही करेंगे.... (व्यवधान)

श्री सभापति : नियमों के अनुसार यह संकल्प राज्य सरकार को भेज दिया जाता है । वहीं पर इस पर विचार होता है ।

श्री कालीचरण सराफ : सरकार उस पर कुछ न कुछ आश्वासन भी देती है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह सरकारी संकल्प है । इस पर तो मतदान होगा ... (व्यवधान)

श्री सभापति : संकल्प पर चर्चा हो चुकी । राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प रखा गया है उस संकल्प के सम्बन्ध में कई बार देश में चर्चा हुई है कि इस प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि अभी तक न केन्द्र ने न कहीं राज्य सरकार ने....

श्री कालीचरण सराफ : केन्द्र ने कानून बनाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनिये तो सही। नियम बनाये जो मुझे मालूम है। इस बात का प्रतिबन्ध नहीं लगाया है कि इस प्रकार के पोस्टर्स जिनमें अश्लीलता दर्शती हो उनको लगाया जाय। केन्द्र ने इस प्रकार के पोस्टर्स पर प्रतिबन्ध लगाया है जिन पोस्टर्स के द्वारा क्रय-विक्रय को प्रेरित किया गया है। अब कालीचरण जी को नाराजगी इस बात की थी कि महिलाओं के इस तरह के पोस्टर्स लगाये जाते हैं। मुझे इस बात की नाराजगी है कि इसमें पुरुषों को भी नहीं बख्शा जाता। हमको डकैत बताया जाता है, हमको कहीं लुटेरा बताया जाता है, हमको कही जेबकट बताया जाता है, कहीं हत्यारा, कहीं लड़कियों को छेड़ने वाला, कहीं लड़कियों को भगाने वाला इन सब रूपों में पुरुषों को भी दिखाया जाता है। अश्लील रूप में पुरुषों को दिखाया जाय या महिलाओं को दिखाया जाय इसमें सबको आपत्ति है। लेकिन मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बुराइयां केवल कानून से समाप्त नहीं हो सकतीं। हिन्दुस्तान में तो पिछले 40 वर्षों में कानून का जंगल खड़ा कर दिया। कानून बनाने वालों को पता नहीं, कानून पालन करने वालों को पता नहीं और कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने वाली अदालतों को भी इसका पता नहीं है। आज जितना काम हम सरकार के हाथ में देंगे तो आप भरोसा रखकर चलिये उसका सही प्रकार से पालन नहीं होगा। इस सरकार ने पहले ही इतने कानून बना दिये और सरकार का जिस प्रकार का एपारेटस है उसके आधार पर नये कानून बनाकर उसका सही प्रकार से पालन करवा पायेंगे यह सम्भव नहीं है।

जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थी कि उसको महिलायें काला पोत देती है। मैं समझता हूं कि यदि महिलाओं को बुरा लगता है और लगना भी चाहिये यह स्वाभाविक है लेकिन जैसा अभी कहा गया कि 50 प्रतिशत महिलायें हैं। यदि 50 प्रतिशत महिलायें किसी चीज की रोकथाम करने की कोशिश करें तो दुनिया की कौनसी ताकत है। जब 3 महिलाओं ने ही इस सदन को हिला दिया तो 50 प्रतिशत महिलायें इसके खिलाफ लग जायें तो कौन पोस्टर लगा सकता है, कोई पोस्टर नहीं लगा सकता। लेकिन महिलाओं में या समाज में इस प्रकार की जागृति पैदा की जाय। वह जागृति ही सबसे बड़ा प्रतिबन्ध है, कानून से भी अधिक वह प्रभावशाली है। कानून का तो पता नहीं लगेगा, पोस्टर लगते रहेंगे, इस प्रकार के विज्ञापन भी दिये जाते रहेंगे। आप 3 महिलायें हैं, कम से कम एक निर्णय कर लें कि हमारे क्षेत्र में कोई अश्लील पोस्टर नहीं लगा सकता और हमारे क्षेत्र में कोई अश्लील पोस्टर नहीं लगेगा .... (व्यवधान) .... महिलायें यदि आदर्श उपस्थित कर दें तो सारे राजस्थान की महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कानून बनाने की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बात छोड़ दीजिये । जन जागरण पैदा हो उस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी चाहिए । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है आपने जो भावनायें व्यक्त की हैं उन भावनाओं पर कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकती लेकिन रोकथाम किस प्रकार से की जाय कानून बने उसको लागू किस प्रकार से किया जाय । कानून भी बन गया तो उसको इम्पलीमेंट किस प्रकार से किया जायेगा ये कई समस्यायें हैं । आज कालीचरणजी को बड़ा दुख हो रहा है कि कई अश्लील पोस्टर जब मैं देखता हूं और जब हम दोनों पति-पत्नी बैठे रहते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है । ऐसी गम्भीर समस्या कौनसी है कि अश्लील पोस्टर देखते हो और समस्या खड़ी हो जाती है । तो दोनों अलग-अलग हो जाया करो, समस्या का समाधान अपने आप हो जायेगा जो पोस्टर आपको अच्छा लगता हो वह आप देख लो और जो आपकी पत्नी को अच्छा लगता हो वह पत्नी देख लें । (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : पति-पत्नी की प्राब्लम नहीं है, बच्चों के साथ प्रोब्लम है । पति-पत्नी को तो देखने में क्या एतराज है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, बात तो सही है, बच्चों के सामने यह समस्या खड़ी हो जाती है । मैं भी एक बार जब पहले मुख्यमंत्री था तो एक फिल्म का उद्घाटन करने के लिए मुझे ले गये और मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे वगैरह साथ थे । ज्यों ही फिल्म शुरू हुई तो मुझे खुद को इतनी शर्म आई कि पहले तो मैंने बच्चों को भेजा और फिर मैं खुद वहां से निकलकर आ गया । कई बार इस तरह की आकवर्ड पोजीशन हो जाती है । मैं अकेला होता तो शायद देख लेता ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठकुराइन के साथ भी देख लेते, क्या दिक्कत है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह साथ होती तो हम बहुत ही एन्जोय करते हैं । लेकिन बच्चे साथ थे, तो जो बात आप कह रही हैं, वाकई में इतना शर्मिन्दा हुआ, उसका उद्घाटन मैंने किया, मुझे पता होता कि इस प्रकार की फिल्म है और भारतीय विदेशी पिक्चर थी, इसलिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बनाकर बड़े तमाशे के साथ हमको ले जाया गया, हमने फिल्म का उद्घाटन किया और देखने के बाद में वहां से भागे । इस तरह की स्थिति कालीचरणजी की भी हो सकती है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आपने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उनसे किसी का विरोध नहीं हो सकता लेकिन कानून बनाकर ही हम इसको रोक पायें, इसके बजाय मेरा आग्रह होगा कि जनमत और जन जागरण करके इस समस्या का समाधान किया जाय, वह ज्यादा उचित होगा ।

श्री सभापति : संकल्प पर चर्चा समाप्त हुई ।

प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा सदस्य, विधानसभा एक संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

स्वतन्त्रता सैनानियों को राजकीय सेवाओं में सुविधायें देने हेतु

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : सभापतिजी, आपकी इजाजत से मैं ऐसा एक संकल्प पेश कर रहा हूं और मुझे गौरव भी महसूस होता है । मैं निम्नलिखित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं—

"सदन की राय में राज्य सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके परिवारों को राजकीय सेवाओं में सुविधाएं दी जायं, बीमारी के समय पूरी मेडिकल आदि की व्यवस्था की जाय, उनके नाम से पत्थर, सड़क, स्कूल आदि सुरक्षित किये जायं ।"

सभापतिजी, हम यहां जो बैठे हैं राजस्थान के असेम्बली हॉल में माननीय सदस्य के रूप में, यह उनकी देन है जिन्होंने राजस्थान को एक किया, राजस्थान के रजवाड़े समाप्त किये, राजाओं की हुकूमत समाप्त की । उस वक्त के हालात का बयान मैं यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि वह जीवन एक अलग जीवन था । आज उनमें से बहुत कम जिन्दा हैं, दस प्रतिशत ही जिन्दा होंगे । इस समूचे हाउस में हम दो माननीय सदस्य हैं जिनके पास ताम्र-पत्र है । एक माननीय जोशीजी के पास और दूसरा, मुझे इस ताम्र-पत्र को पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । हम यह नहीं चाहते कि हमें पेंशन ज्यादा मिल जाय, हमारे लड़के भी नौकरी में आ जायं....

श्री भंवरलाल शर्मा : आ जायं तो क्या दिक्कत है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो है ही ।

श्री केदारनाथ शर्मा : कोई मेडिकल बिल के नाम से ज्यादा पैसा मिल जाय मगर स्वतंत्रता सेनानी यह चाहेगा कि मेरा इतिहास में नाम लिखा जाय । जिस इलाके का मैं हूं, उस इलाके में मेरी मूर्ति लगे, कोई स्मारक कायम हो जाय, वह इसलिए कि आने वाली औलाद जब उनको देखे कि यह भी कभी थे जिन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग किया, सारी सुख-सुविधाएं छोड़कर राजा-रजवाड़ों के खिलाफ लड़े, जेल गये, काल-कोठरियों में रहे, जमीनें जब्त हुई, नौकरियों से निकाले गये, मार-पिटाई हुई, यह प्रेरणा आने वाली कौम के नवयुवकों में पैदा होगी । एक स्वाभिमान भी पैदा होगा, एक सारा इतिहास भी उनके सामने आ जायेगा कि राजस्थान का इतिहास क्या था । तीन-चार हजार स्वतन्त्रता सेनानी हैं इस राजस्थान के, जो प्रमुख रूप से हैं, हजारों भी हो सकते हैं । कुछ ऐसे इलाके थे जहां जागीरी जुल्म के खिलाफ लोग लड़े जैसे बिजोलिया है जहां पथिकजी थे, डाबड़ा है जहां माननीय व्यास जी थे और कांगड़ कांड हमारी बीकानेर स्टेट में, जिसमें हम लोग भी थे । तीन-चार तो यह स्थान हैं । मैंने आज तक किसी एक का भी मेमोरियल देखा नहीं, राजस्थान की धरती पर किसी गांव में या किसी शहर में, सिवाय दो-चार के, मानिकलाल वर्मा का है, व्यासजी का है, एक जगह पथिकजी का है, एक जगह मघारामजी वैद्य का है, एक स्वामीजी का है चूरू में, केवल दस-बारह हैं, इसके अलावा कहीं भी कोई मूर्ति या स्मारक मैंने देखी नहीं । सभापतिजी, पहले सोचा यह गया था कि राजधानी में इनके

(श्री केदारनाथ शर्मा)

नाम से एक मेमोरियल बनाया जाय और सब की फोटो हो वहां पर, पत्थर लगें कि फलां साल इतनी कैद इनको हुई, फलां साल यह जेल में गये, यह फलां इलाके का है और फलां जगह से आया है, यह काम इसने किया। ताकि जो भी अन्दर हॉल में जाए, बाहर के लोग आयें, दूसरी स्टेट्स के लोग आयें, हमारे लोग आयें, इनके सामने एक राजस्थान की सारी तस्वीर आ जाय कि राजस्थान का स्वतन्त्रता आन्दोलन यह था। इसके बारे में इतिहास लिखने के लिए एक कमेटी बनी। पच्चीस साल लग गये उसको, अभी तक इतिहास लिखा नहीं। एक बार उसका मेनुस्क्रिप्ट मुझे पढ़ने को मिला, उसमें काफी डिस्टोर्शन थे, दोबारा री-कास्ट करने के लिए कहा गया, अभी कम्पलीट नहीं हुआ। तो सभापतिजी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो स्वतन्त्रता सेनानी जिस इलाके से है, मामूली खर्चा होगा आपका, लोग अपने आप खर्चा दे देंगे, पंचायतें दे देंगी, नगरपालिका दे देगी, परिषदें दे देंगी, लोग अपने आप दे देंगे, उनकी मूर्ति का स्थान दे दिया जाय। मुझे थोड़ा दुख भी होता है—उद्यमसिंहजी, इनसे बड़ी कुर्बानी और कौन दे सकता है इस देश में, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर जिन्होंने गोली मार कर डायर को मारा था, उनके भी स्मारक के लिए तीन-चार साल लग गये गंगानगर शहर में स्थान नहीं दे पाये। यहां कागज पड़े हैं, यहां कमेटी बनाई हुई है एक उस कमेटी की बैठक ही नहीं होती है। तीन साल से उस कमेटी की बैठक ही नहीं हुई जिसमें उद्यमसिंह जी के नाम से मूर्ति लगाने के लिए यहां से इजाजत देनी थी, वह इजाजत अब तक गई नहीं। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि लिस्ट आपके पास है, कमेटी बनी हुई है, माननीय मुख्यमंत्रीजी भी थे, लिस्ट उनके पास है, पेंशन इनको मिल रही या नहीं मिल रही, जिन्होंने ली नहीं, उनके नाम से आप देख लीजिए, उनके नाम से कहां-कहां मूर्तियां, सड़कें, स्कूल लगाये जायं ताकि राजस्थान का इतिहास उनके सामने आ जाय और लोगों को यह हो जाय कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, उन्होंने यह काम किया, यह भी काम किया, तो मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं यह तो इतिहास के बारे में।

दूसरा, जो हमारे बच्चों के कोर्सेज हैं, सिलेबस है, उनमें प्रमुख रूप से उनका नाम कहीं आ जाय, उनके जीवन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, आज भी राजाओं की मूर्ति तो लगी हुई है कई जगह, हम नहीं चाहते कि उनको डिस्मेंटल किया जाय क्योंकि उनकी भी अपनी स्टेट बनाने में काफी सेवायें थीं, यहां अंग्रेज की मूर्ति लगी हुई है अभी भी, वह तो ठीक है कि अलग चीज है, मगर राजस्थान के शहर में एक मेमोरियल बना करके जिन लोगों ने राजस्थान की लड़ाई लड़ी है, आन्दोलन में हिस्सा लिया है, उनकी मूर्तियां, उनकी फोटोज तो हो, उनके नाम लिखे जायं ताकि थोड़ा संतोष हो जाय कि हमने भी अपने जीवन में यह काम किया।

मान्यवर, हमें 400–450 रुपये पेंशन यहां से मिलती है और केन्द्र 750 रुपये देता है, टोटल इतनी है। अब देखिये, जिसने सारा जीवन इसमें दे दिया हो वह

(श्री केदारनाथ शर्मा)

1100 रुपये में क्या जीवन यापन करेगा, क्या बच्चों को पढ़ायेगा, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे कैसे पढ़ा सकते हैं ? जमीनें जब्त हो गई, मकान जब्त हो गये, न आपने मकान दिया, न जमीन दी केवल पेंशन दे दी और पेंशन भी बहुत लेट दी । 47 के बाद 57-58 में पेंशन मिली जो 62 में मिली, वह भी लेट मिली है । मेडिकल बिल में एक हजार रुपया साल का देते हैं आप । ब्याह-शादी में दो हजार रुपये दे देते है ।

माननीय मुख्यमंत्रीजो, जो आपने कमेटी बनाई उसके परसोनेल कुछ चेंज करने पड़ेंगे आपको, उसके परसोनेल चेंज करके आप नई कमेटी बनाइये, जो अच्छे हैं उनको ले लीजिए आप और फिर री-कास्ट कीजिए और सुविधाओं के बारे में आप थोड़ी बढ़ोतरी कीजिये और इतिहास के कोर्सेज में, सैलेबस में उनका नाम दाखिल कीजिए और जो पंचायत समिति, जो जिला परिषद्, जो नगरपालिका अपने इलाके में लोगों की मूर्तियां लगाना चाहती हैं, आप यहां सेन्टरलाइज मत कीजिये, यह अधिकार कलक्टर को दे दीजिए आप, जिला परिषद् को यह अधिकार दे दीजिये कि अपनी-अपनी जगह देख लीजिये, अपनी-अपनी बना लीजिये, अपना-अपना इन्तजाम कीजिये । सारी चीजें आपने सैन्टरलाइज कर ली, आपकी कमेटी की बैठक होती ही नहीं है, आप इजाजत देते ही नहीं हैं, मूर्ति लगती नहीं है । यह बहस की बात नहीं है, यह मेरा प्रस्ताव है । मुझे दक्षिण में जाने का मौका मिला । हर गांव में उनकी मूर्तियां लगी हुई थीं और जब बच्चे निकलते हैं, स्कूल जाते हुए देखते हैं कि यह हमारे पूर्वज थे, परवाह नहीं की इन्होंने, फांसी पर लटकाये गये, काल-कोठरी में गये, बीस-बीस साल कैद काटी और उनका परिवार यही था । थोड़ी सी उनके प्रति प्रतिष्ठा और सम्मान की भावना पैदा होती है, प्रेरणा पैदा होती है और राष्ट्र के प्रति भावनाएं पैदा होती है कि हमारे देश में ऐसे लोग थे । तो मेरा ख्याल है, यह बहुत पहले काम हो जाना चाहिये था पहले भी जब मैं विरोध में था और कांग्रेस की हुकूमत थी, बहुत कहा, कुछ उन्होंने बात मानी, कुछ नहीं मानी लेकिन अब तो हमारी सरकार है, इसमें हमारा भी हिस्सा रहा है और मुझे विश्वास है कि नई चीज आप पैदा करेंगे । उनका इतिहास लिखा जाय, उनकी मूर्तियां लगाई जायें व पेंशन में बढ़ोतरी हो, नौकरियों में रिजर्वेशन हो, स्कूल-सड़कें उनके नाम से रखी जायें । यही बात कहते हुए अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं । मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी, जो काफी पुराने हैं और संजीदगी से इस चीज को ले रहे हैं, इसके बारे में अपनी बात को कहेंगे, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री सभापति : माननीय श्री नत्थीसिंह ।

(3.00 म. प.)

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, माननीय प्रोफेसर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हर जिन्दा कौम चाहती है उन लोगों को सम्मान देना जो कि कुर्बानी करते हैं । राष्ट्र की आजादी के लिए जिन लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में

(श्री नत्थीसिंह)

भाग लिया जैसा आपने कहा कि बहुत कम लोग उनमें से जिन्दा रहे हैं और जो जिन्दा रहे हैं वह जलील नहीं हैं। समाज में यह न हो, यह वह स्वतन्त्रता सेनानी हैं, आज की हमारी जो यह पीढ़ी है वह उनको इज्जत नहीं दे रही है, उनको सम्मान नहीं दे रही है—इस तरह का कोई इम्प्रेशन नहीं बने। इसलिए हमारे ऊपर भी यह दायित्व है कि उन लोगों को जो आपने कहा है कि चाहे उनको पेन्शन का है, चाहे उनको सुविधाओं का हो लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी एक कमेटी सरकार की ओर से बनी हुई है और वह कमेटी हर जिले में जिले के कभी कभी कलक्टर्स मीटिंग बुलाते हैं। मुझे भी एक मीटिंग में जाने का मौका मिला और वहाँ पर स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम पर कहाँ सड़क हो, कहाँ स्कूल में कहीं और जगह उनका नाम रखा जाये, सुझाव लिये जाते हैं। आज से ढाई साल पहले मुझे याद है भरतपुर जिले में एक इस तरह की बैठक बुलाई गयी थी और जो स्वतन्त्रता सेनानी हमारे बीच में नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए उनके नाम छाँटकर भेजें। ढाई साल गुजर जाने के बाद भी, ढाई साल पहले सरकार कोई दूसरी थी अब अपनी भी आ गई लेकिन उस राह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि जो रिकमन्डेशन्स बाहर से आई हैं उनके ऊपर कोई फैसला तो किया जाये। तो यह दिखता है कि हम स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति जो आदरभाव होना चाहिये उसमें कहीं-कहीं कमी आई है क्योंकि आजादी के बाद जो एक नया जमाना शुरू हुआ वह जमाना था हम लोगों का भी सन् 40 में आन्दोलन में भाग लेने का मौका मिला। उस समय जो पुराने लोग थे वह बड़ी विषम परिस्थितियों में लड़ते थे। उन्हें कभी यह पता नहीं था, 45 से तो पता लगने लगा था कि स्वतंत्रता आ रही है लेकिन उससे पहले जो लोग थे वह तो सिर हथेली पर लेकर लड़ते थे और कोई यह नहीं था कि इस देश में कभी आजादी आयेगी और उनको कुछ मिलेगा। त्याग के बजाय जो भोग की संस्कृति आई उस भोग की संस्कृति का हमारे ऊपर इतना असर हो गया है कि हम कुर्बानी करने वाले लोगों को एक तरह से भूल बैठे हैं इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इतना निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय प्रोफेसर साहब ने जो भावनायें रखी हैं उस तरह से हम निश्चित रूप से चाहे हमारे पाठ्यक्रम हों, आपने नैतिक शिक्षा की बात कही है, सर्वधर्म सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा तो है लेकिन कुछ लोगों ने कुर्बानी दी उनके प्रति समर्पित हों, हमारी उनके प्रति सम्मान की भावना बने ताकि स्वतन्त्रता सेनानियों ने, क्योंकि आपने कहा है कि इस तरह का विचार था, हो सकता है कि बहुत से लोग स्वतन्त्रता संग्राम से संबंधित नहीं रहे, नयी पीढ़ी है नई पीढ़ी में तो तभी जागृति आयेगी जब उनके बारे में उनको जानकारी भी मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में तो कोई हर्ज नहीं हो सकता लेकिन जो कुछ व्यवस्था आपने बना रखी है उसकी क्रियान्विती हो उसमें तेजी आये और जैसा आपने कहा है कि उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी हो—इन भावनाओं के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, स्वतन्त्रता सेनानियों को सुविधायें देने या उनके नामों को अमरता देने की जो चर्चा चल रही है यह सराहनीय है । वैसे तो स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन दी और दूसरी सुविधायें दी गयी हैं लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है कि कई स्वतन्त्रता सेनानी आज भी ऐसे रह गये हैं जो इन सुविधाओं को नहीं पा सके हैं । मेरे जिले में आज भी ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी मौजूद हैं जो बड़ी ही दयनीय स्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं और जिन्हें स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाला गया, उन्हें बेघरबार किया गया लेकिन कुछ ऐसे टेक्नीकल कारणों के कारण उनकी पेन्शन मंजूर नहीं हो पाई और आज उनकी स्थिति यह है कि वे आज भी हमारे जिला कलेक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते थे कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी है, मैं अपना इलाज नहीं करा सकता, मेरे बच्चे बीमार हैं और मेरे बच्चों को यह तकलीफें हैं । मैं इन तकलीफों को गिनाने के बजाय एक सुझाव देना चाहूंगी कि स्वतन्त्रता सेनानियों को सम्मान देने के विषय में जिला स्तरीय कमेटियां बनाई जायें और जो लोग ऐसे रह गये हैं जिन्हें इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिला उन्हें लाभ देने के लिए सरकार तत्परता बरते । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय मुख्यमंत्रीजी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वतन्त्रता सेनानियों के संबंध में जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं भी उन भावनाओं में शामिल होना चाहता हूं । सभापति महोदय, स्वतन्त्रता सेनानियों की कुर्बानी को देश का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता । उनका सारा जीवन त्याग और बलिदान की प्रेरणा देने वाला एक ऐसा प्रकरण है जिसकी अधिक अनुभूति होगी उतनी ही राष्ट्रीय भावना जागृत होगी । यह देश का दुर्भाग्य है कि आज उन लोगों की स्वतन्त्रता संग्राम में जो गतिविधियां रही हैं उनकी सही जानकारी जनता में नहीं है । प्रोफेसर साहब ने कहा मुझे ध्यान नहीं है लेकिन मैं भी इस बात को सुनता रहा हूं कि स्वतन्त्रता का इतिहास लिखने के लिए बहुत वर्षों पूर्व एक समिति का गठन किया गया था । उस समिति ने इतिहास बनाने का प्रयत्न किया, कुछ प्रकरण लिखे, उसका प्रारूप भी तैयार हुआ लेकिन प्रारूप को पढ़ने के बाद उस संग्राम से परिचित व्यक्तियों ने ही उस पर आपत्ति की और यह बताया कि यह सारा इतिहास सही परिप्रेक्ष में नहीं लिखा गया है । कुछ व्यक्तियों को अधिक उभारकर इसमें प्रदर्शित किया गया है और कुछ व्यक्तियों की उपेक्षा की गयी है । इन्हीं कारणों से उस पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ । अब यह आता है कि स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति हम जनता में भावनायें पैदा करें तो यह आवश्यक होगा कि पहले उनको इस बात की जानकारी दें कि श्री जयनारायणजी व्यास ने क्या किया था, श्री हीरालाल जी शास्त्री ने क्या किया था, श्री मानिकलालजी वर्मा ने किस प्रकार का संग्राम लड़ा था । इन सब व्यक्तियों के संबंध में जब तक पूरी जानकारी जनता को नहीं दी जायेगी उस समय तक उनसे प्रेरणा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लोग उनके अस्तित्व को भी सही रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अब प्रश्न यह आता है कि सरकार इस काम को करे या समाज इस काम को करे। मेरी ऐसी मान्यता है कि इतिहास कभी सरकार नहीं लिख सकती और यदि इतिहास के लिखने का काम सरकार के हाथ में चला गया तो सरकार कुछ सिद्धान्तों से, कुछ नीतियों से प्रतिबद्ध होगी और इतिहास में उस प्रतिबद्धता की झलक निश्चित रूप से आयेगी। अब यदि स्वतन्त्रता संग्राम का पूरा इतिहास लिखा जाये तो प्रश्न आता है कि क्या सरकार लिखेगी। सरकार लिखेगी तो कौन लिखेगा। सरकार एक समिति बना देगी, समिति में कुछ अधिकारी होंगे। अधिकारी और समिति दोनों मिलकर कोई वास्तविक इतिहास लिख लें इस प्रकार की स्थिति में नहीं है। मैं कई बार इस सदन में भी कह चुका हूं और बाहर भी कह चुका हूं कि हमारे राजस्थान में कई विश्वविद्यालय हैं और हम नये विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग भी करते रहे हैं लेकिन मैं इस एक वर्ष में तो कोई अध्ययन नहीं कर पाया लेकिन पिछले वर्ष में मैंने इस प्रकार की जानकारी की है कि राजस्थान से संबंधित विषयों पर शोध भी नहीं है। चाहे कृषि का प्रश्न हो चाहे पशुपालन या राजस्थान का जलवायु या राजस्थान के इतिहास का प्रश्न हो। सही रूप से उन पर शोध है ही नहीं और लोगों को इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती। मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय या बाकी के विश्वविद्यालय सभी से निवेदन कर सकता हूं कि वह इस बार के विषय कुछ ऐसे निकालें कि जयनारायण व्यास पर शोध किया जाय, माणिक्यलाल वर्मा या बाकी के प्रमुख व्यक्तियों पर शोध किया जाय और जब यह रिसर्च का कार्य चलेगा तो केवल व्यास जी का प्रसंग ही नहीं आयेगा, बाकी स्वतन्त्रता संग्राम के भागीदारों का सब का प्रसंग उसमें आयेगा। एक तो प्रक्रिया यह हो सकती है। दूसरी यह हो सकती है कि अच्छे-अच्छे जाने माने इतिहासकारों को समिति बनाकर उनको कहा जाय कि वह इस प्रकार के इतिहास की रचना करें। लेकिन मेरा इसमें इतिहासकारों की विद्वत्ता पर कोई सन्देह नहीं है लेकिन कई इतिहासकार बैठकर इतिहास लिख देंगे, मैं इसमें विश्वास नहीं करता।

किसी एक व्यक्ति से इतिहास लिखवाया जाय, वह एक व्यक्ति कितनी सामग्री एकत्रित कर पायेगा और किस प्रकार का इतिहास लिख पायेगा वह भी विवादास्पद है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, अपनी विवशता प्रकट करना नहीं चाहता मैं प्रो. केदार के जिम्मे वह काम छोड़ना चाहता हूं कि वह राज्य सरकार को इस बात की सलाह दें कि इतिहास किस प्रकार से लिखवाया जाय। कौन व्यक्ति इतिहास लिखने में सरकार का कितना योगदान होगा, जनता का कितना योगदान होगा और सब मिलकर इतिहास की रचना कर सकें इस दृष्टि से सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो हम दोनों चाहेंगे कि इतिहास लिखा जाय और प्रो. केदार साहब अपना प्रस्ताव रखें, मैं आपसे ही निवेदन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में आप सरकार को सुझाव दें। यदि आप चाहेंगे कि समिति का गठन किया जाय तो समिति का गठन भी करेंगे। यदि राज्य सरकार के पास उपलब्ध सामग्री इतिहास को लिखने के लिए आवश्यक होगी तो सामग्री भी उपलब्ध करवायेंगे। तो मैं इस दृष्टि से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं इसमें अगुआ बन जायें और इतिहास किस प्रकार लिखा जाय इस मामले की चिन्ता करें।

दूसरा प्रश्न आता है कि इस प्रकार के महापुरुषों की लोगों के दिमाग में उनकी याद ताजा रहे इस दृष्टि से हम कहीं स्मारक बनायें कहीं पर रास्तों का नामकरण करें, कहीं स्कूलों, विद्यालयों, अस्पतालों का उनके नाम से नामकरण किया जाय तो लोगों में एक जानकारी रहती है। आज जयपुर में एस. एम. एस. अस्पताल बना हुआ है। मैं समझता हूं आज के दिन अगर 100 आदमियों से पूछा जाय कि मानसिंह कौन थे तो 40 लोग ऐसे होंगे जो मानसिंह के नाम से परिचित होंगे लेकिन मानसिंह कौन थे यह नहीं बता सकते। ऐसी स्थिति में हम किसी का नामकरण कर देंगे तो नाम तो याद रहेगा लेकिन उस नाम के पीछे भूमिका किसी को याद नहीं रहेगी और इसलिए कई बार आपने कहा कि साउथ में इस प्रकार की मूर्तियां लगाई गई हैं। कई बार मद्रास जाता हूं और मद्रास के बीच पर आप देखें तो मैं संख्या सही बता रहा हूं या नहीं मुझे याद नहीं लेकिन दो वर्ष में 36 मूर्तियां लगाई गई। एक अभियान चला था मूर्तियां लगाने का और बीच के ऊपर 15-15 कदम के फासले पर मूर्तियों की लाइन खड़ी की गई। सारे वहां के महापुरुष हैं लेकिन आज मेरे जैसा व्यक्ति वहां जाय और तमिल भाषा में लिखा हुआ देखे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि यह सुब्रह्मण्यम् का चित्र है, यह कामराज का चित्र है, यह राजगोपालाचारी का चित्र है, यह राधाकृष्णन् का चित्र है। शक्ल से पता लगालें यह दूसरी बात है....जानता हो उसको पता लगता है इसमें कोई सन्देह नहीं लेकिन कोई आदमी अनजान चला जाय और देखे तो उसको पता नहीं लगेगा। इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि जगह जगह पर नगरपालिकाओं में, बड़े-बड़े शहरों में उद्यानों में इस प्रकार की मूर्तियाँ लगाई जाये लेकिन मैं फिर प्रो. केदार को कहना चाहूंगा कि मूर्तियाँ सरकार नहीं लगाये तो ज्यादा अच्छा है। इसमें सरकार और जनता दोनों मिलकर मूर्ति लगायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई मूर्ति के पीछे धन का अभाव नहीं है जिसके कारण मैं सरकार को भागीदार नहीं बनाना चाहता लेकिन इसके पीछे भावना लोगों में जागृत हो। आज जोधपुर में जयनारायण व्यास की मूर्ति लगाई जाय और जोधपुर के लोग एक-एक रुपया, चाहे दो-दो रुपया चाहे एक-एक आना दें लेकिन लोगों को जानकारी होगी कि हम सब लोगों ने प्रयत्न करके यहां पर व्यासजी की मूर्ति लगाई है इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है तो व्यासजी के प्रति निश्चित रूप से श्रद्धा जायेगी और यदि सरकार ने मूर्ति लगा दी तो एक दिन का फंक्शन तो हो जायेगा। लोग गांधी चौक, व्यास चौक, वर्मा चौक के नाम से उसको जानते रहेंगे लेकिन लोगों का उसमें इन्वाल्वमेंट नहीं होगा इसलिए इन्वा-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ल्वमेंट के पाइन्ट ग्राफ व्यू से उचित होगा कि ग्राप यदि चाहें कि इस जगह पर ग्रमुक व्यक्ति की मूर्ति लगनी चाहिए तो वहां सरकारी ग्रौर ग्रर्द्ध सरकारी समिति का गठन किया जाय ग्रौर उसके लिए लोगों को ग्रामन्त्रित किया जाय कि वहाँ पर इस प्रकार की मूर्ति लगेगी, मुझे ग्रापत्ति नहीं होगी । मैं तो बहुत खुश हूं ।

ग्रध्यक्ष महोदय, विजयसिंह पथिक को प्रत्यक्ष मैंने देखा नहीं लेकिन जैसा प्रो. केदार कह रहे थे कि किस प्रकार की स्थिति में वह रहे हैं मैं एक उदाहरण देकर ग्रपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि विजयसिंह पथिक जिनका ग्रांदोलन किसी भी ग्रांदोलन से कम नहीं था जिसने पूरे कृषक समाज में जागृति पैदा की । ग्रपने ग्रधिकारों के प्रति उन लोगों में एक जलजला पैदा किया । किसान पहली बार समझने लगे थे कि जिस भूमि को हम जोतते हैं उसके ग्रसली मालिक हम हैं । ग्राज उस व्यक्ति की तो मृत्यु हो गयी उनकी पत्नी कई बार बीमार हुई । वह ग्रस्पताल में ग्राती है । मेरा उनसे काफी निकट का सम्पर्क है । जब भी वह यहां होती हैं, मैं मिलता हूं ग्रौर मैं ग्रापको ईमानदारी से कहता हूं कि जब उनके पास बैठता हूं तो मुझे केवल मेरे ऊपर ही शर्म नहीं ग्राती उस जनता पर भी शर्म ग्राती है कि जिस व्यक्ति ने इतनी कुर्बानी दी ग्राज उसकी पत्नी को पूछने वाला कोई भी नहीं । क्या उन्होंने ग्रन्याय किया था ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : ग्राज के दिन तो सक्षम हैं, ग्राप कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ग्राज की बात नहीं कर रहा हूं । पिछले 5-6 वर्ष हो गये । मैं जब स्वयं बीमार था हास्पीटल में उस समय वह हास्पीटल में भर्ती हुई । मेरे सारे परिवार के लोग उनके पास बैठे रहे । मेरी लड़की का ग्राज के दिन भी उनसे बेटी का सा स्नेह है । हास्पीटल में जब भी ग्राती है तो मुझे टेलीफोन हो या न हो, मैं चाहे मुख्यमंत्री हूं चाहे विपक्ष का नेता हूं चाहे कुछ भी नहीं हूं लेकिन निश्चित रूप से उनका टेलीफोन ग्रायेगा, "बेटी तू ग्राजा", वह जाती है उनसे बात करती है उनकी समस्याग्रों का समाधान करने की यथाशक्ति कोशिश करती है । मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं कि इन लोगों की किस प्रकार की परिस्थिति बनी है । ग्राज जिस जनता के लिए उन्होंने इतनी सारी कुर्बानियाँ दीं उनके परिवार के लोगों की इस प्रकार उपेक्षा हो यह हम सबके लिये चिन्ता ग्रौर शर्म का विषय है । लेकिन हो रहा है । उन लोगों की किस प्रकार से सहायता की जाय । जहां तक मैं सरकार में ग्राया हूं ग्रौर बिना सरकार में भी था मैंने ऐसे व्यक्तियों की जहां तक मेरी शक्ति है मैंने सहायता भी की है, उनकी सेवा भी की है । ग्रब रहा सवाल, कानून के ग्रन्तर्गत सेवा की जाय, कानून के ग्रन्तर्गत व्यवस्था की जाय तो मैं समझता हूं कानून ग्रभी तक भारत सरकार ने जो बनाये हैं उसी रूप से राजस्थान सरकार ने वह कानून लागू किये हैं । भारत सरकार में भी समिति बनी है ग्रौर यहां भी समिति बनी हुई है । लेकिन ग्राज यदि समिति में बैठता हूं तो मुझे खुद कई बार इस बात की शर्म ग्राती है कि समिति में मैं तो स्वतन्त्रता सेनानियों को जानता नहीं, नाम से परिचित ग्रवश्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो सकता हूं लेकिन जब उनका आवेदन पत्र आता है तो स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में या तो स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले या अन्य सदस्य उस समिति के सदस्य हैं वह कहते हैं कि यह फर्जी है, इस पर विचार न किया जाय।

इसको हम जानते हैं कि कई बार इस बात का विवाद हुआ था कि हम जेल में गये थे या नहीं। पिछले दिनों बैठक हुई, उस बैठक में कहा कि जेल का क्राइटेरिया रखा जाय। इसके लिये जेल में जाय या नहीं जाय, बिना जेल में गये उन लोगों ने ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। मेरे गांव में एक सुनार था मोतीलाल सुनार। सभापति महोदय, मेरे साथ पढ़ता था, पढ़ने के साथ ही उसका संघर्ष हुआ जागीरदारों से। गांव छूटा और वह बर्बाद हो गया। आँख भी थोड़ी खराब हो गयी थी। जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना था तो उसने कहा आप तो मेरी सारी हालत को जानते होंगे, मैं किस प्रकार की परिस्थितियों से निकला हूं। मैं जेल नहीं गया, सदा अंडर ग्राउण्ड रहा हूं। सारी परेशानियां मैंने उठायी हैं। मेरे सामने उसकी दूकान गयी, मेरे सामने उसका मकान गया। उसका और कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं हो सकता लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी था। जब उसने मुझे आकर कहा कि आजकल मैं रोजी रोटी का मोहताज हो रहा हूं। मैंने उसको सेक्रेटेरियट में बुलाया। वे सारे रूल्स देखे, रूल्स में व्यवस्था थी कि बिना जेल गये स्वतन्त्रता की पेंशन नहीं मिल सकती। मैंने अपने आदेश से ही उस व्यक्ति की पेंशन कर दी। कई दिनों तक समाचार पत्रों में छपा कि बिना जेल गये व्यक्ति को मुख्यमंत्री ने पेंशन दे दी लेकिन उस समय दे दी। वह भी सही था और मैं भी महसूस करता हूं कि उस गरीब की ही नहीं, इस प्रकार के एक त्यागी और तपस्वी व्यक्ति की, जिसने आजादी के आंदोलन में अपनी बर्बादी को आमंत्रित किया था, उसकी मैंने सहायता करके उस पर अहसान नहीं किया, मैंने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन ही किया है। इसलिये मैं कहता हूं कि जब इस प्रकार के प्रश्न मेरे सामने आते हैं तो मुझे कई बार वेदना भी होती है। उस व्यक्ति को मैं व्यक्ति जानता था लेकिन जानकारी के अभाव में जो निर्णय लेना चाहिये वह निर्णय नहीं ले सकते। वही लोग आपत्ति करते हैं जो युद्ध के, संग्राम के सारे इतिहास से अच्छी तरह परिचित हैं। इसलिये मैं प्रोफेसर साहब और नत्थीसिंह जी दोनों से कहना चाहता हूं कि जो समिति गठित की है, उन समितियों को रिवाइज करने की आवश्यकता हुई तो रिवाइज करूंगा और उन समितियों की नियमित रूप से बैठक हो, उसकी भी व्यवस्था करूंगा, समिति में अन्य सदस्य यदि कोई लिये जाने हों तो उनकी भी चिन्ता करूंगा लेकिन साथ ही मैं प्रोफेसर साहब और इस सदन के जो स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं, उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी, सरकार आपकी सलाह से काम करेगी। लेकिन उन स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये हम कुछ भी व्यवस्था करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को यह मालूम हो कि देश की आजादी के लिए इन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हम आज उन कुर्बान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होने वाले व्यक्तियों के प्रति अपनी इस रूप में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी और फिर मैं इतिहास के बारे में ज्यादा जानकार नहीं हूं, प्रोफेसर साहब इस मामले में विद्वान हैं। किस प्रकार से इतिहास की रचना की जावे, वे जिस प्रकार से लोगों से सलाह करके सरकार को जानकारी देंगे, उस जानकारी के आधार पर सरकार निश्चित रूप से काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर साहब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि इस प्रसंग में कम से कम इस प्रकार का प्रसंग तो आया जिससे हम आत्मालोचन करके इस देश के प्रति हम अपने कर्त्तव्यों का कितना निर्वहन कर रहे हैं, उसका ज्ञान वर्द्धन हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय प्रोफेसर केदार जी।

श्री केदारनाथ : मैं इनकी भावनाओं को मानते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी, इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं क्योंकि प्रस्ताव को पेश करने का सवाल ही नहीं उठता। आपने सारी बातें मान लीं और इसमें बड़ी संजीदगी दिखायी और मैं समझता हूं कि जैसी आपने पेंशन दी अपने गांव के लोगों को, वैसे अनेक और लोग भी हैं और इस तरह से पेंशन उनको भी मिल जाए। मैं आपकी भावनाओं की फिर कद्र करता हुआ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रोफेसर केदारनाथ द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान कीगई।

श्री केदारनाथ : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्री सभापति : जो पहले रह गया था, मैं माननीय कालीचरण सराफ जी से निवेदन करूंगा कि क्या आप कोई प्रत्युत्तर देना चाहेंगे या संकल्प वापस लेंगे ?

श्री कालीचरण सराफ : मेरे संकल्प के बारे में मुख्य मंत्री जी ने जो भावना व्यक्त की है, उसको मध्य नजर रखते हुए मैं मेरा संकल्प वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री कालीचरण सराफ सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री कालीचरण सराफ : मैं मेरे द्वारा प्रस्तुत संकल्प वापस लेता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : मेरा एक निवेदन है कि अभी आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले रहे हैं। मेरा 5 नम्बर पर है। उसको आप पहले ले लें फिर मुझे बजट की तैयारी करनी है। दो नम्बर पर जो है, उसको बाद में ले लें। वह आधे घंटे की चर्चा के लिए है।

आधे घण्टे की चर्चा
नगरपालिका भीनमाल द्वारा भूमि का नियमन

श्री सभापति : श्री बंशीलाल पटवा सदस्य, राजस्थान विधान सभा नगरपालिका भीनमाल द्वारा भूमि का नियमन विषयक अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (3) स्वा. शा. मं./स्वा. शा./अता./ के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घंटे की चर्चा उठायेंगे ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, भीनमाल में केशरीमल देवीकरण, उनका सुपुत्र गुलाब चन्द अग्रवाल ने करीब 10,344 वर्ग गज जमीन पर कब्जा कर रखा है । यह जमीन एस. सी. के लोगों की है और इस जमीन में से 5,344 वर्ग गज भूमि सन् 78 में वहां की म्युनिसपेलिटी ने एक समझौते के तहत 7 रुपया प्रति वर्ग गज से नियमन कर दी और उतनी जमीन 5,344 गज जमीन पर गुलाब चन्द अग्रवाल का नाजायज कब्जा आज भी है और यह जमीन, जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की है और इस भूमि का नियमन नगरपालिका ने एक समझौते के तहत किया और इस भूमि पर 18 दुकानें बना ली गयी । यह भूमि रेगुलराइज की गई, नियमित की गयी, रिहायशी भूखण्ड के रूप में की गयी और गैर कानूनी तरीके से की गयी । उस समय म्युनिसपेलिटी की जनरल रेट्स ज्यादा थी, रिजर्व प्राइस ज्यादा थी, उसके बाद भी 7 रुपये प्रति वर्ग गज से यह जमीन म्युनिसपेलिटी ने रेगुलराइज करके नियमों की अवहेलना की म्युनिसपेलिटी में बाई लॉज या म्युनिसपेलिटी एक्ट के तहत इस तरह से नहीं किया जा सकता था लेकिन फिर भी उन्होंने किया और आज उसके अतिरिक्त 5,344 वर्ग गज जमीन पर अनाधिकृत रूप से, एनक्रोचमेंट के रूप में गुलाब चन्द अग्रवाल ने नाजायज कब्जा कर रखा है और मेरे प्रश्न के उत्तर में जो जानकारी आयी और मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि यह जमीन कब रेगुलराइज हुई तो 1978 में रेगुलराइज हुई और 8-12-78 को हुई और इसके अतिरिक्त इस जमीन पर क्या दुकानें बनी हुई है तो दुकानें बनी होना स्वीकार की गई प्रश्न के उत्तर में और इसके अतिरिक्त गुलाब चन्द ने हेराफेरी यह की कि 4 दुकानें अपनी पत्नी विमला के नाम से और इसके अतिरिक्त उनके एक लड़के भंवर लाल के नाम से ट्रांसफर करवायी और म्युनिसपेलिटी के नियमों की अवहेलना की और नीचे प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया कि उसकी इन्क्वायरी जारी है । मेरा यह निवेदन है कि जो कुछ भी इस भूमि के बारे में हेराफेरी हुई है, रेगुलराइज की गयी है, वह नियमों के विपरीत की गयी है । आज उस जमीन की, उस भूमि की 2000 रुपये प्रति वर्ग गज के भाव से मार्केट वेल्यू है, जनरल रेट ज्यादा है, स्ट्रीप ऑफ लैण्ड जो दी जाती है, उसकी भी कोस्ट उस समय ज्यादा थी और आज भी ज्यादा है और यह सारी हेराफेरी मिलीभगत के आधार पर, उस समय जो भी आफिस होंगे, उन्होंने इस तरह की की है और मेरा इस बारे में यह कहना है कि जब प्रश्न स्पष्ट है, उत्तर उसका स्पष्ट आया है कि 18 दुकानें उसमें हैं, कार्माशियल परपज की बनायी है तो म्युनिसपेलिटी एक्ट और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार डवलपमेंट चार्जेज अलग लिया जाता है । इसके अतिरिक्त जो रिहायशी भूमि है उस पर यदि कोई दुकानें खड़ी कर देते हैं तो उससे भी कार्माशियल रेट के हिसाब से तीन

(श्री बंशीलाल पटवा)

गुणा प्राइस, डबल प्राइस इस तरह से ली जा सकती है और राज्य सरकार के इस तरह के परिपत्र और निर्देश हैं तो कम से कम डबल रेट ली जा सकती थी लेकिन नहीं ली गयी और उसमें एक बहुत बड़ी हेराफेरी हुई और अनियमितता बरती गयी है। मेरा इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह स्वयं स्वायत्त शासन मन्त्री हैं, कौन्सिल में रहे हैं, मैं भी कौन्सिल में रहा हूं, यह स्पष्ट नियम है कि जिन तौर तरीकों का, कानूनों का हनन किया गया और इस तरह से जमीन की हेराफेरी की गयी और गुलाब चन्द अग्रवाल छाती ठोककर आज भी 5,344 वर्ग गज पर नाजायज कब्जा करके बैठा है और बाकी जो शिड्यूल्ड कास्ट की लैण्ड है उसको आपने गलत तरीके से नियमन कर दिया। उसने नाजायज लाभ उठाया है।

(3.30 म. प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

म्युनिसपेलिटी को चिटिंग किया है। म्यूनिसिपेलेटी के अधिकारी उसमें शरीक हैं। आपका जो भी उत्तर आया है उसमें माननीय मन्त्री महोदय की ओर से स्वीकार किया गया और उसके नीचे फिर जांच का लिखा है। यह स्पष्ट है कि दुकानों के बारे में, लैण्ड के बारे में हेराफेरी हुई है। मेरा इस बारे में निवेदन है कि जो लैण्ड अतिक्रमण कर रखी है, नाजायज कब्जा कर रखा है जो दुकानों के आगे की जमीन और इसके साथ-साथ उसने ट्रान्सफर कराया है, दुकानों का किया है अपने लड़के और अपनी पत्नी के नाम पर। मेरा इसमें यह कहना है कि बाकी लैण्ड 5,344 वर्ग गज बची हुई है शहर के मध्य में है। भीनमाल के मध्य में है और उसकी कास्ट आज भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से दो हजार रुपया प्रति गज है। कम से कम जो दुकानें बनायी गयी हैं, कार्मशियल पर्पज के लिए लैण्ड का उपयोग किया गया है तो उसको कम से कम नियमानुसार मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा वसूल किया जाना चाहिये क्योंकि रिप्लाई में स्पष्ट उत्तर आया है। इसके अतिरिक्त बाकी की लैण्ड पर उसने अतिक्रमण कर रखा है वह लैण्ड म्युनिसपेलिटी मेजर काज के लिए, चाहे म्युनिसपेलिटी अपने उपयोग के लिए, चाहे दूसरे आदमियों को आवंटित करने के लिए, शहर के बीच में इस तरह की जमीन है, नाजायज कब्जा कर रखा है उससे छुड़वायी जाय और छुड़वाने के साथ-साथ उसको मेजर काज के लिए म्युनिसतेलिटी में लिया जाय और जिन अधिकारियों ने उस समय इस तरह का समझौता किया है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाय, उनको सस्पेण्ड किया जाय, जो भी कुछ परिधि में आता है। मेरा इस मामले में मोटे तौर पर यही है कि लैण्ड की हेराफेरी हुई है, नियमन गलत हुआ है, बाकी की लैण्ड पर अतिक्रमण कर रखा है। उस लैण्ड को मेजर काज के लिए कौन्सिल अपने पास लें ताकि कम से कम इस तरह के गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन नहीं मिले। यही बात आपसे कहना चाहता हूं और माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस लैण्ड को लिया जाय बाकी कामशियल पर्पज की उससे वसूली की जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, यह

(१५२)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मामला करीब 10 साल पुराना है। जब माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया था उस समय ही मेरे ध्यान में यह बात आ गयी थी कि उसमें कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है और दिनांक 24 फरवरी को जिस दिन मैंने इस प्रश्न को अनुमोदित किया था उसी दिन मैंने इसमें जांच के आदेश दे दिये थे। प्रश्न के उत्तर में मैंने यही कहा था। आपका प्रश्न था। क्या यह सही है कि जितनी भूमि नियमित की गयी थी उससे कहीं अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त भूमि को वर्तमानो बाजार दर लेकर नियमन का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? और नहीं तो क्यों नहीं? उत्तर मैंने दिया था, जी हां। अतिरिक्त भूमि पर हुए कब्जे के बारे में जांच करायी जा रही है, जांच के बाद ही इस बारे में कोई निर्णय लिया जायेगा। खण्ड–2, में आपने पूछा था कि क्या उक्त भूमि जो नगरपालिका ने रिहायशी नियमन की है उस भूमि पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए दुकानें बना दी गयी हैं? यदि हां, तो कितनी भूमि पर कितनी दुकानें बनायी गयी हैं? उसका उत्तर मैंने दिया था, जी हां। वर्तमान में 1 हजार 3.5 वर्ग गज भूमि पर 18 दुकानें बनी हुई हैं।

खण्ड (3)–क्या यह सही है कि रिहायशी भूमि को वाणिज्य के उपयोग में लेने पर नगरपालिका कामर्शियल रेट वसूल कर सकती है? यदि हां तो केसरीमल के पुत्रों ने कितनी भूमि उपयोग में ली है उसका वर्तमान दर के हिसाब से कामर्शियल रेट वसूल करने का सरकार इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? उत्तर दिया था कि श्री केसरी के पुत्रों द्वारा कुल 1 हजार 3.5 वर्ग गज भूमि जो वाणिज्यिक उपयोग में ली जा रही है। आवासीय भूमि को कामर्शियल के उपयोग में लेने के प्रति वह दरों के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है और जांच पूरी होने पर निर्णय लिया जायेगा। खण्ड (4), जब केसरी मल के पुत्र गुलाब चन्द ने अपने रिहायशी भूमि पर चार दुकानें बनायीं और नगरपालिका के रिकार्ड में अपनी पत्नी निर्मला देवी के नाम से तथा दो दुकानें पुत्र भंवरलाल के नाम करायी। मैंने उत्तर दिया, जी हां। अंतिम प्रश्न था कि क्या यह सही है कि इसकी ट्रान्सफर कार्यवाही नियम विरुद्ध हुई है? यदि हां तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? उत्तर दिया था, नगरपालिका रिकार्ड में ट्रान्सफर की कार्यवाही हुई है और उसकी जांच करायी जा रही है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मैं माननीय सदस्य को यह भी निवेदन करना चाहता हू कि जिस दिन यह बात मेरे सामने आयी उसी दिन अर्थात् 24 फरवरी को ही मैंने इस सारे प्रकरण में जांच के आदेश दे दिये हैं और अतिशीघ्र उसकी जांच करवाने का सरकार का इरादा है। जब तक इसकी जांच नहीं होती तब तक यह कहना कठिन है कि किस प्रकार को अनियमितता की गयी, कौन-कौन इसमें दोषी हो सकते हैं, ट्रान्सफर में भी किस-किस का हाथ हो सकता है, यह कहना बड़ा कठिन होगा। न्याय के सिद्धान्त भी यही हैं कि जब तक जांच न हो जाय तब तक कोई भी आदेश सरकार ऐसा नहीं पास कर सकती है जिसका कोई आधार नहीं हो। जो कुछ रिकार्ड मेरे सामने आया था उसमें जो उत्तर ठीक लगा था, जो तथ्य

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मुझे मालूम थे उनको मैंने बता दिया है और उसी दिन मैंने जांच के आदेश दे दिये हैं। मैं यह कह सकता हूं कि इसकी जांच बहुत जल्द करवा कर जो भी जांच का परिणाम आयेगा उसके आधार पर जो कार्यवाही कानून से की जानी चाहिये, वह की जायेगी। इसमें किसी के साथ रियायत नहीं की जायेगी, किसी को बख्शा नहीं जायेगा। जो दोषी होंगे उनको निश्चित रूप से दण्ड दिया जायेगा और जिसने अतिक्रमण किया है नियमों के अनुसार उस अतिक्रमण के खिलाफ जो भी कार्यवाही की जा सकती है, वह की जायेगी। मैं समझता हूं इतने उत्तर के बाद आपको सन्तुष्ट हो जाना चाहिये। मेरा यही निवेदन है।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा एक ही प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय, नियमानुसार कार्यवाही हो जायेगी इससे मुझे सन्तोष है पर जो लैण्ड अतिक्रमण कर रखी है उसका यदि पता लग जाय और विवरण पूरा आ जाय तो क्या म्युनिसिपेलिटी या गवर्नमेंट इस लैण्ड को मेजर काजे के लिए कौन्सिल में वेस्ट कर देगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, नियमों में जो भी कुछ किया जा सकता है करेंगे, पर पहले स्थिति तो सामने आ जाय, जांच आने दीजिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की कृषि विद्युत सम्बन्धी नई नीति

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय विद्युत मन्त्रीजी का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि विद्युत मण्डल की तरफ से विद्युत कनेक्शन नीति 1990-91 जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की ओर से प्रसारित की गयी है। सभी सदस्यों को उसको लेकर के कई तरह की भ्रांतियां और उसके विपरीत कई तरह के काम जो किये गये हैं विद्युत मण्डल के द्वारा उससे काश्तकारों में खास तौर से कृषि उपभोक्ताओं में उसे लेकर बड़ा असन्तोष है। इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 में स्पष्ट यह प्रावधान है कि आप सर्विस लाइन के पैसे तो कन्ज्यूमर से ले सकते हैं लेकिन डिस्ट्रिब्यूशन लाइन इनके पैसे नहीं लेसकते हैं। लेकिन इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट का इसके विद्युत नीति में बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है इस नीति के जरिये और इस नीति के आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आपने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का पैसा कन्ज्यूमर से चार्ज किया है। यदि कोई कन्ज्यूमर कोर्ट में चला जायेगा तो आपको करोड़ों रुपया वापस देना पड़ेगा और विद्युत मण्डल को लेने के देने पड़ जायेंगे क्योंकि यह स्पष्ट वायलेशन है इंडियन इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 का। माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी कि इस नीति के मुताबिक यह जो नयी विद्युत कनेक्शन नीति प्रकाशित की है। उसमें इस प्रकार के कई भेदभाव स्पष्ट नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 11 हजार की लाइन है उसका वह सब ट्रांसमिशन कहलाती है, उसका पैसा कन्ज्यूमर से नहीं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो कनेक्शन की नीति है, आपने उद्योगों के कनेक्शन चाहने वालों को तो कह दिया कि कई तरह की छूट दी है जबकि सारा मण्डल का घाटा है वह केवल किसान से ही वसूल करने की नीति बनायी है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ यहां पर कृषि उपभोक्ता के लिए तो सारे के सारे पांच खम्भों तक 3250 रुपया एक खम्भे के पीछे लिया जायेगा। पांच खम्भों के बाद किसी का साधारण प्रायोरिटी में नम्बर है तो इसमें घोषणा की है कि 1982 के एक अप्रेल तक के साधारण केटेगरी के सारे कृषि विद्युत कनेक्शन चाहने वालों को कनेक्शन दे दिये जायेंगे और 1 अप्रेल, 1985 तक के अनुसूचित जाति और जन-जाति के कृषि विद्युत चाहने वालों को कनेक्शन दे दिये जायेंगे लेकिन यह जो सेल्फ फाइनेंसिग स्कीम है, एस. एफ. एस.। शुरू में तो बात यह हुई थी कि साधारण केटेगरी को पूरी करने के बाद 1982 और 1985 के अनुसूचित जाति जनजाति के कनेक्शन पूरे करने के बाद S. F. S. को कनेक्शन दिये जायेंगे। मैं जानना चाहूंगी आपसे, आप बतायें स्पष्ट 1982 के साधारण केटेगरी के कितने कनेक्शन दिये, 1985 के तो बहुत कम आप दे पाये हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के पेण्डिग नहीं थे। यह जीवन धारा, जलधारा 1985 के बाद की योजनाएं हैं जिसमें कुए बनाये हैं वह तो वंचित रह गये और 85 के पहले के पेण्डिग नहीं थे। इसका मतलब हरिजनों को बेवकूफ बना रहे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आप मूर्ख और बेवकूफ बना रहे हैं। सन् 1982 तक किये वह तो ठीक है मैं मानता हूं लेकिन उसमें भी आपने कृषि विद्युत कनेक्शन चाहने वालों के साथ कई तरह की भेदभावपूर्ण नीति अपनायी है। आपने पैनल्टियां उद्योगों की माफ की हैं। एक तरफ कहते हैं ट्रांसफार्मर का पैसा देंगे, ट्रांसमिशन लाइन का पैसा देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का पैसा देंगे तो कनेक्शन दो तीन महीने में देंगे। यह जो प्रकाशित किया है इसका मुद्रण हुआ है दिसम्बर, 1990 में। इसमें कहा गया है कि हम ने मार्च, 1990 की जितनी एप्लीकेशन पेण्डिग थी उन सबको कनेक्शन दे दिये। कनेक्शन नीति बनायी जनवरी, 1990 में और बात कर रहे हैं मार्च, 1990 की। यह बात मेरे समझ में नहीं आयी। उस समय तो यह बात तय की थी एक पोल, दो पोल जो पिछली सरकार की स्कीम थी उसी को कण्टीन्यू किया था इस सरकार ने और इसी विधान सभा के अन्दर घोषणा की थी कि 31 मार्च से पहले एक पोल, दो पोल के जो प्रार्थनापत्र हैं जो पैसा जमा करा देगा उसे कनेक्शन दे दिया जायेगा। उसके आधार पर कनेक्शन दे दिया गया। यह नयी नीति तो दिसम्बर में प्रकाशित हुई है। मैं कहना चाहूंगी इसके बारे में कि ट्रांसफार्मर का पैसा भी आप ले लें और ट्रांसफार्मर का पैसा लेने के बाद 36 किश्तों के अन्दर इसकी समायोजन की बात कही। मतलब भैरोंसिंहजी की सरकार उनकी एक छवि थी, इस प्रदेश के अन्दर, वह बहुत निर्भीक, स्पष्ट वादी और आक्रोश छवि के मुख्य मन्त्री ईमानदार मेहनती हैं और ऐसे मुख्य मन्त्री हैं जो शायद इस तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करें और पहली बार जब मुख्य मन्त्री बने तब कहा था कि राज के खजाने में गरीब का हक पहला हक होगा और कनेक्शन नीति बना दी एक हजार दो तो एक माल की प्राथमिकता पा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लो। दो हजार दो तो साल की पा लो। दो हजार नहीं हों, एक हजार नहीं हो तो उसे दर्खास्त देने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी तो जब आवेगी तब आयेगी। एक हजार बिना तो एप्लीकेशन मन्जूर नहीं करते हैं। एक हजार जमा करायेगा तो दरख्वास्त लेंगे और दलील यह कि मकान लेते हैं तो पहले आप पैसे जमा कराते हैं, स्कूटर खरीदते हैं तो स्कूटर के पैसे जमा कराते हैं। पर साहब दोनों पर ब्याज मिलता है। उसके साथ ही उन्हें सैल करने का राइट है। मकानों को, स्कूटर को भी सैल कर सकते हैं लेकिन कनेक्शन को सैल नहीं कर सकते हैं। यह बात शायद विद्युत मण्डल नहीं जानता है कि कनेक्शन रिसैल नहीं होते हैं। कनेक्शन तो जिसने लिया उसका ही कनेक्शन रहेगा। एक हजार दो। वाह भाई मुख्यमन्त्रीजी से कहना चाहती हूं कि यह ऐसी सरकार है कि 1 हजार दिये बिना विद्युत के लिए प्रार्थना पत्र भी नहीं दे सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन तब ही एण्टरटेन होगी जब एक हजार दोगे, एक हजार दो एक साल की प्राथमिकता ले लो और दो हजार हो तो दो साल की प्राथमिकता ले लो। मैं समझती हूं यह राजस्थान के उस गरीब काश्तकार के साथ जिसने हैसियत नहीं होते हुए भी क्योंकि उसका कुआं 10 साल से पड़ा था इसलिए उसने कनेक्शन लिये हैं तो एक तो उसको मारा, हमने जबरदस्ती की। आपने सारे के सारे कनेक्शन, जितने टारगेट्स थे इस एस. एफ. एस. स्कीम के अन्दर डायवर्ट कर दिये। 85 वाले 82 वाले सब रह गये। विद्युत मण्डल को तो चाहिये था पैसा, पैसा एस. एफ. एस. वालों ने दिया है और 82 वाला टुकर-टुकर देख रहा है। जयपुर जिले के अन्दर मैं चेलेंज करता हूं मन्त्री महोदय आज भी 82 के और 85 के अनुसूचित जाति और जन जाति के कितने प्रार्थना-पत्र हैं उनके डिमाण्ड नोटिस जमा हैं उसके बाद भी कनेक्शन अभी तक नहीं मिले। मैं चैलेंज करती हूं नहीं हो तो आप जवाब दें तब बता देना।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मंत्री महोदय का जवाब आने के बाद आप प्रश्न कर लें। आपको केवल ध्यान आकर्षण करना था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पूरी बात कहे बिना कैसे ध्यान-आकर्षित करूंगी।

श्री सभापति : बहुत लम्बा ध्यान आकर्षण हो गया है। बाद में बोलने का अवसर मिलेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक निवेदन और करना चाहती हूं फिर वह छूट जायेगा इसलिये एक बात आपके नोटिस में ला दूं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अभी आपका पूरा ध्यान आकर्षित नहीं हुआ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पिछली बार मार्च, 90 तक सारे के सारे डिमाण्ड नोटिस मिला लें तो करीब 29 हजार कनेक्शन पिछले साल में हुये हैं और इस बार भी हमने 1990-91 में 25 हजार कनेक्शन देने का टारगेट रखा था। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं। पूरे साल भर के अन्दर किसानों से आपने 20 करोड़ रुपया ले लिया। जिनकी स्थिति नहीं थी लेकिन सिस्टम को आग्मेण्ट करने के लिये एक साल के भीतर, दो साल

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

के भीतर जब आपने 50 हजार से ज्यादा कनेक्शन दे दिये तो मुझे बताइये कि आपने सिस्टम को आग्मेंट करने के लिये क्या खर्च किया ? मेरा विद्युत मण्डल पर चार्ज है पूरे सिस्टम को आग्मेंट करने के लिये कुछ खर्चा नहीं किया । 50 हजार कनेक्शन दिये उनको बिजली कैसे देंगे ? कैसे सिस्टम को आग्मेंट करेंगे । एक पैसा खर्च नहीं किया । ट्रांसमिशन लाइन का 112 करोड़ रुपया था वह एक रुपया नहीं लगाया । ट्रांसमिशन लाइन एक इंच लाइन नयी नहीं लगी । मुझे बताइये कि सिस्टम को आग्मेंट किये बिना 50 हजार नये कनेक्शन लिये हैं उनको कैसे बिजली दे पायेंगे । के.टी.पी.एस. के लिये आपने फर्स्ट स्टेज सैकण्ड स्टेज के लियेजो रुपये का प्रावधान किया था उसका कोल handling सिस्टम को ठीक करने के लिये यूज किया । उस कोल हैंडलिंग सिस्टम में डिफेक्ट था आपने स्ट्रेन्थन करने पर पैसा खर्च नहीं किया । बल्कि जो कोल सिस्टम गलत हो गया था उसको दुरुस्त करने के लिये आपने 21 करोड़ खर्च कर दिया । आप जांच करायें मैं गलत बात कहती हूं तो जांच कराकर देखें रुपया कहां गया ।

श्री सभापति : समाप्त करें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : समाप्त तो कर दूंगी पर यह अहम मसला है । आप तो खुद काश्तकार हैं । काश्तकार की तकलीफ को जानते हैं । आज बिजली को लेकर के लोगों में कितना असंतोष है । मुझे डर है माननीय मंत्रीजी इस नीति को लेकर पार्लियामेंट के चुनाव जो अब से दो महीने बाद होने जा रहे हैं लोग कपड़े फाड़ेंगे आपके और आपको निकलने नहीं देंगे । मैं तो बड़ी खुशकिस्मत हूं जो निकल गयी बाहर । मैं तो आपके लिये डरी हुई हूं । मेरे तो नहीं फाड़ेंगे ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या यह नीति कब बनी थी ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विद्युत नीति बनी है 1990 दिसम्बर में और सुमित्रा सिंह ने त्याग पत्र दे दिया 24 अक्टूबर, 1990 को । यह बनी है दिसम्बर में इसमें डेट लगी हुई है आप देख लीजिये ।

श्री सभापति : यह पुस्तिका छपी बाद में है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी बात कहने दीजिये । सभापति महोदय, मुझे कहना तो बहुत था लेकिन आखिरी बात कहते हुये कि मुझे बड़ा क्षोभ, बड़ा अफसोस और बड़ी शर्मिन्दगी के साथ, यह कहते हुये मुझे बड़ी शर्म आती है कि असेम्बली की रलेवेंस ही नहीं रह गयी है । असेम्बली की सेण्टीटी खत्म हो गयी है । सभापति महोदय, मैं पिछली बार बजट भाषण पर बोली थी तब कहा था इस विधान सभा के अन्दर घोषणा हुई कि प्रार्थना पत्र के 25 रुपये लिये जायेंगे एक हजार रुपये नहीं लिये जायेंगे । सारे माननीय सदस्य इस बात की ताईद करेंगे, इस विधान सभा में सरकार की घोषणा हुई । हाउस राजस्थान की जनता की विल को रिप्रजेण्ट करता है । We represent the will of the people of Rajasthan.

और उसके बाद यहां की हुई मंत्रीजी की घोषणा रद्दी की टोकरी में फेंक दी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

गई। मैं समझती हूं मुख्य मंत्रीजी को मुख्य मंत्री रहने का अधिकार नहीं है, मैं यह बात इसलिये कहती हूं कि लोग मुझे कहते हैं भैरोंसिंहजी आपको बदनाम करना चाहते थे, लेकिन नहीं भैरोंसिंहजी ऐसा नहीं चाहते हैं। यह ब्यूरोक्रेसी भैरोंसिंहजी पर हावी है, जो उनको काम नहीं करने देती है। एक ऐसा आक्रोश छवि के दबंग ईमानदार मुख्य मंत्री को भी इन्होंने भीरू बनाकर छोड़ दिया है। मैं उदाहरण देना चाहती हूं क्या हुआ, उस आदेश का जो मैंने दिया था। राज्य सरकार का 78(ए) में राजस्थान इण्डियन इलैक्ट्रिक सप्लाई एक्ट 1948 की धारा पढ़ी है। आपके पास में नहीं है तो मैं आपको दूं। यदि आपके पास है तो फिर धारा 78 (ए) पढ़िये।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैं अपनी बात कहूंगी। समापति महोदय, धारा 78 (ए) के तहत राज्य सरकार के साफ निर्देश हैं कि राजस्थान विद्युत मण्डल किसानों से 10 खम्भों तक कोई पैसा नहीं लेगा एक हॉर्स पावर के पीछे एक पोल सब्सिडी के रूप में उनको देगा और 10 हॉर्स पावर तक किसानों से कुछ भी चार्ज नहीं किया जायेगा। यह आर्डर है, मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि राज्य सरकार के उस आदेश का क्या हुआ? मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि राजस्थान विधान सभा की जो सैन्टिटी थी, उस सैन्टिटी का क्या हुआ? जिस प्रकार की मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि अब प्रार्थना पत्र के एक हजार रुपये नहीं, बल्कि 25 रुपये लिये जायेंगे। क्या इस विधान सभा की सैन्टिटी खत्म हो गई, क्या विधान सभा की रिलेवेन्सी खत्म हो गई है। इस विधान सभा में मैंने घोषणा की थी कि चीफ इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर मिस्टर पी. एन. माथुर इज सस्पेण्डेड। उसके बाद भी वह सस्पेण्डेड नहीं हुये, यह अभी भी विद्युत मण्डल पर नियन्त्रण हेतु सरकार का एक विभाग है और क्या हुआ, उनका मैं पूछना चाहती हूं। ब्यूरोक्रेसी में अपनी फाइलों के अन्दर लिख दिया, क्या हुआ उसका मैं पूछना चाहती हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रासिंह : न राजस्थान विधान सभा की रिलेवेन्सी है। मैंने आपसे कहा We represent the will of the people. क्या हुआ उसका।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इसलिये मैं यह निवेदन करते हुये कि जब इस विधान सभा की रिलीवेन्स ही खत्म हो गई, जब इस विधान सभा की सैन्टिटी खत्म हो गई ...

श्री सभापति : माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रासिंह : जब सरकार की सैन्टिटी खत्म हो गई तो क्या बहस करें।

श्री सभापति : अब रिपीट नहीं करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : क्या पूछें हम समापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय सदस्या अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से बाहर जा रही हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्या ने यहां घोषणा करके सस्पैण्ड किया था ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सभापति महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सुमित्राजी की तो बोर्ड में चली नहीं । अब मंत्री महोदय आप बता दो आपकी बोर्ड के सामने चल रही है या नहीं चल रही है ।

श्री सभापति : वह बोल रहे हैं । आप विराजिये ।

श्री परसादीलाल मीणा : पहले आपकी बोर्ड में चलती है या नहीं ।

श्री सभापति : हां, बताइये ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराजिये । आपको बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मेरा इसमें नाम है ।

श्री सभापति : पाइण्ट आफ आर्डर है....

...मसिंह दहिया : मेरा पाइण्ट ... लीजिये । नियम 131 के ... मामले के अन्दर मैंने 7 दिन पहले लगाया था और अध्यक्षजी ने मुझे व्यवस्था दी थी कि जब भी यह मसला उठेगा तो आपको बोलने की व्यवस्था दी जायेगी । अब आपसे निवेदन है कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाये ।

श्री सभापति : मंत्रीजी बोल रहे हैं, आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : धन्यवाद ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्षजी से मैंने इसके बारे में निवेदन किया था तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि ऐसे 22 आदमियों को जिन्होंने इस सत्र के दौरान बिजली से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों के ऊपर स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या अन्य प्रकार के प्रस्ताव दिये हैं, तो मैं उन सब 22 आदमियों को बोलने का अवसर दूंगा । ऐसा आश्वासन अध्यक्षजी ने दिया था । वैसे तो आपके पास सूचना आ ही गई होगी सभापति महोदय, तो मैं सिर्फ....

श्री सभापति : उन्होंने जो आश्वासन दिया था, मैं उसकी पालना करूंगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : धन्यवाद ।

श्री रामनारायण विश्नोई (विद्युत मंत्री) : सभापति महोदय, सुमित्राजी व अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के सम्बन्ध में इस वर्ष विद्युत मण्डल द्वारा राज्य सरकार से परामर्श के आधार पर कनेक्शन देने के बारे में नयी नीति लागू की गई । इसके बारे में विद्युत मण्डल को अप्रेल 1990 से पहले के नियम यथावत् रखने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये

(श्री रामनारायण विश्नोई)

गये हैं। शासन परिवर्तन होने के साथ पूर्व की नीतियों पर गम्भीरता से विचार किया गया तथा ऐसी नीतियां जो अव्यवहारिक थीं अथवा जिनसे अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था, इन नीतियों में परिवर्तन आवश्यक था। वैसे इस वर्ष जैसे ही भारत सरकार के द्वारा 40 करोड़ रुपये की राशि की कटौती की गई, तो परिस्थितियों का पुनरावलोकन करना और भी आवश्यक हो गया था। जहां तक एस. टी. लाइन, ट्रांसफार्मर एवं एल. टी. लाइन की कीमत वसूल करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह बताना उल्लेखनीय होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की संलग्न सूची के क्लोज सिक्स तथा सप्लाई एक्ट 1948 की धारा 26 के अन्तर्गत विद्युत मण्डल इन लाइनों, 10 ट्रांसफार्मर सहित खर्चा लेने का हकदार है, उसके बावजूद भी विद्युत मण्डल ट्रांसफार्मर का खर्च तो स्वयं वहन करता ही है। चाहे सामान्य काश्तकार के कनेक्शन का मामला हो, अथवा तुरन्त प्राथमिक योजना के कनेक्शन का सम्बन्ध हो। इसके तदुपरांत भी मण्डल समस्त लाइनों का खर्चा न लेकर प्रति पोल अनुदान देता है। अतः यह कथन अनुचित है कि विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का पैसा कृषि उपभोक्ताओ से चार्ज नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में यह भी बताना उचित होगा कि विद्युत मण्डल के विधि संकाय द्वारा इस पहलू की जांच कराने पर यह राय आयी है कि कानूनन विद्युत मंडल केवल सौ फीट की विद्युत लाइन ही निःशुल्क देने के लिये बाध्य है। बाकी लाइनों की समस्त कीमत विद्युत मंडल भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्ता और जिसमें कृषि उपभोक्ता भी सम्मिलित है, कानूनन चार्ज करने का अधिकारी है। अत अगर कोई अदालत में भी जाना चाहे तो भी कानून विद्युत मंडल के ही पक्ष में है। पूर्व में ऐसी व्यवस्थायें जिनसे अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था, उन पर पुर्नविचार कर व्यवस्थाओं में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों का सामान्य कृषकों ने स्वागत किया है। इस वर्ष एक नयी तुरन्त प्राथमिक योजना कुओं के विद्युतिकरण की लागू की गई है, जो पूर्णतया अपेक्षित है। यह कहना गलत है कि इससे गरीब किसानों पर भार पड़ेगा। चूंकि यह योजना स्वैच्छिक है इसलिये बड़े सम्पन्न कृषक जो गरीब कृषकों की श्रेणी में खड़े होकर सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे, उनको प्रेरित कर एक नयी श्रेणी बनाई गई है और सम्पन्न कृषक स्वैच्छा से तुरन्त प्राथमिक योजना में राशि जमा करा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत भी मंडल को ट्रांसफार्मर आदि पर औसतन 14 हजार रुपये प्रति कनेक्शन खर्च करने पड़ते हैं। जहां तक सामान्य श्रेणी के कृषक का प्रश्न है, उनसे कोई विशेष अतिरिक्त राशि नहीं ली जा रही है। मौजूदा समय में कृषि कनेक्शन के लिये करीब ढाई लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रतीक्षा सूची में हैं तथा कनेक्शन मिलने में औसतन 8 वर्ष का समय लगता है। अतः इस वरीयता को लांघकर यदि कोई कृषक कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उस कृषक से 15 सौ रुपये प्रति हॉर्स पावर के अतिरिक्त राशि ली जाती है जो कि किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है। चूंकि यह योजना पूर्णतः स्वैच्छिक है, अतः काश्तकारों पर

(श्री रामनारायण विश्नोई)

अतिरिक्त भार का प्रश्न ही नहीं है । विकट आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद तुरन्त प्राथमिक योजना से प्राप्त अतिरिक्त राशि के फलस्वरूप ही विद्युत मंडल सामान्य श्रेणी के कृषकों को आसानी से कनेक्शन दे पाया है । इस वर्ष अब तक 30 हजार से अधिक कुऐं विद्युतिकृत हो चुके हैं । इसी प्रकार जहां पिछले वर्ष दिसम्बर माह तक विद्युत मंडल द्वारा 7 हजार 7 सौ 91 ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये गये, वहीं इस वर्ष 9 हजार 615 उपलब्ध करा कर काश्तकारों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है । पिछले वर्षों में जहां काश्तकारों को कनेक्शनों के लिए परेशान होना पड़ता था वहीं इस वर्ष ट्रांसफार्मर उपलब्धि अत्यन्त आसान कर दी गयी है । यह सही नहीं है कि विद्युत मंडल में कृषकों से ली जाने वाली राशि 25 रुपये से बढ़ाकर एक हजार कर दी गयी है । फीस यथावत् पच्चीस रुपये ही रखी गयी है, एक हजार रुपये की अग्रिम राशि कृषकों को कनेक्शन देते समय समायोजन द्वारा लौटा दी जाती है । सामान्य श्रेणी के काश्तकारों से ली जाने वाली राशि में कोई विशेष बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है । अतिरिक्त राशि जो ली जा रही है वह केवल तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत ली जा रही है जो कि एक स्वैच्छिक योजना है । ऐसे कृषक जो यह राशि देने में सक्षम हैं वे इस योजना में आते हैं । यह योजना काश्तकारों में कितनी लो[illegible]य हुई है इसका अन्दाजा इस बात [illegible]ाया जा सकता है कि अब तक [illegible]र्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं । कई जिलों में तो पर्याप्त लोड नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र लेने से मना भी करना पड़ा है, अतः विशेष श्रेणी में दिये जाने वाले कनेक्शनों से सामान्य श्रेणी में दिये जाने वाले कनेक्शनों की राशि की तुलना करना उचित प्रतीत नहीं होता । पूर्व में भी जब एक पोल या दो पोल योजना चलायी गयी उसके अन्तर्गत भी कृषकों से खम्भों व बिजली लाइन का खर्चा वसूल किया जाता था । यह कहना सही नहीं है कि वरीयता सूची जो बनी हुई है उसके अनुसार कनेक्शन नहीं होते । सामान्य श्रेणी की वरीयता अलग होती है एवं तुरन्त प्राथमिकता योजना की अलग । इस वर्ष सामान्य श्रेणी के मार्च, 1982 तक के लम्बित प्रार्थना पत्रों को यथा सम्भव विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं । दो हजार रुपये जमा कराकर वरीयता को ऊपर लिये जाने का नियम भी सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के पक्ष में ही है क्योंकि इसमें उपर्युक्त अतिरिक्त राशि देकर वरीयता का लाभ उठाया जा सकता है । यह राशि इतनी बड़ी नहीं है कि इसका लाभ केवल अमीर किसान ही उठा सकते हों । यह राशि भी मंडल के पास हमेशा के लिए नहीं रहती, सम्बन्धित बिलों में समायोजित कर दी जाती है, अतः कोई आर्थिक हानि नहीं होती बल्कि कनेक्शन में प्राथमिकता का लाभ मिल जाता है ।

लघु श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं से दो हजार रुपये की अग्रिम राशि प्रार्थना पत्रों के साथ ही ली जाती है जो कि डिमांड नोट में ही समायोजित कर लौटा दी जाती है । यह राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में ही कोई नयी प्रक्रिया नहीं है

(श्री रामनारायण विश्नोई)

बल्कि अन्य विभागों जैसे राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर विकास प्राधिकरण व टेलीफोन विभाग आदि में भी इस प्रकार की अग्रिम राशि लेने का प्रावधान है। अग्रिम राशि लेकर वरीयता बढ़ाने की योजना अब समाप्त हो गयी है, अतः अब इस योजना के अन्तर्गत न तो राशि जमा की जायेगी और न ही एक या दो वर्ष की वरीयता का लाभ दिया जायेगा। अविद्युतिकृत गांवों में विद्युत कनेक्शन का सम्पूर्ण व्यय लेकर देने की योजना केवल स्वैच्छिक है। सामान्यतः जो गांव अभी तक विद्युतिकृत नहीं हैं उनके विद्युतिकरण में काफी समय लग सकता है, अतः इस योजना में किसी को कोई हानि नहीं है अपितु आगे चलकर सामान्य श्रेणी के काश्तकार भी बिना किसी अतिरिक्त व्यय के इस प्रकार विद्युतिकृत किये गये गांव में कनेक्शन ले सकेंगे। श्री गंगानगर अथवा अन्य क्षेत्रों में जहां गांव विद्युतिकृत हो चुके हैं, यदि उस गांव का विभाजन हो जाता है तो उसे पूर्वानुसार विद्युतिकृत मानते हुए कनेक्शन देने की प्रक्रिया चालू रखी जाती है तथा इसके लिए उपविभाजित गांव को अलग से विद्युतिकृत घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।

विद्युत मंडल की विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप विभिन्न उपभोक्ताओं को राहत दी गयी है एवं किसी प्रकार के आक्रोश का प्रश्न नहीं है। अब तक तीस हजार से अधिक कुओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं जो कि एक नया कीर्तिमान है। इनमें सामान्य श्रेणी के करीब बीस हजार और तुरन्त प्राथमिकता योजना के अधीन करीब 10 हजार कनेक्शन दिये गये हैं। ग्रामीण विद्युतिकरण के लक्ष्य पूरे हो जाने की सम्भावना है। कच्ची बस्तियों में विद्युत कनेक्शन सघन रूप से दिये गये हैं तथा घरेलू कनेक्शन भी इस वर्ष बड़े पैमाने पर दिये जाकर विभिन्न नियमों का सरलीकरण किया गया है। बड़े पैमाने पर अतिरिक्त कनेक्शन देने के बावजूद भी विद्युत कटौती पिछले वर्ष के मुकाबले नगण्य रही है। शहरों एवं गांवों में बिजली वितरण व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पूर्वानुसार ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योग हेतु विद्युत आपूर्ति समय-समय पर उपलब्धि के अनुसार, आठ घण्टे अथवा अधिक या कम दो पारियों में की जाती है। ग्रामीणवासियों को रोशनी हेतु विद्युत आपूर्ति सिंगलफेस में की जाती है। वर्तमान में विद्युत उपलब्धि मांग से काफी कम है, इस प्रकार सभी गांवों व शहरों में समान रूप से चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति करना फिलहाल सम्भव नहीं है। भविष्य में मांग के अनुसार विद्युत उपलब्धि होने पर इस बाबत विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जहां तक बिजली उपलब्ध कराने का प्रश्न है इस वर्ष पीक लोड 380 लाख यूनिट तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष यह उपलब्धता 338 लाख यूनिट तक ही थी। इससे स्पष्ट है कि काश्तकारों को जिस अवधि में बिजली की विशेष आवश्यकता होती है उस अवधि में इस वर्ष सर्वाधिक उपलब्ध करायी गयी है। यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष करीब 340 करोड़ रुपये की बिजली केन्द्र व पड़ौसी

(श्री रामनारायण विश्नोई)

राज्यों से खरीदी जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी गयी जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 100 करोड़ रुपये अधिक का व्यय है। इसके मुकाबले पिछले वर्ष यह बढ़ोतरी उसके पूर्व के मुकाबले केवल 14 करोड़ रुपये अधिक थी। विद्युत मंडल की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब होने के बावजूद इतनी अधिक बिजली विभिन्न स्रोतों से क्रय की जाकर उपलब्ध कराया जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए असाधारण प्रयास किये गये हैं।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी दिलाऊंगा कि इस वर्ष ऊर्जा क्षेत्र में 317.21 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि कुल योजना का 27.23 प्रतिशत है। 1990–91 में यह 24.94 प्रतिशत था।

श्रीमती सुमित्रासिंह : 3-4 क्वेश्चन पूछूंगी, सभापति महोदय। एक-एक करके पूछूं कि भूल जायेंगे, या चारों साथ पूछ लूं? पहले तो मुझे यह बताइये आप मंत्री जी कि चारों क्वेश्चन एक साथ पूछूं या एक-एक पूछूं?

श्री रामनारायण विश्नोई : एक-एक पूछो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक-एक पूछूंगी। अच्छा यह बताइये मुझे आप कि 3 के. वी. लाइन कितनी खींचनी थी और कितनी खींची गयी है?

श्री रामनारायण विश्नोई : आपने जो ध्यानाकर्षक प्रश्न दिया है उसमें यह सवाल नहीं पूछा गया है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : बिजली से सम्बन्धित आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं और आप कहते हो कि सम्बन्धित नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप।

श्री रामनारायण विश्नोई : ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव का यह सब्जेक्ट मैटर नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : नयी विद्युत नीति के आधार पर आप क्या बात कर रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के विभिन्न स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जब हैं तो सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे।

श्री रामनारायण विश्नोई : स्पेसिफिक प्रस्ताव क्या है (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : हमारा भी प्रस्ताव है, आप पढ़कर सुना दीजिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मंत्रीजी को आप डाइरेक्शन दीजिये, ये कैसे कह रहे हैं कि पूछ नहीं सकते, यह आपके प्रस्ताव में नहीं है। काल अटेन्शन मोशन 22 सदस्यों का है।

श्री रामनारायण विश्नोई : आपके प्रस्ताव के अतिरिक्त बात नहीं पूछ सकते आप (व्यवधान)

श्री सभापति : एक-एक बोलिये, माननीय सदस्य, एक-एक।

श्री हेतराम बेनीवाल : दस माननीय सदस्यों के साथ एक प्रस्ताव दिया है, वह पढ़कर सुना दीजिये । जो मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है....

श्री सभापति : आप बिराजिये ।

श्री देवीसिंह भाटी : संगरिया में लाइट गयी हुई है या चल रही है, यह भी बताओ अभी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : बिल्कुल, बताना पड़ेगा ।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, बिजली के बारे में अनेक सदस्यों ने अनेक प्रस्ताव दिये हैं । इस सबके बारे में बिजनस एडवाइजरी कमेटी में एक फैसला हुआ था कि विद्युत पर अलग से एक दिन बहस होगी । लेकिन सरकार की चिन्ता को देखते हुए यह हुआ कि एक दिन अलग नहीं होगी, असेम्बली 27 तारीख तक चलेगी, इसलिए जो काल अटेन्शन नोटिस दिये थे वे लगाये जायें और इस पर पूरे विस्तार के साथ विद्युत से सम्बन्धित सभी समस्याओं पर विचार होगा । अगर मंत्रीजी तैयार नहीं हैं तो हमारी गलती नहीं है । यह अवसर हमको दिया गया है, सारी समस्याओं पर हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था । उसमें पूरी बातों का जवाब दिया जायेगा..(व्यवधान) इसलिये यह कहना कि हम इसमें जवाब नहीं देंगे, गलत है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : उसकी लेंग्वेज पढ़कर सुना दीजिये ।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, बिराजिये । एक मिनट । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है उसी पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं । जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव या 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिये हैं वे केवल बोल सकते हैं प्रश्न नहीं पूछ सकते । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है—"कृषि उपभोक्ताओं से इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एवं सप्लाई एक्ट, 1948 के अनुसार वितरण अर्थात् डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की राशि कृषि उपभोक्ताओं से चार्ज नहीं की जा सकती परन्तु विद्युत मंडल वसूल कर रहा है । यदि इस सम्बन्ध में कोई उपभोक्ता अदालत में चला जायेगा तो मंडल को करोड़ों रुपयों का चुकारा कृषि कनेक्शन दिये गये उपभोक्ताओं को लौटाना पड़ेगा । चूंकि यह प्रश्न अविलम्बनीय महत्व का है, अतः इस पर विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।" केवल इतना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : दूसरा मेरा और नत्थी सिंहजी का प्रस्ताव है । 131 में, वह पढ़िये आप । 131 में हमारा प्रस्ताव भी है । वह भी पढ़ लीजिये । वह क्या है, पढ़कर बताइये ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मेरा प्रस्ताव पढ़कर बता दीजिये, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव किसमें है ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है मेरा भी...(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : 131 के तहत जो हमारा प्रस्ताव है उसे पढ़कर बता दीजिये....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभा-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पति महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कोई लम्बी-चौड़ी सारी बातें नहीं लिखी जाती हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब यह है कि उसके साथ जुड़ी हुई सारी समस्याओं का जवाब आना चाहिए। उस आधार पर क्या कमियां रही हैं उस सम्बन्ध में पूछ रही हूं, उनकी तैयारी होनी चाहिए। उनकी तैयारी नहीं है तो मुख्य मंत्री जी बैठे हैं वह जवाब दे दें।

श्री रामनारायण विश्नोई : बिल्कुल तैयारी है। आप कोई भी प्रश्न पूछें। आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित होना चाहिए....

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं पूछ रही हूं ना।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बैठिये आप। आपको इतना ही पता नहीं है.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैंने आपसे पूछा पहले प्रश्न के बारे में तो आपने ना कर दिया। मैंने आपसे पूछा कि 33 के. बी. लाइन के लिए कितना आपका प्लान था, कितनी खींची, कितनी खेंचनी थी? कितनी खिंची? आपने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। खैर! आगे चलती हूं। इसका जवाब दीजिये। 33 के बी. लाइन खेंचने के उद्देश्य से इस साल कितनी पोस्ट्स क्रियेट की, 6–6 महीने तक इंजीनियर्स को वहां रखा बिना किसी कार्य के उन्हें बैठे तनख्वाह दी और फिर इसी साल वे पोस्ट अबोलिश हो गई, इसका कारण क्या था? वह भी बता दीजिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, इनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस बाबत एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है कि 33 के. बी. लाइन को कितनी लाइन खेंची गई, अलग बात कह रही हैं। एक प्रश्न जो आपने पूछा उसके अन्दर कोई शब्द अंकित तक नहीं है कि कौन सी लाइन खेंची गई है। आप अपना प्रस्ताव पढ़िये पहले।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह वितरण से सम्बन्धित है, आपकी तैयारी नहीं है तो कह दीजिये कि तैयारी नहीं है....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, हमारा 12 माननीय सदस्यों का एक प्रस्ताव है। मेरा और माननीय श्री नत्थी सिंह का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, वह पढ़कर सुना दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, यह कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी एक्स.ई.एन. की पोस्ट्स क्रियेट कीं?....(व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : सभापति महोदय, नहीं इस प्रश्न को 25 तारीख के लिए पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : क्यों पोस्टपोन कर दें। आप अपने प्रस्ताव को.... (व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : आप तैयार होकर नहीं आये हैं। सरकार तैयार होकर नहीं आई हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार तैयार है।

श्री रामनारायण विश्नोई : सब तैयार हैं, हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, आपकी हर बात के लिए तैयार हैं.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी को तजुर्बा नहीं है, मंत्रीजी तैयार होकर नहीं आये हैं, मंत्रीजी तैयारी करें।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मुख्य-मंत्रीजी कहो आप उनको....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, पोस्ट क्रियेट हुई, 6-6 महीने तक तनख्वाहें दीं और फिर पोस्ट एबोलिश कर दीं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश के गरीबों का पैसा है, पोस्ट क्रियेट हुई, 6 महीने तक बैठे.बैठे तनख्वाहें दीं, बिना काम के और फिर पोस्ट एबोलिश कर दी। इसी साल में पोस्ट क्रियेट करना और इसी साल में एबोलिश करना, बिना काम के 6-6 महीने तक बैठे-बैठे तनख्वाहें देना....(व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : इससे मतलब क्या है आपका ? यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है आपका (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : मतलब है।

श्री सभापति : आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, मुझे आपसे एक सूचना प्राप्त करनी है कि क्या हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके पास नहीं है ? क्या मेरा और नत्थीसिंहजी ने और 10 अन्य माननीय सदस्यों ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है वह चेअर के पास है या नहीं ?

श्री सभापति : जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है वह माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंहजी का हुआ है आपको उस पर बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : बोलने का मतलब प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। (व्यवधान)

हमें जानकारी लेनी है कि क्या, माननीय सभापति महोदय, ऐसा भी होता है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में 5 नाम हों, और एक का स्वीकृत हो जाय और 4 का नहीं हो ? आपकी व्यवस्था यही है ?

श्री सभापति : स्वीकृत एक हुआ है, उस पर उत्तर आ गया। आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : हमारा प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तो प्रश्न पूछने का ही अवसर दिया जाता है।

श्री सभापति : बिराजें आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : जब हमारा प्रस्ताव ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है तो आप हमको बोलने की बजाय प्रश्न पूछने का अवसर देंगे।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सभापतिजी, यह बात सही है कि कालिंग अटेंशन मोशन पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने रखा है। पावर के सम्बन्ध में और भी कालिंग अटेंशन मोशन्स दिये हुये हैं, आपके सचिवालय में, इसकी जानकारी है और क्योंकि राजस्थान

(श्री परसराम मदेरणा)

में यह वर्निंग प्राब्लम है । वर्निंग प्राब्लम विद्युत मंत्रीजी इस एक्ट का हवाला इसलिये दिया गया है कि राज्यादेश कमेटी ने थंभ रूल इसलिये स्थापित किया था, जो सभी बोर्ड्स के लिये मेंडेटरी था और कम्पलसरी था कि डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिये वह इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिये । वन थंभ, वन थंभ आपका प्रश्न इसलिये रिलेवेंट है, माननीय मंत्री महोदय कि यह नाइसिटीज आफ लॉ का इन्वेंशन नहीं है । सदन के अन्दर मिनिस्टर को पहले सुनना चाहिये । आप यह समझते हैं कि लंग पावर से जो इन्फ्लयूएन्स करेंगे सदन को कि हम बहुत घाघ आदमी हैं, बिलकुल चिकने घड़े की तरह, इस तरह जोर से बोलेंगे बोलने से आप बैठ जायें, इनकी बात सुनेंगे और आपकी अगर लीगल आरग्यूमेंट्स हैं । वह धराशायी हो जायेंगे उधर बैठने वालों के । बहुत तर्कसंगत बात कीजिये । मैं एक बात कह रहा हूं, एक प्रश्न पूछ रहा हूं । आपके प्रस्ताव रिलेवेंसी इस सेंस में हैं कि एक तरफ आप डिस्ट्रिब्यूशन के लिये 33 के. वी. की लाइन के लिये पोस्ट क्रियेट करते हैं, उसमें इन्फ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर करते हैं और इन्फ्रक्चुअर एक्सपेंडिचर करने की क्यों आपको आवश्यकता है, या पोस्ट की उपयोगिता नहीं थी और उपयोगिता थी तो पोस्ट पर बैठे-बैठे तनख्वाहें क्यों दीं और तनख्वाहें जब दे दीं तो बोर्ड को लास होता है, बोर्ड को लास होता है उसे कंजुमर्स से वसूल करना चाहते हैं और फिर काश्तकारों से ओवर राइडिंग प्रायोरिटी के नाम से 70-70 हजार रुपये एक-एक कनेक्शन के ले रहे हैं । इस सम्बन्ध में यह बहुत रिलेवेंट है ।

मुख्यमंत्रीजी मैं निवेदन करूंगा कि टाइम बहुत शार्ट है और जो 4 तारीख तक का हाउस का बिजनेस था वह इसलिये स्थगित हुआ है कि सर्टेन पालिटिकल कन्डीशन्स कन्ट्री में हैं उनको देखते हुए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे जितने भी कालिंग अटेंशन मोशन्स हैं या ओवर राइडिंग प्रायोरिटी के इन्होंने जो दे रखे हैं धन कमाने के लिये वह बात और है लेकिन इस विषय को सदन के अन्दर डिस्कस करना क्योंकि आम काश्तकारों से सम्बन्ध रखता है, राजस्थान की बहबूदी और काश्तकारों के लिये, 62 पर्सेण्ट जनता की बहबूदी के लिये खुशहाली के लिये मुख्यमंत्रीजी जो खर्चा करेंगे और इन्वेस्टमेंट की उद्घोषणा कर रहे हैं, इस समय यह वर्निंग प्राब्लम है, उस पर इस सदन के अन्दर, जो सोवरिन हाउस है, इसमें निश्चित तौर से दो-एक घण्टे की चर्चा होनी चाहिये । मेरा यह सुझाव है ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : जहां तक काश्तकारों का सवाल है, उसमें दो राय नहीं हो सकती है । प्रश्न यह है कि जो हमारे सामने कालिंग अटेंशन हैं उनकी वैधानिक स्थिति क्या है ? ऐसे तो पब्लिक इम्पोर्टेन्स के बहुत से मसले हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं मगर इस प्रकार से पब्लिक इम्पोर्टेन्स के नाम पर, विषय पर विचार किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि कभी भी कोई नियमित कार्यक्रम नहीं हो सकता है । इसलिये....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो पहले ला मिनिस्टर बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब यह रूल 131 है जिसके अन्तर्गत यह प्रश्न यहां पर रखा जा सकता है। उसको मैं पढ़ना चाहता हूं—

"Any member desirous of calling attention of a Minister to a matter of urgent public importance may give notice in writing to the Secretary giving three copies of the netice, specifying, clearly and precisely the matter to be raised."

अब कन्डीशन क्या है, उसकी—

'It relates to a specific matter of recent occurrence."

स्पेसिफिक इश्यू पर होगा। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इनको स्पेसिफिक इश्यू पर अलाऊ कर दिया। अब जो हमारे सामने चर्चा का विषय है वह माननीय सदस्य —

श्री परसराम मदेरणा : Specific matter of public importance.

श्री भंवरलाल शर्मा : इसीलिये तो अलाऊ कर दिया ना आपको, जरूरत थी अलाऊ करने की। तो यह पूरी चर्चा नहीं हो सकती है। अब जो आपने मोशन दिया है उसमें लिखा है कि—"नियम 131 के अन्तर्गत श्रीमती सुमित्रासिंह, सदस्य, विधान सभा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की नई घोषित नीति के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं के साथ कथित धोखाधड़ी तथा नियम विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध से ध्यान आकर्षित करेंगी।

अब इसके अलावा यह नियम अलाऊ नहीं करता है कि आपने या अन्य माननीय सदस्यों ने कह दिया कि हमारा भी प्रस्ताव है। आपके भी प्रस्ताव होंगे, पर वह एडमिट नहीं हुये और जो एडमिट हुआ है वह केवल श्रीमती सुमित्रासिंहजी का हुआ है और पर्टीकुलर इश्यू पर हुआ है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आपकी व्यवस्था के मुताबिक नई नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : नई नीति के बारे में उनको बोलने का मौका दिया जायेगा, हम लोगों ने भी एडजोर्नमेंट मोशन दिया था। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी बात सुन लें। इनको कम्पलीट करने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपके बोलने पर पाबन्दी नहीं लगाता हूं, आपका विषय आर्डर में है उसमें पाबन्दी नहीं लगाता, उसके लिये मना नहीं करता। मैं तो केवल जो नियमों की व्यवस्था है उस पर निवेदन करना चाहता हूं। जो नियम हैं वह तो यही है कि आप नियमों के विपरीत कोई काम नहीं करें....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : नियमों के विपरीत नहीं है, कृपया मेरी बात सुन लें।

(158)

श्रीमती सुमित्रासिंह : नियमों के विपरीत तो आप करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक-एक करके बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब, मैंने पूरा ही नहीं किया है अभी....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने मुझसे पूछा कि सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स में कौनसे दो महकमें लेने हैं, आप बता दीजिये। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप विद्युत को ले लें और दूसरी अकाल राहत को ले लें। उन्होंने स्वीकार किया। पर जब आज की बिजनेस को मैंने सुबह देखा मैं बोल रहा हूं....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह ध्यान तो आपको रखना चाहिये था मैं खड़ा था फिर आप क्यों खड़े हुए और आप मुझे कहते हैं कि आप बैठ जायें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मैंने निवेदन किया सभापति महोदय, वह लोग काफी एजीटेटेड हैं इस मामले पर अकाल के मामले पर लेकिन आज की जो कार्य सूची देखी गई उससे तो सामने यह चीज आई है। आपने वन और रेवेन्यू के ऊपर चर्चा रखी है तो उन्होंने कहा कि मैंने सुमित्राजी का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मैंने कहा कि इससे तो काम चलेगा नहीं, यह लोग बहुत बोलना चाहते थे चूंकि किन्हीं राजनीतिक कारणों से सदन की कार्यवाही 27 तारीख तक ही चलने की सम्भावना है जैसा बी. ए. सी. के सामने आया है तो उन्होंने कहा कि मैंने सब देखा है, 22 आदमियों के आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं और तरह-तरह के प्रस्ताव हैं, विभिन्न प्रकार के है, मैं उन सबको मौका दूंगा। अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि मैं तो चर्चा में भाग लेता तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भी अवसर दूंगा, यह मेरे सामने बात हुई है लेकिन मैं अभी गया था, अध्यक्ष जी थोड़ा he is not feeling very well.

मेरी उनसे चर्चा नहीं हो सकी। तो मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूं अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है, सभापति महोदय और मैं माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप अध्यक्ष जी से जाकर इस बारे में बात कर लें कि उन्होंने क्या व्यवस्था दी, क्या निर्णय दिया आप अवगत हो जायेंगे। आपने जो नार्मल कोर्स के अन्दर मुद्दा उठाया है उसमें मैं आपको चेलेन्ज नहीं कर रहा लेकिन विशेष परिस्थितियों में कई दफा नियमों को सस्पैण्ड करके अध्यक्ष अपनी व्यवस्था दे देते हैं, कभी-कभी आसन से व्यवस्था यहां पर होती है कभी कभी वह अपने चैम्बर में व्यवस्था दे देते हैं और उन्होंने जो व्यवस्था दी है उसी के अनुरूप मैंने सभापति महोदय, आपसे पूर्व में निवेदन किया था कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लोग अपनी-अपनी बात इसके ऊपर कहना चाहेंगे, सवाल भी पूछे जायेंगे और विद्युत मंत्रीजी से तो अपेक्षा की जाती है। हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक इलाके के बारे में उनको जानकारी नहीं हो लेकिन नीति सम्बन्धित जो मोटी मोटी बातें हैं उनकी तो निश्चित रूप से इनको जानकारी होगी। अगर उसके बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई जनरल बात

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पूछते हैं जो कि सामने एपेरेन्टली नजर आती है अगर उसका भी उत्तर नहीं आये। सभापति महोदय, तो यहां चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति जी ने निर्णय दे दिया।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अब नीति संबंधी पूछ लेती हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इसीलिए निवेदन कर रहा था....(व्यवधान)

मैंने पूरी बात की नहीं ना अभी। सवाल पूछने के लिए कोई मनाई नहीं है, आप किसानों की बात को उठाइये कोई आपत्ति की बात नहीं है, जनहित की बात आप करें तो बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि अब जो माननीय मंत्रीजी आये हैं यहां पर उनको यह बताया गया कि आपको इस विषय पर जवाब देना है....

श्रीमती सुमित्रासिंह : हम, नीति से सम्बन्धित ही पूछ लेते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके सवाल को चेलेन्ज नहीं करता आप क्या सवाल पूछेंगी 'What is the question prevailing in your mind, I don't mind.

सवाल इतना ही है केवल कि मंत्री महोदय को यदि यह कह दिया जाये कि पूरे विद्युत मण्डल पर आप चर्चा के लिए तैयार रहो तो उनकी कठिनाई हो सकती है। अगर पहले उनको यह मालूम होता, यहां आने से पहले कि ये प्रश्न आयेंगे उसका उत्तर मुझे देना है तो आपके प्रश्न वाजिब थे, पूछे जा सकते थे। प्रश्न यह है कि उनके पास जो सूची गई है, हमने जो सूची देखी है उसमें केवल यही है कि केवल नीति सम्बन्धी जो सवाल हैं जो काश्तकारों को दिक्कतें खड़ी हुई हैं उस पर आप केवल ध्यान आकर्षित करेंगी। पूर्ण अधिकार है आपको करें, बाकी माननीय सदस्य सवाल पूछें, कोई आपत्ति की बात नहीं है। पर प्रश्न यह है कि क्या इसे लिमिटेड रखेंगे या अनलिमिटेड चर्चा का विषय बनायेंगे? और अगर बनाना भी है तो फिर आपकी अध्यक्ष महोदय से क्या बात हुई यह तो....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप पूछ लें अध्यक्ष जी से।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, आप कहते हो सही मान लेता हूं। माननीय सदस्य मैं आपकी बात को गलत नहीं मानता हूं सही मानता हूं सत्य मानता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपका आभारी हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत खुशी की बात है। आप जिन्दगी भर जीते रहें लेकिन सवाल यह है कि माननीय मंत्री महोदय इस सबकी कैसे तैयारी करेंगे इतनी सी देर में? आपकी कृपा तो ठीक है, पर माननीय मंत्री महोदय इस सारे विषय के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं....

श्री नत्थी सिंह : मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब तक नियमों में रिलेक्सेन नहीं हो तब तक....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है मोटी मोटी बाते हैं...(व्यवधान)

अब यह नहीं समझ में आता है कि मंत्री महोदय कोई माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात या किसी गांव की बात पूछें, वह नहीं बता सकते। लेकिन सभापति महोदय, नीति सम्बन्धी बातें निश्चित रूप से सामने आयेंगी। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री जी च हें नहीं जानते हों लेकिन मुख्य मंत्री जी सब कुछ जानते हैं और वह सब प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। वह सदन में मौजूद हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्यमंत्री जी क्या कोई देवता हैं क्या....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इन्हें ऐसा समझते हो ?

He is a very knowledgeable person. (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : आप बता दीजिए मंत्री रही हुई हैं कि 33 के. वी. की लाइनें कहां कहां बिछी हुई हैं, कहां कहां बिछने वाली हैं आप एक जगह भी बता दीजिए, क्या बात कर रही हो। आप एक जगह ही बता दो कि कौनसी 33 के. वी. की लाइन कहां पर कम्पलीट हो गयी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपकी जगह होती तो बताती। मैं तो पूछूंगी और आपसे पूछूंगी। आपके अज्ञान को प्रकट करूंगी। This is my duty. आपकी जगह होती तो सब बताती आपकी तरह बगलें नहीं झांकती।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप ही बता दीजिए, आपको सारा मालूम है। बताओ ना फिर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा काम नहीं है बताने का, क्यों बताऊं मैं। और वहा बैठूंगी तब बताऊंगी....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें, माननीय सुमित्रा जी बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अपनी जिम्मेदारी इन्हें नहीं थोंपे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बेकार बातें करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, अब वह कहते हैं तो मैं नीति से सम्बन्धित पूछ लेती हूं। माननीय मन्त्री महोदय, यह तो नीति से संबंधित है ना कि आपने किसानों को जो एस. एफ. एस. स्कीम में लेंगे कनेक्शन, उनको आपने एक हजार रुपया प्रति पोल अनुदान देने का इस किताब में लिखा है, नई विद्युत नीति में लिखा है और यह जो आपका एक हजार रुपये प्रति पोल का अनुदान है यह केवल पांच पोल तक सीमित किया है यह तो है ना इसमें ? दिखाऊं आपको वह किताब। तो किसानों को तो आपने किया

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

है एक हजार रुपया प्रति पोल और उसकी सीमा की है पांच पोल तक की और उद्योगों को जिनका 25 एच. पी. का लोड है उनको आपने दो हजार रुपया प्रति पोल दिया है अनुदान और यह सीमा की है 15 हजार तक, 15 हजार वाली बात मेरी समझ में नहीं आई, क्यूं समझ में नहीं आई कि जब दो हजार थे तो साढ़े सात खम्भे होते हैं 8 नहीं होते हैं....

श्री रामनारायण विश्नोई : पांच ही होंगे, तीन-साढ़े तीन हजार उससे चार्ज होंगे पांच ही खम्भे होंगे....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दो हजार प्रति पोल के हिसाब से 15 हजार का.... (व्यवधान)

समझने की कोशिश कीजिये पहले, जो कुछ मैं कह रही हूं, (Try to understand that) जब आपने पन्द्रह हजार रुपए तक की मैग्जिम की है और उसको दिया दो हजार रुपया प्रति पोल इसका मतलब साढ़े सात पोल तक समझ में आ गई बात अब तो आपके ? तो मैं पूछ रही हूं साढ़े सात का कैसे तो हिसाब बैठेगा। फिर किसान के साथ उद्योगों के साथ किसान जिसकी हैसियत खराब है, जो केवल आपकी जिसे कहना चाहिये खेती प्रकृति पर निर्भर है ओले भी पड़ सकते हैं, सर्दी भी मार सकती है, बीमारियां भी आ सकती हैं। उसको तो दिया अनुदान एक हजार रुपया प्रति पोल और उद्योगों को दिया दो हजार रुपया प्रति पोल और उसकी सीमा की 15 हजार और किसान की सीमा की पांच हजार, दो जवाब मुझे इसका, क्यूं किया ऐसा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): किसानों को बिजली मिलती है 32 पैसे प्रति यूनिट और बड़े उद्योगों को 138 पैसे प्रति यूनिट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसान धरती का पेट फाड़कर, सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना आपका पेट भरता है, अन्नदाता है वो उसको 33 पैसे में देते हो कोई अहसान नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में गुजरात के अलावा हाइएस्ट टेरिफ है आपका....

श्री महावीर प्रसाद जैन : उद्योग लगाकर के उद्योगपति रोजगार देता है और जो किसान का उत्पादन होता है वह अपनी इण्डस्ट्री में बनाकर के आपको पास होता है। ....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो किसान विरोधी हैं क्या बात कर रहे हैं आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो किसानों के वोट लेकर आती हो। सही रूप में तो किसानों का शोषण करती हो। किसानों के लिये कुछ नहीं किया आज तक और यह उसी का परिणाम है कि आपने 8 घण्टे अपने मन्त्री काल में.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप कौन से विभाग के मन्त्री हो। किसानों के सबसे बड़े दुश्मन।

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति जी, मैं माननीय सदस्या का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हैं आपने इस प्रिन्टेड बुक के अन्दर पूरी बात को पढ़ा नहीं। यह जो लिमिट है वह उद्योग के लिये भी और

(श्री रामनारायण विश्नोई)

काश्तकार के लिये 15 हजार रुपये से ज्यादा का अनुदान नहीं दिया गया है और मैं आपको फिर पढ़कर के सुना देता हूं "ऐसे उद्योग जिनका लोड 25 एच. पी. तक हो के लिये समस्त 11 के. वी. लाइन एवं एल. टी. लाइन का खर्चा 4,250 रुपये प्रति पोल की दर से उपभोक्ता को वहन करना होगा। इस राशि में से दो हजार रुपये प्रति पोल की दर से विद्युत मण्डल द्वारा अनुदान दिया जाएगा। किन्तु यह अनुदान 15 हजार रुपये तक ही सीमित रहेगा।"

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो है उद्योग का। आप कृषि का भी पढ़िये। आपने केवल उद्योगों का पढ़ा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : कृषि का भी 15000 रुपये तक का है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं सुनाऊं आपको पढ़कर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह कृषि और उद्योग के लिये एक जैसी सब्सिडी कर दो, सारा सदन सहमत है इसमें। जब किसान हिमायती यह सरकार है, तो किसानों के लिये यह काम करना चाहिये, हम इसकी प्रशंसा करेंगे।

श्री मदनलाल सैनी : आप तो किसान विरोधी हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसान विरोधी तो आप हैं जो उद्योगों को सब्सिडी दे रहे हैं, हम तो किसानों के लिये मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : उद्योगों के लिये पोल लगाने के लिये सब्सिडी देते हैं, वह किसान के खेतों और किसान के घर के कनेक्शन के लिये जो भी पोल लगाये जाते हैं, उसमें सब्सिडी उसके बराबर कर दी जाय।

श्री मदनलाल सैनी : आपको तो चिन्ता यह हो रही है कि 30000 जो... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सैनी जी, बिराजें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री जी ने जो चुनौती दी अभी मुझे, उसका अंश इन्हीं की पुस्तक से पढ़कर सुनना चाहूंगी।

"रुपये 1000 प्रति पोल का अनुदान, पांच पोल तक विद्युत मण्डल द्वारा दिया जायेगा। 11 के. वी. अथवा एल. टी. लाइन का खर्चा देना होगा।"

यह आप पेज नम्बर 5 पर पढ़ लीजिये। यह तो है कृषि के लिये, और उद्योगों के लिये हैं 2000 रुपये अनुदान। और इतना ही नहीं, कृषि का कनेक्शन अगर वापस ले कोई भी, रीकनेक्शन कराना चाहे, तो उसको उस बीच के समय का मिनीमम चार्जेज, जमा कराने पड़ेंगे, जबकि उद्योगों के लिये जितनी भी बकाया थी, उस पर 15 प्रतिशत ब्याज दे। बीच के समय का कोई पैसा देना आवश्यक नहीं है। यह भेदभाव क्यों?

श्री रामनारायण विश्नोई : यह कृषि के लिये भेदभाव मिटा दिया जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या भेदभाव मिटा देंगे?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या रिलीफ देकर इस भेदभाव को मिटा रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राजस्थान को मिटायेंगे या किसान को मिटायेंगे ? क्या मिटायेंगे आप ? बताइये न।

श्री मदनलाल सैनी : जो आपके समय में रह गई थीं उसको दूर करेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप बताइये कि आपने यह भेदभाव किया ही क्यों। आप किसान विरोधी हैं, आपकी नीतियां किसान विरोधी रही हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : किसानों ने पानी पिला दिया आपको, और अभी भी पिला देंगे किसान आपको पानी।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि कृषि में जिन काश्तकारों के कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गये थे और साल दो साल तक डिसकनेक्टेड पड़े रहते थे उन्हें वापस रीकनेक्शन कराने के लिये पुरानी सरकार की यह नीति थी कि मिनीमम चार्जेज का पैसा उनको देना पड़ता था, तब जाकर रीकनेक्सन ले सकते थे वर्ना नई लाइन के अन्दर वापिस नये सिरे से लग जाओ। उस नीति को खत्म कर रही है सरकार। इसी प्रकार उद्योगों के साथ भी मिनीमम चार्जेज का पैसा ब्याज के साथ देना पड़ता था। इस नीति को समाप्त करके काश्तकार से बीच के दो या तीन साल, जिसमें डिस्कनेक्शन रहा, उससे मिनिमम चार्जेज नहीं ली जायेगी। और ऐसी कई स्कीम्स काश्तकारों के लिये की गई हैं। काश्तकार एक बार मुझसे मिले थे। नई शिफ्टिंग योजना के अन्दर सरलीकरण कर दिया गया है।

लोड डिस्ट्रीब्यूशन के अन्दर एक्सटेन्शन के अन्दर भी सरलीकरण किया गया है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा विद्युत मन्त्रीजी ने कहा कि एग्रीकल्चर कनेक्शन जो डी. सी. होते हैं और जब आर.सी. होने के बीच के पीरियड का मिनिमम चार्ज जो वसूल करते थे, वह पूर्व सरकार द्वारा, यह फैक्ट है। जब आन्दोलन हुआ तो इस बात की मांग की गई। आपने यह कहा कि डी. सी. कनेक्शन को आर. सी. करने में जो बीच का पीरियड है, वह मिनिमम चार्ज किसानों से नहीं लिया जायेगा। यह बहुत खुशी की बात है अगर आपने ऐसा किया है तो। (व्यवधान)

सुनो तो सही।

मैं यह पूछना चाहता हूं विद्युत मन्त्री जी से कि यह नीति या यह आदेश किस तारीख को आपने जारी किये और यह कब से इफेक्टिव है ?

दूसरा, आपने लोड रिडक्शन और लोड एडिशन के बारे में, कुछ शिफ्टिंग के बारे में कहा। मैं उसमें स्पेसिफिक आपसे यह पूछना चाहूंगा कि अगर आपने ऐसी व्यवस्था की है, बहुत बढ़िया है लेकिन आप अपने विभाग में यह तलाश कीजिये कि लोड रिडक्शन और लोड एडिशन और शिफ्टिंग के केसेज आपके यहां 10-10, 5-5 साल से केस पेंडिंग हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : थे।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं हैं ।

श्री रामनारायण विश्नोई : अब निपटाया जा रहा है ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप बैठे-बैठे बात मत कीजिये, विद्युत मन्त्रीजी। पहले सुनिये ।

श्री सभापति : पहले पूरी बात सुन लीजिये ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं जो बात कह रहा हूं जो रीयलिटी में आपके विभाग में लम्बित हैं । 5–5, 7–7 साल से मामले लम्बित हैं । आप कह रहे हैं, नहीं हैं, मैं आपसे स्पष्ट आश्वासन सदन में यह चाहूंगा कि अगर लम्बित भी हैं तो इन मामलों को 10 रोज में, 15 रोज में एक महीने में क्या निपटारा कर दिया जायेगा ?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय सभापतिजी, मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन जारी करने का फैसला कर लिया गया है अगर कहीं भी लोड एक्सटेंशन का मामला एक महीने के अन्दर तय नहीं हो जाता है तो उसको आटोमेटिकली सेंक्शन हुआ माना जायेगा । जो 10–10 साल से मामले लम्बित पड़े हैं, उन मामलों का इस तरह से फैसला कर दिया जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : अब क्या बाकी रह गया ? (व्यवधान)

श्री नरथी सिंह : आदेश कब जारी हुए ?

श्री रामनारायण विश्नोई : आज के बाद मान लीजिये ।....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जो डी. सी. हुआ और आर. सी. होने के बीच का जो मिनिमम चार्ज वसूल नहीं करेंगे, यह आदेश कब से इफेक्टिव हैं ?

श्री रामनारायण विश्नोई : ये आदेश भी आज की तारीख से जारी किये जायेंगे ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापतिजी, मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा आज से लागू होने की बात कह रहे हैं । माननीय सभापतिजी, हम हाउस में बैठे हैं, और इतने सदस्य बैठे हैं, हमको आठ नवम्बर याद है । आठ नवम्बर को माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यहीं इस जगह से एक ऐलान किया था । मैं समझता हूं कि या तो वह ऐलान इसलिए किया था कि उस वक्त ताजा-ताजा ही इन्होंने वोट लिया था विश्वास प्रस्ताव का । इन्होंने यह ऐलान किया था कि बिजली की जो नई नीति हमने लागू कर दी, उसमें काफी अनियमितताएं हैं । किसानों को परेशान करती हैं, तंग करती हैं और किसान उससे नाराज हैं । हम 30 अप्रेल से पहले जो नीति थी, उस पर आ जायेंगे । यह व्यवस्था कर दी जायेगी । यह हाउस के रिकार्ड में है । मुख्य मन्त्रीजी का यह ऐलान है । मुख्य मन्त्रीजी के इस ऐलान करने के बाद अब मन्त्रीजी यह कह रहे हैं कि पुरानी नीति पर आने का सवाल ही नहीं है । वह तो कोई बात नहीं है, नई नीति में बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं ।

तो जिन्होंने यह नई नीति बनाई है, पहले उन अधिकारियों से पूछ लें । क्या अधिकारी इनका कहना मान लेंगे तो ये दुबारा ऐलान करें । (व्यवधान)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मेरी समझ में उनसे पूछ के ऐलान करें वे मानेंगे नहीं।

सभापतिजी, मुझे शक है। ये बोर्ड के जो चैयरमैन हैं या जो बोर्ड बनाया हुआ है, ये हमारी जो पूर्व मंत्री रही हैं, आठ महीने तक इन्होंने महसूस किया है। नये मंत्रीजी दो महीने से हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद काबू में आ जायेंगे। यह निश्चित तौर से यह स्थिति है कि ये ऐलान कुछ करते हैं और वे कल ही असेम्बली से बाहर जाकर के हाउस के सारे लोगों की राय के खिलाफ दूसरा ऐलान करेंगे। इस सिलसिले में दो बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि पहले उनसे सलाह कर लें और फिर ऐलान करें।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय सभापतिजी, मैं सारे प्रकरण को आपके सामने और सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह विद्युत नीति का आज जो पेम्पलेट छापा, यह साइक्लोस्टाइल्ड आया था तब सुमित्रा जी प्रभारी मंत्री थीं। मुख्य मंत्रीजी ने अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में मैंने यह कहा कि यह किसान विरोधी जो साइक्लोस्टाइल्ड पेम्पलेट है तो मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि मुझे तो मालूम नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुमित्राजी ने निकलवाया था।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मुझे तो मालूम नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो दिसम्बर में निकला था। सुमित्राजी दिसम्बर में मैं कहां थी?

एक माननीय सदस्य : शायद दिसम्बर में तो पुस्तक छपी है।

डा. हरिसिंह : सुमित्राजी, आप भी वहां थीं, वहां मौजूद थीं।

एक माननीय सदस्य : उसका प्रारूप भी आपने तैयार किया था, उस नीति का।

डा. हरिसिंह : तो मुख्यमंत्रीजी ने तो अनभिज्ञता जाहिर की। सुमित्राजी ने कहा कि सारी बात मेरे से पूछ करके नहीं निकाली गयी मैं इसको देखूंगी। दोनों ने मेरे से वायदा किया कि इसको देखेंगे, आप तो देखने लायक भी नहीं और आपने देखा नहीं। दूसरा मैं एक दिन माननीय मंत्रीजी रामनारायणजी से मिला था उनको मैंने काफी चीजें बताई थी कि बिजली के मामले में काश्तकारों के साथ अन्याय हो रहा है....

श्रीमती सुमित्रासिंह : I objecttit. सभापति महोदय, कैसे कह दिया कि देखने लायक नहीं रही। ये क्या बात हुई? शब्द एक्सपन्ज कराओ। क्या गुनाह कर दिया मैंने कि मैं देखने लायक नहीं रही....

श्री मदनलाल सैनी : आपने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा वह घोर आपत्तिजनक है।

डा. हरिसिंह : मैं ये कह रहा हूं कि लेने लायक अब नहीं है, उस वक्त तो लिया नहीं पता नहीं क्यों नहीं लिया ये जाने इनका काम जाने। लेकिन आज तो ये फैसला लेने लायक नहीं है क्योंकि जगह ही नहीं है, तो ये सारा प्रकरण हुआ। मुख्य मंत्रीजी को

(डा. हरिसिंह)

मैंने आठ-सात-दिन पहले एक ज्ञापन भी दिया। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्रीजी ने उसको पढ़ा होगा और पढ़ा होगा तो उनको मालूम है कि मैंने ज्ञापन में क्या-क्या बातें बताई थीं। खैर ये तो मैं पोल तो आउट नहीं करना चाहता मुख्यमंत्री जी की कि उसको पढ़ा नहीं। अगर ये काश्तकारों के काम में इन्ट्रेस्टेड होते तो मेरे तीन दफा बुलाकर कहा कि मैं बिजली बोर्ड वालों को बुलाकर बात करूंगा, समस्याओं को मिटाऊंगा। लेकिन आज करूं, कल करूं, भगवान जाने अभी तक तो उन्होंने किया नहीं मैंने तीन चार दफा आपको रिमाइण्ड किया और उनकी जैसी आदत है देख लेंगे, कर लेंगे यह आदत उन्होंने निभाई। यह तो मुख्यमंत्रीजी की बात है। अब सवाल हुआ इस पेम्पलेट पर आइये, किसानों की समस्या के बारे में आइये। किसानों की समस्या बिजली वाले मामले में जितनी है और सारा राजस्थान जानता है, वे बड़े परेशान हैं मैं इण्डस्ट्रीयल किसानों के झगड़े की बात नहीं करता क्योंकि इण्डस्ट्री को भी बिजली चाहिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूं क्योंकि वह भी अपने देश में ही हैं, इस स्टेट में ही हैं। मैं इसके विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन जो बिजली कनेक्शन वाला मामला है किसानों के प्रति फ्लेट रेट पहले की थी उसमें मैं शामिल था अब एक सूझ सरकार की यही नजर आती है कि इसमें लिखा है सभी नये कृषि कनेक्शन अब फ्लेट रेट से दिये जायेंगे। इसका मतलब सरकार को किसान की क्या समस्या है और फ्लेट रेट क्या चीज है। यह भी मालूम नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए फ्लेट रेट से देओगे कुए में पानी 15 मिनट का है किसान को कैसे पोसायेगा ? दो बीघा जमीन है इन्होंने तो ऐसा सोच लिया कि अगर 50 हार्स पावर का, अगर 100 फुट गहरा पानी है तो 10 हार्स पावर की मोटर लगानी पड़ेगी और 10 फुट पानी है तो तीन हार्स पावर में काम चल जायेगा। तो इनको न तो ये मालूम है किसानों की समस्या क्या है ? फ्लेट रेट, दो बीघा जमीन है फ्लेट रेट में कैसे पोसायेगा, जो ओप्शन था कि काश्तकार को कि फ्लेट रेट लेना चाहे तो इन्होंने मरवा दिया काश्तकारों को। अब एक आदमी के पास दो घंटे का पानी है नीचे पत्थर आप आठ घंटे भी बिजली देते हो तो वह एक घंटे से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। तो ये तो अण्डरस्टेण्डिग है इस सरकार की किसानों के बारे में। किसानों की समस्या क्या है, फ्लेट रेट से क्या ताल्लुक है इस सारे मामले का ये साफ जाहिर करता है, किसानों की समस्या समझने में यह सरकार×××जाहिर होता है। आप बताइये रामनारायण जी है कि नहीं ये बात ? एक घंटे से ज्यादा पानी नहीं कुए में और सब जगह राजस्थान में कुए में पानी चला गया। (व्यवधान)

इससे साफ नजर आता है कि किसान की समस्या क्या है इस सरकार के बस को बात नहीं है क्योंकि यह बनिये की समस्या

××× शब्द माननीय माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. हरिसिंह)

इनके समझ में आ रही है, व्यापारी की समस्या इनके समझ में आ रही है, लेकिन धरती पर क्या समस्या है, धरती के बेटे की क्या समस्या है यह भैरोंसिंह जी से आशा नहीं की जा सकती कि वह नहीं समझे लेकिन उन्होंने तो एक दिन अपना दामन साफ कर लिया था कि मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री यह जवाब देवे कि मेरे को मालूम नहीं क्या मामला है....(व्यवधान)

ये तो मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, मुख्य मंत्री रिबर्ट कर दें आप काहे को परेशान हो रहे हो। मुख्यमंत्रीजी से मेरी बात हुई तो मुख्यमंत्रीजी इन्कार कर दे इस बात को। मैं यहां तक दावा करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी आज बिजली का काल अटेन्शन था मैंने डिमाण्ड्स दी थी आपको वह आपके पास होनी चाहिए थी अभी। मेरे ध्यान से तो नहीं है। क्योंकि आप चिन्तित नहीं थे, मैंने जो किसानों के लिए कहा उसको आपने सीरियसली लिया....(व्यवधान)

मैं सीरियसली कह रहा हूं आप + + + कोशिश मत करिये। किसानों की समस्या को इतना गम्भीरता से और हंस कर मत टालिये। ये काश्तकार था राजस्थान का जिसको गुमराह करके आप लोग यहां बैठे हो। अब उसको महसूस हुआ है कि आप लोगों ने कितना गुमराह किया उसको। आप कितने बेरवाह हैं। आपको पता लग जायेगा।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिये माननीय सदस्य।

डा. हरिसिंह : पहले जो बात थी कि लघु काश्तकार को, अनुसूचित जाति को फौजी को, विकलांग को और ग्रीन कार्ड वाले को प्रायोरिटी दी जाती थी। आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उसका तो कहीं नम्बर ही नहीं आ रहा है। जो पैसा देता है उसको बिजली मिल जाती है। तो आपने इस खेती को I briny to your notice that agriculture is subsidised.

सारे विश्व में सब्सिडाइज के अलावा कोई काश्तकार खेती कर नहीं सकता। ये नोन फैक्ट है और आप एग्रीकल्चर के रिटर्न की बात करते हैं। आप यह दया का भाव दिखाते हैं कि काश्तकार को पैंतीस पैसे दी जाती है। मैं यह मांग करता हूं इस सदन में कि काश्तकार को, लघु काश्तकार को, अनुसूचित जाति वाले को फ्री बिजली देनी चाहिए। (व्यवधान)

यह मेरी मांग है इस सदन में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : चालीस साल तक आप भी राज में रहे हैं डॉक्टर साहब तब आपको कभी याद नहीं आई कि किसान को, लघु काश्तकार को और हरिजन को

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़)

मुफ्त में बिजली दी जानी चाहिए। आज लम्बी-लम्बी बातें करने लग गए....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, गलत बयान कर रहे हैं कि चालीस साल राज में रहे हैं, ढाई साल तो हमारे साथ थे।

डा. हरिसिंह : माननीय सभापतिजी इनका +++इस बिजली वाले मामले में इससे साफ नजर आता है कि ये प्रो. काश्तकार हैं क्या समस्या की गम्भीरता से ऊपर आप....(व्यवधान)

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि शायद उधर की बजाय किसान इस तरफ ज्यादा बैठे हैं और आपसे ज्यादा जानकारी रखने वाले हैं। (व्यवधान)

आपको कोई पता नहीं कि किसान क्या होता है। आप प्रेक्टिकली कुछ नहीं जानते आप सिर्फ इन्जेक्शन लगाना जानते हैं, किसानों को नहीं जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप किसानों के सबसे बड़े +++

श्री रामेश्वर दयाल यादव : पॉइन्ट आफ आर्डर। माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस वक्त जो सदन में चर्चा हो रही है वह विद्युत के मामले में हो रही है जो राजस्थान के हर किसान और हर उपभोक्ता से सम्बन्धित है और जब जिस ढंग से चर्चा हो रही है और जिस ढंग से आप सदन को चला रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीच-बीच में जो व्यवधान जैसे मुख्य सचेतक महोदय, उनको पता ही नहीं रहता कि मैं मुख्य सचेतक हूं। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि इस मामले को जो आप नॉन सीरियस बरत रहे हैं यह माननीय सभापति महोदय, यह किसानों के साथ अन्याय है, राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं मुख्यमंत्रीजी से विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा इसको गम्भीरता से सरकार ले और अपने दल के सदस्यों को समझाये कि वह हमारी भी बात सुनें और जो आप कहें उसको हम सुनेंगे। इसको नॉन-सीरियस नहीं बनायें।

श्री सभापति : प्रश्न पूछिये माननीय सदस्य।

डा. हरिसिंह : माननीय सभापति महोदय, तीन चार बातें कहना चाहूंगा एक तो यह है कि बिजली मय कुओं के, कनेक्शन ले रखा है एक काश्तकार ने और वह बेच देता है। मय कनेक्शन के जरूर बेच सकता है। उसके नाम ट्रान्सफर नहीं होगा और इससे लिटिगेशन होते हैं। कैसे लिटिगेशन होते हैं कि आज तो मैंने मय कुआ बिजली के जमीन बेच दी और मैंने कल दूसरा कुआ खुदवा लिया तो उसको मैं ट्रांसफर करना चाहूंगा। रजिस्ट्री में यह हो जाय कि मय कनेक्शन बेच दी तो कनेक्शन ट्रांसफर नये काश्तकार

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अप्रलोपित की गई।

(डा. हरिसिंह)

के नाम हो जाना चाहिए । दूसरी समस्या शिफ्टिंग आॅफ कनेक्शन की है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सिस्टम कब से है?

डा. हरिसिंह : यह सिस्टम तो जब से बोर्ड बना तब से ही है। लेकिन मुख्यमंत्रीजी आप इस तरह से जो पहले गलती हुई उसको मजे में मत लेओ। उसको टालो मत इसको सीरियसली लेओ कि पहले गलती हुई है मैं ठीक करूंगा। ये कहो। आप इसको मजाक में मत लेओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मैं एक आश्वासन देता हूं कि आपने जो गलतियां की हैं सबको दुरुस्त करूंगा।

डा. हरिसिंह : आपने जो गलतियां की हैं उनको भी दुरुस्त करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा काम तो दुरुस्त करने का ही है।

एक माननीय सदस्य : हमारा ध्यान आकर्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है। आप उस नई नीति को वहीं ला दीजिए।

डा. हरिसिंह : आप दुरुस्त करने की बजाय गलती कर रहे हैं। गलती पैदा कर रहे हैं।

डा. हरिसिंह : दूसरी बात मैं आपको शिफ्टिंग वाले मामले में बताना चाहूंगा। दो भाई हैं, एक कुआं है। आधी जमीन एक की है व आधी जमीन दूसरे की है। दोनों ने 2 मोटर लगा रखी हैं। अब उस नई जमीन में एक भाई ने कुआं खुदवा लिया। वह अपना कनेक्शन शिफ्ट करना चाहता है। आपके यहां 3 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बन गये। खारा पानी हो गया, पानी बिलकुल सूख गया वह काश्तकार कुछ नहीं कर सकता। वह काम तो एक ही है। मैंने माननीय रामनारायण जी आपको कहा था लेकिन अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ।

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री) : हो गया डॉ. साहब, उसके लिए इन्स्ट्रक्शन भेज दिए गए हैं। आपने कहा कि जो इस तरह की अड़चन जी पैदा हो गई.... (व्यवधान)

डा. साहब इन छोटी बातों के अन्दर कोई सार निकलने वाला नहीं है।

डा. हरिसिंह : हो गयो, कर लेस्यां, हो ज्यासी। थे भी भैरोंसिंहजी वाली भाषा सीख गया।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैंने आपसे यही निवेदन किया था कि बिल्कुल छोटी समस्या है और पिछले सालों से चली आ रही है और आप जो कहेंगे उसका उसी वक्त समाधान कर दिया जायेगा और हमने कर भी दिया है।

डा. हरिसिंह : मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं। मेरी जमीन है यहां और उसमें खारा पानी है। मैं आधा बीघा या पौन बीघा जमीन एक किलोमीटर दूर खरीद लेता हूं और उस जमीन में से इस जमीन में पानी लाऊंगा। इसलिए कुआं जिस जमीन की सिंचाई हो उसी में होना जरूरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि

(डा. हरिसिंह)

काश्तकार को तो फायदा ही नहीं मिला। खारे पानी की जमीन है फिर उसको कैसे लाभ पहुंचेगा ? कई जगह ऐसी हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि उनका खेत खारे पानी में है और घर उनका मीठे पानी में है। घर पर उसने कुआं खुदवा लिया लेकिन आबादी की जमीन है इसलिए उसको एग्रीकल्चर का विद्युत कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। यह काश्तकारों की कितनी बड़ी समस्या है। इस तरह से काश्तकारों की जो समस्यायें हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, बैठिए उन पर विचार कीजिए। मैंने आपसे भी कहा था, माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहा था दोनों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसमें तो पैसा लूट-लूट कर गरीबों का नं. छूट गया, लघु काश्तकारों का नं. छूट गया जो धन्ना लोग हैं, जो जौहरी हैं वे आजकल जमीन खरीद रहे हैं उनको इसका फायदा मिल रहा है।

श्री सभापति : डाक्टर साहब, समाप्त करें।

डा. हरिसिंह : यह किताब का कलर हरे रंग में छपा है। यह काश्तकार की इंसल्ट है, काश्तकार की बेइज्जती है। यह काले रंग में छपना चाहिए था और यह काला रंग रंग लाता और आपने उसे हरे रंग में छाप दिया। पर आपको यह काश्तकार कालूस से पोत देगा। ज्यादा दिन दूर नहीं। मुख्यमंत्री जी वक्त रहते हुए....

श्री सभापति : डाक्टर साहब, बिराजिए।

डा. हरिसिंह : मुख्यमंत्री जी आप खुद काश्तकार हैं और जो बी. जे. पी. वाले प्रोट्रूडर्स हैं इनके चक्कर से निकलिए और काश्तकारों के साथ आइये।

श्री सभापति : हो गया, अब बिराजिए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं और इसी विद्युत नीति के बारे में पूछ रही हूं।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्या, व्यवधान के लिए क्षमा। माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 और 36 पेयजल योजना और सहकारिता के संबंध में विचार, माननीय मंत्रियों के उत्तर और निर्णय होने तक एवं कार्यसूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ? (स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं। क्या यह बात सही है कि यह विद्युत कनेक्शन नीति पुस्तक छप गई और पुस्तक छपने के आदेश कभी हुए नहीं ? और बिना आदेशों के ही पुस्तक छापी गई ? क्या यह बात सही है ? जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री परसादी लाल मीणा ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : और पूछूंगी इसके बाद, इसका जवाब वे देंगे । क्या यह बात सही है कि नई विद्युत नीति के तहत सर्वेलेंस और विजिलेंस के नाम के ऊपर यह तय किया गया है कि जो कोई विद्युत चोरी के केसेज पकड़ेंगे वह चाहे मंडल का इंसपेक्टर हो, चाहे थानेदार हो, इंसपेक्टर हो या और कोई भी हो उनको जो कुछ वह जुर्माने के रूप में मिला करेगा उसका 5 पर्सेन्ट या 10 पर्सेन्ट अमाउन्ट दी जायेगी ईनाम स्वरूप? मैं यह इसलिए पूछना चाहती हूं कि जब वे आलरेडी इसी काम के लिए हैं तो उनको पकड़ने के नाम पर 5 पर्सेन्ट या 10 पर्सेन्ट अतिरिक्त अमाउन्ट देने का क्या औचित्य है ? इस आधार पर आपको इससे क्या फायदा हुआ ? इसके साथ-साथ एक प्रश्न का जवाब आप यह भी दीजिये कि क्या यह बात सही है कि डाइरेक्टर सर्वेलेंस और विजिलेंस की एक पोस्ट होने के बावजूद भी एक नये रिटायर्ड आई. पी. एस. अफसर को एक एडिशनल पोस्ट क्रियेट करके और इस नई विद्युत नीति के तहत उन्हें यहां पर अपाइन्ट किया गया है और जिन पर एक महीने का कम से कम 30 हजार रुपया खर्च होता है । अपनी उस पोस्ट पर आने के बाद उन्होंने कितने केसेज पकड़े और कितनी रेवेन्यू आपको हुई ? यह तो इस विद्युत नीति में शामिल है न ? इनके जवाब दे दीजिए ।

श्री सभापति : माननीय श्री रामेश्वर दयाल यादव । (व्यवधान)

कृपया बिराजिए । माननीय सदस्य कृपया बिराजिए । (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय सभापति महोदय, इनसे कहो कि इनके जितने भी प्रश्न हैं वे एक बार ही पूछ लें । हर 2 मिनट में 2 नये प्रश्न पूछते हैं ।

एक माननीय सदस्य : मेरे तो क्षेत्र का मामला है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सुमित्रा जी से कह दीजिए कि एक बार में ही जितने प्रश्न हैं वे पूछ लें । वह यह करती हैं इस प्रश्न का जवाब दीजिए फिर बैठ जाती हैं, फिर पूछती हैं फिर बैठ जाती हैं इससे क्या क्या हाउस चलेगा ? आप एक बार ही सारे प्रश्न पूछ लें ।

श्री सभापति : आप बैठ जाइये । इकट्ठे ही पूछ रहे हैं ये । (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : मुझे किसी ने नोमिनेट नहीं किया है । जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हूं जो नहीं बोलूंगी यहां पर । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय अनंग कुमार जी आप बिराजिए । आप बैठ जाइये । बाद में पूछना । (व्यवधान)

डा. हरिसिंह + + + वह बात साबित हो रही है ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, विद्युत के संबंध में आज जो चर्चा हो रही है....(व्यवधान)

उस संबंध में मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने अपने बयान में सबसे उच्च स्वर में यह बात कही है कि इस वर्ष हमने 30 हजार कनेक्शन रिलीज किए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इस साल आपने 30 हजार कनेक्शन रिलीज किए हैं। लेकिन मैं इसके साथ ही यह कहना चाहूंगा कि 31 मार्च, 90 को 22 हजार किसानों के पैसे जमा थे और 719 किसानों के 31 मार्च के बाद अप्रैल या मई के महीने में जमा थे। तो हम यह मानकर चलें कि आपने 30 हजार में से 22 हजार जो पुराने जमा थे वह थे और 8 हजार कनेक्शन आपने इस चालू वित्तीय वर्ष में दिए हैं। सभापति महोदय, मैं इसको इसलिये स्पष्ट करना चाहूंगा कि विद्युत मंत्रीजी को यदि जानकारी नहीं है तो आप इस बात को देखें खास तौर से कि पिछले वित्तीय वर्ष यानि पूर्व सरकार ने चुनाव की हड़बड़ी में जो टारगेट था वह बढ़ाते रहे और करीब 47 हजार किसानों के पैसे जमा कर लिए और मात्र 25 हजार किसानों को कनेक्शन दे पाये। 22 हजार किसान बिना कनेक्शन के गत वित्तीय वर्ष में रह गए। 719 किसानों ने 31 मार्च के बाद में पैसा जमा कराया। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि क्या जितने पेण्डिग पैसे जमा थे आपने उन सबको कनेक्शन दिये हैं? मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि वे किसान आज रो रहे हैं। उन्होंने 12 महीने-डेढ़ साल, दो साल पहले....

डा. हरिसिंह : किसान क्या रो रहे हैं, रोयेंगे तो ये।

(5.00 म. प.)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सुनिए डाक्टर साहब। आप इसको नॉनसीरियस मत बनाइये। (व्यवधान)

नहीं कौनसा पहाड़ ढ़ह रहा है। नहीं यह गलत है, मैं इससे एग्री नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं। जिन्होंने डेढ़-दो साल पहले अपने जेवर बेचे हैं, जिन्होंने अपना पशुधन बेचा है, बिजली की मोटर फिट कराई है, पैसा जमा कराया है, कर्जा लिया है और आज डेढ़ दो साल बाद भी उसको कनेक्शन नहीं मिले। विद्युत मन्त्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर जिले की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में ए. ई. एन. के यहां आज भी 350 किसानों के पेण्डिग हैं जिन्होंने गत वर्ष पैसा जमा कराया था। 719 किसानों ने जो पैसा जमा कराया है उसके बारे में आपके बोर्ड ने यह कहा कि यह 31 मार्च के बाद में जमा हुए हैं। बिना टार्गेट के जमा हुए हैं, इसलिए उनको हम उस सिक्योरिटी के आधार पर कनेक्शन नहीं देंगे। माननीय सभापति महोदय, पिछले सत्र के अन्दर विद्युत मन्त्रीजी ने अपने प्रश्न के जवाब में स्पष्ट कहा था कि जिन किसानों के पैसे जमा हैं उनको उसी पैसे के आधार पर हम कनेक्शन देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया, इसलिए विद्युत मन्त्रीजी, इस बात को भी आप दुरुस्त करवाइये। आपने यह कहा कि हम कनेक्शन दे रहे हैं और देंगे। मैं आपका यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कनेक्शन खूब दिये, इसके लिए निश्चित तौर से आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन राजस्थान की जितनी भी एस. डी. लाइन हैं, जितनी भी 11 के. वी. लाइन हैं, आज सारी ओवर लोडेड हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

11 गांव ऐसे हैं जिनमें पिछले दो साल से कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। आप कहते हैं कि हम एस. सी., एस. टी. वालों के 1985 तक के सब कनेक्शन कर देंगे, आप हिमायती की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामगढ़ पचवारा, जो दौसा या लालसोट के पास है, उसके देलाल, अमरादाबाद, बिशौली, दलालपुर, कुशलपुरा, रामगढ़ पचवारा, निहेड़ी, जसवन्तपुरा, अरनिया, जगनेर और थलवर, इन 11 गांवों के अन्दर इस चालू वित्तीय वर्ष में एक भी कनेक्शन नहीं हुआ। वह क्यों नहीं हुए, वहां लाइन ओवर लोडेड है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी इनको बताना चाहूंगा कि इस तुरन्त योजना को लागू करते वक्त बोर्ड ने यह कहा कि हम 60 दिन में कनेक्शन रिलीज करेंगे। मैं दावे के साथ यह कहता हूं कि 60 दिन नहीं, 160 दिन में इन्होंने कनेक्शन रिलीज नहीं किये। आज भी किसान रो रहे हैं और यह लालच दिया कि उसमें 11 के. वी. और एस. डी. लाइन को ओवरलोड या उसकी वी. आर. नहीं निकाली जायेगी। किसानों ने कैसे भी करके 15–15, 20–20 हजार रुपये जमा कराये। मैं पूछना चाहूंगा विद्युत मंत्रीजी, आप जो बात कह रहे हैं, जब आपने आई. पी. एस. योजना लागू की, सरकार ने या बोर्ड ने, लोगों के पैसे जमा कर लिये, दो महीने, डेढ़ महीने पहले तक आप इस तरह कनेक्शन दे रहे थे और इस जनवरी या फरवरी के महीने में बोर्ड ने एक आदेश जारी कर दिया कि एस. डी. और 11 के. वी. की लाइन पर अगर ओवरलोड है तो उसके वोल्टेज, रेगुलेशन, बी. आर. निकाल कर अगर कनेक्शन फिजीबल है तो हम कनेक्शन देंगे। उसका नतीजा यह हुआ कि आज प्रायर्टी का कनेक्शन नहीं हो रहा। आई. पी. एस. के अन्दर जिन्होंने 20–20, 30–30 हजार रुपये कर्जा लेकर, पशुधन बेच कर, जेवर बेच कर आपके बोर्ड में पैसे जमा कराये हैं उनके कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहूंगा कि क्या इस वी. आर. सिस्टम को लोंग रन पर नहीं, अगर वाकई किसानों के हिमायती हैं तो क्या शार्ट पीरियड के लिए इसको आप सस्पेण्ड करके जैसे पहले कनेक्शन हो रहे थे, क्या उसी तरीके से निकालेंगे आप? साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि कुछ तथ्य ऐसे दूंगा जो मेरा ख्याल है कि सारगर्भित हैं। राजस्थान में जितने भी एन. डी. एस. के कनेक्शन हुए, उन कनेक्शन्स के अन्दर पिछली सरकार ने, कनेक्शन देने की प्रक्रिया में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसके भय से कनेक्शन नहीं मिल रहे थे, उस आधार पर किसान ने, नर्सरी के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, एन. डी. एस. का कनेक्शन लिया उसने, उसमें भ्रष्टाचार में फोरेस्टर को पैसा दिया, रेंजर को पैसा दिया, उसने फर्जी प्रमाण-पत्र लिया और पिछली सरकार के समय में जितने एन. डी. एस. के कनेक्शन हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि वह सब फर्जी कनेक्शन्स हैं। उस एन. डी. एस. के कनेक्शन से कोई नर्सरी नहीं चल रही है, उससे गेहूं पैदा होता है, उससे जौ पैदा होता है, उससे बाजरा पैदा होता है और उनसे पैसा चार्ज किया

(श्री रामेश्वर लाल यादव)

जाता है 105 नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। आपके जो एन. डी. एस. के कनेक्शन देने के नियम हैं उनमें अंकित है, बांड भराया जाता है कि दो साल पहले आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं किया जायेगा, आप कटा नहीं सकेंगे, उपभोक्ता को आपने इस बात के लिए पाबन्द किया है, आपने एक सिक्योरिटी बांड लिया है....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, दो साल पूरे होने के बाद में गये साल में जिन किसानों ने अपने कनेक्शन कटवाये और दो साल पहले अगर उन्होंने कटवाये उसका पूरे दो साल का पैसा बोर्ड के अन्दर जमा कराया, आज विभाग उनके बिल एन. डी. एस. के 105 नये पैसे के हिसाब से जारी कर रहा है। विद्युत मंत्रीजी, इस बात को आप दुरुस्त कराइये। इन सारी अनियमितताओं के घेरे के अन्दर अगर आपने इसको दुरुस्त नहीं किया, आपने मिनिमम चार्जेज की बात बताई, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं, मैं कहूंगा इस बात को। मैं यह भी कहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे एक शिकायत मिली है, नागौर जिले के अन्दर, कि आपके वहां इस वर्ष सात घण्टे बिजली देने के आदेश किसी इंजीनियर ने जारी कर रखे हैं। आपने सदन में वक्तव्य दिया आठ घण्टे का, मेरी जानकारी के अनुसार आपने प्रांत के अन्दर आठ घण्टे बिजली दी है लेकिन नागौर जिले में सात घण्टे का आदेश जारी कर रखा है। आप इस पर जानकारी लीजिये और मैं तो यह कहूंगा कि अगर इस तरह के कोई आदेश दे रखे हैं किसी इन्जीनियर ने....

श्री सभापति : समाप्त करिये अब, माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको यह कहना चाहूंगा कि इन अनियमितताओं को आप दूर कीजिए, किसान परेशान है, किसान इस तरह से भयभीत है कि वह कुछ भी करने को तैयार हो सकता है और आने वाले समय में आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। मैं समझता हूं कि आप इस पर कोई निश्चित तौर से आज सदन को अवगत करायेंगे। जय भारत।

श्री सभापति : अब केवल प्रश्न पूछ सकते हैं, माननीय सदस्य इतना बोलेंगे तो समय काफी हो गया है।....

श्री परसादी लाल मीणा : समय लगेगा भेदभाव थोड़ होगा उसमें।

श्री सभापति : आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : सदस्यों के साथ आपस में भेदभाव थोड़े ही होगा। किसानों की समस्या है, आप भी सभापति महोदय, किसान हैं, किसान की समस्या पर खुलकर कहना चाहिए, सरकार सुने या नहीं सुने....

श्री सभापति : खुलकर कहने की कोई सीमा नहीं होगी। काफी कुछ बात आ गई है, जो तथ्य हैं वह सामने आ गये हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री परसादी लाल मीणा : अच्छा, मैं प्रश्न पूछ लेता हूं। राजस्थान विद्युत मंडल द्वारा जो नई नीति सरकार ने लागू की, जैसा माननीय मंत्रीजी ने बताई, उससे किस तरह से लोग प्रभावित हुए, किसान उससे किस तरह से प्रभावित हुआ और उसके समाधान के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो तुरन्त योजना लागू की है, मैं उसका कोई विरोधी नहीं हूं। जिसके पास पैसा होगा वह कनेक्शन लेगा, मैं इस बात का कतई विरोधी नहीं हूं कि तुरन्त योजना एक गलत योजना है। परन्तु सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि तुरन्त योजना क्या आई, एक तरह से नई दुल्हन इस बिजली बोर्ड को मिल गई और बिजली बोर्ड ने सारी योजनाएं बन्द करके, प्रभाव बता रहा हूं साहब....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल मीणा : प्रभाव बता रहा हूं मैं आपको।

श्री सभापति : प्रभाव नहीं बतायें, प्रश्न पूछिये, कोई बात पूछना हो तो। काफी कुछ सामने आ गया है।

श्री परसादी लाल मीणा : सभापति महोदय, इसमें लिखा है प्रभावित कैसे हुए इससे, मैं इस बात को बता रहा हूं कि इससे प्रभावित होकर किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। सुनिये तो सही, आप।

(5–10 सायं)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

इस तुरन्त योजना की तरफ बिजली बोर्ड की सारी मशीनरी लगा दी कि तुरन्त योजना के एस्टीमेट बनायें, इनके कनेक्शन करें, इनके सब कुछ करें। तो पहले तो माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपने 1990-91 में जो कनेक्शन दिये हैं जैसे अभी 27–28 हजार बता रहे हैं उसमें से यह बताएं कि जब 22 हजार कनेक्शन आपके पेण्डिंग थे तो आपने तुरन्त योजना में तो इस साल कितने कनेक्शन किये और सामान्य जो योजना थी, सामान्य प्रायर्टी के जो कनेक्शन हुए, उसके कितने कनेक्शन आपने किये ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपने तुरन्त योजना में जितनी आई उतनी एप्लीकेशन्स ले लीं जैसा कि कि सभापति महोदय, मैं अपने इलाके की बात बताऊं वहां पर चारसौ, पांच सौ के करीब एप्लीकेशनें तुरन्त योजना में आई हैं उसका क्या हुआ सभापति महोदय, कि जिन लोगों को कनेक्शन मिलने चाहिये था, सामान्य प्राथमिकता में उनको कनेक्शन नहीं मिलना मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में पहले मन्जूर किया है और उसको कनेक्शन तब तक वहां नहीं मिलेगा दो साल तक किसानों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। आप एक भी कनेक्शन दो साल तक नहीं दे सकते। आपने पैसा जमा करवा लिया और आपने वहां पर लोगों के 'एल फार्म' लगवा लिये, फिटिंग करवा ली और आज आप यह कहते हैं कि आपने पहले जवाब दिया उसमें मन्त्री महोदय कि वहां 132 के. वी. का सब-स्टेशन बनेगा उसके बाद कनेक्शन मिलेगा। जैसा रामगढ़ पचवारा फीडर है उसका बी. आर. 21 पाइण्ट और कुछ सरप्लस चल रहा है। आगे चल रहा है तो यह बताइये कि 6 परसेण्ट

(176)

(श्री परसादीलाल मीणा)

का जो कायदा है उससे आप 21 पर ले गए और उस इलाके की मान लो कि 200 एप्लीकेशन तुरन्त योजना की लग गई तो आप तुरन्त योजना के पैसे तो जमा कर लेंगे पर आप कनेक्शन कब देंगे । या तो आप 33 के. वी. की लाइन खींचेंगे तब या 132 का जो सब स्टेशन आप बनायेंगे, जो कि बनना आपका विचाराधीन है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस प्रकार आपने एप्लीकेशन ले ली, पैसे जमा कर लिये लोगों के आप उनको कनेक्शन कैसे देंगे ? इस बात का आपको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ।

दूसरा मेरा सवाल है कि इससे क्या प्रभावित हुए । यह आपने नये गांवों में हर कान्स्टीटुएन्सी में दस, दस और बीस, बीस गांवों में लाइनें खिंची पड़ी हैं, आप तुरन्त योजना में लग गए अपनी दुकान को चालू करने में लग गए, आपने उस गांव की लाइनों को एक साल से छुआ तक नहीं ट्रांसफार्मर रख दिये, लाइनें खींच दीं और आपने एक कनेक्शन भी देने की वहां आज तक कोशिश नहीं की । बिजली बोर्ड का करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन गांवों को आप तुरन्त कनेक्शन दें जिन गांवों की लाइनें खींच दीं, ट्रांसफार्मर रख दिये । उनको आप सबसे पहले कनेक्शन दें और तुरन्त कनेक्शन की योजना को आप तब तक बंद करायें मंत्री महोदय । मैं और ज्यादा प्रभावित होता आपकी इस तुरन्त योजना से । क्या हुआ कि आप 1982 और 1985 के सामान्य और एस. सी., एस. टी. के लोगों को कनेक्शन देंगे । आपने यह कहा है कि मार्च, 1991 तक हम इस श्रेणी के सभी किसानों को कनेक्शन दे देंगे । कहा है आपकी सरकार ने यह बात कही है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले बजट भाषण में भी इस बात को कहा है और कई सभाओं में भी और हमारे बिजली बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने टी. वी. पर भी इस बात को कहा है । जब लालसोट के किसानों ने यह बात सुनी कि आज बिजली बोर्ड का चेयरमैन इस बात को कह रहा है कि 1982 और 1985 के सामान्य और एस. सी., एस. टी. के लोगों को कनेक्शन देंगे तो आप मेहरबानी करके आज जिन किसानों के एस्टीमेट नहीं बनाये हैं 1982 और 1985 के जिनके डिमाण्ड नोटिस नहीं निकाले आप उनका डिमाण्ड नोटिस निकालने के लिए एक हजार, दो हजार रुपया किसानों से ले रहे हैं । आप क्यों नहीं उनको कह देते कि फलां तारीख तक इनके डिमाण्ड नोटिस निकाल देंगे । आज वहां भ्रष्टाचार हो रहा है डिमाण्ड नोटिस निकालने का । कनेक्शन की बात तो दूसरी है डिमाण्ड नोटिस निकालने के लिये मार्च, 1991 तक के लिये वहां पैसे लिये जा रहे हैं । हर एक आदमी जो पैसे देगा उसका डिमाण्ड नोटिस बना रहे हैं और जो पैसे नहीं देगा उसका डिमाण्ड नोटिस नहीं बनाया जा रहा है । तुरन्त योजना में जो पैसा देता है जिसके 25 हजार लगेंगे, बिल्कुल सही कह रहा हूं जिसके 25 हजार तुरन्त योजना में लगेंगे वह एक हजार रुपया ए. ई. एन. और आपके जे. ई. एन. को साथ में और देता है कि मेरा एस्टीमेट बनाइये और तुरन्त मेरा कनेक्शन कराओ, चाहे कैसे भी कराओ । पैसे की कीमत नहीं है । आज वह गरीब जिसका पैसा जमा है

(श्री परसादीलाल मीणा)

जिसको आप 1982 और 1985 का कनेक्शन देंगे उनका क्या होगा मंत्री महोदय ? आप एक स्पष्ट नीति इसमें निर्धारित कीजिए । आपका यह तयशुदा प्रोग्राम है कि सामान्य श्रेणी के लिये, सारे राजस्थान के लिये कह रहा हूं उसमें लालसोट या और कोई इलाका जयपुर का, सांगानेर का अलग नहीं है आप सारी नीति की जो आपकी घोषणायें हैं उसको समान रूप से लागू कीजिये ।

अब आपने तुरन्त योजना के लिये एक बात और कही है आपके जवाब में कि हमारे पास सीमित स्टाफ है । आपने तुरन्त योजना की दुकान तो खोल दी । अब उस योजना को पूरा नहीं कर सकता आपका स्टाफ । जो आपकी सामान्य प्रक्रिया है तो तुरन्त योजना के लिये मंत्री महोदय मेरी आपको सलाह है कि आपको हर जिले में अलग डिविजन खोलना पड़ेगा । आप तुरन्त योजना के जहां तक निपटाये । वहां अलग डिवीजन खोलिये जहां ज्यादा एस. सी., एस. टी. की एप्लीकेशन्स हैं क्योंकि आपका जो रेगुलर स्टाफ है वह उन्हीं कनेक्शन को कर सकेगा जो कि सामान्य एप्लीकेशन के हैं जो रेगुलर प्रतिवर्ष के कनेक्शन हैं उन्हीं को कर सकता है । बाकी को नहीं कर सकता है ।

एक प्रश्न और पूछूंगा कि क्या आपने गत वर्ष यह कहा, मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि हम एक हजार नये गांवों का विद्युतिकरण करेंगे । 1000 या 1100 बताये थे । आप मंत्री महोदय यह बताइये कि उसमें से आपने कितने गांवों का विद्युतिकरण इस वर्ष किया है ? क्योंकि सारे कार्यक्रम बन्द कर दिये आपके बिजली बोर्ड ने और बिजली बोर्ड ने एक वन पाइन्ट प्रोग्राम चलाया है कि पैसा पैदा करो । तुरन्त योजना को प्राथमिकता दो । तुरन्त योजना में जो पैसे वाले किसान हैं, आज गरीब किसानों की मौत हो रही है बिजली बोर्ड के आगे....

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त में ।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की आपकी जो योजनायें हैं आप उनको लागू कीजिए । मैं उसका स्वागत करूंगा कि पैसे वाले कनेक्शन लेंगे वह सामान्य श्रेणी से निकालकर तुरन्त में लेंगे । उसमें सामान्य श्रेणी का जो गरीब किसान है उसको कनेक्शन जल्दी मिलेगा क्योंकि 100 में से 30 तो निकल ही जायेंगे । एक अच्छा प्रोग्राम है । मैं उसकी बुराई नहीं करता । मैं कहता हूं कि बुराई वहां हो रही है कि गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है । पैसे वालों के लिये सारा स्टाफ आपका लगा हुआ है । तो आप अलग से इसका एक डिविजन बनाइये इसमें बिजली के जहां ज्यादा एप्लीकेशन हैं उसके मुताबिक आप एक डिविजन कायम कीजिये, अलग टीम बनाइये, अलग से लेबर दीजिये, अलग से सामान दीजिये और आपने 27 हजार में से 12 हजार तो तुरन्त योजना में कनेक्शन दिये हैं । आप गिना रहे हैं कि हमने 28 हजार कर दिये । हम 12 हजार या 10 हजार जो आपने तुरन्त योजना में किये हैं उसको हम गिनने वाले नहीं हैं । एक मंत्री महोदय आप आगे क्या करेंगे ? मुझे आज इस बात का अन्देशा है आप क्या करेंगे कि

(श्री परसादीलाल मीणा)

एक गांव में 5 कनेक्शन देंगे और उस गांव का विद्युतिकरण बता देगें । बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और आपको दोनों को बधाई देना चाहता हूं और आपके बिजली बोर्ड के चैयरमैन को भी । पर इसमें क्या होगा कि मुख्यमंत्री जी एक हजार गांव तो गये साल के और 700 गांव इस साल रखे, आप क्या करेंगे अन्देशा हो रहा है लोगों को आज । शंका है इस बात पर कि जो 5 एप्लीकेशन के गांव होंगे 700-800 या 1000 शायद उनको ही गिना देंगे । आपका चेयरमैन गिना देगा । और आपका प्रोग्राम पूरा हो गया । मुख्य मंत्री जी यह अलग से प्रोग्राम है । 5 एप्लीकेशन लें, 10 एप्लीकेशन लें यह अच्छी बात है । गांव का विद्युतिकरण हो जायेगा, इसको मैं बुरा नहीं मानता पर आप उसको इसमें मत गिनाइये । जैसा अभी आपने 27 हजार के 12 हजार गिना दिये । आप इसका अलग से प्रोग्राम बनाइये । लोगों के पास पैसा है तो कनेक्शन लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है । मैं इसका स्वागत करता हूं पर आप इसमें ऐसा मिलायेंगे तो गरीब किसानों की इससे सीधी मौत है और आप इस सीधी मौत से बचाने के लिये बिजली बोर्ड के चेयरमैन को कहिये कि आप तुरन्त योजना को अलग प्रोग्राम के रूप में चलाइये और सरकार की जो रेगुलर योजना है उस को एक अलग प्रोग्राम के रूप में चलाइये । तो तुरन्त योजना यह अलग एक प्रोग्राम था जो प्रभावित नहीं हो रहा है । इन सारी योजनाओं का अब तक का जो नतीजा है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके जो सामान्य एप्लीकेशन के लोग हैं, जो गरीब काश्तकार हैं वह परेशान हुए हैं और उनको बचाने के लिये आपको कोई तत्काल ऐसी घोषणा करनी पड़ेगी जिससे लोगों के मन की शंका निकल जाये कि आज बिजली बोर्ड से केवल पैसे वालों को कनेक्शन मिलते हैं, गरीबों को नहीं मिलते हैं । इसके लिये आपको कोई ठोस कदम मुख्यमंत्री जी को उठाना पड़ेगा ।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये ।

श्री परसादी लाल मीणा : आपसे मुख्यमंत्री यह निवेदन है कि आज जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि डिमाण्ड नोटिस नहीं निकल रहे हैं....

श्री सभापति : रिपीट नहीं कीजिये । कह चुके आप माननीय सदस्य ।

श्री परसादीलाल मीणा : इन बातों को दूर करने के लिये आप ऐसा कोई ठोस कदम उठाइये बिजली बोर्ड में ।

एक बात और है मंत्री महोदय कि आपके बिजली बोर्ड ने यह किताब निकाली है । इसके बाद सैकड़ों सरकुलर रोज निकलते हैं यह कोई तरीका नहीं है । आप सरकुलर रोज मत निकालिये । लोगों को आप भ्रम में डालते हैं । आप अपने मतलब के लिये कोई भी सरकुलर ठोक देते हैं । आज यह निकाल दिया और कल वह सरकुलर निकाल दिया । आपने सैकड़ों सरकुलर निकाल दिये, आप उन सरकुलर्स की कापी या तो माननीय सदस्यों को भी भेजिये जिस प्रकार यह कापी भेजी है । नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से सरकुलर्स निकालने का आपने हमें यह दे दिया और हम किसानों को यह कापी जाकर बतायेंगे क्या कि इस

(श्री परसादीलाल मीणा)

योजना में कनेक्शन होंगे । आप रोज नये सरकुलर ठोकते हैं । यह ठीक नहीं है । आप या तो कोई इस तरह की कमेटियां बना दीजिये ...

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त में कहें । बात समझ में आ गयी ।

श्री परसादीलाल मीणा : यह बात किसानों की कर रहा हूं ।

श्री सभापति : किसानों की बात सब कहेंगे । प्रश्न किसानों का ही चल रहा है ।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं गलत नहीं कर रहा हूं....

श्री सभापति : बहुत लम्बा हो गया । डिमाण्ड भी बहुत इम्पारटेन्ट है । (व्यवधान)

(5.29 सायं)

(श्री हरिशंकर भामड़ा अध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि आज किसान इस नीति से प्रभावित हुए हैं । तो मंत्री महोदय जितने सरकुलर यह रोज निकलते हैं एक तो इनके ऊपर रोक लगाइये । आप कन्ट्रोल कीजिए । जितने सरकुलर निकलते हैं वह सभी माननीय सदस्यों को भिजवा दीजिये ताकि हमको यह तो पता चले कि इस नीति में कौन-सा परिवर्तन हो गया है । तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने जितने प्रश्न यहां किये आप उनका कोई संतोषप्रद जवाब हमें दीजिये जिससे किसानों में यह आस जगे कि आप पैसे वालों को कनेक्शन नहीं मिलते बल्कि जो सामान्य प्रक्रिया के लोग हैं जिनको तयशुदा साल में कनेक्शन देना है उसके कनेक्शन होंगे । (व्यवधान)

आप बीच में मत बोलिए । माननीय मंत्री जी को कहा है । बैठे-बैठे बोलने का कायदा नहीं है । (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं विद्युत मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है उसमें एक कड़ी यह है कि वह डिमाण्ड नोटिस निकालते हैं 15 दिन तक आफिस में डाले रखते हैं फिर मियाद निकलने के बाद काश्तकारों को पहुंचाते हैं उसके बाद पैसा जमा नहीं करते जब तक पैसा नहीं दिया जाय यह दुबारा फाइल नहीं लगाते तो इसमें वर्षों लग जाते हैं । यह परिपाटी इस प्रकार से चल रही है जो करप्शन की एक कड़ी है । दूसरा मेरा निवेदन करना यह है....

श्री अध्यक्ष : एक ही था ना, दूसरा कहां से आयेगा । प्लीज स्ट्रिक्ट टू योर वर्ड्स । हरिसिंह जी, आप बोलें । श्री हबीबुर्रहमान । हां आप बोलिए ना ।

श्री हरिसिंह : वह मंत्री जी अगर तैयार हों तो....

श्री अध्यक्ष : मैंने मंत्री जी को सारे ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की नकल, जितने एडजार्नमेंट मोशन आये हैं उनकी नकल भेजी हुई है । इसलिए आप पूछ लीजिये । आप फिर खड़े हो गये ?

श्री रामनारायण वर्मा : मुख्य मंत्री जी

(श्री रामनारायण वर्मा)

ने सदन में आश्वासन दिया था कि पुरानी नीति लागू कर देंगे, वह कब तक आर्डर जारी कर देंगे ?

डा. हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो अध्यक्ष महोदय इस संबंध में था कि मेरे यहां महुआ में ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति बनी हुई है और वहां पर आर. एस. ई. बी. का कोई काम नहीं है । वह तो बिजली देती है ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति को । आर. एस. ई. बी. ने एक 33 के. वी. का सब ग्रिड स्टेशन बनाया ग्राम खेडुला में जो हमारे सवाई माधोपुर के सांसद हैं उनके ग्राम में दिया । उसमें एक तो यह था कि मेरी निरन्तर रिक्वेस्ट के बाद भी मुख्यमंत्री जी से मैं मिला, एक गैर मुमकिन तालाब की जमीन पर जहां पानी भरता है, वहां उसको बना दिया । उसकी कोई तकनीकी खामी नहीं देखी कि वहां पानी भरेगा साल के छः महीने । उसके बावजूद भी उसको बना दिया खैर कोई बात नहीं । अफसोस तो इस बात का है कि राजस्थान विद्युत मण्डल ग्रामीण सहकारी समिति की विद्युत की चोरी कर रहा है । विद्युत मण्डल की चोरी और लोग करें वहां तक तो बात है लेकिन स्वयं विद्युत मण्डल ग्रामीण सहकारी समिति की चोरी कर रहा है । वहां एक ग्राम है बालावट्ट, वहां से बिना किसी प्रकार की सहकारी समिति से आथोरिटी लिये बिना, कोई मंजूरी स्वीकृति लिये बिना विद्युत मण्डल के हिंडौन के एक्स. ई. एन. ने 11 के. वी. की लाइन खेंच ली और वहां पर ट्रांसफार्मर लगा दिया और यही नहीं किया । अध्यक्ष महोदय, वहां पास में एक गांव है खोरामुला । विद्युत मण्डल के एक्स. ई. एन. ने जहां सोसाइटी का काम था किसी गांव को विद्युतिकृत करने का, आर. एस. ई. बी के. खम्भे, कण्डक्टर, इंसुलेटर वगैरा उन सबका दुरुपयोग करते हुये राजनैतिक दबाव में पूरे गांव को विद्युतिकृत कर दिया जो उनके क्षेत्र में नहीं है, राजस्थान के विद्युत मण्डल के क्षेत्र में नहीं है वहां एक खम्भा गाड़ा नहीं, सकते एक इंच तार खेंच नहीं सकते । पूरे के पूरे गांव को उन्होंने विद्युतिकृत कर दिया । मैं व्यक्तिगत तौर पर मण्डल के अध्यक्ष से मिला मैंने उनको शिकायत दर्ज की और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद यह सब बातें वहां तक पहुंच गई इसके बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करें ।

दूसरी अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात और है कि 33 के. वी. का स्टेशन बन रहा है वहां पर 50 हजार का सामान जिसका इण्डैंट हिण्डौन से कटा है, 33 के. वी. स्टेशन के नाम से, खेडला में 33 के. वी. स्टेशन के नाम से सामान गया है । छोटे-छोटे गर्डर वगैरा थे । 50 हजार रुपये का सामान वहां से चोरी चला गया और चौकीदार ने जाकर एक्स. ई. एन. हिण्डौन को यह बात कही कि 50 हजार रुपयों का सामान चोरी चला गया और उसके बाद एक्स. ई. एन. ने उसकी रिपोर्ट नहीं की और इसके पीछे कारण यह था कि वहां

(श्री हरिसिंह)

के भाजपा के सांसद ++++ ने उनको दबाया कि आप रिपोर्ट न करें क्योंकि यह चोरी का सामान मेरे भाई उठाकर ले गये, मेरे रिश्तेदार ले गये। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इसलिए दोनों बातों पर विद्युत मंत्रीजी गौर करिये और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करिये जो अपराधी लोग हैं, आपका एक्स. ई. एन. अपराधी है, आपके दूसरे लोग अपराधी हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, जो यहां उपस्थित नहीं हैं उस पर इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता, इसको एक्सपंज किया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जरा नाम न लें तो ठीक रहेगा। उनके पद से बता दीजिये। यह नाम हटा दिया जाय। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैंने यह नहीं कहा,....उनके कहने पर चोरी की रिपोर्ट नहीं की। मैंने यह कहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया है, आप विराजिये।

श्री हरिसिंह : इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि मैंने जो आरोप लगाये हैं, आप कृपया इसकी जांच कराइये।

श्री अध्यक्ष : श्री दहिया, एक बात।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की बातें हैं। ज्यादा नहीं है। जालोर जिला विद्युत के मामले में टेल एण्ड के ऊपर आया हुआ है, मंत्रीजी जानते हैं इस बात को और वहां पर 132 के. वी. के दो विद्युत स्टेशन हैं, एक जालोर में और एक भीनमाल में। मंत्री जी की जानकारी में यह भी होगा कि वह बहुत ओवर लोडेड चल रहे हैं जिस कारण गांवों में काफी समस्यायें आ रही हैं, बार बार ट्रिपिंग आने से कई मोटरें और ट्रांसफार्मर जल गये। मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि फ्लड के अन्दर 150 ट्रांसफार्मर एक साथ जल गये। विद्युत विभाग एक साथ उनकी आपूर्ति नहीं कर सका। आप किसानों को बिजली नहीं दे पाये और उन्होंने मिनियम चार्जेज पर बिल भेजें हैं। उनसे बिल के पैसे चार्ज किये हैं। इस तरह यह जो ओवर लोडेड बिजली घर हैं उनके लिये 65 करोड़ की स्कीम बनाई गई थी और वह स्कीम बनाई जाकर केन्द्रीय आर. ई. सी. को भेजी गई जिसने जापान के साथ एक समझौता करके इनका निपटारा किया जाना था। परन्तु दुर्भाग्य से नई सरकार आने पर वह एग्रीमेंट नहीं कर सके। उसके तहत 132 के वी. का बिजली घर सायला में बनाया जाना था। इसी तरह रानीवाड़ा, सांचौर और उम्मेदपुरा में भी 132 के. वी. के स्टेशन बनाये जाने थे। इसके साथ मोदरा, तिलोड़ा, जैसावाल, जीवाणा और विशाला

+++ नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

में 33-33 के. वी. के सब स्टेशन बनाये जाने थे परन्तु यह एग्रीमेंट नहीं होने पर यह काम पूरा नहीं हो सका। केन्द्रीय ग्रार. ई. सी. ने एक परमीशन दे दी। उससे 2–3 बिजली घरों के काम चालू हो गये। रानीवाड़ा बिजली घर की 33 के. वी. की लाइन लग गई पर हम उम्मीद करते थे कि ग्रगले साल वोल्टेज की प्रोब्लम खत्म हो जायेगी। भीनमाल के बिजली घर से रानीवाड़ा ग्रौर सांचौर को बिजली दी जाती है। इसी तरह जालौर के बिजली घर से सायला, ग्राहौर ग्रौर काफी दूर तक बिजली दी जाती है। यह ग्रोवर लोड हमने देखा ठीक हो जायेगा परन्तु बिजली की लाइन लगने के उपरान्त भी ग्रभी तक कार्य चालू नहीं हुग्रा ग्रौर 132 के. वी. के स्टेशन को बनाने के लिये एक साल से ज्यादा समय चाहिये। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि यह रानीवाड़ा, सायला, उम्मेदपुरा ग्रौर सांचोर के बिजली घर कब तक चालू करवा देंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मदेरणा जी। ग्रब ग्राप बैठिये। ग्रापने ध्यानाकर्षण कर दिया। भीनमाल की पूरी समस्या को देख लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न नं. एक, क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की थी ग्रौर राज्यपाल के ग्रभिभाषण ग्रौर बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में 90–91 के फाइनेंसियल ईयर में एक हजार लोकेलिटीज को एनरजाइज करने का कार्यक्रम रखा था ग्रौर लक्ष्य था उसके ग्रगेन्स्ट में क्या यह सही है कि ग्रापने सिर्फ 300 लोकेलिटीज को ही एनरजाइज किया है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि ग्रापने 25 हजार एग्रीकल्चर कनेक्शन देने का जो टार्गेट रखा था वह 25 हजार कनेक्शन ग्रापने दे दिये हैं, इस प्रकार का उल्लेख राज्यपाल के ग्रभिभाषण में 22 मार्च का है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 25 भी चल रहे हैं ग्रौर 30 भी चल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, जो एक के बाद एक का कनेक्शन किये जाते होंगे, 31 मार्च तक नम्बर इन्क्रीज हो जायेंगे लेकिन जैसा कि चौमूं के माननीय सदस्य कह रहे थे डिमाण्ड नोटिस पिछले साल मिल गये थे 31 मार्च, 1990 तक ग्रौर 22 हजार लोगों ने डिमाण्ड नोटिस के बाद में ग्रमाउन्ट डिपोजिट करा दी थी। वह ग्रण्डरटेकिंग थी कि हम ग्रापको नोटिस देते हैं, ग्रापको कनेक्शन देंगे। इसमें बाइफरकेशन में 22 हजार में से कितना ग्रोवर राइटिंग किया ग्रापने। ग्रोवर राइटिंग प्रायोरिटी में ग्रापने पैसा लिया है राजस्थान में करोड़ों ग्रौर जैसी मेरी जानकारी है करीब 30 हजार लोगों से लिये हैं। उन 30 हजार में से ग्रापने ग्रोवर राइटिंग प्रायोरिटी के कितने कनेक्शन दिये हैं ? ग्रौर क्या यह सही है कि 1980-81 तक ग्रौर उसके बाद में एस. सी. ग्रौर एस. टी. की प्रायोरिटी के 1984–85 तक दिये हैं। 1980–81 तक कितने कनेक्शन पेंडिंग थे। मैं समझता हूं शायद 132 ही थे ग्रौर उसके बाद में एस. सी. ग्रौर एस. टी. के लोगों को 85 तक इन 25 हजार में से कितने कनेक्शन दिये हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ग्रौर, ग्रापके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में स्ट्रेन्थम नहीं करने की वजह से ग्रौर मिड सब स्टेशन को एस्टे-

(श्री परसराम मदेरणा)

बिशन नहीं करने के फलस्वरूप एल. टी. और 11 के. वी. की लाइन नहीं खींचने के फलस्वरूप, ओवर लोडिंग लाइन की वजह ट्रीपिंग हुआ, उसका परिणाम यह रहा कि हजारों-किसानों के इस साल ट्रांसफार्मर जल गये। क्या यह सही है कि उन ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करने के अन्दर जो इनओर्डिनेट डिले इस साल हुई है, राजस्थान के इतिहास में 40 वर्षों में कभी नहीं हुई। परिणाम यह हुआ कि किसानों की अरबों रुपये की फसल जल गई। क्या यह सही है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जो विद्युत का सिस्टम है, राइट फ्राम दी जनरेशन टू दी एग्रीकल्चर कनेक्शन, जनरेशन से ग्रिड सब स्टेशन में बिजली जल्दी लाने में और क्या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपने ज्यादा कनेक्शन दिये और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को स्ट्रेन्थम नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप जो आलरेडी कनेक्शन मिले हुये थे, उन लोगों के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत गिरावट आई है। क्या यह डिफेक्टिव सिस्टम आपने अडोप्ट कर रखा है? क्या बिजली की गलत नीति पर पुनर्विचार करके नई नीति निर्धारित करने का सरकार विचार रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप प्रश्नों का जवाब नहीं दिलवा रहे हैं? क्या नोट करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अभी जवाब देंगे।

डा. हरिसिंह : पहले तो विद्युत विभाग में आपको देखकर के झुंझुनूं से पैर उखाड़ दिये। अब रामनारायण जी के पैर उखाड़ने में लगे हुये हैं। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा काल अटेंशन है, उसमें जो चिन्ता व्यक्त की गई है, ध्यान आकर्षित किया गया है, वह नई नीति की वजह से है। हमारे माननीय मंत्री जी से स्टेटमेंट पढ़ा था उस स्टेटमेंट में और हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। उन्होंने गरीब को गणेश माना है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और हमारे मंत्रीजी ने ज्ञान पढ़ा है वह यह है कि विद्युत विभाग तो बहुत घाटे में है इसलिये गरीब का कोई ध्यान नहीं करना, हमें तो अपना घाटा पूरा करना है, इसलिये नीति लगायेंगे, यहां तक कहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विद्युत मण्डल गरीब हो तो।

श्री नत्थीसिंह : मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, राज्य सरकार क्यों नहीं पैसा दे रही है विद्युत विभाग को। फाइनेंस कमीशन ने पैसा दिया है, वह गरीब को भी दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : गरीब को गरीब माना है न। जो भी गरीब है। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : गरीब की परिभाषा भी इन्होंने की है।

श्री परसराम मदेरणा : गरीब को तो गणेश माना है लेकिन गणेश की सवारी तो यहां बैठी है। विद्युत मंत्री जी को पूरी

(श्री परसराम मदेरणा)

बहादुरी के साथ उस पालिसी को बदलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जोधपुर से आये हैं।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था, इन्होंने भी यह कहा है विद्युत मण्डल को गरीब मान ले।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा।

श्री नत्थीसिंह : नहीं, मैं कह रहा हूं। उन्होंने जवाब क्या दिया कि कानून में प्रावधान हो तो हम लाइन दे सकते हैं। 100 मीटर तक फ्री, उससे आगे नहीं। मुख्य मंत्री जी आप भूलें नहीं होंगे, इसलिये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। यह नीति जब घोषित हुई और इस सदन में माननीय विद्युत मंत्री ने घोषणा की आपकी सहमति से, आपके निर्देशों से, आपके नेतृत्व से। इस पर कई बार विचार हुआ और कई बार विचार होने के बाद आपने नई नीति घोषित कर दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप यह कहते हैं कि इतने कनेक्शन ही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों में अन्तर कितना है?

श्री नत्थीसिंह : मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी यह घोषित नीति है? क्या आपने विचार नहीं किया था कि यहां 25 रुपये की बजाय 1000 हजार, प्रायोरिटी के 2000 रुपये और यह हम करेंगे, क्या आपने विचार नहीं किया था? 25 रुपये से ज्यादा फीस किसी हालत में नहीं ली जायेगी? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो नई नीति इसको कहते हो, इसको संशोधित करके राजस्थान के किसानों को, जो खेत में काम करते हैं, आश्वस्त नहीं करना चाहते? 25 रुपये से ज्यादा फीस कनेक्शन की किसी भी हालत में नहीं ली जायेगी और नहीं तो आप कहें हम तो हजार हजार लेंगे। हम तो चाहते हैं कि नीति साफ हो जाय। दूसरा, आपने कहा है प्रत्येक एच. पी. से 5 एच. पी. तक 1000 रुपया सब्सिडी देंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है पुरानी नीति थी प्रत्येक एच. पी. पर एक पोल फ्री मिलेगा और उस बात पर जब नीति पर विचार हो रहा था, जो नीति बन गई, तब भी मुझे मालूम था, आप इस बात से सहमत थे कि यह नीति रहनी चाहिये। यह तय किया कि 4200 रुपये एक पोल पर खर्चा आयेगा और एक हजार आप देते तो। किसानों को आप क्या दे रहे हो? जिसे गणेश बताते हो, उसको तो लूटने का इन्तजाम हो रहा है। क्या इस लूट को रोकना चाहते हैं? 4200 रुपये और कर दिया आपने।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में बोलिये। आप देखिये, दो घंटे से ज्यादा इस पर बहस हो चुकी है, इस डिमाण्ड पर 35 आदमी और बोलने वाले हैं। आप अंदाज लगा लीजिये, मुझे आपत्ति नहीं, रात तक बैठिये आप।

श्री नत्थीसिंह : मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं। सिर्फ 5 सवाल हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मान लिया साहब, There must be limit. आप अनलिमिटेड चलाओगे क्या। मैंने आपको मौका दिया है तो लिमिटेड के लिये दिया है, इसलिये थोडे ही दिया है कि आप रात भर तक बिजली को ही जलाते रहोगे। There must be limit and देखिये आप, रीजनेबल बात ही करिये।

श्री नत्थीसिंह : सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम जब शुरू की गई थी। तब भी यह चिन्ता थी, ऐसा नहीं है कि सामान्य और गरीब लोगों को हम कनेक्शन देते हैं, कहीं उनको रिप्लेस करके यह स्कीम के तहत जो सम्पन्न लोग हैं, जिन्हें आप कहते हैं किसानों में सम्पन्न होंगे, वे ही कहीं इन कनेक्शन को नहीं ले जाय। आपका स्वयं का यह विचार था और हमारा विचार 10–15 प्रतिशत से ज्यादा किसी भी हालत में सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे। शेष सारे कनेक्शन सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत और केटेगरीज में दिये जायेंगे। आज आपने बताया है कि 27–28 हजार दिये हैं, उसमें से 12–13 हजार इनको दे दिये। क्या आप चाहते हैं कि इस नीति को दुरुस्त करके एक लिमिट सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम की हो जाय।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। आप एक के बाद एक लगाते जाओगे तो पता नहीं असंख्य हो जाते हैं।

श्री नत्थीसिंह : केवल दो सवाल और। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस पुस्तिका में फ्लेट रेट के लिये लिखा है। क्या यह सही है कि जो पश्चिमी राजस्थान के किसान हैं, पूर्वी राजस्थान के किसान हैं, जहां कुओं में पानी नहीं है और जहां इस नीति का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्या इस पर आप पुनर्विचार करने को तैयार हैं या आप हर हालत में इस तरह की नीति को आप बदलेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। (व्यवधान)

अब हो गया आपका। आप बिराजिये। आप बोल चुके हैं। (व्यवधान)

आप सवाल पूछिये। आप बोलिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : मेरे जिले की विशेष परिस्थिति है और जो नीति राज्य सरकार ने बनाई है, वहां पर एक लाख रुपये से कम में ट्यूब वैल नहीं लगता और उसके बावजूद भी पानी नहीं मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें यह संभावना भी है कि नीचे का पानी खारा होने की वजह से पानी खारा हो जाता है। क्या राज्य सरकार ने यह नीति बना रखी है कि उस व्यवस्था पर पुनर्विचार करके उनको पुरानी नीति से कनेक्शन दिये जायें ? नम्बर एक।

दूसरा, मुझे यह कहना है कि ढाई लाख कनेक्शन पेंडिंग हैं। क्या राज्य सरकार उन सारे लोगों के दिमाग में यह चीज पैदा करना चाहती है, गांवों में यह प्रचार करना चाहती है कि पैसे वालों को बिजली मिलेगी ?

तीसरा, मुझे यह कहना है कि इस सिलसिले में नयी नीति के मुताबिक जो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

राज्य सरकार ने प्रचार किया है, मैं यह कहना चाहता हूँ माननीय मुख्य मंत्रीजी सिर्फ प्रैक्टिकल मामला है कि हम एक हजार रुपया लेंगे और समायोजन करेंगे। हम 25 लेंगे और उसके बाद जो खर्चा आयेगा ले लेंगे। इसमें क्या फर्क है। सिर्फ प्रचार करने के लिए आप मौका देंगे विरोधियों को कि फीस की 25 से 1 हजार बढ़ा दिये। तो मेरा यह निवेदन है, इस सिलसिले में मुझे एक बात और कहनी है जो बोर्ड की नीति है माननीय अध्यक्षजी, ग्राम के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का बड़ा प्रेम है। एक बोर्ड ने इन्स्ट्रक्शन दे रखी है पूरे जिले में और मेरे जिले में तो यह है कि पीक अवर्स में तो शाम को 6 से 9 और सुबह 6 से 8 होगा, वहां शहर की बिजली नहीं कटेगी। इसका मतलब पूरे गांव की बिजली कटेगी। यह व्यवस्था है, यह आर्डर्स है क्या राज्य सरकार ने···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

आप विराजें। मैं खड़ा हूँ। बैठिये एक मिनट आप।

देखिये, इसमें जो व्यवस्था है उनको समझ तो लीजिये।

Clarificatory questions asked by Members should not be so lengthy as to convert the calling attention into a debate. Generally a calling attention matter should take no more than half-an-hour and in exceptionally important cases not more than 35 to 40 minutes. The Member calling attention can take five minutes and other Members 2-3 minutes each. The Minister's reply should be complete but short.

आपको मैंने ढाई घंटा दे दिया। That is the maximum limit.

आप बोलिये मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी वे सुनना चाहते नहीं हैं ········ (व्यवधान)

आप बोलिये। किसी को सुनना है तो सुनेंगे। He won't hear. You go on.

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री) माननीय अध्यक्ष महोदय,········ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आप बोलते जाइये, वे सुनेंगे तो सुन लेंगे नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। मैं क्या करूंगा। You go on. You go on. आप बोलिये········ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैंने मुख्य मंत्रीजी को बोर्ड के सम्बन्ध में तीन पत्र लिखे थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आप बोलिये ····

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)···· ये मामले ऐसे ही हैं···· (व्यवधान)

उनको सुनना है····आप बोलते जाइये। They are not interested to hear you. आप बोलिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Please go on. Please go on. (व्यवधान)

सिवाय मंत्रीजी के किसी का दर्ज नहीं हो।

अनेक माननीय सदस्य (विपक्ष) : × × ×

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बोलते जाइये।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्यों ने जो भी समस्या थी······ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों को···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्या ने···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिट डाउन। आप बोलिये। वह उनकी मर्जी है। आप अपना···· (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्या ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा मंत्रीजी विराजें। याचिकाओं का उपस्थापन। श्री किशन गोपाल कोगटा।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं दौसा के ग्राम पंचायत मुख्यालय बापी में पेयजल की कमी के कारण ग्राम निवासियों को पानी सुलभ कराये जाने हेतु नल योजना के तहत नल लगवाये जाने विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं दौसा ग्राम खुरीकला में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खारे पानी से मीठा पानी बनाने के प्लांट हेतु पानी की व्यवस्था करने विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

(सभी माननीय विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य । पुरः स्थापित किया जाने वाला विधेयक ।

विधायी कार्य–विधेयक का पुरः स्थापन

श्री दिग्विजय सिंहजी ।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय दण्ड संहिता, (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि भारतीय दण्ड संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय । (स्वीकृत)

पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय दण्ड संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को आपकी आज्ञा से पुरः स्थापित करता हुँ ।

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा । श्री बंशीलाल पटवा ।

श्री दिग्विजय सिंह : यह तो हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

आय-व्ययक (बजट) 1991–92

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 27–पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि मांग संख्या 27–पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,59,27,43,000/– (तीन अरब उनसठ करोड़ सत्ताइस लाख नियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मंत्रीजी ।

मांग संख्या 36–सहकारिता की प्रस्तुति

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 71,78,23,000/– (इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख तेइस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ।

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27–पेयजल योजना

मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

1. तहसील कोटपूतली के शुक्लावास में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दो कूप खोदने पर भी जल उपलब्ध नहीं कराने एवं लाखों रुपये व्यर्थ व्यय करने पर चर्चा के लिये ।

2. तहसील कोटपूतली के कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु बनी पानी की टंकियों का पानी नागरिकों को उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

(श्री रामकरण सिंह)

3. तहसील कोटपूतली के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने में विभाग द्वारा उदासीनता बरते जाने पर चर्चा के लिये ।

4. तहसील कोटपूतली के ग्राम बीजाहेड़ा, कल्याणपुरा एवं बनार में पेयजल के अभाव को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

5. कर्मचारियों की लापरवाही से तहसील कोटपूतली के शुकलावास, परशोतमपुरा, पाछोडाला आदि दर्जनों गावों में ठेकेदारों द्वारा क्षतविक्षित पानी की टंकी बनाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

6. तहसील कोटपूतली में पूरे 1 वर्ष में एक भी हैण्डपम्प नहीं लगाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव) :

7. जिला बाड़मेर जैसलमेर में क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं को इन्दिरा गांधी नहर से जोड़ने पर चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

8. लूणकरणसर तहसील बीकानेर के विभिन्न गांवों में उन्मूल ट्रस्ट द्वारा लगभग 80 लाख की लागत से बनी डिग्गियों को जलदाय विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति न करने एवं कनेक्शन न करने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

9. सूरसागर की समस्या का स्थायी समाधान करने में विभाग की असफलता एवं राज्य की वार्षिक योजना 1991–92 में इस हेतु बजट प्रावधान न करने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

10. सम्पूर्ण राजस्थान में विशेषतः बीकानेर में हाथ से काम करने वाले कारीगरों तथा सुनार, सुथार, लुहार, मोची एवं अन्यों से पानी की व्यापारिक दर के स्थान पर सामान्य दर वसूल न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

11. बीकानेर जल आपूर्ति की आई. डी. ए. परियोजना के शेष रहे कार्यों हेतु 954.17 लाख रुपये के कार्यों की स्वीकृति में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति के सन्दर्भ में तथा आई. डी. ए. सीवरेज परियोजना के शेष रहे 25.34 लाख रुपये के कार्यों की स्वीकृति में देर होने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पर चर्चा के लिये ।

12. बीकानेर शहर में 15 कुएं सूख जाने तथा विश्व बैंक की आई. डी. ए. आयोग परियोजना के अनुसार शहर में पीने के पानी की आपूर्ति न किये जाने तथा इंदिरा गांधी नहर से 80 प्रतिशत पानी की आपूर्ति न करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये ।

13. लक्ष्मीनाथजी की टंकी से छीपों का मोहल्ला, खजांची मोहल्ला, लोहारों का मोहल्ला, गोलछों मोहल्ला, छबीली घाटी, शीतला गेट आदि मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति हेतु 29·30 लाख की लागत से होज का निर्माण होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये ।

14. बीकानेर शहर की पेयजल योजना हेतु Raw Water Reserboir बीछवाल कच्चे पानी के जलाशय एवं तत्संबंधित अन्य

(190)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कार्यक्रम एवं प्रबन्ध हेतु 488·54 लाख की प्रस्तावित योजना तथा होल्डिंग टैंक हेतु 329·29 लाख की प्रस्तावित योजना की स्वीकृति देने में तकनीकी सदस्य द्वारा जानबूझकर विलम्ब करने से उत्पन्न स्थिति से लागत में बढ़ोतरी की जिम्मेदारी तय करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

15. लूणी विधान सभा क्षेत्र की 20 ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर पिछले दो वर्षों से स्वीकृति नहीं होने से जनता में व्याप्त भारी रोष पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

16. बाड़मेर जिले के सेतराउ ग्राम में अनुसूचित जाति की आबादी में पानी की टंकी बनाने पर चर्चा के लिये।

17. बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में पेयजल समस्या के निदान हेतु नलकूप परीक्षण के तौर पर खुदाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. बाड़मेर जिले के इरसानी, खोनी-मानी-बुरिया-ग्रामों में अनुसूचित जाति की बस्तियों में होदियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. बाड़मेर जिले के ग्राम पनेला में अनुसूचित जाति की बस्ती में पानी की टंकी बनाने पर चर्चा के लिये।

20. बाड़मेर जिले के गड़राकड़ ग्राम में अनुसूचित बस्ती में जवाहर योजना के तहत बनी होदियों से कनेक्शन न मिलने व त्रिमोई अनुसुचित जाति की बस्ती में उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

21. बाड़मेर जिले के गंगा ग्राम में भूरानी कुम्हारों की बस्ती में उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

22. बाड़मेर जिले के ग्राम बरोयाड़ा के कुम्हारों की बस्ती में व्याप्त पेयजल संकट को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. जैसलमेर जिले की अनुसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति के लिए वित्तीय प्रावधान कम करने पर चर्चा के लिये।

24. जैसलमेर जिले के ग्राम भाउली में अनुसूचित जाति की बस्ती में पेयजल की टंकी बनाने व बिछीया बस्ती में अनुसूचित जाति की बस्तियों की पेयजल की समस्या को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. जैसलमेर जिले में ग्राम तोगा में मगरे वाली बस्ती में पानी के संकट पर चर्चा के लिये।

26. जैसलमेर जिले के ग्राम बोगनी आई ग्राम की दानूबोगी की ढाणी की पेयजल योजना स्वीकृत कराने हेतु चर्चा के लिये।

27. जैसलमेर जिले के चानसो की बस्ती में पेयजल संकट के समाधान पर चर्चा के लिये।

28. जैसलमेर जिले के इलानीयों की बस्ती (बईया) चतूवानीयों की ढाणी की अनुसूचित जाति की बस्ती में पानी के संकट

(श्री अमीन खां)

को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. जैसलमेर जिले की आम्बसिंह की ढाणी—रहीम की ढाणी (मडाई) में पशु कुन्ड को पाइप लाइन से न जोड़ने पर चर्चा के लिये।

30. जिला जैसलमेर में पशुकुन्ड पोकरानीयों की ढाणी (कपूरिया) में कनेक्शन न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. बाड़मेर जिले की शास्त्री गोंव डाबर, रोननागों खदेरी (हाबड़) व केलनली में पीने का पानी न जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

32. बाड़मेर जिले की साउथ गिराव सालारिया योजना के ग्राम सजनका पार मोहम्मद का पार-लघेका पार-गागे का पार बीन्डो का पार-भीन्दीआ-शेरो का तला में पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

33. बाड़मेर जिले की—राजडाल, कालीजाल योजना के ग्राम—बरसींगा स्वामी का गांव—काने का गांव, अन्तरा—नेगरडा—काली जाल में कई महिनों से पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. बाड़मेर जिले की कातासर सारंग पेयजल योजना में—आरा—रलकुडीयों व चोचरा में पानी न उपलब्ध होने पर चर्चा के लिये।

35. बाड़मेर जिले की डेन्डू पनावड़ा पेयजल योजनाओं से ग्राम कसूम्बला सरदार सिंह कसूम्बला महेचान में एक साल से पानी न मिलने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

36. बाड़मेर जिले की—भीमाड मोखाब पेयजल योजनाओं से ग्राम पेशाल चक में खाब मै 6 माह से पानी न मिलने पर चर्चा के लिये।

37. बाड़मेर जिले के जोरानाडी व उनरोड में नलकूप फैल होने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

38. बाड़मेर जिले की साउथ गिराब चैत्रोडी पेयजल योजना के ग्राम बराला खड़ीन व चैत्रोडी की एस. सी. एस. टी. बस्तियों में पानी नहीं जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. बाड़मेर जिले की गिराब खड़ीन योजना में ग्राम सिहाई—मीलोका पार कन्रलिया का पार व आगरिया ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

40. बाड़मेर जिले की गिराब-खड़ीन रिवाईज पेयजल योजना के ग्राम—सवाड़ा—खारची, बनवा, लसुवा, खारीया, सुजाल का पार में पानी उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

41. बाड़मेर जिले के तामलियार ग्राम में मीठा पानी न मिलने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

42. बाड़मेर जिले के ग्राम गेगली के लिये पेयजल योजना न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री अमीन खां)

43. बाड़मेर जिले की रेडाना, बालेवा योजना न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. जिला बाड़मेर में गिराब जीन्ना, नीमली पेयजल योजना 1983 की स्वीकृती का अभी तक जनता को लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये।

45. बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में कई डी. डी. पी. की तरफ से बनाई गई कुन्ड व टंकियों में कनेक्शन न करने व विभाग को पाइप न मिलने पर चर्चा के लिये।

46. बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों में पानी के लिए प्रति डिवीजन मात्र दो लाख रुपयों का प्रावधान करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

47. बाड़मेर जिले के सिरी डिवीजन में रामसर में जे. ई. एन. का पद काफी अर्से से रिक्त होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

48. बाड़मेर जिले के सिरी डिवीजन में एक सहायक अभियन्ता व दो जे. ई. एन. के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में नए राजस्व ग्रामों व ढाणीयों की पेयजल योजनाएं अभी तक स्वीकृत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

50. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विभाग द्वारा पर्याप्त राशि प्रदान नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

51. निर्वाचन क्षेत्र फलासीया (उदयपुर) में अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में हैण्डपम्प नहीं लगाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में हैण्डपम्प पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाये जाने के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

53. 250 की आबादी पर हैण्डपम्प लगाने के कारण बिखरी बस्तियों में हैण्ड-पम्पों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में पेयजल की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा भीम) :

55. जिला सवाई माधोपुर में अधूरी पेयजल योजना पूर्ण करने खराब हैण्ड पम्प को ठीक करने नये हैण्ड पम्प लगाने एवं नई योजनाएं लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

56. छाभावाला दांतल भूरी की ढाणी में बोरिंग करने के करीब 4 से 6 माह के बाद भी मशीन नहीं लगाए जाने पर चर्चा के लिये।

57. कोटपूतली तहसील की पेयजल योजनाओं को स्वीकृत करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुड़ामालानी) :

58. बाड़मेर जिले में पेयजल योजना के अन्तर्गत बने होज अधिकतर नाकाम रहने पर चर्चा के लिये ।

59. राजस्थान के सभी गांव और ढाणियों को पर्याप्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

60. राज्य में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती रमा पायलेट (हिण्डोली) :

61. पीने के पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) :

62. निर्मित पाइप लाइनों एवं होदियों से निरन्तर पानी फैलने पर चर्चा के लिये ।

63. पाइप लाइनों और मोटरों के रख रखाव की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

64. नल योजनाओं के अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने की शिकायत पर चर्चा के लिये ।

65. विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में अभियन्ताओं द्वारा योजनाओं के निरीक्षण नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

66. सम्पूर्ण राजस्थान में पाइपों की कमी की वजह से पेयजल योजनाओं के अधूरे कार्यों में निर्माण की गति अवरुद्ध हो जाने पर चर्चा के लिये ।

67. झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के नव घोषित राजस्व ग्रामों में पेयजल प्रबन्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री सोमा भाई (बागीडोरा) :

68. चुनाव क्षेत्र बागीडोरा के हर ग्राम में पानी की पूर्ति करवाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

69. भीलवाड़ा जिले के सभी ग्रामों व कस्बों में पेय जल समस्या का समाधान हेतु चर्चा के लिये ।

70. भीलवाड़ा तहसील के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में पर्याप्त विभागीय हैण्ड-पम्प लगवाने हेतु चर्चा के लिये ।

71. भीलवाड़ा तहसील की आटूण, मारजिया, बड़ा महुआ, दोथली, रोदा, मालाला, सादडियास बीलिया खेरावाद, पेयजल योजनाओं की स्वीकृति तथा सुधार पर चर्चा के लिये ।

72. भीलवाड़ा नगर की पेयजल योजना पर स्वीकृत कम चक आवंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़) :

73. प्रतापगढ़ में 10 ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

74. कुलथाना, खेरोट, पान महूड़ी,

(श्री रखब चन्द मीणा)

रठायना ट्यूबवेल एवं पनघट योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

75. असावला जलदाय योजना को प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. कोटडी में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. आठीनेरा पनघट योजना को प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

78. रायपुर जलदाय योजना की क्रियान्विति शीघ्र करने पर चर्चा के लिये।

79. सुहागपुरा में ट्यूबवेल लगाने हेतु चर्चा के लिये।

80. दलोर में ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूणकरणसर)

81. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में समस्त जलप्रदाय योजनाओं में फिल्टर सिस्टम खराब पड़े रहने पर चर्चा के लिये।

82. लूणकरणसर सहायक अभियन्ता क्षेत्र विभागीय सभी जलप्रदाय योजनाएं अनियमित चलने पर चर्चा के लिये।

83. गत वर्ष से खोखरी जल प्रदाय योजना से जुड़े गांवों को पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

84. ग्राम पंचायत शेरपुरा के ग्राम ढाखोड़ा तथा ढा-छील्ला की पेयजल योजना स्वीकृत न होने से जनता में फैले असंतोष पर चर्चा के लिये।

85. अर्जुनसर जैतपुर टालीवाला ग्रामों को नई योजना में बड़ी पाइप लाइन से डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. कवरसेन लिफ्ट नहर से ग्राम कालू गारबदेशर में मीठा पानी उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

87. सरकार लूणकरणसर क्षेत्र में नहरी क्षेत्र से बाहर शेरपुरा, शेखसर ढा. पाण्डूसर लूणकरणसर कालू सहजरासर, कुजटी, सणिया बस्ती आदि में जहाँ मीठे पानी का एक बैल्ट है वहां पर ट्यूबवेल खोदकर पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) :

88. महज पाइप लाइन नहीं डालने से करोड़ों रुपये की लागत की पेयजल योजनाएँ बेकार पड़ी रहने पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :

89. ग्राम लूणियावास तहसील सांगानेर में बनी टंकी द्वारा पाइप लाइन को पानी उपलब्ध करवाये जाने के क्रम पर चर्चा के लिये।

90. तहसील बस्सी के ग्राम कून्थाड़ा, हरड़ी, बड़वा, लालगढ़, गढ़, दूधली, हैंसमहल, कानोता, बस्सी में पानी की टंकियां बनाई जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैया लाल)

91. ग्राम काशीपुरा से तहसील बस्सी में पानी की टंकी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

92. गांव कटावाड़ा पहाड़ा में पेयजल की आपूर्ति हेतु जल प्रदाय योजना लागू करवाने पर चर्चा के लिये।

93. गांव छाणी की पेयजल योजना को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. कल्याणपुर, बावलवाड़ा व भूदर की पेयजल योजनाओं को पूर्ण करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) :

95. थानागाजी क्षेत्र में आवश्यक मात्रा में हैण्डपम्प नहीं लगाने और अपूर्ण ग्रामीण जलदाय योजनाएं पूरी की जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

96. शिवगंज नगर के पेयजल वितरण बढ़ाने के लिये प्रस्तावित एक सौ तिरेपन लाख, अट्ठानवें हजार की योजना स्वीकृत करने हेतु चर्चा के लिये।

97. सिरोही नगर में पेयजल वितरण बढ़ाने के लिये प्रस्तावित एक सौ उन्नीस लाख की पेयजल योजना की स्वीकृति कराने बाबत चर्चा के लिये।

98. शिवगंज तहसील के गांव खेजड़िया, बड़गांव, जोगापुरा, गणेश कॉलोनी, नवा खेड़ा आदि में पेयजल योजना प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

99. गांव संगालिया अन्दौर, जोगापुरा, नून, फूगणी तेलपीखेड़ा आदि गांवों के पानी को फ्लोराइड रहित करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नेनवां) :

100. बीसलपुर परियोजना से जलपुर को जलपूर्ति हेतु निर्धारित राशि का उपयोग चम्बल से पानी जाने में नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. बून्दी शहर जलपूर्ति योजना से वांछित लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

102. रायथल ऐबरा क्षेत्रीय जलदाय योजना में उच्च जलाशय नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. मंडीत्या ग्राम के नाकारा हो चुके हैण्डपम्प के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प नहीं लगाने से उत्पन्न पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

104. बन्जारा बस्ती विशनपुरा एक मात्र खराब हैण्डपम्प के स्थान पर नया हैण्डपम्प नहीं लगाने से उत्पन्न पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

105. नैनवा क्षेत्र में पेयजल समस्या निवारण हेतु विशेष अभियान नहीं चलाया जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. कीरों के झोपड़ों के बीच में हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

107. बैरवा बस्ती अरियाली गांव की बैरवा आबादी में हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण वर्मा)

108. नैनवा में स्वीकृत उच्च जलाशय के निर्माण में जान बूझकर बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

109. इन्दिरा रेगरान कालोनी देई में पाइप लाइन बिछाने हेतु चर्चा के लिये।

110. नैनवा को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. ग्राम गोबरिया का पानी पीने योग्य नहीं होने से गोबरिया ग्राम को रायथल-ऐबरा क्षेत्रीय जलदाय योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

112. रायथल-ऐबरा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना का ग्रामीणों को वांछित लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) :

113. भीनमाल शहर अर्बन एरिये में प्रस्तावित योजना हेतु धन उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) :

114. फागी गांव चाकसू पेयजल योजना से सुचारु रूप से पानी दिलवाने बाबत चर्चा के लिये।

115 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फागी की सभी पंचायतों को पेयजल योजना से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

116. बन्द पड़ी रेणवाल पेयजल स्कीम को चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) :

117. टोडारायसिंह तहसील देवली व टोडारायसिंह के ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने व कस्बा देवली को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

118. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम शिवसिंह पुरा में टी. एस. एस. स्कीम को बन्द करने के बाद क्षेत्रीय पेयजल योजना स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम बिलौनाकला में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना को अब तक भी स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. लालसोट नगर की नवीन कोलोनियों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई पाइप लाइन नहीं होने पर चर्चा के लिये।

121. पंचायत समिति लालसोट में जो हैण्डपम्प बेकार हो गये उनके स्थान पर नवीन हैण्डपम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. हैण्डपम्पों को ठीक करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

123. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम खटवा की पेयजल योजना पर कम शक्ति की मोटर लगाने के कारण ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

(श्री परसादीलाल मीणा)

124. विचाराधीन पेयजल योजना ग्राम किशोरपुरा, खुर्रा तथा महारिया को स्वीकृति नहीं देने पर चर्चा के लिये ।

125. पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत खेड़ला-खुर्द के ग्राम रायसर में एक वर्ष से स्वीकृत हैण्डपम्प को नहीं लगाने पर चर्चा के लिये ।

126. रामगढ़-पचवारा में टंकी का निर्माण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

127. सेंदड़ा पेयजल स्कीम ब्यावर से सेंदड़ा गांव में पूर्व में डाली गई पाइप लाइन से पानी देना तत्काल पुनः प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये ।

128. रायपुर तहसील की गिरी योजना से खेड़ा पामावास राजस्व गांव एवं साडिया स्कीम से बोयल गांव को तत्काल पाइप लाइन डालकर जोड़ा जाने हेतु चर्चा के लिये ।

129. पेयजल स्कीम से जुड़े गांवों में मौहल्लों एवं घरों में पाइप लाइन द्वारा प्रतिमाह बिलों से चार्ज प्रारम्भ किया जाने हेतु चर्चा के लिये ।

130. पेयजल योजनाओं पर दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

131. पाली जिले में पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित सैकड़ों कर्मचारियों को रिक्त पदों पर तत्काल स्थाई नियुक्ति करने हेतु चर्चा के लिये ।

132. रायपुर विधान सभा क्षेत्र की अघड़ा पेयजल योजना से मीठा पानी टंकी तक तत्काल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

133. रायपुर विधान सभा क्षेत्र का आधा हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र में होने से लगभग छोटी-बड़ी दो सौ ढाणियों में तत्काल हैण्ड-पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

134. रायपुर विधान सभा क्षेत्र में लाखों रुपये की पी. पी. सी. स्वीकृत योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारणों की जांच की जाने तथा क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु चर्चा के लिये ।

135. रायपुर विधान सभा क्षेत्र की पिपलियाकलां, देवली कलां, चण्डावल नगर, चांडा व कलालिया में ओपन वैल या ट्यूब वैल शीघ्र लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

136. रायपुर विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृती पेयजल योजनायें मोहराकलां, करमावास, मालीयान, करमावास पट्टा, नोख सिगला, लीलांबा, सबलपुरा—गुड़िया अविलम्ब प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

137. रायपुर विधान सभा क्षेत्र में भारत सरकार एवं पी. पी. सी. से स्वीकृत पेयजल योजनायें बासना, रायराखुर्द, नानणा

(श्री हीरासिंह चौहान)

चांग, कलानिया, लवाचा, कोट किराणा, गिरी योजना से खेड़ा मायावास, विराटिया, कलां दीपावास पर तत्काल कार्य प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

138. रायपुर विधान सभा तहसील मुख्यालय पर लबाव नदी से हरिपुर स्टेशन पर ओवर हैड टैंक बनाकर हरिपुर, कनेर-माता, बादिया, खीवल, देवासिंध की ढाणी तथा कुम्हारों की ढाणियों को नलों से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) :

139. तहसील फतेहपुर के फ्लोराइड-युक्त ग्रामों में अविलम्ब फ्लोराइड मुक्ति संयंत्र लगवाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

140. जिला सीकर के वर्तमान वित्तीय वर्ष की सम्पूर्ण राशि इसी वित्तीय वर्ष में खर्च करवाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

141. केन्द्रीय सरकार द्वारा सीकर जिले के ग्रामों के लिये खेल, हौज व जी.एल.आर. के लिये आवंटित राशि को खर्च नहीं करने पर चर्चा के लिये।

142. तहसील फतेहपुर में पूनियों की ढाणी पंचायत पालास के लिये सनाली ग्राम जिला चूरू से पेयजल पहुंचाने के संबंध में पर चर्चा के लिये।

143. तहसील फतेहपुर में गोविन्दपुरा हरदयालपुरा नया राजस्व ग्राम में पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

144. तहसील फतेहपुर में स्वामी की ढाणीतन चाचीवाढ़ बड़ा में पेयजल उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

145. फतेहपुर तहसील ढाणी चतर-वास ग्राम पंचायत मान्डेला बड़ा में पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

146. तहसील सीकर में ग्राम बिडोली पंचायत मुख्यालय पर पेयजल के लिये टंकी का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

147. तहसील फतेहपुर में ग्राम भीचरी के मय पांचग्रामों की रीजनल पेयजल स्कीम को अविलम्ब प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

148. तहसील फतेहपुर कस्बा रामगढ़ शेखावाटी में दो वर्ष पूर्व निर्मित उच्च क्षमता की पेयजल टंकी को अविलम्ब चालू करके पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

149. जोधपुर शहर में आगामी गर्मियों को देखते हुए तत्परता से पेयजल योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (खण्डार) :

150. जिन गांवों में हैण्डपम्प खराब है उन्हें ठीक करवाने या नवीन हैण्डपम्प सुविधा उपलब्ध करने बाबत पर चर्चा के लिये।

151. खेड़िया (इटावा) कंजर बस्तियां

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(मोतीपुरा) तथा रामनगर, बोरदा में हैण्ड-पम्प सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

152. गांव खातीखेड़ा जावदा तथा नन्दवाई में डिस्ट्रीबूशन सिस्टम लागू करने पर चर्चा के लिये ।

153. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) :

154. चौमू शहर की आबादी अनुसार दूसरी टंकी निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये ।

155. चौमू में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन. ओ. सी.) के आधार पर ही पानी के कनेक्शन देने पर चर्चा के लिये ।

156. चौमू क्षेत्र की स्वीकृत पेयजल योजनायें पूर्ण नहीं होने से ग्राम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

157. चौमू क्षेत्र के ग्राम जिगारिया, निवाना, ढाढेसर, किशनमानपुरा एव बांसा में पानी की टंकी नहीं होने से ग्राम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) :

158. आसीन्द क्षेत्र में उत्पन्न गम्भीर पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये ।

159. क्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

160. गांवों में हैण्डपम्प लगाने तथा उनके रख रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

161. विधान सभा क्षेत्र महुआ में क्षेत्रीय जलदाय योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर जल पूर्ति करवाये जाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये ।

162. जल स्वा. अभियांत्रिकी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नियम विरुद्ध की गई पदोन्नतियों से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

163. भूमिगत जल का स्तर नीचा चले जाने के कारण नाकाम हुये हैण्डपम्प से उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

164. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम धनेरिया, कठमोर, दयालपुरा, बाकावास, मुण्डावा लासनी खेड़ा, रामगढ़, जैतारण, रावती की ढ़ाणी में उत्पन्न भयंकर पेयजल समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) एवं **श्री कुंजीलाल (बौंमनवास)**

165. डिलिग मशीन समय पर न पहुंचने से पेयजल समस्या के समाधान नहीं होने की समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन)

166. हिण्डौन शहर की पुरानी पेयजल

(श्री भरोसीलाल)

टंकी के स्थान पर नई टंकी बनाये जाने व अनु. जाति के मौहल्लों में पाइप लाइन बिछाये जाने के क्रम में पर चर्चा के लिये ।

167. हिण्डौन तहसील के खेडा जमालपुर एवं हुक्मीखेड़ा, बरगया ऐव कोटरी पालनपुर में नवीन पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

168. खण्डार क्षेत्र में नवीन हैण्डपम्प अधिक तादाद में स्वीकृत किये जाने के बारे में चर्चा के लिये ।

169. खण्डार तहसील के ग्राम बाजेरा कुशतला खण्डार, छान, शिवाड़ की पेयजल योजनाओं की स्कीम आने के बाद भी स्वीकृति नहीं दिये जाने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :

170. डूंगरपुर जिले में पेयजल योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रभूलाल (सपोटरा) :

171. राज्य के पेयजल के संकट को दूर करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री निर्भयलाल (रूपवास) :

172. रूपवास क्षेत्र के निमेरा, हाजेली एवं रन्दावल खेड़ा, खिजूरी, जोतपोती, महजपुरा छीजमला, बीजा में नवीन पेयजल योजनायें चालूकर जल उपलब्ध कराये जाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

173. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर बड़े-बड़े ग्राम पंचायतें दीवड़ा बड़ा आदि में पेयजल योजनान्तर्गत नल लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

174. ग्रामीण क्षेत्रों की स्वीकृती नल योजना का आज तक कार्य प्रारम्भ न होने के कारण जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

175. बूंचिया बड़ा चित्रकूट सूखा पादर तथा कल्याणपुर आदि ग्रामों में पेयजल की वर्षों पुरानी स्वीकृती योजना पर कार्य नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

176. भेदभाव के कारण सागवाड़ा क्षेत्र में नल योजना के तहत अनेक ग्रामों में वर्षों से स्वीकृत योजनाओं का कार्य नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

श्री जुबेर खान : (रामगढ़)

177. गांवों में लगे हुये हैण्डपम्प की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये ।

178. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में पड़ी अधूरी पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) :

179. डीग क्षेत्र के लिये आगरा कैनाल (उत्तर प्रदेश) से पेयजल शीघ्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

180. डीग क्षेत्र के गांवों को मीठा पानी नहीं मिलने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

181. सिनसीनी गांव की अधूरी पाइप लाइन का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं होने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

182. डीग क्षेत्र में पानी की टंकियां काफी समय से साफ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. डीग कस्बे में गंभीर पेयजल संकट को दूर करने में सरकार की अक्षमता पर चर्चा के लिये।

184. डीग नगर की पेयजल आपूर्ति में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

185. ग्रामीण जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिये लगाये गये अधिकतम हैण्ड पम्प बन्द पड़े रहने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

186. भरतपुर जिले की पेयजल समस्या के निपटारे हेतु कोई विशेष योजना नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. कुम्हेर तहसील के ग्रामों की पेयजल योजना नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. सबलान गांव में समय पर पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

189. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के अयाना, बिनायका, तलाब, बमूलिया, ककरावदा, ठीपंरी, नीमोला, मालबेमादी, मटवाड़ा, जलोदा तेजाजी, बलवन, मोहनपुरा, बराबई तथा अनघोरा में पम्प एण्ड टैंक स्कीम लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में आधे से अधिक खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

191. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हैण्ड पम्पों के बैंक लोग को तुरन्त खुदाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

192. पीपल्दा क्षेत्र के गांवों में 50 हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) :

193. मालवीय नगर सैक्टर नं. 9 में बौरिंग के बार-बार खराब होने से जनता को पेयजल की होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिए।

194. मालवीय नगर सैक्टर नं. 9 में पानी की टंकी के अभाव में जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

195. जयपुर शहर के मुख्य जल स्रोत रामगढ़ बांध में पानी आने के रास्ते में ऐनीकट बने होने के कारण पानी न आने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

196. पानी के बिलों में कॉमर्शियल रेट्स लगाये जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

(श्री कालीचरण सराफ)

19. जयपुर नगरपरिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खोनागोरियान, बबड़ी, जामंडोली खानियां पालड़ी मीणा आदि में पेयजल समस्या हेतु पानी की टंकी निर्मित करवाये जाने पर चर्चा के लिये ।

198. जयपुर शहर में पानी की पाईप लाइन एवं गटर लाईन साथ-साथ होने के कारण जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइनों से गटर का पानी आने के कारण जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

199. जयपुर शहर में उत्पन्न पेयजल संकट के निराकरण हेतु बीसलपुर योजना के प्रथम चरण में ही जयपुर को शामिल किये जाने पर चर्चा के लिये ।

200. जयपुर शहर में बसी कच्ची बस्तियों में पानी के कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

201. मालवीय नगर, आवासन मंडल द्वारा निर्मित फ्लैट्स व मकानों में पेयजल वितरण व्यवस्था के अभाव से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद (टौंक) :

202. विभाग में विभिन्न स्तर पर हुई अनियमितताओं एवं पद के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

203. टौंक पंचायत समिति क्षेत्र की विचाराधीन पेयजल योजनाओं की स्वीकृति जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

204. बीसलपुर बांध के निर्माण से निचले हिस्सों में उत्पन्न गंभीर पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

205. बनास नदी पर ईसरदा के पास बांध बनाकर पेयजल की समस्या का समाधान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

206. टौंक पंचायत समिति क्षेत्र में छोटे-छोटे मजरों एवं ढाणियों में हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

207. टौंक पंचायत समिति की ग्राम थली की स्वीकृत पेयजल योजना को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

208. ककराजकलां एवं ककराज खुर्द जो कि बनास नदी के किनारे पर है को पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

209. टौंक पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम स्वाली में पेयजल समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये ।

210. टौंक पंचायत समिति क्षेत्र के सरबराबाद, शहीदाबाद ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल स्कीम को स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

211. टौंक पंचायत समिति क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पीने योग्य पानी नहीं होने से वहां जलदाय योजनाओं की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

212. टौंक शहर की स्वीकृति जल योजना को युद्ध स्तर पर पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) :

213. हैण्ड पम्पों में प्रति वर्ष होने वाली खराबी को दूर करने हेतु स्थाई वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

214. पंचायत समिति छीपा बड़ोद के ग्रामों सूरज पुरा, मंडोला, करनी, माउपुरा आदि में हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

215. छबड़ा की निपानियां बड़ावदा की स्वीकृति पेयजल योजना को शीघ्र चालू की जाने एवं नये हैण्ड पम्प शीघ्र लगाने पर चर्चा के लिये ।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

216. ग्रामों में हैण्डपम्प व ट्यूब वेलों का निर्माण शीघ्र कराने पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन) :

217. केशवराय पाटन क्षेत्र में जल आपूर्ति हेतु अधूरी योजना को पूरा करने पर चर्चा के लिये ।

218. गांवों में विशेष कर अनुसूचित जाति के मौहल्लों में हैण्ड पम्प व पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति कर लोगों को राहत देने पर चर्चा के लिये ।

219. प्रदेश के प्रत्येक गांव में जहां खारा पानी हो वहां पर बरसाती टाँकें बनवाये जाकर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये ।

220. कापरेन नगर पालिका के ग्रामीण वार्डों में भारी पेयजल सकट को अति शीघ्र योजना बनाकर दूर किया जाने पर चर्चा के लिये ।

221. नगरपालिका क्षेत्र लाखेरी कापरेन एवं केशवराय पाटन के अभाव वाले मौहल्लों एवं वार्डों में हैण्डपम्प लगाये जाकर पेयजल समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये ।

222. बलदेवपुरा, श्रीपुरा, लाखेरी खुर्द छांवछ, छोड़िदा, कोडकिया बालाजी आदि पेयजल समस्या वाले गांवों में अति शीघ्र नये हैण्ड पम्प लगाये जाने पर चर्चा के लिये ।

223. रेबारपुरा पेयजल योजना को अतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारम्भ करवाया जाने पर चर्चा के लिये ।

224. केशवराय पाटन क्षेत्र के लबान बासवाड़ा, रेबारपुरा, उगरिया, फोलाई कुआगांव, जालीजी का बराना आदि बड़े गांवों से ट्यूब वेल खोदे जाकर पेयजल समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिए ।

225. लाखेरी नगर में अनुसूचितजाति के मौहल्लों में पर्याप्त जल आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

226. लाखेरी नगर हेतु पूर्व में प्रस्तावित एवं स्वीकृत मेज लिफ्ट योजना

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

एवं फिल्टर प्लांट के अधूरे कार्य को अति शीघ्र पूरा किया जाकर पेयजल समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिए।

227 प्रदेश में हैण्डपम्प मिस्त्रियों को दैनिक मजदूरी विभाग द्वारा दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

228. हैण्डपम्प के विभागीय मिस्त्रियों को साईकिल भत्ता दिया जाकर उनके सामने उत्पन्न भारी संकट के समाधन पर चर्चा के लिये।

229. घाटका बराना पेयजल योजना को विद्युत आपूर्ति द्वारा जोड़ा जाकर गांव में निजी उपभोक्ताओं को पेयजल के कनेक्शन दिये जाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

230. झालीजी बराना में कोली मौहल्ला रोटेडा तथा कीरों का मौहल्ला आदि में प्राथमिकता से हैण्डपम्प लगाये जाकर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

231. बूंदी जिले में पूर्व प्रस्तावित खारे पानी वाले गांवों में मीठे पानी की योजना को अतिशीघ्र स्वीकृति दिलाकर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

232. केशवराय पाटन विधान सभा क्षेत्र के खराब पड़े हैण्डपम्पों को अतिशीघ्र ठीक करवाया जाकर जनसमस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

233. केशवराय पाटन क्षेत्र में रिजेक्ट किये गये हैण्डपम्प पाइन्ट्स के स्थान पर नये हैण्डपम्प स्वीकृत कर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

234. हरिजन बस्तियों में पानी उपलब्ध कराने हेतु विशेष नलों की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. गंगानगर के ग्राम मोरजड खारी में पेयजल विभाग द्वारा बनायी गई डिग्गी नहर विभाग की नाली से ऊंचाई में बनाये जाने से पूरा पानी नहीं मिलने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

236. गंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पानी के कनेक्शन दिये जाने पर चर्चा के लिये।

237. गांवों में पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति विभागीय स्तर पर करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. गंगानगर जिले के बुधरवाली दूदा खीचड़ दूलपुरा भागसर तथा बुधसिंह वाला गांवों की पेयजल की योजनाओं की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

239. मनीवाली गांव की डिग्गी का निर्माण कार्य दोबारा करवाने पर भी नाली टूटी-फूटी रह जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

240. वर्ष 1991 में समस्त ढाणियों में पीने का पानी पहुँचाने हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) :

241. बराथल खुर्द में ट्यूबवेल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

242. महेशपुरा पंचायत कारिया में ट्यूबवेल लगाकर आस-पास के ग्रामों की गम्भीर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

243. खिवसर-बासनी पेयजल योजना का कार्य जून माह तक पूर्ण कराया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244 माडपुरा इदास पेयजल योजना के कार्य में गति लाने हेतु चर्चा के लिये।

245. अलाय पार्ट-ए योजना स्वीकृत होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं होने पर चर्चा के लिये।

246. नागौर शहर में पानी की भयंकर कमी को दूर कर, पेयजल व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) :

247. सलूम्बर की 45 लाख की योजना, पेयजल को आरम्भ कराने पर चर्चा के लिये।

248. अधिशाषी अभियन्ता पी. एच. ई. डी. सलूम्बर खण्ड का स्टोर उदयपुर खण्ड को दे देने पर चर्चा के लिये।

249. अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खण्ड सलूम्बर का मुख्यालय उदयपुर में किराये के भवन में चलाने पर चर्चा के लिये।

250. तहसील सलूम्बर एवं गिर्वा (उदयपुर) क्षेत्र के हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं दुरुस्ती करने पर चर्चा के लिये।

251. सराडी, टोडा, बनोडा, बरोडा एवं थडा जल योजना की क्रियान्विति शीघ्र करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

252. ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू में पेयजल वितरण व्यवस्था सुचारु न होने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल नीनमा (घाटोल) :

253. गांव बोरदा पंचायत बोरदा तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा में हैण्ड-पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. गांव दुकवाड़ा पटवार मण्डल गनोड़ा में उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन व कलाजी मन्दिर के बीच हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

255. गांव तरतई पाडा पंचायत देल-वाड़ा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में आदिवासी बस्ती में हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

256. गांव चारना भोरवाई पंचायत नरवाली तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के हरिजन मौहल्ला में हैण्डपम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

257. गांव कुवानीया के मऊवाल पास में तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में पश्चिम की तरफ हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. गांव सेनावारना पंचायत सेना-वारना तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा में

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

विजवा मालाज़ वाला बट वृक्ष के पास हैण्ड पम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

259. गांव जगपुरा भुखीया पाड़ा के तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा में हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

260. गांव सरीपुरा, पंचायत दुदका तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में आदिवासी के मौहल्ला में हैण्डपम्प लगाकर पेयजल समस्या का निवारण करने पर चर्चा के लिये ।

261. गांव नाड़ा पंचायत रूपजी का खेड़ा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में लेखजी मन्दिर के पास हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

262. गांव वड़ीशा पंचायत डूंगर तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा में आदिवासी मौहल्ला में हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

263. गांव डुगलावाली गोठ पाड़ा पंचायत डुगलावाणी तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में आदिवासी मौहल्लों में हैण्डपम्प लगाने पर चर्चा के लिये ।

264. गांव रेणदा पंचायत सेमलिया उपतहसील पीपलखुट, जिला बांसवाड़ा में श्री खेमजी डा. हकरा नीनामा मोहल्ला में हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

265. गांव चन्दुजी का गुढ़ा पंचायत चन्दुजी का गढा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में आशापुरी माताजी मन्दिर के पास हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

266. गरनावट पंचायत पड़ोली गोर्धन विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति नारजी, खातियों के मौहल्ले में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता. पर चर्चा के लिये ।

267. गांव नायन पंचायत डुगलावाणी तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में हैण्ड पम्प लगाने पर चर्चा के लिये ।

268. गांव धारण पंचायत बोरी विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में श्री महादेव मन्दिर के पास हैण्डपम्प लगाने की चर्चा के लिये ।

269. गांव बानघाटी पंचायत सेमलीया विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में नई आबादी के पास हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

270. गांव मऊ पंचायत से मलीध विधान सभा क्षेत्र घाटोल, जिला बांसवाड़ा में हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

271. गांव जाम्बुडी पंचायत कानजी कागन विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में आदिवासी मौहल्ला में हैण्डपम्प लगाने पर चर्चा के लिये ।

272. गांव देवजी का ओडा विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

273. गांव चोपर पंचायत दुदका विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में बड़ नीचे हैण्डपम्प लगाने पर चर्चा के लिये ।

274. गांव बोरपी खाटा पंचायत

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

डूंगरिया विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में हरिजन मौहल्ला में हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

275. गांव नागवेला पंचायत दुदका विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय भवन के सामने हैण्ड-पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. गांव भामली पंचायत घन्टाली विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय भवन के पास हैण्ड-पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. गांव माडवी पंचायत पृथ्वीपुरा विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. गांव सालीया पंचायत पृथ्वीपुरा विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

279. गांव खेड़ीयावाणी पंचायत पृथ्वीपुरा विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

280. गांव खरवाड़ा पंचायत समिति पृथ्वीपुरा विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में हैण्डपम्प नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

281. गांव ठाकरा पंचायत पृथ्वीपुरा विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

282. गांव ठाकरा पंचायत पृथ्वीपुरा विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में रावलपाड़ा के पास हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

283. गांव राणपुर खराड़ी पंचायत पृथ्वीपुरा विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में खोरी पाड़ा के पास हैण्डपम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

284. गांव सुरपुर पंचायत सेमलिया विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में बस स्टेशन पर हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

285. गांव दाता पंचायत बोरी विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में आदि-वासी मौहल्लों में हैण्डपम्प लगाने की चर्चा के लिये।

286. गांव सुरजपुरा पंचायत सेम-लिया विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

287. गांव डुंगलावाणी (कलवाणी) पाग में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. गांव डुंगलावाणी पंचायत (डुंगलवाणी) विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में हैण्डपम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

289. गांव पीपलखुट (आम्बापाड़ा) पंचायत पीपलखुट विधान सभा क्षेत्र घाटोल

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

जिला में आदिवासी मौहल्लों में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

290. गांव पडोली राठोर (छापलापाड़ा) में पंचायत पडोली राठोर विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में सड़क के मोड़ पर हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

291. गांव विजोर पंचायत पड़ोली गोर्धन विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में श्री हस्तीनापुर मन्दिर के पश्चिम तल में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

292. गांव बस्सी आड़ा (खड़ाके काड) पटवार मण्डल बस्सी आग तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में आदिवासी के मौहल्लों में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

293. जिला बांसवाड़ा के गांव कुपड़ा पटवार मण्डल कुपण में इन्द्रा आवास मौहल्लों में हैण्डपम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

294. गांव टामटीया पटवार मण्डल मुवाक्ष तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में मुवाक्ष-बस्सी आड़ा व चीरोला सड़क चौराये पर हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

295. गांव पीपलखुट (कड़बलीया पाड़ा) में पीपलखूट से जैतालया जाने वाली सड़क पर आदिवासी मौहल्ला में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

296. गांव गरनावट पटवार मण्डल पडोलीगोर्धन तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में आदिवासी मौहल्ला में हैण्डपम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

297. गांव चेकला पंचायत मोटागांव विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

298 गांव कोडामगरी पंचायत डुगरीया विधानसभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय भवन के सामने हैण्डपम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :

299. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं का प्रभावी नहीं होने तथा भीषण पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

300. चम्बल से भरतपुर जिले की तीन सौ करोड़ रुपये की पेयजल योजना की क्रियान्विति नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बाठिया (पचपदरा) :

301. रुपये 247 लाख की बालोतरा जल प्रदाय योजना को स्वीकार कराने हेतु चर्चा के लिये।

302. बाड़मेर जिले में मोहनगढ़ से भिडियोण (जैसलमेर) हीरे की ढाणी उतरनी गोल तक लीक नदी में राजस्थान नहर से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

303. पचपदरा विधान सभा के बड़े गांव यथा पाटोदी थोब, कल्याणपुर, मडली, कोरण में पानी के घरेलू कनेक्शन देने पर चर्चा के लिये।

304. पचपदरा विधान सभा में नये

(श्री चम्पालाल बांठिया)

राजस्व गांव नवतला, नवोड़ाबेरा को जल प्रदाय योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

305. राजस्व गांव मांजीवाला (बालोतरा) की पेयजल योजना हेतु 8.33 लाख की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

306. कोरणा के बड़े गांव होने पर भी बड़ी टंकी नहीं बनाये जाने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

307. पंचपदरा विधान सभा क्षेत्र में बन्द पड़े हैण्डपम्प को पुनः शुरू करने हेतु चर्चा के लिये।

308. गत वर्ष लूनी नदी में आयी भयंकर बाढ़ से सप्लाई लाइन कट जाने से मास जुलाई-अगस्त के पानी के बिलों की राशि वापिस उपभोक्ताओं को लौटाने पर चर्चा के लिये।

309. मडली, बलाऊ, पतासर, मोहनपुरा के ओपन वैलों को गहरा करा कर पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

310. साजियाली–मूलराज-लापूदड़ा–चारणानान् एवं लापूदड़ा तरली में होद टंकी बन जाने के पश्चात् भी पेयजल नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

311. पानी के बिलों पर से कार्मशियल रेट हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

312. प्रदेश भर हैण्डपम्पों को तकनीकी दृष्टि से ठीक करने की विभाग में कोई उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

313. जयपुर जिले की जयसिंहपुरा खोर पंचायत के हरिजन मौहल्लों में पानी की सुचारु स्कीम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

314. सरकार द्वारा पाइप घोटाला काण्ड की जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत न किये जाने पर चर्चा के लिये।

315. चम्बल के पानी को लाकर जमवारामगढ़ बान्ध से व अन्य योजनाएँ बना कर पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

316. टी. एस. एस. योजना की मरम्मत की जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग को सौंपे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

317. जयपुर के उत्तरी क्षेत्र में बने ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से निर्गमित दुर्गन्ध से नागरिकों को सांस लेने में तथा रहने में हो रही परेशानी से ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

318. जयपुर नगर सिटीवाल के अन्दर गटर लाइनों में से पेयजल की लाइनें बाहर निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

319. पेयजल योजना बनाते समय मनुष्यों की संख्या के साथ-साथ पशुओं की संख्या भी जोड़कर आंकलन किये जाने व योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

320. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

समिति झोटवाड़ा की पंचायत सुमेल के ग्राम विजयपुरा व गंगाराम की ढाणी के पानी पीने से पैरों में अपंगता आने से सैकड़ों नागरिकों के प्रभावित होने पर भी उक्त गांव में ढुंढ नदी कानोता से जल उपलब्ध न कराये जाने से नागरिकों में भयंकर असन्तोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

321. जयपुर जिले की व शहर की पेयजल की स्थायी समस्या के समाधान के लिये बनास योजना का लाभ अविलम्ब दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

322. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र तहसील जमवा रामगढ़ की पंचायत नटाटा के ग्राम साइवाड़ में तत्काल नलकूप खुदवाया जाने पर चर्चा के लिये।

323. जयपुर नगर में जगह-जगह पानी की लाइनों में लीकेज होने से विभाग की उपेक्षा से पानी में व्यर्थ फैलाव व समय पर मरम्मत न किये जाने से हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

324. जयपुर जिले में पेयजल समस्या के समाधान के लिये व्यापक सर्वे कर योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

325. बीसलपुर परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

326. पेयजल की त्वरित योजना को लागू करने हेतु खरीद किये गये सामान में हुए भारी भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

327. हैण्डपम्पों के रख-रखाव संधारण व सुधार के लिये एक ही ऐजेन्सी को उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

328. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के नायला पंचायत में सरकारी ढाणी, सालेरी की ढाणी दरवाजे बाहर दांये और टमाटर मण्डी के पास तथा गांव की चौपड़ पर हैण्डपम्प तत्काल लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर) :

329. ग्राम नड़वा में टी. एस. एस. योजना लागू कराने बाबत चर्चा के लिये।

330. ग्राम आजवा में जी. एल. आर. का निर्माण कराकर टी. एस. एस. योजना लागू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

331. तहसील परबतसर में 250 से अधिक जनसंख्या वाली ढाणियों में जी. एल. आर. निर्माण करवाकर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

332. बोका पट्टी जलदाय योजना गच्छीपुरा जिला नागौर में ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

333. सारणों की ढाणी कुडरी, घड़ीवाली ढाणी कुंडरी, रोटीड़ा बेरा की ढाणी पीलवा, आकाश्यावेरा की ढाणी पीलवा, ग्रा सांचोर, ग्राम भेरवास में बुगालियों की ढाणी नाथ का बेरा बस स्टेण्ड, फूलेला की ढाणी मेहगांव, रेगरान मोहल्ला बाजवास,

(श्री मोहनलाल)

रातडी नाडी की ढाणी खानपुर में हैण्डपम्प खोदने पर चर्चा के लिये।

334. ग्राम कलकलां ढाणी की नाटी में नलकूप खुदवाकर ग्राम मंगलाना को पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

335. धारा की ढाणी खीदरपुरा को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनायें लागू करने पर चर्चा के लिये।

336. खारा पानी के ग्राम धोलिया, मुडोता, पालड़ी कड़वा, भवानी गांव व निम्बोला कलां की स्वीकृत सुदा क्षेत्रीय योजना के अनुसार नलकूप खुदवाकर पेय जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

337. ग्राम पीलवा, बालवास, भादवा, जंजीला, बस्सी, कुराड़ा, बिठवालिया, बाजोली, चिताई, मंगलावा, गोगवा में पी. एन. टी. योजना लागू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

338. पंचायत जयसिंहखोर के ग्राम मायलीबड, कुण्ड की ढाणी, हरिजनों का मौहल्ले में, जोगियों की ढाणी में, भाण्डों के नाले में, श्याम वालों की ढाणी में खारवालों की ढाणी में प्याऊ के पास एक-एक नल लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

339. ग्राम सड़वा में बनी पानी की टंकी को जयपुर आ रही पाइप लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

340. ग्राम सायपुरा में चावण्डमाता के गांव, चावण्ड के मढ़ में मन्दिर के रास्ते में, थीपल्यावास की ढाणी में, गोधूजी की ढाणी में, चैनपुरा व मांगों की ढाणी में हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

341. नायला गांव की बालसेरा ढाणी घरवाली वाड़ा की ढाणी, झरवालों की ढाणी में मन्दिर के पास बाठ की ढाणी ढाणी धानका में, ढाणी कागोता, कावंरियों की ढाणी, घामना की ढाणी में पानी के अभाव में हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

342. सुमेल के पास डूंगरी की ढाणी में माल डूंगर में ऊपर की नांगल में तथा वीनजी की ढाणी में एक-एक हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-36 सहकारिता पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये :

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में एक पंचायत एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) :

2. सहकारी समितियों द्वारा की ज

(श्री रामकरण सिंह)

रही अनियमित कार्यवाहियों को विभाग द्वारा नहीं रोक पाने पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) :

3. सहकारिता विभाग के आडिटरों के स्थानान्तरण में व्याप्त अनियमितताओं एवं बढ़ते भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

4. बीकानेर जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार के प्रथम चरण के चुनाव होने के बाद द्वितीय चरण के चुनावों को गैरकानूनी तरीके से विभाग द्वारा रोकने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

5. सस्ती दर का माल सहकारिता के माध्यम से वितरण न होने पर चर्चा के लिये।

6. विभागीय अक्षमता से राजस्थान में डिफाल्टरों व गबन करने वालों का कर्जा माफ होने पर चर्चा के लिये।

7. सहकारिता के चुनावों में संचालक मण्डलों के डाइरेक्टरों के अलग-अलग क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. प्रत्येक पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कराने पर चर्चा के लिये।

9. राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनावों के बाद केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव टालने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

10. कोटपूतली तहसील की सहकारी समितियों के चुनावों में एक चुनाव अधिकारी द्वारा खुले आम हर सहकारी अध्यक्ष पद का सौदा किये जाकर फैलाये जा रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

11. विभाग में सुधार और कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलेट (हिण्डोली) :

12. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं अधिक अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी) :

13. सहकारी संस्थाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप के फलस्वरूप व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

14. सहकारी समिति के चुनाव में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

15. झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मांगी लाल मेघवाल (केशोराय पाटन) :

16. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल में डिस्टेलरी प्लांट शीघ्र शुरू नहीं होने

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

17. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल में गत्ता प्लांट की स्वीकृति प्रदान न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

18. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल में श्रमिकों को वर्ष भर काम देने हेतु इसकी क्षमता न बढ़ाई जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

19. सहकारिता क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूणकरणसर) :

20. लूणकरनसर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सहकारी समितियों द्वारा समय पर कर्ज, बीज व राशन वितरण न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

21. लूणकरनसर क्षेत्र में भ्रष्ट कर्मचारियों की शह से सहकारिता का नाजायज लाभ उठाने पर चर्चा के लिये।

22. लूणकरनसर विधान सभा क्षेत्र में केन्द्रीय सहकारी बैंक बीकानेर एवं लूणकरनसर में कार्यरत व्यवस्थापकों द्वारा एक ही नाम से अलग-अलग ग्रामों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बीस-बीस हजार रुपये का गलत तरीके से ऋण माफ कराये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

23. सहकारी संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराकर जन प्रतिनिधियों को सहकार आन्दोलन में भागीदारी से वंचित रखने पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :

24. तहसील बस्सी जिला जयपुर की ग्राम सेवा सहकारी समिति तूंगा में खाता संख्या 159 पृष्ठ संख्या 301 में 40,000 रुपये जमा करवाये गये थे पर प्रबन्धक द्वारा इस राशि को जमा नहीं कराने पर भी समिति को दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

25. किसानों की ऋण माफी योजना में राजस्थान बैंक का कर्जा माफ नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

26. सहकारिता के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) :

27. बुनकर सहकारी समितियों के लिए पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध न कराने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

28. ग्रामीण सहकारी समितियों को

(श्री रमाकान्त)

दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

29. राजस्थान राज्य सहकारिता संघ लिमिटेड, जयपुर मेडिकल शाखा द्वारा लाखों रुपये की राशि की दवाइयों का समय पर उपयोग नहीं करने से गोदामों में ही एक्स-पायर तिथि निकल जाने से हो रही हानि पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

30. राजस्थान राज्य सहकारिता संघ लिमिटेड, जयपुर की शाखा में प्रशासनिक व गोदाम सुपरवाइजर के पद पर तकनीकी सुपरवाइज़र नहीं होने से हो रही गम्भीर अनियमितताओं पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

31. राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा अपने समस्त विक्रय केन्द्रों का पूर्ण हिसाब न रखने से तत्काल जान-कारी न होने व विक्रय केन्द्र के हालात खराब होकर संघ की राशि के हो रहे दुरुप-योग पर भी इसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

32. राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर की मेडिकल शाखा में दवा-ईयों की स्कीम/गिफ्ट/मूल्यों में कमी बेशी का पूर्ण रिकार्ड न रखने से हुए लाखों रुपये के घोटाले पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

33. राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर की मेडिकल शाखा द्वारा अपने विक्रय केन्द्र को मांग पत्र की पूर्ण दवाइयां सप्लाई न करने से करोड़ों रुपये की बिक्री के नुकसान पर भी दिये जा रहे अनु-दान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

34. राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा 83–84 में मिली मेडिकल शाखा को मिनी स्टाकिस्टशिप की कम्पनियों को बन्द कर स्थानीय वितरकों से दवाइयां खरीदकर संघ की छवि को गिराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

35. राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर के प्रबन्ध संचालक द्वारा शोर्टेज व गबन करने वाले विक्रेताओं को दुबारा विक्रय केन्द्र पर लगाकर शोर्टेज व गबन की राशि में बढ़ोतरी होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

36. राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर की मेडिकल शाखा द्वारा टैक्स के बाद डिस्काउन्ट लेने से हुये लाखों रुपयों के नुकसान पर भी संघ को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

37. राजस्थान राज्य सहकारी उप संघ लिमिटेड, जयपुर की मेडिकल शाखा द्वारा महिला सुपरवाइजर को सर्किल में न लगाकर पक्षपात करने पर भी संघ को प्रदत्त अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

38. राजस्थान राज्य सहकारी उप-संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा अनुमोदित दवा-इयों की सूची बिना हस्ताक्षर कर भण्डारों

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

को भेज कर की जा रही अनियमितता पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

39. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर द्वारा आवंटित पामोलिन नहीं उठाने से जनता में उत्पन्न कठिनाई पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

40. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा आवंटित चीनी पूरी नहीं उठाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

41. पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आम सभा नहीं बुलाने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

42. पूर्व में पथिक गृह निर्माण समिति की झूठे तरीके से जांच करने वाले अधिकारी के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई उचित कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

43. पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा काफी अनियमिततायें करने से सदस्यों में बढ़ते आक्रोश पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

44. पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा दबाव डालकर एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करने से उत्पन्न गड़बड़ियों को दबाने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

45. पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा अधिकारियों से मिलकर फर्जी चुनाव कराने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

46. पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा खर्चों का रिकार्ड व बिल बाऊचर नहीं रखने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

47. पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा विकास कार्यों हेतु टेण्डर आमंत्रित नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

48. पथिक गृह निर्माण समिति, जयपुर द्वारा उनके कार्य क्षेत्र के प्लाटों में हेरा फेरी करने, प्लाटों का फर्जी वितरण करने एवं उनको छोटा करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

49. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा दवाई की खरीद एवं बिक्री में बहुत बड़ा अन्तर रखने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

50. राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा अनुमोदित कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त फार्मों की हेराफेरी कर रिकार्ड नष्ट करने पर भी संघ को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

51. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा वर्ष 1988-89 व 1989-90, 1990-91 में

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अनावश्यक फर्नीचर खरीदना/बनवाना/मरम्मत आदि में गड़बड़ी किये जाने पर भी संघ को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

52. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा खाड़ी संकट के दौरान 2 करोड़ रुपये की राशि के दुरुपयोग करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

53. राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा सहकारी संस्थाओं को चल-वाहन उपलब्ध न करवाने तथा राशि का दुरुपयोग करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

54. राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा वर्ष 1989–90 में एलोपैथिक दवाइयों की दुकानें टौंक जिले में खोल कर जनता को राहत प्रदान न करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री राम नारायण वर्मा (नेनवां) :

55. सहकारी समितियों के माध्यम से घटिया एवं कम मात्रा में बीज वितरण करने के कारण वांछित लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये ।

56. ग्राम गम्भीरी को ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड खासपुरिया में मिलाने बाबत चर्चा के लिये ।

57. खासपुरिया ग्राम सेवा सहकारी समिति के भवन का निर्माण न करने से हो रही अव्यवस्था पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

58. राजफेड में हुए पुराने घोटालों की जांच के बाद भी कार्यवाही नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

59. उपभोक्ता सहकारी समितियों के घोटालों की जांच न करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

60. ग्राम बांसी के व्यक्तियों को ऋण मुक्ति योजना का लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये ।

61. नैनवां विधान सभा क्षेत्र में पशुपालन सहकारी समितियों के अभी तक भी गठन नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) :

62. जालौर जिले की गृह निर्माण सहकारी समितियों के पंजीयन आदि में अनियमिततायें होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

63. जालौर में गृह निर्माण सहकारी समितियों में अनियमितता एवं घपलों के बावजूद दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

64. पाली जिले में सोसाइटियों के चुनाव समय पर नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

65. सहकारी समितियों के सदस्यों की जमा हिस्सा राशि के ब्याज सहित जमा

(श्री हीरासिंह चौहान)

राशि से पाली जिले के सदस्यों को अवगत न कराये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

66. ग्राम सेवा सहकारी समिति कानूजा जिला पाली के भवन एवं गोदाम की मरम्मत नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

67. राज्य की सहकारी समितियों की वसूली योग्य राशि को पूर्व अध्यक्ष एवं व्यवस्थापकों से तत्काल वसूल न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

68. ग्राम पंचायत मुख्यालय बगड़ी, कलासिया, खोड़िया, बीजलदड़ा, चिनाड़, अमरपुरा, रेलड़ा, हाजीवास, लीलाम्बा, रामपुरा, बासिया, बासना, झाला की चौकी मेगदड़ा, प्रतापगढ़, रातड़ियां, कालबकला, जिला पाली में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पुनः प्रारम्भ नहीं करने से हो रही असुविधा पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

69. प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां पुनः प्रारम्भ न करने से हो रही असुविधा पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी) :

70. सहकारी समितियों में व्याप्त घोटालों पर चर्चा के लिये।

71. पंचायत स्तर पर सहकारी समिति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

72. भूमि विकास बैंक तथा सहकारी बैंकों का चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

73. सभी किसानों का दस रुपये तक के ऋण माफ नहीं करने पर चर्चा के लिये।

74. अब तक भी प्रत्येक ग्राम पंचायत की अलग-अलग सहकारी समिति नहीं बनाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दिलसुख राय(फतेहपुर) :

75. सीकर जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के अनुसार अलग-अलग ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. सीकर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारिता चल इकाई द्वारा आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध न करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

77. सीकर जिला मुख्यालय पर सहकारी क्षेत्र में सरसों के तेल की व दलहन की मीलें झुंझुनूं एवं मेड़ता सिटी के समकक्ष बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) :

78. सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

बैंकों के अलग-अलग अस्तित्व से प्रशासन पर भारी खर्चों से ग्राम जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

79. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को बैंक कर्मचारी या राज्य सरकार के कर्मचारी घोषित कर वेतनमान नहीं देने से व्याप्त असंतोष पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

80. प्रान्त में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति नहीं होने से कृषकों को खाद व बीज प्राप्त करने में हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

81. हस्तेड़ा बुनकर सहकारी समितियों में फर्जी ऋण व अनुदान से ग्राम जनता में व्याप्त असंतोष पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मी लाल (आसीन्द) :

82. लघु उद्योगों को भी सहकारिता के माध्यम से चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

83. आसीन्द क्षेत्र में सहकारी मिल की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

84. किसानों को सहकारी समितियों द्वारा ऋण सही समय पर उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

85. सहकारी ऋणों पर ब्याज की दर कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

86. सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अधिक उपयोगी सामग्री वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

1. **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास) :

2. **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) :

87. सहकारिता विभाग में जांच करने के बाद भी दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये ।

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) :

88. हिण्डौन तहसील के ग्रामों में सहकारी समितियों के चुनावों में धांधली व अनियमितताऐं होने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री कुबेर खां (रामगढ़) :

89. गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) :

90. विभाग में व्याप्त घोटालों का जांच एवं निर्दोष किसान तथा कमजोर वर्ग के नागरिकों को फर्जी कर्जों से मुक्ति दिलाने की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

91. सहकारिता विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

92. सहकारी समिति द्वारा खाद बीज समय पर, उपलब्ध नहीं कराने पर भी दी जा रही अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

93. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम पामोलीन व चीनी खरीदने पर भी दी जा रही अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

94. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ द्वारा बिना किसी व्यवस्था एवं आधार के क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा क्रय किये जाने वाले उर्वरक पर कमीशन लेने पर भी दी जा रही अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

95. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समितियों से कीटनाशक औषधियों के व्यवसाय पर बिना किसी वजह से ओवर राशनिंग चार्जेज लेने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

96. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ द्वारा कीटनाशक औषधियों की कम्पनी व दरों के बिना किसी आधार के कुछ फर्मों को ही अनुमोदित करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

97. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा बाहर के भंडारों को दवाइयों की अनुमोदित कम्पनियों की व डिस्काउन्ट की सूची व स्कीम के सर्कुलर नहीं भेजने पर भी दी जा रही अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

98. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर की करोड़ों रुपये की राशि चीनी मिलों व सहकारी समितियों में फंस जाने पर भी उपभोक्ता संघ को दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

99. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर की मेडिकल शाखा द्वारा टोंक स्थित दवाइयों की दुकानों को पूर्ण दवाई सप्लाई न करने पर भी दी जा रही अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

100. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर को आवंटित कपड़ा न खरीद कर हैण्डलूम व कण्ट्रोल का कपड़ा सप्लाई नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

101. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. मेडिकल शाखा जयपुर द्वारा अनुमोदित कम्पनियों की मय वितरक डिस्काउन्ट व स्कीम का पूर्ण रिकार्ड न रखने पर भी दी जा रही अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

102. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा मेडिकल शाखा की बाहर के भण्डारों में बकाया राशि वसूल न करने पर भी दी रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

103. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता सघ लि. जयपुर की मेडिकल शाखा द्वारा राजकीय सप्लाई की बकाया राशि वसूल नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

104. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर की मेडिकल शाखा द्वारा सर्किल सुपरवाइजरों को पूर्ण सुविधा न देने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

105. राज्य की सहकारी संस्थाओं में गबन के निर्णीत मामलों मे सक्षम कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दी जा रही अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

106. विभाग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों पर पद के दुरुपयोग एवं अनियमितता पर जांच के उपरांत भी सक्षम कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

107. टोंक केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना एवं पद का दुरुपयोग कर बैंक को दिवालिया बनवाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

108. टोंक सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा फर्जी भुगतान करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

109. दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. टोंक में की गई अनियमितता पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

110. सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के अध्यक्ष द्वारा बैंक के हितों के प्रतिकूल कार्य करने के उपरान्त भी सक्षम कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

111. सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के अध्यक्ष द्वारा बैंक को लूटने, अनियमित कार्यवाही करने एवं अपने पद का दुरुपयोग करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) :

112. सहकारी ऋण की अदायगी सीमा 5 साल तक करने तथा किसानों को पास बुक दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

113. क्रय विक्रय सहकारी समिति छबड़ा, छीपाबड़ोद में घाटा लगन एवं हिसाब का लेखा-जोखा सही नहीं रखने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

114. सहकारी समितियों द्वारा खाद एवं शक्कर वितरण में किये जा रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताए होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

115. जिरोद सहरोद में सहकारिता गोदाम बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) :

116. केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कमजोर वर्ग के नाम से भ्रष्टाचार एवं अनियमितता करने पर भी दी जा रही अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

117. केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं अन्य जिला व प्रदेश स्तर पर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पद प्रबन्ध कार्यकारिणियों में नहीं रखे जाने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

118. केशवराय सहकारी शुगर मिल (बून्दी) को घाटे से उबारने हेतु पूर्व घोषित डिस्टलरी प्लांट नहीं लगवाये जाने पर भी दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

119. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल में पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होने पर भी गन्ना उद्योग प्लांट न लगाये जाने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

120. प्रदेश में विभिन्न स्तर की शेष समितियों के चुनाव नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुये भी बजट राशि का प्रावधान नहीं किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

121. केशवराय पाटन क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किये गये गबन राशि के मामलों में पुलिस मुकदमे दर्ज न करवाये जाने से ग्राम जनता में व्याप्त रोष पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

122. बून्दी जिले में सहकारिता पर आधारित एक अन्य शुगर मिल खोली जाकर गन्ना उत्पादकों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

123. प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को राज्य कर्मचारियों के समकक्ष नहीं माने जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

124. सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों को उचित वेतनमान नहीं दिये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

125. जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर एवं अन्य शहरों में आवासीय सहकारी समितियों के माध्यम से किये गये घोटालों की उच्चस्तरीय जांच नहीं होने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

126. कोटा सम्भाग की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

127. विभाग में नियमानुसार अनुसूचितजाति एवं जनजाति का आरक्षित कोटा सभी पदों पर एवं पदोन्नतियों में नहीं भरा जाने पर चर्चा के लिये ।

128. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से गरीब एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

विशेष सहायता एवं अनुदान नहीं दिये जाने पर भी प्रदत्त सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

129. सहकारिता में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को भागीदारी न बनाकर जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठाये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

130. प्रदेश की बुनकर सहकारी समितिओं में हो रही मनमानी, भ्रष्टाचार नहीं रोके जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

131. जालौर में सोयला रोड की कल्याण गृह निर्माण समिति में लाखों रुपये के गबन व घोटालो होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

132. सहकारिता के सभी प्रकार के चुनाव रोकने से बढ़ते भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

133. जयपुर की गृह निर्माण समितियों में हुए करोड़ों के घोटालों को जनता के सामने न पेश करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

134. सहकारी विभाग द्वारा चलाये जाने वाले कारखानों में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार व गबन पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) :

135. आवश्यक सामग्री उचित रेट पर विक्रय हेतु प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में उपभोक्ता दुकान नहीं खोलने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

136. कोटा जिले या पूरे राजस्थान की विशेषत: कोटा जिले की प्रत्येक सहकारी समिति में एक व्यवस्थापक की व्यवस्था नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

137. ग्रामीण सहकारी बैंकों से उचित समय पर खाद-बीज, पक्की नाली एवं कुएं की मरम्मत आदि के लिए ऋण की व्यवस्था नहीं दिये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :

138. प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने हेतु कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।

139. केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

140. हैण्डलूम बोर्ड की सहकारी समिति द्वारा चैक दिये जाने व सहकारी बैंक के अध्यक्ष द्वारा बैंक से एक लाख रुपये के करीब की राशि के चैक का चुकारा न किये जाने पर भी बोर्ड को प्रदत्त सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

141. जयपुर नगर में गृह निर्माण सहकारी समिति की सुनवाई किये जाने पर भी दोषी समितियों या व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

142. सहकारी समितियों द्वारा कर्जे बांटने में बरते जाने वाले भेदभाव व अनियमितताओं की जानकारी मिलने पर विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये।

143. जयपुर जिले की डेयरी सहकारी समितियों की असफलता पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

144. सहकारिता निरीक्षकों द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओं का समय पर निरीक्षण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

145. भूमि विकास बैंक की ऋण वितरण प्रणाली दोषपूर्ण होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

146. हरिजनों व पिछड़े वर्ग पर 10 वर्ष से पूर्व का बकाया ऋण माफ नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

147. जयपुर जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति नीम्बी व संकलन केन्द्रों को भंग कर नये चुनाव कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन एवं संगठनात्मक चुनाव कराने पर चर्चा के लिये।

149. सहकारिता क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के समाधान करने पर चर्चा के लिये।

150. सहकारिता के क्षेत्र में फैली बुराइयों को मिटाने हेतु नये कार्यक्रम बनाने पुराने कर्ज माफ करने व समितियों से सभी ऋण एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

151. सभी सहकारी समितियों व बैंकों में चुनाव न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. सहकारी समितियों के एकीकरण से उत्पन्न अव्यवस्था पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

153. गणेश कालोनी गृह निर्माण सहकारी समितियों के भवनों पर जोधपुर में जनप्रतिनिधियों द्वारा कब्जे किये जाने एवं उनके खिलाफ कार्यवाही न किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) :

154. सहकारी बैंकों में कर्मचारी भर्ती की रोक नहीं हटाये जाने से व्याप्त असंतोष पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

155. शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सिरसी रोड पर मंगल

(श्री गोपीराम जाट)

बिहार योजना में स्थगन आदेश के बावजूद पट्टे दिये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

156. सहकारी गंगा जमुना योजना समिति शिल्पाचार्य, विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति की भूमि पर अतिक्रमणियों द्वारा किये गये कब्जों को नहीं हटाने पर भी समिति को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

आय-व्ययक 1991-92
मांग संख्या 27 व 36 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि....(व्यवधान)

+ + + हमारे तथाकथित वरिष्ठ कहे जाने वाले और इस प्रजातन्त्र का 40 साल तक जिन्होंने आनन्द लिया है वह किस प्रकार इस हाउस का + + + प्रजातन्त्र का + + वह क्यों कर रहे हैं। आज सहकारिता पर बहस हो रही है, पेयजल पर बहस हो रही है। अब सहकारिता में वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए वे आज फेस नहीं करना चाहते हैं और कभी यहां पर आ जाय और कभी सदन से बाहर + + + । मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं + + + उनकी हिम्मत नहीं है कि वे यहां पर बैठ कर सुन लें। हैण्डपम्प में बड़े-बड़े घोटाले किये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर वर्ष पेयजल पर और इस सारी समस्याओं पर हम विचार करते हैं, मांगों पर, बजट पर विचार करते हैं और राशि का आवंटन करते हैं लेकिन उसके बाद भी उसका उपयोग नहीं किया और आज हमारे सामने ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले 43 साल में हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी आज कौन-सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम पेयजल प्राप्ति की समस्या के प्रति चिंतित हैं। मैं जानता हूं कि फेस नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर + + + चाहते हो तो आ जाओ। मन नहीं भरा है तो फिर आ जाओ...।

श्री चम्पालाल बाँठिया : यह क्या तरीका है यह बोलने का तरीका है क्या ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मखोल बना रखा है विधान सभा को। आ जाओ। क्या जागीर है आपकी विधान सभा....

एक माननीय सदस्य : आपकी जागीर है क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। प्लीज महावीरजी आप विषय पर बोलिए।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदा विषयान्तर होते हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल पर ही बोल रहा हूं जो असफलताएं 40-42 सालों की हैं, जिस प्रकार हजारों करोड़ की राशि का दुरुपयोग किया है वह सुनना नहीं चाहते हैं इसलिये + + + करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हजारों करोड़ रुपये पाइप घोटाले के नाम से आपने भी सुना होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पेयजल समस्या बनी हुई है उसका कारण क्या है? हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी केवल असत्य आश्वासन दिये और कहा गया कि राजस्थान के 24 हजार गांवों में पेयजल की समस्या का समाधान कर दिया लेकिन आज मुझे कहते हुए तकलीफ है कि हजारों करोड़ रुपये पेयजल की समस्या पर खर्च करने के बाद भी पता नहीं यह किस प्रकार के पाइप और पाइप डकार गये । जो पीने के पानी के पाइप खरीदे गये उन पाइपों को किस प्रकार खाया होगा यह मेरी समझ में नहीं आता । इसका आज तक जवाब नहीं है और मुख्यमंत्रीजी बड़ी सरलता से उनको कैसे बख्स रहे हैं मैं नहीं समझता । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी समस्याओं के बावजूद भी हमारी सरकार ने आते ही सारे राजस्थान में ढाणी ढाणी में पानी की समस्या थी....

(5.52 सायं)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सब की आंख में पानी भर दिया ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप में तो पानी नहीं । यदि पानी होता तो आप चेयरमैन की शिकायत नहीं करतीं आप व्यवस्था करतीं लेकिन पानी नहीं है । + + + यह कह दिया कि मेरी चलती नहीं है आपको एक मिनिट भी एम. एल. ए. रहने का भी अधिकार नहीं है । अच्छा किया जो आपको मन्त्रिमण्डल से हटा दिया गया । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने ऐसी समस्या थी कि सारे शहरों में सारे गांवों में पेयजल का इस प्रकार का संकट था जो बहुत बड़ी चुनौती थी लेकिन इसके बाद भी मैं बधाई देना चाहता हूं हमारी सरकार को कि तात्कालिक योजना बनाकर जो समस्या छोड़ी थी, जो पेयजल का संकट खड़ा किया सारे राजस्थान में उसका समाधान हमने किया । आज मुझे खुशी है । मैं ऐसे लोगों की बात नहीं सुनना चाहता हूं जो एक मामूली तहसीलदार से + + + और यहां बैठे-बैठे कहें कुछ नहीं किया ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : रोडवेज के बस कण्डक्कटर ने गाड़ी से नीचे उतार दिया था ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह महुआ से पेट्रोल पम्प छोड़कर आये हैं।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : जो काम तरीके से नहीं करता है उसको हम पीटते हैं पीटने वाले नहीं हैं। आप भी नहीं करेंगे तो आप के साथ भी यही सलूक करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सलूक क्या होगा ? मुझे पता है। राहोली में क्या किया है और वहां पर क्या किया है एक-एक का विवरण बताऊंगा। लेकिन पहले पेयजल की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका था कि यह अपने विफलताओं पर और जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपये पर+++उसको नहीं सुनना चाहते हैं इसलिए+++व्यवधान करेंगे। मैंने पहले ही निवेदन किया आप मुझे संरक्षण देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की भारी समस्या के बावजूद भी पिछली बार हमने बड़ा माकूल इन्तजाम किया और हर जगह हैण्डपम्प, रीजनल पाइप स्कीम, कुए खोदकर और ट्यूब वैल लगाकर कारगर इन्तजाम किया। उसके लिए आपको आभार मानना चाहिए। आप इस प्रकार का+++कृत्य करेंगे मैं नहीं समझता था। जबकि आप कर सकते हैं, प्रजातन्त्र में आपको छूट है लेकिन इस साल भी हमने पानी को प्राथमिकता देकर माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार हमने इसकी आयोजना, नियोजन किया है। कहने के लिए हम कहेंगे 93.05 करोड़ इसमें रखा है। जिसमें से 47.95 करोड़ शहरों के लिए, 46.00 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के लिए लेकिन इसके अलावा कई जगहों से पैसा लाकर जो समस्या छोड़ी उसका हम समाधान करेंगे। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने भारत सरकार से 51 33 करोड़ त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए इस बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा हमने 100 ग्राम और 500 ढाणियों को अनुसूचित जाति और जनजाति का जहां बाहुल्य है वहां पर एक हजार बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था करेंगे और इतना ही नहीं दूर दराज के मजरे हैं जो आपने क्राइटेरिया रखा था ढाई सौ की आबादी पर एक हैण्डपम्प लगायेंगे। हमने विचार किया कि यह पर्याप्त नहीं है और ढाई सौ आदमी पानी नहीं पी सकते हैं, किसान जानवर भी रखता है उसका समाधान कैसे होगा। हमने समाधान करने के लिए ढाई सौ से 100 जनसंख्या जहां पर होगी वहां पर एक हैण्डपम्प लगाकर लाभान्वित करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतना ही नहीं अजमेर में 72 घण्टे में पानी दिया करते थे आज मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि वहां पर पेयजल समस्या का समाधान अभी बीसलपुर बांध को बांधने से पहले ही किया है। 36 घण्टे और 48 घण्टे पानी दे रहे हैं और पानी जो पहले 2 घण्टे मिलता था आज पूरे दिन पानी वहां मिलता है। यह हमने सक्षम कार्यवाही की है, विभाग के अधिकारियों ने त्वरित गति से काम किया। वही अधिकारी पहले भी थे...

+++शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : इसमें आपका व आपकी सरकार का सहयोग नहीं है।

श्री सभापति : यह सरकार बोल रही है या माननीय विधायक बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सरकार का विधायक बोल रहा है। सरकार में नहीं होता तो भी मैं इसलिए बोलता माननीय सभापति महोदय....

श्री टीकम चन्द कांत : यह सरकारी विधायक बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह बात इसलिए बोलता क्योंकि आज मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं कि गांव-गांव और शहर शहर में पानी की जिस प्रकार की समस्यायें थीं और आज जिस प्रकार से समाधान किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आपने घण्टी बहुत जल्दी बजायी माननीय सभापति महोदय, अभी तो सरकारी विभाग और है।

श्री सभापति : आप दिन भर वैसे ही बहुत बोल लेते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मतलब आपकी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है वह सुनना, मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, आसन पर किसी प्रकार भी कुछ नहीं कहा जाय। यह मैं उचित नहीं समझता। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे टोंक जिले में भयंकर पानी की समस्या थी और पिछले 40 साल तक जो शासन रहा उसके कारण हम बनास नदी के किनारे पर बसने वाले लोग होने के बावजूद भी वहां पर जगह-जगह खारा पानी और पानी की समस्या थी। टोंक, निवाई और देवली से अजमेर को पानी मिलता है उसके बावजूद वहां देवली के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे लेकिन आने के बाद त्वरित योजना से हैण्डपम्प लगाये वहां पर कुए खुदवाकर पानी सप्लाई किया। इतना ही नहीं इस साल टोंक की दो करोड़ अस्सी लाख रुपये की योजना स्वीकृत की है, देवली की 50 लाख की योजना स्वीकृत हुई है और निवाई की एक करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय को कि उन्होंने यह योजनाएं बनायीं और योजनाएं तो अभी बनी हैं लेकिन निवाई की योजना के लिए कहना चाहता हूं कि पिछले पांच साल से लटकी पड़ी थी और झूल रही थी लेकिन जिस दिन मन्त्री बने उसी दिन प्रस्थान किया और निवाई में जाकर देखा जहां 20 लीटर पानी मिल रहा था। समस्या को समस्या समझा और स्वीकृति दी। केवल इतना ही नहीं दो ग्रामीण योजना के तहत कई योजना स्वीकृत हुई है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह सारा कुछ मन्त्री महोदय को अपने जवाब में कहना है। मुझे जो कहना है वह मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे टोंक....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, गागर में सागर।

(6.00 सायं)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो ग्रामीण

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

समस्याएं हैं, यहां पर जो योजनाएं विभाग के पास विचाराधीन पड़ी हैं, बहुत समय से पड़ी हुई हैं और उसके बावजूद भी उनकी स्वीकृतियां जारी नहीं होना, मैं इस बात को जानता हूं कि आपने दो लाख और पांच लाख रुपये के अधिकार बिना बोर्ड के और केवल एडीशनल चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर उन योजनाओं की स्वीकृति कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी यह बहाना बनाया जा रहा है। आपने इस प्रकार का कोई एक वाक्य लिख रखा है कि जहां पर हैण्डपम्प लगे हुए हैं, वहां योजनाएं स्वीकृत नहीं होंगी। मैं नहीं जानता कि अगर वास्तव में आपने रोक लगाई है, या आपके अधिकारी कोई बहाना बना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर खारा पानी हो गया है, जहां पर हैण्डपम्प फैल हो गये हैं, वहां पर आपके पास इसके अलावा कोई साधन नहीं है कि बनास नदी के पेटे में से पानी ले जाकर आप उनको पिलायें। वह योजना ज्यादा महंगी भी नहीं है। केवल एक लाख, डेढ़ लाख, दो लाख रुपये की योजनाएं हैं, उनके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह योजनाएं स्वीकृत नहीं की गई तो बनास नदी पर रहने वाले लोग यदि प्यासे रहें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हम कांग्रेस को कोसते हैं, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि यदि हमने योजनाओं को स्वीकृत नहीं किया, या किसी प्रकार की ढिलाई की तो हम लोगों को किसी भी प्रकार से प्यासा नहीं देख सकते, लोगों को प्यासा नहीं रहने देंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने बहुत सारे कट मोशन्स दिये हैं। ईसरदा बांध की मैं चर्चा करना चाहता हूं। यह बांध वास्तव में बनेठा के पास है। जहां के हमारे....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या समाप्त करूं, माननीय सभापति महोदय। मैंने तो अभी शुरू ही किया है। यह डिमाण्ड्स पर चर्चा कर रहा हूं, यह कोई आधा घण्टे की चर्चा या अन्य....

श्री सभापति : आधा घण्टे की चर्चा नहीं, दस मिनट की समय सीमा है। आप 17 मिनट बोल चुके हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, थोड़ा सा मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह ईसरदा बांध, जिसको हम कह रहे हैं, बनेठा के पास, बनेठा में बनेगा, बनेठा में इसका कार्यालय खुलेगा, जहां के हमारे गृहमन्त्रीजी हैं और यदि ईसरदा बांध नहीं बनेगा तो हजारों करोड़ रुपये आपको पेयजल की समस्या के लिए टोंक जिले के लिए खर्च करने पड़ेंगे। साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो जयपुर के लिए पानी बीसलपुर से लेने की बात करते हैं, उसकी कल्पना आप छोड़ दीजिये। आप ईसरदा से पानी लेने की बात करिये। 6 हजार एम. सी. एफ. टी. पानी आपको ईसरदा बांध में मिलेगा और जितना पानी आपके लिए कम रहेगा, 2021 की कल्पना कर रहे हैं, माननीय मन्त्री महोदय आप जयपुर को पानी पिलाने के लिए और टोंक की जो स्कीम आपने सैंक्शन है, 2 करोड़ 80 लाख की वह 1995 तक

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

की है। 1995 तक हम टोंक की चिन्ता करें और जयपुर के लिए हम 2021 की बात करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर को टोंक से पानी मिलेगा। यदि टोंक प्यासा रहा तो जयपुर में किसी कीमत पर पानी नहीं जा सकता, न अजमेर में पानी जा सकता है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस ईसरदा बांध को आप तुरन्त प्रारम्भ करिये, इससे किसी प्रकार की कमी जयपुर और अजमेर को नहीं आयेगी।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं विश्वास से कहता हूं कि हमारा यह टोंक जिला, हमारी यह बनास नदी जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर और रास्ते में पड़ने वाले समस्त गांवों को भी पानी पिलायेगी और टोंक जिले की प्यासी धरती को भी पानी पिलायेगी। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि बीसलपुर बांध तुरन्त शुरू होनी चाहिये, इसके अलावा और कोई रास्ता यहां के लोगों को पानी पिलाने का नहीं है। मैं टैक्नीकली निवेदन करना चाहता हूं कि आप रिजर्व पानी बीसलपुर में रखने के लिए कह रहे हैं, यदि पानी की कमी भी आयी तो नहरों से भी पानी ईसरदा बांध में आ जायेगा। जितना पानी कम आयेगा, उतना पानी नहरों से आ सकता है और जेट खोल कर भी पानी आ सकता है। पीने के पानी की कमी नहीं आने दी जायेगी। लेकिन यदि पीने के पानी के नाम बीसलपुर योजना को फैल करने का प्रयास किया गया, चाहे वह अधिकारी हो, या कर्मचारी हो, या कोई नेता हो, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारे जिन्दा रहते कोई भी उस योजना को असफल नहीं कर सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। मेरा भी निवेदन सुन लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने कट-मोशन्स के माध्यम से चूरू के हमारे सरकारी उप मुख्य दण्डनायक हैं, सचेतक हैं, दंडक। गुजरात में मुख्य दंडक कहते हैं, जो उप दंडक हैं, उनकी चूरू की पेयजल की समस्या है। क्योंकि वह मेरा ख्याल है कटमोशन नहीं दे सकते, न बोल सकते हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मुझे उनकी तरफ से बोला हुआ समझा जाये और उनकी जो योजना पिछले 4–5 साल से पड़ी हुई है, उनको शुरू किया जाये। साथ में मैंने कट-मोशन्स दिए हुए हैं, उसमें मैंने कई सारी स्कीम्स का जिक्र किया है। कई सारी स्कीम्स....

श्री सभापति : इसके उत्तर आ जायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उत्तर नहीं चाहिए, सभापति महोदय, उनका समाधान चाहिए। इसलिए मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि उनके समाधान निकाले जायें, यही मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय का बहुत....

श्री सभापति : श्री सुनील विश्नोई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यही नहीं सारा राजस्थान उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने जिस गति से इस समस्या के समाधान निकालने के लिए गति दी है, राज-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

स्थान में जिस प्रकार से पेयजल की समस्या का समाधान किया है, सारी राजस्थान की जनता उनकी आभारी है। मैं इसी निवेदन के साथ इस पेयजल की समस्या तो यहीं रखता हूं, बाद में माननीय मंत्रीजी से बात कर लूंगा।

श्री सभापति : हां कर लीजियेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति मोहदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है, वर्षा के पानी पर निर्भर रहते हैं, हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं, नल योजना चालू नहीं की जा रही है।

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है।

श्री सभापति : सदन में बोलने के लिए कुछ नियम होते हैं....(व्यवधान)....आप कृपया बैठ जाइये। आप बिराज जाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मुझे बोलने ही नहीं देते हैं।

श्री सभापति : आप बिराज जाइये। श्री सुनील विश्नोई।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऑन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री रामस्वरूप मीणा : पानी की भयंकर समस्या है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, अभी आपने एक व्यवस्था दी कि जो भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं, उनके उत्तर उन सम्बन्धित सदस्यों को भिजवा दिये जायेंगे। मैं आपसे यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि पिछले बजट अधिवेशन में हमने जो कटौती प्रस्ताव दिये थे, उसके जवाब आज तक हमारे पास नहीं पहुंचे हैं। इसलिए आप व्यवस्था दें, एक वर्ष तक जो सरकार हमारे कटौती प्रस्तावों का रिप्लाई नहीं दे सकी, वह अब क्या देगी अब तो उनका समय समाप्त हो रहा है। इसलिए आप उनको यह निर्देश दें कि 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन में यह हमारे कटौती प्रस्तावों का प्रत्युत्तर भेजेंगे, वरना तो दो, एक महीने के बाद तो इनकी अपने आप छुट्टी हो जायेगी।

श्री शांतिलाल चपलोत : छुट्टी तो किसकी होगी, यह तो जनता फैसला कर ही लेगी⋯(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, अब मैं मांग संख्या 36 सहकारिता पर।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा विषय है....

श्री सभापति : कृपया बिराज जाइये।

श्री महावीरप्रसाद जैन : आपकी गहरी रुचि है⋯(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरी रुचि होगी तो मैं बोल लूंगा। आप मेरी तरफ से मत

(श्री सभापति)

बोलिये····(व्यवधान)····आप व्यवधान न डालें माननीय सदस्य । बैठ जाइये···· (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप हमको रोकते हैं, लेकिन महावीर जी बार-बार बोलते हैं, उनको नहीं रोकते ।

श्री सभापति : श्री सुनील विश्नोई···· (व्यवधान)···· माननीय महावीरजी कृपया बिराज जाइये । आप व्यवस्था में व्यवधान न डालें । आसन पैरों पर है । आप बिराज जाइये ।

एक माननीय सदस्य : इनका काम ही व्यवधान पैदा करना है ।

श्री सभापति : श्री सुनील विश्नोई ।

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, जो अभी मांग संख्या 27 के बारे में अभी महावीर जी बोल रहे थे और काफी सदस्य भी बोले । वह बड़ी-बड़ी डींगें मार रहे थे कि पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या-क्या उपलब्धियाँ प्राप्त कीं । मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मंत्रीजी भी यहां पर उपस्थित हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि वह नोट करेंगे और जो भी मैं मुद्दे उठा रहा हूं, इनका वह जबाव देंगे । सभापति महोदय, समय-समय पर सूरतगढ़ में पीने के पानी की समस्या होती है । कई बार वहां आन्दोलन भी हुए हैं, कई बार शिकायतें हुई हैं । खराब व खारा पानी देने के कारण सूरतगढ़ शहर में कई बीमारियां फैली हैं, भयंकर रोग फैले हैं । उसके समाधान के लिए विभाग ने इन्दिरा गांधी कैनाल के विरदांवाली हैड से सूरतगढ़ को पानी सप्लाई करने की एक योजना बनायी थी । वह सरकार के पास भेजी है । यह सरकार पानी के लिए इतनी उपलब्धियां बता रही है । यह योजना जो पहले बनायी गयी थी इसको जीवन बीमा निगम से फाइनेंस कराना था । जो भी योजना जीवन बीमा निगम से फाइनेंस होती है, हुडको से होती है । यह योजना जो जीवन बीमा निगम से प्रस्तावित थी फाइनेंस करने के लिए, उसे सरकार ने ड्राप कर दिया है । यह बड़े शर्म की बात है । पता नहीं मंत्री महोदय को जानकारी है या नहीं पर मैं यह आपकी जानकारी में दे रहा हूं कि इसको ड्राप कर दिया गया है, कोई प्रपोजल नहीं है एल. आई. सी. से फाइनेंस करवाने का ।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या नाम बताया योजना का आपने ?

श्री सुनील विश्नोई : सूरतगढ़ के पेयजल के समाधान के लिए इन्दिरा गांधी नहर से पानी देने के लिए पांच करोड़ की स्कीम थी, जिसको जीवन बीमा निगम से फाइनेंस कराने के प्रस्ताव थे । अब सरकार ने पुनः जहां दो-दो, तीन-तीन बार कई करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं उन्हीं शहरों को वापस लिया है, सूरतगढ़ शहर को इन्होंने बिलकुल नैगलैक्ट कर दिया है । आने वाली गर्मी में इतनी भयंकर समस्या होने वाली है जिसका माननीय मंत्रीजी कोई अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं । न विभाग अन्दाजा लगा रहा है, इसके समाधान के लिए कोई कार्यवाही नहीं करता ।

एक माननीय सदस्य : विश्नोई जी, पुरानी बात है यह ।

श्री सुनील विश्नोई : पुरानी बात नहीं ताजा बात बता रहा हूं । इसी तरह सूरतगढ़ के आसपास के गांव रिंगासर, लादेर, वीरवाना, लडाना, करेडू, खालिया–ये सब गांव टीबे के गांव हैं, वीरान क्षेत्र है । वहां न सड़क है, न बिजली है, न पानी है । पानी की सप्लाई के लिए इन्होंने स्कीम बना रखी है बहुत पुरानी जनसंख्या के आधार पर । मुश्किल से 5-5, 6-6 दिन में पानी जाता है । वहां कुओं का पानी इतना खराब हो चुका है कि उस पानी को जानवरों को पिलाया जाय तो मर जाते हैं जानवर । एक बार 15 दिन के लिए स्कीम बन्द रही । गांव वालों ने जानवरों को कुओं से पानी पिलाया तो उन जानवरों की मृत्यु हो गई । क्या मंत्री महोदय गर्मी आने के पहले पहले इस टीबे क्षेत्र के गांवों के लिए कोई विशेष प्रावधान रखकर पानी सुलभ कराने की व्यवस्था करेंगे ? दूसरी समस्या रूरल इलाके के बारे में माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि करोड़ों रुपये इन्होंने रूरल इलाके के पेयजल के समाधान के लिए खर्च किये हैं । खर्च कर दिये, उपलब्धि इन्होंने बता दी कि हमने इतने करोड़ खर्च कर दिये । पर क्या पानी उनको आज उपलब्ध है, इस चीज की मानिटरिंग नहीं की गयी है, विभाग द्वारा इसकी कोई जांच नहीं की गयी । ये खाली कमीशन लेने और टेण्डर करने में हैं । दनादन टेण्डर कर दिये, करोड़ों रुपयों के टेण्डर कर दिये । मैं मंत्रीजी को चैलेंज करता हूं कि सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी रूरल स्कीम हैं वहां एक भी फिल्टर काम नहीं कर रहा, एक भी स्कीम का । एक-दो कोई कर रहा होगा, 95 प्रतिशत स्कीम पर एक भी फिल्टर काम नहीं कर रहा । उसके पेमेण्ट्स उठा लिये गये हैं, 12 करोड़ के पहले पेमेण्ट्स हो गये और अभी और कर लिये । मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि कोई भी तीन आदमियों की कमेटी बनाकर कोई भी 25-30 केस ले लीजिए । एक भी जगह आपको फिल्टर काम करता हुआ मिल जाय तो मैं आपको चुनौती देता हूं । इस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है, जो गरीब जनता का पैसा है उसको व्यर्थ खर्च किया जा रहा है । सरकार का पैसा लग गया और जनता को, गांव वालों को सुविधा मिली नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मेरी सहायता करेंगे इसमें ?

श्री सुनील विश्नोई : सहायता मैं कर रहा हूं आपको ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कि पेमेण्ट कर दिया, सारा भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप मेरी सहायता करिये ।

श्री सुनील विश्नोई : पूरी सहायता करूंगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : दोनों मिलकर भ्रष्टाचार को पकड़ेंगे । आप मुझे कल ही बता दीजिए ।

श्री सुनील विश्नोई : 90 प्रतिशत स्कीम्स में वहां फिल्टर्स काम नहीं कर रहे हैं । (व्यवधान)

मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं ।

श्री हरिसिंह : जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको तो आपने प्रमोशन देकर चीफ इंजीनियर बना दिया ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, हां, बना दिया होगा ।

श्री हरिसिंह : आपने उनका ख्याल ही नहीं किया कि उनके खिलाफ कितनी फाइलें चल रही हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : देखिये, विषय यह नहीं है । विषय यह है कि आप फर्मा रहे हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो मैं आपकी मदद चाहूंगा । आप मुझे बताइये कल सारे तथ्य ।

श्री सुनील विश्नोई : आपको मैं बता दूंगा । मंत्रीजी सुनिये, मैंने आपको यह कह दिया कि 90 प्रतिशत रूरल वाटर स्कीम्स के फिल्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, उनको कम्प्लीट नहीं किया गया है, उनके पेमेण्ट्स हो गये हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बता दीजिए ।

श्री सुनील विश्नोई : 90 प्रतिशत बोल रहा हूं न, आप चैक कर लीजिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, करूंगा मैं । आई वैलकम इट ।

श्री सुनील विश्नोई : I challenge you Get it checked.

श्री भंवरलाल शर्मा : Do not challenge, मैं तो वैलकम कर रहा हूं ।

श्री सुनील विश्नोई : कार्यवाही करें तब है, माननीय मंत्री महोदय । आपकी नीयत तब पता पड़ेगी जब आप इस पर कार्यवाही करें । अगर आप भी उन आफिसर्स को संरक्षण देने लग जायेंगे तो इसका कोई समाधान होने वाला है नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : Do not presume.

श्री सुनील विश्नोई : हुआ है, मंत्री महोदय ।

इस पेयजल के बाद अब मैं मांग संख्या 36 पर आता हूं । इसी तरह आपके सहकारिता विभाग ने जिस तरह का दृश्य दिखाया नाच दिखाया, वह कल्पना से बाहर है । इन्होंने शिविर लगाये, प्रचार किया कि हम शिविर लगवा रहे हैं, यहां पर जितनी भी सोसाइटीज और मैम्बर्स में प्लाट्स की शिकायतें हैं उनका समाधान करेंगे । 3500 दरख्वातें आयीं । माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उन्होंने 3500 दरख्वातें वापस उन्हीं सोसाइटी वालों को अन्तिम तारीख को वापस दे दीं । कोई जांच नहीं करवायी, उनको उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया । अब सोसाइटी वाले वहां शिकायतकर्त्ता मैम्बर की मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी शिकायत थी, यह हमारे पास वापस आ गई पहले तुम्हारा चार सौ गज का प्लाट था, अब तीन सौ गज का रह गया क्योंकि सौ गज का हमने ऊपर एडजेस्टमेण्ट कर लिया जब कोई सोसाइटी या मैम्बर का विवाद होता है तो नियम 75 के तहत उसको लेना चाहिए, उसकी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि उस मैम्बर को पूरा संरक्षण मिल सके ।

(श्री सुनील विश्नोई)

माननीय सभापति महोदय, इस सिलसिले में बताना चाहूंगा कि जिस तरह सरकार का, माननीय मंत्रीजी का और विभाग का जितना प्रोटेक्शन रहा है इस प्रदेश में करप्शन बढ़ाने में, तो चैलेंज कर रहा हूं कि ये लिप्त हैं इसमें, संरक्षण दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर कहना चाहूंगा कि एक कल्याण गृह निर्माण समिति थी, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था। उसकी शिकायत हुई, उसमें काफी घपला हुआ। माननीय मंत्रीजी खुद उसको बचाने में लग गये। इसी तरह जोधपुर में एक नयी मिसाल मेरे सामने और आयी है। उसमें मंत्रीजी....

श्री चतुर्भुज वर्मा : आरोप स्पष्ट लगाओ।

श्री सुनील विश्नोई : स्पष्ट है, मंत्री महोदय। आप जवाब दें तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : आरोप लगाने से पहले सही देखकर आओ।

श्री सुनील विश्नोई : 17-4-1990 को आप पत्र लिखते हैं। कार्यालय मंत्री, सहकारिता विभाग। मेरी जानकारी में आया है कि श्री कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति, जालौर काफी समय से काम नहीं कर रही है, अतः उक्त समिति को तत्काल लिक्विडेशन में लाकर सात दिवस में मेरे को सूचित करें। यह तो आपका जुडीशियल आर्डर है। यह आपने कैसे दिया, किस हैसियत से दिया? क्या आप यह देने में सक्षम हैं? यह 17-4-90 का है। इसी के बाद जब सोसाइटी वाले आकर मंत्री महोदय से मिल गये तो ये दूसरा आर्डर देते हैं। यह आर्डर है इनका 7-5-90 का। ये लिखते हैं कि मैं प्रमाणित करता हूं कि इसे अवाप्ति में नहीं लिया जाय।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सदस्य, तीसरा आर्डर भी पढ़ना।

श्री सुनील विश्नोई : पहले तो ये कहते हैं कि अवाप्ति में लिया जाय, फिर आर्डर करते हैं एक महीने के बाद 7-5-90 को कि अवाप्ति में नहीं लिया जाय। इसका क्या मतलब है?

श्री चतुर्भुज वर्मा : तीसरा भी पढ़ो।

श्री सुनील विश्नोई : क्या पढ़ो?

श्री चतुर्भुज वर्मा : तीसरा भी पढ़ो।

श्री सुनील विश्नोई : तीसरा आर्डर भी पढ़ूं मैं आपका। आपका विभाग लिखता है, यह है जोधपुर सहकारी भूमि विकास समिति, जोधपुर....

श्री चतुर्भुज वर्मा : इसीका पढ़ो कल्याण का पहले।

श्री सुनील विश्नोई : आप सुनिये तो सही पहले।

विभाग का जो स्टाफ है, आफिसर है वे लिख रहे हैं कि मंत्री महोदय ने जो निर्देश जारी किये हैं वे विधि सम्मत नहीं हैं तथा बैंक हित में नहीं हैं। इस तरह बिना बैंक हित, को-आपरेटिव हितों के खिलाफ आप

(श्री सुनील विश्नोई)

निर्देश जारी कर रहे हैं, मंत्री महोदय, बड़े शर्म की बात है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : कोई शर्म की बात नहीं है।

श्री सुनील विश्नोई : आप क्या इसकी इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : चालू कर दी गयी है।

श्री सुनील विश्नोई : किसकी करवा रहे हैं इन्क्वायरी आप ?

श्री सभापति : आसन को सम्बोधित करें, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने चार-चार आर्डर कर दिये, सहकारिता मंत्रीजी, आपने अपने आर्डर को 3–4 बार बदला है।

श्री सभापति : माननीय कल्ला जी, बिराजिये कृपया। आपका भी नम्बर आयेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीच में क्यों बोलते हैं फिर ? हमको भी बोलना पड़ेगा। ये मंत्रीजी व्यवधान क्यों करते हैं ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : ढंग से बात करिये।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आप उत्तर दें तब बोल लीजिए। बिराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : चार-चार बार आर्डर माननीय मंत्रीजी ने बदला है। भयकर घोटला हुआ है इसमें। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : + + + हर विभाग को इन्होंने + + + बना रखा था। + + +।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, इनको तो व्यवधान करने के लिए नियुक्त कर रखा है यहां पर।

श्री अनंग कुमार जैन : इनको तकलीफ इस बात की आ रही है कि सरकार अच्छा काम कर रही है....

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नान सीरियस बात करेंगे, सीरियस बात को सुनना पड़ेगा यहां।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : हैण्डपम्पों में कितना भ्रष्टाचार किया है आपने ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी सरकार बैठी हुई है, क्यों नहीं निपटा देती ? जिन्होंने घोटाले किये हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते ?

श्री सभापति : माननीय कल्ला जी।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, मैं कोई मेरी तरफ से तो बोल नहीं रहा। मैंने तो जो इनके फैक्ट्स थे वही पढ़कर बताये। अगर माननीय मंत्रीजी

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुनील विश्नोई)

इनको रिफ्यूट करते हैं, अगर हिम्मत है तो इनकी इन्क्वायरी करवायें । इसकी जांच करवा लीजिए, सारे तथ्य सामने आ जायेंगे ये तो रिटन डाकुमेण्ट हैं, मेरे डाकुमेण्ट हैं नहीं। इनके आफिस से निकले हुए पत्र हैं।

दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जोधपुर में जो जमीन थी, माननीय मंत्रीजी के बारे में लिखा है कि बैंक हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। जमीन थी जो बैंक ने हासिल कर ली, उसका नामान्तरण हो गया मंत्रीजी उनको निर्देश देते हैं कि इस जमीन को तुरन्त वापस काश्तकार को लौटा दो। काश्तकार को क्यों? क्योंकि वह जमीन किसी धनाढ्य सेठ ने उससे खरीद ली, उससे एग्रीमेण्ट कर लिया । उन्होंने मंत्रीजी और रजिस्ट्रार से तय कर लिया कि यह जमीन हम छुड़ा लेंगे। मंत्रीजी निर्देश देते हैं कि इस जमीन को वापस उसको दे दो। उसके बाद बैंक वाले लिखते हैं कि यह नियमानुसार आदेश नहीं है या बैंक के हित में नहीं है और उस बारे में मैंने मंत्रीजी का दूसरा आदेश आपको पढ़कर सुनाया। इस तरह के सरकार के कारनामे हो रहे हैं।....

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको बताया कि किस तरह से को–आपरेटिव डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। इन्होंने बड़ी-बड़ी डींगें भरीं कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, 6 महीने में मिटा देंगे, साल भर में मिटा देंगे लेकिन इस तरह के आदेशों से ऐसा लगता है कि यह पूरा संरक्षण दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं बड़े शर्म और बड़ी विचित्र बात है।

श्री सभापति : श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय सभापतिजी, पिछले साल जब मैंने इन्हीं मांगों के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था उस समय मैंने कहा था कि नागौर और मेरे क्षेत्र के अन्दर करीब 60–70 गांव ऐसे हैं जहां लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं मंत्रीजी एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि अक्टूबर और नवम्बर के बाद में वहां पर करीब 3 योजनायें-खींवसर से बाथनी, माड़पुरा से इन्द्राज और हवाई पट्टी यह तीनों योजनाएं माननीय मंत्रीजी ने शुरु करवाई जिनसे करीब 60 गांवों के अन्दर मीठे पानी की व्यवस्था हो रही है, आज भी वहां पर काम चालू हो गया है, पिछले 2–3 महीने से काम चल रहा है। इसलिये मैं ही नहीं मेरे क्षेत्र के जितने भी 60 गांवों के निवासी हैं आपको धन्यवाद देते हैं।

इसके अलावा नागौर शहर के अन्दर पानी की इसी तरह से पिछले 10 15 सालों से समस्या थी वहां पर भी वैसे काफी समस्या कम हो गई है, बूस्टर वगैरह लगाये हैं उसके लिये भी मैं माननीय मंत्रीजी और हमारे अधिकारीगण जिन्होंने गांवों और शहर की समस्या का समाधान करने के अन्दर सहायता की है उसके लिये भी धन्यवाद देता हूं।

नागौर शहर के अन्दर एक समस्या अभी और बाकी है, गन्दे पानी के 5–6 तालाब बने हुये हैं उन्हें निकालने के लिये अभी तक पूर्ण व्यवस्था नहीं हुई है। वैसे 16–17 लाख रुपये उस पर खर्च हो गये हैं लेकिन अभी तक समस्या वैसी की वैसी है। बारिश के दिनों के अन्दर वहां पर महामारी हो जाने का काफी खतरा रहता

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस ओर भी थोड़ा ध्यान दें। वैसे नागौर जिले के अन्दर आपने जो विवरणिका दी है उसको पढ़ने से जाहिर होता है कि नागौर जिले के अन्दर आपने 1-1-1991 के बाद सिर्फ एक गांव ऐसा रह गया है जो भयंकर पानी की कमी से पीड़ित है बाकी वहां पर सारे गांवों के अन्दर पानी की व्यवस्था हो गई है। लेकिन कुछ समस्यायें नागौर जिले और मेरे क्षेत्र की ढाणियों और मजरे की रह गई हैं। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में इस बार यह आश्वासन दिया है कि अब गांवों के अन्दर जो ढाणियों और मजरे हैं उनकी पानी की समस्या दूर करने के लिये प्रयास किये जायेंगे। तो मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि ढाणियां जो करीब 4-5 किलोमीटर तक गांवों में बसी हुई हैं। वहां पर अभी भारी समस्या है। एक गांव के आदमी को बैल छकड़ा या ऊंट गाड़ी पानी लाने के लिये 4-5 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है, क्योंकि ढाणियां गांव से 4-5 किलोमीटर दूर हैं और एक बैलगाड़ी 40-50 रुपये से कम लेती नहीं है। इसलिये कमी के दिनों के अन्दर गांव वालों का पानी की बड़ी समस्या होती है। इसलिए जहां तक हम इन ढाणियों और मजरों में पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हमारी यह जो पानी मुहैया कराने की स्कीम है वह पूर्ण नहीं होगी और गांव वालों को पानी की समस्या है, वह अभी भी पूरी करनी है।

जहां तक पूर्ण योजनाओं का सवाल है, एक चीज मैं खास तौर से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आपने 103 रिग्स खरीदी हैं पिछले कई वर्षों में। एक रिग्स पर लाखों रुपए व्यय होते हैं, उन रिग्स की क्षमता के बारे में आपसे निवेदन करूं कि आपने जो उसमें कमी की है उसके हिसाब से निवेदन करूं कि पिछले वर्षों में हैण्ड पम्प की रिग्स क्षमता थी वह 6780 थी और आपने उपलब्धि की है 3838। इसी प्रकार से रिग्स से नलकूप खोदने की क्षमता थी 650 और आपने उपलब्धि की है 311। इस प्रकार से पिछले साल भी करीब 50 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि नहीं हुई थी। मेरा निवेदन है कि यह जो रिग्स खरीदी गई हैं इनका पूरा उपयोग क्यों नहीं करते हैं? अगर इन रिग्स की आवश्यकता नहीं थी तो लाखों-करोड़ों रुपये की सम्पत्ति क्यों खरीदी गई?

एक दूसरा निवेदन मेरा यह है कि राज्य सरकार ने पशुधन के लिये पीने के पानी की विशेष व्यवस्था की है। 1990-91 में 619.90 लाख रुपये का इस हेतु प्रावधान रखा गया था जिसमें से नवम्बर, 1990 तक सिर्फ 254.37 लाख रुपये ही खर्च हुए हैं। जो राशि खर्च हुई है वह 50 प्रतिशत क्या करीब 30 प्रतिशत ही खर्च हुई है। अगर यह योजना पूरी कर ली जाती तो मैं समझता हूं कि यह पूरे गांवों के अन्दर छोटे-छोटे जो एल. आर. और सी.डब्ल्यू.टी. बनाकर, गांवों की जो छोटी-छोटी समस्याएं थीं पानी की वह दूर की जा सकती थीं। इस प्रकार से इस सूबे के अन्दर भी बहुत ही कम उपलब्धि हुई है। इसलिये इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये, क्योंकि गांवों के अन्दर

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

पशुधन ही वहां के किसानों की सम्पत्ति है और किसानों की पशुधन के मार्फत खुद को भी पीने के लिये पानी मिल सकता है। इसलिये इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो योजनाएं बनाएं उन्हें पूरा करने के लिए पूरे प्रयास करने चाहिये।

अब मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता तो पूरा भण्डार ही शिकायतों का है, हर जगह, हर समिति में शिकायतों के अलावा कुछ भी नहीं है। एक विशेष शिकायत मेरी यह है कि गृह निर्माण सहकारी समितियां बनी हुई हैं गांवों के अन्दर उनके लिये को-ओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी जयपुर में बनी हुई है। पिछले साल भर के अन्दर किसी भी गांव वाली सोसायटी को ऋण नहीं दिया गया है। जबकि लोग जयपुर आने जाने में महीनों तक चक्कर लगाते हैं और उसमें भी व्यवस्था गांव वालों के लिये यह है कि सिर्फ 18 हजार रुपये का ऋण दिया जाता है। 18 हजार रुपये लेने के लिये एक आदमी नागौर से जयपुर, जैसलमेर से जयपुर चक्कर लगाये और 18 हजार रुपये नहीं दे सके तो बड़ी ही यह शर्म की बात है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की गांवों के अन्दर सोसायटीज बनी हुई हैं उन हाउसिंग सोसायटीज को वन विण्डो सिस्टम के तहत वहीं पर गांव के अन्दर ही उपलब्ध करा दिया जाय और 25 हजार रुपये का ऋण दिया जाय। इस महंगाई के जमाने के अन्दर 18 हजार रुपये के ऋण से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए गांव वालों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाय और कम से कम 25 हजार रुपये ऋण उन्हें दिलाया जाय और ऋण के ऊपर ब्याज लिया जाय व नाममात्र का, नामिनल हो।

एक निवेदन मेरा यह है कि चूरू के अन्दर एक बड़ी भारी समस्या है और माननीय मंत्रीजी ने पिछले साल यह कहा था कि अगर हुडको ऋण देने के लिये अपने प्रस्ताव भेज दे नगर परिषद् को तो इस पानी के लिये ऋण दे सकते हैं। हुडको ने आपके सामने प्रस्ताव भेज दिया है, मेरा निवेदन है कि आप चूरू की पानी की समस्या के लिये उन प्रस्तावों को स्वीकार करें और पानी की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह गन्दे पानी को बाहर निकालने की समस्या थी। (व्यवधान)

आप इतनी आसानी से मत कहो। जरा मेरी भी सुन लीलिये। वह हुडको को मंजूरी के लिये जमानत दे रहे हैं, गारन्टी दे रहे हैं और जल्दी ही शुरु हो जायेगी।

श्री सभापति : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय सभापति महोदय, जल प्रदाय योजनाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि नोहर क्षेत्र गंगानगर जिले के अन्दर नोहर तहसील होने के बाद भी आज नोहर के अन्दर 27 गांवों के अन्दर पानी नहीं है। आदमी भूखा तो रह सकता है लेकिन प्यासा नहीं रह सकता है। वहां पर राजस्थान कैनाल पास में से निकल रही है और भाखरा कैनाल भी है। भाखरा कैनाल की तो सफाई नहीं होने के कारण वहां पर उसमें पूरा पानी भी नहीं आता है।

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

जबकि पानी 12,500 क्यूसेक्स होना चाहिये जो कभी भी इसका पूरा नहीं होता है। वैसे भी हरियाणा से जो पानी हमको मिलता है वह भी पूरा नहीं मिलता है। जब हरियाणा वालों को खुद को जरूरत होती है तब भी वह देते नहीं हैं और हमको जरूरत होती है तो हमें मिलता नहीं है। सिंचाई विभाग वाले इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं।

मैं, दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि अब गर्मी आ रही है, अब तक तो काम चल गया सर्दी में, कुछ बरसात भी हुई उसके कारण काम चल गया। वहां के अधिकारी भी ऐसे हैं। जो ठेकेदारों के साथ मिल कर पाइप लाइन लगाने के लिये ठेका ले लेते हैं और पाइप लाइन ऐसी घटिया किस्म की लगाते हैं कि जिन गांवों में पानी की पाइप लाइनें लगी हुई हैं वहां पानी भी नहीं जाता है।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कम से कम उन आफिसर्स के लिए, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बात कही है उसी के तहत मंत्रीजी को भी पी. एच. ई. डी. को देखना चाहिए, क्योंकि मेरे यहां जिन जिन गांवों के अन्दर पाइप लाइन लगी हुई है वहां पर पानी नहीं जाता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहती हूं कि अभी थोड़े दिन पहले घानसियां गांव वालों को हड़ताल करनी पड़ी। पहले तो वहां पर पानी जाता था लेकिन पी. एच. ई. डी. वाले अधिकारियों की धांधली के कारण वहां की पाइप लाइन ठेकेदारों से मिलकर उखाड़ कर टुकड़े-टुकड़े कर उसको बेच दिया और वहां के लोगों को पानी के लिए आज भी अभाव-ग्रस्त रहना पड़ता है इसलिए मैं मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि इस ओर देखें।

दूसरे, जो मेरे यहां राजस्थान कैनाल पास से निकल रही है और इधर मुख्यमंत्री जी यह कहते हैं कि तीन साल के अन्दर पेयजल समस्या को मैं खत्म कर दूंगा। वह एक तरफ तो ऐसा नारा लगाते हैं दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल पास से निकलती है मेरे 27 गांव जो आज प्यासे हैं 44 साल की आजादी के बाद भी आज वह पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते हैं और कैनाल पास से निकलती है। तो मुझे यह कितने दुखी मन से कहना पड़ता है कि मंत्री जी आप उस तरफ ध्यान दीजिए। उन 27 गांवों को आप आराम से पानी दे सकते हो पल्लू के अन्दर बिजली लगाओ और वाटर वर्क्स बड़ा बनाकर उन 27 गांवों को आप बिना डिले किए उन गांवों में पानी पहुंचा सकते हो। लेकिन आपको मैंने बहुत पहले चिट्ठी लिखी थी कि भावल-देसर के अन्दर एक कुआं है और उसमें मीठा पानी है और मैंने कहा था कि उसके ऊपर बिजली अगर लगा दें या पम्प लगा दें तो उससे तीन गांवों को पानी मिल सकता है लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। वहां के तीन जो गांव हैं वह आज भी प्यासे हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान उधर दिलाना चाहती हूं कि जब पानी है और पानी होते हुए भी वह लोग पानी के लिए तरसते हैं तो आपको उसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जिन 27 गांवों में पानी नहीं है उनके नाम मैं

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

आपको पढ़कर बताना चाहती हूं, तहसील रावतसर जिला गंगानगर के ग्राम पल्लू, गुलाबगढ़, शेरव, चुलिया, दइयासर, धीरदेसर, मोटेर, धांधुसर, रतनादेसर, नइयासर लडास, धनियासर, स्वरूपदेसर, मालासर, दुंधली, दुलचासर, बिसरासर, कलासर प्रेमपुरा ऐसे गांव हैं कि वह वह प्राकृतिक कारणों से भी प्रभावग्रस्त हैं और उनको पानी भी नहीं मिलता है। इसलिए मंत्री जी मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि इस समस्या को आप जल्दी से जल्दी सुलझायें।

तीसरी बात यह है कि मेरे वहां जो हैण्डपम्प लगे हुए हैं वह खराब पड़े हैं और गर्मियों का टाइम है तो उन हैण्डपम्प्स को तुरन्त ठीक कराया जाए। पाइप लाइन जहां-जहां लगी हुई हैं और जिन्होंने उखाड़ ली हैं उनको भी दुरुस्त कराया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री कालीचरण सराफ (अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, पेयजल के बारे में पिछले वर्ष सरकार की ओर से हैण्डपम्प खुदवाने की दृष्टि से योजना बनी थी और हैण्डपम्प कुछ खुदवाए भी गए और इसके साथ-साथ कुछ डीपनिंग के पाइन्ट्स भी किए गए। पिछली बार जो व्यवस्था थी उसके बाद धीरे-धीरे करके सरकार की ओर से यह व्यवस्था बैठी और इस तरह से हैण्डपम्प शुरू किए गए लेकिन आज भी मेरे क्षेत्र भीलवाड़ा जिले में राज्य के कई ऐसे दूर-दराज के क्षेत्र हैं जहां पर चालीस वर्ष के बाद भी पाइप लाइन नहीं है। कई गांव तो ऐसे मिलेंगे जहां हैण्डपम्प नहीं हैं। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जहां चाहे पचास घरों की आबादी हो, कोई गांव हो, छोटा हो, मंझला हो तो कम से कम इस वर्ष प्राथमिकता वहां पर मिले।

इसके अतिरिक्त पिछली सरकार ने जिस ढंग की एक व्यवस्था की हैण्डपम्प यदि कोई खराब हो जाए तो पंचायतें उसको ठीक करेंगी। तो हमारा यह कटु अनुभव रहा है, ठीक नहीं रहा है। 1980 में भी जब इस तरह की स्कीम बनी, पंचायतों को ठीक करने के लिए राज्य सरकार ने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री या सरकार ने जो निर्णय लिए उस समय भी हमने विरोध किया और हमारा अनुभव या हमारी जो आशंकाएं थीं वह सही साबित हुई और उन्होंने जो सोचा था वह निर्मूल साबित हुआ। आज भी पंचायतों में वह पैसा तो उठा लेते हैं लेकिन ठीक होते नहीं, ठीक प्रकार की व्यवस्था नहीं तो इस दृष्टि से मोटे तौर पर मेरा निवेदन यह है कि हर वर्ष हमको हैण्डपम्प ठीक कराने के लिए पी. एच. ई. डी. की ओर से एक अभियान चलाना पड़ता है, कुछ दिनों पहले चलाया गया लेकिन आखिर में हर साल यह अभियान चलाए इसके बजाए पंचायतों से वह व्यवस्था लेकर पी. एच. ई. डी. डिपार्टमेंट इसको अपने हाथ में ले ले। पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर यदि जे. ई. एन. या और कोई व्यवस्था रहे तो वह मामला ठीक बैठेगा और एक सक्षम व्यवस्था बैठ जाएगी। क्योंकि पंचायत समितियों में

(श्री बंशीलाल पटवा)

जो बैठे हैं तो वहां पर लोग टेम्प्रेरी है, वह काम लेते हैं, तकनीकी दृष्टि से पूरा ज्ञान नहीं, कई पाइप फंस जाते हैं और कहीं और कुछ हो जाता है। इस तरह से हैण्डपम्प काम नहीं करते। कई ऐसे गांव हैं जहां पर एक ही हैण्डपम्प है और यदि वह खराब हो जाए उसको ठीक करने की व्यवस्था नहीं बैठी तो वहां पर एक समस्या जल की खड़ी हो जाती है। तो इस दृष्टि से कम्पलीटली यह पंचायतों के मार्फत हैण्डपम्प ठीक कराने की जो स्कीम है इसको अबालिश करते हुए, समाप्त करते हुए पी. एच. ई. डी. इसको ले ले।

इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा जिले में कई इस तरह के गांव हैं, जहां पर आज भी पेय-जल की समस्या बनी हुई है। मेरा निवेदन है कि हम हैण्डपम्प तो लगा लें लेकिन इसके साथ हमारे पुरखों ने जो बातें कहीं हैं, पर-म्परागत जल स्रोत हैं उनको भी हम मजबूत करें। बड़े-बड़े शहरों में कस्बों में कई जगह कुएं बन्द करा दिए जाते हैं तो जब कहीं जल का संकट खड़ा हो जाता है तो वह कुए याद आते हैं। मेरा निवेदन है कि उन कुओं को भरवाने की बजाए हम सुरक्षित रखें। समय-समय पर हम उनका रख-रखाव करें और पुराने जो जल स्रोत हैं उनका भी उप-योग करें। हालांकि पी. एच. ई. डी. से सम्बन्धित मामला नहीं है लेकिन पिछले अकाल के दिनों में कई इस तरह के काम एनीकट्स के अधूरे पड़े हैं, कई तालाब ऐसे हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। पुराने तालाब ऐसे हैं जिनको हम अच्छा बनाकर के पेयजल की दृष्टि से हम एक अच्छी व्यवस्था बैठा सकते हैं। इसके साथ ही भीलवाड़ा में जैसा मैं आपको बताऊं जब से वाटर वर्क्स बना, पाइप लाइन डाल दी गई लेकिन उस समय आरम्भ में जो पाइप लाइन बिछाई गई वह पाइप लाइन कई भवनों के नीचे आज तक लगी हुई है यदि मान लो वह ब्लाक हो जाए तो व्यवस्था बैठाने में समय लगेगा और इसके साथ पुरानी पाइप लाइन है, बस्तियों का विस्तार हो चुका है। वहां इस तरह की स्थिति है कि प्रेशर नहीं, कई जगह, कई मौहल्लों में, गलियों में, बस्तियों में पाइप लाइन सड़ गई। भीलवाड़ा जिले से 51 लाख की स्कीम भेजी हुई हैं यहां पर और कौन्सिल तीस प्रतिशत पैसा देगी। अपना गांव, अपना काम में उस योजना को यदि स्वीकृत कर दिया गया तो भीलवाड़ा नगर में बहुत बड़ा उपकार का काम होगा। इसी तरह से भीलवाड़ा जिले में कई इस तरह के बड़े गांव हैं जहां पर पी. एन. टी. स्कीम आवश्यक है या रीजनल स्कीम आव-श्यक है। मेरा तो यहां तक कहना है कि पिछली जितनी भी टी. एस. एस. स्कीम्स जो लागू की गई हैं, पश्चिमी राजस्थान में अच्छी सफल हुई हैं, मेरी तहसील में तो काफी अच्छी सफल हुई है। उसके बाद भी टी. एस. एस. स्कीम को एक नकारात्मक इस तरह से स्वीकार करके उसको नहीं माना। मेरी तहसील में 3–4 जगह टी. एस. एस. स्कीम चल रही हैं, अच्छी रन कर रही हैं फिर से उसकी समीक्षा करनी चाहिए। कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी टी. एस. एस. लगाई जा सकती हैं। यह बात जुदा है कि पिछली सरकार जिसने टी. एस. एस. स्कीम बनाई है वहां पर उस समय सरपंचों ने इस तरह का गबन घोटाले

श्री बंशीलाल पटवा)

किये और टंकियां जहां लगनी चाहिए थीं वहां नहीं बनी । तकनीकी दृष्टि से हमारे अधिकारियों ने ध्यान नहीं रखा और पिछले समय जो टी. एस. एस. स्कीम को नकारा गया और उस स्कीम को लागू कई गांवों में नहीं किया गया, कई जगह टंकियां बन गई पैसा बर्बाद हुआ और आज टी. एस. एस. के लिए विभाग की ओर से जो मोटरें दी गयी हैं आज उन मोटरों तक का पता नहीं है ।

तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो टी. एस. एस. स्कीम के तहत पूरे राजस्थान में जहां-जहां भी मोटरें जारी की गई इश्यू की गयीं, दी गयीं उनकी समीक्षा करें । वह मोटरें कहां पर पड़ी हैं और वह पाइप कहां पर पड़े हैं । इसी तरह से यदि हम करेंगे तो विभाग को बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी और मोटरें भी मिल जायेगी तो उसकी समीक्षा करें । इसके साथ-साथ भीलवाला जिले में कई इस तरह की स्कीम्स यहां पर पैण्डिंग पड़ी हैं । मेरे स्वयं के क्षेत्र आटूण, दौतल, आड़जिया और सिंगरियास, ब्रह्मा, कांदा आदि-आदि इस तरह के गांव हैं जहां पर पानी का अभाव है, हैण्ड पम्प सक्सेस होते नहीं हैं और वहां पानी मिलता नहीं है तो वहां की रीजनल स्कीम पड़ी है और प्रति वर्ष तकलीफ पैदा होती । पानी की दृष्टि से मेरा इस बारे में निवेदन है कि भीलवाड़ा नगर और गांवों में जहां-जहां पर टी. एन. टी. की या रीजनल स्कीम्स है जिनमें पांच-पांच लाख की जो स्कीम्स हैं, सीधी है, मुख्य अभियन्ता उसको स्वीकृत कर सकते हैं वह आपकी पी. टी. सी. में जहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं ऐसी जो स्कीम्स हैं उनको तत्काल सैंक्शन कर देनी चाहिए और पिछली बार जिस तरह से जिन हैण्डपम्प्स में डिसचार्ज था, पानी आ रहा था वहां पर भी डीपनिंग का काम कुछ इस तरह के अधिकारियों को दिये हैं उनकी भी समीक्षा करनी चाहिए । मेरे जिले में पिछले साल इस तरह का एक्स. था जो कुआ पूरा खुदा नहीं और 72 हजार एक्सेस पेमेण्ट कर दिया और उनके खिलाफ शिकायत पेण्डिग पड़ी हुई है । हालांकि सक्षम मंत्री हैं, ईमानदार हैं, अच्छे हैं, अनुभवी हैं लेकिन इस तरह की जो इरेगुलरटीज के कारण, आदत के अनुसार जो करते रहे हैं अधिकारी उनकी समीक्षा करते हुए जांच करवाते हुए दोषियों को यदि दण्डित करेंगे तो आगे फ्यूचर में अच्छे काम होंगे और कुछ लोग जो बेइमानी करते हैं उसकी रोक-थाम होगी इस तरह पानी के बारे में हमको अधिकतर ध्यान देते हुए सबको इस तरह के सख्त आदेश भेजिये कि जिन हैण्डपम्प्स में डिसचार्च है उसकी हैण्डपम्प डीपनिंग करने की आवश्यकता नहीं । नये जहां आवश्यक है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हुए और जहाँ जिनको अधिकतम लाभ मिले इस तरह का प्रयत्न करना चाहिए और इसके साथ-साथ एस. सी. और एस. टी. की कई तरह की बस्तियां और गांव हैं जहां आज भी पानी की उनको तकलीफ है । पिछली सरकार ने इस दिशा में कोई ध्यान दिया नहीं और दिया तो राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर दिया । तो मेरा वर्तमान सरकार से और जो मौजूदा पी. एच. ई. डी. के जो काम्पीटेन्ट और सक्षम मंत्री हैं उनसे निवेदन है कि इस दिशा में हम कारगर ढंग से प्रयत्न करें और यदि हमने कारगर ढंग से प्रयत्न किये

(श्री बंशीलाल पटवा)

और एक-एक पैसे का सही उपयोग करवाया तो रिजल्ट अच्छे निकलेंगे और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं रहेगा। अधिकतम लोगों को पेयजल की दृष्टि से लाभ होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : आपकी जो नगर की स्कीम है उसमें आपने कहा 15 लाख आप देगें और बाकी हम दें उसमें आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि इसमें पांच लाख रुपये स्वीकृत किये हैं 31 मार्च तक खत्म करिये बाकी के लिए फिर आइये।

श्री बंशीलाल पटवा : बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका आयेगा तो आपको भी करेंगे। 15 लाख खुद लगा रहे हैं तो हमने 5 लाख दे दिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : मंत्री महोदय जो इसमें बोलेंगे उनको हीं स्वीकृति मिलेगी जो नहीं बोलेंगे उनको नहीं मिलेगी क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : ये तो ऐसा है कि आप व्यक्तिगत जानकारी देंगे, जो नहीं बोलेंगे उनको बता दूंगा क्या-क्या किया है। यह तो इन्होंने कहा था इसलिए बात की है।

श्रीमती तारा भण्डारी : जिनको बोलने का चांस नहीं मिलेगा उनकी स्वीकृतियों का क्या होगा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अपनी पार्टी वालों का ही नहीं हमारा भी ख्याल रखना हम भी हैं। पानी सबको चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपको अभी भी पार्टी से अलग नहीं मानता। आपका पता नहीं कैसे मन बदल गया। आप हमको नहीं मानते अपना।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मंत्रीजी मेरे क्षेत्र का क्या हुआ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बातें बहलाने की करते हो, बातों से काम नहीं चलता।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपसे बात बहलाने के अलावा और बात क्या कर सकते हैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस सदन को आप गम्भीर ही रखो आप ऐसी बात मत कहो।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने क्यों शुरू की ऐसी बात।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने तो ठीक कहा कि मेरा ध्यान रखना।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने ज्यादा ठीक कहा।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदय, जो स्वीकृति दी है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन जो पांच-पांच लाख की स्कीम्स हैं वह पी. पी. सी. में नहीं जा सकती। इस तरह की स्कीम्स जो भी राजस्थान में बनी हुई हैं उनको मुख्य अभियन्ता डाइरेक्ट निकाल सकता है। उस विषय

(श्री बंशीलाल पटवा)

पर निवेदन है कि कारगर निर्णय करके राहत पहुंचायें। इसके साथ-साथ सहकारिता की दृष्टि से....

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

दो मिनट में मैं अपनी बात कह देता हूं। सहकारिता क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, राजस्थान का अनुभव सभी मान्यवर विधायकों का है यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हालांकि हमारे जो सम्बन्धित मंत्री हैं उन्होंने पिछली बार यहां की कोपरेटिव सोसायटीज, गृह निर्माण समितियां, उनके बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया और कुछ उसके नतीजे आये। आज भी यहां जयपुर में इस तरह की गृह निर्माण समितियों ने लोगों के प्लोट्स के कब्जे नहीं दिये उसके बारे में इस दिशा में ध्यान दें। साथ-साथ जो को-आपरेटिव सेक्टर, एक अच्छा सेक्टर है, जो कुछ गड़बड़ियों के कारण या लोगों की नीयत खराब होने के कारण इस सेक्टर को जो खराब किया गया है उसके बारे में गम्भीरता से हम सोचें। भीलवाड़ा नगर में मेरे यहां भण्डार हैं साढ़े सात आठ लाख रुपये का कपड़ा कर्ज लेकर खरीदा गया। फर्जी कपड़ा खरीदा गया और उसके स्थान पर फर्जी होते हुए भी उस कपड़े को नहीं बेचा गया। 6–7 साल पड़ा रहा, वह गल गया, इसके ब्याज का पैसा लगा वहां कर्जा ज्यों का त्यों खड़ा है। इसके साथ-साथ भीलवाड़ा जिले में कई सोसायटियां ऐसी हैं जो सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें वितरित करती हैं। उनको राजस्थान सरकार की ओर से पामोलिन आयल अलोट किया जाता है। पामोलिन आइल लोगों को गरीबों को वितरण के लिए होता है लेकिन पूरा का पूरा लोट बेच दिया जाता है। इस तरह के मामले राजस्थान में एक नहीं अनेक हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई इस तरह की इर्रेगुलरटीज इन सोसायटियों में हो रही हैं। जिनका मैं सोचता हूं लम्बा चौड़ा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं लेकिन इस दिशा में हमको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ-साथ जो सरकार की ओर से इस तरह के भूमि विकास बैंक और को-आपरेटिव बैंक मिला कर एक व्यवस्था की जाय तो मेरा निवेदन है कि भूमि विकास बैंक की अलग कोई आवश्यकता नहीं, दोनों बैंकों को मिला कर एक बैंक किया जा सकता है। क्योंकि अलग-अलग रहने से कृषकों को भी, लोन लेने वाले को भी परेशानी होती है और इसके साथ-साथ जो गृह निर्माण के लिए कर्जा दिया जाता है इस तरह की पत्रावलियां मेरे क्षेत्र की और मेरे जिले की और राजस्थान की कई पेण्डिग पड़ी हुई हैं। इस दिशा में ध्यान दें और उनका जल्दी निस्तारण करें। करेप्ट प्रेक्टिस को को-आपरेटिव सेक्टर से मिटायें यही मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह (महुआ)

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, अभी-अभी बिजली पर बहुत लम्बे समय तक चर्चा हुई और मैं पुनः चर्चा करूंगा। आप सोचेंगे कि सहकारिता के मामले में बिजली कैसे। राजस्थान में तीन तहसीलें ऐसी हैं कोटपूतली, महुआ, टोडाभीम जहां विद्युतीकरण स्कीम सहकारिता विभाग के अन्तर्गत है। इसलिए माननीय सहकारिता

(श्री हरिसिंह)

मंत्रीजी मैं बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात का अनुरोध करूंगा। शायद आपका ध्यान आज तक गया ही नहीं कि विद्युतीकरण में भी आपका कोई योगदान है और टोडाभीम और महुआ दोनों सोसायटियों की जिस प्रकार दुर्गति हुई है और जिस प्रकार का वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। जितना घाटा वहां गया है वह बिल्कुल लिक्विडेशन में आने की पोजीशन में हो गयी है। सहकारिता मंत्रीजी टोडाभीम तहसील में 11 पंचायतें मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके टोडाभीम ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लि. ने मेरी 11 पंचायतों के 45 गांव विद्युतीकृत घोषित कर दिये डेढ़ साल पहले, और आज तक वहां किसी भी गाँव में ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है। बड़े अफसोस की बात है और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उनसे हमारी पी. एच. ई. डी. की 2 रीजनल स्कीम्स बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं। सोर्स बना दिया, उन पर पाइप लाइन डल गई, टंकियां बन गई लेकिन आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं हैं इसलिए विद्युत कनेक्शन आप हमारी पी. एच. ई. डी. की स्कीम्स को भी नहीं दे पा रहे हैं और जनता को प्यासे मार रहे हैं।

यही स्थिति महुआ ग्राम सेवा समिति की है। वहाँ पर स्थिति यह है कि महुआ ग्राम से सहकारी समिति के निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक 31 मार्च, 1990 तक एक-एक ढाणी और गांव समस्त तहसील का विद्युतीकरण हो जाना चाहिए था लेकिन आपके विभाग में, रजिस्ट्रार के कार्यालय में उनके लोन की एप्लीकेशन एक लम्बे समय तक पेण्डिग रही, उसकी सिफारिश करके आर. ई. नहीं भेजी और उनका एक करोड़ रुपये का लोन अटका हुआ है। 13 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित गांवों में आज तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है जो साल भर पहले हो जाना चाहिए था। यह आपके सहकारिता विभाग की उपलब्धि है। मैं आपको विशेष दोष इसलिए नहीं देता कि हो सकता है आपका इस ओर ध्यान किसी ने दिलाया नहीं। मुझे अफसोस है कि मैं भी नहीं दिला पाया लेकिन आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए था और मुझे उम्मीद है कि आप जो गांव विद्युतीकृत घोषित कर दिए गए हैं उनमें तुरन्त ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था करें।

मैं इसके साथ आज की जो दूसरी मांग है जो पीने के पानी की है। राजस्थान पीने के पानी के लिए समस्याग्रस्त है। विश्व प्रसिद्ध थार का रेगिस्तान जहां बूंद-बूंद पानी के लिए तरसता है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का पहाड़ी क्षेत्र जहां भी पानी की विकट समस्या है और उसके साथ में धौलपुर, करौली और यह बैल्ट कोटा तक जाती है चम्बल के किनारे-किनारे जिसको हिन्दुस्तान प्रसिद्ध डाँग एरिया कहते हैं ये सब पानी की समस्या से ग्रस्त हैं। आपके आंकड़ों के मुताबिक आपने 33,300 गांव जो समस्याग्रस्त थे उनको पानी उपलब्ध करा दिया है। आपके आंकड़ों के मुताबिक 34,968 गांव समस्याग्रस्त थे। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि 100 व्यक्तियों के ऊपर आपने एक हैण्ड पम्प अलाऊ कर दिया। सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं अब तक जो हैण्ड पम्प थे उनमें से बहुत

(श्री हरिसिंह)

सारे तो खारे पानी के हैं, फ्ल्यूराइड वाटर के हैं जो एबंडन्ड हो गए। वाटर लेबल नीचे चला गया उससे हजारों पम्प एबंडन्ड हो गए। पुराने हैण्ड पम्प जो एबंडन्ड हो गये उनको रिइन्स्टाल करना, और उसके बाद में 100 व्यक्तियों पर एक हैण्ड पम्प जो अलाऊ किया है उसके लिए कितना बजट चाहियेगा और आज जो बजट लेकर आए हैं उसमें तो इस घोषणा की पूर्ति होने वाली नहीं है। आपको ढाई गुना बजट चाहिए था पिछले साल के मुकाबले। सभापति महोदय, मुझे याद है अच्छी तरह से पिछले वर्ष बजट भाषण हुआ था और आपने बहुत गर्व के साथ में कहा था कि यह सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार है, आपने यों मुट्ठी बंद कर ली थी और भैरोंसिंहजी ने आपके साथ-साथ ताली बजाई थी। मैं दृढ़ इच्छा शक्ति का नमूना दे रहा हूं।

त्वरित जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत 1990–91 में केन्द्र सरकार से 40 करोड़ रुपया मिला और सरकार की दृढ़ इच्छा-शक्ति का नमूना देखिए। सभापति महोदय, इन्होंने 16.95 करोड़ रुपया ही यूटिलाइज किया है और 23 करोड़ रुपया अनयूटि-लाइज रह गया। यह दृढ़ इच्छा शक्ति का नमूना है। हकीकत तो यह है कि मुझे इसमें भी डाउट है कि इसका भी यूटिलाइ-जेशन सिर्फ कागजों में दिखाया हो। यह किस काम के लिए पैसा आया है मंत्री महोदय जानते हैं। मरुस्थलीय भाग के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए, फ्लोराइड वाटर को डिफ्लोराइट करने के लिए और एन. एन. पी. की जो स्कीम्स है उनके इक्वल जो खर्चा होता है उसके लिए आप इस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाये। अभी आपके सामने और विकट समस्या है। आप सिर्फ गांवों से ही संतोष कर रहे हैं कि गांवों को पानी पहुंच रहा है। अभी गांवों से बड़ी-बड़ी तो गांव के पास जो ढाणियां और मजरे हैं जिनकी संख्या 55 हजार है वहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है। आप कितने दिनों में इस लक्ष्य को निर्धारित करेंगे जबकि 1990–91 का जो लक्ष्य है 1400 गांवों को पानी सप्लाई करना था और आपकी उपलब्धि रही 821 गांवों की। यह आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति का नमूना है। आप कैसे अपने टारगेट्स को एचिव करेंगे और दोष देते हैं पिछली सरकारों को और आपकी गति रही है नौ दिन चले अढाई कोस। अगर इस गति से आप चले तो न तो 55 हजार जो बची हुई ढाणियां और मजरे हैं उनको पानी मिलेगा। इसके अलावा सभापति महोदय, एक और निवेदन कर दूं कि मेरे यहां 4–5 रीजनल स्कीम्स चल रही हैं। उनको कमीशन्ड घोषित किया हुआ है। हकीकत यह है कि दो–दो गांवों में भी पानी नहीं पहुंच रहा है। पीपलपेड़ा स्कीम है 8 गांवों की लेकिन इससे केवल 2 गांवों को पानी मिल रहा है, सरावली स्कीम 13 गांवों की है उससे 2 गांवों को पानी पहुंच रहा है, सोंदुकी स्कीम में 13–14 गांव हैं उसमें से एक भी गांव को पानी नहीं पहुंच रहा है, खेड़ला स्कीम को कमीशंड घोषित कर दिया लेकिन अभी तक टंकियां नहीं बनी है। वाटर सोर्स बनाकर डाल रखा है 12 महीनों से और जो ट्यूबवैल करवाये हैं उनकी स्थिति यह है कि आपने उनको सील नहीं करवाया इसलिए जो खुले पम्प रह गए उनमें गांव के ग्वाले जाते थे उन्होंने

(श्री हरिसिंह)

पत्थर डालकर उनको भर दिया। टंकियां नहीं बनीं, पाइप लाइनें नहीं डलीं और पिछले 12 महीनों से निरन्तर वहां के स्थानीय अधिकारियों को निवेदन करता रहा हूं लेकिन वे एक ही बात कहते हैं कि पाइप्स उपलब्ध नहीं हैं, रेट कान्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कैसे काम चलेगा, कैसी दृढ़ इच्छा शक्ति है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं आपसे निवेदन करूंगा और मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। मैंने पिछली बार एक प्रश्न लगाया था। वह था एल. एम. पी. रिंग मशीन्स के सम्बन्ध में, एल. एम. पी. रिंग 1500 और उसके जवाब में यह आया कि रिंग मशीनें रोटेरेरिक्स प्राप्त की गई हैं जिनकी कीमत 1,93,63,250 रुपये है। सभापति महोदय, ये मशीनें आईं। मैंने इस संबंध में पूछा कि इन मशीनों को खरीदने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है उसका जवाब आप इजाजत दें तो मैं पढ़कर सुना दूं। इसमें लिखा है 'प्राप्त रिंगों के साथ लगभग 26 लाख रुपये के सहायक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। फर्म के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। महानिदेशक आपूर्ति एवं निस्तारण, भारत सरकार के स्तर पर कार्यवाही प्रगति पर है।

मैंने पूछा था इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है। जवाब ही गोल है, जवाब नहीं दिया। सभापति महोदय, यह करोड़ों रुपयों का घोटाला है। 26 लाख रुपए की एसेसिरीज की बिलिमोरा कम्पनी ने इनको सप्लाई नहीं दी और उसके रख-रखाव पर उसके बाद में 15 लाख 9 हजार 889 रुपया इनको और खर्च करना पड़ा। इनकी भी लाइबिलिटी फिक्स नहीं की गई। 26 लाख रुपए की एसेसिरीज नहीं आई और बिलिमोरा कम्पनी वाइंड अप हो गई लिक्वीडेशन में चली गई और किसी अधिकारी की जिम्मेदारी आपने फिक्स नहीं की।

सभापति महोदय एक और मामला है। इसकी जांच चल रही है। एण्टी करप्शन को मामला दे दिया गया है और एण्टी करप्शन में मामला देने के बाद भी मंत्री महोदय, आपको मुख्य मंत्री जी ने यह सर्टिफिकेट दिया है कि हिन्दुस्तान में आपसे ज्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। जिस आदमी के खिलाफ सीमेन्ट घोटाला काण्ड है, बीकानेर के अधीक्षक अभियंता थे और उसकी इन्क्वायरी हो गई है लेकिन डी. ओ. पी. ने फाइनल निस्तारण नहीं किया है। रिंग मशीनों का मामला जिनके साथ जुड़ा हुआ है, आर. सी. सी. पाइप घोटाला जिनके साथ जुड़ा हुआ है फिर भी ऐसे अधिकारी को आपने वर्किंग एरेंजमेंट पर चीफ इन्जीनियर बना दिया और फिर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है कि आप राजस्थान के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं। आखिर कौनसी बात थी, कौन वह व्यक्ति था जिसने आपको बाध्य किया ऐसे करप्ट अधिकारी को प्रमोशन देने के लिए। इस भ्रष्टाचार की लपटें आप तक आयेंगी। मैं आपके ऊपर सन्देह नहीं कर रहा हूं, आपकी ऑनेस्टी पर मुझे विश्वास है लेकिन आपको किसी ने गलत तथ्य पेश करके गुमराह किया है। आप इस पूरे प्रकरण की जांच करवायें और उस अधिकारी को आप दुबारा उसी जगह पर पहुंचायें।

(श्री हरिसिंह)

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

मैं एक मिनट और लूंगा। विभाग के प्रमोशन के जो निर्धारित नॉर्म्स हैं कि 3 सिविल इंजीनियर होंगे चीफ इंजीनियर के प्रमोशन में और 3 सिविल के बाद में एक मैकेनिकल का होगा। आज स्थिति यह है कि 4 चीफ इंजीनियर हैं 2 तो सिविल के हैं और 2 मैकेनिकल के हैं। 8 एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं जिसमें 6 सिविल के हैं और 2 मैकेनिकल हैं। आपने 3 : 1 का रेशो भी तोड़ दिया। अब 2 : 1 का रेशो है। उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी का आपके पास यह निर्देश था कि वर्किंग अरेंजमेंट पर किसी का प्रमोशन नहीं किया जायेगा। उन आदेशों को भी तोड़ा। आखिर यह कब तक चलेगा। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में मांग कर रहा हूं आप अपनी ईमानदारी की छाप को बरकरार रखें वरना मुझे, मंत्री महोदय, इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और मुझे एक और शंका हो रही है कि आप आखिर किसके दबाव में आये। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सांवरलाल।

(7.00 सायं)

श्री सांवरलाल (भिनाय) : आपकी जो मांग है–पेयजल और सहकारिता, दोनों ही मुद्दे बड़े जनोपयोगी हैं। पेयजल की एक गम्भीर समस्या इन दिनों बन गई है और इस समस्या से भारत सरकार भी उतनी ही चिन्तित है जितनी राजस्थान सरकार है। भारत सरकार की चिन्ता का ही परिणाम है कि उसने राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जो पानी है, भू–जल है, उसका पता लगाने, खारा पानी है या शुद्ध पानी है, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल किस प्रकार से उपलब्ध करवाया जा सकता है, यह उसकी चिन्ता को प्रकट करता है। इसी प्रकार राजस्थान में पेयजल की गम्भीरता को देखते हुए भारत सरकार ने त्वरित कार्यक्रम इसके लिए प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी ग्रामीण अंचल में जो विभिन्न योजनाएं इसके अन्तर्गत ली हैं, इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल किस प्रकार उपलब्ध करवाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दिनों एक अहम् मुद्दा यह पेयजल समस्या बन गई है। पुराने जमाने में भी कहा गया कि 'रहीमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून' तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं····

श्री हेतराम बेनीवाल : पानी किसी का नहीं रहा अब।

श्री सांवरलाल : पानी का अर्थ वह भी है महाराज, हमने पढ़ाया भी है और पढ़ा भी है। आपसे ज्यादा मैं जानता होऊंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह पानी नहीं रहा।

एक माननीय सदस्य : उस संदर्भ में नहीं है····

श्री सांवरलाल : कई संदर्भ हैं, जितने जितने संदर्भ आप चाहो, पर यहां पर जो संदर्भ है, मैं माननीय मंत्री महोदय से

(श्री सांवरलाल)

निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर केवल पानी रखने से काम नहीं चलेगा, पानी की गुणवत्ता की ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। चाहे पश्चिमी राजस्थान लें, मध्य राजस्थान लें या पूर्वी राजस्थान लें, हर क्षेत्र में जो पेयजल ग्रामीण अंचल का है, वहां पर दूषित पानी मिलना लगभग प्रारम्भ हो गया है जिससे ग्रामीण जनता के जन-जीवन और पशु धन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पहले भी मैंने इसी सदन के अन्दर आपसे यह निवेदन किया था कि हमारे यहां पर ऐसे कई गांव हैं जहां के निवासियों को ऐसा पानी पीने के कारण इस प्रकार की बीमारियां हो गई कि जवानी में भी वह बूढ़े लगते हैं, किसी काम के वह नहीं रहते हैं, कुबड़े हो रहे हैं, किसी के दांत गिर रहे हैं, उनके शादी-सम्बन्ध नहीं हो रहे हैं। तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो समस्या है दूषित जल की, यह किसी मौसम से सम्बन्धित नहीं है, यह समस्या सदाबहार समस्या है। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, किसी भी प्रकार आप तुरन्त व्यवस्था करवायें और वर्ष पर्यन्त व्यवस्था करवायें। चाहे आप टैंकर से सप्लाई करवाइए। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डि-फ्लोरेशन जो प्लांट है वह अजमेर जिले में भी लगाइए, वहां पर भी सैंकड़ों गांवों का पानी दूषित है, यह मेरा आपसे निवेदन है। इसी प्रकार यहां पर बनास से पानी दिया जा सकता है वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार बजट का 60 या 62 प्रतिशत भाग गांवों पर खर्च करना चाहती है। पेयजल पर आपका लगभग 93.5 करोड़ रुपये का बजट है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम इसका 60 प्रतिशत आप गांवों के लिए खर्च कीजिए जिससे 46 की जगह 56 करोड़ रुपये हो जायेंगे। इससे कई गांवों की समस्या समाप्त हो जायेगी। जहां पर 80 प्रतिशत लोग रहते हैं, हम आपसे यह मांग करते हैं कि पेयजल हैड में से, चूंकि आप सक्षम मंत्री हैं, आप अपने विभाग का कार्य करने के लिए स्वतन्त्र हैं तो निश्चित रूप से इस 93 करोड़ का जो राज्य सरकार का बजट प्रस्ताव है, उसमें से 60 प्रतिशत गांवों के लिए आप रखिये क्योंकि गांवों की व्यवस्था बड़ी दयनीय है। गांवों में दो प्रकार से पानी चाहिए, मनुष्यों के लिए चाहिए और पशुओं के लिए चाहिए। नहाना-धोना जो हमारे शहर में होता है, वह व्यवस्था यहां पर नहीं होती है। वहां पर कभी हफ्ते में, कभी पन्द्रह दिन में नहाते हैं तो कम से कम पशुओं और मनुष्यों के लिए पीने का पानी उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था आप करेंगे। इसी प्रकार जो बीसलपुर योजना है इसके बारे में मेरा आपसे विशेष निवेदन है। काफी आपने आश्वासन भी दिया है, कार्य भी प्रगति पर है पर मेरा आपसे निवेदन है, जब तक आप लगे नहीं रहेंगे, तब तक यह योजना जल्दी पूरी होने वाली नहीं है।

माननीय सिंचाई मंत्रीजी के द्वारा जो प्लांट हुआ है वह कार्य हो रहा है। अब आपके यहां पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगना है, उसका टेण्डर, पता नहीं, हुआ या नहीं हुआ, चार तारीख थी। तो मेरा आपसे

(250)

(श्री सांवर लाल)

निवेदन है कि जब तक वह फिल्टर प्लांट नहीं लगेगा तब तक बीसलपुर का पानी न अजमेर पहुंचेगा, न किशनगढ़ पहुंचेगा, न ब्यावर पहुंचेगा और न उस क्षेत्र के गांवों को मिलेगा । तो मेरा यही निवेदन है कि साथ-साथ उस क्षेत्र के जो गांव हैं उन गांवों को यह पेयजल इस बीसलपुर से देने की योजना है, इस योजना को भी आप भारत सरकार को भेज कर मंजूरी दिलवायें जिससे साथ का साथ पानी उन गांवों वालों को भी मिले । चूंकि उसमें विशेष दिक्कत आने वाली बात नहीं है, भारत सरकार भी गांवों के अन्दर पेयजल के लिए विभिन्न प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है । तो मेरा यह निवेदन है कि बीसलपुर बनने के बाद पानी की कमी नहीं रहेगी, तो यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो पेयजल योजना है, जिसमें लगभग 400 गांवों को आपने सम्मिलित किया है, उस योजना को बनाया है, उस योजना की भी मंजूरी दिलवा कर कार्य शुरु करवायें । तभी मैं सोच सकता हूं कि हमारे उस क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाका है वहां पर इस समस्या का समाधान होगा । इसी प्रकार मेरा निवेदन है कि गांवों के अन्दर भी आप पी. एण्ड टी. योजना लागू कीजिए । गांव वाले खेती करते हैं, रात में घर आते हैं, महिलाएं भी काम करती हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर वहां पर घर-घर के अन्दर पानी उपलब्ध हो जायेगा तो निश्चित रूप से उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, समय उनको ज्यादा मिलेगा और निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा क्योंकि किसान और गांव का आदमी जो भी काम करता है उसका सीधा सम्बन्ध हमारे नेशनल प्रोडक्शन से होता है । तो मेरा यही निवेदन है कि आप निश्चित रूप से गौर करेंगे और गांवों में विशेष रूप से यह उपलब्ध करवायेंगे । इस वर्ष हालांकि अजमेर जिले में भी बरसात ज्यादा हुई है पर मेरा निवेदन है कि आपकी जिम्मेदारी फिर भी कम नहीं हुई है । इसका कारण है, क्योंकि सैकड़ों तालाब हमारे क्षेत्र के टूट गए और हमारे सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण उन तालाबों के अन्दर बरसात का पानी नहीं रुक सकता जिसकी वजह से न तो कुओं का जल स्तर ऊपर आ पाया और न किसी प्रकार का अतिरिक्त पानी हमें उपलब्ध होगा । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस वर्ष आपने अजमेर जिले में पेयजल के लिए विशेष ध्यान देना है जैसी आपने मेहरबानी गये साल के अन्दर की है, जिस प्रकार की उदारता और तत्परता आपने गत वर्ष दिखाई है जिससे जिले के लोगों को, चाहे

(7.06 सायं)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

ग्रामीण क्षेत्र हो और शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध हुआ है, उससे ज्यादा आप करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास और आशा है । हैण्डपम्प आप देंगे, उससे ज्यादा देंगे । इसी प्रकार जो दूसरी व्यवस्था आपने की थी वही करवाने का श्रम करायेंगे । तो मेरा यही इसमें आपसे निवेदन है और आप तो विशेष ध्यान देंगे, ऐसी मुझे आशा है ।

सहकारिता के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । सहकारिता मंत्री से केवल यही निवेदन आपके माध्यम से करना

(श्री सांवर लाल)

चाहता हूं कि जो सहकारिता विभाग में घपलेबाजियां थीं जिसकी वजह से सहकारी बैंक फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं वह भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने कर दी, कर्जा मुक्ति के द्वारा लगभग सफाई हो गई। अब आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि इस विभाग को जो "एक सब के लिए, सब एक के लिए" है, सहकारिता की भावना रहे, कहीं भ्रष्टाचार के कारण जो किसान वर्षों से दबे हुए हैं उनकी हालत वही न हो जाय. इस व्यवस्था की ओर आपको ध्यान देना है यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : हो गया, बस।

श्री सांवरलाल : एक मिनट।

श्री सभापति : हां-हां, बोलिए।

श्री सांवरलाल : मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर की जो योजना अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी है उसके बारे में स्पष्टतः आज यहां पर राय कायम करेंगे।

श्री सभापति : धन्यवाद। मनीराम।

श्री मनीराम (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पी. एच. ई. डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने इस सम्बन्ध में इसी सत्र में 295 के तहत भी इनका ध्यान आकर्षित किया था। पिछले वर्ष भी मैंने पेयजल योजना पर कट मोशन्स दिये थे। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण अंचल से पूरे वाकिफ नहीं हैं और सिर्फ शहरी क्षेत्र से इनका लगाव है। जहां तक मेरा अनुमान है, मेरा लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र बहुत ही लम्बा-चौड़ा, गांवों का क्षेत्र है और ग्रामीण अंचल के लोग इसमें निवास करते हैं। यहां विशेष तौर से कंवरसेन लिफ्ट नहर, जो मेन कैनाल की नहर है, उससे ही पानी लाने का मुख्य स्त्रोत है। पेयजल योजनाएं जितनी भी बनी हैं वह कंवरसेन लिफ्ट या कुछ ट्यूब वैल बनाकर या ओपन वैल्स के माध्यम से चल रही है। पेयजल योजना में विशेष तौर से पी. एच. ई. डी. और आर. एस. ई. बी. दोनों विभागों में भी तालमेल नहीं है क्योंकि जितनी भी योजनायें यहां चल रही हैं, यह बिजली पर निर्भर है और इन दोनों विभागों का सामंजस्य नहीं होने की वजह से एक दूसरा विभाग कोई भी अपने ऊपर यह बात लेने को तैयार नहीं है कि यह किसकी गलती से व्यवधान पैदा हुआ। तो यह मंत्री महोदय से एक वर्ष से लगातार निवेदन कर रहा हूं, कई बार मैंने तार भी दिये हैं और आपसे जुबानी और लिखित में भी निवेदन किया है लेकिन आपने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। शायद मंत्री महोदय का मेरे ख्याल से कोई राजनीतिकरण हो चुका है। इन्होंने कभी जनता की सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखकर किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर शायद मुझे ही तंग करने की नीयत से या जनता में साख गिराने की नीयत से यह सब कुछ हो रहा है।

मैं आपको इस बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कुछ स्कीमें हैं जिनमें रोजमर्रा की यही शिकायतें हैं कि पानी नहीं चल रहा है और जब भी

(श्री मनीराम)

मैं अधिकारियों से सम्पर्क करता हूं तो यही कह देते हैं कि क्या करें यहां अधिकारी नहीं हैं। लम्बे अरसे से मेरा जो क्षेत्र है उसमें एक्स. ईएन. भी आपने नहीं लगाया है और न ही जितने जे. ईएन. चाहिए वह भी आपने नहीं लगाये। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले समय तो हमने इस आशा में निकाल दिया था कि हमारी सरकार है, हमने बनाई है, जनता को बड़ी आशा थी और उस आशा पर भी आपने पानी फेर दिया और पीछे जो सर्दी का मौसम था वह भी हमने निकाल दिया अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप थोड़े ही समय के हो। दो तीन महीने में आप जाने वाले हैं, आप इतना तो जाते-जाते कर दीजिए कि गर्मी का मौसम है इसमें लोग त्राहि-त्राहि नहीं करें और इस साल आने वाले समय में यह लोग धन्यवाद दें....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कहीं जा रहे हैं क्या ?

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें ....(व्यवधान)....आर्डर प्लीज....उजला जी तशरीफ रखिये।

श्री मनीराम : मैं तो गांव की बात कर रहा हूं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गांव के लोगों की हालत पर भी थोड़ा गौर फरमाओ, थोड़ा रहम कीजिए क्योंकि जब आपकी स्कीमें बनती हैं तब भी उन लोगों के साथ भेदभाव हुआ है। शहरों के लिए 70 लीटर और गांवों के लिए 40 लीटर को आधार मानकर आपने पेयजल योजनायें बनाई हैं जो बहुत ही त्रुटिपूर्ण हैं। क्योंकि आज गांव का आदमी भी इतना नहीं रहा जैसा आप लोगों ने पहले कालान्तर में देखा होगा। आज भी लोग यह चाहते हैं कि हम भी अपना जीवन बसर कुछ मनुष्यों की तरह करें और साथ ही साथ एक विशेष बात आपके नोट करने की है कि पेयजल योजनाओं में हमारा जो क्षेत्र है वह पशु प्रधान एरिया है। उसमें जो पशु हैं, हम लोगों की यह नीयत है, हम लोगों की यह भावना है कि हमारा पशु भी हमारे से पहले पानी पीये। जब हमारा पशु प्यासा रहता है तो मालिक के मन में यह रहती है कि मेरा पानी पीना भी बेकार है। तो माननीय मंत्री महोदय का मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस गर्मी के मौसम में पशुधन विशेषकर गऊओं के जो हमारे बीकानेर जिले की राठी नसल की गऊ हैं जो आपके पूरे देश को और भारतवर्ष को और जो डेरी चल रही है उसका मुख्य आधार है। राठी नसल की गायें, उसको भी पानी मनुष्य से बेहतर मिलना चाहिए।

विशेष तौर से, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पी. एच. ई. डी. में बहुत ज्यादा पैसा फिल्टर सिस्टम पर खर्च हुआ है और वह आज तक कोई भी फिल्टर सिस्टम सही नहीं है। या तो वह निर्माणाधीन हैं या बन चुके हैं तो वह चौक हो चुके हैं। उससे बाहर से पानी दिया जा रहा है। मैं काफी फिल्टर सिस्टम को देखकर आया हूं। जैसे अर्जुनसर है, लूणकरणसर है, खाजूवाला है, छतरगढ़ है। वहां मैं स्कीम पर गया और पता किया है सभी जगह जैसे खोखरी है 433 आर. डी. जो मैन कैनाल की है, यही वहां के कार्यरत

(श्री मनीराम)

कर्मचारी ने बताया कि यहां तो कोई देखने वाला नहीं है....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य यह फिल्टर नये हैं या पुराने हैं ?

श्री मनीराम : यह फिल्टर पहले एक साल या दो साल से बने हुए हैं पर लूणकरणसर में तो नया बन रहा है। उनका बजट तो पूरा हो गया लेकिन वह चालू नहीं किया गया है। तो मैं कह रहा था फिल्टर सिस्टम के बारे में। तो जब भी जाते हैं तो वहां एक कर्मचारी मिलता है पम्प ड्राइवर या लाइनमैन। वही होल एण्ड सोल है वहाँ वर्षभर में एक्स. ईएन., ए. ईएन. या जे. ईएन. तक जो रीजनल स्कीम है वह नहीं देखते हैं। न इन्होंने कोई निरीक्षण नोट लगाये हैं। कहीं-कहीं तो यहां तक है कि स्कीम पर जाने से पता नहीं चलता कि स्कीम चालू रही या बन्द रही। जो बिजली के मीटर हैं वह बन्द पड़े हैं या हटा दिये वहां से। वहां कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे हम यह पता लगा सकें कि यह स्कीम इतने समय तक चालू रही है। वहां का जो पम्प ड्राइवर है वही मेन स्कीम चलाने वाला है। उसी के आधार पर वह चलती है या नहीं चलती है।

हमारा क्षेत्र विशेष तौर से दीमक के प्रकोप से प्रभावित रहता है। उसमें पाइप लाइन जो लगी हुई हैं जमीन में वह रबर की है और कट जाती है और फिर उसकी दुरुस्ती में समय लगता है और इस बीच में उदासीनता यह आती है कि जे. ई. एन. या संबंधित अधिकारी यह बहाना बना लेते हैं कि हमारे पास कोई मेटेरियल नहीं है जिससे हम ज्वाइन्ट जोड़ सकें। इधर जो लाइनमैन लगाये गये हैं वह भी क्षेत्र को ध्यान में रख कर नहीं लगाए गए हैं। उनको हैड स्विच पर लगा लिया। जहां जिनकी एप्रोच है, चाहे शहर का हो या किसी दूसरी जगह का रहने वाला हो उसको यह कोई जिम्मेदारी नहीं दी कि यहां नियमित पानी नहीं पहुंचा तो तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी या लोग प्यासे रहेंगे उस बाबत कोई विशेष दण्ड का या टोकाटाकी का कोई प्रावधान नहीं रखा है क्योंकि जो जे. ईएन. हैं वह भी मौके पर नहीं रहते हैं। वह तो खुद उनके घर जवानी हैं, उनसे खुद कहलाते हैं कि इतनी बार स्कीम पर आये। तो मंत्री महोदय से मैं ज्यादा नहीं कहकर यही कहते हुए कि मानवता के आधार पर थोड़ी रहम करके और दो महीनों को देखते हुए, मैं किसी अधिकारी को या आपको भी थोड़े समय के लिए यह नहीं कहना चाहता कि आप यह जानबूझकर कर रहे हैं लेकिन हो सकता है आपको इस क्षेत्र विशेष की बात जानकारी में न हो।

एक टी. एस. एफ की स्कीम पिछली बार भी मैंने कहा था कि टी. एस. एफ. की स्कीम है यह पंचायतों के चलाने के बस की बात नहीं है। सिर्फ बिजली विभाग के पैसे आप भर देते हैं बाकी जितने भी उसके ऊपर स्टाफ और पार्ट्स आदि जो भी चाहिये उतनी पंचायतों के पास केपेसिटी नहीं है कि वह टी. एस. एफ. स्कीम को नियमित रूप से चला सके। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप टी. एस. एफ. स्कीम को अपने विभाग में ले लीजिए।

(श्री मनीराम)

दूसरा मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में एक ट्रस्ट चल रहा है उरमूल ट्रस्ट जिसमें ट्रस्ट के पैसे लगाकर काफी डिग्गियां बनवा दीं। पहले तो वहां के जिला कलेक्टर थे उन्होंने जोश-जोश में यह कहकर बनवा दी कि डेवलपमैंट हो रहा है, आप कह दीजिए हम इनको जुड़वा देंगे। अब मेरे ख्याल से विभाग में कोई बात चल पड़ी, किसी के नाक का सवाल बन गया पता नहीं कैसे वह यह कह देते हैं कि अगर इनको जोड़ देंगे तो पानी की पार्टेबिलिटी नहीं रहेगी वह खारी हो जायेगा, जहरी हो जायेगा। तो मेरा यह निवेदन है कि जब पी. एच. ई. डी. खुद हमारे गांवों में कोठों में पानी डाल रही है जो खुल्ले हैं ऊपर से और पुराने होदों में डाल रहे हैं जो ऊपर से खुल्ले हैं उसमें पार्टेबिलिटी रहती है और जो विभाग ने, एक संस्था ने बनाये हैं और कलेक्टर ने उनको बनाने के लिए जो उनको आदेश दे दिये हैं फिर आपके विभाग में ऐसी कौनसी अड़चन आ गयी कि इस तरह की नुक्ताचीनी की जा रही है।

दूसरे माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन था कि विकास की दौड़ देखते हुए सरपंच लोगों ने या लोगों के मन को देखते हुए जगह-जगह खेलियों या छोटे बड़े हौद बना दिये और इस तरह की खींचातानी बन गयी कि कोई तो यह हां ही नहीं कर रहा है कि पी. एच. ई. डी. ने या डी. आर. डी. ए. ने कोई दूसरी स्कीम बना दी है। तो मेरा एक निवेदन है कि आप पी. एच. ई. डी. की तरफ से एक लिस्ट जारी करवा दें पंचायत विभाग को कि यह जो हौद या खेलियां बनाई हैं और उसमें साथ ही उसके लिए बजट बना दिया है उनको कनेक्ट करने के लिए क्योंकि वह सीमेण्ट से बने हुए हैं और दो-तीन साल सूखे रह जायेंगे और कुछ तो खराब हो ही चुके हैं तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मनीराम : सभापति महोदय, बहुत ही अहम् मसला है।

श्री सभापति : अहम् पहले ही आते हैं यहां पर साधारण मसले थोड़े ही आते हैं कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मनीराम : मुझे तो पहली बार मौका मिला है।

श्री सभापति : और मिलता रहेगा। समय नहीं है, रात के 12 बजेंगे, 15 आदमियों को बोलना है....(व्यवधान)

श्री मनीराम : तो सिर्फ मैं इतनी ही अर्ज करूंगा कि पहले आपके मन में कोई गलत फहमी रही हो, कोई मतभेद की नीयत बन भी गई हो तो मेहरबानी करके आप तो तीन महीने के लिए निकाल दीजिए और हमारी थोड़ी-सी मदद कर दीजिए।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री प्रेमसिंह दहिया। (अनुपस्थित), श्री नत्थीसिंह।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, हमारी पार्टी का कोई आदमी अनुपस्थित है तो हमारी पार्टी के ही किसी दूसरे आदमी को चांस दिया जाय।

श्री सभापति : इनके बाद बुलवा

(श्री सभापति)

दूंगा । अब तो बोल चुका । इनको अच्छा नहीं लगेगा ।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, मेरे इस सम्बन्ध में दो तीन निवेदन हैं । जहां तक पेयजल की समस्या का सवाल है पिछले साल इस संकट को बड़ी गम्भीरता के साथ सरकार ने लिया था और संकट भी था, उसके इलाज के लिए भी सावधान किया, कोशिश भी की गई लेकिन यह बात सही है कि हैण्डपम्प जो आपने लगवाये उनमें ज्यादातर हैण्डपम्प जहां तक मेरे जिले का सवाल है वह नाकामयाब रहे हैं ।

एक दूसरी बात और है, हमारी कई योजनाओं में नल लगे हुए हैं । और अभी माननीय सदस्य धन्यवाद दे रहे थे, अगर मैं भी उस स्थिति में होता तो जरूर धन्यवाद देता, नल लगा रखे हैं कई वर्षों से लेकिन उनमें पानी नहीं टपकता । यह समस्या बड़ी व्यापक है और हमारे जिले में यहां खारा पानी है । पानी प्रचुर मात्रा में नहीं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं कुम्हेर से वह सारा ही खारा है इनकी जो स्कीम्स थी, चीफ इन्जीनियर कह रहे हैं मेरे पास है, सरकार कह रही है हमारे पास है । उनको तय कर बैठ जायें । तय नहीं करें तो गर्मी का मौसम आ रहा है, बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी कुम्हेर मेरा कस्बा, तहसील और भरतपुर जिले की स्कीम्स जो दी हुई है उनको अब नहीं तो कब तय करेंगे । अप्रेल आ रहा है, पानी की समस्या विकट रूप धारण कर लेगी ।

एक दूसरी बात कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में दो जगह से पानी आ सकता है वैर को तो बारेठा बांध से मिल जाता है, अब के बरसात अच्छी हो गई है, पानी मिल ही रहा है लेकिन डीग, कुम्हेर और दूसरे इलाके हैं वहां पर यमुना से पानी आने की बात है । चार क्युसेक्स पानी यमुना से देंगे, इसे लाने की बात तय भी हो गई लेकिन आपके सचिवालय में, आपसे मैंने भी बहुत बात की आपने भी कोशिश की लेकिन एक मुश्किल आ गई है यू. पी. की सरकार कहती है कि यमुना का पानी हम देंगे लेकिन यहां भी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए कुछ पैसा दो हमें । सरकार ने स्टैण्ड लिया हुआ है, जिसको मैं सही मानता हूं कि यमुना के पानी में हमारा अधिकार है और इसलिए अधिकार है कि चार क्युसेक्स पानी वह हमसे क्यों लेते हैं ? लेकिन इस झगड़े में हम भरतपुर के लोग कब तक पानी के लिए तरसते रहेंगे, मेहरबानी करके ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, इस चार क्युसेक्स पानी को तो जल्दी से जल्दी दिला दीजिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वा. अभि. मन्त्री) मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा इस मामले में थोड़ी आप मदद करें हमने कल ही एक यू. पी. के मुख्य मन्त्री जी को लिखा है और हमारी माननीय सदस्या कृष्णाकौर परसों वहां गई हैं उनका लखनऊ में मिलने का समय है, अधिकारी भी वहां जायेंगे । यदि इसमें आप मदद कर दें, हम पैसा देने को भी तैयार हैं, तो मैं समझता हूं आपकी मदद से यह पानी जल्दी आ जाएगा ताकि हमारी चिन्ता भी दूर हो जाएगी और आपको भी लाभ हो जाएगा ।

श्री नत्थीसिंह : धन्यवाद दूसरी बात इस सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं एक तो तात्कालिक समस्या है आपको भरतपुर

(श्री नत्थीसिंह)

में कोई चारा नहीं है, जो स्कीम्स दी हुई है उनको जल्दी से जल्दी मंजूर कर लें और दूसरी बात प्राइवेट मीठे पानी के जिनके ट्यूब वैल लगे हुए हैं उनसे पिछली बार व्यवस्था की गई थी कि उनको कुछ पैसा देकर उनके ट्यूब वैल किराये पर लें और उनको चलायें लेकिन किसानों को एक दिक्कत, एक शिकायत रही कि उसके बाद उनका भुगतान नहीं हुआ। इसलिए भुगतान तुरन्त हो और इस बार भी समय से पहले उन कुओं को, ट्यूब वैल को, लिखा जाय और पानी की व्यवस्था कराई जाय।

दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, यह तो मैंने तात्कालिक बात कही। लेकिन आपने महसूस किया, एक स्कीम भी बना कर भेजी गई लेकिन भरतपुर के पानी की समस्या का अगर कोई समाधान करना है तो धौलपुर, भरतपुर, आगे अलवर भी, इनके लिए चम्बल से लिफ्ट करके तीन सौ करोड़ की योजना बताई गई कि हमने दिल्ली के योजना आयुक्त को, किसको भेजी है क्या हुआ उसकी चर्चा कहीं नहीं है आपके न तो नोट में चर्चा है, न आपके बजट भाषण में कहीं चर्चा है। यद्यपि मैं कहा करता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी धौलपुर से चुन कर आये हैं। आशा जगी थी कि पूर्वी राजस्थान का जरूर ध्यान रखेंगे लेकिन जैसा मैं मानता हूं वह तो नया नीड़ तलाश करते हैं इसलिए भरतपुर और धौलपुर की परवाह नहीं की। आप माननीय मन्त्री महोदय, बड़े संवेदनशील हैं, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है, पण्डित जी महाराज हैं तो कम से कम इस प्यासे भरतपुर के लिए यह चम्बल में से कुछ हिस्सा हमको सिंचाई के लिए कहते हो आज मौका नहीं है लेकिन पेयजल की योजना भेजी गई है उसे परश्यू करके कब तक मन्जूर करा देंगे, दो तीन वर्ष में नहीं तो कभी तो यह हो। हां, हम को इससे पानी मिलने लगेगा।

दूसरा, सहकारिता के सम्बन्ध में संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा जब बजट भाषण के समय कुछ बातें यहां पर उठाई, जवाब आया नहीं उनका।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, दो बातें आपने कही हैं एक तो आपने कहा कि हैण्डपम्प आपके यहां कामयाब नहीं हैं तो मैं समझा कि यहां हैण्डपम्प लगाना इसलिए उपयोगी नहीं है कि वह कामयाब नहीं होते या लगे हैं वह बेकार हो गये हैं, एक तो आप यह बता दें। दूसरा मीठे पानी के जो कुए हैं जो प्राइवेट लोगों के हैं उनको अगर पेमेन्ट नहीं हुआ है तो मुझे जानकारी दें कि किसको नहीं हुआ ताकि 31 मार्च के पहले-पहले कर दिया जाय। और अगली बार फिर पानी दें इसकी आप उनसे बात करके इसकी जरा मदद करें।

श्री नत्थीसिंह : ठीक है। एक मैंने सहकारिता के सम्बन्ध में कहा था और अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि समस्या का समाधान हो गया, कर्जा माफी के कारण बैंकों की स्थिति सम्भल गई है। वैसे तो सहकारिता मन्त्री जी जानते हैं, हम भी जानते हैं हमारी धारणा थी कि सभी किसानों का कर्जा माफ हो, वह सम्भव नहीं हुआ भारत सरकार और संसाधनों के कारण लेकिन एक बात का फैसला हुआ था कि जो भारत सरकार की नीति होगी उसी अनुरूप कर्जा माफी राजस्थान में भी की जाएगी अब पहली बार कहा गया कि 14 लाख

(श्री नत्थीसिंह)

किसानों को फायदा होना चाहिए था जो 9 लाख को हुआ, 5 लाख को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ? 2-10-89 की जो तारीख थी जिस दिन 10-4-90 तक के कर्ज माफ होने थे उसके बाद में राजस्थान में यह दिक्कत आ रही है कि आज उनसे ब्याज वसूल कर रहे हैं 2-10-89 के बाद का ब्याज लेकिन भारत सरकार ने जितने भी सेन्ट्रल या नेशनल बैंक हैं उन्होंने किसी ने भी 2-10-89 के बाद ब्याज वसूल नहीं किया। सबने उनकी एन्ट्रीज की है जब तक आप यह व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक समस्या रहेगी और विशेष तौर से उन इलाकों में बाड़मेर, जोधपुर के जहां लगातार अकाल रहे हैं और जिनको बड़ी मात्रा में 28, 20 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है और दूसरी जगह पर इसलिए नहीं हो पा रहा....

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर, अपने यहां परम्परा रही है, कोई अपनी पैरवी इस सदन में नहीं कर सकता। ऐसा मैं समझता हूं।

श्री सभापति : ठीक है, कृपया बिराजिए। व्यवस्था बनाए रखिये। कैरी आन। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : क्या कहा सुना नहीं फिर रिपोर्ट करिये।

श्री सभापति : आप अपनी पैरवी नहीं कर सकते। यह है उनका व्यवस्था का प्रश्न। आप अपनी पैरवी कर रहे थे।

श्री नत्थीसिंह : मैं किसान वर्ग में पैदा हुआ हूं और मुझे गर्व है, किसानों की पैरवी करूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसान की तो करें, पर अपनी नहीं करें।

श्री सभापति : विवाद करके समय जाया नहीं करें।.... (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : मेरी पैरवी क्या कर रहा हूं किसान की कर रहा हूं। बैठ जाइये, जो समझे नहीं उनको चुप रहना चाहिए। जो नासमझ हैं उनको चुप रहना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + +

श्री नत्थीसिंह : जो नासमझ हैं उनको चुप रहना चाहिए। हर वक्त व्यवधान डालने से कुछ होता नहीं है, समझे ना।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री नत्थीसिंह : सम्पतसिंहजी के लिए मुख्यमंत्रीजी को माफी मांगनी पड़ी और आप भी वही करना चाहते हैं। जो गलत वाणी, असत्य वाणी + + + क्या उनकी पैरवी कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। आपके मुख्यमंत्रीजी ने सदन में माफी मांगी है अपने व्यवहार के लिए उसी को रिपीट करना चाहते हो ? (व्यवधान)

क्या बात करते हो, कोई बात गम्भीर हो, उसको गम्भीरता से लेना सीखो यहां पर केवल विदूषक होने से काम नहीं चलेगा।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नत्थीसिंह)

यहां पर आप माननीय सदस्य हैं इसलिए माननीय सदस्य की तरह व्यवहार करिये ।

श्री सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं जानता हूं अच्छी तरह से और मैं जिम्मेदारी से बात करता हूं ।....(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : आप बैठ जाइए । मैं इसलिए कह रहा था कि यह गम्भीर समस्या है । इस प्रदेश को भारत सरकार की नीति के अनुरूप जो फायदा मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है और ब्याज बढ़ रहा है । 2-10-1989 के बाद भारत सरकार की नीति के अनुसार कोई ब्याज उन पर नहीं लगाना चाहिये । अगर हम उनको एडजस्ट नहीं कर सके, जमा नहीं कर सके तो यह कमी तो हमारी है, राज की है, किसान की नहीं है । इसलिए यह जो दिक्कत आ रही है उसे मिटायें ताकि किसानों को पूरा लाभ मिल सके । इसके साथ-साथ दूसरी एक और नीति है । उस सम्बन्ध में ध्यान दिलाना चाहूंगा । भारत सरकार ने शुरु में एक फैसला किया था कि लगातार दो बार जो फसल खराब हुई है उन किसानों को ही ऋण माफी में सुविधा मिलेगी लेकिन इस पर जब उन्होंने संशोधन किया कि एक बार भी जो फसल खराब हुई है उनको भी यह सुविधा दी जायेगी । मुझे मालूम है मुख्यमंत्रीजी ने इस बात की हां की थी कि हां, इस तरह का होना चाहिए । आदेश आज तक भी नहीं निकले । वह आदेश निकलेंगे तो किसानों को फायदा होगा ।

एक दूसरी बात, मैं को-आपरेटिव के सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं । यहां कई बार बोलते हैं, आज भी बात आई थी, किसी माननीय सदस्य ने सवाल पूछा कि को-आपरेरिटव बैंक और भूमि विकास बैंकों को एक कर दिया जाना चाहिये । हमारे मुख्यमंत्रीजी ने कहा हम इस पर विचार करेंगे । सम्भवतः वह करेंगे । मैं कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में एक परीक्षण आन्ध्र प्रदेश में हुआ है । इस पर बहुत विवाद हुआ, इस पर रिजर्व बैंक की कमेटी बनी है । आन्ध्र प्रदेश में इन दोनों बैंकों को एक किया गया है । आज कोई फैसला लें उससे पहले मेहरबानी करके आन्ध्र प्रदेश में जाकर देखें कि वहां क्या हुआ । इस विषय में रिजर्व बैंक और मेवाड़ का जो अनुभव है जिन्होंने कहा है कि परीक्षण फैल हुआ है, सफल नहीं हुआ है । कहीं ऐसा न हो कि आपकी व्यवस्था करने में कोई ग्रामीण लोगों को ऋण मिलने में असुविधा हो जाय और आप उसे नहीं दे पायें । इस बात पर ध्यान रखिये ।

एक दूसरी बात, अखबारों में बड़ी चर्चा निकली कि यह सब सोचा जा रहा है राजस्थान में कि एक अपेक्स बैंक रहेगी, सी. सी. बैंक उनकी शाखाएं हो जायेंगी और दूसरा एक एफ. एल. डी. सी. रहेगा और भूमि विकास बैंक उनकी शाखाएं हो जायेंगी । यह लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की हमारी व्यवस्था है, जनतंत्र को सफल करना है तो उसे गांव के लेबल तक ले जाना होगा । यह केवल आप कर दें, सब की सब शाखाएं बना दें, केन्द्रीयकरण कर दें यह को-आपरेटिव भावना के, सहकारिता भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है । मैं कहना चाहता हूं कि कैसे बने । सभापति महोदय,

(श्री नत्थीसिंह)

एक सत्य की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी का, उन्होंने भी इसका अध्ययन किया होगा। यह हमारे राज का बैंक है और को-आपरेटिव बैंक है। उनकी कई कठिनाई हैं। कुछ बातें तो ऐसी हैं जहां एक तरफ मैं अगर कहूं तो आपके बैंकों में दादागिरी चल रही है।

एक तो व्यवस्थापकों के लिए व्यवस्था-पकीय कोष बनाया जाय, उनमें अलग से कन्ट्रीब्यूशन लिया जाय, केडर और अथोरिटी की स्थापना की जाय। अपेक्स बैंक के एम. डी. होते हैं वह उसका चेयरमैन होता है। क्या किया है? आज एक-एक बैंक में एक-एक करोड़ रुपया उन पर भार डाल दिया सी. सी. बैंक पर उनको तो व्यवस्था-पकों को तनख्वाह दिला दी और जो पहला अथोरिटी का दायित्व था उन्होंने एक नये पैसे का पेमेण्ट नहीं किया और फिर वह कहते हैं कि अपेक्स बैंक सी. सी. बैंक से 16 पर्सेण्ट ब्याज वसूल करता है ओवर ड्राफ्ट में लेकर के। आप उनको मजबूत बनाना चाहते हैं या पूरी तरह से उनको बर्बाद कर देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में आप जो भी फैसला लेना चाहें लें। कितना कन्ट्रीब्यूशन सरकार का होगा, कितना अपेक्स बैंक का होगा, कितना सी. सी. बैंक का होगा, कितना सोसायटी का होगा और कितना फिर सरकार उस पर देगी। मैं एक सुझाव देता हूं, 12 वर्ष तक सरकारी जोन था, 12 वर्ष तक चुनाव नहीं हुए और उस बीच में 104 तो मेरे यहां और बहुत जिलों में हैं। एक क्रम से व्यवस्थापकों को बर्खास्त कर दिया। आज हाई कोर्ट में मामला है। अब उनमें हो क्या रहा है? उन्होंने कहा कि लेबर कोर्ट में जाओ। एक-एक व्यवस्थापक के लिए आदेश आ रहे हैं। डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख का तो एरियर्स दो, किसी को डेढ़ लाख तो किसी को सवा लाख और नहीं दे पाये तो उन पर पैनल्टी दें और एम. डी. पर, ई. ओ. पर हाई कोर्ट में कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट चले। उन बैंकों की स्थिति नहीं है। फैसले हो गये। एक-एक बैंक में 30-30 लाख, 25-25 लाख उन्होंने बांध दिये। अपील भी करो तो पहले रुपया जमा करना पड़ेगा। कहां से लायेंगे। इसलिए यह गम्भीर समस्या है। इस पर राजकीय स्तर पर सोच कर.......।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री नत्थीसिंह : दो बात मैं इस सम्बन्ध में और कहूंगा। एक तो बैंक कैसे सुधरे। कई बार बात आती है और माननीय सदस्य सब समझते हैं। सबसे बड़ी प्रोब्लम है को-आपरेटिव की कि आडिट नहीं होना। आडिट के बाद बदली हुई आडिट नहीं होना। एक-एक आडिटर....

श्री सभापति : पाइंट ही बता दें आप।

श्री नत्थीसिंह : पाइंट ही बता रहा हूं। एक-एक आडिटर 6-6, 7-7 साल तक बैठा है और उन्हीं सोसाइटियों की आडिट करता है। मिल जाता है, खाते तक बदल जाते हैं। जब कर्जा माफी का हुआ तब पता चला। निकल आये खाते नहीं तो उससे पहले खाते ही विलोपित हो गये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कहीं भी वह आडिटर एक बार ही आडिट करें उसके बाद दुबारा उस सोसायटी में नहीं जायें।

(श्री नत्थीसिंह)

आडिट की पूरी व्यवस्था बदली जाय। आडिट को-आपरेटिव का स्वतन्त्र हो। आडिट इस तरह से सही नहीं होगी। वोही ही खाता मिलाते हैं और वोही ही आडिट करते हैं। आप व्यवस्था करिये जल्दी से उनका फैसला हो ताकि जो दोषी हैं उसको पकड़ा जाय और मामले लटके नहीं रहें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं चुनाव के बारे में। अभी आपने एक आर्डिनेंस पास किया और कल विधेयक बन गया। आर्डिनेंस बनाने में हम भी भागीदार थे, यह मैं उस वक्त बोला नहीं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं और समझ लें बजाय इसके कि हम एक साल तो प्रशासन लगा देगा। इस व्यवस्था को बदलो और कानून व्यवस्था करें। जब चुनाव ड्यू हो उससे छह महीने पहले कार्यवाही शुरु हो और छह महीने के अन्दर समय से पहले हम चुनाव करवा दें।....

श्री सभापति : कृपया अब समाप्त करें। बहुत समय हो गया।

श्री नत्थीसिंह : एक गरीब आदमी का केस मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री सभापति : इण्डिविज्युअल केस को आप क्यों ले रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : ट्रिब्यूनल बनाया है, उसने फैसला दिया है। मंत्रीजी का आदेश भी मेरे पास है। एक छोटा क्लर्क उसकी 14 साल से अपील पड़ी है, अभी तक फैसला नहीं हुआ। मिनिमम तो उसको दे दिया। उसने कहा कि इसका फिक्सेशन करिये और उसे तनख्वाह दिलायें। रजिस्ट्रार के यहां से भी लिख दिया। आज की तारीख तक वह घूम रहा है उसका फिक्सेशन नहीं हुआ, उसको इन्क्रीमेण्ट नहीं मिला। कम से कम ऐसा तो नहीं करो, उसकी अपील 14 वर्ष से नहीं सुनी। तो यह व्यवस्था होनी चाहिए। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रेमसिंह दहिया। (व्यवधान)

आप सदन में रहा करो सब। नाम पुकारा जाता है तो कोई नहीं मिलता है तो छुट्टी हो जाती है। शुरु कीजिये अब, समय बरबाद नहीं करें।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, एक सुझाव मांगता हूं कि बैंकों को कैसे सुधारा जाय?

श्री सभापति : बता देंगे, आपके चेम्बर में बता देंगे।

श्री नत्थीसिंह : मैं फिर दे दूंगा आपको।

श्री चतुर्भुज वर्मा : बैंक में सुधार कैसे किया जाय, कुछ सुझाव देंगे आप।

श्री सभापति : बता देंगे आपको। श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारी रिपोर्ट आपके पास है उस पर कार्यवाही करो।

श्री प्रेमसिंह दहिया : व्यवधान मंत्रीजी बिराज जाइये आप। मैंने आप जब बोले व्यवधान नहीं डाला, अब आप क्यों बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन और जो अपराधी हों उनको जेल के शिकंजे में डालें।

श्री सभापति : माननीय महावीरजी आवश्यक नहीं है कि हर बार खड़े होकर बोलें ही बोलें। सदन के समय का ध्यान रखें कृपया आप।···(व्यवधान)

अब आप बिराजें। मैं कह चुका हूं उनको आपकी बात।

वह बैठ गये हैं। अब आप क्यों (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : मेरा अधिकार है। उन्होंने कहा है कि इन्हें जेल के शिकंजे में डालो। मैं चुनौती देता हूं कि आपकी सारी····

श्री महावीर प्रसाद जैन . मैंने यह कहा है कि····(व्यवधान)

आपके पास है, उनमें जो····

श्री नत्थीसिंह : नत्थी सिंह के दामन पर कोई एक दाग भी लगा दे तो मैं फिर संन्यास ले लूंगा। जो भ्रष्ट हैं उनका निश्चित रूप से इलाज होना चाहिये हम तो उसके हामी हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिसने भ्रष्टाचार किया है, गबन किया है जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, जिनकी जांच हो रही है, 74 में जांच हुई है····

श्री सभापति : माननीय महावीरजी कृपया बिराजें। आप समय जाया करते हैं। अब आप विराजें। श्री प्रेम सिंह।

श्री नत्थीसिंह : एक बात और····

श्री सभापति : आप बता चुके हैं। अब आप बिराजें।

श्री नत्थीसिंह : जानकारी के लिए एक बात।

श्री सभापति : फिर वह कुछ बोलेंगे और फिर आप बोलेंगे, यही चलता रहेगा।

श्री नत्थीसिंह : एक बात। मेरी एक भी कहीं रिपोर्ट हो, एक भी नोटिस निकला हो, एक भी एफ. आई. आर. हो, एक भी चार्जशीट हो, एक भी जांच में नत्थी सिंह का नाम आया हो तो यहां पर आपकी कमेटी बनी हुई है····

श्री सभापति : अब आसन ग्रहण कीजिये। आपका नाम नहीं लिया है।

श्री नत्थी सिंह : जिसने किया है। यह सब + + + असत्य बात कहते हैं।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री प्रेम सिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मांगों के ऊपर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं। भीनमाल एरिया के लिये 8वें फाइनेंस

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

कमीशन के अन्दर 48 लाख रुपये की एक स्कीम बनाकर राज्य सरकार को भेजी गई थी परन्तु उसके अन्दर सरकार ने पैसा नहीं दिया। आज हम मंत्रीजी को बता रहे हैं कि 9वें फाइनेंस कमीशन के अन्दर 4.25 करोड़ की एक स्कीम और भेजी गई है। जालौर से इसके लिए स्कीम गई है। इसके लिए एल. आई. सी. से लोन मिला है। हम चाहते हैं कि भीनमाल के लिए भी आप कहीं से लोन दिलावें। चाहे हुडको से दिला दें या एल. आई. सी. से दिला दें। भीनमाल की सबसे बड़ी मांग रही है, सदन में बार बार चर्चा चली है कि वहां फ्लोराइड युक्त पानी है। पूरे शहर और गांवों में भी ऐसा ही पानी है। इसलिए फ्लोराइड ट्रीटमेंट प्लांट भीनमाल में लगना चाहिए और फिल्टर हाउस भी लगना चाहिये क्योंकि नदियों का पानी पीने के लिये डाइरेक्ट दे दिया जाता है जिससे काफी बीमारियां फैल रही हैं। भीनमाल पंचायत समिति की योजनाओं में जो पाइप लाइन की आवश्यकता है, वह मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं।

धूरबड़िया में नयागोलियां के अन्दर डेढ़ किलोमीटर पाइप लाइन की आवश्यकता है नई बस्ती बस गई है वहां लगाई जानी चाहिये। उगमना शिड्यूल कास्ट की बस्ती है, उसमें एक किमी. पाइप लाइन लगाई जानी चाहिए। लूणावास में प्रेशर न होने से जेतू स्कीम से पानी भेजा जाना चाहिये। लेदरमेर स्कीम में पहाड़ी पर स्टोरेज बनाकर पानी पहुंचाना जाना चाहिये। जिससे गांवों को पानी मिले। मिण्डावास कोरीनाड़ा पाइप लाइन दो किमी. लगाई जानी चाहिये। बाड़ा भाउजी, भीलों की ढाणी में पाइप लाइन लगाई जानी चाहिये वाड़ा गांव से पूनासा को पानी दिया जाना चाहिये।

इसी तरह सायला पंचायत समिति के गांवों की जो समस्या है, उसकी ओर मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। दादाल से नारवाड़ा पाइप लाइन लगाई जानी चाहिये। पुनराऊ कोमता को 4 किमी. पाइप लाइन लगाकर जोड़ा जाना चाहिये क्योंकि अभी जो पानी दिया जाता है वह कड़वा है और पीने योग्य नहीं है। कोमता से नया सोर्स बनाकर विशाला माण्डक वाणा जोड़ा जाना चाहिये और कोमता की नई बस्ती को भी जोड़ा जाना चाहिये। दहिवा से सोमराज खां की ढाणी तक पानी जाना जाना चाहिये। दहिवा से खनुड़िया नाड़ा एवं दहिवा की ढाणी में पानी जाना चाहिये। जिवाणा सांगाणा पाइप लाइन से आंधी खां, मुबीन खां व तेजा की बेरी बस स्टेण्ड के पास तक पहुंचना चाहिये क्योंकि वहाँ स्कूल हैं और पानी नहीं होने से काफी असुविधा है। जीवाणा सांडों की ढाणी में 400 मीटर पाइप लाइन तथा हरिजन बस्ती में 800 मीटर पाइप लाइन लगानी चाहिये एक हमारी मूल समस्या और है। वह यह है कि सायला और भीनमाल के बीच में एक जवाई नदी है। उसके 12 गांव नदी के उस ओर हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र के पोसाणा से जो पानी दिया जाता है उनड़ी और पाथेड़ी को परन्तु नदी के बहाव से वह पाइप लाइन बह जाती है इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उनड़ी के पास जवाई नदी के नजदीक में एक ट्यूब वैल बनाया जाना चाहिये और उससे पाथेड़ी को और लतेउ के गांवों को पानी दिया जाना चाहिये मंत्रीजी, मैं एक समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे उस क्षेत्र में

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि पानी की जो पुरानी टंकियां बनी हुई हैं, 5 जगहों की टंकियां ऐसी है जो डेमेज हुई हैं, उसमें पानी भरा नहीं जाता, उसको गिराने के लिए एफ. आई. आर. भी दर्ज हो चुकी है कि किसी भी समय उससे दुर्घटना हो सकती है गांव मोदरा के अन्दर एक टंकी है जो आबादी के बीच में आई हुई है । अगर उसको ढंग से नहीं गिराया गया तो जिस दिन वह गिरेगी, उस दिन बड़ा हादसा हो सकता है । इसी तरह मोरसिंह में एक टंकी है, वह लीकेज होती है इसलिए जब पानी एक घंटा देना होता है तो पानी टंकी में चढ़ाते हैं और वही पानी नीचे आता है । बाकी पानी उसमें ठहरता नहीं है । सारा पानी बह जाता है । उस टंकी में एक घंटा ही पानी चढ़ाया जाता है । बागरा में भी आबादी के बीच में पानी की टंकी है । वह भी गिरने की स्थिति में है । बालवाड़ा में भी एक ऐसी टंकी है । वह भी गिरने की स्थिति में है । एक बाकरा में टंकी है वह भी डेमेज है और गिरने की स्थिति में है । अतः मंत्रीजी से निवेदन है कि ये जो टंकियां इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, इसकी जगह नई स्कीम बनाकर ओवर हैड टैंक बनाये जाने चाहिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, यह बतायें जरा जिन टंकियों का नाम लिया है आपने, यह टंकियां क्या बिल्कुल काम में नहीं आ रही है ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : काम में नहीं आ रही हैं । ये सब पुरानी और खंडित टंकियां हैं ।

अब मैं आपके सामने सहकारी विभाग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं । राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन लिमिटेड, जो तिलहन सोसाइटी के नाम से है, पहले राजफैड इसका संचालन करती थी इसमें मितव्ययता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जो कि रखा जाना चाहिये, अन्यथा यह राजस्थान की सोसाइटी घाटे में चली जायेगी । मैं उदाहरण के तौर पर सहकारिता मंत्री जी को बताता हूं कि सरकार मितव्ययता के सम्बन्ध में काफी बातें करती है । सोसाइटी में जो दुरुपयोग हो रहा है, उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस विभाग के यहां पर जो आफिस हैं, उसमें चार लाख का डेकोरेशन्स कर रहे हैं, 30 हजार रुपये उन्होंने आर्किटेक्ट के तय किये हैं, उसमें पार्टीशन करने के लिए एक लाख 70 हजार की प्लाईवुड खरीद रहे हैं, 6 लाख का फर्नीचर खरीदा, और भी अनाप शनाप खर्च किया है । इस तरह कुल मिलाकर के उन्होंने 15 लाख 60 हजार का खर्चा किया । मंत्री जी, खर्चा तो किया शायद इसकी जरूरत होगी लेकिन ये डेकोरेशन किस बात का । जो फर्नीचर खरीदा गया वह बिना टेण्डर खरीदा गया, मंत्रीजी आप इसकी जांच कराइये ।

ये तिलक संघ की परियोजना इंजीनियर्स द्वारा चलाई जाती हैं । जालौर, गंगानगर, कोटा आदि परियोजना में ठेकेदारों को काम पूरा होने से पहले 20-20 लाख रुपये का एडवांस दे दिया गया, जो एडवांस एक-दो कम्पनियों ने डुबो दिया । अब उसकी भरपाई तो नहीं हो रही है । वो किसी तरह से उसका एडजस्टमेंट करना चाहते हैं । इसके अन्दर भवनों का जो ठेका

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

दिया जा रहा है, बी. एस. आर. की रेट 15 प्रतिशत अबाव होना, 20 प्रतिशत अबाव होता हो तो कोई बात नहीं, 3 गुणा, 300 टाइम 100 रुपये की जगह 300 रु. के टेण्डर करके ठेके दिये गये तो किस तरह से तिलम संघ सोसाइटी यह काम करेगी। इसका भगवान ही मालिक है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : लिखकर दे दीजिए आप।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप प्रोसीडिंग्स मंगा लीजिए इनकी। ये मेरे पास हैं। आप डिपार्टमेंट से मंगा लीजिये। मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि यंत्रों की जो खरीद हुई है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। बल्क शैलो स्टोरेज मोड्यूल नाम की एक खरीद की गई है उसके टेण्डर हुए 5-10-90 को। फस्ट लोएस्ट थी बाटलीबाय कम्पनी बम्बई की, उसका टेण्डर था 61 लाख 37 हजार 170 रुपये का, सैकिण्ड लोऐस्ट था मैसर्स स्पेक्टोन इंजीनियरिंग बड़ौदा, उसका टेण्डर था 89 लाख 68 हजार 138 रुपये और थर्ड लोऐस्ट था मैसर्स इनकोरपोरेटेड इंजीनियरिंग कम्पनी बड़ौदा, इसके टेण्डर की रेट थी 85.5 लाख रुपये। मंत्री जी, कार्य फर्स्ट लोऐस्ट को दिया जाना चाहिये था, अगर किसी कारणवश फर्स्ट लोऐस्ट को नहीं दिया जाता यह काम तो सैकेण्ड लोऐस्ट को दे देते, सैकेण्ड लोऐस्ट को भी नहीं दिया और थर्ड लोऐस्ट को दिया। जिसका 61 लाख का टेण्डर था उसको तो नहीं दिया, 83 लाख का टेण्डर पास कर दिया और कारण क्या बताये गये मंत्री जी, यह जो उन्होंने मीटिंग की है। 16-3-91 को, तिलम संघ के संचालक मण्डल की द्वितीय मीटिंग हुई है। उसमें अध्यक्ष को मिलाकर के 6 सरकारी अधिकारी हैं और 4 तिलम संघ के आये हुए डाइरेक्टर या तो वे पढ़े लिखे नहीं हैं या मामूली पढ़े लिखे हैं और केवल हिन्दी जानते हैं और वहां सब काम अंग्रेजी में चलता है। उनकी समझ में नहीं आता परन्तु उनमें से एक ने पूछा कि फर्स्ट लोऐस्ट तो यह है, थर्ड लोऐस्ट यह है, तो आपने 83 लाख वाले को क्यों दिये ? वहां के चैयरमैन ने कहा कि एन. सी. डी. सी. से हमको लोन मिलता है, विश्व बैंक हमको लोन देती है और उन्होंने प्रस्ताव किया है दूसरी कम्पनियों को कोई तजुर्बा नहीं है, बाटलीबाय जैसी कम्पनी को तजुर्बा नहीं है और इस कम्पनी को तजुर्बा ज्यादा है इसलिए दिया जाय। इस पर डाइरेक्टर्स ने एतराज उठाया तो अध्यक्ष ने कहा कि उनको खुश रखना पड़ेगा नहीं तो अपनी अगली योजना पूरी नहीं होगी। इस तरह की बात उन्होंने बताई। वह अध्यक्ष कौन हैं ? मंत्री जी आप जानते हैं + + + + आपके मुख्यमंत्री जी सफाई देते हैं कि यह सोने का है और उनके ऊपर किसी तरह का इल्जाम नहीं है। आपको चाहिए तो इसके अलावा चाहे जितने इल्जाम लगा सकता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द गुर्जर।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 और 36 पर विचार हो रहा है । राजस्थान में पेयजल की समस्या भयंकर रूप से थी । राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है । काफी दूर-दराज में ऐसे सूखे क्षेत्र हैं जहां काफी समय से अकाल पड़ने के कारण पानी का स्तर नीचे चला गया है, यह सबको विदित है । माननीय सभापति महोदय, अभी दोनों तरफ से एक बात आयी और कई प्रकार के आरोप लगे । मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि पेयजल की समस्या का जो भयंकर रूप राजस्थान में है उसके लिए केवल अधिकारियों और इंजीनियरों को ही दोषी माना जाय तो यह एक तरह से उनके साथ अन्याय होगा । क्योंकि इंजीनियरों ने जिस तरह से हमारे राजस्थान में काम किया है वह दाद देने वाला है । रात-रात भर, भरी गर्मी में उन्होंने दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र में और साधनों के अभाव के कारण भी पानी की समस्या को देखा है । मैं इस पिछले एक साल के बारे में तो बताऊंगा कि पहले यह समस्या इतनी भयंकर रूप से थी परन्तु पिछले एक साल में मंत्री महोदय की दूरदर्शिता, लगन और कठोर मेहनत से ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए दौड़धूप की है आपने देखा होगा किसी गांव के लिए यह बात नहीं आयी कि वहां पानी के कारण लोगों को गांव छोड़ना पड़ा या पानी के कारण किसी की मृत्यु हुई या पानी के कारण भयंकर दिक्कत आयी हो । मैं यह मानता हूं कि गांवों के अन्दर आज पानी हैण्ड पम्प से मिलता है । इन हैड पम्पों की संख्या राजस्थान के 20 हजार गांवों में पोने दो लाख से ज्यादा है और इनके रख-रखाव की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है । इसके लिए कई प्रकार के सोर्सेज की कमी है, फिर भी हमारे इंजीनियरों ने इस प्रकार की दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाई और हमारे मुख्य अभियंता हैं पी. एच. ई. डी. के मैं उनको दाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की दूरदर्शिता से इस साल इस सारे काम को सम्भाला है, पोने दो लाख से ज्यादा हैण्ड पम्पों के रख रखाव का काम किया है इससे पेयजल की जो समस्या है हमारे गांवों में जो पीने के पानी का अभाव है और आज भी गांव के लोग हैण्ड पम्प से पेयजल की व्यवस्था करते हैं आज कुओं में पानी नहीं है, पानी का स्तर नीचे चला गया है इसलिए हैण्ड पम्प ही पानी के स्रोत हैं और उससे ही व्यवस्था होती है । अब सरकार ने घोषणा की है वह स्वागत योग्य है कि दूर-दराज की छोटी ढाणियों को भी हैण्ड पम्प योजना से जोड़ा है । पहले ढाई सौ की आबादी पर एक हैण्डपम्प था उसको 100 की आबादी पर एक हैण्डपम्प किया है । यह भी सराहनीय कदम है । जिन छोटी-छोटी ढाणियों की तरफ आज तक सरकार का ध्यान नहीं गया था वह भी गांव की कालोनियां हैं । शहर की कालोनी दूरदराज में बसती है तो उनको सभी सुविधायें पानी की करते हैं लेकिन गांव की ढाणी को यह कहकर छोड़ देते हैं कि यह राजस्व ग्राम नहीं है । लेकिन सरकार ने इन ढाणियों को भी जिनकी आबादी 100 है उनमें भी पानी की व्यवस्था की है ।

इसके साथ-साथ पेयजल की ओवर हैड टैंक की योजनायें भी काफी समय से अधूरी पड़ी थीं लेकिन कुछ समय पहले जहां पाइपों के अभाव के कारण या और कोई उपकरणों

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

के अभाव के कारण टैंक की योजना रुकी हुई थी लेकिन कुछ समय से सभी टैंकों पर पाइप की व्यवस्था शुरू कराई है जिससे जल्दी से योजना पूरी हो सके।

अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरे क्षेत्र के बारे में, वहां की समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। नीम का थाना क्षेत्र सीकर के तहत ऐसा दूरदराज का क्षेत्र है, सबसे लम्बा चौड़ा क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है। वहां पानी के कोई सोर्सेज नहीं हैं। केवल दूरदराज के गांवों में हैण्ड पम्प की योजना सक्सेस फुल है। वहां बीसलपुर योजना या दूसरी योजना से पानी नहीं मिलने का है इसलिए निवेदन करूंगा कि वहां जो गर्मी के महीने आने वाले हैं उसमें पानी की समस्या आ सकती है। इसलिए जो कण्टीनजेंसी प्लान वहां बना है उसकी तुरन्त स्वीकृति जारी करें जिससे गांव की पानी की समस्या को हल किया जा सके।

इसी तरह वहां काफी पाइन्ट ड्राई हो चुके हैं। ड्राई का एक कारण है पानी का स्तर नीचे चला गया है, इससे पानी के सोर्सेज कम हो रहे हैं। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो हैण्ड पम्प सूख गये हैं उनको गहरा करायें जिससे उनमें पानी उपलब्ध हो सके।

इसी तरह मंत्री महोदय एक बार नीम का थाना नगर में गये थे वहां की जनता ने उनके सामने एक समस्या रखी थी कि जो 1960 में एक टंकी बनी थी। आज 30–35 साल में वहां की जनसंख्या काफी बढ़ गई हैं इसलिए एक टंकी वहां की जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने एक बात की घोषणा की थी। आज तक यहां की टंकी के लिये किसी ने प्रस्ताव नहीं रखा था आज प्रस्ताव रखा है तो निश्चित रूप से बनायेंगे तो इस तरह से आज जब डिमाण्ड चल रही है तो मंत्री महोदय घोषणा करें कि 30–35 साल से जनसंख्या वृद्धि के कारण एक टंकी कम है वहां दूसरी टंकी बनाकर नगरपालिका को सुविधा दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, बना देंगे। घोषणा कर दी।

श्री फूलचन्द गुर्जर : धन्यवाद। श्रीमन् इस बात के लिये मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं कि बहुत लम्बे समय से मांग चली आ रही थी उसको स्वीकार किया है यह भी सराहनीय कदम है। इसी तरह एक और निवेदन करूंगा कि हैण्ड पम्प योजना एक अच्छी योजना है उसके लिए कुछ सुधार जरूर करें। यह योजना तब तक सफल नहीं होगी जब तक इसके लिये अलग से जे. ई एन. या ए. ईएन. की पोस्टिंग नहीं करेंगे और अभियान जो एक साल में चलाते हैं, मरम्मत का वह मासिक तौर पर सुधारने का काम चालू रहे जिससे हैण्ड पम्प जो पौने दो लाख लगे हुए हैं वह मरम्मत के अभाव के कारण जो एक अच्छी योजना है उसका दुरुपयोग हो रहा है, खराब हो रही है। इसका प्रावधान करें और घोषणा करें। यह बहुत बड़ा विरोधाभास है कि इनको पंचायत राज को दे रखा है। पंचायत समिति के पास न मिस्त्री हैं न साधन हैं फलस्वरूप सारी योजना डूब रही है। पिछली सरकार में भी यह बात आयी थी और यह महसूस

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

किया था कि इसको पंचायत राज से अलग कर दो लेकिन उनके आदेश नहीं आये वही पहले वाली योजना चल रही है। गांवों में एक्स. ईएन. या एस. ई. पास हम जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा काम तो लगाना है। उनको सुधारना, मरम्मत का काम पंचायत राज का है। पंचायत समिति के पास न साधन है और न मिस्त्री है। इसलिए घोषणा करें कि पी. एच. ई. डी. लेगा। इसमें पंचायत राज की कोई दखलन्दाजी नहीं होगी।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

इसी तरह टी. एस. एस. योजना है। यह भी गांव की बढ़िया योजना है वह भी पंचायत राज को सुपर्द कर रखी है। उसका काम करने के बाद ग्राम पंचायत को सौंप देते हैं जिनके पास न रखाव के लिए कोई आदमी है न साधन हैं उन सभी गलतियों का दोषारोपण माननीय सदस्य करते हैं तो हमारे विभाग के इंजीनियरों पर थोप देते हैं कि उनकी कमी के कारण यह सारी फैल हो रही है। जबकि फैल हो रही है हमारी नीति के कारण। उसको विभाग को दें जिससे विभाग रख रखाव करे।

इसके साथ-साथ सहकारिता के बारे में दो मिनिट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सहकारिता भी ग्राम विकास की एक अच्छी योजना है। जिससे गांव के किसान सहकारिता का लाभ ले सकते हैं पर वह आज तक नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा कारण है सहकारिता में ऐसी अव्यवस्था है ऐसा भ्रष्टाचार है, ऐसी कमियां हैं, जिससे आज यह पतन की तरफ जा रही है। मन्त्री महोदय को भी मैं दाद देता हूं कि उन्होंने प्रयास करके समय पर चुनाव कराये हैं और उनके पास जब कभी शिकायत सहकारिता के बारे में आयी है उसको दूर करने के लिए तत्परता दिखायी है। मैं यह मानता हूं कि आज भी सहकारिता कई प्रकार से गिरी हुई है। मैं कुछ सुझाव रखता हूं जिस पर निश्चित रूप से गौर करें। सहकारिता में एक तो व्यवस्थापक को जब तक राज्य कर्मचारी की संख्या में नहीं रखेगे तब तक वह अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। उनका यही दायित्व रहता है कि जब तक हम लगे रहे तब तक वह जितना कमाये उतना ठीक। छोड़ने के बाद अपने घर। इससे सहकारिता में लूट खसोट और गबन घोटाले चल रहे हैं। उनको सुविधा दी जाय, उनको राज्य कर्मचारी की तरह से माना जाय।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

सहकारिता का मैनेजर 24 घण्टे सेवा करता है, उसको तनख्वाह चतुर्थ श्रेणी के बराबर मिलती है। सबसे पहले उसको राज्य कर्मचारी घोषित करें तो निश्चित रूप से सहकारिता गांवों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनेगी। एक साल में दो बार राजस्व अभियान की तरह से प्रत्येक सहकारिता कार्यालय पर अभियान चलाया जाय और गांव वालों को बतायें कि कितनी राशि जमा है या कितना आपके नाम बकाया कर्जा है। कितना अपना खाद, बीज लिया है। कितनी आपकी डिमाण्ड है, इस तरह से मालूम पड़ेगा तो गांव वालों में जागृति से उसकी कमियां दूर हो सकती हैं लेकिन आज गांव वालों को पांच साल तक मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं 11 रुपये का मेम्बर हूं पर उनके नाम से लाखों रुपये वसूल हो रहे हैं।

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

मैं पुनः पेयजल मन्त्री महोदय का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज सदन में नीम का थाना में टंकी की घोषणा की और एक उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे कण्टीनजेंसी प्लान को जरूर निश्चित रूप से स्वीकार करें। इस सदन में मैं हमारे माननीय मुख्य अभियन्ता का बहुत आभारी हूं कि उनकी दूरदर्शिता से सारे राजस्थान में पेयजल की अच्छी योजना चल रही है। वह बेदाग हैं। उन पर जो दाग लगे हैं बिलकुल असत्य हैं, शरारतपूर्ण हैं उनका कार्य बहुत उच्चकोटि का है। वह निश्चित रूप से ईमानदार हैं और सारे राजस्थान की बहबूदी के लिए पेयजल की समस्याओं के लिए कार्यरत हैं, परिश्रम से अपना काम कर रहे हैं।

श्री सभापति : श्री बी. डी कल्ला। कृपया 10 मिनट से अधिक नहीं लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 27 एवं 36 के बारे में अपनी बात रखूंगा। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहां 70 प्रतिशत जनसख्या गांवों में रहती है और यह बात कही गई है कि रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, पानी गये न उबरे, मोती मानस चून। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब यह खुद प्रवोक करके....

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कांग्रेस के समय में गांव में....

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें कृपया। बोलने दीजिए इनको। आप बिराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला :कांग्रेस शासन के वक्त में....(व्यवधान)

(8.00 रात्रि)

श्रीमती सुमित्रासिंह : वे रहीम का दोहा कह रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : काफी गांवों की, जो समस्याग्रस्त थे, समस्या का समाधान कांग्रेस के शासन में हुआ, उस समय भी हम लोगों ने सदन में यह बात रखी थी कि पशुओं की संख्या को रोजगार बनाते समय इग्नोर किया गया और उसके बाद कांग्रेस के शासन के वक्त ऐसी योजनाएं जिसमें पशुओं की संख्या को भी सम्मिलित किया गया। अब इस आधार पर कुछ गांव और ढाणियां बाकी रही हैं, जिनको प्राथमिकता के आधार पर माननीय मन्त्री महोदय पेयजल योजनाओं से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। राजस्थान की 4—5 मुख्य योजनाएं हैं। मैं उदयपुर से शुरू करता हूं, मानसी वाकल पेयजल परियोजना, जब से आपको यह जिम्मेदारी मिली है, मैं समझता हूं कि आप एक भी इंच आगे नहीं बढ़े हैं और इस योजना को जैसे रद्दी की टोकरी में दिया गया है। उदयपुर में जब बरसात नहीं होती है तो वहां पेयजल समस्या गम्भीर स्थिति लिये हुए होती है, लेकिन इस योजना के बारे में आपने आगे कोई प्रगति नहीं की। उसके बाद बीसलपुर की जो परियोजना है, उसके बारे में भी आपने कोई खास प्रगति पिछले एक वर्ष में नहीं की। बीसलपुर से अजमेर, ब्यावर और इसके आसपास के इलाकों को पानी मिलेगा और इस एरिया के लोग जानते

श्री बुलाकीदास कल्ला)

है कि वहां पानी की कितनी किल्लत रहती है, गर्मी के दिनों में। इसी प्रकार से जोधपुर, जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी की आपूर्ति की जानी थी, वहां पर लगभग साढ़े 12 करोड़ रुपये के काम कांग्रेस के शासन में हुए हैं लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले एक वर्ष में यह योजना भी खटाई में डाल दी गई है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। जोधपुर से चुन कर आने वाले माननीय सदस्य और सदस्या ने काफी पुरजोर शब्दों में इस मांग को दोहराया है। जोधपुर जयपुर के बाद दूसरे नम्बर का शहर है लेकिन वहां के निवासियों को पानी उपलब्ध नहीं कराया, मैं समझता हूं कि यह आपके और विभाग के लिए + + +बात है। इसके बाद बीकानेर के साथ तो इन्होंने ऐसा सौतेला व्यवहार किया है कि मैं समझता हूं कि जिसका कोई बयान ही नहीं किया जा सकता। जलदाय मन्त्रीजी बहुत अच्छे सादगी वाले मन्त्रीजी हैं और विचारों और व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि जैसे मिश्री हो, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के लिए ऐसे कड़वे हैं, + + + नींद लिये हुए एक वर्ष से सोये हुए हैं। बीकानेर संभाग की, बीकानेर शहर की जो योजना दिसम्बर, 1990 से टैक्नीकल कमेटी के पास आयी हुई पड़ी है, उसके बारे में न तो टैक्नीकल कमेटी ने कोई निर्णय लिया है, आप बीकानेर पधारे, आपसे कई लोग मिले और आपकी सदाशयता के कारण जो जो लोग खाली मटकियां लेकर आये थे, उन्होंने आपके सामने नहीं फोड़कर सर्किट हाउस के बाहर उन मटकियों को तोड़कर, मैं समझता हूं कि आपका सम्मान किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस समस्या के समाधान के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। आज बीकानेर शहर की क्या स्थिति है? हमारे यहां 60 कुए हैं, जिनमें से 15 कुए बिल्कुल सूख गये. एक बूंद भी पानी उन कुओं में नहीं है। इसके साथ-साथ जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कंवरसेन लिफ्ट, लूणकरणसर से हमें पानी मिलता है, जिसको सभापति महोदय, सात जगह लिफ्ट करना पड़ता है, चार जगह तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग इसको करता है उसके बाद तीन स्थानों पर जलदाय विभाग उस पानी को लिफ्ट करके बीकानेर को पहुंचाता है और लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की राशि इस पानी को लिफ्ट करके किसानों के खेतों में और बीकानेर शहर तक पहुंचाने में व्यय होती है। यदि लिफ्ट को बाराबंदी के अनुसार चलाया जाये तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ रुपये की बिजली का व्यय यह राज्य सरकार बचा सकती है। यह बीचवाल का जो होल्डिंग टैंक, आज से 9 वर्ष पहले प्रारम्भ हो गया था, उसका खुदाई का काम हो गया, 16 लाख रुपये खर्च हो गये लेकिन उसके बाद सम्बन्धित कांट्रेक्टर भाग गया, मामला लिटीगेशन में चला गया जिसके कारण यह आज तक नहीं बन पाया। जब लिटीगेशन समाप्त होकर नये सिरे से इस काम को शुरू किया गया तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1988 में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया।

+ + +शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उस हाई पावर कमेटी में श्री कपूर साहब, तत्कालीन चीफ इंजीनियर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सम्बन्धित जो अधिकारी थे, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया था। मैं समझता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट देने के बाद फिर नये सिरे से इसको टैक्नीकल कमेटी के पास भेजना उस हाई पावर कमेटी का अपमान है, जिसमें वर्तमान जो टैक्नीकल कमेटी के मैम्बर हैं, वह भी चीफ इंजीनियर की हैसियत से उसमें सम्मिलित थे। अब उनका अप्रूव किया हुआ मामला फिर टैक्नीकल कमेटी के पास भेजना, योजनाओं को देरी से क्रियान्वित करना और उसकी कोस्ट बढ़ाने का यह एक अपराधिक षड़यन्त्र है। मैं यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि योजनाओं को इस तरह से लम्बा करके और योजनाओं की क्रियान्विति को....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विघ्न नहीं डालिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : योजनाओं की क्रियान्विति में अनावश्यक देरी करना और उस देरी के कारण जो कोस्ट एस्कलेशन होता है, जो परियोजना डेढ़-दो करोड़ में पूरी होनी चाहिये थी, आज वह साढ़े 6 करोड़ से अधिक की राशि में बनेगी। मैं समझता हूं कि इसके लिए जलदाय विभाग को शीघ्र निर्णय लेना चाहिये और जो अनावश्यक देरी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। जो लागत में बढ़ोतरी आ रही है, जो लागत में अनावश्यक वृद्धि होने वाली है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसी तरीके से यदि आपने इस होर्डिंग टैंक को नहीं बनाया, अभी डे[illegible] महीने तक इंदिरा गांधी नहर बन्द रही। उससे बीकानेर में पानी की किल्लत रही। अभी रमजान का महीना चल रहा है। लोग दिन भर भूखे-प्यासे रहते हैं और शाम को घर में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो तो आप उनकी कठिनाइयों को महसूस कर सकते हैं कि उनको कितनी भारी कठिनाई हो रही होगी। मैं चाहता हूं कि जलदाय विभाग के मन्त्रीजी जब अपना रिप्लाई दें तो स्पष्ट करें ताकि हम भी सारे बीकानेर के लोग अपनी नीति स्पष्ट करें क्योंकि 1[illegible] कुएं तो सूख गये हैं और 45 कुएं और....

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

आप घण्टी बजायेंगे....

श्री सभापति : समाप्त करें, 32 सदस्य और बोलने वाले हैं। आज की तारीख में डिमाण्ड पास होनी है। मैं असहाय हूं सभी के पास में बहुत अहम् मसले हैं, गम्भीर मसले हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं विधान सभा का तीसरे नम्बर का सदस्य हूं....

श्री सभापति : आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, मगर उसके बावजूद आज की तारीख में डिमाण्ड पास होनी है। आपका नाम भी नहीं था, उसके बाद भी अलग से ज्वाइन किया है। बहुत ही नम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आप समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप निर्विघ्नता से 7–8 मिनट दे दीजिए, मैं दोनों पर....

श्री सभापति नहीं, मैं 7–8 मिनट नहीं दे सकता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कैसे नहीं दे सकते ? मैं बोलूंगा ।

श्री सभापति : नहीं, मुझे क्षमा करेंगे आप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, यहां मेरे से पूर्व भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य 25 मिनट बोले हैं ।

श्री सभापति : नहीं, मुझे आपके उन्होंने भी कहा है कि कृपया बी. डी. कल्ला को थोड़ा समय देने की कृपा करें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं अपनी पार्टी का समय ले रहा हूं ।

श्री सभापति : नहीं, यहां कोई समय निश्चित नहीं है अलग पार्टी का ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे व्हिप ने लिखकर दिया है आपको ।

श्री सभापति : आप नहीं बोल सकेंगे । क्षमा करेंगे आप । 10 मिनट खत्म हो गये, दस मिनट आप बोल चुके । कृपया समाप्त करें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे बहुत अफसोस है कि + + +

श्री सभापति : नहीं, समाप्त करें आप ।

श्री मदनलाल सैनी : आसन को बाध्य कैसे किया जा सकता है ? आप रिक्वैस्ट करिये ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने शुरू ही नहीं किया टापिक ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए । सभी का प्रश्न यही होता है कि समय नहीं है । 32 सदस्य बोलने वाले हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, तो हम बैठेंगे इस सदन में ।

श्री सभापति : आप तो बैठेंगे पर उससे समय पूरा नहीं होगा । 32 बोलने वाले एक-एक को दस मिनट चाहिए, करीब 320 मिनट और चाहिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आसन की तरफ से, मैं फिर आपको विनम्र अनुरोध करता हूं कि ऐसे बोलने वाले सदस्य के बीच में टोका-टाकी नहीं की जाती है ।

श्री सभापति : टोका नहीं, पर 10 मिनट से ऊपर हो गये आपको ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सदन की परम्पराओं के विपरीत है ।

श्री सभापति : 10 मिनट से ऊपर हो गये, मुझे क्षमा करेंगे आप ।

श्री मदनलाल सैनी : सभापति जी, यहां जो बैठे हैं सभी बोलने वाले हैं ।

श्री सभापति : धन्यवाद । माननीय श्री हेतराम बेनीवाल ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसे कैसे ? मैं बोल रहा हूं ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(272)

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं निवेदन करूंगा कि ये नहीं बोलने देना चाहते हैं तो ऐसे ही डिमाण्ड पास करा लें ।

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बोलने देंगे तब ।

श्री सभापति : देखिये, माननीय नत्थी सिंहजी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । उनसे भी मैंने निवेदन 10 मिनट में किया और उन्होंने समाप्त कर दिया । मेरा नम्र निवेदन है आप दस मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं, समाप्त कीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, विश्व बैंक का जो आई. बी. ए. का आयड़ा प्रोजेक्ट बना था उस प्रोजेक्ट में 80 प्रतिशत पानी इन्दिरा गांधी नहर से दिया जाना चाहिए था और 20 प्रतिशत पानी कुओं से दिया जाना चाहिए था । आपने विश्व बैंक के साथ भी धोखा किया है । आप 20 प्रतिशत पानी तो नहर से दे रहे हैं और 80 प्रतिशत पानी कुओं से दे रहे हैं । कुएं सूख रहे हैं इसलिए इस होल्डिंग टैंक के बारे में आपको शीघ्र निर्णय कर इस योजना की क्रियान्विति करनी चाहिए । बीचवाल का रिजरवायर तुरन्त आपको बनवाना चाहिए ।

इसके साथ जो व्यावसायिक दर आप लुहार, सुथार और सुनारों से वसूल कर रहे हैं यह उचित नहीं है । जो हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं, रत्न उद्योग में काम करने वाले लोग हैं उनको आपने कुछ रियायत नहीं दी । आप उनको भी रियायतें दीजिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय कल्ला साहब, मेरी जानकारी के लिए बताइये कि ये पानी की दरें कब से लागू हुई ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारे वक्त से लागू हैं लेकिन आप उनको ठीक करिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको बड़ी आशाओं से चुना गया था ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, बीकानेर के सूर सागर की समस्या भयंकर है, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्रीजी स्वयं इस सदन में बोले हैं । आप कम से कम उस समस्या का तो शीघ्र समाधान करें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहुत आशाओं और आकांक्षाओं के साथ आपको चुना था, उनको पूरी करो पहले आप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान के 6 सम्भागीय मुख्यालय हैं । उन सम्भागीय मुख्यालयों की जो सीवरेज स्कीम आपके पास आई हुई है । उस सीवरेज स्कीम को आप इम्प्लीमेण्ट कीजिए । बीकानेर में भी फर्स्ट स्टेज का काम पूरा हो चुका है । सैकण्ड स्टेज के काम को आप जल्दी से जल्दी शुरु करें । बीकानेर के लक्ष्मीनाथजी की टंकी से सम्बन्धित जो मोहल्ले हैं वहां के लिए 20 लाख की लागत की एक योजना आपके पास आई है । वहां के लोग बहुत पीड़ित हैं, इस योजना को भी आप जल्दी से जल्दी मंजूरी दें ।

जहां तक सहकारिता विभाग का प्रश्न है····

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं, साहब। मुझे पता है कि आप बहुत ही ऐफीशियेण्टली काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, सहकारिता विभाग एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धान्त पर काम करता है। मैं विभाग के बारे में दो-तीन अच्छे सजेशन देना चाहता था, लेकिन मैं अपने क्षेत्र से ही अब शुरु करता हूं। बीकानेर जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार का प्रथम चरण का चुनाव हो गया। विश्व के और देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रथम चुनाव का चरण हो जाने के बाद द्वितीय चरण के चुनावों का कार्यक्रम घोषित करने के बावजूद सहकारिता मंत्रीजी ने उस चुनाव को स्थगित कर दिया। मैं समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र का गला घोंटा है। इस आदेश को आपको पुनः वापस लेना चाहिये।

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

श्री अनंगकुमार जैन : एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह सारी की सारी सूची आपने वापस ले ली। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। समय वैसे ही बहुत बर्बाद हो रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने स्थानान्तरण की पूरी की पूरी सूची वापस ले ली। यह मैं समझता हूं कि आप जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। या तो स्थानान्तरण आप करें नहीं। स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन करके सारे स्थानान्तरणों को तीन महीने से पहले आपने निरस्त किया है, यह स्थानान्तरण नीति की अवहेलना है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, सहकारिता मंत्रीजी, कि पिछले दिनों यहां पर सहकारिता सचिव के ऊपर जो आरोप लगे थे उसमें मुख्य मंत्रीजी स्वयं ने दो प्लाट्स के बारे में तो यह कहा था कि सहकारिता सचिव के नाम दो प्लाट हैं और बाकी आठ प्लाट्स के बारे में कि उनके परिवार के हैं। मैंने यह साफ यहां चार्ज लगाया था कि इन-इन नामों से हैं। उसको बेरी आयोग को क्यों नहीं दे देते? इसी के साथ ऐसे अनेक मामले हैं लेकिन समय आने पर उनको भी इस सदन में रखा जायेगा। मैं एक कटिंग जो मेरे पास है पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : प्लाट्स मुफ्त में लिये कि खरीदकर लिये, यह बताओ आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : खरीदकर लिये होंगे लेकिन उसमें सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया है। को-आपरेटिव सोसाइटी जो घपले कर रही है उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्रेटरी और सहकारिता सचिव यदि ऐसा काम करेंगे तो फिर आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते।

श्री किशन गोपाल कोगटा : कल्ला साहब, आपके लिए रास्ता खुला है, बेरी आयोग के पास सीधे जाइये और एक एप्लीकेशन लगाइये।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

श्री सभापति : कृपया विराजें। कृपया समाप्त कीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : बहुत दुःख की बात है। आपका आचरण तो सबके लिए अनुकरणीय होना चाहिए। आप इस प्रकार से बीस-बीस मिनट लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे ? कोई भी नहीं बैठेगा।

आप जैसे वरिष्ठ सदस्य यदि इस प्रकार से करेंगे तो बड़े दुःख की बात है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, यहां मुख्यमंत्रीजी ने मेरी अनुपस्थिति में जो रिप्लाई दिये। आपरेशन ब्लैक बोर्ड में बड़े घोटाले हुए। उसके अध्यक्ष कौन हैं ? राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी। भारत सरकार की खरीद। शिक्षा विभाग का कोई इसमें इन्वाल्वमेण्ट नहीं।

श्री अनंगकुमार जैन : मांग संख्या 27 पर बोल रहे हैं या सहकारिता पर बोल रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में श्वेत पत्र जारी करें और हम लोगों का यदि कोई भी इन्वाल्वमेण्ट हो तो हमको भी उस कार्यवाही में···· (व्यवधान)।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री मदनलाल सैनी : ये चाहे जिस विषय पर बोलने का नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं चार लाइनें पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, यहां पर विपक्ष के नेता जब भैरोंसिह जी थे, आज के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा, भैरोंसिह शेखावत चर्चा में शामिल हो गये। इनका कहना था कि पाइप घोटाले के लिए जन लेखा समिति ने जलदाय विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियन्ता +++ जलदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध बोर्ड के तकनीकी सदस्य के अलावा मुख्य सचिव जो हैं उनके बारे में कि मुख्य सचिव और तत्कालीन जलदाय सचिव को भी जिम्मेदार ठहराया। या तो उन्होंने उस समय उनको गलत जिम्मेदार ठहराया। यदि गलत जिम्मेदार नहीं ठहराया और वे उनके कथन के अनुसार दोषी हैं, आज के मुख्यमंत्री और तत्कालीन विपक्ष के नेता के अनुसार, तो आपने एक साल में उसके बारे में क्या कार्यवाही की ? या तो वह स्टेटमेण्ट जो उन्होंने इस विधान सभा में दिया था आज के मुख्य सचिव के बारे में, वह वापस लें। यदि वापस नहीं लेते हैं तो वे उन्हीं के कथन के अनुसार, इस विधान सभा में उन्होंने जो आरोप लगाया और जो मंगलवार, 5 अप्रेल के नवभारत टाइम्स में छपा, जिसकी कटिंग मेरे पास है, मैं सदन की मेज पर रखता हूं। या तो वे अपना कथन वापस लें। यदि वे अपना कथन वापस नहीं लेकर उनको जिम्मेदार

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मानते हैं, तो उनके खिलाफ आपने एक साल में क्या कार्यवाही की ?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से कि जलदाय विभाग मंत्रीजी बीचवाल होल्डिंग टैंक के बारे में निर्णय करेंगे। यदि आप निर्णय नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बीकानेर के लोग आपके और पी. एच. ई. डी. के सचिव के घर के आगे धरना देंगे और आपका घेराव करेंगे।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मेरे नाम का क्या हुआ? मुझे यह बताया जाय पहले। मेरा जब इसमें नाम है कटौती प्रस्ताव में, फिर आपने मेरा नाम कैसे काट दिया?

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे नाम का क्या हुआ?

श्री सभापति : आप बिराजिये, मैं बता दूंगा आपको। श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे इलाके की समस्या है और मेरे नाम के बारे में बता नहीं रहे हैं। पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात सुनिये पहले।

श्री सभापति : आप देखने तो दीजिए। धीरे तो बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : नाम बताइये क्या हुआ? मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। पीने का पानी नहीं क्षेत्र में तमाम हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं।

श्री सभापति : आपका नाम आपके सचेतक ने नौवें नम्बर लास्ट नम्बर पर दिया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : रोजाना ही लास्ट नम्बर पर रख देते हो आप। मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या पानी की है....

श्री सभापति : सुन तो लीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : सबसे पहिले आप मेरा नाम रखते हो।

श्री सभापति : सुन लीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या सुन लीजिये।

श्री सभापति : आपके सचेतक ने आपका नाम आखरी नम्बर पर दिया है नौवें पर।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को सुनाना चाहता हूं....

श्री सभापति : आपकी पार्टी के सचेतक ने आपका नाम आखिर में दिया है, + + + काम नहीं चलेगा।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रामस्वरूप मीणा : पानी की समस्या सबसे भयंकर मेरे क्षेत्र में है····

श्री सभापति : यह बात आप अपनी पार्टी के सचेतक से कहिये । आप बैठ जाइये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री कल्लाजी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सफाई पेश की कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसी के खिलाफ जो बात कही, ठीक है कि आपको कहना भी चाहिये, तकलीफ भी होनी चाहिये लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि जो माननीय सज्जन या व्यक्ति विधान सभा में अपनी सफाई दे नहीं सकते, उनके खिलाफ आप चार्ज लगाते क्यों हैं ? कल जब यह बात हो गई तो आज फिर आपने + + + चार्ज लगा दिया, वह अपना उत्तर यहां तो दे नहीं सकते कि यहां पर चर्चा हो गई । मैं यह कहता हू कि आप इसको एक्सपंज कर दीजिये····

श्री बुलाकीदास कल्ला : असंसदीय के अलावा आपको कोई राइट नहीं है····यह नहीं हो सकता है । (व्यवधान)

श्री चम्पालाल बाठिया : यह संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध है, जो व्यक्ति यहां पर नहीं हैं···· । (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : कोई माननीय सदस्य इस प्रकार से चार्ज लगाना चाहता है तो वह पहले अध्यक्ष महोदय को नोटिस देगा और उनकी अनुमति होने के बाद ही चार्ज लगाया जा सकता है····

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री महोदय, मेरे टोडाभीम, नादोती में जनता प्यासी मर रही है आप उस बारे में तो नहीं सोच रहे हैं और इस बारे में सोच रहे हैं । मेरी बात का जवाब दीजिये पहले आप ।····

श्री प्रेमसिंह दहिया : हमने सोच समझकर सहकारिता सचिव के ऊपर आरोप लगाया है उसको आप एक्सपंज नहीं करा सकते हैं । भ्रष्टाचार के आरोप हैं और मेरे पास रेकार्ड है ।

श्री सभापति : माननीय हेतरामजी, बिराजें । माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सभापति : पहले माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं । जो बोल रहे हैं, उसी पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हूं ।

श्री सभापति : वह भाषण नहीं दे रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर तो मेरा है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है । आपका व्यवस्था का प्रश्न थोड़े ही है, आप तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं ।

श्री सभापति : आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा कोई स्पष्टीकरण नहीं है।....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है।

श्री सभापति : वह कह रहे हैं मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप बैठिये। व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन कहता है तो मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है।

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। वह खुद कह रहे हैं कि व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उन्होंने। मुझे क्या पता है? वह कह रहे हैं कि व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आप तशरीफ रखिये, सुन लीजिये पहले उनकी बात।....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह स्पष्टीकरण दे रहे हैं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : यह आपका ख्याल है कि वह स्पष्टीकरण दे रहे हैं जबकि वह कह रहे हैं कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। व्यवस्था का प्रश्न उठाया है.... (व्यवधान)।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। पहले मुझको सुनें जरा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सुमित्रासिंहजी, आप बिराजें। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जो सदस्य यहां पर या व्यक्ति यहां पर अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, यहां के सदन की परम्परा है कि उसका नाम नहीं लिया जाता और इस बात की कई दफा चर्चा हो चुकी है। सीनियर माननीय सदस्यों से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह नियमों के खिलाफ जायं। इस बात की व्यवस्था का प्रश्न माननीय मंत्री महोदय ने उठाया था। अब आप तशरीफ रखें। पहले मुझे उनको सुन लेने दीजिये। (व्यवधान)

परन्तु व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता है।....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : व्यवस्था के नाम पर तो वह उठे नहीं....

श्री सभापति : आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, सब को पता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह व्यवस्था के नाम पर खड़े नहीं हुए।....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से पहले मेरे प्रश्न का जवाब दिलवायें। मंत्रीजी आप बार-बार बैठ जाते हैं मेरे टोडाभीम और नादोती की जो योजनायें पड़ी हुई हैं उनको आप पास करके क्यों नहीं भिजवाते हैं?....

श्री सभापति : श्री मीणाजी, आप तशरीफ रखिये ना। आप हर वक्त बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं। क्या अर्थ है आपके बोलने का जब आपकी बात समझ में नहीं आती है। तशरीफ रखिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मंत्री महोदय पर नाराज नहीं होते हैं और मेरे पर नाराज हो जाते हैं।....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आसन का निर्देश मान लेती हूं ।

श्री सभापति : माननीय सुमित्राजी, इनका व्यवस्था का प्रश्न पूरा नहीं हुआ है और मैंने व्यवस्था नहीं दी है अभी तक ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनका व्यवस्था का प्रश्न था ही नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं सदन का समय अधिक नहीं लेना चाहता, जो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उसको आपने स्वयं ने समझ लिया है। मैं तो आपका केवल निर्णय चाहता हूं कि इस तरह से किसी पर भी चार्ज नहीं लगाया जाय और जो लगाया है उसको एक्सपंज किया जाय ।

श्री सभापति : यह बहुत ही गलत परम्परा है जो सदन में उपस्थित नहीं है, उसका नाम लिया जाता है। इसलिये सदन की कार्यवाही से उसको निकाल दिया जाय। (व्यवधान) श्रीमती सुमित्राजी बोल रही हैं। व्यवस्था का प्रश्न उनका है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप एक्सपंज नहीं कर सकते हैं।....

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, या तो मेरे प्रश्नों का जवाब दिलवायें, मेरी योजनायें मंत्रीजी ने क्यों रोक रखी हैं ? टोडाभीम नादोती की योजनायें क्यों रोक रखी हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : जो व्यवस्था मैंने दे दी है उसको चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं आप ।–(व्यवधान)

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सदन के नियमों को जानते हैं, जो व्यवस्था यहां से हो गई है, उसको आप चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं ।....

श्री रामस्वरूप मीणा : व्यवस्था दे दी गई है लेकिन मेरी समस्या का तो हल करें आप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : + + + दो प्लाट और 8 प्लाटों का मामला बेरी आयोग को सौंपा जाय ।....

श्री सभापति : जितनी बार भी नाम लिया जाय, उतनी बार उन्हें सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मैं इस अलोकतांत्रिक निर्णय के खिलाफ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री प्रेमसिंह दहिया द्वारा तत्पश्चात् सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो मेरे यहां की योजनाएं रोक रखी हैं, जो हैण्ड पम्प योजनाएं मेरे यहां की रोक रखी हैं, उनको आप जल्दी से पास कर देओ । अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं इसका तो मैं भी सदन से बहिर्गमन करता हूं । जनता देखेगी आपको ।

+ + + शब्द माननीय सभापति के आदेशानुशार अपलोपित किये गये ।

(श्री रामस्वरूप मीणा द्वारा तत्पश्चात् सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री सभापति : कृपया बिराजें, व्यवस्था बनाये रखें ।.... माननीय श्री मदनलाल जी सैनी । माननीय श्रीमती सुमित्राजी ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि मंत्रीजी ने यह कहा कि कोई भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सके, उसका नाम नहीं लेना चाहिये । मैं आपको इस व्यवस्था के विपरीत कोई बात नहीं कहना चाहती । लेकिन मैं आपके ध्यान में यह भी बात लाना चाहती हूं कि यदि उनका इस सम्बन्ध में कटमोशन था और कटमोशन के अन्दर उन्होंने यदि यह लिखा है कि इस तरह की धांधलियां हुई हैं तो वह बराबर नाम ले सकते हैं और बराबर इस बारे में कह सकते हैं ।....

श्री देवीसिंह भाटी : (पशुपालन राज्य मंत्री) : ऐसा कोई कटमोशन नहीं है ।

श्री सभापति : आप 'यदि' की बात कर रही हैं, पहले आप वैरीफाई कर लीजिये कि कटमोशन था क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यही तो कह रही हूं कि यदि कटमोशन था ।

श्री सभापति : तो आप खुद देखिये ना, अब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हैं तो व्यवस्था का प्रश्न तो तब पूरा है जब आप देखकर बोलें ।

माननीय श्री हेतरामजी बेनीवाल ।

श्री देवीसिंह भाटी : पहले पढ़ तो लो कि उसमें क्या लिखा है ।

श्री सभापति : माननीय श्री हेतरामजी बेनीवाल, बोलना प्रारम्भ करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : काल्पनिक बात करती क्यों हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन बड़े दुःख से कर रहा हूं कि हाउस में जो स्थिति बनी है, निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि बोलने का अर्थ और न बोलने का अर्थ बराबर हो गया । यह समझ लें ।....(व्यवधान)

माननीय मंत्रीजी, आप मंत्री हैं । आप इस तरह से कमेंट कर रहे हैं आप कहें तो मैं बैठ जाऊं ।....

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसा कौनसा आपका आचरण रहा है कि आप बगैर आसन की अनुमति के आप खड़े नहीं होते ?....

श्री सभापति : कृपया आसन के द्वारा बात कीजिये । माननीय मंत्रीजी, बिराजिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर चाहे कोई चार्ज लगाये, कोई बात करे और सब चीजों को मजाक समझें, सभी चीजों पर कमेंट्स करें, निश्चित तौर से सत्ता पक्ष के लिये कोई अच्छी बात नहीं है । और आप अच्छी समझते हों तो ठीक है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले सहकारिता की मांग पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सहकारिता डिपार्टमेंट राजस्थान में बहुत सालों से भ्रष्टाचार का पर्यायवाची

(श्री हेतराम बेनीवाल)

रहा है। जितने घोटाले, गड़बड़ियां हुई हैं उन पर वह पूरी तरह से छाया रहा है और आज अगर उस पर चर्चा उठती है तो हमारे समझ में यह नहीं आता है कि जो पहले गबन हुए हैं, गड़बड़ियां हुई हैं उन पर भी सत्ता पक्ष के साथी ध्यान देने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं अर्ज करूं कि यहां जो समस्याएं खड़ी की हैं, वह उस गबन और घोटाले की है जो इन लोगों ने की थीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बोलिये ना।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे निवेदन करूं कि एक स्पीनिंग मिल है हनुमानगढ़ में, उस स्पीनिंग मिल में 1 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। उसकी जांच करवाइये, मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया है मंत्रीजी ने कि वहां पर गबन किया है।....

श्री सभापति : स्पीनिंग मिल से क्या मतलब है, पेयजल पर बोलिये, सहकारिता पर बोलिये।....

श्री हेतराम बेनीवाल : स्पीनिंग मिल में को-आपरेटिव हैं, को-आपरेटिव सैक्टर का मिल है और को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के 4 आफिसर्स के बारे में माननीय मंत्रीजी ने लिखा है।....कि इन्होंने गबन किया है। उन गबन किए हुए अफसरों को तरक्की दें। मुझे समझ नहीं आता कि गबन किया, आपको पता लग गया। जो चेयरमैन था इसका, वह पूर्व एम. एल. ए. था, संगरिया कान्सटीट्यूएन्सी का, उसके खिलाफ पांच लाख बकाया है। माननीय मन्त्रीजी कब उससे ले लेंगे, कब वसूल कर लेंगे, मैं नहीं कह सकता पर जो अपने डिपार्टमेंट के अफसर हैं उनकी तरक्की तो मत करो। चारों अफसर जो हैं, अब आप कह दें उनका नाम लेऊं तो नाम ले दूंगा मैं।

श्री सभापति : आवश्यक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चेयरमैन कौनसी पार्टी का था?

श्री हेतराम बेनीवाल : चेयरमेन कांग्रेस का था और उसको आप क्यों बचा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता और क्या वजह है कि पांच लाख रुपये आप उससे लेने की बजाय आप उससे सौदा करते हो? अब मन्त्रियों के पास वह चक्कर काटता है। क्या वजह है इसकी? यही मैं कहना चाहता हूं कि वह 1983 का मामला है गबन का, इसकी जांच हो गई।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह जो साहिला रोड़ा का मामला है, सेठ + + + ने एक जमीन खरीदी और जमीन खरीद कर उसको कन्वर्ट करा लिया और कन्वर्ट करा कर सोसायटी बना ली। हमारी जो लोन देने वाली हाऊसिंग सोसाइटी है राजस्थान की।....

श्री सभापति : आप नाम नहीं लें तो उचित होगा। एक व्यक्ति कह दें।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह बताता हूं कि एक व्यक्ति ने 19-11-89 को,

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

एम. डी. को एप्लीकेशन दी। एम. डी. ने उसको भेज दिया कलक्टर को, उसकी जांच करने के लिए कि उसकी कीमत क्या है। उस जमीन की कीमत थी 11-12 हजार रुपये बीघा, तीस बीघा जमीन थी। उसी एम.डी. ने दुबारा सरकार के पास भेजी कि इसको स्वीकृति के लिए दिया जाए और गवर्नमेंट ने उसको स्वीकृत कर दिया 12 जनवरी, 1990 को। कांग्रेस के यहां यह सौदा हुआ, कांग्रेस ने इसकी स्वीकृति दे दी 12 जनवरी, 1990 को और वह स्वीकृत होकर उसके 16 लाख रुपये का पेमेण्ट हो गया। बेची कितने में ? गवर्नमेंट को उस सेठ ने जमीन बेची 51 लाख में। जिस जमीन की कलक्टर जालौर कीमत बताते हैं 12-13 लाख रुपये, उस जमीन को राजस्थान सरकार ने उस को आपरेटिव डिपार्टमेंट ने खरीद ली 51 लाख में। मेरा एक सवाल था नियम 295 के प्रस्ताव में उस वक्त यह जांच का सवाल बना और उस वक्त आश्वासन दिया मुख्यमंत्रीजी ने कि यह सौदा कैन्सिल होगा, जांच होगी सब कुछ होगा। माननीय मन्त्रीजी से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं बता रहा हूं, मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया, मैंने उनकी जांच करवाई है, पुलिस के, इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो में केस दे दिया गया है। उसकी जांच कम्पलीट होकर आने वाली है और सौदा कैन्सिल कर दिया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : बहुत बढ़िया, चिन्ता का विषय यह है कि चिन्ता का विषय इसलिए कह रहा हूं माननीय वर्मा जी कि अभी 11-2-91 को जोगेश्वर गर्ग, जो आपके मन्त्री हैं, ने आपको चिट्ठी लिखी है।....

श्री सभापति : यह बात तो समाप्त हो गई जब अन्वेषण विभाग को जा चुका है।

श्री हेतराम बेनीवाल : दिया नहीं है। वह जो आवासन संघ है वह तो लोगों से पैसे एडवांस ले चुका, 16 लाख रुपये उस सेठ में बकाया हैं, वह फिजूल नहीं हुए और इस सिलसिले में सेठ अपनी जमीन बेच रहा है और विभाग अलग से लोगों से एडवांस पैसे ले रहा है। इस सम्बन्ध में यह जो चिट्ठियां लिखी दी, माननीय मंत्री महोदय ने भी उनको चिट्ठी लिख दी। एक बार लिक्विडेशन की चिट्ठी लिखी है, दुबारा लिखी है कि इसको रोक दिया जाए। इसलिए मैं कहता हूं इस घेरे में आने वाले उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की जिन्होंने तीन-चार की जमीन का 51 लाख रुपये में सौदा कर लिया और 11 लाख रुपये राजस्थान सरकार के पेमेण्ट कर दिए। अगर हाउस में इस तरह के फैक्ट्स आ जाए, इस तरह 6-6 महीने तक उनका डिस्कशन हो, उन पर आपका निर्णय आ जाए, निश्चित तौर से हम महसूस करेंगे कि वाकई राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कदम उठा रही है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सदस्य जिससे भी जांच करवाना चाहते हैं, मैं उसको भी सौंप सकता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : 16 लाख रुपये आप वसूल कर लें और अफसरों को कर दें ठीक। मुझे तो यही कहना है।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

दूसरा मुझे यह कहना है कि इसी तरह से मेरे जिले में एक सोसाइटी है पीलीबंगा की, एक एम. एल. ए. के लडके, एम. पी. के, भतीजे के खिलाफ 90 हजार रुपये का पेमेण्ट बकाया है। एम. आई. आर. हो चुकी और उस एफ. आई. आर. का कोई अता पता, कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मुझे यह कहना है कि यह जो घोटाले, सहकारी विभाग को उन अधिकारियोंके खिलाफ, जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, निश्चित तौर से सदन को अवगत करवाना चाहिये और सदन के सामने यह चीज आनी चाहिये कि किस-किस के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई।

थोड़ा सा पेयजल के बारे में कहना है। पेयजल विभाग के बारे में मैं खुद यह समझता हूं कि जो पैसा कांग्रेस सरकार का और विश्व बैंक का हमारे उन क्षेत्रों में खर्च होता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, करोड़ों रुपया व्यय हुआ है और पूरे संगरिया, गंगानगर के उस क्षेत्र में जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो डिग्गियों का निर्माण है, वहां सारी की सारी जो डिग्गियां हैं, उनका निर्माण इस तरह से करवाया गया है कि दर्जनों डिग्गियां टूट गई। एक-एक गांव में तीन-तीन डिग्गियां बनीं और उनकी तीन तीन बार मरम्मत हो चुकी। ताखरांवाली एक गांव है उसकी पूरी लाइन सारी की सारी वाटर चैनल बर्बाद हो गई, दुबारा बन रही है। सारी डिग्गियां बर्बाद हो गई, दुबारा बनीं। तीन साल तक वह बनी हुई डिग्गियां, वहां पर बिजली का कनेक्शन लगा हुआ पड़ा रहा, तीन साल बाद दुबारा पैसे लगाकर वह बन रही हैं। इसी तरह मणिवाली गांव है, पूरी 6 मुरब्बे को लाइन है। दस लाख रुपये खर्च हुए हैं राजस्थान सरकार के, उस सारी को दुबारा बनाना पड़ा है। मेरा यह कहना है माननीय मन्त्री जी से कि क्या वह इस बात की जांच करवायेंगे कि किन अधिकारियों ने बनवाई थी, कौन लोगों ने बनाई थी और दुबारा आश्वासित करेंगे हाउस को कि इस तरह का निर्माण किसी जगह नहीं होगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि अब भी मैंने शिकायत की है वहां के अधिकारियों से कि अभी जो निर्माण कार्य हो रहा है दुबारा उन नालियों का, वह भी इसी तरह का हो रहा है।

एक समस्या है हमारे क्षेत्र की, विशेष तौर तौर से गंगानगर जिले की, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि जो पनघट योजना इस पेयजल योजना में बनी हुई है, राजस्थान के बाकी हिस्सों में उसका उपयोग होगा, मेरे गंगानगर जिले में उसका कोई उपयोग नहीं वजह इसकी यह है कि चक वहाँ इस तरह से बसे हुए हैं, गंगानगर जिला इस तरह कालोनाइज्ड है कि वहां 40–40, 50–50 घर अलग-अलग बसे हुए हैं। उनमें पानी की सप्लाई आप करेंगे, कनेक्शन आप उनके मुकाबले दे नहीं सकते और कभी भी नहीं मिल सकता। आपकी जो दो हजार की लिमिट बनी हुई है उस हिसाब से उनको कभी भी कनेक्शन मिल नहीं सकता। वह पानी भरने बाहर जा नहीं सकते। इसलिए पैरेलल व्यवस्था चल रही है। नहरों से पानी लेकर अपनी डिग्गियों में भरकर अभी भी गंगानगर जिले के किसानों को 60 लाख क्यूसैक्स पानी तो यूज करता है आपका डिपार्टमेंट और 60 लाख करहड़ डिग्गियों

(श्री हेतराम बेनीवाल)

में पड़कर इस्तेमाल होता है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि प्राइवेट कनेक्शन गंगानगर जिले में खोलकर आप एक प्रयोग करें कि जो भी आपका कनेक्शन लेना चाहे, आपको पैसा देगा । अगर आप 18 के बजाए 25 रुपये भी लेंगे महीने के तो बड़ी खुशी से गंगानगर जिले का वह किसान देगा । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप यह शुरू कर देते हैं कनेक्शन्स इण्डिस्क्रिमिनेटली तो गंगानगर जिले में आपके डिपार्टमेंट को अकेले महीने का चालीस लाख का फायदा होगा । आप क्यों नहीं करते फायदा आपके अधिकारी आपकी इस तरह की योजना बनाते हैं; कोई स्टाफ की जरूरत नहीं; वही स्टाफ आपका, वही बिल इकट्ठा करने वाले, वही कनेक्शन । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गंगानगर जिले के लिए स्पेशली एक कनेक्शन खोलकर देखिए जिससे अगर विभाग को फायदा हो तो इसमें आगे बढ़ें और साथ में उससे विकास का काम हो । मुझे यही कहना है ।

श्री सभापति : श्री अनंग कुमार जैन ।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी की समस्या, यह सच है कि पूरे प्रदेश के लोगों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण समस्या है । इस समस्या के बारे में पिछले 40 साल के अन्दर, जो कांग्रेस का भ्रष्टाचारयुक्त शासन रहा, करीब एक हजार करोड़ से ऊपर खर्च किये । कई बार इस विधान सभा सत्र के अन्दर इस बात पर डिबेट भी हुई और कांग्रेस सरकार के द्वारा यह जवाब दिया गया कि यदि वह सारा पैसा आज तक जोड़ा जाये तो करीब एक हजार करोड़ रुपये से ऊपर खर्च किया गया । उन्होंने अपने आंकड़ों के अन्दर यह बताया कि 24 हजार से अधिक गांवों को हमने पेयजल समस्या से मुक्त कर दिया । लेकिन आपने देखा होगा, पिछले मार्च के अन्दर हमारी सरकार ने शासन संभाला तो सबसे ज्यादा भीषण समस्या थी तो वह पीने के पानी की थी । पूरे राजस्थान के अन्दर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था । हमारी पार्टी के लोग, उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस समस्या से परेशान थे । जो स्वयं यह कहते थे कि हमने 24 हजार से ऊपर गांवों को पेयजल समस्या से मुक्त करा दिया, वह स्वयं इस बात के लिए बहुत ज्यादा चिन्तित थे और सरकार को बार-बार इस बात के लिये आगाह करते थे कि पीने के पानी की समस्या का निराकरण कराया जाय । इसके लिए मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने युद्धस्तर पर इस समस्या को लिया और हर गांव के अन्दर जो भी तात्कालिक व्यवस्था हो सकती थी, वह व्यवस्था पीने के पानी की वहां करवाई । पूरे राजस्थान में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि पीने के पानी की कमी की वजह से किसी गांव के अन्दर समस्या रही हो । जो भी तात्कालिक व्यवस्था हो सकती थी, चाहे हैण्डपम्प हो, कुएं गहरे कराने हो या दूसरी कोई स्कीम हो, जो कोई आलरेडी

(श्री अनंग कुमार जैन)

सोर्स पीने के पानी का था, उसको यूटिलाइज करके उन्होंने युद्ध स्तर पर इस समस्या का निराकरण करवाया। उसके लिए मैं उनको बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस समस्या को बखूबी और मुस्तैदी के साथ हल किया।

माननीय सभापति महोदय, पिछले काफी समय से आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं इसलिये मैं सीधे ही अपने जिले की समस्या के बारे में मंत्री महोदय को निवेदन कर दूं।

श्री सभापति : यह तो मैं आप ही के हित में कर रहा हूं।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं सीधा अपने झालावाड़ जिले की समस्या के बारे में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। हमारी जो कई स्कीम्स पिछले लम्बे समय से यहां विभाग के अन्दर लम्बित पड़ी हुई हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह सब स्कीम करीब-करीब फाइनल स्टेज पर हैं। झालावाड़ शहर के लिए रीआर्गेनाइजेशन स्कीम बनाई गई थी जो करीब पिछले 6–7 साल से झालावाड़ से जयपुर आती रहती है और जाती रहती है। यद्यपि पिछले साल मंत्री महोदय ने उसमें सात लाख रुपये दिये थे लेकिन उसके 81 लाख रुपये की स्कीम में सात लाख रुपये दिये जायें तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि वह स्कीम कितने साल में जाकर पूरी होगी तो मैं विशेष रूप से रीआर्गेनाइजेशन स्कीम झालावाड़ के लिए निवेदन करूंगा कि उसके बारे में आप शीघ्रता से मन्जूरी प्रदान करें।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, झालरापाटन शहर के बारे में जो पेयजल की स्कीम बनी हुई है, वह स्कीम आज से 25 साल पहले बनी थी। 25 साल के अन्दर वहां की जनसंख्या दुगनी से भी अधिक हो गयी और आपके विभाग की जो टंकी बनी हुई है, वह इतनी जीर्ण-शीर्ण हालत में हो गयी है कि टंकी फूट जाने की वजह से जो पानी का स्टोरेज विभाग द्वारा किया जाता है वह आधा पानी तो स्टोरेज करते-करते बह जाता है। तो वह आधा पानी शहर की सप्लाई के लिए बहुत कम होता है और शहर के लिए उसमें प्रेशर भी मेन्टेन नहीं हो पाता है। इसलिए वहां पूरे शहरवासियों को पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। उस टंकी की स्कीम भी आपके विभाग द्वारा बनाई जाकर आपके पास पहुंच चुकी है और एक लम्बी यात्रा उस स्कीम को मैंने भी तय करवा दी है क्योंकि आपके विभाग में एक यात्रा उसको पहुंचाने के लिए चलती है। झालावाड़ से कोटा एस. ई. आफिस, एस. ई. आफिस से अजमेर एडीशनल चीफ इन्जीनियर आफिस फिर वहां से चीफ इंजीनियर आफिस जयपुर, चीफ इंजीनियर जयपुर से सेक्रेटेरियट जयपुर और सेक्रेटेरियट जयपुर के बाद फिर मंत्री महोदय के पास। तो मैंने जितनी भी योजनाओं के बारे में आज निवेदन कर रहा हूं इन तमाम योजनाओं को मैंने ये पूरा राजस्थान का सफर तय करवा करके मंत्री महोदय तक पहुंचा दिया है। तो इस स्कीम के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि यह झालरापाटन टंकी की जो

(श्री अनंग कुमार जैन)

समस्या है, जब आप उत्तर दें तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकृत फरमायेंगे। इसके अलावा गनवाड़ा और मण्डावर गांव इन दोनों की भी पेयजल योजना के बारे में मांग के द्वारा स्कीम आपको भेजी गयी और वह सभी स्टेज से क्लीयर हो चुकी और विभाग द्वारा रिकमण्ड किया गया है कि इन दोनों गांवों के अन्दर पीने के पानी का सोर्स नहीं है। जो हैण्ड पम्प लगाये गये वह सारे हैण्ड पम्प असफल हैं, उनके अन्दर पानी नहीं आता है और इन गांवों को पेयजल समस्या से मुक्त कराने के लिए वहां पर नल योजना स्वीकृत करना आवश्यक है। इसी प्रकार खानपुरिया और उसके आस-पास के चार-पांच गांव हैं, ये ऐसे गांव हैं, माननीय सभापति महोदय कि तीन सौ फीट तक हैण्ड पम्प को खोदा गया उसके बाद भी वहां पर पानी उपलब्ध नहीं हो सका। तो राज्य सरकार की भी यह नीति है कि जहां पर हैण्ड पम्प स्कीम फेल या हैण्ड पम्प स्कीम सफल नहीं हो सकती, उस जगह पर जो स्कीम विभाग द्वारा प्रपोज़ की जाय वह जल्दी से जल्दी मन्जूर करें ताकि वहां के निवासियों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके।

इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय कुछ योजनायें ऐसी हैं जिन पर काम हो गया लेकिन पिछले पांच–सात साल से वह अधूरी पड़ी हुई हैं। उनके बारे में मैं मंत्री महोदय को नोट करवा देना चाहता हूं। काम उनमें आधा हो चुका और आधा काम बाकी पांच-पांच साल से पड़ा हुआ है। इस सूखे गांव के अन्दर टंकी बना दी गयी है तीन वर्ष पहले लेकिन अभी तक पाइप लाइन नहीं डाली गयी है। वह टंकी भी तीन साल से बेकार पड़ी है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर पाइप लाइन डलवा दी जाती है तो उस टंकी का उपयोग हो जायेगा। आजमपुर गरवाड़ा बिड़ावा तहसील के अन्दर रीजनल स्कीम के नाम से नल योजना आपकी कई वर्षों से प्रस्तावित है तथा लगभग चार वर्ष पूर्व ग्राम गरवाड़ा में पाइप लाइन बिछा दी। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस शासन के अन्दर काम करने का तरीका देखिये कि चार वर्ष पहले लाइन तो बिछा दी और टंकी नहीं बनाई। पाइप लाइन के पाइपों को उखाड़ उखाड़ कर लोग ले जा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो स्कीम आपकी मन्जूर शुदा है, पाइप लाइन आपने बिछा दी तो टंकी क्यों नहीं बनवा देते ताकि वहां के लोगों को पीने के पानी की सुविधा हो? ग्राम मातमें के अन्दर पाइप लाइन बिछा दी गयी है, लेकिन नल योजना शुरू नहीं की है और वहां पर टंकी भी बना दी आपने। पाइप लाइन बिछा दी, टंकी भी बना दी लेकिन एक डेढ़ साल से आपकी स्कीम यूं की यूं पड़ी हुई है। तो इस योजना को आप शुरू करवाने की मेहरबानी करें। इसी प्रकार एक गांव के सभापति महोदय, जहां शत-प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है वह गांव पहाड़ी पर बसा हुआ है। वहां के लोगों को करीब दो-दो, तीन-तीन कि. मी. से पानी लाना पड़ता है। वहां पर जो हैण्ड पम्प आपने लगाये हैं वह हैण्ड पम्प सब असफल हैं चूंकि वहां वाटर लेबल इतना नीचा है कि तीन सौ फीट तक भी वहां

(श्री अनंग कुमार जैन)

पानी नहीं आता है । तो वहां के लिए जो स्कीम विभाग द्वारा भेजी गई है उसे मन्जूर करवाने की मेहरबानी करें । इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, ग्राम पिपलिया के अन्दर जो नल योजना आपकी स्वीकृत है उसमें भी कार्य प्रारम्भ करवाने की आप व्यवस्था करें । पचपाड़ तहसील, पहले पचपाड़ अलग कस्बा था लेकिन अब उसको नगरपालिका के अन्दर ही शामिल कर दिया गया है इस वजह से इस पचपाड़ के नाम से न तो कोई बजट पास होता है न कोई योजना बनती है । वहां पर भी टंकी बनाने के लिए विभाग द्वारा आपको योजना भेजी गयी है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस योजना को भी स्वीकृत करने की कृपा करें । ये सारी योजनायें जो मैंने आपको निवेदन की, है ये सब योजनायें आपके विभाग के अन्दर पिछले 6–8 महीने के अन्दर बनकर आ चुकी हैं, कोई टेक्नीकल कमी इनके अन्दर नहीं है और सारा एनालिसिस कर लिया है । तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि माननीय जलदाय मंत्री महोदय इन योजनाओं के बारे में अपने उत्तर में जरूर स्पष्ट करें कि इनके बारे में क्या-क्या निर्णय लेने वाले हैं ।

सहकारिता विभाग के बारे में मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री सभापति : खत्म कीजिए ।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं एक मिनट से ज्यादा वैसे ही नहीं लूंगा । मैंने कह दिया है आपको । मेरा 12–13 पेज का भाषण था उसको तीन पेज में कर दिया ।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए प्लीज ।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं सभापति महोदय, निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस शासन में सहकारिता विभाग उसका नाम था लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको कांग्रेस वालो की गरीबी उन्मूलन योजना का विभाग बना रखा था । कांग्रेस वालों ने अपनी टीम के मार्फत जो भ्रष्टाचार फैलाया था, उसमें सहकारिता मंत्रीजी ने जो सख्ती से कार्यवाही शुरू की और इनके भ्रष्टाचार के ऊपर जांच शुरू की, तो सबसे ज्यादा मेरे कांग्रेस के बन्धुओं के पेट में दर्द होता है और ये बहुत तकलीफ पाते हैं, उस भ्रष्टाचार में कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, नेता लोग फंस रहे हैं तो, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार सहकारिता विभाग को सुधारने के लिए एक सच्चे मन से प्रयास हुआ है । मैं सहकारिता मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं । इनके ऊपर कई बार दबाव भी आये हैं लेकिन इन्होंने उन दबावों को भी नजर अन्दाज करके बड़े से बड़े व्यक्ति को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और उन लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्यवाही की है । एफ. आई. आर. दर्ज करवाई है तो मैं इनको भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा । इस सहकारिता विभाग के अन्दर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसको तेजी से ये साफ करने की कोशिश कर रहे हैं । उसमें और गति लायें और चाहे उसमें कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति फंसा हो उसको नहीं सुने और उसके खिलाफ कार्यवाही करें ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री रामेश्वर दयाल यादव । (अनुपस्थित)

श्री सभापति)

श्री दयाराम । (अनुपस्थित)

श्री प्रकाश चन्द बैरवा । (अनुपस्थित)

श्री हरीश झामनानी ।

श्री हरीश झामनानी (अजमेर-पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या–27 पेयजल के संबंध जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेता हुआ पहले हमारे विभाग के माननीय मन्त्री महोदय का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने तत्परता से सारे राजस्थान में पूर्व में जल के वितरण की व्यवस्था की थी। इससे कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में, पानी के अभाव से कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हुआ। इसलिए इस सुदृढ़ व्यवस्था के कारण से मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

राजस्थान की पेयजल की जो समस्या है, उसके संबंध में बड़ी वेदना से और कष्ट से कहना पड़ता है कि भारत को आजाद हुए 44 साल हो गए। राजस्थान में कई बार अकाल पड़े हैं, राजस्थान में पानी की गंभीर समस्या रही है लेकिन इसकी किस प्रकार सुदृढ़ व्यवस्था की जाय इसके लिए पूर्व की सरकार ने कभी भी चिन्ता नहीं की थी। इसके लिए करोड़ों रुपयों की व्यवस्था की गई और करोड़ों की अस्थायी योजना बनाई गई लेकिन कोई स्थायी योजना नहीं बनाई गई कि किस प्रकार राजस्थान को पेयजल संकट से उबारा जाय। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जितनी भी राजस्थान में कैनाल हैं, जितनी भी राजस्थान की पानी की योजनाएं हैं चाहे वह बीसलपुर योजना हो, चाहे राजस्थान कैनाल हो, उसको समय-बद्ध योजना से सम्पर्क करके पूरा करने की व्यवस्था की जाय ताकि न तो उसमें अधिक समय लगे, न आर्थिक नुकसान हो। इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। मेरा एक और निवेदन है कि मध्य राजस्थान में, जयपुर में और हाड़ौती को यदि वास्तव में पानी की समस्या से स्थायी निदान दिलाना चाहते हैं तो चम्बल से पानी लिफ्ट करके सर्वे किस प्रकार यहां आये, इस प्रकार के काम को मेहरबानी करके सर्वे कराने के लिए एक टीम निर्धारित समय पर भेजने के लिए व्यवस्था की जाय। इसकी योजना बनानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से टैंकरों से पानी भेजने की व्यवस्था हो रही है। मेरा निवेदन है कि किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समुचित व्यवस्था की जाय इस पर मन्त्री महोदय ध्यान दें। बीसलपुर योजना में मेरा निवेदन यह है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1991 तक वह योजना पूरी हो जानी चाहिए थी पर वह पूरी नहीं हुई है। इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ है और योजना जिस ढंग से बनकर आनी चाहिए, जनता को पानी की समस्या से जो राहत मिलनी चाहिए वह राहत मिली नहीं है। बीसलपुर योजना को बजट में से अधिक पैसा देकर तुरन्त पूरा कराना चाहिए। इसमें पूर्व में जो पी. पी. सी की मीटिंग या पूर्व में अधिकारियों से तालमेल की कमी रहती थी, मैं धन्यवाद देता हूं जलदाय विभाग के सचिव महोदय को, जो नए आये हैं, उन्होंने जिस ढंग से इसे तुरन्त चालू किया है, मीटिंग लेना चालू किया है, उसका प्रभाव आया है। मैं और भी उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि फिल्टर प्लांट लगा हुआ नहीं है जो वर्षों से नहीं है। उसको तुरन्त आदेश देकर चालू कराने की व्यवस्था करें। पाइप लाइन जो अगस्त, 1990 में पूरी हो जानी

(श्री हरीश भामनानी)

चाहिए थी, वह पूरी न होकर बन्द पड़ी रही। मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यदि वह फैक्ट्री बन्द पड़ी रही और उसकी व्यवस्था नहीं की गई तो बीसलपुर योजना पर जितना भी व्यय किया जा रहा है वह बेकार चला जायेगा। इसलिए उस फैक्ट्री को चालू किया जाय या दूसरा विकल्प किया जाय। मैंने मन्त्री महोदय से भी निवेदन किया है कि उस फैक्ट्री को चालू किया जाय अन्यथा बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। करोड़ों रुपया उस पर व्यय किया हुआ है, करोड़ों रुपया मोबिलाइज करने के लिए दिया हुआ है, वह पैसा सरकार का बेकार गया ही गया और भी जनता का पैसा बेकार जायेगा। इसलिए तुरन्त उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

मेरा एक और निवेदन है कि इस बीसलपुर योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिमाह एक मीटिंग होनी चाहिए। अजमेर में उच्च अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ में योजनाबद्ध ढंग से मीटिंग होनी चाहिए ताकि एक माह में जो प्रगति हुई है वह जनता के सामने आ जाय, अधिकारियों के सामने भी आ जाय, ऐसा मेरा निवेदन है। मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें।

राजस्थान में अनेक अनाधिकृत कालोनियां हैं। उन अनाधिकृत कालोनियों में बाकी तो सब सुविधायें राजस्थान सरकार ने कर दी हैं पर पानी की पाइप लाइन पहुंचाने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वहां पर रहने वाली जनता ने क्या कसूर किया है? कांग्रेस सरकार के जमाने में उनकी नाक के नीचे ये अनाधिकृत कालोनियां बनी थीं। वे कालोनियां किसने बनाई, उनमें इस समय कौन रह रहा है, यह सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं मन्त्री महोदय को यह नहीं कहना चाहता हूं कि उन अनाधिकृत कालोनियों का नियमन किया जाय। आप नियमन करें या नहीं करें लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि वहां जो जनता रहती है उसने क्या कसूर किया है? आज कोर्ट का निर्णय है कि यदि किरायेदार और मालिक के बीच डिस्पुट है तो भी पानी की लाइन के लिए उसको इंकार नहीं किया जा सकता।

मेरा एक और निवेदन है, अनुसूचित जाति के जो शहरी क्षेत्र हैं, उनको पानी से वंचित किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संवेदनशील सरकार जो अनुसूचित जातियों की हिमायती है शहरी क्षेत्रों में कई हरिजन बस्ती, कंजर बस्ती और अन्य अनुसूचित बस्तियों में जहां पाइप लाइन नहीं है उसके संबंध में जब-जब अधिकारियों से निवेदन किया जाता है तो कहा जाता है ये तो प्रतिबन्धित हैं यहां पर हम नहीं डालेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति को उठाने की दृष्टि से वहां पानी की लाइन डालें। मैं बड़े दुःख से कहता हूं कि 4 माह पूर्व मन्त्री महोदय अजमेर पधारे थे। मैंने मीणा कालोनी के लिए 800 मीटर पाइप लाइन डालने के लिए निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया लेकिन वहां आज तक लाइन डालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अभी मैं जब अजमेर से जयपुर आ रहा था तो मैंने जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि लगभग 100 मीटर की लाइन डालने पर वे विचार कर रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवे दन

—श्री हरीश झामनानी)

—रता हूं कि उन्होंने अजमेर में जो आदेश दिए हैं उनकी क्रियान्विति करें। मेरा एक और निवेदन है कच्ची बस्तियों में गरीब लोग रहते हैं। हमारी सरकार की यह घोषणा है कि हम गरीब को गणेश मानकर काम करेंगे। जब गरीब को गणेश मानकर पूजा करने की हमारी नीयत है तो उसको केवल नारा न मानकर उसको क्रियान्विति करने के लिए कच्ची बस्तियों में पानी की लाइन पहुंचे, समुचित व्यवस्था हो, इस प्रकार का मेरा निवेदन है। मंत्री महोदय, अवश्य ध्यान दें। अजमेर में कच्ची बस्तियों की दृष्टि से मैंने भी निवेदन किया है कि नागमणी, छोटी नागमणी, गोविन्द नगर, बड़ी नागमणी, गीता कोलोनी, साधु बस्ती, कंजर बस्ती, सांसी बस्ती कई इस प्रकार की कच्ची बस्तियों की कालोनियां हैं उनमें पानी की पूर्ण व्यवस्था हो, इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

हैण्डपम्प के संबंध में निवेदन यह है कि पूर्व की सरकार में हैण्डपम्पों में कई घोटाले हुए हैं। उन घोटालों की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाय। इस बार भी हैण्डपम्प खोदने की ठीक ढंग से व्यवस्था हो इसके लिए सुचारु व्यवस्था हो। मेरा इस संबंध में निवेदन यह है कि राजस्थान में जितने हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं उनको ठीक ढंग से सही समय पर समयबद्ध योजना से उनको ठीक कराया जाय। एक बात और कि उसकी रिपोर्ट चीफ इंजीनियर के पास में सभी एक्स. ई. एन. की आ जाय कि राजस्थान में कितने हैण्डपम्प बन्द पड़े हैं और कितनों को ठीक किया है। यह केवल आंकड़ों से नहीं उनके नम्बर भी नोट करके आने चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। पाइण्ट से बता दीजिए।

श्री हरीश झामनानी : अजमेर में पानी की बहुत किल्लत है। 48 घंटे में या 48 घंटे से ज्यादा समय में वहां पानी आता है। अतः इस स्थिति को देखते हुए मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि अधिक से अधिक हैण्डपम्प, अजमेर के लिए पूर्व में भी दिए थे, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं भविष्य में भी अधिक से अधिक देने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : भूमिका नहीं। आप पाइण्ट बता दीजिए और समाप्त करिये।

श्री हरीश झामनानी : गत वर्ष चूंकि पानी बहुत बरसा था, इसलिये मेरा निवेदन है कि ट्यूबवैल भी वहां पर खोदने की कोई व्यवस्था करें। गर्मियों में पानी की व्यवस्था के लिये मेरा निवेदन है कि वहां पर कई कुए और बावड़ी हैं लेकिन मंत्री महोदय ने केवल 25 कुओं पर मोटर लगाने के लिये आदेश दिये हैं। यह बहुत कम व्यवस्था है। कम से कम 100 बावड़ी और 100 कुओं पर इस तरह की मोटर लगाई जाय ताकि एक दिन पानी पाइप लाइन से आ जाय और एक दिन कुओं का पानी चाहे वह खारा हो या मीठा हो, वह आये। इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये। आम जनता को यह महसूस हो कि इस सरकार ने रोज पानी देने का जो संकल्प किया था, उसको क्रियान्वित किया है। इस प्रकार की व्यवस्था करें।

पानी को लिफ्ट करने के लिये, जो बीसलपुर से अजमेर में आ रहा है, नसीराबाद के बीच में एक खारी जमीन है वहां पर 400 मीटर की लाइन खराब पड़ी है। गत

(श्री हरीश झामनानी)

10 साल से लेकर के पानी का पैसा राज्य सरकार ने अजमेर को भेजा हुआ है। मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि इसके कारण से जो दो लाख गैलन और पानी अजमेर में आ सकता है, उससे 2 लाख गैलन प्रतिदिन पानी का अभाव रहता है। इसलिये उसको तुरन्त बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरा एक और निवेदन है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हरीश झामनानी : एक तो कहने दीजिए।

श्री सभापति : मुझे खेद है, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री हरीश झामनानी : दुख से....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए सब के पास ही दुख है, बहुत बोलने वाले हैं।

श्री हरीश झामनानी : अच्छी बात है, साहब बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रामकरण सिंह (अनुपस्थित)।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

(9.00 रात्रि)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी का ध्यान जोधपुर शहर की तरफ दिलाना चाहती हूं। जोधपुर शहर पानी से बड़ा वंचित रहता है और वहां पानी की भारी समस्या रहती है। अप्रेल, मई के महीने में इसी जोधपुर शहर में पानी की बड़ी विकट समस्या रहती है। वहां के अधिकारियों की मैं वास्तव में तारीफ करूंगी कि उस वक्त वे बड़ा अच्छा सहयोग देते हैं और जोधपुर की जनता के पानी के वास्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। हालांकि बहु दिनों से पानी दे रहे हैं फिर भी एक व्यवस्था की जिससे जोधपुर की जनता को पानी मिला।

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहती हूं कि इतनी भारी बरसात होने के बावजूद अब जोधपुर में पानी की तकलीफ आती है तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। जोधपुर शहर में एक त्यौहार आया करता है होली का, उसके अन्दर पानी का ही उपयोग होता है। तो उस दिन सारे दिन जोधपुर में पानी नहीं मिला, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? खैर जब अधिकारियों से बात की तो यह पता लगा कि वहां कोई टेक्नीकल प्रोब्लम आ गई है। मगर जोधपुर की जनता टेक्नीकल बात को नहीं समझती है। वह तो यह समझती है कि हमको पानी मिलना चाहिए।

अब मैं, माननीय सभापति महोदय, जलदाय विभाग के मंत्रीजी का ध्यान जोधपुर के पानी के पुराने स्रोतों की ओर दिलाना चाहती हूं। जोधपुर के पुराने राजा-महाराजाओं ने जोधपुर की जनता को पानी देने के वास्ते एक जवाई बांध पाली में बनवाया। मगर जोधपुर की समस्या तो वहीं की वहीं रही। जवाई बांध का रख-रखाव तो जलदाय विभाग करता है, सिंचाई विभाग करता है। जोधपुर शहर में ऐसे स्रोत हैं कि जब अभी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जोधपुर शहर में पानी की भारी किल्लत थी उस समय उन स्रोतों को काम में लिया मगर उनके रख-रखाव के वास्ते सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है, न ही सरकार के पास उनके लिए कोई बजट है, न तो इतने जल स्रोत हैं उनके रख-रखाव के वास्ते इनके पास न कोई योजना है। मेरी जानकारी के अनुसार कोई योजना नहीं है और अधिकारियों से बात करते हैं तो मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है कि जो यह बांध हैं, जो-जो तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, उनके रख-रखाव के वास्ते कोई इनके पास प्रावधान है। इस वास्ते मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस बात का निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर शहर के वास्ते, एक ऐसी कमेटी बनाये जो कि इन जल स्रोतों की योजना को देखे और जलदाय विभाग, सिंचाई विभाग के सदस्य भी उसमें हों।

माननीय सभापतिजी, मैं जोधपुर शहर की पानी की समस्या के साथ-साथ मंत्रीजी से यह कहना चाहती हूं कि जोधपुर शहर के अन्दर बहुत वर्षों पुरानी पाइप लाइन है उसको अविलम्ब चेंज कराया जाय। इसके लिए मैं मंत्रीजी से पत्र-व्यवहार बराबर करती रही हूं मगर मुझे ऐसी जानकारी है कि आज तक पाइप लाइन चेंज करने के वास्ते कोई स्वीकृति नहीं हुई है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगी कि जोधपुर शहर में पाइप लाइन चेंज करने के वास्ते, और भी कोई नई पाइप लाइन डलवाने के वास्ते आप अपनी स्वीकृति अविलम्ब देवें। क्योंकि अब जोधपुर की जनसंख्या पहले से दुगुनी हो गई है उस हिसाब को देखते हुए भी आप इस पानी की समस्या को, पाइप लाइन की समस्या का समाधान करें।

जोधपुर शहर में जो पानी के स्रोत हैं, मैं उनका थोड़ा सा जिक्र करना चाहती हूं। आप घंटी नहीं बजायेंगे, नहीं तो मेरी बात का लिंक टूट जायेगा। जोधपुर शहर के अन्दर राणीसर, पदमसर जालक बावड़ी, तापी बावड़ी, तूरजी का झालरा, गुलाब सागर, फतेह सागर, नाजाजी की बावड़ी, चांद बावड़ी, कुम्हारियों का कुआ, जतथा भेरा, चांदरा कुआ, ऐसी अनेक बावड़ियां और कुए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। मगर उनके रख-रखाव के वास्ते इनके पास कोई बजट नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो मैं आज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि इतनी यह चीजें हैं, जोधपुर में पानी की जिस समय तकलीफ होती है इन स्रोतों का पानी काम में लिया जाता है जलदाय विभाग के द्वारा, मगर उनकी मरम्मत के वास्ते एक पैसा भी इनके पास नहीं है। आज अगर देखा जाय तो गुलाब सागर और फतेह सागर के अन्दर तो गटर का पानी जा रहा है, जो पानी हम पीने के काम में लेते हैं। एक जोधपुर शहर में बहुत बड़ा बाईजी का तालाब कहलाता है, वह तालाब राजा-महाराजाओं द्वारा बनाया हुआ है, उस तालाब के चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ है और उस तालाब के अन्दर भी कचरा भरा हुआ है, अब इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? मगर मैं इस सरकार को इस मामले में दोषी नहीं बताती हूं। मैं पूर्व सरकार को इस मामले में दोषी बताऊंगी कि आज जोधपुर की जनता पानी के वास्ते पूर्व सरकार, कांग्रेस सरकार की वजह से तरस रही है। मेरे बुजुर्ग यह बताया करते हैं कि दो रुपये बोरी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

थी उस समय यह कैनाल बननी शुरु हुई मगर आज सौ रुपये तक पहुंच गई है, इस राजस्थान कैनाल का तो कोई अता-पता ही नहीं है। मैं यह मानकर चलती हूं और मेरा यह आत्म-विश्वास भी है कि यह भैरोंसिहजी शेखावत की सरकार इस कैनाल को पूरी करा कर जोधपुर की जनता को पानी उपलब्ध करायेगी । ऐसी मेरी मान्यता है ।

श्री सभापति : धन्यवाद ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, साहब, मैं बोलूंगी बीच में नहीं बोलेंगे ।

श्री सभापति : समय आपका पूरा हो गया ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं साहब, मेरा समय पूरा नहीं हुआ है । मेरे पांच मिनट ही नहीं हुए हैं ।

श्री सभापति : नहीं—नहीं, दस मिनट हो चुके हैं । आप दो मिनट में बोल लीजिए ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में पानी की समस्या····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अंकित तो कोई कर ही नहीं पा रहा है इसको····

श्री सभापति : नहीं—नहीं, अंकित हो रहा है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कहां हो रहा है, कौन कर रहा है ?

श्री सभापति : भाषा हिन्दी ही है, कोई दिक्कत नहीं है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौन कर रहा है ?

श्री सभापति : अंकित कर रहे हैं ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है, मैं तो मेरी बात कहूंगी ही ।

श्री सभापति : नहीं—नहीं, अंकित हो रहा है ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं मेरी बात तो कहूंगी न । नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे ।

श्री सभापति : बोलिए, बोलिए । आप तो समाप्त कीजिए ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय सभापति महोदय, जयपुर के मुकाबले में दूसरा नम्बर जोधपुर शहर का है । सभापति महोदय, जोधपुर अंतिम छोर पर है ।

श्री सभापति : आप तो सुझाव दे दीजिए ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान जोधपुर शहर की तरफ दिलाना चाहती हूं । जोधपुर शहर के अन्दर पानी की पाइप लाइन और गटर लाइन साथ-साथ चल रही हैं इसलिए जोधपुर शहर के अन्दर ऐसी स्थिति आ जाती है कि पानी बहुत गन्दा मिलता है । तो मेरा सुझाव है कि इसके लिए टेक्नीकल चीफ इन्जीनियर वगैरह भी हैं, तो वह ऐसी व्यवस्था करें जिससे जोधपुर शहर में गंदा पानी नहीं मिले ।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

दूसरा, मैं एक मेरा सुझाव और देना चाहती हूं। जोधपुर शहर के अन्दर गन्दगी का ढेर जगह-जगह रहता है उसकी वजह से पानी की पाइप लाइन का पता भी नहीं चलता कि कौनसी लाइन कहां है। तो जो भी माननीय मंत्री महोदय इससे सम्बन्धित हैं उनको मैं कहना चाहती हूं कि इसके बारे में भी वह विशेष ध्यान दें।

मुद्दे की बात अब मैं बताना चाहती हूं और मेरा सुझाव है, मैंने पत्र-व्यवहार भी किया और मेरी मांग भी है कि जोधपुर के अन्दर पानी की समस्या को देखते हुए वहां पर तीन जलाशय बनवाने के लिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी। इनके लिए स्वीकृति प्रदान करें। इसके लिए मैं थोड़ी-सी जानकारी देना चाहती हूं कि जसवन्तखड़ा दीपाड़ी के अन्दर एक जलाशय बनाया जाये जिससे उम्मेद चौक, मोती चौक, त्रिपोलिया, नायों का बास, महरों का चौक, माणक चौक, लाडकाना मोहल्ला, नाइयों का गुब्बा, होली का चौक, कलाल कालोनी व रावतों का बाग आदि क्षेत्र को पानी मिल सकेगा। इसके साथ ही साथ दूसरा एक जलाशय बनाने की स्वीकृति चाहती हूं, बाईजी का तालाब में उच्च जलाशय के लिए स्वीकृति प्रदान की जाये क्योंकि इस क्षेत्र के निवासियों को पानी बाईजी महाराज के आश्रम से आता है और पानी आने के अन्दर बहुत समय लग जाता है इसकी वजह से उसमें प्रेशर नहीं होता है और लोग गड्ढा खोद-खोद कर पानी भरते हैं।

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : कैसे समाप्त करूं ? मैं अपनी पूरी बात कहे बिना नहीं करूंगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बोलने वालों को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप बोलने दें।

श्री सभापति : प्रोटेक्ट तो करना करना चाहिए लेकिन समय तो मेरे हाथ में नहीं है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप व्यवधान मत कीजिए, कृपया।

श्री सभापति : मैंने सुन ली बात आपकी। मेरा यह काम है, मेरा कर्त्तव्य यह है कि मैं समय सीमा के अन्दर सब लोगों को बुलवा कर समाप्त करूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मोरी का चौक, सिलावटियों का बास, जसवन्त सराय, रायसांथी जी का नोहरा आदि स्थानों पर इससे सप्लाई हो सकेगी। तीसरी मेरी मांग है, सीवान जी गेट के ऊपर मीखा प्याऊ के पास जलाशय बनाया जाया यह काफी महत्वपूर्ण है। मीखा प्याऊ का क्षेत्र शमशान के पास आया हुआ है। यहां कई अल्पसंख्यक गरीब तबके के लोग रहते हैं, यहां जलाशय बन जाने से उनको पानी मिलेगा जो काफी दूरदराज से पानी ला रहे हैं। उन लोगों को जलाशय बनने से पानी की सहूलियत मिलेगी। तो माननीय सभापति महोदय, इस क्षेत्र की सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरी सारी बातें कही हैं।

इसके साथ ही साथ में एक थोड़ा सा और कहना चाहती हूं कि जहां-जहां भी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जलाशय और पानी के टैंक हैं उसके आसपास कोई भी बस्ती नहीं बसानी चाहिए। आज तक देखने में आया है कि जहां-जहां जलाशय और पानी की टंकियां हैं वहां पर आसपास में बस्ती बसी हुई है । वह बस्तियां जहां जलाशयों के बनाये जाने की योजना हो वहां नहीं बसानी चाहिए और जहां पर यह बस्तियां हैं उनको दूसरी जगह बसा देनी चाहिए । जैसे कि फतेहसागर नये तालाब के ऊपर एक पानी का बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है मगर मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि वहां पर एक बस्ती बसाने की योजना है । तो उसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें कि ऐसी और बस्तियां इन जलाशयों के पास न रहें । जोधपुर की पानी की समस्या ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगी कि आप यह घोषणा करें कि यह तीनों जलाशय इसी बजट में आप सैंक्शन करेंगे और जोधपुर शहर में पाइप लाइन लम्बे अरसे से कहीं पर भी नहीं डाली गयी है, न कोई पुरानी कोई चैन्ज की गई है उसको अविलम्ब चैन्ज करायेंगे ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री रामनारायण वर्मा (अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा ।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो पानी की समस्या है उसको महिला ज्यादा समझती हैं। आप महिलाओं को समय दीजिए ।

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा । बिराजो श्री रामस्वरूप मीणा ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे लेट समय दिया उसके लिए मैं आपको लेट धन्यवाद प्रस्तुत कर रहा हूं ।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम, में दो तहसील, एक नगरपालिका दो पंचायत समितियां हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र की भूमिका में आपको बताना चाहता हूं पानी के हिसाब से । माननीय मंत्री जी, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें कृपया । आप पीछे मुड़कर देख लो या फिर मेरी बात को सुन लो । मैं बार-बार कह रहा हूं, मंत्री महोदय, मेरी बात पर आप ध्यान दीजिए । माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पानी की भयंकर समस्या है । (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आपके कहने के बाद अब मंत्रीजी मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और मैं जो समस्या बताऊंगा उसको लिखेंगे भी । माननीय सभापति महोदय, बार-बार जो व्यवधान कर रहे हैं उनको आप बैठायें ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नादौती माल इलाका है । इस इलाके के अन्दर कुओं में कतई पानी नहीं है यह कोई नयी बात नहीं है । हमेशा से नहीं है प्राकृतिक प्रकोप से वहां । माल इलाका

(श्री रामस्वरूप मीणा)

केवल मात्र वर्षा के ऊपर निर्भर रहता है । माल इलाके में जब कुएं में कभी भी पानी नहीं रहा है, सौ साल से रिकार्ड रहा है, ऐसे माल इलाके के अन्दर नल योजनाएं कुछ तो आपने पहले चालू कर रखी हैं, हमारी पहले वाली सरकार ने कर रखी हैं और अब भी आपने कुछ योजनाएं पास की हैं लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि साल भर हो गया, योजनाएं आपने पास की हैं उसके बावजूद आज एक भी योजना चालू नहीं हुई है । कृपया मुझे इस बात का जवाब दें कि नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ? माननीय मंत्रीजी, आपका व्यवहार, आपकी शालीनता आपका जो अनुभव है मैं विश्वास करता था कि आप हमारे साथ भेदभाव नहीं बरतेंगे और मैं आपसे कई बार मिला भी था समस्याओं के बारे में, आपने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपने मेरी बात को पूरी करके नहीं दिया । मेरी जो समस्याएं हैं, मेरी जो योजना हैं वह आपके यहां आकर पड़ी हुई हैं विभाग के अन्दर और योजना पास होकर नहीं गयी हैं । माननीय मंत्रीजी, मेरे माल इलाके के अन्दर दूसरी समस्या जो भयंकर है वह है खारे पानी की । पानी अगर निकल आता है, हैंड पम्प में निकल आता है या किसी में भी पानी निकल आता है वह सब कड़वा पानी है बिलकुल । कड़वे पानी को मीठा पानी में बदलने की कोई व्यवस्था करें । आप दूर से पानी ला रहे हैं और बहुत दूर से जो पानी आता है । मैं निवेदन कर दूं कि हमारे विद्युत मंत्रीजी हैं, अभी तो खैर यहां बिराजमान नहीं हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की समस्या और बिजली की समस्या दोनों ही एक सी बनी हुई हैं । जब तक बिजली सही नहीं मिलेगी तब तक आपकी योजना सही नहीं चल सकती । बेकार हैं आपकी योजना, करोड़ों रुपया आपने खर्च कर रखा है और माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हुए नहीं हैं, कृपया आप उन माननीय मंत्रीजी से यह कहें कि इसके लिए अलग लाइन लगाई जाये और उस लाइन को चौबीसों घंटे बिजली मिले ताकि यह पानी की समस्या हल हो सके ।

(9.20 रात्रि)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

आपके रिकार्ड में पानी की समस्या आपने हल कर रखी है, दुनिया भर की योजनायें दिखा रखी हैं, दुनिया भर के गांवों में पेयजल की सुविधाएं बता रखी हैं लेकिन क्या आप कभी मौके पर भी गये हो ? इसलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं और आपको करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे क्षेत्र की योजनाओं को कृपया तुरन्त ही मन्जूर करने की घोषणा करें । क्योंकि अब गर्मियों के दिनों में बहुत विकट समस्या पैदा हो जायेगी इसलिए पहले तो आप विद्युत मंत्रीजी से सम्पर्क करें और इस बात के लिए उन्हें पाबन्द करें । यह हमारी विकट समस्या है । पानी, हवा ऐसी चीजें हैं जिसके बिना आदमी जिन्दा नहीं रह सकता । आप इन चीजों पर रोक लगा रहे हैं इसलिए आप मंत्रीजी को कहिये पानी की समस्या का हल तभी होगा

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जब बिजली की समस्या हल होगी। इसलिए आप कृपया विद्युत मंत्रीजी से सदन में आश्वासन दिलावें कि पानी की योजनाओं को विद्युत 24 घंटे दी जायेगी ताकि टंकियों में पानी जा सके।

बहुत-सी जगह पर आप डायरेक्ट पानी दे रहे हैं। गांवों में जहां टंकी नहीं बनाई है वह केवल मात्र बिजली पर निर्भर है। ऐसे 80% गांवों को आप डायरेक्ट पानी दे रहे हैं जिनका सारा मामला ही बिजली पर निर्भर है। जब बिजली आती है तो वह पम्प करते हैं, गांवों को पानी मिलता है। बिजली तीन-तीन दिन तक गायब हो जाती है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, दो-दो महीने तक आते नहीं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ऐसी विकट समस्या पर आप ध्यान नहीं देते हो। मंत्री महोदय, माननीय विद्युत मंत्रीजी को पाबन्द करें, कोई ट्रांसफार्मर जलता है तो उसकी 24 घंटे में व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पानी की समस्या हल हो सकें।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो हैण्डपम्प लगते हैं उनकी आप कृपया गहराई तो देखें। वहाँ प्रमाण पत्र ले लिया जाता है सरपंच का। मैं आपको हकीकत बताता हूं, जिस साल हैण्ड पम्प लगे उसी साल बन्द हो गये। क्या फायदा? आप हजार, दो हजार रुपया लगाते हो, इससे जब पानी नहीं मिलता तो क्या फायदा इनका? इसलिए आप हैण्डपम्प उस जगह पर लगवानें जहां पानी हो और हरे लगवाये जायें ताकि वह 10–12 साल तक पानी दे सकें। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके 99% हैण्डपम्प खराब रहते हैं। इनके लिए आप कोई स्थायी हल सोचें। अगर आप मानें तो एक सुझाव दे सकता हूं कि गांव का मिस्त्री आप तैयार करें और उस मिस्त्री को हैण्डपम्प ठीक रखने की जिम्मेदारी दे दें। अगर वह मिस्त्री उन हैण्डपम्पों को ठीक नहीं रखता है तो आप उस मिस्त्री को ठीक कर दीजिए। आप मिस्त्री को हमेशा के लिए रिजर्व कर दें ताकि लोग जो पंचायतों के चक्कर लगाते हैं, कभी एक्स. ई. एन. और कभी आपके चक्कर लगाते हैं हैण्डपम्प के लिए, वह बन्द हो। बड़े दुख की बात है कि हैण्डपम्प आपके द्वारा लगाया जाता है और आपके द्वारा ठीक कराया जाता है आप ऐसी छोटी-छोटी बातों को देखेंगे तो हमारी योजनाओं का क्या होगा? इसलिए आप कृपया इन बातों का स्थायी हल ढूंढें और ट्रेण्ड मिस्त्री गांवों में बैठा दें जिसकी हैण्डपम्प ठीक करने की जिम्मेदारी हो।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी हमारे यहां योजना पास की आपने, जो विभाग में पड़ी हुई हैं, क्या आपने उनको देखा है? नहीं देखा होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे टोडाभीम की जितनी भी नल योजनाएं हैं आप कृपया देख लें कि वह क्यों पड़ी हुई हैं क्यों उन पर आब्जेक्शन लगा दिये गये। पानी की समस्या है उसका तुरन्त हल करें।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

सभापति महोदय, आप अभी से घंटी

श्री रामस्वरूप मीणा)

जाने लग गये, बड़ी मुश्किल से मुझे वसर मिला है, 11 बजे का बैठा हूं, रात ो 12 बजे तक बैठता हूं रोजाना। पब्लिक ी बात है, महत्वपूर्ण समस्या है, घंटी नहीं जायें आप। यह खतरे की घंटी मानी ायेगी आप बजाओगे तो। इसलिए, ाननीय सभापति महोदय....

श्री डूंगरराम पंवार : रात के 12 बजे या मक्खन निकालोगे इसमें बोल-बोल र ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं सुझाव दे हा हूं, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। बहुत ल निकलेगा।

एक सुझाव मैं देता हूं, आपने अब तक ी जो तबादला नीति बनाई है कृपया इस ीति को आपके विभाग में न तो नहीं आने ं। मेरा यह निवेदन है कि आप क्षेत्र में केसी भी अफसर को लगाते रहो, चाहे वह एक्स. ई. एन., ए. ई. एन. या जे. ई. एन. है, 6 महीने में तो उसको पता लगता है कि कैस गांव में क्या समस्या है, 6 महीने बाद आप उसका तबादला कर देते हो, फिर नया आता है उसको पता ही नहीं कि गांव में क्या समस्या है, फिर उसका तबादला कर देते हो। माननीय मंत्रीजी, अगर यही नीति आपने अपनाई इस विभाग में तो तबाह हो जायेगा, गांवों में पानी की समस्या हल नहीं होगी। आप इन अफसरों के, कर्मचारियों के कृपया कम से कम तबादले करें। आपकी नजर में जो ईमानदार हो उसको सोच विचार कर एक बार में ही लगा दो। मत मानिये आप हमारी भी और मुझे पता है इसमें आप किसी की नहीं मानते हो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आप चाहे किसी की मत मानो पर जिसको ईमानदार समझते हो उसको लगा दीजिए। कम से कम उस आदमी को साल भर का अवसर दें आप ताकि वह गांव की जानकारी तो ले ले और उसको पता लग जाय किस गांव में क्या समस्या है। उस व्यक्ति को आप स्थायी रखें चाहे अफसर हो, चाहे कोई भी हो।

अब आखिरी एक और निवेदन करना चाहता हूं। आने वाला समय भयंकर आ रहा है। हर साल बढ़ती हुई मांग, पानी की समस्या, जल स्तर का नीचे चले जाना और जो आपकी 10-10, 20-20 साल पुरानी योजनाएं हैं वह भी फैल होने जा रही हैं। योजनाएं जो नगरों की हैं, जैसे टोडाभीम नगर है, नादोती नगर है, इन नगरों में आप बड़ी योजनाएं तुरन्त बनावें। पानी जब खतम हो जायेगा उस समय आप योजनाएं चालू करेंगे तो क्या भयकर स्थिति होगी, माननीय मंत्री महोदय, आप तो यहाँ रह जाओगे लेकिन यह अधिकारीगण गांवों में जायेंगे, हम जन-प्रतिनिधि जायेंगे....

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप इन अधिकारियों का घेराव कराना चाहते हो, हमको पिटवाना चाहते हो, मरवाना चाहते हो तो मत करो हमारी समस्याओं को। सुनना पड़ेगा आपको हमारी समस्याओं को। आने वाला समय किसी को नहीं बख्शेगा।

श्री सभापति : श्री मदनलाल सैनी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : जनता न इन अधिकारियों को बख्शेगी न हमें बख्शेगी । हमें पता है क्या गुजरती है इन अधिकारियों के साथ जब जिला परिषद् और पंचायत समिति की मीटिंग होती है ।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए, सभापति महोदय, आप हमारी समस्या पर जल्दी से जल्दी ध्यान दें और जितने भी हैण्डपम्प हमारे मन्जूर पड़े हैं उनको लगवावें, अधूरे पड़े हैं उनको चालू करवावें । यही मेरा आपसे निवेदन है मुझे विश्वास है, माननीय मंत्री जी मेरी बात का जबाव देंगे । (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : क्या सारा समय इनके लिए है हाउस का ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठ जाइये, कृपया मैंने उनका नाम पुकारा है वह खड़े रहेंगे, आप बैठ जाइये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं धन्यवाद देने के बाद बैठूंगा । (व्यवधान)

आपने मुझे जो टाइम दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मंत्री महोदय से आशा करता हूं मेरी समस्याओं का जवाब जरूर देंगे, यही मेरा निवेदन है ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उन घोटालों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनकी अ' चर्चा हुई । हैण्डपम्प घोटाला चला, पा' घोटाला चला उनके बारे में मंत्री महोद क्या जांच करा रहे हैं ?

टी. एस. एस. के बारे में मेरा सुझा है । बिजली हम लगाते हैं, कुआं हम तैया करवाते हैं, बिजली का पेमेण्ट हम करते केवल मरम्मत का काम पंचायत को देते इसके कारण से समय पर व्यवस्था न होती और मोटर काफी समय तक खरा पड़ी रहती है, चन्दे चिट्ठे होते हैं उसवे बाद में मोटर बेच दी जाती है या कोई उठ ले जाता है । हमने जो एक अच्छी योजन चलाई इस पर किस प्रकार अंकुश आ उसके लिए मेरा सुझाव है, टी. एस. एस को विभाग को अपने हाथ में लेना चाहि और हैण्डपम्प जो पंचायतों के जिम्मे कि गये हैं, हम एक हैण्डपम्प के नाते 20 रुपया आज दे रहे हैं और उस हैण्डपम्प क यदि हम विभाग के माध्यम से ठीक करायें तो हमें ज्यादा लाभ होगा । जो हम पंचायत को पर हैड मिस्त्री के देते हैं और पंचायत मिस्त्री को देती है उसमें 94 रुपये का अन्तर है यह अन्तर भी नहीं रहेगा और जिम्मेदारी पूर्वक विभाग के माध्यम से काम होने से ठीक काम हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सारी व्यवस्था है उसको करने का काम इस कर्मचारी वर्ग पर निर्भर रहता है । उस कर्मचारी के बारे में विभाग ने नहीं सोचा आज पेयजल गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में पहुंचाने की बात की रही है लेकिन मैं पूछना चाहूंगा माननीय

श्री मदनलाल सैनी)

मंत्री महोदय को कि कितने कर्मचारी मस्टर रोल पर थे उनको आपने स्थायी किया, कितने लोग वर्क चार्ज पर थे, उनको सेमी परमानेंट किया ? यह आंकड़ा भी माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे तो पता लगेगा कि जिस अनुपात में राजस्थान के गांव-गांव में पेयजल समस्याओं का हमने समाधान किया है उस हिसाब से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई। जो कर्मचारी थे उनको प्रमोशन नहीं मिला। आज कैडर, स्ट्रेन्थ की बात चल रही है उसका भी फैसला नहीं हुआ हम नार्म्स बना रहे हैं बजट के आधार पर। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि नार्म्स काम के आधार पर तय होने चाहिये। जितने आदमी हमको चाहिये उतने आदमी रखने चाहिये और उसके कारण से यदि बजट ज्यादा बनाना पड़ता है तो बजट को बढ़ाना चाहिये। कम बजट के कारण से कर्मचारियों की संख्या कम नहीं होनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि कुछ इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां कुछ गांवों में, कुछ ढाणियों में कुआं बना हुआ है लेकिन टंकी की जरूरत है, कई जगह टंकी और कुआं दोनों बने हुए हैं वहां बिजली के कनेक्शन की जरूरत है, कई जगह कनेक्शन हैं वहां पाइप लाइन की जरूरत है। इस प्रकार के काम का सर्वे कराने के बाद वहां पर योजनाए चालू करनी चाहिये तभी जनता को लाभ मिलेगा, टंकी और कुए का भी उपयोग हो सकेगा। इस प्रकार से कम खर्चे में बड़ा काम हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं झुंझुनू जिले के उन क्षेत्रों की ओर, जो डार्क जोन से प्रभावित हैं वहां जल का स्तर नीचे जाता जा रहा है, कुए सूखते जा रहे हैं। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं—जैसे खेतड़ी का क्षेत्र है, सूरतगढ़ का क्षेत्र है, उदयपुरवाटी का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में एक ओर तो जल स्तर नीचे जाता जा रहा है और दूसरी ओर हिन्दुस्तान कापर प्रोजेक्ट को हमने पानी लेने की आजादी दे रखी है, उसके कारण से पानी का स्तर और भी नीचे जाता जा रहा है। 30,000 क्यूबिक लीटर पानी प्रतिदिन वहां पर काम में लिया जाता है। मेरा सुझाव है, राजस्थान की सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करें कि हरियाणा से नहर के द्वारा पानी आये और वह नहर का पानी कापर प्रोजेक्ट के काम आयेगा तो सिंचाई काम में आने वाला, पीने के काम आने वाला पानी उस उपयोग में आ सकेगा। मान्यवर, ये जो क्षेत्र हैं, ये डार्क जोन से प्रभावित क्षेत्र हैं इससे लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा।

मैं मेरे क्षेत्र उदयपुरवाटी की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछली सरकार के समय वहां पर 17 टंकियां मंजूर हुई थीं और उन टंकियों में से एक बनी है। एक चालू है। एक साल हो गया, 17 में से 2 टंकियां बनी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, बजट के कारण आपके सामने कठिनाई आ रही होगी, पैसा सीमित है लेकिन फिर भी जो क्षेत्र उपेक्षित रहा है, जो क्षेत्र डार्क जोन से प्रभावित है या जहां कुओं में पानी नहीं है, इस प्रकार के क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये। जो सरसब्ज जिले हैं, उनकी तुलना में सूखे क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था पर अधिक पैसा अतिरिक्त

(श्री मदनलाल सैनी)

राशि बजट में अलाट करना चाहिये, यह मेरा निवेदन है। मैंने विभाग के अधिकारियों को और आपको सूची दी है कि किस प्रकार से और कहां-कहां पर क्या आवश्यकता है। गांवों की सूची को मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं समझता हूं मेरी दी हुई सूची पर गौर करके उसके अनुसार कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे।

मान्यवर, हैण्डपम्प मिस्त्रियों का बाहर आंदोलन चल रहा है और उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज 666 रुपये एक मिस्त्री के लिए दे रहे हैं और पंचायत समिति उनको दे रही है 572 रुपये। यह उनके साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को खतम करने के लिए हैण्डपम्प के मिस्त्रियों को विभागीय कर्मचारी स्वीकार किया जाय। कोई शिकायत नहीं रहेगी कि हैण्डपम्प खराब हो गया या गड़बड़ हो गया। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो मिस्त्री हैं इनको पंचायत कर्मचारी या डिपार्टमेंट का कर्मचारी घोषित करना चाहिये। सरकार को 94 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से बचेगा। यह भी मेरा कहना है, मान्यवर, आज जो कर्मचारी हैं, उनके बारे में स्थिति क्या है? कई महीनों से कर्मचारियों के मांग पत्र पैंडिंग पड़े हैं। डिपार्टमेंट को इस सम्बन्ध में बातचीत भी हुई, आपके साथ बातचीत हुई, मैं भी थोड़े समय के लिए बातचीत में आया था लेकिन उसकी क्रियान्विति क्या हुई? यदि क्रियान्विति नहीं होगी, काम का रिजल्ट नहीं आयेगा तो कर्मचारियों में असंतोष बढ़ेगा। आपके सामने और विभाग के सामने समस्याएं होंगी लेकिन कर्मचारियों की अपनी समस्याएं हैं। आज गांव वाले कर्मचारी को हाउस रेन्ट अलाउन्स नहीं मिलता। आप गांव में भी कर्मचारी भेजना चाहते हैं, जहां पर सुविधाएं नहीं हैं और हाउस रेन्ट भी देना नहीं चाहते। आप भेजना भी चाहते हैं लेकिन अर्द्ध स्थायी नहीं करना चाहते। वर्क चार्ज के सर्विस रूल्स में 2 साल का नियम है उसको भी आप तोड़ना चाहते हैं। यह जो सारी स्थिति है इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ेगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की जो स्थिति है, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, विभाग की जो स्थिति है, उसके अनुसार उनका समाधान करेंगे।

एक बात और उठाना चाहता हूं, कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में। मैं बातें और भी उठाना चाहता था लेकिन समय कम है। मान्यवर, यहां कनिष्ठ अभियन्ताओं को लेने की बात थी। विज्ञापन निकला था। उस विज्ञापन के अनुसार अप्लाई करने की तारीख थी कितनी बड़ी अनियमितता हुई है? आप जांच करेंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। हमें प्रार्थना-पत्र लेना था, 30-7-88 तक फार्म भरने की तिथि थी पर साक्षात्कार 15-4-88 को ही ले लिये। यानी जो फार्म भरने की ड्यूडेट थी उसके पहले ही इन्टरव्यू करके कर्मचारियों को ले लिया। कितनी बड़ी गड़बड़ हुई होगी, आप इसकी कल्पना कीजिये। जिन लोगों का इसमें हाथ है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे, मैं यह सोचता हूं।

जलदाय विभाग के बारे में मेरे क्षेत्र उदयपुरवाटी, जो डार्क जोन से प्रभावित है, मैं गिरावड़ी के बारे में एक-दो नयी स्कीम बनाने के बारे में कहना चाहूंगा।

(श्री मदन लाल सैनी)

सहकारिता मंत्री से एक ही सवाल करके मैं अपना कथन पूरा करना चाहूंगा। 77 में जनता सरकार ने भरतपुर को-आपरेटिव बैंक के बारे में जो 349 सहकारी समितियों के बारे में गड़बड़ घोटाले का आरोप लगा था उसकी जांच कराई थी। 82 लाख रुपये का वहां गड़बड़ घोटाला मिला था। क्या माननीय सहकारिता मंत्री महोदय इसकी कोई जांच करेंगे? अपने उत्तर में वे बतायेंगे तो अच्छा रहेगा। वहां के मजदूरों को निकाला गया उसके बारे में किसको दोषी ठहराया गया, यह भी आप बताने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा।

आपने समय दिया, धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति : डा. जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में पेयजल और सहकारिता के सम्बन्ध में मांगों पर चर्चा हो रही है और इस सदन के समक्ष मैं इसी सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा।

राजस्थान भारतवर्ष का ऐसा प्रदेश है जहां जल संसाधनों की नितान्त कमी है। इस सदन में आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के 27 जिले हैं इनमें पेयजल की विभीषिका सबसे अधिक स्तर पर जैसलमेर जिले में है। इसका सही आकलन तभी किया जा सकता है जब आप उस जिले में जायें और भ्रमण करें। इस जिले के नागरिक पेयजल के अभाव से कितने संत्रस्त हैं उसकी वास्तविक अनुभूति आपको तभी हो सकती है। इस जिले में पेयजल का इतना अभाव है कि वहां की आम दिनचर्या में बूंद-बूंद पानी का बहुत महत्व है और जल प्राप्ति उनकी दिनचर्या में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम तो जैसलमेर शहर और कई ग्रामों के लिए प्रस्तावित बजरूप सागर पेयजल योजना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसलमेर में वर्तमान में जो पेयजल सप्लाई किया जा रहा है वह बावला से किया जाता है। यहां से सप्लाई किये जाने वाले पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। इसके उपरान्त जो ट्यूब वैल हैं, उनमें पानी सूख रहा है, मिट्टी आने लग गयी है और पानी का अभाव हो गया है। इस कारण यह अतिआवश्यक है कि इस बजरूप सागर पेयजल योजना को त्वरित गति से शीघ्रातिशीघ्र कम्प्लीट किया जावे। जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसके अनुसार 15 सितम्बर तक यह योजना कार्यान्वित हो जानी चाहिये थी परन्तु अभी तक नहीं हुई है। इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री महोदय को दोष नहीं देना चाहता क्योंकि इनके विभाग ने अपना कार्यक्रम सम्पन्न कर दिया है परन्तु इंदिरा गांधी नहर विभाग ने अभी तक बेवा माइनर में 47 आर. डी. पर जल उपलब्ध नहीं कराया है। मैं माननीय मंत्री महोदय को इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि इनके विभाग ने मेरे जिले में अच्छा काम किया है और मुझे वास्तविक रूप में इनके विभाग से कोई शिकायत भी नहीं है। परन्तु चंद सुझाव हैं जो मैं इनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो ग्रामीण पेयजल

(डा. जितेन्द्र सिंह)

योजनाएं हमारे जिले में हैं या हो सकता है राजस्थान के अन्य जिलों में भी हो, उनमें जल का क्लोरीनेशन करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आखिर हम मनुष्यों को पानी पिला रहे हैं, पशुओं को नहीं। और यदि उनके स्वास्थ्य का खयाल रखना है तो हमें इस तरफ संवेदनशील होकर उचित क्लोरीनेशन करना नितान्त आवश्यक है।

इसके उपरांत मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिब्यूशन्स लाइन्स है जैसलमेर शहर में एवं पोकरण में, उनका नवीकरण करना आवश्यक है। वह बहुत पुराने समय में लगाई गयी थी, वे न्याय-संगत तर्कसंगत नहीं रही हैं। जल का उपभोग बढ़ गया है, और नयी लाइन्स लगायी जायें। जैसलमेर शहर के लिए एक उपर्युक्त सीवरेज योजना भी बनायी जाय और उसकी क्रियान्विति शीघ्रातिशीघ्र कराई जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि राजस्थान में पहले 40 लीटर प्रति व्यक्ति जल का प्रावधान किया गया था उसको रिवाइज करके जनसंख्या बाहुल्य जिलों में 40 टू 70 स्कीम इम्प्लीमेण्ट की गयी और 70 लीटर का प्रावधान किया गया। परन्तु माननीय मंत्रीजी 70 लीटर का प्रावधान भी हमारे जिले में कम पड़ता है क्योंकि यह पशुधन बाहुल्य जिला है। आपके विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा इस दृष्टि से सर्वेक्षण करवाया गया था और 70 लीटर के स्थान पर वास्तविक रिक्वायरमेण्ट 150 लीटर बतायी गयी। जल तो एक बेसिकनीड है। कोई भी प्राणी को जल उपलब्ध करवाना हमारा कर्तव्य है। चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो पानी तो आप पिलायेंगे ही वरना वह जीवित कैसे रहेंगे और इस जिले की जो इकानामी है वह पशुपालन पर है, कृषि पर नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और इसको न्यायसंगत और तर्क-संगत बनायें क्योंकि 40 से 70 का रेश्यो इस जिले में कम पड़ रहा है। आप इसका वास्तविक सही आकलन करवा लें, दुबारा सर्वेक्षण करवा लें। इसके लिए मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करूंगा, आप तो स्वयं इस चीज से परिचित हैं कि जो रेगिस्तानी इलाके हैं उनके लिए तो पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र से विशेष सहायता प्राप्त होती है, उसको उचित रूप से हमारे जिले में लागू की जाय।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान ग्रामीण पेयजल योजना की तरफ आकृष्ट करूंगा। हमारे जिले में 63 नये रेवेन्यू विलेजेज बने हैं और जलदाय विभाग द्वारा यहां से प्रस्तावित किया गया था कि उन 63 गांवों में जल उपलब्ध कराया जायेगा। पोकरण उपखण्ड में 18 और जैसलमेर उप खण्ड में 15 गांव हैं परन्तु मुझे दुःख है कि यहां से केवल 20 न्यू रेवेन्यू विलेजेज की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कृपया इनको रिवाइज करें और तर्कसंगत बनायें।

इसके उपरांत जिले की टेक्नीकल संक्शन के लिए कई स्कीम्स आपके मण्डल में पड़ी हैं, कृपया उनकी शीघ्रातिशीघ्र क्लियरेंस करवायें। मैं आपसे और निवेदन करूंगा कि फलसिर, तलाऊ और भणियाणा की ढाणियों में जो लोग निवास करते हैं उनके लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत की जा चुकी है उसके लिए केन्द्र सरकार से सहायता

(डा. जितेन्द्र सिंह)

उपलब्ध करायी गयी है, कृपया उसे शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करायें।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं दो मिनट लूंगा मान्यवर सभापति महोदय।

इसके उपरांत जो कन्टिन्जेन्सी फण्ड्स हैं उनका भी प्रावधान ट्यूब वैल के लिए जैसलमेर जिले में करवाया जाय क्योंकि यहां यह नितान्त रूप से आवश्यक है।

माननीय विद्युत राज्य मंत्री यहां सदन में उपस्थित हैं इसलिए मैं इनसे भी यह निवेदन करूंगा कि कृपया जो खुडी और सोनू गांव में स्कीम के हैड वर्क हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र इलैक्ट्रिफाई करवाया जाय ताकि इस योजना में सफलता शीघ्र हासिल हो और इसकी एफीशियेंसी बढ़ जाय। मैं और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विशेष कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जिन ग्रामीण इलाकों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है वहां सौर ऊर्जा के पम्प लगाये जायं जिससे बिजली और डीजल दोनों की बचत होगी। सरकार को एक बार तो धनराशि व्यय करनी पड़ेगी पर लौंग रन में वह ज्यादा इकानामिकल और एफीशियेंट साबित होंगे। मेरा एक और निवेदन है कि पोकरण में एक पांच लाख लीटर की नयी जल की टंकी बनायी जाय। जो पुरानी टंकी है वह बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करें।

इसके उपरांत मैं अपना स्थान ग्रहण करूं उसके पहले मैं, मरुविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जो जिले को....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

डा. जितेन्द्र सिंह : सहायता प्राप्त हुई है उसमें 36 लाख रुपये का प्रावधान जैसलमेर खण्ड और 37 लाख रुपये का प्रावधान पोकरण खण्ड के लिए किया गया है। इसमें से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ फण्ड्स इसके अलावा विभाग सोर्स और पाइप लाइन के लिए भी उपलब्ध करायें जो कि नितान्त आवश्यक है। मैं एक और आपसे निवेदन करूंगा, कल मैंने चिकित्सा और स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर भी सरकार से निवेदन किया था कि जो सरकार ने मापदण्ड स्थापित किये हैं उनका जैसलमेर के लिए पुनर्मूल्यांकन हो क्योंकि यहां की भौगोलिक परिस्थिति विशिष्ट है। जैसे आपके पेयजल विभाग का मापदण्ड है कि 5 हजार की आबादी से कम ग्रामीण क्षेत्र में आप डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। मुझे इस बात का दुःख है कि मेरे जिले में केवल एक गांव 5 हजार की आबादी से ज्यादा का है और कोई गांव नहीं है।....(व्यवधान)

आप पेयजल उपलब्ध करवा दें तो सभी हो जायेंगे। आप तो पानी पिलाइये, सभी हो जायेंगे।

श्री सभापति : समाप्त करें।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, सदन में मांग संख्या–27, पी. एच. ई. डी. की बहस में मैं भाग लेता हुआ सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय को मेरी ओर से ही नहीं सारे राजस्थान की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जब से यह विभाग संभाला है, आपके विवेक और कार्यकुशलता से जितनी समस्याएं पूर्व में कांग्रेस राज में जिस रफ्तार से बढ़ीं उसी रफ्तार से उसकी व्यवस्था करके समाप्ति की ओर बढ़े और समस्याओं को समाप्त किया। और समस्याओं को समाप्त ही नहीं किया, सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए राजस्थान की जनता आपकी बहुत-बहुत आभारी है। आपके विवेक और कार्यकुशलता की वजह से कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन लाये, आप, उसका निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को आभास होने लगा है कि आने वाले समय में यह जो पीने की समस्या जल की पूरे राजस्थान में है वह निकट भविष्य में समाप्त होगी। पहले पूर्व सरकार कांग्रेस ने एक प्रणाली बना रखी थी कि मई, जून, जुलाई में जब गांवों में और शहर में पानी की समस्या हो तब उस पर विचार करना और निर्णय लेना और बजट अलाट करना। पर अब तुरन्त मंजूर हो रही है। इस प्रकार जो योजना बनती है वह वास्तव में लाभप्रद और जनता के हित में होती है और उसको सुविधाएं पहुंच सकती हैं। यह जो प्रणाली आपने कार्यान्वित करने के लिए शुरु की है उसके लिए तो आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आपके विवेक और कार्यकुशलता के कारण पी. पी. सी. एल. की मीटिंग जो पिछले आठ साल में 60 की संख्या में हुई थी, औसतन हर वर्ष सात–आठ होती थी लेकिन आपने जो समस्याओं को समझा और वास्तव में उसको हल करने के लिए मानस बनाया उसका परिणाम है कि एक साल में पी. पी. सी. एल. की 20 मीटिंग करके 275 ग्रामीण और शहरी योजनाओं को पास किया। यह सब आपकी कार्य शैली, कार्य कुशलता और साथ में आपके डिपार्टमेंट की जो टीम है, चीफ इन्जीनियर साहब, भार्गव साहब और उनके साथी, उनकी वजह से आप यह सारा कर पाये। हैण्डपम्प के लिए भी पिछली कांग्रेस सरकार ने····

श्री टीकमचन्द कांत : आपकी दो चार ज्यादा योजना मंजूर कर दी होगी।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं वास्तविकता बता रहा हूं। फिगर्स से कह रहा हूं।

हैण्डपम्प के लिए भी मैं आपको बताऊं पिछली कांग्रेस सरकार ने जितने भी सैंक्शन किये, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में हैण्ड पम्प्स लगाने के लिए वह मार्च अप्रेल में सैंक्शन करती थी और दो-तीन दिन में हां-हू मचाती थी। कुछ खोलते थे, कुछ खोदते थे, कुछ नहीं खुदते थे, गहरे बराबर नहीं होते थे और पैसा ठेकेदारों द्वारा उठा लिया जाता था। लेकिन माननीय भंवरलालजी मंत्री बने उसके बाद साल भर यह सैंक्शन करते रहे और धीरे-धीरे जैसे आवश्यकता होती थी उसके हिसाब से लगते रहे। जल्दी नहीं होने के कारण सैंक्शन के हिसाब से खुदते हैं। मैं आपको

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

इसी हैण्डपम्प की बताना चाहता हूं कि एक साल में चार हजार हैण्डपम्प खोदे गए और चार हजार के चार हजार हैण्ड पम्प ठीक हैं और काम कर रहे हैं।

पुराने हैण्ड पम्प जो खराब पड़े हैं उनके लिये मेरा कुछ सुझाव है। मैं समझता हूं कि इसमें सब तरह के प्रयोग कर लिये हैं। पंचायतों ने इसको चलाने का प्रयत्न किया और पंचायत समिति ने भी इसका प्रयत्न किया। अब मेरा सुझाव है कि इस पर अब कोई प्रयोग न करें और पी. एच. ई. डी. ही ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो हैण्ड पम्प हैं उनको ठीक करने की व्यवस्था करे। उनके पास साधन भी हैं और कारीगर भी हैं और उनको यह भी पता है कि कहां-कहां पर हैण्ड पम्प खुदवाये हैं और कैसी उनकी समस्या है और उसके लिये क्या-क्या सामान चाहिये। इसलिए पी. एच. ई. डी. के द्वारा ही इनको ठीक करवाया जाय।

अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में कुछ कहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र मसूदा है। मसूदा का नाम लेते ही वहां पर जितने अधिकारी बैठे हैं उनको उसके बारे में कल्पना होगी। मसूदा विधानसभा क्षेत्र भी है और पंचायत समिति हैड-क्वार्टर्स भी है, सबसे बड़ी पंचायत है। पर बड़े शर्म की बात है कि पिछले चालीस सालों से कांग्रेस की सरकार रही और वहां का विधायक कांग्रेस का होते हुए भी 15 दिन में एक बार पानी मिलता है और इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हरदम सत्ताधारी दल का एम. एल. ए. रहा है। मैं नम्र निवेदन करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र और पंचायत हैडक्वार्टर होते हुए भी वहां पर ऐसी व्यवस्था है। माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि कैसी भी व्यवस्था करें, कहीं से भी पानी आये लेकिन मसूदा को पानी मिलना चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। मैं एक दो बार मंत्री महोदय से मिला भी था कि नगर की ग्राम पंचायत के अधीन स्कीम है उसको पी. एच. ई. डी. ले ले पर उन्होंने सन्तोष-जनक जवाब नहीं दिया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। जनता तो पानी चाहती है। जनता ने इसी बात के लिए वोट दिया कि हमने चालीस सालों तक कांग्रेस को वोट दिया पर अब आपको देते हैं कि आप पानी देते हैं या नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि मसूदा के लिए कितना भी आन्दोलन करना पड़े, गांव वाले करेंगे पर पानी नित्य मिले, कितना भी मिले, मिलना चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : नहीं, सभापति महोदय, मेरा चालीस साल से बोलने का नम्बर आया है, मैं बोलूंगा।

मेरे क्षेत्र में केवल मसूदा ही नहीं इस प्रकार की 10–15 पंचायतें हैं जिसमें पानी तीन-तीन किलोमीटर से लाना पड़ता है। नगाड़ा है, बकियावास है, लोडाना है, सरगांव है, सरमालिया है, ब्यावर खास है उसमें दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है पर बड़े शर्म की बात है कि पिछले चालीस साल कांग्रेस का शासन रहा और यह बड़े-बड़े दावे करती रही कि हमने पानी की समस्या दूर कर दी है, अब कोई गांव ऐसा नहीं रहा जहां पानी

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

की समस्या हो, आप मेरे क्षेत्र में चलिए, दो-दो किलोमीटर से पानी लाते हैं। मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि इन पंचायतों, जो बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं, में पानी की व्यवस्था की जाय। हैण्डपम्प की व्यवस्था है उसको टैंक योजना में परिवर्तित किया जाय।

अब मैं मेरे गांव विजयनगर की तरफ आता हूं। मेरे क्षेत्र में एक नगरपालिका क्षेत्र है विजयनगर। वहां पर 57-58 में स्कीम बनी थी पानी की, उसमें चार सौ नल कनेक्शन की व्यवस्था थी। उस समय पापूलेशन थी पांच हजार, आज पापूलेशन है 25 हजार। टंकी वही की वही है, पाइप लाइन वही की वही है। कनेक्शन चार हजार हो गये लेकिन उसमें कोई वृद्धि नहीं। पानी पहले 72 घण्टे में मिलता था उसके बाद 90 घण्टे हो गया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पानी की समस्या तो है ही, 6 कालोनियां ऐसी हैं, बजरंग कालोनी, इन्द्रा कालोनी, राम बाजार, बलबीर कालोनी जिसमें पाइप लाइन तक नहीं है। आबादी शहरी क्षेत्र है लेकिन वहां पानी 72 घण्टे में मिलता है जो तो मिलता है, पाइप लाइन नहीं है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरा निवेदन है कि विजयनगर में जो 58 में स्कीम बनी उसमें आधे गांवों में तो डायरेक्ट पानी दिया जाता है, बिजली हो तो पानी दिया जाता है····

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अगर बिजली नहीं है तो पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। 72 घण्टे में भी बिजली पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि विजयनगर के लिए आपको स्कीम पास करनी चाहिए। नई टंकी की व्यवस्था करनी चाहिए और पाइप लाइन के लिए सैंक्शन करनी चाहिए। अभी 10 दिन पहले विजयनगर के लिए सैंक्शन मिली है।····

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की बात करूंगा ही।

श्री सभापति : आपकी जरूरी बात है। सभी की जरूरी बात है, माननीय सदस्य।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरा पहाड़ी क्षेत्र है उसके लिए मेरा सुझाव है (व्यवधान)।

श्री सभापति : आपको वकालत करने की जरूरत नहीं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पर पानी की बहुत समस्या है। पिछली सरकार अकाल राहत के समय टैंकर भिजवा देती थी लेकिन मैं चाहता हूं कि यह टैंकर भिजवाने से गांव में पानी की समस्या हल नहीं होती है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह एक समिति भेजे और उस क्षेत्र का

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

विकास करे। एक योजना बनी है बीसलपुर से मेरे क्षेत्र विजयनगर को पानी पहुंचाने के लिए। मेरे क्षेत्र को भी इस योजना से जोड़ा जाय। जिस समय यह अजमेर के लिए योजना पूरी हो जाय तो बाद की योजना है।....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : उसके बाद पाइप लाइन विजयनगर तक पहुंचाई जाय। एक औद्योगिक एरिया है गुलाबपुरा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया सीमा में रहें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अगर इसका और विकास करना है तो पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है। पीने के पानी की समस्या है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : पीने के पानी की समस्या इतनी भयंकर है कि 72 घण्टे में पानी आता है। मेरा यह आग्रह है कि जो बीसलपुर योजना बनी है विजयनगर के लिए.... (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या आपने किसी से प्रेरणा ली है इस प्रकार से बोलने की ? बैठ जाइये। श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, कृपा करके घंटी नहीं बजायें, मैं अपनी बात कहकर बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : धन्यवाद। पहले ही एडवान्स में धन्यवाद।

(10.00 रात्रि)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : गत चालीस वर्षों से राजस्थान के अन्दर कांग्रेस का शासन रहा है और इस कांग्रेस के शासन में पेयजल के नाम पर एक हजार करोड़ रुपया गरीब जनता का खर्च किया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार पेयजल के ऊपर कभी भी गम्भीर नहीं हुई। इसका परिणाम यह रहा, कई गांव पेयजल से वंचित रह गये, फ्लोराइडयुक्त पानी उनको पीना पड़ा। जन कल्याणकारी राज्य का प्रमुख दायित्व होता है राज्य में मीठा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के कारण भी राजस्थान में पेयजल समस्या एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। हिन्दुस्तान में दो करोड़ जनसंख्या फ्लोरोसिस से पीड़ित है जिसके कारण बच्चों, स्त्रियों और कई व्यक्तियों में फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से कुबड़ापन आ गया, बूढे हो गये, आंखों पर बहुत कम उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ा। इसलिए मैं पेयजल विभाग के माननीय मंत्री महोदय को सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 91–92 के बजट में पेयजल की योजनाओं के बारे में बजट में बढ़ोतरी की है, जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। एस. आर. की योजना, घरों के अन्दर डोमेस्टिक कनेक्शन के मामले में, राज्य सरकार की पांच हजार की जनसंख्या वाले गांव को डोमेस्टिक कनेक्शन देने की है। मैं राज्य सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 40–42 साल के पश्चात् भी आपकी जी. एल. आर. स्कीम, टी. एस. एस. स्कीम के कारण आज गांव की माता, गांव का नवयुवक कंधों के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

ऊपर पानी लेकर घर पहुंचाता है और पेयजल की पूर्ति करता है। पांच हजार की जनसंख्या के आधार पर एस. आर. स्कीम के तहत घरों में डोमेस्टिक कनेक्शनों की जो योजना है, इसमें आप संशोधन करें और कई हजार की जनसंख्या को आधार मानकर एस. आर. योजना लागू की जाये। गत विधानसभा सत्र में भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि जो पंचायत समितियों को हैण्ड पम्प दिये गये हैं, उन हैण्ड पम्पों को जलदाय विभाग ले लेगा और वही उनसे ठीक करवायेगा। मैं माननीय जनस्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, आज जो विधान सभा के माननीय सदस्य हैं, वह अगर अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपये का काम करवाते हैं, मगर गांवों के अन्दर अगर हैण्ड पम्प खराब है तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति, काश्तकार, नवयुवक पहले खराब हैण्ड पम्प की तरफ इशारा करता है। इसलिए मेरा कहना है कि पंचायत समितियों के पास इतना बजट नहीं है, इतनी राशि नहीं है, अतः जलदाय विभाग इस हैण्ड पम्पों को स्वयं के जिम्मे ले और जहां पर भी हैण्ड पम्प खराब हैं और जो बिल्कुल डैड हो गये हैं, वहां पर नये हैण्ड पम्पों का पुनः निर्माण करवाया जाये। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो गांवों और शहरों के अन्दर पुराने तालाब थे, बावड़ियां थीं, उनकी वापस मरम्मत पुराने की आवश्यकता है ताकि इमरजेन्सी के वक्त उन बावड़ियों से पेयजल की व्यवस्था की जा सके। गामाई पीचका का जहां तक सम्बन्ध है, गत कई वर्षों से गांव वाले गामाई पीचका से पानी पीते थे। फेमिन घोषित होने के पश्चात् अकाल राहत के तहत गामाई पीचका की खुदाई के लिए राज्य सरकार की तरफ से पांच हजार रुपये की राशि आवंटित की जाती है। मेरा निवेदन है कि पेयजल की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए जिन गांवों के अन्दर गामाई पीचका है, उन गांवों के लिए प्रति वर्ष पांच हजार रुपये की राशि दी जाये ताकि यदि कभी पेयजल या बिजली कमी के कारण 2–3 दिन तक पानी उपलब्ध नहीं हो तो गामाई पीचके से गांव वाले अपनी प्यास बुझा सकें और पानी की आपूर्ति की जा सके। मेरा यह भी निवेदन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्शियल सैंक्शन होने के बाद टेक्निकल सैंक्शन जब तक जारी नहीं होती है तब तक काम शुरु नहीं होता है, इसलिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और फाइनेन्शिल सैंक्शन जारी होते ही काम शुरु करवा देना चाहिये ताकि जो योजना स्वीकृत हो चुकी है, वह समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।

श्री सभापति : और सुझाव हैं अभी ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : एक मेरा यह भी निवेदन है कि 1971 की जनगणना के आधार पर जिन गांवों के अन्दर टी. एस. एस. बनी हुई है, वह टी. एस. एस. मात्र एक छोटी-सी मटकी या टंकी की तरह है, इसलिए जो आप जनगणना का आधार रखते हैं, 1931 की जो आपकी जनगणना है, उसके अन्दर 91 को आधार बनाया जाये और उसके साथ जो गांव के पशु हैं, उन पशुओं की गिनती को भी आधार बनाकर यह योजना स्वीकृत कराई जाये।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अंत में मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जवाई नहर, पाली से सोजत की जो स्कीम है, वह स्कीम स्वीकृत हो चुकी है परन्तु आपके विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण, उनकी नेगलीजेंसी के कारण फिल्टर हाउस जो सोजत के अन्दर बनना था, उस फिल्टर हाउस के बार-बार आठ बार टेण्डर हो चुके हैं और आपके जोधपुर के चीफ इंजीनियर बार-बार उन टेण्डरों की डेट एक्सटेण्ड करते जा रहे हैं और फिल्टर हाउस नहीं बन रहा है। उसके कारण लगातार 40 साल से सोजत के अन्दर खारा पानी, इस कांग्रेस सरकार की गलत और पक्षपातपूर्ण नीति के कारण, आ रहा है और वहां के लोगों को खारा पानी पीना पड़ रहा है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप उस फिल्टर हाउस को तुरन्त बनाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को बड़े कठोर रूप से इंस्ट्रक्शन दें ताकि सोजत की जो 41 हजार की आबादी खारा पानी, फ्लोराइड युक्त पानी पीती है, उसे मीठा पानी नसीब हो सके। उसके अलावा····

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सदस्य, आप यह समस्या मेरे ध्यान में लाए थे, हमारे मुख्य अभियंता यहां उपस्थित हैं और मैंने उनको निर्देश दे दिये हैं कि मई में ही आपके टेण्डर कॉल होंगे, उसमें डेट लगी हुई है, इस बार यह फाइनल हो जायेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आठ बार हो गये माननीय मंत्री महादय। आपके चीफ इंजीनियर बार-बार इस डेट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं जबकि मई के अन्दर सोजत में पानी की भयंकर समस्या होती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब या तो मैंने उनको जो आदेश दिया है, वह वापस ले लूं।····

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : नहीं, आपने कई बार सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं, वह उसकी पालना नहीं कर रहे है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैंने अबकी बार निर्देश दे दिये हैं कि यह आगे कोई···· । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी जब उत्तर देंगे। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस सदन में सब सदस्य बराबर हैं। इनकी बात का तो जवाब देंगे, बाकी सब सदस्य ऐसे ही आते हैं क्या यहां पर। दो-दो लाख की जनसंख्या के प्रतिनिधि हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय कल्लाजी। बिराजिये। हां, बोलिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, जीतड़ा के अन्दर एक फिल्टर हाउस है, दो साल हुए उस फिल्टर हाउस के टेण्डर इनवाइट हो चुके हैं। कार्य प्रारम्भ हुआ था। लेकिन मात्र स्लोसेट फिल्टर नाम के छोटे से इम्बीपमैण्ट के कारण अभी तक भी वह फिल्टर हाउस नहीं बन सका है इसलिए मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि जीतड़ा से सरदार समन्द को जो पेयजल योजना स्वीकृत हो चुकी है और

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

दो साल हुए हैं—जो कार्य प्रारम्भ हो चुका है, उसके बाद भी यह फिल्टर हाउस नहीं बना है। इसलिए आप सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दें। अन्त में, मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र के पश्चिमी इलाके के जो गांव रामोलावला, हारिया, लाम्बेरा' अबबाई की ढाणी, नया गांव, चौपड़ा, नापावास, कोटलिया, चाड़वास, भांगड़वास, बरियाला, बीरावास, लूंडावास, बिलावास, छिनावास और अजीतपुरा। (व्यवधान)

श्री समापति : आप बिराजिये। मैं ध्यान दे लूंगा। यह मेरा काम मुझे करने दीजिये। हां ठीक है, बात हो गई। समक्ष में आ गई।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : यह सोजत विधान सभा क्षेत्र के पश्चिम में जो 20-25 गांव हैं, क्षारयुक्त जमीन है और खारा पानी है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्शियल सैंक्शन.... ।

श्री समापति : समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : केन्द्र सरकार द्वारा हो चुकी है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जीतड़ा से सरदार समन्द तक पाइप लाइन जवाई नहर की हो चुकी है और जीतड़ा से इन 22 गांवों को अगर जोड़ दिया जाये तो जो लगातार 40 साल से वहां की जनता क्षारयुक्त और फ्लोराइड युक्त पानी पीती है जिससे कुबड़ापन हो गया है, आंखें कमजोर हो गई हैं, कई लोगों को लकवा हो गया है, उससे मीठा पानी नसीब होगा। इसलिए इस स्कीम को तत्काल स्वीकृत कराने का कष्ट करें। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री समापति : माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, इतनी देर से हमारा नम्बर नहीं आया।

श्री समापति : आपकी पार्टी से मेरे पास आपका नाम नहीं है। जिनके नाम थे उनको बुलवा लिया गया है।

सुश्री पुष्पा जैन : कल्ला साहब ने कटवा दिया आपका नाम।

श्री डूंगरराम पंवार : यह गड़बड़ कल्ला जी ने की है।

श्री समापति : नहीं, नाम होता तो मुझे बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं जलदाय मंत्रीजी का ध्यान जोधपुर जिले की कुछ समस्याओं की ओर खींचना चाहूंगा। प्रदेश के सम्बन्ध में बहुत-सी चर्चा हो चुकी है। हमारे मंत्रीजी प्रदेश की गम्भीर समस्याओं को बड़ी शालीनता से समाधान की ओर ले जा रहे हैं। जवाई बांध से जोधपुर नगर को पानी मिलता है। परन्तु पर्याप्त पानी होने के बाद भी जोधपुर में बिजली की अव्यवस्थाओं के कारण पानी पूरा वितरित नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आने वाले मई–जून की भीषण गर्मी से पूर्व इस तरह की व्यवस्था करें कि जवाई का पानी जोधपुर की जनता को पूरा वितरित हो सके समय पर। इसके लिए कालेड़ा के जलाशय को मई–जून से पूर्व भरा जाय।

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर शहर की पाइप लाइन आज से करीब 30-40 साल पहले शहर के अन्दर डाली गई थी। वह सड़ गई थी। वह सड़ चुकी है। जिसके कारण जोधपुर की जनता को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जोधपुर शहर की पाइप लाइन जो पुरानी है और जिसे जोधपुर के विस्तार के साथ बदला जाना है, उसको बदलें।

माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जोधपुर की जो फिल्टर हाउस है वह फिल्टर हाउस आज से 30 साल पूर्व बना था। उस समय जोधपुर की जनसंख्या दो लाख की थी। आज जोधपुर की जनसंख्या करीब आठ लाख की है। इसके बाद दो लाख की संख्या के फिल्टर हाउस से आज पूरे जोधपुर की जनता को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जोधपुर की जनता को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जोधपुर में 2–3 अतिरिक्त फिल्टर हाउस बनायें। एक फिल्टर हाउस बालसमन्द पर बनायें, एक फिल्टर हाउस हतुनाड़ा पर बनायें और एक औद्योगिक क्षेत्र; बासकू में बनाये। फिल्टर हाउस बना था उस समय जोधपुर की परिधि तीन किलोमीटर के अन्दर थी और आज जोधपुर शहर 15 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। इसलिए फिल्टर हाउस की आवश्यकता है जनसंख्या के आधार पर और शहर के विस्तार के साथ।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में सारी पाइप लाइन होने, सारा फिल्टर प्लान होने, सारी व्यवस्था होने के बाद भी जोधपुर की जनता को जो जल वितरण किया जा रहा है उसमें दबाव नहीं आ रहा है। दबाव नहीं आने का कारण एक तो बिजली की अव्यवस्था है; दूसरे जोधपुर शहर में जलाशय होने चाहिए। जैसे जसवंत थाना पर एक जलाशय के निर्माण का प्रस्ताव लम्बे समय से पड़ा हुआ है। 30 लाख की क्षमता से यह जलाशय बनना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय उजला जो।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उसकी स्वीकृति मंत्रीजी दें। उसके साथ सात जलाशय जोधपुर में और बनें जिनसे जोधपुर शहर की पानी के वितरण की व्यवस्था ठीक हो सकती है। आज जोधपुर में एकमात्र जवाई बांध से पानी मिल रहा है।

सभापति महोदय, इसके अलावा जोधपुर में इन्दिरा गांधी नहर का पानी मिलना चाहिए, यह लम्बे समय से मांग चल रही है। पिछली सरकार ने इस मांग को राजनीतिक कारणों से दबा रखा था। 1984 से लेकर 1989 तक इन्होंने मात्र 20 करोड़ रुपये खर्च किये। मैं माननीय मंत्रीजी का आभारी हूं कि इस वर्ष उन्होंने 14 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और हमारे इन्जीनियरों के कठिन परिश्रम से यह कैनाल 90 किलोमीटर तैयार हुई है। यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहर की प्रगति के लिए, जोधपुर पानी लाने के लिए सरकार के प्रयत्न बड़े सराहनीय हैं। इसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं। माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कैनाल का निर्माण किया जा रहा है,

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

90 किलोमीटर बन चुकी है, लेकिन इसके साथ-साथ पम्प, पम्प हाउस और पम्प मोटर्स का जो कार्य होना चाहिए वह तेजी के साथ नहीं होने के कारण उसमें थोड़ी शिथिलता आ रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पम्प लाइन और पम्प हाउस चार के टेण्डर्स हो चुके हैं और चार शेष बचते हैं। उनके भी टेण्डर लेकर आदेश देकर कार्य शुरु करायें। जोधपुर लिफ्ट कैनाल का कार्य समयबद्ध और कार्यक्रम के अनुसार हो तो आपकी घोषणा के अनुसार, जोधपुर को समय के अन्दर पानी मिल सकेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर को पानी देने के लिए सरकार का जो प्रयत्न है उसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरतकर सतर्कता बरती जाय।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में जल वितरण व्यवस्था के साथ-साथ सीवर लाइन की समस्या भी गम्भीर है। जोधपुर की पुरानी बस्तियों में सीवर लाइन और नल वाली व्यवस्था साथ-साथ जुड़ी हुई है। इसी कारण जोधपुर की जनता को दूषित पानी पीना पड़ता है और जिससे पीलिया जैसे भयंकर रोग भी जोधपुर की जनता में फैलते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर की सीवरेज लाइन का सर्वे कराके उस सीवरेज लाइन को बदला जाय। विशेषकर शास्त्रीनगर की सीवर लाइन पुराने ढंग से, गलत तरीके से बिना लेवल के डली हुई है, इसमें परिवर्तन किया जाय। इसके साथ-साथ महामन्दिर क्षेत्र में प्रस्तावित सीवर लाइन को स्वीकृति भी मिल चुकी है। उस पर वित्तीय आवंटन किया जाय और इसी वर्ष से उस सीवर लाइन का कार्य चालू किया जाय।

सभापति महोदय, जोधपुर शहर की समस्या के साथ जोधपुर के बिलाड़ा, ओसरा और शेरगढ़ क्षेत्रों की समस्या भी आपके समक्ष रखूंगा। बिलाड़ा क्षेत्र में जलदाय विभाग की कसरन नगर, खगरिया, बीजापुर रणसी गांव और चौकड़ी की जो स्वीकृत योजनाएं हैं उन योजनाओं पर इसी वर्ष से काम चालू किया जाय, जिससे ग्रामवासियों को लाभ मिल जाय। रणसी गांव ऐसा है जहां से जोधपुर को पानी सप्लाई किया जाता है, परन्तु आस-पास के गांव वाले प्यासे हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जलदाय विभाग की रणसी योजना को स्वीकृत किया जाय। इसके बाद सूरसागर क्षेत्र के बड़ली क्षेत्र की योजना भी आपके पास विचाराधीन पड़ी है, उसको स्वीकृति दें और जोधपुर की योजना को स्वीकृति दें जिससे इस क्षेत्र के पेयजल की गम्भीर समस्या हल हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि जोधपुर की जो योजनाएं हैं उनको स्वीकृति प्रदान करें। विद्युत विभाग के अधिकारी और जलदाय-विभाग के अधिकारी मई-जून की जो-योजनाएं बनायें तो साथ-साथ बैठकर यह-तय करें कि समय पर पेयजल मिले और जोधपुर की जनता को आने वाले समय में गर्मी में पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तानी हिस्सा है। वहां के लोगों के जीवन का गुजारा पशुओं पर है। इन पशुओं में भी विशेषकर गाय, ऊंट, भेड़ और बकरी का मुख्य धन्धा है। इस विभाग के इंजीनियरों ने रेगिस्तान में काफी हद तक बहुत अच्छा काम किया है। इस काम का विस्तार लम्बे पैमाने पर फैला है। मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि हर आदमी यह बोलता है कि 40 साल में कुछ भी नहीं हुआ, पानी कहीं भी नहीं है। मन्त्री महोदय, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं....। सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि चार-चार चीफ इंजीनियर हैं, कई सुपरिण्टेण्डेण्ट इंजीनियर हैं, कई एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और हर तहसील और पंचायत समिति के मुख्यावास तक असिस्टैण्ट इंजीनियर हैं। 40 सालों से कोई काम टके का नहीं है तो इतने बड़े विभाग को आपने क्यों खड़ा कर रखा है, क्यों तनख्वाह दे रहे हैं जब काम ही नहीं है तो ?

खैर। अब मैं आता हूं, मंत्री महोदय, अपने क्षेत्र की बात पर। रेगिस्तान में एक मनुष्य को पीने के पानी के लिए 40 लीटर की योजना थी। हमारे शासन काल में पशुओं की संख्या को देखते हुए उसको 70 लीटर किया गया। जैसा जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां 70 लीटर पानी भी अपर्याप्त है क्योंकि, हर आदमी यहां तक कि यहां बैठने वाले सदस्य भी जानकार नहीं है कि एक ऊंट रोजाना कितने लीटर पानी पीता है। जैसलमेर में, हमारी तहसील में एक-एक घर के पास 100–100 ऊंट हैं अभी तक। 500–500 भेड़-बकरी हैं, 400–400 गायें हैं। अब आप अन्दाजा लगाइये। उस गांव की आबादी मनुष्यों की तो पांच सौ की है लेकिन उसके अन्दर मवेशियों की संख्या है 20 हजार। तो इस तरह से इन्सान कैसे रह सकता है। मवेशियों के लिये इन्तजाम करना बहुत जरूरी है और मवेशियों के लिये फिलहाल आपके विभाग में बहुत बड़ी रुकावटें आई हैं–एक तो जो परीक्षण के तौर पर ट्यूब वैल्स इस इलाके में खुदवाये जाते थे वह पिछले एक साल से खुदवाना बन्द कर दिया गया है। इन ट्यूब वैल्स को खुदवाने का काम बन्द कर देने से वहां रेगिस्तानी इलाके में पशु पालकों के लिये हम जिस प्रगति से कार्य करके आगे जाना चाहते हैं उसके अन्दर बहुत बड़ी रुकावटें आई हैं–यानी डी. डी. पी. के तहत ट्यूब वैल खुदवाना बन्द कर दिया गया। इसी से डी. डी. पी. के तहत जिला अभिकरण कैसे जलदाय विभाग को टंकी बनाने के लिये दे देते हैं और जलदाय विभाग द्वारा ऐसी कई जगहों पर पशुओं के लिये खेलियां बना दी गई हैं परन्तु उनके लिये एक इंच पाइप देना भी नहीं चाहते हैं, न आपका विभाग दे सकता है, न आपका जिला अभिकरण विभाग दे सकता है। आप अपने चीफ इंजीनियर्स से पूछ लीजिये कि क्या यह हकीकत सही है कि 6–6 महीने से, एक-एक साल से और दो-दो साल से टंकियां बनी हुई हैं जिन पर

(श्री अमीन खां)

लाखों रुपये खर्च हुये हैं परन्तु उन पशुपालकों के लिये कोई सुविधा नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों पर आपका तत्काल ध्यान जाना चाहिये।

सीमावर्ती जिलों में भारत सरकार का एक विकास कार्यक्रम है-'सीमावर्ती विकास कार्यक्रम'। इसमें आपने गांवों की, नये गांवों की और 250 की संख्या वाले समूहों की योजनाएं मंगवाई। विभाग ने काफी अर्से पूर्व इस प्रकार की कई योजनाएं बनाकर आपके पास भिजवा दी हैं लेकिन अभी तक उन योजनाओं में से एक भी योजना की स्वीकृति नहीं दी गई है।

इसी सन्दर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्ती को ''' ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर इन जिलों के लिये केन्द्रीय सरकार को जो स्कीम्स जानी चाहिए थीं, आपने कहा कि उनको भेजा नहीं गया है। मैं आपको जानकारी देता हूं कि यह भेज दी गई हैं और ये 93.54 करोड़ रुपये की राशि की हैं, हमने केन्द्रीय सरकार को भेज दी हैं और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही पास हो जायेंगी।

श्री अमीन खां : धन्यवाद।

इसी तरह से जिस तरह से रेगिस्तानी इलाकों में ''''(व्यवधान) डी. डी. पी. के तहत आपने लाखों रुपये दे दिए और टंकियां बन गई। उन टंकियों के लिये न तो कोई व्यवस्था आपका विभाग कर सकता है, उनके पास फण्ड्स हैं लेकिन डी. डी. पी. वाले कहते हैं कि टंकियां और खेली बनाने के लिये तो हम पैसे दे देंगे, पाइप के लिये पैसे नहीं देंगे। इससे गांवों में ग्राम जनता में यह भावना पैदा होती है कि कोई ठेकेदारों को लाभ पहुचाने के लिये, उनको धंधा देने के लिये पैसा खर्च कर दिया और फिर जब पाइप नहीं है तो फिर टंकी बनाने की क्या जरूरत है ?

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्ती को कमीशन्ड करने के लिये, उनकी सुविधाओं के लिए एक डिवीजन के अन्दर मुश्किल से 2 लाख रुपये सालाना का फण्ड दिया। सभापति महोदय, बाकी शहरों और कस्बों का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 2 लाख रुपये में दो बस्तियों का भी इन्तजाम होना बड़ा मुश्किल है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी तरफ भी आवश्यक और माकूल इन्तजाम होना चाहिए, नहीं तो सरकार के पैसे भी व्यर्थ में जाते हैं और गरीब जनता को भी उसकी सुविधा नहीं मिलती है।

मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले एक साल में हमारे रेगिस्तानी जिलों के अन्दर एक पैसे की भी योजना नई मंजूर नहीं हुई। मेरे क्षेत्र में सन् 1980 से भिन्भयाली गेदाली नाम से एक योजना है जो 56 लाख रुपये की ए. आर. पी. के तहत भारत सरकार से स्वीकृत हुई, उस स्कीम की आज तक तकनीकी स्वीकृति नहीं होने से उन गांवों

(श्री ग्रामीन खां)

को लामीन्वित नहीं किया जा सका है। अभी विभाग द्वारा सर्वे की गई थी तो उन्होंने आधे गांवों को छोड़ दिया और आधे गांव की, एक स्कीम के दो टुकड़े करके तैयार की। इस सम्बन्ध में जब मैंने विभाग के इंजीनियर्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि 56 लाख रुपये 1980-82 में स्वीकृत हुए थे और आज की कोस्ट में उसके लिए रुपये चाहिये एक करोड़ से भी ज्यादा। इसलिये वह आधे गांवों की योजना ले जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि झिन्झयाली गेदाली स्कीम के अन्दर आने वाले गांव-गुड़ियां, झन्कली, गगनियात, कोर्न मानसिंह डून्दाला, बालेवा, रेदाना, बेड़िया और गोरडियात-यह बहुत बड़े-बड़े गांव हैं, इन गांवों को जोड़ने के लिए चाहे तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत आप व्यवस्था करें, नहीं तो आपके इंजीनियर्स को निर्देश दें कि ए. आर. पी. से यह स्कीम स्वीकृत करवाई जाये।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करता हूं कि गिराब-खडीन योजना, 1969 में फेमिन के तहत स्वीकृत हुई थी उसके अन्दर जो पांच गांव आये थे उनमें आज दिन तक पानी नहीं गया है····।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, एक मिनट। सन 1984 के अन्दर विभाग ने यह महसूस किया कि यह स्कीम जिस समय बनी थी। उस समय ग्राम की पोपुलेशन कम थी, शरणार्थी भी आये, पशु भी बढ़े इसलिये सारे गांवों में पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, अतः इस स्कीम को रिवाइज्ड करना बहुत जरूरी है। इसलिये रिवाइज्ड स्कीम बनाई गई, रिवाइज्ड स्कीम दिसम्बर, 1984 में स्वीकृत हुई थी लेकिन उसके बाद आज दिन तक खडीन जाकुओं का तला, सेतराऊ, चाड़ी, चाड़ा, लिसूआ, तामलियार और खारची और सुजाल का पार में आज तक पानी नहीं जा रहा है।

इसी प्रकार से कानासर आरंग पेयजल योजना 1982-83 में मुकम्मिल बन चुकी है लेकिन कानासर आरंग में आरंग गांव में आज तक पानी नहीं जा रहा है। इसी प्रकार से राजडाल, कालीजाल योजना के ग्राम बेरसींगा, स्वामी का गांव, काने का गांव, अन्तरा ग्राम में पिछले 8-9 महीनों से बिल्कुल पानी नहीं जाता है। इसी प्रकार से साउथ गिराव सालेरियां योजना के तहत हिड़ीया, फलारिया, खेड़ का तला, बांदी का पार, लांगे का पार, मेकन का पार इत्यादि गांवों में पानी बिल्कुल नहीं जाता है। इसी प्रकार से शास्त्री गांव डाबड़ योजना के तहत बन्दड़ा और डाबड़ गांव में पानी नहीं जाता है। इसी प्रकार विश्व में जो पहले हम मानते थे, सबसे बड़ा सुन्दरा गांव, जिसमें पानी खारा है और इन सारी योजनाओं में····(व्यवधान)।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य और आप कृपया चुप रहिए। आपको कोई रोग हो गया, ऐसा लगता है।

श्री अमीन खां : सारी योजनाओं में कोई भी योजना उस क्षेत्र में नहीं है जिसमें पूरे पैसे तकनीकी स्वीकृति के अनुसार खर्च किए गए। लाइनें बिछाई गई और उन गांवों में····।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री अमीन खां : उनमें अभी तक पानी नहीं पहुंचना विभाग की निष्क्रियता है। इनके लिये मैंने कट मोशन भी एक-एक गांव का, जो-जो योजनावाइज में बोला हूं, सारे रखे हुए हैं। माननीय मंत्रीजी, आप उनका स्पष्ट जवाब दें और जिन गांवों में, जिनको आप कमीशन्ड गांव डिक्लेयर कर रहे हैं कि इन गांवों में पानी जा रहा है, उनमें 9-9 महीने तक पानी नहीं जा रहा है।

यह अपराध है और इसके लिए विभाग को आप जिम्मेदार ठहरायें। डून्डू में ए. ई. एन. का हैड क्वार्टर है उस ए.ई.एन. के हैड क्वार्टर से कसूम्बला सरदारसिंह, कसूम्बला बेचान, कसूम्बला हरचंद ग्राम में नौ महीने से पानी कतई····।

श्री सभापति : श्री श्रीचन्द कृपलानी। (अनुपस्थित)

श्री रिखबचन्द मीणा : (अनुपस्थित)।

समाप्त करें, माननीय मन्त्री जी।

श्री अमीन खां : नहीं जाता है और पांच किलोमीटर पर ए. ई. एन. का हैड क्वार्टर है। (व्यवधान)

श्री सभापति : ठीक है, हो गया आपका। सुन लिया, बहुत है। परिपाटी ही गलत डालते चले जा रहे हैं····

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, मैं आखिरी में यह कहता हूं कि आपके विभाग को फैल करने में सबसे ज्यादा धोखा दे रहा है विद्युत विभाग। विद्युत विभाग में आपके विभाग ने पैसे जमा करा दिये, डिमाण्ड नोटिसेज दे दिये। उनके पास एक भी गाड़ी नहीं रहती है, जलदाय विभाग से गाड़ियां मांगते हैं। जलदाय विभाग को मेन्टीनेन्स के लिये पैसा नहीं मिलता है तो इसलिये विद्युत विभाग का सहयोग नहीं मिलने से ये योजनायें फैल होती हैं। इसलिये आप विद्युत विभाग से भी तालमेल करवायें और इन योजनाओं को सुचारु रूप से चलवायें।

इतना ही निवेदन कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मेरे जो कट मोशन्स और माकूल सवाल हैं उनका सही उत्तर दिलवायें।

श्री सभापति : धन्यवाद माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, आज की चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है मैं उनका बहुत आभारी हूं। उनके विचार-विमर्श से प्रदेश में कहां-कहां किस प्रकार की कठिनाइयां हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है इस प्रकार का ज्ञान सदन में जो विचार हुआ है उसमे मुझे मिला है और मुझे यह विश्वास है कि आज का जो विचार मन्थन हुआ है उससे आने वाले जल संकट के समय इसका पूरा लाभ मुझे मिलेगा। वैसे राजस्थान में पेयजल की समस्या है, इसकी जानकारी सबको है। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कुछ प्राकृतिक विपदायें और इसकी भौगोलिक स्थिति और विशेष कर अब वर्तमान में जो बनी हैं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उससे यह संकट बहुत गहराया हुआ है। चाहे, सरकार कांग्रेस की रहे, चाहे हमारी रहे, इस समस्या को हम राजनैतिक दृष्टि से नहीं देख सकते और इसके समाधान के लिए पार्टी के स्तर को छोड़ कर इससे ऊपर उठ कर हम मिला-जुला प्रयत्न करके ही इस समस्या से जूझ सकते हैं अन्यथा यह संकट बहुत बड़ा है। समस्यायें कैसी हैं, कई माननीय सदस्यों ने वर्णन किया है। पानी है अगर कहीं तो इतना दूषित है कि उसको पीने से ही, अगर लगातार पिया जाय तो, विभिन्न प्रकार के रोग और इतना ही नहीं, शारीरिक दृष्टि से भी या तो कोई बीमारी या किसी अंग में कोई खराबी ऐसी हो जाती है जिससे वह व्यक्ति एक मनुष्य के नाते नहीं, एक जीवित मनुष्य के नाते नहीं, और प्रकार से जीवन बिताता है। कई बार देखने का मौका मिला है कि छोटी आयु में ही इस पानी के कारण दांत बहुत पीले हो जाते हैं। हाथों में, पैरों में बल पड़ जाता है। कमर झुक जाती है। अब यह ऐसा दुर्भाग्य है, मैं इसके लिए किसी पर दोष नहीं लगाता लेकिन इतने लम्बे समय के बाद आजादी के पहले यहां पर अंग्रेज रहे उन्होंने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया लेकिन उनसे हम, हमारे बारे में वह चिन्ता करते, यह आशा नहीं करते थे। लेकिन आजादी के बाद हम लोगों का शासन रहा। हमारे देश के लोग शासन करते रहे और इतनी बड़ी जटिल समस्या की ओर पता नहीं, क्यों नहीं ध्यान गया और उसका समाधान क्यों नहीं निकाला जा सका। यह समस्या कोई छोटी-मोटी नहीं है, छोटे से इलाके में भी नहीं है। इसका समाधान बहुत जल्दी कर सकें, लेकिन जैसे मैंने निवेदन किया, समय लग सकता है। यह समस्या सबकी मिली-जुली है, किसी एक सरकार या पार्टी की नहीं है।

इसके साथ-साथ थोड़ा आगे चलेंगे तो पानी है लेकिन, उसमें नारू है। इस रोग से आदमी कितना पीड़ित होता है, जिन्होंने उस रोगी को देखा होगा, शायद अन्दाज कर सकते हैं। एक ऐसी बीमारी है, एक कीड़ा ऐसा है कि कहीं भी प्रकट हो सकता है, शरीर के किसी भाग में से भी यह बाहर निकलता है और जब तक यह निकल कर शरीर का पीछा नहीं छोड़ता, बड़ा कष्ट पैदा करता है लेकिन लोग मजबूर हैं इस पानी को पीने के लिए। मैं फिर कहूंगा इसके लिए कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया, यद्यपि हुआ है थोड़ा-बहुत, लेकिन इससे बिलकुल निजात नहीं मिल पायी। तो पानी भी है लेकिन बीमारी युक्त है, कहीं पानी मिलेगा तो खारा पानी है। ठीक है कि वहां के लोग रहते हैं, उनका अभ्यास है, वह पी लेते हैं लेकिन उसके दुष्परिणाम होते हैं शरीर पर। फिर, जहां अच्छा पानी है वहां भी समस्यायें हैं। जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि पानी है और पानी की जो योजनायें हैं, पानी देने की जो स्कीम्स हैं उनमें बिजली का बहुत बड़ा उपयोग होता है और उसके आधार पर पानी मिलता है। राजस्थान में बिजली की जो स्थिति है उससे हम सब परिचित हैं और बिजली के अभाव में पानी होने के बाद भी पूरा नहीं मिल पाता, न उसका दबाव बनता है और न वह पूरी मात्रा में मिलता है। कभी-कभी किसी नगर में तो समयबद्ध पानी आता है, कहीं दो घंटे मिलता है, कहीं चार घंटे मिलता

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है। उस समय अगर किसी भी समय बिजली का फाल्ट होता है तो उतना पानी न तो स्टोर होता है और स्टोर नहीं होने के कारण जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, इससे लोगों को परेशानी रहती है। फिर हमने व्यवस्था की, हैण्डपम्प्स नाम का एक यंत्र ईजाद किया, उससे पानी निकालने लगे। दुर्भाग्य से पानी का स्तर भी नीचा चला गया। जो हैण्डपम्प जल की आपूर्ति करते थे किसी मात्रा में, वह भी असफल हो गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान की जो परिस्थिति है और जो समस्यायें हमारे सामने हैं वह बहुत ही विकट हैं। आप जिक्र कर रहे थे–पाइप लाइन छोटी है, टंकियां छोटी हैं। अब कोई टंकी बनी होगी किसी नगर में चालीस साल, पचास साल, साठ साल पहले, उस समय की जनसंख्या के हिसाब से बनी होगी। अब जनसंख्या का विस्तार हुआ, नगर का विस्तार हुआ, पानी का उपयोग करने का अभ्यास अधिक हुआ और जो पाइप लाइन पड़ी हुई थी उस जमाने में, वह उतनी क्षमता की थी वह भी जर्जर हो गयी और इसलिए भी जहां जल के साधन हैं वहां भी हम न स्टोर कर सकते हैं, न ले जा सकते हैं। इन दोनों कारणों से भी बड़ी तकलीफ होती है। वास्तव में तो यह होना चाहिए था कि यह एक साइन्टिफिक बात है कि अगर टंकी बनी है या पाइप डाला हुआ है इसकी आयु कितनी है यह अन्दाज हमारे एक्सपर्ट्स बता सकते हैं कि इसकी लाइफ इतनी ज्यादा है, उसके बाद यह निश्चित रूप से बेकार होंगे ही। अगर इस योजना के लिए इसकी चिन्ता करके इसका फेजिंग किया जाता, समय-समय पर उनको बदला जाता तो मैं समझता हूं कि उस समस्या का समाधान हो सकता था। आज सर्वत्र जहां भी यह योजना है वहां यह समस्या खड़ी हो गयी है और सबकी मांग यह है कि उनको एक साथ ठीक किया जाय। यह कैसे सम्भव हो सकता है कि सारे शहरों में एक साथ नई पाइप लाईन डाल दी जाये। वह तो फिर जो अधिक समस्याग्रस्त गांव है, स्थान है, यदि करना होगा तो प्रायोरिटी के आधार पर होगा। सारी समस्यायें तो एक साथ ठीक नहीं की जा सकतीं। मेरा निवेदन इसलिए करना है कि समस्या का आकार बड़ा जबर्दस्त है, समस्या जटिल है, हमको थोड़ा धैर्य से इसको सबको मिलकर निपटाना होगा तभी हम इस समस्या का समाधान कर सकेंगे।

दूसरा, जो पानी की स्कीम्स बनी थी, जैसा आपने ठीक ही कहा कि उससे पशुधन को नहीं जोड़ा गया, केवल मनुष्यों के हिसाब से हमने पानी की योजनायें बनायी। उस समय यह भी हो सकता है कि आस-पास के कुछ स्थानों पर प्राकृतिक कुएं आदि के कारण से पानी मिलता रहा होगा लेकिन जहां यह व्यवस्था नहीं है, वहां केवल व्यक्ति के आधार पर जो योजना बनी, वह आज वहां बड़ा संकट खड़ा कर रही है और जो पशुधन है राजस्थान का, जहां-जहां अधिक पशु है वहां संकट खड़ा होता है। इस प्रकार से यह सारा जो फैलाव है इसका, वह बहुत अधिक है और इसको पूरा करने के लिए जितना धन चाहिए एक साथ, वह धन भी हम एक साथ उपलब्ध नहीं करा सकते। तो इसी कारण से समस्याओं का फैलाव बहुत जबर्दस्त हमारे सामने है।

श्री अमीन खां : 60 प्रतिशत ही पूरा बजट है, कर दो गांवों में, पूरा हो जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही कर रहे हैं। जो बजट मुझे मिला है उसका अधिकांश भाग गांवों में लगायेंगे इस बार।

श्री अमीन खां : ज्यादा से ज्यादा साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : ज्यादा का मतलब 60 ही होगा, 50 होगा, 55 होगा। जितना है उससे अधिक देंगे। इसीलिए मैंने निवेदन पहले किया कि यह कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, यह समस्या आपकी भी है, मेरी भी है। आपने जो समस्या रखी, यह कोई राजनीतिक थी क्या ? आप पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे थे, चिल्ला रहे थे, यह समस्या राजनीतिक है क्या और मैं जो समाधान करूंगा तो कोई राजनीतिक थोड़े ही करूंगा। इसलिए इस तरह से बात मत करिए, इसको कैसे साल्व करें यह विचार की बात है। आप मुझे सुझाव दीजिए। अब जो सरकार ने तय किया है, श्रीमान भैरोंसिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने यह ठीक कहा है कि उनके लिए जो गरीब है वह, गणेश है और गांव भी, उनके लिए प्राथमिकता पर है। इसलिए जो योजना बनी है इसके समाधान की, वह इस तरह से है कि इस बार ग्रामीण योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए कोई योजना बनाई है। कई वर्षों से जो राजस्व गांव बन गए थे, सन् 1981 से लेकर जो राजस्व गांव बने गए, उनको पानी देने की योजना नहीं थी क्योंकि गांवों की ओर ध्यान ही नहीं था। इस सरकार ने यह तय किया है कि जो नए गांव बने हैं, नए राजस्व गांव जैसे अमीन खां साहब फरमा रहे थे, जो नए राजस्व गांव बने हैं उनको भी इस योजना में जोड़ा गया है और करीब एक हजार एक सौ गांवों को इस योजना में जो नए बने, उनको लिया जाएगा और चार सौ गांव और जोड़ कर, इस प्रकार गांवों की तरफ हमारा ध्यान है और उस योजना को पूरा करेंगे।

जो ढाणियां हैं, जैसी अभी आपने चिंता व्यक्त की, ढाणी में जो लोग रहते हैं, क्या उनको पानी की आवश्यकता नहीं है लेकिन कुछ सरकार के विभाग के ऐसे नियम बने हुए थे कि हम ढाणियों को पानी नहीं पिलाते थे, ढाणियों में पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। सरकार ने यह तय किया है कि चाहे ढाणी हो, चाहे मजरा हो, वह भी हमारी जल योजनाओं में हमने सम्मिलित किया है और अगले आने वाले बजट में हम ढाणियों पर भी पानी पहुंचाएंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अगला बजट आप पेश करोगे तब ना।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री जी, ढाणी से क्या मतलब है, स्पष्ट करें पहले तो....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप मेजोरिटी के आधार पर दबा नहीं सकते, दो महीने बाद आप इधर आ जाने हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सदस्य, आपको भी आवश्यकता है इस बात की, यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। ढाणियों में परिवर्तन हो गया, अब ढाणियों की परिभाषाएं बदल गई हैं ? (व्यवधान)

आप की योजना के अनुसार आप ढाणी किसे मानते हो।

श्री सभापति : आप बैठिए। माननीय

(श्री सभापति)

सदस्य, आपकी बात सुन ली। जवाब दे रहे हैं।

श्री हरीश भामनानी : यह बीच-बीच में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन पर रोक लगाइए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप भी बिराजिए, आपको मैं कह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, एक तो होता है प्रदेश और एक होता है नगर और नगर में होता है गांव और गांव और से बच जाय, वह ढाणी। समझ गए आप? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप जो हैण्ड-पम्प लगाते हो, ढाणी के नाम से लगा देते हो लेकिन ढाणियों में भी अलग-अलग ढाणियां होती हैं, कोई एस. सी. की ढाणी एस. टी. की ढाणी। अलग-अलग ढाणियां हैं। एक ढाणी के नाम से हैण्डपम्प स्वीकृत हो जाता है, दूसरी ढाणी रह जाती है। कृपया यह ढाणी का जो फर्क है इसको आप स्पष्ट करके इसके बारे में स्वीकृति दिलाइए।

एक माननीय सदस्य : ढाणी का मतलब आपको नहीं आएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति, उनको भी अपनी एक सेवा का माध्यम समझा है और इसलिए यह पहली बार है कि जनजाति क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या की कठिनाइयों को देखते हुए वर्तमान में 250 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प के माध्यम को घटाकर 100 का किया जा रहा है। अभी तक जहां 250 की जनसंख्या थी केवल वहीं हैण्डपम्प लगाते थे लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के मौहल्लों में, इलाकों में, क्योंकि इस संख्या में वह आते ही नहीं थे इसलिए 250 से 100 ले आए। दस-पांच कम नहीं किए हैं, आधे भी कम नहीं किए, आधे से ज्यादा कम किए, 100 की संख्या पर हैण्डपम्प लगा दिए। ऐसी अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियों में भी जल व्यवस्था करने का सरकार ने विचार किया है और इस बजट में ऐसी कम से कम एक हजार बस्तियों में हम यह योजना ले जायेंगे, उनको जल से लाभान्वित करेंगे और इसके लिए 15.56 करोड़ रुपया हमने प्रस्तावित किया है। आप किसी बात से खुश नहीं हैं क्या? आप ताली नहीं बजा रहे।

श्री सभापति : खुश हैं, आप तो बोलिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमने जो क्षेत्र की समस्याएं बताई हैं उनके बारे में भी आप बोलना। हमारी योजनायें कब तक पास कर देंगे....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, आप शांत रहें। मंत्रीजी समर्थ हैं जवाब देने के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, मैं इस समय राजस्थान का वर्णन कर रहा हूं, राजस्थान की समस्या का विचार कर रहा हूं। अगर राजस्थान की समस्या नहीं हो, केवल आपके गांव की समस्या हो तो पूरा गांव पानी से भर देंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान से बाहर नहीं है, इसमें ही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें ही है तो फिर उसको अलग क्यों मानते हो। जैसा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मैंने निवेदन किया, फ्लोराइडयुक्त जो स्थान हैं, जहां पानी है उसके लिए हमने इस बार यह प्रयत्न किया है कि इनको अच्छे पानी बदलने के लिए ट्रिपलानी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 40 बी फ्लोराइटेशन प्लाण्ट तथा वर्ष 1989–90 में स्वीकृत स्वचालित हैण्डपम्प बी फ्लोराइटेशन प्लाण्टों की स्थापना प्रगति पर है ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके।

नारू उन्मूलन कार्य पूर्व से ही तीन जनजाति जिलों में चल रहा था। नारू रोग से ग्रसित बाकी राज्य के दस जिलों हेतु 27.73 करोड़ रुपये की योजना बनाकर हमने केन्द्र को भेजी है। इसके मिलने के बाद इस समस्या से हम अपने प्रदेश को निजात दिला पायेंगे।

दूसरा राज्य के खारे पानी की जो समस्या है उसके सबाधान के लिए चूरू, गंगानगर और झुन्झुनू के 353 गांवों में व तीन शहरों हेतु इंदिरा गांधी नहर से प्रस्तावित एक बृहत् योजना हेतु जर्मन सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त किए जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। जर्मन परामर्शदाता दल वर्तमान में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा है। यह योजना पूरी होगी तो खारे पानी का संकट मिट जाएगा। (व्यवधान)

हमारा प्रदेश पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है उस सीमा क्षेत्र में जल का संकट था। जैसे माननीय सदस्य अमीन खां जी कह रहे थे और मैंने बीच में उत्तर भी दिया है, अन्तर्राज्यीय सीमा के निकट स्थित राज्य के चार जिलों अर्थात् बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर व जैसलमेर हेतु 53 करोड़ 74 लाख रुपये की राशि की योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेज दी है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कागजी योजना है। (व्यवधान)

न तो नियमों का पता, न कानून कायदों का पता। किसने एक हजार करोड़ का + + +बताइये किसने लगाया? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह मत समझना कि हम तीन ही बैठे हैं। हम तीन ही तीस के बराबर हैं। आप बार-बार इस तरह टोकते हो हमको। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : और इन लोगों ने जो बातें कहीं हैं, वह मुख्य मंत्रीजी ने एक बैरी आयोग बना रखा है, उसको सारी बातें दे दीजिए, जो हमने कही है और इन्होंने कही है, पता लग जाएगा।

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए। माननीय उजला जी, आप कृपया बिराज जाइये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने क्या कहा है? मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है। आप मेरी तरफ हाथ करके क्यों बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा आपसे।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : मंत्री जी, आप बोलिए कृपया आप उनसे प्रश्न न कीजिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा : पेयजल कार्यक्रम को, त्वरित गति से क्रियान्वित करने के लिए पिछले एक वर्ष में 1700 से अधिक ग्रामों की योजनाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है जिनकी अनुमानित राशि 43 करोड़ रुपये है । इसके अतिरिक्त जिन ग्रामों में योजना के बावजूद पानी नहीं पहुंच रहा था उनमें पशुओं हेतु भी कई ग्रामों में आवर्तन योजनाएं स्वीकृत की गई हैं पशुओं के लिए भी की है ।

इतना ही नहीं, राज्य सरकार का यह भी चिन्तन है कि केन्द्र सरकार से जो सहायता मिलती है उनके प्रावधान से, वह ली जाय, जो राज्य सरकार के पास साधन हैं वे जुटाये जायं । लेकिन यह प्रजातान्त्रिक सरकार है, जनता के सहयोग से सरकार बनी है तो ऐसे कामों के लिए जन सहयोग भी लिया जाय, उसकी भी योजना सरकार ने स्वीकार की है और जो व्यक्ति अपने नाम से चाहें वह अपने पिताजी के नाम पर, किसी बुजुर्ग के नाम पर या आप में से किसी के नाम पर करना चाहे....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय महावीर जी, आपको सब कुछ पता है, आप सर्वज्ञ हैं । कृपया व्यवधान न डालें । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : तो उनसे सहयोग प्राप्त किया जायेगा । राजस्थान के ग्रामों में जो समस्या है, ऐसे कुछ नगर भी हैं जो समयाग्रस्त है जिनमें 24 घण्टे में, 48 घण्टे में या कभी इससे अधिक समय में हम पानी दे पाते हैं, उनके लिए भी, उन में जो नगर हैं उनमें से ब्यावर है तो ब्यावर शहर की पेयजल समस्या के प्रति राज्य सरकार सजग है । यहां के स्थानीय स्त्रोतों में पानी की अत्यधिक कमी होने के कारण 2 लाख गैलन पानी प्रति दिन ट्रांसपोर्ट कर उपलब्ध कराया जायेगा । ट्रांसपोर्ट करके पानी पिलायेंगे, प्यासे नहीं मरने देंगे । अजमेर जिस प्रकार से ब्यावर में समस्या है वैसे ही अजमेर भी समस्याग्रस्त नगर है । अजमेर, ब्यावर व किशनगढ़ की पेयजल समस्या के निवारण हेतु पुनर्गठित बीसलपुर परियोजना का कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है । कल्ला साहब, आप इसको जरा ध्यान से देखिए । अब तक लगभग 68 किलोमीटर पाइप बनाये जा चुके हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने कितने बनाए ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो बनाता ही नहीं हूं । (व्यवधान) मैं यह काम नहीं करता हूं । (व्यवधान) कल्ला साहब, मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए । इसको अपनी सब की समस्या रहने दीजिए । डोंट मेक इट पोलिटिकल । आप राजस्थान की समस्या का समाधान तो होने दीजिए, आप राजनीतिक गोटी क्यों सेंकना चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : सारे ही मंत्री एक साथ बोल रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, बोलिए । क्या है ।

श्री अमीन खां (शिव) : सभी कहते हैं कि 40 साल में कुछ नहीं था । एक साल में

(श्री अमीन खां)

ही यह टेक्नीकल स्टॉफ डिपार्टमेंट में इतना क्यों खड़ा किया। (व्यवधान)

(10.55 रात्रि)

(श्री रमाकान्त, सभापति, पदासीन)

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : इतने सुन्दर बजट में गड़बड़ हो जायेगी। सुन्दर मुखड़े पर नजर न लगे इसलिए मातायें बच्चों को कालिख लगाती है वैसे ही इस सुन्दर बजट में यह कालिख जरा अच्छी है। अच्छी लगती है यह।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मंत्री जी बोल रहे हैं। कम से कम आप तो बिराजिए, मंत्री जी को ही सुन लेने दो। सभी मंत्री क्यों बनते हो।

श्री सभापति : कृपया बिराजिए, समय बहुत अधिक हो चुका है।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभी मंत्री और +++

श्री भंवरलाल शर्मा : कल्ला साहब, मैं रामप्रसाद जी के व्यवधान को तो समझ सकता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक से ही हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं रामस्वरूप जी के व्यवधान को तो समझ सकता हूं कल्ला साहब, पर आप व्यवधान करते हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब अगर ये आपकी + + +तो बोलना तो पड़ेगा ही। आप बोलें, आपको सुनेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं ही बोल रहा हूं, आपके पास यह मेरी ही आवाज आ रही है। अब तक लगभग 68 किलोमीटर पाइप बनाये जा चुके हैं व 54 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। यह कुल मैंने बताये हैं आपको। इस वर्ष लगभग 30 किलोमीटर पाइप बनाए गए हैं व 29 किलोमीटर बिछाई जा चुकी है। यह जो 54 किलोमीटर बिछाई गई है कुल उसमें से 29 किलोमीटर तो हमने बिछा दी एक साल में फिर भी आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री सभापति : जितना आप इन्टरप्ट करेंगे, उतना ही समय अधिक लगेगा। कृपया सुन लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह अजमेर के लिए मैंने निवेदन किया। अब मैं किशनगढ़ के लिए कह रहा हूं। किशनगढ़ की पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए 2 नए नलकूपों का निर्माण व दूर से पानी ट्रांसपोर्ट करने हेतु आवश्यक स्वीकृति जारी कर दी गई है। आगामी गर्मियों में किशनगढ़ के लिए 2 ट्यूब वैल और बाहर से ट्रांसपोर्ट करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर में क्या किया है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : बीकानेर मेरे इस कागज में आयेगा तो बता दूंगा (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अगर आपने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया तो आपसे जनता राज छीन लेगी ।

सुश्री पुष्पा जैन (पर्यटन मंत्री) : आपने रियलाइज तो किया कि पक्षपात करने से यह होता है । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कई बार कहते हो कि हमारा राज आ रहा है । मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप आ रहे हैं ? आपको जल्दी क्या है ऐसी ? भगवान ने आपको यह मौका दिया है, अभी 10-20 साल वहीं बिराजो, क्यों जल्दी करते हो । हर बार छटपटाते हो । छटपटा कर आप बैलेंस मत खोओ, राज तो आना, नहीं आना अभी । ठीक है ।

जवाई नहर, जो कि गत बाढ़ से कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी उसको युद्ध स्तर पर ठीक करवाया गया जिसके फलस्वरूप जोधपुर शहर को बिना व्यवधान के पानी उपलब्ध कराया जा रहा है । इस कार्य पर करीब 75 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। बरसात से यह टूट गई थी हमने इसको तत्परता से ठीक कराया । मैं केवल इतना कह रहा हूं कि विभाग ने क्या तत्परता की, संवेदनशील सरकार कैसी होती है, वह अर्ज कर रहा हूं मैं आपको । (व्यवधान)

इन्दिरा गांधी नहर से जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना का कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है । अब तक 80 किलोमीटर नहर बनाई गई है जिसमें से 30 किलोमीटर नहर का निर्माण इस वर्ष हुआ है । पहले कई वर्षों में पचास थी और एक वर्ष में हमने 30 किलोमीटर बना दी है और आप जब इसके मंत्री थे तब आपने 11 करोड़ खर्च किए थे, हमने 13 करोड़ खर्च कर दिए हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब आप देखिए, कम पैसे में हमने ज्यादा नहर बनाई ।

श्री भंवरलाल शर्मा : रुपया तो आपका नहीं था, मेरा भी नहीं है । मैं गति की बात कह रहा हूं । स्पीड की बात करता हूं और आपने साल भर में खर्च किया । मैं एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं हमने बजट पास किया जुलाई में और अभी मार्च पूरा हुआ नहीं है, उसमें खर्च किया है । आपने किया साल भर, हमने किया है सात महीने में । वह भी किन परिस्थितियों में किया, ये सामान्य परिस्थितियां थीं क्या ? जैसे आज आप लपक-लपक करते हो न, वैसे करते रहते बार-बार में कि राज चला जाय और अब आपका आ जाय । तो उन परिस्थितियों में और इससे कम समय में किया । इस तरह देखिए इसको आप ।

श्री नत्थी सिंह : मंत्री जी, यह लपक-लपक क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जो आप कर रहे हैं न यह पीछे बैठे । जो पीछे बैठे हैं, उन्हीं से पूछो । आप जा रहे हो, हम आ रहे हैं,

श्री भंवरलाल शर्मा)

बस हर बार यहां बोलते रहते हैं। कहां आ रहे हो, कहां जा रहे हो भाई।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप क्यों डर रहे हो तो। इनके कहने से क्यों डर रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : डरने का सवाल ही नहीं है। कौन डरता है इससे। हम तो मजाक उड़ाते हैं इसकी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी नींद उड़ा रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : अन्दरूनी डर तो नहीं कोई।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम तो हास्यास्पद मानते हैं, डरने का क्या सवाल है। मैं तो केवल बच्चों की कल्पना मानता हूं इसको। हम काहे को डर रहे हैं इससे। उदयपुर और जयपुर के लिए जो योजनाएं हैं, मानसीवाकल उदयपुर के लिए और बीसलपुर जयपुर के लिए, इन योजनाओं पर विचार कर रहे हैं और एक इसके साथ ईसरदा में, कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव था कि ईसरदा में पानी ज्यादा उपलब्ध होगा, उसको जयपुर लाने के लिए कम खर्चा भी होगा। इसके लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी इसकी खोज कर रहे हैं कि क्या यह योजना सम्भव हो सकती है। अगर इसका कार्य हो सकता है, यह उपयोगी होगी तो यह पानी हम ईसरदा से ले आयेंगे। तो यह जल्दी मिलेगा और थोड़ा सस्ता मिल जायेगा।

(11.00 रात्रि)

श्री हेतराम बेनीवाल : अधिकारियों की खोज में तो पैसा ही खर्च होगा, कागज-कागज मिलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, आप सुझाव दें तो कल्लाजी को भेज देंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप हमारे दो-तीन प्रश्नों के उत्तर दे दें, बाकी ज्यादा रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है। हम मान लेंगे कि आपकी रिप्लाई आ गई है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, ऐसा है कि दो-तीन प्रश्न जिन-जिन को करने है, कर लें, उसके बाद में हम रिप्लाई को मान लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब आसन आपसे कह रहा था कि आप बैठो, कम बोलो तो मान रहे थे क्या?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बोलना चाहें तो एक घण्टे बोलें लेकिन जो बोले हैं उनका तो उत्तर दे नहीं रहे आप। कभी किशनगढ़ भाग रहे हो, कभी ब्यावर जा रहे हो। हमने जो प्रश्न उठाये हैं उनका तो एक भी रिप्लाई नहीं दिया है आपने।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, हमने जो प्रश्न उठाये हैं उनका तो उत्तर दिला दीजिए। बाकी पढ़ा हुआ मान लिया जाय....

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे बीकानेर शहर में दिला दीजिए। पन्द्रह कुए सूख गये

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हैं, लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप पहले उत्तर सुनिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : धीमी गति का समाचार इनका चलता ही रहेगा रात भर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप पहले उत्तर सुनिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक बीकानेर में पानी नहीं आता है उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं आप । (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, आसन ग्रहण कीजिए कृपया । कृपया आसन ग्रहण कीजिए, रामस्वरूपजी, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप पहले सुनिये, फिर प्रश्न पूछ लीजियेगा ।

श्री सभापति : बार-बार बोलने से बात के अन्दर वह शक्ति नहीं रहती है । कृपया बिराजें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नगरों के लिए....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदय को आप....

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं....

श्री सभापति : बिराजिये आप तो ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप हमको रोकते हो, उनको रोको आप । उनको-बैठाइये आप ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मंत्री महोदय जो जानकारी दे रहे हैं, उनका जबाव दे रहे हैं उनको यह सुनना नहीं चाहते....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको अपने स्थान पर भेजो । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मंत्री की सीट से नहीं बोल सकते ...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय, इनको अपने स्थान पर भेजिए ।

श्री सभापति : दवे साहब, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, सब जवाब वह दे देंगे उधर से पूछने वालों को पूछ लेने दीजिए, आप तो मत बोलिए कम से कम ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर ।

इस विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि माननीय सदस्य अपने स्थान पर बोलें । सोजत से आने वाले माननीय सदस्य की सीट यहां पर है और यह यहां पर बोल रहे हैं । यह नियम विरुद्ध है, आप इन्हें प्रताड़ित करें और अपने स्थान पर बैठने के लिए निर्देश दें ।

सुश्री पुष्पा जैन : नहीं, इनकी सीट कौन सी है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं कोई मंत्री की सीट पर नहीं बैठा हुआ हूं....

सुश्री पुष्पा जैन : नहीं-नहीं, आपकी कौन सी है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : यह मंत्री बन रहे हैं वैसे ही, मैं कोई मंत्री की सीट पर नहीं बैठा हूं। मैं मेरी सीट के ऊपर बैठा हूं। उनको आप टोकिये, आप अपने पड़ौसी को टोकिये।

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह अपनी जगह पर बैठें। आप मंत्री बनें जायें तब बैठना, अब तो आप ऐसा मत करो।

श्री सभापति : कृपया शांत रहें, रामस्वरूपजी, माननीय रामस्वरूपजी, यह नियम दोनों के लिए लागू है। दवेजी के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों ही अपने-अपने स्थान पर बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : नगरों में प्रचुर मात्रा में पानी मिले उसके लिए इस बार हमने 36 नगरों को अपनी सूची में लिया है और उसके लिए 138 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 52 नगर ऐसे हैं जिनमें पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए हमने हुडको से लोन लेने के लिए प्रस्ताव किया है और वहां उसके बाद 75 लीटर प्रति व्यक्ति पानी हम दे सकेंगे और इस प्रकार वर्तमान में करीब एक सौ नगरों का जल वितरण स्तर 15 लीटर प्रति दिन से कम है, योजनाओं का चयन करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि जिला, तहसील, उपखण्ड के जो नगर हैं उनको इस योजना में पहले लिया जाय। इस प्रकार से नगरों की जो समस्या है उसका भी समाधान करने के लिए धन जुटाया है। प्रदेश के अन्य नगरों की पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए करीब 150 नलकूप व 1300 हैण्डपम्पों का निर्माण अभी तक किया जा चुका है। तो माननीय सभापति महोदय, अब वैसे तो मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन मैं माननीय सदस्यों की आतुरता को देखकर अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और....

श्री अमीन खां : मेरा एक पाइन्ट है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर नगर की बीछवाल के बारे में करेंगे या नहीं करेंगे आप यही बता दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारे बीछवाल में जो रिजरवायर बनना चाहिये था, इन्दिरा गांधी नहर का पानी वहां 21 दिन तक इकट्ठा करके और फिल्टर करके बीकानेर शहर को सप्लाई करने के बारे में....

श्री भंवरलाल शर्मा : जिस-जिस कार्य को आवश्यक व लाभदायक समझेंगे उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, यह गोल-माल जबाव दे रहे हैं....

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री जी, जो योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं और आपके पास पड़ी हुई हैं उनके बारे में आप क्या करोगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, आप जैसे भले आदमी के लिए यह शोभा नहीं देता। आप कम से कम अपने अधिकारियों से राय लेकर बतायें कि कब तक आप तकनीकी रूप से स्वीकृति दे देंगे और कब तक उसको बनाने की स्वीकृति दे देंगे ? एक।

श्री सभापति : एक-एक को बुलवाऊंगा बिराजिए, बिराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दूसरा, बीकानेर जिले में लगभग एक करोड़ की लागत से उरमूल ट्रस्ट ने कुछ डिग्गियां बनाई उनको पिछले लगभग एक-सवा साल से जोड़ा नहीं जा रहा है। यह एक करोड़ रुपये का स्टेट सेक्टर का पैसा जो उरमूल ट्रस्ट ने वहां खर्च किया है उसका उपयोग आप इन डिग्गियों को पाइप लाइन से जोड़ कर कब तक ले लेंगे ? और जो मैंने एक प्रश्न उठाया था कि हाथ से काम करने वाले कारीगरों से आप जो व्यावसायिक दर के ऊपर पानी की आपूर्ति करते हैं, इनको आप सामान्य दर पर पूर्ति करने के आदेश कब तक जारी करेंगे ?

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, मेरा तो एक सीधा पाइन्ट था उसका जबाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया। डी. डी. पी. के तहत ट्यूब वैल खुदाना बंद कर दिया। उनको वापिस चालू करने की मंशा सरकार की जन हित में है या नहीं, यह आपने नहीं बताया, एक। दूसरा, परीक्षण के तौर पर नलकूप खुदाये जाते थे वह नहीं खुदाये जा रहे, यह खुदाने का सरकार सैद्धांतिक रूप से विचार रखती है या नहीं ?

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान फिर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ योजनाएं, जो छोटे-छोटे आब्जेक्शन लगकर आपके विभाग में पड़ी हुई हैं, आप उनको मंगवा कर, उनके बारे में जानकारी लेकर उनको तुरन्त पास करवाकर भिजवाओगे या नहीं ? इसके बारे में आप जबाव दें।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने माननीय मंत्रीजी से गंगानगर जिले की विशेष परिस्थितियों के लिए एक निवेदन किया था। क्या माननीय मंत्रीजी वहां कनेक्शन्स दो हजार की जनसख्या से नीचे वाले गांवों में भी और छोटे गांवों में खोलेंगे ?

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि मेरी बात का जबाव दें। जयपुर नगर में और चार-पांच नगरों में व्यावसायिक दर लगा कर पानी के बिलों के पैसे लिए जा रहे हैं जबकि विभाग ने गैलन के हिसाब से दर तय की हुई है कि इतने लाख गैलन पर इतना शुल्क, इतने अधिक लाख गैलन पर इतना पैसा लेंगे। तो व्यावसायिक दर रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। मंत्री महोदय घोषणा करें कि जो अव्यावहारिक व्यावसायिक दर लगी हुई है उसको कब तक, किस प्रकार

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हटा रहे हैं और आज ही हटाने की घोषणा कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक बात।

श्री सभापति : हो गया, बिराजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने आपको सुझाव दिया था कि जयपुर के लिए चम्बल के पानी का सर्वे करा लें, वह बारह मासी पानी आने वाला है तो मेरा निवेदन है कि जो हमारा रामगढ़ का बांध है वह बराबर सूख रहा है, पानी की आवक उसमें हो नहीं सकेगी। मैंने पिछले तीन वर्षों में कहा था कि पानी की दिक्कत आ जायेगी क्योंकि उसके बीच में चालीस एनीकट उस समय में जो दो-तीन मंत्री थे, श्री भारद्वाजजी, श्रीमती कमला बेनीवाल, उन्होंने बना लिए थे, तो पानी उसमें आयेगा नहीं। मेरा निवेदन है कि चम्बल का सर्वे कराये जो बारह मास पानी जयपुर को दे सके। यह स्थाई समाधान की बात हो जायेगी, मंत्री महोदय बतायेंगे। एक बात मेरी और है कि जयपुर नगर में कुछ थोड़े से भाग में ही गटर लाईन डली हुई है और जो गटर लाइन डली हुई है उसमें पाइप लाइन आई हुई है, कहीं लीकेज होता है तो गंदा पानी उसमें पहले आ जाता है, तो एक तो उसको निकलवाने की घोषणा और दूसरा, जिस क्षेत्र में अभी गटर लाइन नहीं डली है, उत्तरी क्षेत्र में है लेकिन बाकी सारे क्षेत्र में, सिविल लाईन्स तक में गटर लाइन नहीं है....

श्री सभापति : अब संक्षिप्त में पूछिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो मेरा निवेदन है कि इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए आपने कुछ कोशिश जरूर, की होगी विश्व बैंक की सहायता से या केन्द्र की सहायता से, यह हम सबको बतायें और इसके साथ ही जिले की और नगर की....

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, आप कितना लम्बा भाषण दे रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट, बाकी बात तो मैं इनको कहूंगी, मेरे कटौती प्रस्ताव का उत्तर दे दें।

श्री सभापति : अभी सहकारिता मंत्री जी का भी जबाब आने का है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो स्थानीय योजनाए जयपुर की पड़ी हैं वह कितने दिनों से पड़ी हुई हैं। वह क्रियान्वित नहीं हुई, उन पर आदेश नही हुए। मंत्री जी उन पर आदेश करें जिससे वहां कार्य हो। मैं आपकी प्रशंसा करती हूं कि आपने बीसलपुर को जयपुर लाने की घोषणा तो की। इतने हैड पम्प लगाये....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कृषि भूमि में कांग्रेस सरकार के समय में एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा पाये थे और अब आपकी कृपा से वह लग पाये हैं। मैं धन्यवाद देती हूं, बधाई देती हूं लेकिन मैं यह चाहती हूं....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिये ना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मगर मैं चाहती

(330)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हूं कि बाकी कार्य भी शीघ्रता से, तत्परता से हो जाये तो मैं कहना चाहूंगी कि विभाग की आपकी और हमारी सब की छवि बनेगी ।

श्री सभापति : श्री किशनगोपाल कोगटा ।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय अपने भाषण में बतायेंगे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा के हैड क्वार्टर मसूदा में जो 15 दिन में एक घण्टा पानी आता है उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीनारायण दवे ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक जानकारी चाहूंगा कि जो हैंड पम्प रिपेयरिंग आज पंचायत समितियों के थ्रू की जाती है मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि वह हैंड पम्प पी. एच. ई. डी., आपके विभाग के द्वारा आपके जिम्मे लिया जाये अन्यथा यह हैंड पम्प जो खराब रहते हैं, हर दूसरे और तीसरे दिन रिपेयरिंग करके जो भी जाते हैं दूसरे और तीसरे दिन खराब हो जाते हैं । पी. एच. ई. डी. के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें ही यह अपने जिम्मे ठीक कराये ।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र में जहां मेरा पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर खारा पानी उपलब्ध है फ्लोराइड युक्त, मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वहां पर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाया जाय ताकि क्षारीय पानी और फ्लोराइडयुक्त पानी वहां जनता को नहीं मिले ।

तीसरा मेरा निवेदन है कि कटालिया से सोजत रोड़ की मेरी एक स्कीम है । मंत्री महोदय से आग्रह है कि वह स्कीम अविलम्ब स्वीकृत की जाये । और एक छोटा सा सवाल है....

श्री सभापति : अब आप बिराजिये.... बैठिये आप....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : और एक मेरा प्रश्न है कि तत्कालीन कांग्रेस ने पेयजल के नाम पर एक हजार करोड़ रुपया राजस्थान की गरीब जनता का डकार गये इसलिये यह जबाव दें कि उस पैसे को कहां-कहां उपयोग में लिया ?

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह ।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं तो आपके जरिये मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो मैंने कहा था चम्बल की लिफ्ट योजना के जरिये भरतपुर और धोलपुर के लिए आप पानी देना चाहते थे और 300 करोड़ की योजनायें आपके विभाग ने बनाई और दिल्ली भेजीं, उसकी क्या स्थिति है ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये हैं अब एक-एक प्रश्न का उत्तर देना तो मेरे लिए बड़ा कठिन होगा । आपका कोई जल-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दाय विभाग का कार्यालय है उसमें 15 दिन पानी आयेगा या नहीं आयेगा, अब यह तो उत्तर देना बड़ा कठिन होगा परन्तु जिन माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उसके उत्तर के माध्यम से बहुत सारी बातें आपकी जानकारी में आ जायेगीं कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं देना चाहूंगा।

आपने कहा जो हैंड पम्प हैं उनको पंचायतों से लेकर विभाग को दे दिया जाये इस पर चर्चा हुई है। दोनों बातें हैं। एक समस्या आपने रखी। दूसरे, आखिर पंचायतों के पास कोई काम रहेगा या नहीं रहेगा ? हम पंचायतों को मजबूत करना चाहते हैं, पंचायतों को हम कुछ शक्तियां देना चाहते हैं इसलिए अभी न तो मैं यह कह रहा हूं कि इसको ले रहे हैं, न मैं यह निर्णय कर रहा हूं कि नहीं ले रहे हैं। पर जो विचार चल रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं कि दोनों पक्ष हैं इसके। दोनों पक्ष यह हैं, उनका कहना यह है कि जो आपका मिस्त्री गांव में रहता है वह आकर आपकी मोटर ठीक करता है, गाड़ी ठीक करता है क्या वह हैंड पम्प ठीक नहीं कर सकता है ? आप उसको इतना इनकाम्पीटेन्ट क्यों मानते हैं गांव वाले व्यक्ति को ? यह एक विचार है पर इस पर कोई अभी निर्णय नहीं हुआ। एक विचार आज आपने यहां पर रखा है तो निश्चित रूप से विचार करेंगे और यह कोई मेरे अकेले सोचने के अधिकार में भी नहीं है इसलिए कि यह तो नीतिगत विषय है। मैं अकेले तय नहीं कर सकता।

आपका जहां तक सवाल है आप बड़े उतावले हो रहे हैं रामप्रसाद जी। 27 मार्च को पी. पी. सी. की मीटिंग है यहां जयपुर में, तो अगर आपकी योजना आ गयी होगी तो आप पता कर लें, मैं भी पता कर लूंगा तो 27 को पास कर देंगे उसको। मान लो कि कोई कमी रह गयी है तो इन पांच दिनों में आप मेहनत करके पूरी करवा लीजिए इसको। 27 तारीख को यदि आपने पी. पी. सी. में रखवा दी तो पास मान लीजिए उसको आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको।

अमीन खां जी, जो आपने एक प्रश्न किया उसके बारे में मैं विचार करके ही बताऊंगा कि उसमें क्या करना चाहिए, क्या होगा। तो आप कभी दो चार दिन बाद मुझसे उत्तर ले लें। आप जो फरमा रहे हैं कि आपके गांव में नल कनेक्शन देने की जो संख्या की पाबन्दी है उसको हटा दी जाये। यह सुझाव आपका अच्छा लग रहा है लेकिन मैं अभी कुछ आश्वासन नहीं दे सकता। आपने मुझे एक सुझाव दिया, अच्छा लग रहा है, मैं विभाग से बातचीत करके कोई कठिनाई तो नहीं आयेगी और कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं—तो मैं फिर इस पर विचार करके आपको निवेदन करूंगा कि अब मुझे इसमें क्या करना है।

जहां तक नत्थीसिंह जी ने सवाल पूछा, मुझसे ज्यादा जानकारी तो आप को है। मेरी जानकारी अधूरी होगी। इसमें क्या हुआ, यह आप जानते हैं और कैसे हो सकता है, यह भी आप जानते हैं। तो केवल प्रश्न करने के लिए प्रश्न मत कीजिए आप। आप खुद ही इसको समझते हैं।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, जिन प्रश्नों का उत्तर मुझे देना चाहिए था जो बातें मुझे कहनी थीं वह मैंने कह दीं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, आपने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया....

श्री भंवरलाल शर्मा : जिस प्रश्न का उत्तर मुझे देना चाहिए था, जो मुझे कहना चाहिए था वह मैंने कह दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : अब कोई प्रश्न नहीं होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, यह राजनैतिक भेदभाव कर रहे हैं....

श्री सभापति : कोई प्रश्न नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप सुनें तो सही मुझको। आप यह बतायें कि बीकानेर में 15 कुए सूखे हैं या नहीं सूखे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप डिबेट ही पूरी नहीं करने देंगे मुझको....

श्री सभापति : आप तशरीफ तो रखिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बीकानेर को 80 प्रतिशत पानी कुओं से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे पूरा तो करने दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप, ऐसा है कि तीन प्रश्नों को टालते हुए चले जा रहे हैं। मेरे कटमोशन हैं। मैं बिलकुल अपने सब्जेक्ट पर बोल रहा हूं। यदि आप जानबूझकर उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : देखिये, अगर आपकी सोच यही है कि...कल्ला साहब कई वर्षों से साथ रह रहे हैं अपना आपकी सोच यह है कि मैं जानबूझकर उत्तर नहीं दूंगा? क्यों, क्या फायदा है मुझे? क्या फायदा मिलने वाला है उससे? आखिर बीकानेर की जनता आपकी ही है क्या अकेले की? जब तक मैं राजस्थान का मंत्री हूं, बीकानेर का क्या प्रदेश का हर व्यक्ति मेरे लिए सम्माननीय है। उसकी समस्या का समाधान करना मेरा दायित्व है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : वह अलग बात है। यह आपका सर्टिफिकेट आपके पास रखिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम अपने हक के लिए लड़ेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप लड़ेंगे, भिड़ेंगे फिर मरेंगे—मुझको क्या करना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे लिए राजस्थान का प्रत्येज व्यक्ति सम्माननीय है। उस की चिन्ता करना, जो विभाग मेरे पास

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है यह मेरा दायित्व है । यह बीकानेर और जयपुर अलग-अलग नहीं हैं । इसलिए उनको पानी कैसे पिलाया जा सकता है वह मैं निश्चित रूप से करूंगा....

श्री सभापति : तारीख बदल रही है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप इसको पालिटीकल मत बनाइये । आप बैठकर चर्चा कर लीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा यह आपके ऊपर आरोप है कि आपने बीकानेर के साथ सौतेला व्यवहार किया है । आप जानबूझकर हमारे बीकानेर के बीघवाल रिजरवायर के कार्य को मंजूरी नहीं देना चाहते हैं । आपके टेक्नीकल मेम्बर उस हाई पावर कमेटी के मैम्बर थे इसके बावजूद टेक्नीकल कमेटी उसको जानबूझकर डिले कर रही है । प्राइस एक्सक्लेशन के कारण उसकी कीमत बढ़ रही है । आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और आप उनको डिफेण्ड कर रहे हैं और उसके बारे में जबाव नहीं देना चाहते हैं । आप नहीं बनाना चाहते हैं तो मना कर दीजिए कि बीकानेर में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । यदि आवश्यकता है तो उस काम को आपको प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए और इसकी स्वीकृति देनी चाहिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय कल्ला जी, जिस भावना से आप प्रश्न कर रहे हैं वह पूरा हो गया । बार-बार ऊपर देखते हैं आपकी भावना पूरी हो गयी फिर रिपीट क्यों करते हैं इसको ? बाकी समस्या का समाधान पूरे राजस्थान का करना होगा । फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार मेरे साथ बैठ लें, और क्या आपको संकट हैं, हम बीच का रास्ता निकाल लेंगे । आखिर बीकानेर को पानी नहीं देने से चल सकता है क्या ? बीकानेर में आप अकेले रहते हैं क्या वहां ? आप ही विराजते हो क्या वहां पर ? बीकानेर को छोड़ सकते हैं क्या ?

जहां तक आपने कहा कि जो व्यावसायिक रेट हैं, इस पर आपका विचार था कि इसको खतम किया जाये यह तो मैं कोई आश्वासन तो नहीं देता लेकिन इस पर विचार चल रहा है कैसे इसका सरलीकरण किया जाय और हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आश्वासन कोई नहीं हैं, यह विचार जरूर है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज तेल लगा कर आये हैं ये ।

डा. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मेरा एक ही निवेदन है माननीय मंत्रीजी से कि जो रेगिस्तानी जिलों के लिए फोर्टी टू सेवेन्टी ऑगमेन्टेशन किया गया है उसका मंत्री महोदय पुर्नमूल्यांकन करवालें ।

श्री सभापति : करवालें । माननीय सहकारिता मंत्री जी, जवाब देंगे ।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे सदन के सम्माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्तावों के द्वारा सहकारिता पर काफी प्रकाश डाला है । सहकारिता के क्षेत्रों में जो कमियां हैं उनको भी दर्शाया है । कुछ सुझाव भी आये हैं, लेकिन मैंने अधिकांशतः यह देखा है कि रचनात्मक ऐसा कोई सुझाव नहीं आया । नत्थीसिंहजी

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

ने भी बताया, बहुत पुराना अनुभव है, सहकारिता के बहुत बड़े सहकार बन्धु हैं। हमारे कल्ला साहब ने भी सुझाव दिया लेकिन बीकानेर का छोटा सा मामला उठाया और जब कि मेरे विभाग में भी सुझाव सहकारी समितियों का, 75 लाख करीब सदस्य हैं, एक बड़ा विशद क्षेत्र है और प्रकाश डालने के प्रश्न पर बड़ा अच्छा प्रकाश डाल सकते थे। ग्राम सेवा से लेकर क्रय-विक्रय सहकारी समिति, नागरिक बैंक, भूमि विकास बैंक अपने उपभोक्ता सहकारी समितियों पर, गृह निर्माण और कृषि सहकारी समितियों पर, बुनकर संघ हैं, काफी हैं, यह मैं नहीं मानता कि इनके अन्दर भ्रष्टाचार नहीं हैं और मैं यह भी नहीं मानता कि इनमें किसी बुराई ने प्रवेश नहीं किया हो लेकिन माननीय कल्ला साहब से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पांच रुपये के स्टाम्प को लेकर, राजस्थान के बड़े-बड़े शहरों में पांच रुपये के स्टाम्प पर एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से आपने जमीनों को बेच दिया ... (व्यवधान)।

मैं ज्यादा कहूंगा तो आपके बड़े-बड़े नेता जिस भूमि पर, जिस मकान को बना कर बैठे हैं वह किसके ऊपर बैठे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : किस पर बैठे हैं, मेरे से खुलवाना चाहते हो क्या ? कौन कहां बैठा है, मेरे पास सब की लिस्ट पड़ी हुई है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं श्यामनगर का बता सकता हूं, कौन बैठा है वहां पर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बैठा हूं, मेरे पास कोई है क्या एक भी पांच रुपये के एग्रीमेंट पर ?

एक माननीय सदस्य : आप पर आक्षेप थोड़े ही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री जी, यह मत समझना कल्ला साहब अकेले हैं, आप दबा दोगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके दल के लोगों के नाम बताऊं, किन-किन के पास क्या-क्या प्लाट हैं ? आप मेरे से पंजा मत लड़ाइये। सब के कच्चे चिट्ठे मेरे पास पड़े हुए हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। माननीय मदन जी, बैठ जाइये। (व्यवधान)

आप बहुत बोल रहे हैं माननीय सदस्य, समय हो जाएगा, आज की तारीख में मांगें मंजूर होनी हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : इसलिए मैं तो चाहता हूं सभापति महोदय, सहकारिता की भावना के आधार पर रचनात्मक सुझाव आज भी मेरे पास नहीं आये तो आप लिखित में भी दे सकते हैं, मैं उनके ऊपर विचार करूंगा। मैं आपकी भावना का, आपको दर्द हो रहा है बीकानेर की गणना का, उपभोक्ता संघ का और दर्द तो इस बात से है कि उसके ऊपर स्टे दे दिया लेकिन आपने यह नहीं सोचा ...।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह स्टे सही था क्या, यह बता दें।

श्री सभापति : माननीय कल्ला साहब, आप उत्तर सुनिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप अपनी आत्मा से कहें कि वह स्टे सही था क्या ? मैं मान लूंगा ।

श्री सभापति : माननीय कल्लाजी, इनको बोलने तो दीजिए । बात समाप्ति पर कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, वर्मा आगे अपना रिप्लाइ दे ही नहीं सकेंगे ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : सभापति जी, मैं तो आपने जो आरोप लगाया है उसका स्पष्टीकरण कर रहा हूं । स्टे मिला इसमें कोई शंका नहीं । सभापति महोदय, उपभोक्ता संघ में पहले 25 रुपये के सदस्य होते थे । हजारों व्यक्ति सदस्य थे । माननीय कल्ला साहब, बीकानेर से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य ने अपना एक ग्रुप हजारों आदमियों का, एक ही आदमी ने 100 रुपये के सदस्य बना लिये और हजारों रुपये एक ही आदमी ने जमा कर दिये और बाकी सदस्यों को निकाल दिया, केवल 100 रुपये के सदस्य को वोट का अधिकारी कर दिया । यह कानून में है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है कि पहले जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार में 25 रुपये के सदस्य थे और रजिस्ट्रार ने ऐसे निर्देश दिये···· ।

श्री सभापति : माननीय कल्लाजी यदि यों वाद-विवाद चलता रहेगा तो रिप्लाई नहीं चलेगा । आप इनकी पूरी सुन लीजिए, फिर जो प्रश्न हो आप बता दीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइंट आफ पर्सनल एक्स्प्लेनेशन । यह मेरा राइट है ।

श्री सभापति : अच्छा बताइये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है सभापति महोदय, ऐसा है (व्यवधान) मैं तो उसका मेम्बर ही नहीं हूं । यह उनको मालूम नहीं है, मैं उसका मेम्बर ही नहीं हूं । (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो क्या यह कोई अपराध है क्या ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो फिर आप नहीं हैं तो क्या हो गया उसमें····यह अपराध है क्या कि कोई भी जो है····

श्री सभापति : माननीय महावीरजी····

श्री बुलाकीदास कल्ला : ताकड़ी से तोलना नहीं है यहां पर । खोटे बोलिए मत आप यहां पर । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह अपराध है तो यह भी अपराध है ।

श्री सभापति : माननीय महावीर जी, आसन पर बिराजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, रजिस्ट्रार ने राजस्थान की कई सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों और जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार में जहां 25 रुपये के मेम्बर्स थे वहां 100 रुपये प्राथमिक सदस्यता के लिए निर्धारित किये । बीकानेर जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार के चुने हुए चेयरमैन ने रजिस्ट्रार से यह परमीशन ली कि यहां पर 100 रुपये के सदस्य बना दिये जायं । रजिस्ट्रार ने स्वीकृति दे दी । उसके बाद में पर्याप्त नोटिफिकेशन देने के बाद सारे लोग 100–100 रुपये के सदस्य बने । सहकारिता

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विभाग के अधिकारियों ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया और घोषित करने के बाद प्रथम चरण के चुनाव हो गये। द्वितीय चरण के चुनाव की घोषणा सहकारिता विभाग के चुनाव अधिकारी ने दी। उसके बाद चलती हुई चुनाव प्रक्रिया में.....

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, आपने अलाऊ कर दिया क्या ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, यह चुनाव के नियमों के विपरीत है.....

श्री सभापति : अब आप बिराजिए, आपने स्पष्टीकरण दे दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं काहे का आरोप लगा रहा हूं ... इसलिए इस गैर प्रजातांत्रिक आदेश को वापिस लीजिए.....।

श्री सभापति : अब आपने अपना स्पष्टीकरण तो दे दिया ना। अब आप बिराज जाइये। माननीय मंत्री जी, बहुत ही संक्षेप में बोलिये, 12 बजने वाले हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य, नत्थीसिंह जी ने भी अच्छा प्रकाश डाला। व्यवस्थापकों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने सुझाव दिया। बैंकों की स्थिति को सुधारने के बारे में सुझाव दिया लेकिन आज मैं एक बात कहता हूं। 26 केन्द्रीय सहकारी बैंक के अन्दर 25 घाटे की व्यवस्था में जा रहे हैं। 26 में से 25 अभी तो अन्तरिम ...... हमारी थी ...

स्थिति में भी नहीं आया था, को-आपरेटिव सेक्टर। सहकारी क्षेत्र उठने ही लगा था, इनमें आज लोकतंत्रीय व्यवस्था कायम रहने के अन्दर जितने चेयरमैन बैठे थे, हमारे बी. जे. पी. के तो नहीं थे। सारे ही इन्हीं के थे। इन्होंने इसको सुधारने का क्यों नहीं उपाय किया। 26 में से 25 सहकारी समितियां क्यों डाउन हैं इसमें, बैंक क्यों डाउन चले गये ? और स्थिति यह आ गई कि अगर हमने इस स्थिति को नहीं सम्भाला तो दो महीने में वेतन नहीं मिलेगा। फिक्स डिपोजिट भी गायब होती जा रही है, वेतन चुकाने में। यह कीर्तिमान किसने किया ? तो मेरा कहने का मतलब है चाहे अलवर बैंक को लो चाहे सीकर, गंगानगर, धोलपुर और चाहे सवाई माधोपुर की बैंक को लो, कोई कह सकता है ईमानदारी से कि इन बैंकों की स्थिति क्या है ? आप तो ताज्जुब करोगे कि सीकर बैंक में, अलवर बैंक में नियुक्तियों पर बैन लगा रखा है, 19 सदस्यों की तो डिमाण्ड है, 102 सदस्य लगा दिये ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक बना दिये और किसको बनाया इण्टर व्यू में जो आदमी ट्रेण्ड नहीं थे। 76 आदमी ट्रेण्ड बैठे हैं इंटर व्यू में और 102 लिये जिनमें केवल 3 आदमी ट्रेण्ड थे। यह व्यवस्था है ? सीकर बैंक के अन्दर चेयरमैन बैठे थे, कुल 99 आदमियों को ऋण देकर, केवल एक मशीन, वही मशीन जो सब जगह घूमती रही.....।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह किस बहस का जवाब दे रहे हैं आप। कहां सुन कर आये हैं यह ? यहां कोई हाउस में चर्चा नहीं हुई, बहस नहीं हुई, बात नहीं हुई, कहां से लाये ? (व्यवधान) चोर की दाढ़ी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

में तिनका है। यह खुद जिन आरोपों में फंसे हुए.... । ये आरोप आप किस पर लगा रहे हैं। कौनसा अध्यक्ष, कौनसी बात किस चीज की चर्चा।

श्री सभापति : आप बिराजिये। परम्परा यह है कि जब भी जवाब आता है, विभाग में क्या चल रहा है, विभाग की क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, सभी के बारे में बताया जाता है। और वे सब बता रहे हैं माननीय मंत्री जी। हां, माननीय मंत्री जी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, जो कि वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनको बैंकों की स्थिति के बारे में बता रहा हूं कि वो किस कारण से घाटे में चल रहे हैं? उसके ऊपर मुझे आपका समर्थन मिलना चाहिये था इसकी बजाय आप विरोध कर रहे हैं। अभी सम्माननीय सदस्य ने जालौर की समस्या को हाथ में लिया। मेरा ख्याल है पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जालौर की जो स्कीम पास हुई थी, उस स्कीम को मंजूरी किसने दी? योजना की स्वीकृति दी थी। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने यह कहा कि वे गलत बयान कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय हेतराम जी, यूं वाद-विवाद चलेगा नहीं। उनको बोलने दीजिये। फिर आप आखिर में पूछ लेना। आप स्पष्टीकरण दे देना। सुन तो लीजिये उनकी पूरी बात। जब आप बोले तो कोई नहीं बोला, आप पूरे 15 मिनट तक बोलते रहे। अब आप मंत्री जी की सुन लीजिये।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं तो चाहता हूं हम सभी में सहकारिता की भावना हो। सहकारी क्षेत्र आगे बढ़े, आपका योगदान हो। जो कुछ हो गया, उसको भूल जाइये। हमारे यहां जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ हुई है, घोटाले हुए हैं, गबन हुए हैं, राजकीय कार्य है, हम घोटालों की जांच कराते रहे हैं, अन्वेषण ब्यूरो को देते रहेंगे। लेकिन एक विचारणीय बिन्दु है कि जो सहकारिता का ढांचा हमने खड़ा किया था, उस पर हमें आप लोगों का समर्थन है क्या? कि जो सहकारिता का पुराना ढांचा था उसका हमने बहुत अच्छा काम किया है, उसका हम समर्थन करते हैं।

गृह निर्माण सहकारी समिति के बारे में कई माननीय सदस्य बोले। गृह निर्माण समिति को आज तक क्यों नहीं छेड़ा? 81 में एग्रीमेंट टू सैल हुआ, अब तो मैं 90 के साल में आया हूं लेकिन उस एग्रीमेन्ट टू सैल में 5 रुपये पर गवर्नमेन्ट को कितना नुकसान हुआ होगा? यह बात ठीक है कि.... ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सब को एक्वायर कर लें।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं तो ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं। सम्माननीय सदस्य, जो कुछ गलतियां हुई हैं उसको हम सुधार रहे हैं। यह सुधार तो सहकारिता को सुदृढ़ करने के लिए, हर क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए हमने विधि के अन्दर, कानून के अन्दर और एक्ट के अन्दर कुछ कमियां थीं, जिन धाराओं को भी जोड़ा है। हजारों पुरानी फाइलें पेंडिंग थीं, तीस-तीस साल से स्टे चल रहे थे। जब कानून में कमियां आनी

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

नजर आई, कोई रिकार्ड नहीं दे रहा था तीस साल से तो इसलिए इस सहकारिता क्षेत्र को सुधारने के लिए हमने कानून में परिवर्तन किया, रिकार्ड नहीं देने वाले के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान रखा। पहले रिकार्ड देता तो ठीक था, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। हमने रजिस्ट्रार को अधिकार दे दिये हैं सरकार की ओर से रिकार्ड की मांग करने पर कोई डी. आर., जोइंट रजिस्ट्रार जो कोई भी मांग करेगा, उसको रिकार्ड देना पड़ेगा ताकि भविष्य में गड़बड़ घोटाले का कोई केस नहीं हो। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अन्दर हमने चैक और बिल के माध्यम से काम कराने की तैयारी चालू कर दी ताकि कहीं गड़बड़-घोटाला नहीं हो एक-एक सहकारी समिति को सुधारने के लिए 3 बहुद्देशीय योजनाएं देंगे। हमारी एक ही खिड़की से सहकारिता का सारा कारोबार चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र की उपभोक्ता वस्तु का हो चाहे कृषि का अल्प-कालीन हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे लोंग टर्म का कार्य हो, उस ग्रामीण छोटी इकाई को मिनी बैंक बनाकर ग्राम सेवा समिति के माध्यम से देना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के हम सहकारिता के पवित्र मंदिर खड़े कर रहे हों उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिये।

कल्ला साहब, शुद्ध भावना से कह रहा हूं। कोई चीज दूषित भावना से नहीं कह रहा हूं। इसलिए मेरे कहने का मतलब है ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से उत्पीड़ित व्यक्तियों को, गरीब से गरीब व्यक्तियों को हम सदस्य बनाकर, जहां 80 लाख सदस्य राजस्थान मे बन रहे हैं एक करोड़ का हमारा लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी से छोटी वस्तु उसके काम में आने वाली, उसे हम सहकारिता के माध्यम से देना चाहते हैं। एक ऐसा पवित्र काम कराने चाहते हैं, उसे जन आन्दोलन बनाना चाहते हैं। अन्य क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार दे दिया या नहीं दिया, गरीब को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन सहकारिता के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में चाहे बुनकर क्षेत्र हो, या दूसरा क्षेत्र हो, हमारा सहकारिता के माध्यम से नये-नये आयाम खड़े करके रोज-गार देने का हमारा लक्ष्य है। 8 माह या 10 माह में सहकारिता क्षेत्र में जो आयाम खड़े किये हैं, आज कोई कलंक लगाने वाला नहीं। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सहकारिता के क्षेत्र में आपने वायदा किया था और मैं आज भी वादा करता हूं कि आज कोई यह कह दे कि 8 महीने या 10 महीने में एक भी गबन हुआ हो। पहले वाले गबन में तो टाइम लगता है, सहकारी कानून भी बहुत पेचीदे हैं उसमें भविष्य में सुधार करने की सोचेंगे ताकि प्रोसेस छोटा हो। राजस्थान में एक सलाहकार मण्डल बनाया, उसकी सलाह ली जायेगी।

माननीय सदस्य ने हमारे तिलम संघ पर आरोप लगाया है। वर्ल्ड बैंक से हमारी एक परियोजना बनाई गई है, उसकी शर्तों के अनुसार हमें मशीनरी खरीदनी पड़ती है, किसको अनुभव है इतना बड़ा गोदाम बनाने का, उस गोदाम को बनाने में कौनसी कम्पनी सक्षम है। जिसने जैसा डाइरेक्शन दिया उस पार्टी को, जो पार्टी है उसकी क्षमता है या नहीं। उसकी कोई क्षमता नहीं है क्योंकि उसने इतना बड़ा गोदाम पहले नहीं बनाया था। उनके डाइरेक्शन से, वर्ल्ड बैंक के डाइरेक्शन से हमने गोदाम बनाया लेकिन

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

एकदम बिना जांच के आरोप लगा दिया। आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, किसी पर भी आरोप लगाया जा सकता है। मैं इसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। माननीय नत्थी सिंहजी ने यह भी कहा कि पी. एल. डी. पी. भूमि विकास बैंक और को ऑपरेटिव बैंक को दूसरा स्टेशन बनाया जा रहा है या नहीं? राजस्थान का ही नहीं अन्य स्टेट्स की को ऑपरेटिव संस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है। वहां पर क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, पी. एल. डी. पी. को बनाने से कितना नुकसान हुआ, इतना जल्दी निर्णय हम नहीं कर सकते। अगर निर्णय करेंगे, सब बैठकर करेंगे, केबिनेट में करेंगे, हो सकता है आपको भी विचारानुसार अवगत कराया जायेगा और इस बारे में मैं सदन में मांग करता हूं कि माननीय सदस्य अपने विचार भेजें, उन विचारों का भी अध्ययन किया जायेगा। इसके बाद भी इतने बड़े आयाम को आगे प्रारम्भ किया जायेगा। सहकारी क्षेत्र है, यह कोई राजनैतिक क्षेत्र नहीं है। इसका न कोई सरकारीकरण है। दोनों से बचने का हम प्रयत्न करेंगे। जैसाकि पूर्व में यह राजनैतिक क्षेत्र बन चुका था, एक-एक आर्डर को आदेश या रूल्स मान लिया गया। यह आदेश थे को ऑपरेटिव के अन्दर। इसलिए को ऑपरेटिव डूबा है।

जहां तक व्यवस्थापकों का सवाल आता है, मैं फिर भी आपसे कहता हूं कि गुणात्मक ढंग से जो व्यवस्थापक अच्छा काम करेंगे, सुपरवाइजर की तनख्वाह देने का प्रयत्न करेंगे। ग्राम सेवा सहकारी समिति, जो कि मूल्यवान चीज है को ऑपरेटिव के अन्दर, इतना बड़ा काम करने वाली है इसमें चाहे जिसको लगा दिया जायेगा ताकि पुनः घाटे की ओर जायेगा। तो आपसे मैं वादा करता हूं आगे के समय के अन्दर कहीं भी किसी भी तरह का डोट सहकारी क्षेत्र के ऊपर नहीं आने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, 2–3 प्रश्नों के जवाब दिलवाइये।

श्री चतुर्भुज वर्मा : हमारे को ऑपरेटिव के हाउसिंग संघ के माध्यम से जिन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में मकान का ऋण दिया था। (व्यवधान)

हमारे सहकारी आवासन संघ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए कुछ कर्जा दिया था। शिड्यूलकास्ट और छोटे वर्ग के लोगों को दिया था। उनके ऊपर इन्ट्रेस्ट बहुत बढ़ चुका है। इसमें इसके बारे में विचार किया जायेगा कि उनको क्या राहत दी जाय। इसमें कोई शंका नहीं और उनके हित में निर्णय लिया जायेगा। को ऑपरेटिव क्षेत्र को सुधारने के लिए सुदृढ़ किया जायेगा। उच्च स्तर का अपने यहां रजिस्ट्रार नहीं होता है, अब यहां पोस्ट बढ़ाई गई है। एडिशनल रजिस्ट्रार जोधपुर में कायम किया गया है और इसके अलावा 10 और 15 साल में ए. आर. के कभी प्रमोशन नहीं हुए थे, 15 ए. आर. को हमने प्रमोशन देकर डी. आर. बनाया है और वेतनमान लागू करेंगे। ऐसा नहीं है, उनका वेतनमान लागू कर देंगे और व्यवस्थापकों को राजस्थान में ग्रेड के आधार पर सर्विस बनाई जायेगी।

ऐसा नहीं है, सहकारी क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र में आकर्षण बढ़ा है। शहरी क्षेत्र में भी गरीब व्यक्तियों का आकर्षण बढ़ा है

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

लेकिन सहकारी क्षेत्र में वो लोग बाधक बने हैं जो गांवों में नहीं रहते हैं, कहीं भी नहीं रहते हैं। केवल नेतागिरी के सहारे रहते हैं। उसके आधार पर उन्होंने इस क्षेत्र को बिगाड़ा है। धरती से जुड़ा व्यक्ति कभी सहकारी क्षेत्र को नहीं बिगाड़ सकता। सहकारी क्षेत्र को बिगाड़ने का मतलब होता है अपने परिवार को उजाड़ना और अपने देश को उजाड़ना लेकिन हर बात को मजाक में निकाल देते हैं। मैं इसमें गहराई में नहीं जाता हुआ जिन्होंने गलती की है वो भुगतेंगे और सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम जी-जान से, मन वचन और कर्म से कार्य करेंगे। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, हाउसिंग को ऑपरेटिव सोसाइटी से सम्बन्धित शिकायतों के बारे में पिछले दिनों जयपुर में जगह-जगह कैम्प लगाये गये और कैम्प लगाने के बाद जो शिकायतें प्राप्त हुई वह शिकायतें किस नेचर की थी और उसके बारे में आप क्या निर्णय लेने जा रहे हैं ?

(2) आपने जो आडिटर्स के स्थानांतरण की सूची निकाली उसको सारी की सारी क्या आपने कैन्सिल की ? किस के दबाव में की ?

(3) जो आपने बीकानेर जिला उपभोक्ता भण्डार के चुनाव स्थगित किये क्या वह वैधानिक रूप से सही था ?

(4) बीकानेर में को ऑपरेटिव सैक्टर में तिलहन का कारखाना, आईल रिफाइण्डरी आपने प्रारम्भ की है उसका प्रोडेक्शन कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापतिजी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि सहकारी समितियों में 1241 पंजीकृत है उनमें से काफी समितियां अच्छी हैं। कुछ के आपने कैम्प लगा के....

श्री सभापति : आप प्रश्न ही पूछिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने उनमें कुछ दोष छांटे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को आपने छांटा क्या उनके चालान पेश कर दिये गये या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? और अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई ? मैं यह जानना चाहूंगी कि कितनी समितियां अच्छी हैं, आप भी प्रशंसा कर सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं उनको क्लियर करके आवासीय योजना में कब तक उनका नियमन कर देंगे ? यह मेरा एक प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो आपने बिल पास करवाया उसमें मेरा निवेदन यह है कि ऑडिट टाइम पर हो जाय तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने अधिकार तो ले लिया एक वर्ष तक प्रशासक को रखने पर मेरा कहना है कि आप चुनाव टाइम पर करवायेंगे।

तीसरी बात, बैंकों में खाली स्थान पड़े हैं उसमें आप बैन हटा कर उन बैंक के कर्मचारियों को रखेंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के पदों पर बैन है और कार्य नहीं हो रहा है। इन बातों का मेरा उत्तर दे दें। (धन्यवाद)

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, मेरा एक प्रश्न है। सभापति महोदय,

(श्री ग्रमीन खां)

मैं ग्रापकी मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकारी बैंक के संचालकों का ग्रलग-ग्रलग निर्वाचन क्षेत्र ग्राप बनाना क्यों न नहीं चाहते हो ग्रौर जबकि सामुहिक नये डाइरेक्टरों का एक ही बेलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहते हो ? इससे जनता को ग्रौर जन-प्रतिनिधियों को क्या सुविधा है ? जबकि लोक सभा का ग्रपना ग्रलग क्षेत्र है, विधान सभा का ग्रलग क्षेत्र है ग्रौर पंचायत का ग्रलग क्षेत्र है, पंचायत समिति का ग्रलग क्षेत्र है ग्रौर भूमि विकास बैंक का भी ग्रलग-ग्रलग क्षेत्र है । तो केन्द्रीय सहकारी बैंक में मत्री महोदय, मैं ग्रापको यह भी खुलासा कहता हूं, हमारे वक्त के शासन में ग्रपने जिले के एक ग्रादमी ग्रपने प्रभाव में न ग्राने के कारण से राजस्थान में ऐसा थोप दिया, एक जन सुविधा के लिए को ग्रॉपरेटिव के डाइरेक्टरों की कान्स्टीट्यूएंसी ग्रलग-ग्रलग करें ।....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि भरतपुर को ग्रॉपरेटिव बैंक के बारे में उनके विभाग के ग्रधिकारी ने कोई जांच की है क्या ? जांच में क्या किसी बैंक की व्यवस्था पर राजनीतिज्ञों का इतना दबाव ग्रौर उसमें करोड़ों रुपयों का गड़बड़ घोटाला पाया है ग्रौर उन्होंने यह महसूस किया है कि यदि जांच नहीं की गयी तो को ग्रॉपरेटिव सैक्टर हमेशा के लिए इस प्रांत में बदनाम हो जायेगा ? क्या मंत्री महोदय, इस प्रकार से जो गड़बड़ घोटाले किये गये हैं उनको ठीक करने या जांच करने का कोई विचार रखते हैं ?

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : जयपुर जिले के काश्तकारों के ग्राम सेवा सहकारी समिति में 40,000 से लेकर 50,000 रुपये तक, जिनका कट मोशन में मैंने पास-बुक नम्बर भी दिये हैं लेकिन उनका कहीं रिकार्ड में दर्ज नहीं है ग्रौर न काश्तकारों को पैसे दे रहे हैं जिनकी जांच ग्रापके विचाराधीन भी है । मैं ग्रापसे निवेदन करता हूं कि उन काश्तकारों के जो 1984-85 में जमा हुए थे 40,000 रुपये उनको ग्रभी तक नहीं लौटाये गये हैं ग्रौर यह कहते हैं कि रेकार्ड ग्रापके पास वहां पड़ा हुग्रा है । मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि उनकी जांच ग्राप कब तक पूर्ण करके उनको पैसा लौटा देंगे ?

श्री सभापति : श्री हेतरामजी ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : मंत्री जी क्या यह बताने का कष्ट करेंगे, मैंने सवाल पूछा था कि चार ग्रापके उच्च ग्रधिकारी हैं ग्रापने उनके खिलाफ, जिनका गबन साबित हो गया ग्रौर ग्रापके ग्राडिटर ने जांच करली ग्रौर ग्रापने 74 की कार्यवाही दर्ज कर ली । उनके खिलाफ ग्रापने एक्शन नहीं लिया ग्रौर उनको ऊंची तरक्की दे दी, यह क्या वजह है ? एक उनके चेयरमैन थे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके खिलाफ पांच लाख का बकाया निकाला है, ग्रापने ग्रभी तक पुलिस में दर्ज करवा कर वसूली नहीं करायी है ?

दूसरा, जिस साइला रोड़ की ग्राप बात कर रहे हैं कि ग्राप एक्शन लेंगे, 16 लाख रुपये का ग्राप क्या करेंगे ? ग्राप 16 लाख रुपये दे चुके हैं उनको कैसे वसूल करेंगे ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : सभापति महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना

(342)

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

चाहूंगा। भरतपुर को ऑपरेटिव बैंक के अन्दर आडिटरों के द्वारा जो जांच की गई और उस जांच के अन्दर करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है....

श्री सभापति : यह आ चुका है, आप बैठिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : क्या मंत्री महोदय जो घपला आडिट रिपोर्ट में आ गया है उसकी जांच के लिए अन्वेषण ब्यूरो को जांच के लिए भेजने को तैयार है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, एक ही प्रश्न है मेरा केवल, दूसरा नहीं होगा। सहकारिता का मामला है, एक ही प्रश्न करूंगा। मेरा यह निवेदन है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक जो हमारे जिला सवाई माधोपुर की है उसके अन्दर घोटाला हुआ और उसकी जांच चल रही हैं। माननीय मंत्री महोदय कृपया यह बतलावें अब यह जांच कब तक पूरी होगी और जो दोषी व्यक्ति है उनको दण्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कब तक मिलेगा ?

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, जहां तक सवाई माधोपुर का सवाल है, धारा 36 का नोटिस मिल चुका है। जांच जारी है और बहुत जल्दी ही डिस-क्वालिफाइड हो जायेंगे।

जहां तक माननीय सदस्य लक्ष्मीनारायणजी और हमारे मदनजी सैनी ने जो भरतपुर के बारे में पूछा। यह बात सही है कि भरतपुर क्षेत्र के अन्दर सहकारी बैंक के अन्दर काफी घोटाले हैं। और आज से नहीं हुए, सन् 1972 से और आज के करीब सवा करोड़ के उसके अन्दर घोटाले हैं। और यह बैंक भी यूं कहना चाहिये आगे चलेगी या नहीं चलेगी, इनको कौन तनख्वाह देगा। स्थिति यह आ गयी है कि लोगों का जो पैसा बैंक के अन्दर जमा है फिक्स डिपोजिट का, वह भी खत्म होता जा रहा हैं। हाई कोर्ट के अन्दर केस चल रहा है, पेंडिग है। लोकायुक्त में केस चला है. पेंडिग है। इसके अलावा यहां से विधान सभा से एक कमेटी गयी थी उसके सुझावों को भी ओवर लुक किया गया। गबन का यही कारण है कि जिस अधिकारी ने गबन किया उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपसे यह वायदा करता हूं कि अगर लोकायुक्त में केस देना होगा तो उसमें दिया जायेगा और अगर अन्वेषण ब्यूरो में देना आवश्यक होगा तो उसमें दिया जायेगा।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, भरतपुर बैंक में कोई घोटाला हो तो उसकी जांच होनी चाहिये, किसी से कराई जाय उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि यह सवाल राजनीतिक आधार पर सन् 1977 में भी उठाया गया था और बाद में भी उठाया गया था और सारा मैटर राजस्थान विधान सभा की जो आश्वासन समिति है, हरिदेवजी जोशी उसके अध्यक्ष थे, उसमें आया। और यह जवाब आया कि इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। जो सोसाइटियों के पदाधिकारी हैं उनके हुआ है। इसलिए यह जो इम्प्रेशन बनाया जा रहा है, असत्य आप कह रहे हैं। खूब जांच कराइये, मैं कहता हूं। लेकिन इस तरह की हवा बनाते हो झूठी

(श्री नत्थीसिंह)

वह राजनीति नहीं चलेगी । झूठी हवा नहीं चलेगी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

श्री सभापति : जरूरी नहीं है प्रश्न का उत्तर देना । मैं माननीय मंत्रीजी को बाध्य नहीं कर सकता उत्तर देने के लिए । आपने सवाल रख दिये जिसके उत्तर देने थे उनके दे दिये । अब आप बिराजिये । माननीय बिराजिये ।

मांग संख्या–27 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,59,27,43,000/–(तीन अरब उनसठ करोड़ सत्ताइस लाख तियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे । (स्वीकृत)

मांग संख्या–27 स्वीकार की गई ।

मांग संख्या–36 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 71,78,23,000/-(इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख तेइस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे । (स्वीकृत)

मांग संख्या–36 स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 1991 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.50 बजे सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 1991 के म. पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट 1

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर ।

कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अदालत के निर्णय की पालना

432. **श्री कुंजीलाल** (बामनवास) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1986 में कनिष्ठ लिपिकों की सीधी भर्ती हेतु अदालत के निर्णयानुसार 33.50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने सम्बन्धी मामले को सरकार कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1986 में कनिष्ठ लिपिकों की सीधी भर्ती में 33.50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने सम्बन्धी अदालत का कोई निर्णय नहीं है ।

मंदिर, विद्यालय तथा आबादी क्षेत्रों के नजदीक शराब के ठेके

433. **श्री अमृतलाल परमार** (बाली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मंदिर, विद्यालय, आबादी के पास शराब के ठेके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बाली फालना सराय के पास अब भी शराब के ठेके हैं जहां रोजाना झगड़े होते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारी ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) बाली में एक देशी मदिरा उप दुकान सराय के पास थी जिसे हटा दिया गया है । देशी मदिरा उप दुकान बाली पर झगड़ा होने की कोई सूचना नहीं है । अलबत्ता, बाली नगरपालिका क्षेत्र में स्थित भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकान पर झगड़ा हुआ था जिसके बाबत एफ. आई. आर. संख्या 111/90 दर्ज किया गया और इस मामले में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है । फालना में सराय के पास कोई दुकान नहीं है और न ही झगड़े के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ।

(3) जी नहीं । अतः कार्यवाही अपेक्षित ही नहीं है ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में विनियोजित पूंजी

434. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कितनी पूंजीविनियोजित की गई ? निगम की स्थाई, अस्थाई- चल व अचल सम्पत्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(2) निगम को गत 10 वर्षों में कितना घाटा हुआ है ? वर्षवार घाटे के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त निगम के घाटे को देखते हुए निगम को समाप्त करके निगम की सम्पत्ति का अन्य लाभदायक निवेशों में उपयोग करने का विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार निजी बसों की सेवाओं को प्रोत्साहित करके व उन पर कड़ा प्रशासनिक नियन्त्रण रख कर जनता को लाभान्वित करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो इस घाटे को कम करने के लिये निगम ने क्या प्रयास किये ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1989–90 तक की बैलेन्स सीट के अनुसार निगम में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की कुल पूंजी 60,43,55,000/- रुपये विनियोजित की हुई है। निगम की स्थाई, अस्थाई, चल व अचल सम्पति का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) निगम को गत 10 वर्षों में (1980-81 से 1889-90 तक) लाभ/हानि के विवरण अनुसार 1612.29 लाख रुपयों का तथा पुराने वर्षों के समयोजन पश्चात् 2392.43 लाख रुपयों का घाटा हुआ है। वर्षवार हानि/लाभ के आंकड़े सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

निगम की स्थाई एवं चल सम्पत्ति का विवरण

(अ) पूंजी एवं स्थाई सम्पत्ति 1989–90 के प्रोविजनल लेखों के अनुसार :

1. दिनांक 31–3–90 को राज्य सरकार की पूंजी	41,85,50,000-00	रुपये
2. दिनांक 31–3–90 को केन्द्रीय सरकार की पूंजी	18,58,05,000.00	रुपये
योग :—	60,43,55,000-00	रुपये

(ब) 1. स्थायी सम्पत्ति :

भूमि	74,79,901-61	रुपये
भवन	7,05,12,306-09	रुपये
2. यात्री सुविधायें :		
पक्का	25,96,339-50	रुपये
कच्चा	21,91,650-63	रुपये
3. टूल्स	26,74,966-15	रुपये
4. प्लान्ट एवं मशीनरी	86,68,183-77	रुपये
5. वाहन	88,60,73,362-07	रुपये
6. स्टाफ कार	93,53,532-35	रुपये
7. फर्नीचर एवं फिक्चर्स	35,61,336-19	रुपये
8. कार्यालय सामान	15,70,486-80	रुपये
9. इंजिन	12,90,48[illegible]-00	रुपये
योग :—	99,59,72,552-16	रुपये

(स) चल सम्पत्ति :

स्पेयर पार्टस	4,54,10,467-98	रुपये
पैट्रोल, डीजल, आयल एण्ड लुब्रिकेन्टस	50,86,563-71	रुपये
टायर, ट्यूब एवं बैट्रीज	8,51,172·40	रुपये
स्टेशनरी एवं फार्मस	26,76,356-36	रुपये
निर्माण पर कार्य	48,09,000-00	रुपये
यूनिफार्म	7.52,383-48	रुपये
पी. डी. अकाऊन्ट	204-40	रुपये
बैंक शेष	4,86,44,270-99	रुपये
नकद	30,48,494-93	रुपये
ट्रांजिट	3,00,12,619-84	रुपये
गबन	3,70,497-28	रुपये
योग :—	14,86,62,031-37	रुपये

निगम की 10 वर्षों में वर्षवार हुए घाटेलाभ का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान लाभ/हानि (लाख रुपयों में)	पुराने वर्षों का समायोजन (लाख रुपयों में)	शुद्ध लाभ/हानि (लाख रुपयों में)
1.	1980–81	– 730.21	– 24.14	— 706.07
2.	1981–82	–1092.67	112.96	–1205.63
3.	1982–83	– 577.72	103.31	– 681-03
4.	1983–84	+ 63.94	58.59	+ 132.53
5.	1984–85	+ 181.29	94.58	+ 275.87
6.	1985–86	+ 225.81	– 14.24	+ 211.57
7.	1986–87	+ 218.74	– 29.22	+ 189.52
8.	1987–88	+ 63.01	16.71	+ 79.72 (प्रोविजनल
9.	1988–89	+ 15.22	–280.06	– 264.84 लेखों के
10.	1989–90	+ 20.30	–444 37	– 424.07 आधार पर
		(–)1612 29		(–)2392.43

राज्य के विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम योजना

435. **श्री चम्पालाल** (ब्यावर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1) क्या सरकार की राज्य में सभी विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम एक समान करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

राज्य के विश्वविद्यालय स्वशाषी सस्थायें हैं और अपने पाठ्यक्रम का स्वयं ही निर्धारण करते हैं ।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केसरी-सिंहपुर में सड़कों का निर्माण

436. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

केसरीसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में कितनी सड़कें मंजूर की गई और उसके अन्तर्गत कितनी सड़कों का निर्माण किया गया, कितनी अधूरी रही ? अधूरी सड़कें कब

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

तक पूरी कर दी जायेंगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

केसरीसिंहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1989-90 में निम्न 2 सड़कें स्वीकृत की गईं :

क्र.सं.	सड़क का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	स्वीकृत लम्बाई	निर्माणाधीन लंबाई
1.	2.	3.	4.	5.
1.	सम्पर्क सड़क जोधेवाला (जोब नं. 189 (37) 89-90)	उप. सचिव, एफ-2 सानि ए. एम. एन. पी. 0/ एस./89 दिनांक 21-10-89 राशि 12.50 लाख	5.0 किमी.	3.300 किमी.
2.	सम्पर्क सड़क दौलतपुरा से कौनी जाब न. (37) 89-90)	उप सचिव, एफ-2 सानि/ए. 258/एम. एन. पी./ एस/89 दिनांक 21-10-89 राशि 4.0 लाख	2.0 किमी.	1.000 किमी.

इसके अन्तर्गत दोनों सड़कों का निर्माण किया जा रहा है तथा दोनों ही अधूरी हैं। हाथ में ली गई सड़क की लम्बाई का अधूरा कार्य सितम्बर, 1991 में पूर्ण होने की संभावना है। शेष अधूरी सड़क को पूर्ण करना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(2) वर्ष 1990-91 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई सड़क स्वीकृत नहीं की गई।

लूनी नदी में आई बाढ़ से बालोतरा उपखण्ड के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

431. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माह जुलाई, अगस्त, 1990 में लूणी नदी में आई बाढ़ से बालोतरा उपखण्ड के कितने व्यक्ति हताहत हुए, कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी-कितनी सहायता किस-किस रूप में किन-किन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब कब तक पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी ?

उत्तर

(1) माह जुलाई, अगस्त, 1990 में लूनी नदी में आई बाढ़ से बालोतरा उपखण्ड के 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। मृतकों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। उपखण्ड बालोतरा में बाढ़ से 15235 परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं जिसका विवरण

(श्री चम्पालाल बांठिया)

सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(परिशिष्ट "ख")

2. मृतकों के परिजनों को 2,17,500 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है। बालोतरा कस्बे में 64,740/- रु. अनुग्रह सहायता की राशि का नकद भुगतान भी किया गया है। उपखण्ड बालोतरा में 750 क्विंटल गेहूं भी प्रभावित क्षेत्र में निःशुल्क वितरण किया गया है।

बाढ़ से प्रभावित परिवारों को मकानों की क्षति हेतु 67,34,950/- रु. की भुगतान की स्वीकृति जारी की जा चुकी है क्षतिग्रस्त मकानों का गांववार विवरण एवं भुगतान हेतु जारी स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट "ग" में दर्शाया गया है।

3. वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व बचे हुए सभी प्रभावित व्यक्तियों को सहायता राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 438 (स्थगित)

छबड़ा-छीपाबड़ौद क्षेत्र में मिट्टी के तेल की एजेन्सी

439. **श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा)**: क्या खाद्य व आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) छबड़ा छीपाबड़ौद में मिट्टी के तेल की एजेन्सी किसके पास है? कितना मिट्टी का तेल हर माह वितरित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त एजेन्ट ने मिट्टी के तेल रखने का फर्जी टैन्कर बता रखा है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त एजेन्ट फर्जी रिकार्ड पर कमीशन लेता है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) छबड़ा छीपाबड़ौद में मिट्टी के तेल की एजेन्सी मैसर्स सोनी ब्रदर्स के पास है। 50-50 किलोलीटर मिट्टी का तेल प्रतिमाह दोनों तहसील क्षेत्रों में वितरण किया जाता है। माह अप्रेल, 90 से फरवरी, 91 तक वितरण किये गये मिट्टी के तेल का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

माह अप्रेल, 90 से फरवरी, 91 तक वितरण किये गये मिट्टी के तेल का विवरण ।

क्र. सं.	नाम माह	तहसील छबड़ा में (किलोलीटर)	तहसील छीपाबड़ौद में (किलोलीटर)
1.	अप्रेल, 90	54	42
2.	मई, 90	50.5	43.5
3.	जून, 90	51	45
4.	जुलाई, 90	67.17	56
5.	अगस्त, 90	52	48
6.	सितम्बर, 90	50	54
7.	अक्टूबर, 90	52	60
8.	नवम्बर, 90	46	64
9.	दिसम्बर, 90	44	58
10.	जनवरी, 91	54	54
11.	फरवरी, 91	56	40

शीघ्र, सस्ता व सुलभ न्याय की अपेक्षा में सरकार की योजना

440. **श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द)** : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध हो इसके लिये केम्प कोर्ट या अन्य कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या सरकार मुकदमों की अत्यधिक संख्या को मध्य नजर रखते हुए अतिरिक्त नये न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कितने न्यायालय खोले जावेंगे ?

उत्तर

(1) कैम्प कोर्ट स्थापित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कई वाद शीघ्रता से निपटाये जाते हैं ।

(2) जी, हां ।

इस वर्ष पांच ए. डी. जे. न्यायालय तथा 20 मुंसिफ कोर्ट के नये न्यायालय खोले जाने की संभावना है ।

राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बन्ध व्याख्याताओं को छात्रवृत्ति

441. **श्री सालिगराम (बयाना) एवं**

(श्री सालिगराम)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज में कार्यरत व्याख्याता उसी विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति (विभागीय) प्राप्त कर सकता है ?

(2) क्या यह सही है कि किसी व्याख्याता ने वर्ष 1985 के माह जनवरी में राजकीय महाविद्यालय देवली से वेतन प्राप्त किया है और विश्वविद्यालय (भूगोल विभाग) से छात्रवृत्ति भी प्राप्त की है ? यदि हां, तो व्याख्याता का नाम, नियम की प्रति, स्वीकृति प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) राजकीय महाविद्यालय, देवली में भूगोल विभाग में निम्नलिखित व्याख्याताओं ने माह जनवरी, 85 में वेतन उठाया है :–

1. कु. सुधा गर्ग, अस्थायी 18-1-85 से वेतन प्राप्त किया ।

2. श्री जगदीश प्रसाद, अस्थायी 19-1-85 से कार्यग्रहण किया ।

3. श्री किशन राम स्थायी पूर्व से वेतन प्राप्त कर रहा है ।

राजस्थान विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उपरोक्त व्याख्याताओं में से एक श्री जगदीश प्रसाद को विश्वविद्यालय ने भूगोल विभाग के माध्यम से माह जनवरी, 1985 के रु. 450 /– की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है । नियमों एवं स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(नियमों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चिकित्सा विभाग के डाक्टरों/मेल नर्सों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति

442. **श्री जुबेर खांन** (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मार्च, 1990 से अब तक कितने डाक्टरों का स्थानान्तरण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) मार्च, 1990 से अब तक कितने मेल नर्स सेकेन्ड ग्रेड के स्थानान्तरण किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उपरोक्त स्थानान्तरणों में सरकार ने कोई नीति की पालना की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मार्च 1990 से 14-3-91 तक की अवधि में जिन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों के स्थानान्तरण किये गये हैं, उनकी सूची श्रेणीवार निम्न प्रकार है :–

1. वरिष्ठ विशेषज्ञ	44
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ	280
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रति· मुख्य चिकित्सा एवं	56

(श्री जुबेर खान)

स्वास्थ्य अधिकारी/उप अधीक्षक/उप नियंत्रक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक

4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 1046

चिकित्सा अधिकारी

(2) मार्च, 1990 से अब तक 910

मेल नर्स श्रेणी के स्थानान्तरण किए गए। जिलेवार-सूची सदन की मेज पर रखी दी गई है।

(3) सामान्यतया स्थानान्तरण निर्धारित नीति/रीति को दृष्टि में रखते हुए ही किए गए हैं।

मेलनर्स श्रेणी 2 के मार्च 1990 से अब तक किये गये स्थानान्तरणों की जिलेवार सूचना

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थानान्तरण की संख्या	क्र.सं.	जिले का नाम	स्थानान्तरण की संख्या
1.	अजमेर	32	16.	झालावाड़	23
2.	अलवर	64	17.	जालौर	25
3.	बांसवाड़ा	34	18.	झुंझुनू	35
4.	बाड़मेर	37	19.	जोधपुर	64
5.	भरतपुर	18	20.	कोटा	69
6.	भीलवाड़ा	30	21.	नागौर	50
7.	बीकानेर	14	22.	पाली	35
8.	बून्दी	36	23.	सवाईमाधोपुर	41
9.	चित्तौड़गढ	19	24.	सीकर	66
10.	चूरू	34	25	सिरोही	22
11.	डूंगरपुर	16	26.	टोंक	17
12.	धौलपुर	8	27.	उदयपुर	41
13.	गंगानगर	26			
14.	जयपुर	36			910
15.	जैसलमेर	20			

निम्बी जोधा (जिला नागौर) की कृष्ण गुलाब गौशाला द्वारा संचालित चारा डिपो

443. **श्री किशनगोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अकाल वर्ष के दौरान निम्बी जोधा (जिला नागौर) की कृष्ण गुलाब-गौशाला द्वारा संचालित चारा डिपो के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने क्या गड़बड़ी पाई ?

(2) क्या प्रशासन द्वारा उक्त गौशाला के चारा परिवहन अनुदान राशि रुपये 57,568.50 का भुगतान रोका गया ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक भुगतान किये जाने का विचार है ?

(3) क्या जिला कलक्टर, नागौर ने जिला कलेक्टर (सहायता) चूरू को पद-संख्या परिवहन 180/2880 दिनांक 4-8-1990 लिखा गया था ? यदि हां, तो पत्र किस संदर्भ में लिखा गया ? उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर नागौर ने जिला कलक्टर (सहायता) चूरू को उक्त राशि को शीघ्र भुगतान करने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो अब तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सम्वत 2044 के दौरान श्री कृष्ण गुलाब गौशाला द्वारा संचालित चारा डिपो के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली परन्तु संस्था के बिलों पर आडिट आक्षेप पाये गये ।

(2) जी नहीं । 6028 रु. का भुगतान करने के बाद आडिट आक्षेप के फलस्वरूप 51,568.50 रुपये का भुगतान रोक दिया गया है । आक्षेप की पूर्ति के पश्चात् इस संबंध में मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय के बाद ही कार्यवाही की जा सकेगी ।

(3) जिला कलक्टर, नागौर द्वारा जिला कलक्टर, चूरू को पत्र संख्या 2681 दिनांक 4-8-90 लिखा गया है जो कि विभागीय जांच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के आक्षेप के संबंध में है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है ।

(4) जी नहीं । संस्था द्वारा प्रस्तुत गुड्स रिसीप्ट्स में चारा परिवहन का स्थान चूरू बताया गया था । इस हेतु दोहरे भुगतान से बचने के लिए जिला कलक्टर चूरू से सूचना चाही गई थी ।

परिशिष्ट 'क'

कार्यालय जिला कलक्टर सहायता (नागौर)

क्रमांक:–सहायता/चारा परिवहन/90/2680 दिनांक:–4-8-90

वास्ते :–

व्यवस्थापक,

श्री कृष्ण गुलाब गौ शाला
पोस्ट निम्बी जोधा 341316

विषय :–बकाया चारा परिवहन अनुदान के बिलों का भुगतान करने ।

प्रसंग :–आपका पत्रांक:–दिनांक 25-7-90

आपके प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत बिल्टियों में से 6 बिल्टियां चूरू जिले के नाम की थी । इसलिए जिला कलक्टर चूरू को इस कार्यालय के पत्रांक:-सम/2177 दिनांक 12-10-89 के द्वारा उक्त बिल्टियों का भुगतान न करने अथवा करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र मांगा गया है मगर अभी तक उनसे यह प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी ।

एस. डी.
जिला कलक्टर (सहायता)
नागौर

क्रमांक:–सम/2681 दिनांक 4-8-90

प्रतिलिपि:–जिला कलक्टर, (सहायता) चूरू को इस कार्यालय के पत्रांक सम/2177 दि. 12-10-89, 3334–36 दि. 1-12-89, 494–95 दि. 24-3-90 के सन्दर्भ में भेजकर निवेदन है कि वांछित सूचना शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करायें क्योंकि संस्था बकाया भुगतान करने के लिए बार-बार ताकीम कर रही है ।

एस. डी.
जिला कलक्टर (सहायता)
नागौर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नागौर जिले की संस्था श्री कृष्ण गुलाब गौशाला निम्बी जोधा द्वारा नागौर जिले के ग्राम निम्बी जोधा में चारा डिपो के लिए राजस्थान से बाहर के राज्यों से चारा निम्न बिल्टियों द्वारा लाया गया है। चूंकि यह उक्त बिल्टियां आपके जिले के नाम से जारी की हुई है और उक्त संस्था ने चारा परिवहन अनुदान की राशि की मांग इस जिले में की है। इसलिये कृपया यह जांच कर एक सप्ताह में अवगत करावें कि क्या उक्त बिल्टियों द्वारा लाये गये चारे की परिवहन अनुदान की राशि आपके जिले से उठाई गई है अथवा नहीं ? यदि अनुदान की राशि उठाई गई है तो उसका पूर्ण विवरण भिजवाने का श्रम करावें।

क्र.सं.	ट्रक नम्बर	ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम	बिल्टी नं. दिनांक	स्थान का नाम जहां से बिल्टी जारी हुई	स्थान का नाम जहां के लिए बिल्टी जारी हुई	किराया की राशि	माल भेजे जाने वाले का नाम	माल पाने वाले का नाम
1.	एच. वाई. टी. 1425	दी डिंग ट्रक यूनियन डिगमण्डी (सिरसा) हरियाणा	9899 / 13-7-88	मावदी	सरदार शहर	3500/–	भवदीन	सैल्फ
2.	एच. एन. क्यू. 5688	दी लड़वा जनता ट्राम आपरेटर्स यूनियन, लड़वा	378 / 17-6-88	लड़वा	छापर	4500/–	दिलबाग सिंह	भरत रिलिफ सोसायटी, छापर
3.	एच. आर. एच. 1467	दी पब्लिक कैरियर (ट्रक) यूनियन श्री जीवननगर (सिरसा)	567 / 20-6-88	सिरसा	सरदार शहर	3412.20	जफर अली करीम खां	सैल्फ
4.	एच. एन. टी. 1277	दी ट्रक आपरेटर यूनियन बखाला (हिसार)	434 / 27-6-88	बखाला	छापर	2000/–	बलजीतसिंह	सेवा समिति छापर
5.	एच. वाई. क्यू. 7588	दी लड़वा जनता ट्रक आपरेटर्स यूनियन, लड़वा	388 / 24-6-88	लड़वा	,,	4500/–	किशनलाल	भरत रिलीफ सोसायटी छापर
6.	एच. वाई. क्यू. 4588	दी के. एस. टूर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, लड़वा	16261 / 25-6-88	,,		4500/–	रामकुमार लड़वा	,, ,,

एस. डी.
जिला कलक्टर (सहायता) नागौर

तारांकित प्रश्न संख्या 444
(स्थगित)

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राजकीय व्यय पर प्रशिक्षण

445. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) वर्ष 1990 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कौन-कौन अधिकारी कब-कब, कितने कितने समय के लिये, प्रशिक्षण अथवा अन्य कारण से राजकीय खर्चे पर विदेश गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे अधिकारियों को विदेश से लौटने पर कहां-कहां पदस्थापित किया गया।

उत्तर

(1) वर्ष 1990 में भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी राजकीय खर्चे पर विदेश में प्रशिक्षण अथवा अन्य कारणों से नहीं गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

गलत सूचना देने पर डा. एस. एस. माथुर के विरुद्ध कार्यवाही

446. **श्री दिलसुख राय** (फतेहपुर) एवं **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (भुन्झुनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डाक्टर एस. एस. माथुर ने राज्य सरकार को अपने पत्र दिनांक 16-11 1989 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के दो हजार पद रिक्त होने की सूचना दी थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सूचना सही पाई गई ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो श्री माथुर के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। डाक्टर एस. एस. माथुर द्वारा जो सूचना राज्य सरकार को भेजी गई थी, वह अनुमानित थी तथा सही थी। पत्र दिनांक 16-11-1989 की प्रति सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है। चूंकि राज्य सरकार एवं निदेशालय की पत्रावलियां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं में उच्च न्यायालय में पेश की हुई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।

कला एवं स्थापत्य कला की सर्वेक्षण शाखा

447. **श्री फूलचंद गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में कला एवं स्थापत्य कला की सर्वेक्षण करने की कोई शाखा है ? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में इन शाखाओं की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही ?

(2) कला एवं स्थापत्य सर्वेक्षण का गत पांच वर्षों का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग में स्थापत्य एवं कला सर्वेक्षण की शाखाएं विद्यमान हैं। गत 5 वर्षों में इन दोनों शाखाओं की उपलब्धियां निम्नलिखित है :—

(कला एवं संस्कृति मंत्री)

I. **कला सर्वेक्षण योजना :**

इस योजनान्तर्गत सिरोही, पाली, जालौर, चित्तौड़गढ़ जिलों का सर्वेक्षण किया गया। इन जिलों की प्रतिमाओं, कुण्ड, छतरियों, शिलालेख, गुफायें, कुषाणकालीन मृद पात्र, भित्तिचित्रों, जैन मन्दिरों बावड़ियों, मंदिरों इत्यादि की खोज एवं अध्ययन किया गया।

II. **स्थापत्य सर्वेक्षण :**

स्थापत्य सर्वेक्षण द्वारा बूंदी, चित्तौड़गढ़ का सर्वेक्षण किया गया। इन जिलों के मंदिरों, हवेली, बावड़ियों आदि की खोज एवं अध्ययन के साथ-साथ इन्हें सूचीबद्ध किये जाने संबंधी कार्य किया गया है।

(2) गत पांच वर्षों में कला एवं स्थापत्य सर्वेक्षण के अन्तर्गत उपलब्धियों का विवरण संलग्न हैं।

कला सर्वेक्षण

1985–86

सिरोही जिले का सर्वेक्षण किया गया। इस जिले की 7वीं शताब्दी के परेवा पत्थर को सरस्वती, बसन्तगढ़, तहसील पिनुवाड़ा को मंदाकिनी कुण्ड, ग्राम विन्दोवर, जिला पाली स्थित 1857 ई. के गदर से संबंधित छतरी, शिलालेख, ग्राम खण्डार (सवाई माधोपुर) जैन तीर्थंकरों की 10 से 19वीं शताब्दी को शिलोत्कीर्ण प्रतिमायें, गुफाओं की खोज की गई।

1986–87

ग्राम खोड से बाहर कुषाण काल मृद पात्र (पोटरी) देखे गये। चण्डावल (पाली) वरोहिट (पाली) के राजमहलों, देवालयों के 18वीं शताब्दी के भित्ति-चित्र देखे गये। आबू स्थित अधर देवी मंदिर में परेवा पत्थर की प्रतिमायें पांचवीं शताब्दी की खोजी गयी।

1987–88

पाली व जालौर जिलों के 50 ग्रामों के सर्वेक्षण के अन्तर्गत शिव, जैन, विष्णु मंदिर, मंदिरों की पाषाण, धातु प्रतिमाओं, शिलालेखों, भित्ति-चित्रों, बावड़ियों का विस्तृत अध्ययन एवं सर्वेक्षण किया गया।

1988–89

जालौर जिले के सर्वेक्षण के अन्तर्गत भीनमाल, सांचोर आदि स्थानों की मध्यकालीन एक सौ तीस प्रतिमाओं, रतनपुर के जैन मंदिरों, बगरा, वर्णधर की मध्यकालीन बावड़ियों, छतरी इत्यादि की खोज एवं अध्ययन किया गया।

1989–90

चित्तौड़गढ़ जिले के सर्वेक्षण के अन्तर्गत 100 से अधिक प्रतिमायें खोजी गयी जो 8वीं से 19वीं शताब्दी को परिचायक है। चित्तौड़गढ़, खोर, गोमना, धनेसर, फूटा-केवल, नामक स्थानों पर अज्ञात देवालय खोजे गये।

स्थापत्य सर्वेक्षण शाखा :

1985–86

बूंदी जिले के अन्तर्गत हूण्डेश्वर महादेव

(कला एवं संस्कृति मंत्री)

मंदिर, मध्यकालीन 13वीं शताब्दी के लक्ष्मीनाथ मंदिर, सतूर माता का मंदिर, जैन मंदिर ग्राम नैनवा, ग्राम खटकड़ के शिव मंदिर, विष्णु मंदिर बावड़ियों, पंडित नैनूराम जी दाधीज को प्राचीन हवेली, इन्द्रगढ़ किले, केशोरायपाटन में मक्केशाह की दरगाह इत्यादि का सर्वेक्षण एवं अध्ययन किया गया।

1986-87

चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम घोसूण्डी से 14वीं व 16वीं शताब्दी के शिलालेख, ग्राम खौर से 12वीं शताब्दी का शिव मंदिर निम्बाहेड़ा की 17वीं शताब्दी की बावड़ी, ग्राम बिनोता, तहसील बेगूं में 1655 के दो महत्वपूर्ण मंदिर प्रकाश में लाये गये।

1987-88

बड़ी सादड़ी, मन्देसर, छोटी सादड़ी एवं राश्मि के अनेक ग्रामों के प्राचीन मंदिरों एवं बावड़ियों का अध्ययन एवं इनकी सूची तैयार की गई।

1988-89

चित्तौड़गढ़ के मध्यकालीन देवालयों के तकनीकी अध्ययन के अलावा घमाणा ग्राम के गुप्तकालीन मंदिरों की खोज के साथ-साथ शिलालेखों का अध्ययन भी किया गया।

1989-90

चित्तौड़गढ़ की डूंगला, प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी, चित्तौड़, कपासन, निम्बाहेड़ा, राश्मि तहसील के विभिन्न स्थलों के मंदिर, बावड़ी किलों व कलात्मक उत्कीर्ण प्रस्तरों का अध्ययन किया गया। तहसील प्रतापगढ़ के देवगढ़ के महलों, तहसील छोटी सादड़ी के मंदिरों की खोज, इसी प्रकार वानाक्या-कलां स्थित बावड़ी और प्रस्तर पट्टों पर उत्कीर्ण आकृतियों का अध्ययन किया गया।

विकास कार्यों के सम्बन्ध में अखबारी विज्ञापन

448. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा): क्या सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा एक वर्ष के कार्यकाल के विकास कार्यों के सम्बन्ध में अखबारों में विज्ञापन दिये गये हैं। यदि हां, तो ऐसे अखबारों की सूची मय विज्ञापन राशि के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची निम्न प्रकार से है :—

समाचार पत्रों की सूची

क्रमांक	समाचार पत्र का नाम	दर	स्थल	राशि
1.	राजस्थान पत्रिका, संयुक्त संस्करण	79-60	400 से. मी. (एक पृष्ठ)	31840-00
2.	दै. राष्ट्रदूत ,,	41-50	,,	16600-00
3.	दै. नवज्योति ,,	66-70	,,	26680-00
4.	दै. नवभारत टाइम्स, जयपुर	18-80	,,	7520-00
5.	दै. टाइम्स आफ इण्डिया, जयपुर	8-50	,,	3400-00
6.	दै. हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली	120-40	,,	48160-00
7.	दै. टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली	65-90	,,	26360-00
8.	दै. इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली	42-70	,,	17080-00
9.	दै. हिन्दुस्तान, दिल्ली	52-10	,,	20840-00
10.	दै. जनसत्ता, दिल्ली	42-70	,,	17080-00
11.	दै. नवभारत टाइम्स, दिल्ली	98-80	,,	39520-00
12.	दै. जागरण, दिल्ली	26-70	,,	10680-00
13.	दै. दी डेली, बम्बई	26-70	,,	10680-00
14.	दै. सन्मार्ग, कलकत्ता	20-70	,,	8280-00
15.	दै. छपते-छपते, कलकत्ता	19-20	,,	7680-00
16.	दै. विश्वमित्र, कलकत्ता	20-80	,,	8280-00
17.	सा. सन्डे मेल, देहली, बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास	135-00	,,	58320-00
18.	सा. चौथी दुनिया, दिल्ली	35-00	,,	15120-00
19.	दै. इकोनोमिक टाइम्स, दिल्ली	125-00	,,	54000-00
20.	सा. सन्डे आब्जवर, दिल्ली	60-00	,,	25920-07
21.	दै. पंजाब केसरी, दिल्ली	70-00	,,	30240-00
22.	दी. ट्रिब्यून, चंडीगढ़	50-00	,,	21600-00
				5,05,880-00

जिला नागौर में सड़क परिवहन व्यवस्था

449. **श्री मोहन लाल (जायल)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में किशनगढ़ से गच्छीपुरा, मकराना से अजमेर व परबतसर से पीह थांवला चलने वाली निजी बसों का परमिट किन-किन ग्रामों से होकर जाने का है ? ग्राम का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या ये बसें परमिट में अंकित ग्रामों के अनुसार चलती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) जी हां ।

किशनगढ़ से गच्छीपुरा मकराना से अजमेर व परबतसर से पीह थांवला चलने वाली निजी बसों के परमिट जिन ग्रामों में से होकर जाने के हैं उन ग्रामों की सूची ।

क्र.सं.	मार्ग का नाम	ग्राम का नाम जिनमें बस होकर जाती है ।
1.	किशनगढ़ से गच्छीपुरा	कालीडूंगरी, खातोली मोड़, खातोली ग्राम, तितयारी पिगलोद, सलेमाबाद, करकैड़ी, मोढ़-सांचोर, अरड़, पिपलाज मोड़, रीहड़ी, कवलाड़, बागोट, इडियां, जंजीला, मादवा, बड़ू, कुचीकलां, पट्टी, गच्छीपुरा ।
2.	मकराना से अजमेर	चाचियावास, नारवर, अररका, बबईचा, करकेड़ी, अरठ, पीपलाद, परबतसर, खित-पुरा, कणसिरिया, विद्‌याद, कालीडूंगरी ।
3.	परबतसर से पीह थांवला	परबतसर, पीपलाद, अरहट, झालरा, कर-केड़ी, ढड़ोती, भेरवास एवं बिसास, पीलवा, बाजवास, रोजास, नोटियाल, रिड़, मिड़-किया, पीह थांवला ।

कोटा जिले में अवैध बसों का संचालन

450. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले में किस-किस मार्ग पर कितनी-कितनी अवैध बसें चल रही हैं ?

(2) क्या निजी बसें बिना परमिट, ओवरलोड एवं खस्ता हालत में चल रही हैं ?

(2) क्या ये बसें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पंजीकृत मार्गों पर चल रही हैं ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? क्या सरकार इन अवैध बसों को बंद करने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार राज्य के राष्ट्रीय राज मार्गों पर बिना परमिट चलने वाली अवैध बसों को रोकने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अवैध बसों का किसी मार्ग पर नियमित संचालन नहीं होता। अतः इनके मार्गों के नाम व संख्या के बारे में जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

(2) बिना परमिट, ओवरलोड या बिना फिटनेस के वाहन चलाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) कठोर नियंत्रण एवं चैकिंग व्यवस्था के कारण राष्ट्रीयकृत मार्गों पर इनका संचालन नहीं है। इसके उपरान्त भी यदि कोई बस अवैध रूप से चलती पायी जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती हैं।

(4) दिनांक 1-4-90 से 15-2-91 तक की अवधि में ऐसे 45 वाहनों के मौके पर चालान बनाये जाकर रु. 74,991 /– की जुर्माने की राशि वसूल की गई है। ऐसी बसों के चलने को रोकने हेतु राज्य सरकार जागरुक है।

(5) जी हां। इस संबंध में समुचित कार्यवाही की जाती है।

आवश्यक वस्तुओं के भावों को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में सुझाये गये उपायों की राज्य स्तर पर पालना

451. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रधान मंत्री, भारत सरकार द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को महगाई रोकने एवं आवश्यक वस्तुओं के भावों को नियंत्रित करने के लिए क्या कोई पत्र लिखा है ? यदि हां तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पत्र में महगाई रोकने तथा आवश्यक वस्तुओं के भावों को नियन्त्रित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय सुझाये गये हैं व तदनुरूप क्या कार्यवाही उन पर सरकार द्वारा की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) प्रधान मंत्री भारत सरकार द्वारा लिखे कौन से पत्र की प्रति चाही गई है, यह स्पष्ट नहीं है। निश्चित सन्दर्भ के अभाव में पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

(2) प्रश्न–1 के उत्तर के संदर्भ में विवरण सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या 452 (स्थगित)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल एवं घाटा पूर्ति

453 श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष, 1990 में प्रदेश में रोडवेज की हड़ताल कितने समय तक रही ? इस हड़ताल से निगम को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

(2) राज्य सरकार ने हड़ताल के बाद किराये में बढ़ोतरी करके उक्त समय के घाटे में अब तक कितनी पूर्ति की ?

उत्तर

(1) हड़ताल 70 दिवस (19-9-90 से 28-11-90) चली। इससे करीब 10.32 करोड़ की हानि हुई।

(2) किराया बढ़ोतरी हड़ताल के कारण नहीं की गई।

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 424 की सूची

विधान सभा क्षेत्र आमेर में मांडा योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	कांट	19.	चित्ताणुकला व खुर्द
2.	कालवांड कला व खुर्द	20.	जयसिंह नगर
3.	रामपुरा उर्फ बनियावाला	21.	जुगलपुरा
4.	सांगावाला	22.	कुशलपुरा
5.	छापरडी	23.	चक जयसिंह नगर
6.	जैतपुरा खींची	44.	मीमपुरा
7.	खींगवाला	25.	चक पोखरीयावाला
8.	चोकलिया वास उर्फ कचेरावाला	26.	खुराड़
9.	लबाना	27.	बीड़ तालेडा
10.	गुणावता	28.	चिमनपुरा
11.	अणी	29.	आमेर चक नं. 1
12.	धींगपुर	30.	बड़ा गांव जरखया
13.	ढण्ड	31.	आमेर चक नं. 2
14.	हरबर	32.	नागल सुसावतान
15.	नागलतुर्कान	33.	नेस्तीवास
16.	राजपुर खानिया	34.	सिसियावास
17.	खोरामीणा	35.	बिशनगढ़
18.	चक कोठिया	36.	कूकस

(364)

परिशिष्ट 3

अतारांकित प्रश्न संख्या 821 की सूची

जैतारण तहसील में निर्मित पक्की सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	डामर (कि. मी में)	मेटल (कि. मी. में)	ग्रेवल (कि. मी. में)
1	2	3	4	5
1.	ब्यावर बर बिलाड़ा जोधपुर सड़क	32	—	—
2.	जैतारण मेड़ता सिटी सड़क	29	—	—
3.	चण्डावल जैतारण सड़क	13	—	—
4.	लाम्बिया ब्यावर सड़क (23 कि. मी.)	17	5	1
5.	जैतारण मेड़ता रोड़ सड़क	5	19	6
6.	लाम्बिया कड़की सड़क	9	13	2
7.	देवली पाटवा पृथ्वीपुरा बेड़ लौटोती	14	—	16
8.	जैतारण पाटवा सड़क	2·5	10·5	—
9.	रामपुरा से निम्बाग सड़क	10	9	—
10.	डिगरना से कालू सड़क	—	3	12
11.	सम्पर्क सड़क कालू सड़क	2	—	—
12.	सम्पर्क सड़क बोरुन्दा सड़क	3.5	—	—
13.	जैतारण कुशालपुरा सड़क	5	—	8
	योग :—	142	59.5	45

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 823 की सूची

सलुम्बर विधान सभा क्षेत्र में आने वाले पंचायत मुख्यालय का विवरण
(क) पंचायत मुख्यालय जो सड़क जुड़े हुए है।

क्र.सं.	नाम पं. समिति	नाम पंचायत मुख्यालय	जनसंख्या	किससे जुड़ी हुई है।
1.	मिर्वा	बेमला	637	डामर
2.	,,	वल्लम	514	गेवल
3.	,,	भाईयों की पंचोली	573	डामर
4.	,,	मटुन	1413	डामर
5.	,,	फिला	1174	डामर
6.	,,	जगत	2597	,,
7.	,,	कुराबड़	2597	,,
8.	,,	गुडली	2313	,,
9.	,,	वली	1554	,,
10.	,,	बम्बोरा	2454	,,
11.	,,	लकडवास	2943	,,
12.	,,	कानपुर	4631	,,
13.	सलूम्बर	अडकालिया	603	
14.	,,	देवगांव	990	,,
15.	,,	बरोड़ा	662	,,
16.	,,	जलाश	938	,,
17.	,,	शेषपर	799	ग्रेवल
18.	,,	अमलीदा	571	,,
19.	,,	करनजला	516	,,
20.	,,	इड़ाना	737	,,
21.	,,	सोडा	761	,,
22.	,,	गावडापान	1312	डामर
23.	,,	खेराड	1887	,,
24.	,,	इटाली खेड़ा	1447	,,
25.	,,	जेताना	1350	,,
26.	,,	आडवाडीया	1316	,,

27.	,,	टोडा	1164	ग्रेवल
28.	,,	बनोड़ा	1154	मेंटल डामरी करण
29.	,,	झाल	2500	का कार्य प्रगति पर है
30.	,,	करावली	1535	डामर
31.	,,	खरका	1636	,,
32.	,,	बस्सी रोड़ जुजावत	1552	,,
33.	,,	खेरीया	2557	,,
34.	,,	डगर.	2079	,,
35.	,,	उथरड़ा	2299	ग्रेवल
36.	,,	गंगली	2329	,,
37.	,,	बामणिया	1547	,,
38.	,,	मिथुड़ी	1563	,,
39.	,,	सराडी	1657	डामर

(ब) पंचायत मुख्यालय जो सड़क से जुड़े नहीं है।

40.	गिर्वा	शिशवी	896	जुड़े नहीं है
41.	,,	मुलावास	241	,,
42.	,,	चांदसा	435	,,
43.	,,	दातेश्वर	643	,,

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 824 की सूची

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में अधूरी पड़ी सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	दिनांक 31-3-1990 के अनुसार स्थिति (कि. मी. में) बीटी	मेटल	ग्रवल	वेदर	योग	अंतिम वर्ष जिसमें कार्य करवाया गया।	पूर्ण करने हेतु अनुमानित राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम—								
1.	सम्पर्क सड़क देवगांव करनोज।	—	—	6	—	6	1990	10 लाख	कार्य निरस्त
2.	जूनिया से हिंगोनिया सड़क।	—	—	7	—	7	—	12 लाख	कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 825 की सूची

परिशिष्ट (क)

आगार कार्यशाला कोटा

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत
1.	सहायक यांत्रिक अभियन्ता	1	1
2.	वरिष्ठ कार्यदशक	1	1
3.	क. अभि. ग्रेड-बी/क. कार्य.	5	5
4.	मैकेनिक ग्रेड प्रथम	8	9
5.	मैकेनिक ग्रेड द्वितीय	16	19
6.	मैकेनिक ग्रेड तृतीय	9	9
7.	विद्युतकार ग्रेड प्रथम	2	1
8.	विद्युतकार ग्रेड तृतीय	4	4
9.	विद्युतकार ग्रेड तृतीय	3	1
10.	वेल्डर ग्रेड प्रथम	1	1
11.	वेल्डर ग्रेड द्वितीय	2	1
12.	वेल्डर ग्रेड तृतीय	1	–
13.	बॉडी फिटर ग्रेड प्रथम	2	1
14.	बॉडी फिटर ग्रेड द्वितीय	4	2
15.	बॉडी फिटर ग्रेड तृतीय	6	5
16.	टायर फिटर ग्रेड द्वितीय	2	1
17.	टायर फिटर ग्रेड द्वितीय	4	2
18.	टायर फिटर ग्रेड तृतीय	3	2
19.	ब्लैक. ग्रेड प्रथम	1	–
20.	ब्लैक. ग्रेड द्वितीय	2	2
21.	ब्लैक. ग्रेड तृतीय	2	2
22.	अपोस्टर ग्रेड द्वितीय	2	–
23.	अपोस्टर ग्रेड तृतीय	2	–
24.	पेन्टर ग्रेड द्वितीय	1	–
25.	पेन्टर ग्रेड तृतीय	1	–
26.	टीन स्थिम ग्रेड द्वितीय	2	..
27.	टीन स्मिथ ग्रेड तृतीय	1	4

28.	डीजल बॉय	4	4
29.	स्वीपर वा. कम स्वीपर	4	2
30.	वरिष्ठ लिपिक	1	–
31.	कनिष्ठ लिपिक	5	3
32.	संगणक	1	–
33.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	1
34.	जलधारी	2	–
35.	भण्डार निरीक्षक	–	1
36.	उप भण्डार निरीक्षक	4	1
37.	जमादार	–	1
38.	सुरक्षा प्रहरी	6	6
39.	मुख्य सुरक्षा प्रहरी	1	1
40.	वाशिंग वाय अनुबन्ध पर	6	5

परिशिष्ट–ख

आगार कार्यशाला बांरा

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत
1.	सहायक यांत्रिक अभियन्ता	–	–
2.	वीर. कार्यदेशक	1	–
3.	क. अभि. ग्रेड "बी"/क. कार्य.	4	2
4.	मैकेनिक ग्रेड प्रथम	6	5
5.	मैकेनिक ग्रेड द्वितीय	9	9
6.	मैकेनिक ग्रेड तृतीय	9	9
7.	विद्युतकार ग्रेड प्रथम	1	–
8.	विद्युतकार ग्रेड द्वितीय	2	2
9.	विद्युतकार ग्रेड तृतीय	2	1
10.	वैल्डर ग्रेड प्रथम	1	–
11.	वैल्डर ग्रेड द्वितीय	2	1
12.	वैल्डर ग्रेड तृतीय	1	–
13.	बॉडी फिटर ग्रेड प्रथम	1	2
14.	बॉडी फिटर ग्रेड द्वितीय	3	2

15. बॉडी फिटर ग्रेड तृतीय	4	2
16. टायर फिटर ग्रेड प्रथम	1	–
17. टायर फिटर ग्रेड द्वितीय	1	–
18. टायर फिटर ग्रेड तृतीय	2	2
19. ब्लैक. ग्रेड प्रथम	1	–
20. ब्लैक ग्रेड द्वितीय	2	–
21. ब्लैक ग्रेड तृतीय	1	–
22. अपोस्टर ग्रेड द्वितीय	1	–
23. अपोस्टर ग्रेड तृतीय	1	–
24. पेन्टर ग्रेड द्वितीय	1	–
25. पेन्टर ग्रेड तृतीय	1	–
26. टीन स्मिथ ग्रेड द्वितीय	2	–
27. टीन स्मिथ ग्रेड द्वितीय	–	–
28. डीजल बॉय	3	–
29. स्वी. वा. बॉय कम स्वी.	2	–
30. वरि. लिपिक	1	1
31. कनिष्ठ लिपिक	3	2
32. संगणक	1	1
33. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	–
34. जलधारी	2	1
35. भण्डार निरीक्षक	–	1
36. उप भण्डार निरीक्षक	1	1
37. मुख्य सुरक्षा प्रहरी	1	1
38. सुरक्षा प्रहरी	6	6
39. वाशिंग वाय अनु. पर	4	4

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 829 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	कुल मुकदमों की संख्या
1.	अजमेर	156
2.	अलवर	38
3.	बाड़मेर	21
4.	बांसवाड़ा	43
5.	भरतपुर	81
6.	भीलवाड़ा	76
7.	बीकानेर	18
8.	बून्दी	62
9.	चित्तौड़गढ़	70
10.	चूरू	42
11.	धौलपुर	25
12.	डूंगरपुर	56
13.	श्रीगंगानगर	55
14.	जयपुर	119
15.	जैसलमेर	1
16.	जालौर	47
17.	झालावाड़	38
18.	झुन्झुनू	22
19.	जोधपुर	64
20.	कोटा	97
21.	नागौर	62
22.	पाली	48
23.	सवाईमाधोपुर	52
24.	सीकर	32
25.	सिरोही	53
26.	टोंक	39
27.	उदयपुर	96

(372)

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्र. सं. 842 की सूची

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक एफ 1 (20) शिक्षा–3/89 जयपुर, 1 जून, 1990

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :—

क्र. सं.	नाम अधिकारी	कहां से	कहां को	वि. विवरण
1.	श्री के. बी. अग्रवाल	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर।	संयुक्त निदेशक, कालेज शिक्षा, राज. जयपुर।	श्री वी. के. कंजोलिया के स्थान पर
2.	श्री वी. के. कंजोलिया	संयुक्त निदेशक, कालेज शिक्षा राज. जयपुर।	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़।	रिक्त पद पर।
3.	श्री आर. सी. जोशी	प्राचार्य राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।	उप निदेशक, कालेज शिक्षा, राज. जयपुर।	श्रीमती स्नेह श्रीवास्तव के स्थान पर।
4.	श्रीमती स्नेह श्रीवास्तव	उप निदेशक, कालेज शिक्षा, राज. जयपुर।	प्रवक्ता, व.वे.श्रृं. राजकीय महा- महाविद्यालय, अजमेर।	रिक्त पद पर।
5.	श्रीमती कौशल्या भंडारी	प्रवक्ता, व.वे.श्रृं. राजकीय महा-विद्यालय, पाली।	प्राचार्य राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।	श्री आर.सी. जोशी के स्थान पर।

आज्ञा से,

हस्ताक्षर

(भागीरथ शर्मा)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, कालेज शिक्षा, राज. जयपुर।
2. संबंधित प्राचार्य । कृपया उपरोक्त अधिकारियों को अविलम्ब नये पद का कार्यभार संभालने हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करें ।
3. संबंधित अधिकारी ।
4. व्यक्तिगत पंजिका ।
5. निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री/शिक्षा सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, शिक्षा ।
6. संबंधित जिलाधीश ।
7. रक्षित पत्रावली ।

हस्ताक्षर
उप शासन सचिव

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 846 की सूची

चिकित्सा संस्थानों में जहां स्वीकृति के बाद पूर्ण स्टाफ नहीं लगाया गया का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	उपकेन्द्र	एडपोस्ट/ उच्चीकृत उपकेन्द्र	डिस्पेन्सरी
1.	अजमेर	187	—	—
2.	अलवर	45	—	—
3.	बांसवाड़ा	29	1	—
4.	बाड़मेर	192	14	—
5.	भरतपुर	6	—	5
6.	भीलवाड़ा	38	—	—
7.	बीकानेर	71	3	—
8.	बून्दी	8	3	1
9.	चित्तौड़गढ़	31	3	—
10-	चूरू	22	21	2
11.	डूंगरपुर	16	—	—
12.	धोलपुर	4	—	—
13.	श्रीगंगानगर	85	8	12
14.	जयपुर	6	1	—
15.	जैसलमेर	22	6	—
16.	झालावाड़	14	3	—
17.	जालौर	118	5	—
18.	झुन्झुनू	121	11	1
19.	जोधपुर	77	8	—
20.	कोटा	2	1	1
21.	नागौर	187	13	—
22.	पाली	91	3	—
23.	सवाईमाधोपुर	9	2	—
24.	सीकर	108	1	—
25.	सिरोही	36	6	1
26.	टोंक	73	—	—
27.	उदयपुर	90	24	—
	योग	1681	137	23

(375)

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 847 की सूची

चिकित्सा विभाग में ड्रग कन्ट्रोल कार्य की देखभाल के लिए स्वीकृति पदों की ची एवं उनकी योग्यता का विवरण.

क. सं. नाम व पद	संख्या	योग्यता विवरण
1. औषधि निरीक्षक	20	फार्मेसी अथवा फार्मस्यूटिकल केमिस्ट्री की डिग्री (स्नातक) अथवा केमिस्ट्री की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फार्मस्यूटिवार के विशेष विषय सहित अथवा इन्स्टीट्यूट ऑफ केमिस्टी (भारत) का डिप्लोमा जो कि औषधियों के विश्लेषण से एक विषय में परीक्षा पास करने के पश्चात् प्राप्त किया गया हो।
2. सहायक औषधि नियन्त्रक	2	औषधि निरीक्षक का 5 वर्ष का अनुभव
3. उप औषधि नियन्त्रक	1	सहायक औषधि नियंत्रक का 5 वर्ष का अनुभव
4. विधि तकनीकी सहायक	1	बेचलर ऑफ लॉ की डिग्री तथा राज्य या केन्द्र सरकार के औषधि नियंत्रण संगठन में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव।
5. विधि तकनीकी अधिकारी	1	विधि तकनीकी सहायक के पद पर कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव।
षधि विश्लेषण प्रयोगशाला :		
सहायक औषिधि विश्लेषक	2	बी फार्मा साथ में सरकारी विश्लेषक के अधीन कम से कम 3 वर्ष का औषधियों के विश्लेषण का अनुभव।
औषधि विश्लेषक	1	मेडिसन ऑफ फार्मेसी, साइन्स, फार्मोस्यूटिकल केमिस्ट्री का ऐसे विश्वविद्यालय से स्नातक जिसे नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, तथा पोस्ट ग्रेजुएट का पांच वर्ष का किसी विश्लेषक शाला में जो कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो कार्य करने क

1	2	3
		अनुभव अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मेडिसि अथवा विज्ञान अथवा फार्मस्यूटिकल केमिस्ट्री का मय राजकीय विश्लेषक अथवा किसी विश्लेषण शाला के हेड के अधीन 3 वर्ष तक कार्य किए जाने के अनुभव सहित तथा फिजियोलोजी, बेक्टीरियोलोजी अथवा सिरियोलोजी अथवा पेथोलेजी अथवा माइक्रोबायोलोजी में विश्लेषण कर स्नातक के लिए वर्ष का अनुभव तथा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वर्ष का अनुभव।
जूनियर साईन्टिफिकऐशिस्टेन्ट	4	I एम. एस. सी. केमिस्ट्री के अथवा केमिस्ट्री विषय में द्वितीय श्रेणी का स्नातक अथवा II बी. एस. सी. एवं पांच वर्ष का सीनीयर लेबोरेटरी टैक्नीशियन के पद पर कार्य का अनुभव अथवा लेबोरेटरी टैक्नीशियन का 10 वर्ष का अनुभव अगर (II) के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो।

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 849 की सूची

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली–राज.

क्रमांक–संख्या–2/87/973 दिनांक 23-9-87

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित व्यक्तियों को रु. 14/–(रुपये चौदह मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक मजदूरी पर बांगड़ चिकित्सालय, पाली में पूर्णतया अस्थाई तौर पर 29 दिवस के लिए कार्य ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान की जाती है।

दैनिक मजदूरी का भुगतान एक माह में रु. 384/–से अधिक का नहीं दिया जावे।

1. श्री मिश्रीलाल पुत्र चेनाराम, पाली
2. श्री रामदेव पुत्र वचनाराम, निमाज
3. श्री मदन लाल पुत्र श्री गणेशराम हरिजन, मु. पो. गढ़वाड़ा

एस. डी.
मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य
अधिकारी, पाली–राज.

प्रतिलिपि :–

1. मैट्रन, बांगड़ चिकित्सालय, पाली–राज.
2. सम्बन्धित व्यक्ति।
3. कार्यालय आदेश पंजिका।
4. लेखाशाखा।

एस. डी.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, पाली–राज.

(378)

क्रमांक–संख्या–2/89/1302 दिनांक 18-10-89

कार्यालय आदेश

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक–ई 12/दै. मजदूरी/89/1374 दिनांक 12-10-89 की अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को रुपये 14/–(रुपये चौदह मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक मजदूरी पर दिनांक 4-7-89 से 30-9-89 तक पूर्णतया अस्थाई तौर पर बांगड़ चिकित्सालय, पाली में नियुक्ति प्रदान की जाती है।

दैनिक मजदूरी का भुगतान एक माह में रु. 364/–से अधिक का नहीं किया जावे। यह आदेश इस कार्यालय आदेश क्रमांक 799 दिनांक 4-7-89 के संदर्भ में जारी किया गया। इनकी सेवाएं दिनांक 30-9-89 को स्वत: समाप्त हो जावेगी।

1. श्री मिश्री लाल
2. श्री रामचन्द्र
3. श्री रामदेव
4. श्री जोगाराम
5. श्री बंशीलाल
6. श्री कैलाश

एस. डी./–
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, पाली–राज.

प्रतिलिपि :–

1. नर्सिंग अधीक्षक, बांगड़ चिकित्सालय, पाली
2. सम्बंधित व्यक्ति।

एस. डी/–
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, पाली–राज.

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 851 की सूची

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान में वर्ष 1985–86 से अब तक अग्निकांड से जन-जीवन एवं सम्पत्ति का नुकसान प्रभावित व्यक्तियों को दी गई सहायता

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	नाम जिला	जनजीवन को नुकसान मृतक	जनजीवन को नुकसान घायल	सम्पत्ति की क्षति की अनुमानित राशि	मुख्य मंत्री सहायता कोष से दी गई राशि	सहायता मद से जिलास्तर पर दी गई राशि योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	4	9	93.31	0.13	48.46
2.	अलवर	10	16	245.34	0.71	10.95
3.	बांसवाड़ा	5	—	71.08	0.07	0.04
4.	बाड़मेर	8	—	71.94	—	4.06
5.	भरतपुर	4	—	265.63	1.18	7.79
6.	भीलवाड़ा	3	—	61.39	0.03	3.29
7.	बीकानेर	4	—	52.16	0.05	1.32
8.	बूंदी	—	—	16.32	0.48	0.37
9.	चित्तौड़गढ़	18	12	59.89	0.03	11.26
10.	चूरू	6	—	68.63	—	3.74
11.	धौलपुर	14	—	210.68	1.67	10.46
12.	डूंगरपुर	—	—	29.95	—	1.13
13.	गंगानगर	4	—	4.90	—	0.76
14.	जयपुर	30	—	794.06	—	33.41
15.	जैसलमेर	—	—	9.21	—	0.58
16.	जालौर	—	—	61.30	—	3.14
17.	झालावाड़	—	—	20.42	—	0.92
18.	झुन्झुनू	7	10	118.29	0.09	6.80
19.	जोधपुर	13	—	82.06	0.19	3.57

1	2	3	4	5	6	7
20.	कोटा	10	5	116.76	0.42	2.95
21.	नागौर	—	—	231.33	—	7.47
22.	पाली	6	—	65.26	0.37	2.38
23.	सवाई माधोपुर	—	—	124.29	—	8.56
24.	सीकर	1	—	286.27	—	13.86
25.	सिरोही	1	—	18.59	—	0.96
26.	टोंक	—	—	56.62	0.06	3.28
27.	उदयपुर	—	—	35.22	0.05	2.17
	योग	148	52	3270.98	6.33	193.56

योग–199.89

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 853 की सूची

झालावाड़ा, डग विधान सभा क्षेत्र की तहसील गंगधार के ग्राम चोरवर्डी में दिनांक 1-3-90 को अग्नि कांड से प्रभावित किसानों की सूची

क्र. सं.	नाम कृषक जिन्हें नुकसान हुआ	अनुमानित नुकसान की राशि
1.	श्री कालू सिंह आत्मज पूरसिंह	13,350-00
2.	,, अनार सिंह आत्मज देवीसिंह	21,200-00
3.	,, परवत सिंह आत्मज गुलाबसिंह	25,800-00
4.	,, सेवा आत्मज पद्म चमार	14,300-00
5.	श्रीमती कमलबाई/कालू दर्जी	16,300-00
6.	श्री नाथू आत्मज शंभू चमार	14,100-00
.	,, भंवरलाल आत्मज मोतीलाल दर्जी	30,200-00
.	,, मांगू आत्मज लक्ष्मण चमार	10,600-00
.	,, कैलाश आत्मज मोती दर्जी	12,150-00
.	,, गंगाराम आत्मज शिवसिंह	33,800-00
.	,, भैरू आत्मज कोदा बलाई	9,900-00
.	,, भैरूसिंह/देवीसिंह	34,600-00
.	,, बद्रीसिंह आत्मज पूरसिंह	13,800-00
.	,, रामलाल आत्मज देवा दर्जी	4,250-00
.	,, देवीसिंह आत्मज गुलाब	25,350-00
.	,, मांगू/देवजी बलाई	11,300-00
.	,, कालू सिंह/हरिसिंह	13,000-00
.	,, कचरू सिंह/गिरवर सिंह	14,200-00
.	,, रामसिंह/ओंकारसिंह	12,600-00
.	,, गिरवर सिंह/प्यारजी	11,500-00
.	,, भैरू सिंह/बापू सिंह	10,200-00
.	,, हरिसिंह/रामसिंह	31,600-00
	,, परसराम/देवजी ब्राह्मण	22,800-00
	,, कचरू सिंह/अमरसिंह	27,100-00
	,, दुले सिंह/अमरसिंह	14,600-00

1	2
26. श्री पूरालाल/अमरा चमार	9.500-00
27. ,, बापूलाल/कालूसिंह	23,000-00
28. ,, करणसिंह/रामसिंह	35,400-00
29. ,, किशनलाल/रामसिंह	19,900-00
30. ,, कानसिंह/इन्दरसिंह	20,600-00
31. ,, धूलसिंह/पूरसिंह	25,700-00
32. ,, परवतसिंह/गुलाबसिंह	30,300-00
33. ,, बालू/बंशी चमार	6,500-09
34. ,, तेजसिंह/रामसिंह	20,650-00
35. ,, राधेश्याम/लालू राम ब्राह्मण	20,800-00
36. ,, शंकरलाल/देवजी चमार	8,300-00
37. ,, देवा/मोखा चमार	5,000-00
38. ,, मांगू/फत्ता हरिजन	9,400-00
39. श्रीमती समन्द बाई/बेवा नवल	2,300-00
40. श्री गंगाराम/पहाड़जी	11,800-00
41. ,, भगवान/भुवानीलाल	22,500-00
42. ,, भंवर/भुवानीलाल लुहार	12,400-00
43. ,, धूला/खुशहाल बलाई	5,800-00
44. ,, माधू/रामा चमार	8,250-00
45. श्रीमती सूरज बाई/मांगू चमार	6,600-00
46. श्री सिरदारसिंह/फतह सिंह	7,200-00
	योग 7,60,500-00

जिला कलक्टर,

झालावाड़

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 854 की सूची

परिशिष्ठ—"क"

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बाढ से मरने वालों की सूची

माह—जुलाई अगस्त, 1990

क्र. सं.	नाम मृतक मय बल्दियत	सहायता राशि	
1.	राजू/सावंता मेगवाल निवासी देवन्दी उम्र 55 वर्ष	10,000	भुगतान कर दिया गया है।
2.	अशोकी पुत्र जगनपुरी निवासी छियांली उम्र 18 मास	5,000	
3.	लेरकी पुत्री मूला रबारी मलरों का बाड़ा 13 वर्ष	5,000	
4.	पूनमा/महेन्द्र मलरों का बाड़ा उम्र 20 वर्ष	10,000	
5.	थाना/हंसा चौधरी निवासी जेठन्तरी उम्र 60 वर्ष	5,000	
6.	हुकमा/थाना निवासी जेठन्तरी उम्र 34 वर्ष	5,000	
7.	जैसा/लिखमा मेगवाल निवास जेठन्तरी 15 वर्ष	5,000	
8.	बालीधर/मोहनधर नट निवासी समदड़ी उम्र 15 वर्ष	5,000	
9.	शंकर/रामू राजपूत निवासी सिवाना उम्र 14 वर्ष	5,000	
10.	चन्दा/छोगा माली निवासी सिवाना उम्र 51	10,000	
11.	लक्ष्मी पत्नि माना सरगरा निवासी सिवाना उम्र 40 वर्ष	10,000	
12.	मेरा/भगवाना जाट निवासी बुरड़ उम्र 22 वर्ष	10,000	
13.	फतेहसिंह/हरीसिंह राजपूत निवासी जूना मीठा खेड़ा उम्र 20 वर्ष	10,000	
14.	भूराराम/आसूराम सुनार निवासी खरंटिया उम्र 25 वर्ष	10,000	
15.	बीजाराम/पूनमाराम सरगरा नि. खरंटिया उम्र 27 वर्ष	10,000	
16.	देवाराम/केसाराम सरगरा नि. खरंटिया उम्र 20 वर्ष	10,000	
17.	भंवरलाल/हरीराम मेगवाल नि. खरंटिया उम्र 20 वर्ष	10,000	
18.	जामताराम/मोबताराम मेगवाल नि. सिवाना उम्र	10,000	
19.	रमेश पुत्र चम्पा हरिजन निवासी सिणधरी उम्र 11 वर्ष	5,000	भुगतान करना शेष है।
20.	जमा खां पुत्र लदा खां मुस. नि. गोलिया जीव, उम्र 35 वर्ष	10,000	
21.	नरपतसिंह/देवीसिंह रा. राज. नि. दांखा उम्र 21 वर्ष	10,000	
	कुल—	1,70,000	

परिशिष्ठ "ख"

माह जुलाई, 90 एवं अगस्त, 90 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की बकाया देय राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम गांव	परिवार संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	मांगी	3	2,750
2.	घीरा	9	7,050
3.	भागवा	4	800
4.	तिलवाड़ा	3	3,700
5.	मोतीसरा	17	6,400
6.	सिणेर	80	36,900
7.	धारणा	84	39,900
8.	बामसीन	40	13,700
9.	देवलियाली	44	18,700
10.	सुईली	14	5,800
11.	कुसीप	160	61,900
12.	पादरड़ी कलां	41	19,600
13.	देवन्दी	5	2,900
14.	छियाली	3	600
15.	सेवाली	3	1,200
16.	खण्डप	92	34,000
17.	गोलिया चौ.	18	5,100
18.	गोलिया	60	30,000
19.	गूंगरोट	109	54,500
20.	पीपलून	41	20,500
21.	खाखरलाई	2	400
22.	राखी	51	16,200
23.	जेठन्तरी	50	14,100
24.	सिलोर	25	7,400

1	2	3	4
5.	मूति (मूति)	20	4,300
6.	सावंरड़ा	21	6,000
7.	कुण्डल	75	38,200
8.	कुम्पावास	32	7,900
29.	मूठली	8	2,500
0	दरबला	1	1,750
1.	मिठोड़ा	1	500
2.	खेडा खिन्दावड़ा	22	10,600
3.	लालाना	12	2,400
	योग	1150	4,77,950

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 857 की सूची

कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक : प. एफ. 12 (38) संस्था/देव/89 दिनांक 19-1 89

कार्यालय आदेश

श्री गंगा सिंह उदावत, कार्यालय अधीक्षक, देवस्थान विभाग, मुख्यावास उदयपु की अस्थाई पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हो जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनां 22–9–89 को बाद दोपहर से नवीन पद पर उपस्थिति देने के लिये कार्यमुक्त किया ज चुका है, जिसके फलस्वरूप कार्यालय अधीक्षक को एक पद अस्थाई तौर प्रर मुख्यालय प रिक्त हो गया है।

श्री अम्बा लाल सिंघवी, कार्यालय सहायक, मुख्यावास को राजस्थान अधीनस्‍ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम के अनुसार अस्थाई तौर पर दो माह के लिए कार्याल अधीक्षक के रिक्त पद पर कार्यालय अधीक्षक की वेतन शृंखला 1400-30-1640-40 2000-50-2300–60-2600-75-2825 में अस्थाई पदोन्नति तदर्थ रूप से की जाती है

ह./

आयुक्त

कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर :–

क्रमांक : प. 12(38) संस्था/देव/89/2208 दिनांक 24-2-90

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ. 12 (38) संस्था/देव/39/10070-7 दिनांक 19-10-89 द्वारा श्री अम्बा लाल सिंघवी की कार्यालय अधीक्षक के पद पर द माह के लिये पदोन्नति की गई थी, जो समाप्त हो चुकी है। अतः अग्रिम आदेश य विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जो भी पूर्व हो तक के लिये अवधि में वृद्धि की जाती है।

ह./–

आयुक्त

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 858 का विवरण

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अकादमियों को दिनांक 21-3-91 तक दी गई आर्थिक सहायता का विवरण

क्र. सं.	नाम अकादमी	राशि (लाखों में)
1.	राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर	14·10
2.	राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर	5·98
3.	राजस्थान सिंधी अकादमी, जयपुर	2·85
4.	राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर	4·07
5.	राजस्थान भाषा, साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, बीकानेर	4·13
6.	राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर	2·79
7.	राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर	24·06

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 863 की सूची

उदयपुर जिले में संचालित निजी बसों के मार्गों पर संचालित बसों का विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	स्वीकृत परमिटों की संख्या
1	2	3
1.	उदयपुर से केसरिया जी	7
2.	उदयपुर से सलूम्बर	8
3.	उदयपुर से बम्बोरा	3
4.	उदयपुर से सेमाल	5
5.	उदयपुर से गींगला	8
6.	उदयपुर से कुराबड़	1
7.	उदयपुर से लसाड़िया	3
8.	उदयपुर से सेमारी	3
9.	उदयपुर से खेरोदा	3
10.	उदयपुर से भीण्डर	2
11.	उदयपुर से बड़ी सादड़ी	5
12.	उदयपुर से कानोड़	1
13.	उदयपुर से बल्लभनगर	2
14.	उदयपुर से फतहनगर वाया देबारी गेट	5
15.	उदयपुर से फतहनगर वाया बेदला	1
16.	उदयपुर से थामला	5
17.	उदयपुर से नाथद्वारा	4
18.	उदयपुर से राशमी	6
19.	उदयपुर से टपरिया खेड़ी	5
20.	उदयपुर से नाथद्वारा वाया हल्दी घाटी	18
21.	उदयपुर से केलवाड़ा	8
22.	उदयपुर से सायरा	4
23.	उदयपुर से गांवगुड़ा	2
24.	उदयपुर से मादड़ी	6
25.	उदयपुर से नाहरमगरा	2
26.	उदयपुर से झाडोल	1

1	2	3
27.	बानसी से प्रतापगढ़	1
28.	बानसी से पारसोला	2
29.	केसरिया से सलूम्बर वाया बलूचा	3
30.	केसरियाजी से सलूम्बर वाया कल्याणपुर	4
31.	केसरियाजी से गींगला	3
32.	केसरियाजी से विजवामाता	2
33.	केसरियाजी से रानी वाया कल्याणपुर	3
34.	केसरियाजी से रानी वाया भूदर	1
35.	केसरियाजी से पाटिया	3
36.	केसरियाजी से प्रतापगढ़	5
37.	केसरियाजी से दरानी वाया कागदर	3
38.	सलूम्बर से धरियावद वाया भभराना	15
39.	सलूम्बर से धरियावद वाया बेड़ावल	6
40.	सलूम्बर से खेरोदा	3
41.	सलूम्बर से खेरवाड़ा	8
42.	सलूम्बर से लसाड़िया	1
43.	सलूम्बर से बड़ी सादड़ी	3
44.	सलूम्बर से विजवामाता	1
45.	खेरवाड़ा से रानी	3
46.	रानी से डूंगरपुर	2
47.	जगत से डूंगरपुर	2
48.	जगत से सलूम्बर	5
49.	मसारों की ओगरी से गींगला	1
50.	मीण्डर से पारसोला	5
51.	मीण्डर से मातरीकुण्डिया	1
52.	गोगुन्दा से झाड़ोल वाया बगरुन्दा	2
53.	गोगुन्दा से ओगना	4
54.	गोगुन्दा से सरुपगंज	2
55.	गोगुन्दा से जाड़ा पीपला	3
56.	गोगुन्दा से मानपुर	3
57.	गोगुन्दा से माचड़ा	2
58.	गोगुन्दा से मावली	2
59.	गोगुन्दा से केलवाड़ा	8

1	2	3
60.	गोगुन्दा से नाथद्वारा	2
61.	नाथद्वारा से भिण्डर	3
62.	नाथद्वारा से बल्लभनगर	3
63.	नाथद्वारा से गांवगुड़ा	5
64.	नाथद्वारा से केलवाड़ा वाया बागोल	7
65.	नाथद्वारा से केलवाड़ा वाया शिशोदा	6
66.	नाथद्वारा से सायों का खेड़ा	1
67.	नाथद्वारा से फतहनगर वाया बिजनोल	5
68.	नाथद्वारा से फतहनगर वाया गठवाड़ा	6
69.	नाथद्वारा से कांकरोली	1
70.	नाथद्वारा बरगुल्ला	2
71.	नाथद्वारा से कटार	4
72.	नाथद्वारा से मचीनद	1
73.	कांकरोली से मात्रीकुण्डिया	3
74.	कांकरोली से केलवाड़ा वाया फराराह महादेव	3
75.	कांकरोली से केलवाड़ा वाया राजनगर	2
76.	कांकरोली से बड़ा खेड़ा	4
77.	कांकरोली से भादसोरा	1
78.	कांकरोली से गोरखिया	3
79.	कांकरोली से आमेट	1
80.	कांकरोली से देवगढ़ वाया जलचक्की	3
81.	कांकरोली से देवगढ़ वाया मादड़ी	3
82.	कांकरोली से सेवन्त्री	2
83.	आमेट से फतेहनगर	6
84.	आमेट से इन्टाली	4
85.	आमेट से देवगढ़ वाया जिलोला	6
86.	आमेट से देवगढ़ वाया सोलागुड़ा	1
87.	आमेट से देवगढ़ वाया भोपजी का खेड़ा	3
88.	आमेट से देवगढ़ वाया भोली खेड़ा	1
89.	आमेट से देवगढ़ वाया लिधी	1
90.	आमेट से चारभुजा वाया सेलागुड़ा	2
91.	आमेट से चारभुजा वाया नारुजी का गुड़ा	2
92.	फतहनगर से मचीनद	4

1	2	3
93.	फतहनगर से झाड़ोल	5
94.	फतहनगर से कुरज	1
95.	फतहनगर से पणुन्द	5
96.	फतहनगर से बम्बोरा	6
97.	फतहनगर से कानोड़	2
98.	फतहनगर से मारवाड़ जंक्शन	4
99.	फतहनगर से देवगढ़	6
100.	देवगढ़ से भीम	3
101.	देवगढ़ से भीम वाया ताल	5
102.	देवगढ़ से बदनोर	4
103.	देवगढ़ से बरार	3
104.	भीम से बदनोर	2
105.	लोसिंग से झाड़ोल	2
106.	कोटड़ा से स्वरुपगंज	4
107.	जूड़ा से स्वरुप गंज	3
108.	रेलमगरा से दिवेर	2
109.	चारभुजा से करेड़ा	1
110.	वल्लभनगर से मदेसर	5
111.	टीडी से जावर माइन्स	3
112.	प्रतापनगर से देवाली	15
113.	रेलाइन्स से देवाली	12
114.	नाई से काया	3
115.	सूरजपोल से उन्दरी	6
116.	सूरजपोल से नाहरमगरा	7
117.	सूरजपोल से ममराशिया	6
118.	सूरजपोल से खारवा	1
119.	सीटी स्टेशन से कैलाशपुरी	4
120.	कृषि उपज मण्डी से नाई	1
121.	रेलाइन्स मिल से अम्बेरी	4
122.	तीतरड़ी से मदार	6
123.	बड़ी अस्पताल से लक्कड़वास	2
124.	सिटी स्टेशन से भुवाना	1
125.	उदयपुर से भिण्डर	1

1	2	3
126.	उदयपुर से कपासन	5
127.	नाथद्वारा से कांकरोली	7
128.	देवगढ़ से गोमती चौराह	1
129.	आमेट से कपासन	4
130.	देहलीगेट से बरड़ा	2
131.	कांकरोली से करेड़ा	1
132.	कांकरोली से केलवाड़ा	1
133.	धानेरा से बदनोर	1
134.	उदयपुर से झामरकोटड़ा	1
135.	सलूम्बर से जावर माइन्स	1
136.	आमेट से आवरीमाता	1

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 865 की समयसारिणी

जयपुर–कोटा- झालावाड़ मार्ग पर संचालित सेमी डीलक्स वाहन सेवाओं की समय सारिणी

जयपुर	कोटा	कोटा	जयपुर
0600	1200	1400	2000 वाया टौंक, बूंदी
0730	1300	1500	2030 बे–रोक
0930	1500	1600	2130········
1100	1630	1800	2330········
1300	1830	2200	0330········
1400	2000	2230	0400 वाया टौंक, बूंदी (जाने में)
1600	2130	2330	0500 बे–रोक
1700	2230	0600	1200 वाया टौंक, बून्दी (आने में)
1800	2330	0630	1200 बे–रोक
1830	0030	0630	1230 वाया टौंक, उनियारा, नैनवा
2200	0600 झालावाड़	2100 झालावाड़	0500 वाया कोटा
2230	0400	0830	1400 बे–रोक
2300	0430	1100	1630········
2315	0445	0730	1300········
2330	0500	1300	1830········

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 868 की सूची

रायसिंहनगर से श्री विजयनगर में से इस विभाग की निकली हुई सम्पर्क सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई कि. मी. में	व्यय लाखों में
1.	ग्रामीण सड़क संख्या 3	3.30	5.665
2.	ग्रामीण सड़क संख्या 5	1.30	18.051
3.	ग्रामीण सड़क संख्या 7	2.70	5.777
4.	ग्रामीण सड़क संख्या 8	3.70	5.665

रायसिंहनगर से अनूपगढ़ में से इस विभाग की निकली हुई सम्पर्क सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई कि. मी. में	व्यय लाखों में
1.	ग्रामीण सड़क संख्या 11	10.40	12. 40
2.	ग्रामीण सड़क संख्या 14	9.00	9.952
3.	ग्रामीण सड़क संख्या 16	1.80	2.932
4.	ग्रामीण सड़क संख्या 17	5.64	6.753
5.	ग्रामीण सड़क संख्या 18	3.00	4.296
6.	ग्रामीण सड़क संख्या 19	4.80	7.531
7.	ग्रामीण सड़क संख्या 20	1.60	2.741
8.	ग्रामीण सड़क संख्या 21	3.80	5.752
9.	ग्रामीण सड़क संख्या 22	5.00	4.000
10.	सलीमपुरा सारा सड़क	42. 5	94.576

रायसिहनगर में जैतसर में से इस विभाग की निकली हुई
सम्पर्क सडकों की सूची

क्र. सं.	सडक का नाम	लम्बाई कि. मी. में
1.	रायसिहनगर जैतसर मार्ग से सम्पर्क सडक ग्राम एक एस. टी. बी.	1
2.	रायसिहनगर से बूढ़ा जौहर तक	1
3.	रायसिहनगर—जैतसर फार्म सडक	3
4.	रायसिहनगर से 5 जी. बी.	2.600
5.	रायसिहनगर से सरूपसर	5

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 879 की सूची

राजस्थान सरकार

क्रमांक : प. 1 (2) चि. स्वा/ग्रुप–2/91 जयपुर, दिनांक 13–2–91

: आज्ञा :

निम्नलिखित चिकित्सकों को उनकी स्वयं की वेतन से उनके नाम के आगे अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :—

क्र. सं.	नाम चिकित्सक	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
1.	डा. शंकरलाल अग्रवाल	उप नियन्त्रक ब्यावर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर	
2.	डा. सिकन्दर साहनी	उप निदेशक (मुख्यालय) जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर	
3.	डा. पी. एस. अग्रवाल	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सिरोही	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर	
4.	डा. बी. के. जैमिनी	उप निदेशक (मुख्या) जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर	
5.	डा. बी. एस. यादव	कोटपूतली (जयपुर)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर	
6.	डा. एस. एन. कुक्कड़	बाडमेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनूं	
7.	डा. गिरधर भोमिया	उप नियन्त्रक (चूरू)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर	
8.	डा. कमलेश आर्य	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर	
9.	डा. पी. एन. स्वामी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर	मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर	

10. डा. शंकर लाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चूरू (राज.)
11. डा. गुरुमुख सिंह	उप नियन्त्रक गंगानगर (राज.)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगानगर
12. डा. एस. आर. जांगू	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर
13. डा. गंगाराम	उप नियन्त्रक, गंगानगर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर
14. डा. शकुन्तला मित्तल	उप निदेशक (मुख्य) जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर
15. डा. पारेश्वर सोनी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर
16. डा. दूधराज जैन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर
17. डा. ए. आर. मेहता	आदेशों की प्रतीक्षा में (जयपुर)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली
18. डा. केदारस्वरूप माथुर	उप नियन्त्रक सिरोही	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली
19. डा. ज्ञानेश्वर कल्ला	अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी डूंगरपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा
20. डा. विनीत नाहर	अति मुख्य चिकित्सा एव स्वा. अधि. भीलवाड़ा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा
21. डा. वी. के. विज.	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. (प. क.) बांसवाड़ा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ
22. डा. एस. एस. पावा	अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधि. उदयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर
23. डा. पी. एन. बंसल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी उदयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर
24. डा. प्रहलाद नारायण	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बूंदी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी
25. डा. जगमोहन अग्रवाल	झालावाड़	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ा

398

26. डा. जी. पी. माथुर	उप निदेशक (जोन) कोटा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा
27. डा. एम. पी. पारीक	उप नियन्त्रक (टी. बी. होस्पीटल) जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक
28. डा. ओ. पी. ताहीन	अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी पाली	उप निदेशक (जोन) अजमेर (राज.)

आदेश से

ए. के. भटनागर
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (प. क.) जयपुर ।
2. निदेशक. चिकित्सा एवं सेवायें, जयपुर/आई. ई. सी./जयपुर
3. निजी सचिव, स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य सचिव
4. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
5. सम्बन्धित उप निदेशक
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
7. सम्बन्धित चिकित्सा
8. व्यक्तिगत पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 883 की सूची

परिशिष्ट-एक

माह जनवरी, 1991 तक परियोजनाओं पर किये गये व्यय का विवरण

परियोजना	माह जनवरी, 1991 तक व्यय (करोड़ रुपयों में)
1. माही बजाज सागर परियोजना	304.18
2. जाखम परियोजना	56.33
3. सोम कागदर	17.98
4. सोम कमला अम्बा	4.58

नोट :—वर्ष 1987–88 से माही बजाज सागर परियोजना पर 60 प्रतिशत व्यय ही जनजाति उपयोजना में सम्मिलित किया जा रहा है। इसी प्रकार जाखम, सोम कागदर व सोम कमला अम्बा परियोजनाओं पर 60 प्रतिशत व्यय उपयोजना में सम्मिलित किया जा रहा है।

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 888 का विवरण

परिशिष्ट (अ)

बढ़े हुए वृक्षों की सूची निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम वृक्ष	वर्ष 1987–88	वर्ष 1988–89	वर्ष 1989–90
1.	आम	20	25	50
2.	अनार	50	25	—
3.	जामुन	25	50	—
4.	अमरूद	50	50	100
5.	अंजीर	—	20	50
6.	चीकू	—	10	25
7.	नींबू	30	50	50
8.	वनाश्पति	—	50	50
9.	क्यूप्रेसस	25	—	—
10.	गुलमोहर	10	10	20
11.	जेकरेण्डा	10	10	20
12.	चकोतरा (ग्रेफ्रुटर्स)	—	—	25
13.	पेण्डला अशोक	—	—	50
	योग :—	220	300	440

परिशिष्ट (ब)

(वर्ष 88-89 एवं 89-90 की आय का विवरण)

आय वर्ष :—	1988-89	1989-90
आय राशि :-	59,780 रुपये	99,885 रुपये

परिशिष्ट (स)

पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित ठेकेदारों को दिया गया :—

क. सं.	नाम फल	नाम ठेकेदार वर्ष 1987-88	नाम ठेकेदार वर्ष 1988-89	नाम ठेकेदार वर्ष 1989-90
1.	आम	श्री जुहूर मोहम्मद	श्री अब्दुल कादिर	—
2.	जामुन	श्री इब्राहिम	श्री गुलाम रसूल	श्री बाबू
3.	अनार	श्री इब्राहिम	श्री मनु मोहम्मद	श्री अब्दुल कादिर
4.	इमली	श्री मनु मोहम्मद	श्री अब्दुल कादिर	श्री मनु मोहम्मद
5.	आँवला	श्री इब्राहिम	श्री मनु मोहम्मद	श्री अब्दुल कादिर
6.	परचूनी फल	,,	श्री अब्दुल कादिर	श्री अब्दुल कादिर
7.	अम अमरूद			

(सज्जन निवास बाग में अमरुद के 10 प्लाट है।)

1.		श्री बाबू	श्री चांद मोहम्मद	श्री अब्दुल कादिर
2.		श्री गनी मोहम्मद	श्री बाबू	श्री बाबू
3.		श्री चांद मोहमम्द	श्री मनु मोहम्मद	श्री शमशाद
4.		श्री मुनीर अहमद	श्री गनी मोहम्मद	श्री महबूब
5.		श्री मनु मोहम्मद	श्री चांद मोहम्मद	श्री इब्राहिम
6.		श्री चांद मोहम्मद	—	श्री चांद मोहम्मद
7.		श्री जहूर मोहम्मद	—	श्री मनु मोहम्मद
8.		श्री चांद मोहम्मद	—	श्री मनु मोहम्मद
9.		—	—	श्री जुम्मा
10.		—	—	श्री सलीम

शुद्धि पत्र

.सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	95	1	सार्वनिक	सार्वजनिक
2.	152	फोलियो	स्थ. प्र. ध्यानाकर्षण	स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा
3.	199	फोलियो	अशासकीय विवेयक	अशासकीय विधेयक
4.	199	6	पुनः स्थापन	पुरःस्थापन
5.	200	12	कः विलम्बन	का निलम्बन
6.	200	13	बिलम्बन	निलम्बन
7.	201	1	श्री कध्यक्ष	श्री अध्यक्ष